राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या : 12

शुक्रवार :

23 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल।

अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि

272. **श्री हीरालाल (निवाई) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के विभिन्न चरण उत्तीर्ण करने पर कोई प्रोत्साहन राशि देय होती है? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सरकार अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर कोई प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : (1) जी नहीं।

(2) विभाग द्वारा राज्य में इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है एवं न ही विचाराधीन है।

श्री हीरालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मध्य प्रदेश में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60 हजार रुपये, साक्षात्कार के पश्चात् चयन होने पर 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि, प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 40 हजार, कुल डेढ़ लाख रुपये की राशि संघ लोक

(श्री हीरालाल)

सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। इसी प्रकार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी इस तरह की प्रोत्साहन राशि देय होती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आई.ए.एस., आर.ए.एस. के लिये जो कोचिंग प्रारम्भ कर रखी है इस कोचिंग में वर्तमान में कई बच्चे अवैध रूप से रह रहे हैं जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिये एक बाधा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जो कोचिंग करने वाले बच्चों के अलावा दूसरे बच्चे अवैध रूप से वहां रह रहे हैं कृपया उनको हटाये जाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 20 हजार रुपये, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30 हजार रुपये, साक्षात्कार उपरान्त चयन होने पर 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एस.सी., एस.टी. के अभ्यर्थियों को देय होती है उसमें आय सीमा भी नहीं है। इस प्रकार कुल...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए, आप तो इंफोरमेशन दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। प्रश्न पूछिए।

श्री हीरालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का समाज कल्याण विभाग भी इन अभ्यर्थियों के लिये यह सुविधा देने का विस्तार रखता है क्या?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि अन्य प्रदेशों की तरह राजस्थान में प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्य प्रदेशों में कोचिंग की अन्य सुविधाएं देय नहीं होती होगी और उसके कारण वह प्रोत्साहन राशि देते होंगे। हमारे यहां जो बच्चे आर.ए.एस., आई.ए.एस. आफिसर बनना चाहते हैं उनकी पूर्व परीक्षा की कोचिंग के लिये डा. भीमराव अम्बेडकर पूर्व प्रशिक्षण प्रशासनिक सेवा कोचिंग संस्थान यहां है और लगातार सन् 1970 से यहां काम कर रहा है। इसमें जो कोचिंग करना चाहता है उन छात्रों को या अभ्यर्थियों को इस में प्रवेश दिया जाता है। पहले 1998 तक यह व्यवस्था थी कि विश्वविद्यालय के माध्यम से इनको कोचिंग करवाई जाती थी और यह जो हमारा संस्थान है इस संस्थान में कोचिंग करने वाले छात्र रहते थे। वहीं आकर इसकी जो बाड़ी थी उनके माध्यम से लैक्चरर्स का चयन किया जाता था। क्या सिलेबस पढ़ाना चाहिये उसका चयन किया जाता था। यानि सारी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय के माध्यम से देखी जाती थी। 1998 में जब मैं इसी विभाग का राज्य मंत्री भी था और तब से हमने समीक्षा की और पाया कि जो विश्वविद्यालय के माध्यम से हम कोचिंग करवा रहे हैं उसके कोई रीजल्ट नहीं आ रहे हैं। और जैसा मोटा मोटा ध्यान में आया कि जब से यह संस्थान प्रारम्भ किया है

(श्री मदन दिलावर)

तब से एक भी आशार्थी न तो आर.ए.एस. बन पाया है न आई.ए.एस. बन पाया है। इसलिए हमने इस योजना को सीधा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित करने का प्रयास किया। परन्तु उसके बाद, 1998 के बाद दुर्भाग्यवश...

श्री अध्यक्ष : आप विभाग की प्रगति रिपोर्ट पढ़ रहे हैं क्या, जवाब तो दे दिया आपने।

श्री मदन दिलावर : जवाब तो दे रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं...

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी हमें यह आश्वासन दें कि जहां पर हमारे एस.सी., एस.टी. के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह कितने लोग हैं, कितने अभ्यर्थी हैं, यह बताये।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग से है। (व्यवधान) आप पूछिए।

श्री गोविन्द राम चौहान : एस.सी., एस.टी. के बच्चों को जो दिल्ली में बहुत अच्छी क्वालिटी के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उसमें यह राजस्थान की सरकार वहां बच्चों को तैयारी के लिये क्यों नहीं भेजती, इसका जवाब दें मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं...

श्री गोविन्द राम चौहान : पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दे संयमजी।

श्री अध्यक्ष : यह आपका अलग से प्रश्न है, यह अलग से है।

श्री गोविन्द राम चौहान : नहीं, इसी से रिलेटेड है। अध्यक्षजी, दिल्ली में जो अच्छे कोचिंग सेंटर हैं, यह अभी खुद मंत्रीजी ने बताया है कि जो कोचिंग सेंटर चलते थे उसमें एस.सी., एस.टी. के आर.ए.एस. नहीं बने। इसका मतलब है कि वहां जिस तरह हमारे समाज कल्याण के हास्टल चलते हैं उसी तरह से आई.ए.एस. के कोचिंग चल रहे हैं। वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं होती. एस.सी., एस.टी. के लिये। दिल्ली में जो अच्छे कोचिंग हैं उनमें हम एस.सी., एस.टी. के बच्चों को क्यों नहीं भेजते कोचिंग के लिये। राजस्थान सरकार इस बारे में हमको जानकारी दे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि, जैसे मूल प्रश्नकर्ता ने बताया है कि अन्य राज्यों में प्रोत्साहन राशि दलित वर्ग के बच्चे जो प्रारम्भिक परीक्षा वगैरह पास कर लेते हैं, उनको दी जा रही है।

श्री मदन दिलावर : दलित नहीं वंचित।

श्री संयम लोढ़ा : क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई समिति गठित करने का विचार रखती है कि अन्य राज्यों में इस वर्ग के विद्यार्थियों को क्या सुविधा प्रदान की जा रही है उसका अध्ययन कर के उसको राजस्थान में भी इस वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जा सके? इस सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त करने के लिये क्या कोई समिति गठित करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि विभाग द्वारा राज्य में इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है, न विचाराधीन है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं पूछ रहा हूं समिति तो गठित कर सकते हैं।

श्री गोविन्द राम चौहान : अगर दूसरे स्टेट में चल रही है तो यहां पर क्यों नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में अच्छा काम हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसका अध्ययन कर के राजस्थान में भी हमारे लोगों को लाभान्वित करने की कोई व्यवस्था करें। समिति गठित करने का विस्तार रखते हों तो बता दें और नहीं रखते हों तो वह भी बता दें कि नहीं रखते।

श्री रामनारायण चौधरी : ...प्रश्न बदल कर उनका जो मूल प्रश्न है उसमें है क्या राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के पैटर्न पर अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को जो यह परीक्षा पास कर लेते हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया कि नहीं, न विचाराधीन है।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति की चाहे छात्रों की बात आये कि छात्रवृत्ति बढ़ाई जायेगी या नहीं बढ़ाई जायेगी तो जी नहीं। आज जब यह बात निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने रखी कि ऐसे प्रशिक्षार्थी जिन्होंने आई.ए.एस., आर.ए.एस. की प्रारम्भिक परीक्षा पास की उनकी कोचिंग की व्यवस्था है? जी नहीं। क्या ऐसी कोई प्रोत्साहन राशि देने का विचार आपका है, कोचिंग कराने का विचार है? जी नहीं। तो आखिर में दलित समाज के साथ जब से यह सरकार आई है तब से यह भेदभाव क्यों हो रहा है। जी नहीं, जी नहीं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सन्तोषजनक जवाब दिया जाये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, जवाब देना पड़ेगा या फिर जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने किया वैसा ही क्या हमारी सरकार करेगी। मंत्रीजी गोलमाल जवाब देने से काम नहीं चलेगा। सदन को बताना पड़ेगा कि एस.सी., एस.टी. के अधिकारियों के प्रति नीयत क्या है। (व्यवधान) अगर मध्य प्रदेश में चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा है तो राजस्थान में ऐसी क्या प्रोब्लम आ गई है?

श्री अशोक बैरवा :...(व्यवधान) अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों ने मैनडेट दिया है तो हमारे साथ-साथ चलना चाहिये। इससे सरकार चल रही है। फिर मेरा यह निवेदन है कि आखिर में इतना बड़ा बहुमत आपको मिलने के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति के बारे में आपका यह दुर्भाव क्यों रहा है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : ऐसे क्या कारण हैं जब मध्य प्रदेश और कर्नाटक में दिया जा रहा है तो यहां क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब दूसरे राज्यों में व्यवस्था है तो आप राजस्थान में क्यों नहीं रख पा रहे हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एस.सी., एस.टी. के विद्यार्थियों के लिये कोचिंग है। आपने जो अंदाज वाली बात की है यह अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिये अंदाज वाली बात मत करिये। वहां कोचिंग की व्यवस्था है। आप भी राजस्थान में प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करें। यदि यह सरकार अनुसूचित जाति के लिये संवेदनशील है। (व्यवधान) तो इसमें मंत्री महोदय...(व्यवधान) घोषणा करनी चाहिए मंत्रीजी को... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : इतने बड़े वोटों का डाका डालने के बाद भी आप अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये नहीं करना चाहते हो।

श्री ओम बिरला : आपका राज था, तब क्यों नहीं दिया। आपका 5 साल तक राज था, आपकी सरकार ने 5 साल तक क्यों नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : 50 साल से आप दलितों के वोट लेकर राज कर रहे हो।

श्री सी. डी. देवल : अनुसूचित जाति-जनजाति के इतने वोट इन्होंने लिये हैं फिर भी उनके लिये कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस वाले तो नहीं कर पाये लेकिन हमारी सरकार की स्थिति हमें स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री बाबूलाल नागर : यह राजस्थान की जनता देख रही है कि यह सरकार किस तरह अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ...(व्यवधान) करना चाहते हैं। कहां गयी आपकी संवेदनशीलता...(व्यवधान)

श्री हीरालाल : मेरे मूल प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया और मैं मंत्री महोदय के जवाब से असंतुष्ट हूं। समाज कल्याण विभाग ने 2 दिन इंटरव्यू लेने के बाद न तो बच्चों को वहां कोई सुविधा है, ना खाने की व्यवस्था है, खाली एक बाड़े की तरह उन्हें रख रखा है। और आजकल कोचिंग सेंटर भी बंद है। (व्यवधान) और लाखों रुपया सरकार का वेस्ट हो रहा है। मंत्री महोदय, बतायें कि लाखों रुपये सरकार के वेस्ट हो रहे हैं। (व्यवधान) जो आज बच्चों की...(व्यवधान) मंत्री महोदय ने बताया, मैं संतुष्ट नहीं हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जवाब देना होगा, इस बारे में।

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, 40 साल से कांग्रेस वाले खिलौना बना रहे हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : जिस तरह से कुछ राज्यों ने इस प्रकार की योजना शुरू की है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर इस प्रकार की योजना शुरू करने का विचार रखती है? और नहीं तो क्यों, इसके कारण बताएं।

श्री हीरालाल : एस.सी., एस.टी. के बच्चों को खाली मूर्ख बना रहे हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार यह कर रही है तो राजस्थान सरकार इस पैटर्न को क्यों नहीं कर सकती है? यह मध्य प्रदेश सरकार के आदेश भी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आसन पांवों पर। (व्यवधान) आसन पांवों पर है। स्थान ग्रहण करें।

देखिये, माननीय सदस्यगण, आप सब लोग एक साथ खड़े होकर के जिस प्रकार से जोर-जोर से बोलने लग जाते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आये। एक साथ क्यों खड़े होते हैं। एक-एक करके माननीय सदस्य खड़े हों और अपना प्रश्न पूछें तो उसका जवाब मंत्री भी दे पायेंगे, मैं भी सुन पाऊंगी, सदन भी सुन पायेगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी दलित या किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रश्न पर ठीक तरह से मंत्री का उत्तर आये। आप स्वयं नहीं चाहते, इतने एक साथ क्यों खड़े होते हैं। (व्यवधान) फिर, बैठिये आप. मैंने कहा. बैठिये। यदि आप सुनना चाहते हैं तो एक-एक करके खड़े क्यों नहीं होते हैं और आप परमीशन से क्यों नहीं खड़े होते अध्यक्ष की। आप एक-एक करके खड़े होइये। मैं आपको जवाब दिलवाऊंगी। लेकिन आप साथ खड़े होकर के आप लोग इतना

(श्री अध्यक्ष)

हल्ला-गुल्ला मचाते हैं कि न किसी को बात सुनाई देती है, न कोई जवाब दे पाता है। इसलिये मैं अब जिसका नाम पुकारूंगी केवल वही खड़ा होगा। (व्यवधान) मिस्टर देवल, मिस्टर देवल।

श्री सी. डी. देवल : मुझे हाथ खड़ा करते हुए, आप देखते ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर वही बात, फिर वही बात कह रहे हैं आप। (व्यवधान) मिस्टर नाग, फिर आप वही बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : मेरे पास ठोस सबूत हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, इस नियम का ध्यान रखिये, आप, आसन पांवों पर है। इस नियम का ध्यान रखिये आप। (व्यवधान) आप इस नियम का बहुत उल्लंघन करते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आसन पांवों पर है। (व्यवधान) आप फिर खड़े हैं, मैं कहती हूं बैठिये आप। स्थान ग्रहण करो पहले अपना, पहले स्थान ग्रहण करो।

नोखा से आने वाले गोविन्द रामजी, पहले अपना प्रश्न पूछें।

श्री गोविन्द राम चौहान : मेरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय कि 40 साल के अन्दर ये कांग्रेस वाले जो आज विरोध कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, गलत बात है। (व्यवधान) आपको अपना प्रश्न पूछना चाहिए। कांग्रेस का नाम प्रश्न में नहीं आता है।

श्री गोविन्द राम चौहान : मैं मेरा प्रश्न पूछ लेता हूं। मैं सीधा प्रश्न पूछ लेता हूं। मेरा प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष : आप इंफार्मेशन सीक करें। सूचना चाहते हैं, कांग्रेस का नाम नहीं, अपना प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : मैं सीधा पूछ लेता हूं कि पहली बात तो जिस तरह से दूसरे स्टेट में प्रोत्साहन राशि मिल रही है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में वह व्यवस्था हो। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि एस.सी., एस.टी. के बच्चों को वास्तव में यदि हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो दिल्ली में जो अच्छे कोचिंग हैं, हमारी राजस्थान सरकार की तरफ से यह व्यवस्था हो कि जो बच्चे इंटेलीजेंट हैं उनको अच्छी कोचिंग में भेजकर के उनको आई.ए.एस. की तैयारी के लिये वहां व्यवस्था की जानी चाहिए दिल्ली के अन्दर, यह हमारी मंशा है।

श्री अध्यक्ष : आपने कोचिंग की बात तो प्रश्न में पूछी ही नहीं थी, पूछा था प्रोत्साहन राशि। प्रोत्साहन राशि का पूछा है।

श्री गोविन्द राम चौहान : कोचिंग की, कोचिंग की। प्रोत्साहन राशि का ले लो। प्रोत्साहन राशि का ले लो, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्य प्रदेशों में प्रोत्साहन राशि मिल रही है। ऐसा नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है और उनके आधार पर हम कोई योजना बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनके पैटर्न पर चलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यह माननीय सदस्य ने पूछा है। हम किसी के पैटर्न पर नहीं चलना चाहते हैं। जो भी प्रदेश चले वह हमारे राजस्थान के पैटर्न पर चले इस प्रकार का हम चाहते हैं। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, सुन तो लें।

श्री सुरेश मीणा : आप साफ कहिये ना...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा : जिस तरह का जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं, यह जवाब नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं हुआ। हमारे लिये क्या कर रहे हैं, यह बताओ, एस.सी., एस.टी. के लिये क्या कर रहे हो?

श्री बाबूलाल नागर : मंत्रीजी, यह साफ कहिये, हम प्रोत्साहन राशि नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अखबार में अपना नाम छपवाने के लिये और सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इस बार मंत्रीजी को सुनें, राजस्थान का पैटर्न क्या है, वह क्या करना चाहते हैं, पर एस.सी., एस.टी. से कोई हमदर्दी नहीं है।

श्री मदन दिलावर : कोई जरूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश करे या अन्य प्रदेश करें वह राजस्थान भी करे। हम चाहेंगे...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : केवल अखबार में अपना नाम छपवाने के लिये हुल्लड़ करते हैं, हुल्लड़। यह हुल्लड़ ब्रिगेड आप नियंत्रित करें, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब में बता दिया जी नहीं, जी नहीं।

श्री मदन दिलावर : अब आगे तो सुनें, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कंट्रोल का काम प्रतिपक्ष के नेता का है, वे नियंत्रित कर सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता, थोड़ा नियंत्रित करिये। एक-एक करके प्रश्न पूछें तब तो प्रश्नों का जवाब आयेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चीफ व्हिप माननीय सदस्यों के लिये हुल्लड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने हुल्लड़ नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चीफ व्हिप ने कहा है, चीफ व्हिप ने कहा, इसको कार्यवाही से निकालो। माननीय सदस्यों के लिये किस तरह से बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : हुल्लड़ असंसदीय नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : रोज करते हैं यह, नहीं तो क्या अच्छा है, हुल्लड़ शब्द। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुल्लड़-हुल्लड़ है और क्या है, हल्ला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, और क्या हो रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सबसे ज्यादा हुल्लड़ तो ये करते हैं। विधान सभा में सबसे ज्यादा हुल्लड़ ये करते हैं, जिनको विधान सभा को चलाने की जिम्मेदारी है। माननीय सदस्य, सीधा सा प्रश्न यह चाहते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था शुरू हुई है तो क्या आप भी राजस्थान में प्रोत्साहन राशि देंगे। सीधी सी बात करें ना आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं, आप खड़े नहीं होंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्षजी, राज करने के लिये मध्य प्रदेश पैटर्न से नेता लेकर आ गये, राज करने के लिये +++ चलेगा। अब इसमें मध्य प्रदेश पैटर्न लागू नहीं कर सकते हैं आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संयमजी, संयम रखो।

श्री ओम बिरला : आप लाये होंगे इटली से राज करने के लिये। (व्यवधान) इटली से राज करने के लिये आप लेकर आये होंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को कहां आवश्यकता पड़ती है।

श्री ओम बिरला : वे इस धरती की पुत्री हैं। आप इटली से राज करने के लिये लाये हैं। (व्यवधान) पूरा देश जानता है। (व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश दिये गये)

श्री ओम बिरला : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री बाबूलाल नागर : xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप बताएं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका जवाब नहीं देकर के उनका जवाब नहीं पूछकर इस सदन को किस प्रकार से चला रहे हैं। अब आप बतायें, मेरा मार्गदर्शन करें। प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहता हूं। सारे सदन का मार्ग दर्शन करें, प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने सदस्यों को भी नियंत्रित करिये पहले। आपके सदस्य भी एक साथ खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब देते हैं, आप क्यों खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन है, आप बिराजिये।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने से बिराजूंगी।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री गोविन्द राम चौहान : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा यह है कि राजस्थान के...

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री ओम बिरला : xxx

श्री संयम लोढ़ा : और जिनका +++ हो उनका क्या हाल होगा, यह भी कह दो। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : +++ आपका आया है इटली का। इटली से आया है, इटली से। हिन्दुस्तान की जनता जानती है। इटली से राज करने आया है। आप चाहे तो (व्यवधान) करने वाले राज करते हैं जो देश की जनता पर आरोप लगाते हैं... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या है देश की जनता?

श्री ओम बिरला : सारा हिन्दुस्तान जानता है। सारा हिन्दुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जानता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको यही करना है तो करिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह तो मदर लैण्ड बन गयी।

श्री ओम बिरला : और अब कहते हो, कुछ नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप यह चाहते हैं कि यह सवाल नहीं उठे तो बहुत अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : जुबेर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री जुबेर खान।

श्री मदन दिलावर : मेरा जवाब आ जाए, साहब।

श्री अध्यक्ष : आप कहना चाहते हैं कुछ?

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) अपना स्थान ग्रहण कर लें।

श्री मदन दिलावर : मैं जवाब देना चाहता हूं। आप नियम से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियम से, आप सन्तुष्ट नहीं हैं, आप यदि उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं, आर्डर, आप यदि उनके जवाब से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अन्य नियम भी हैं (व्यवधान) मैं क्यों बताऊं कि कौनसा नियम है? आप देखिये और उसमें लाइये अपना प्रस्ताव। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : हां।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री मदन दिलावर : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : कोई सवाल आता है तो हमेशा ही यहां पर चर्चा की बात होती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री सी. डी. देवल : कभी तो हमारी तरफ भी आप देखो, अध्यक्ष महोदय, हम भी बैठते हैं। विधान सभा में आखिर निर्वाचित होकर आये हैं। आपकी नजर इधर पड़ती ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा यह है कि राजस्थान के अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आशार्थी आर.पी.एस. और आई.पी.एस. बनना चाहते हैं। आर.ए.एस., आर.पी.एस., आई.ए.एस. और आई.पी.एस. बनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया न।

श्री मदन दिलावर : ऐसे लोगों का अधिक से अधिक कोचिंग के माध्यम से सलेक्शन हो और राजस्थान में अच्छे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भी ऐसे प्रशासनिक पदों पर आयें। इसलिए यह हमने कहा कि यह हमारा जो पूर्व प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है और जो अन्य व्यवस्थाएं हिन्दुस्तान में हैं, हम इनकी, मैं आज इन सबकी समीक्षा करने के लिए प्रमुख शासन सचिव (व्यवधान) आप चुप तो रह जाएं...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : आपकी खुद की क्वालीफिकेशन क्या है वह तो देखो आप। थर्ड डिवीजन लोगबाग ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या है यह? इनको समझाइये न।

श्री सुरेश मीणा : आप तो सर्वोच्च हैं।

श्री मदन दिलावर : मैं इनकी अध्यक्षता में आज ही एक कमेटी का गठन कर रहा हूं और यह कमेटी एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि अधिक से अधिक बच्चे, आशार्थी किस प्रकार से हम आर.एस.एस. और आई.पी.एस. बना

(श्री मदन दिलावर)

सकते हैं। आई.ए.एस. बना सकते हैं। उसकी रिपोर्ट वह प्रस्तुत करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री सी. डी. देवल : प्रोत्साहन राशि के लिए कुछ तो कहो।

श्री मदन दिलावर : प्रोत्साहन राशि का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है।

श्री गोविन्द राम चौहान : दूसरे राज्यों में भी तो है...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हमारा ध्येय यह रहेगा कि अधिक से अधिक उनका सलेक्शन हो। अब आपको पैसे चाहिए तो मेरे से ले जाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दे दिया है और यह पूरा जवाब है। मैंने आज यह कमेटी की घोषणा कर दी है कि कमेटी बनेगी।

श्री सुरेश मीणा : यह कोई जवाब नहीं हुआ। प्रोत्साहन राशि कितनी देंगे?

श्री सी. डी. देवल : प्रोत्साहन राशि का सवाल है। मूल जवाब यह है कि प्रोत्साहन राशि देंगे या नहीं देंगे? आप उनको डाइवर्ट कर रहे हैं कमेटी बनाकर... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : जवाब दे दिया है।

श्री सुरेश मीणा : यह गुमराह करने वाली बात है।

श्री गोविन्द राम चौहान : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पर नहीं चलाएंगे। वे डेढ़ लाख दे रहे हैं, आप ढ़ाई लाख दे दो। जरूरी है क्या उनके पैटर्न पर चलाये? अगर वे डेढ़ लाख दे रहे हैं तो हम ढाई लाख दे दें प्रोत्साहन का। एस.सी./एस.टी. वाले आपको धन्यवाद देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री जुबेर खान।

अलवर एवं भरतपुर जिले में कस्टोडियन भूमि का आबंटन

273. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर एवं भरतपुर में कस्टोडियन भूमि का आबंटन अथवा कब्जानुसार पट्टे देने पर रोक लगाई हुई हैं? यदि हां, तो कब से एवं क्यों?

(श्री जुबेर खान)

(2) क्या यह सही है कि उक्त रोक अदालतों द्वारा दिये गये फैसलों पर भी लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार कस्टोडियन भूमि के आबंटन/पट्टों पर से कब तक रोक हटाने का विचार रखती है?

पुनर्वास मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा) : (1) जी नहीं। अलवर एवं भरतपुर जिलों की कस्टोडियन भूमि के आबंटन अथवा कब्जानुसार पट्टे देने पर रोक नहीं लगी हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) कस्टोडियन भूमि के आबंटन/पट्टों पर सरकार की रोक नहीं है।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि रोक नहीं लगी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भिवाड़ी के पास एक जमीन का स्कैण्डल हुआ था। उसके बाद अलवर कलक्टर ने वर्बल रोक लगा रखी है। आज तक किसी को पट्टा नहीं देते। क्या आप सदन को यह आश्वासन देंगे कि अब तक जो नियम बने हुए हैं, नियमानुसार अगर कोई आदमी पट्टे के या आबंटन का हक रखता है तो क्या कल से यह प्रक्रिया वहां अलवर जिले में शुरू हो जाएगी, नम्बर-एक।

नम्बर-दो, यह तीन तरह के मामले हैं। एक तो वे लोग हैं जो पिछले 30-40 साल से कहीं एक बीघा, कहीं पर डेढ़ बीघा, कहीं दो बीघा के ऊपर काबिज हैं और उनको नियमानुसार कस्टोडियन भूमि का 600 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से जो पैसा होता था वह लेकर उनको आप पट्टा आबंटन नहीं कर रहे हैं। एक वे लोग हैं जो लोग पुरुषार्थी आये थे पाकिस्तान से, उनको जमीन के, यह कस्टोडियन भूमि अलाट हुई थी, उनको गैर खातेदारी का हक मिल गया था और क्योंकि उन्होंने 600 रुपये 1948 में जमा नहीं करवाये थे तो उन्होंने गैर खातेदारी के हिसाब से लोगों को रजिस्ट्रीज करवाकर पैसे लेकर, स्टाम्प ड्यूटी देकर लोगों ने 30-30, 40-40 साल पहले जमीन खरीद ली। आज उनको, गैर-खातेदार तो बैठे हैं लोग जो चालीस साल से हैं लेकिन जब वे कोई लोन लेने जाए जमीन पर, कृषक कार्ड बनाने जाएंगे, बिजली के कनेक्शन लेने जाएंगे तो उनको नहीं दिया जाता है क्योंकि उनका इन्द्राज दर्ज है गैर-खातेदारी। तो क्या उन लोगों ने जिन्होंने रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन खरीदी है और आज काबिज हैं उस पर उनको खातेदारी वही 600 रुपये लेकर क्यों नहीं दी जाती? अब वे कहते हैं कि खातेदारी के लिए वे लोग आये जिनको 1948 में अलाट हुई थी। वे लोग या तो चले गये या दुनिया

(श्री जुबेर खान)

में नहीं रहे। यह बड़ी समस्या है, एक इसका निराकरण आप किस तरह से करेंगे और एक ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान चले गये थे, 1947 में और गांधीजी के बुलावे पर छह महीने के अन्दर वापस आ गये थे तब तक उनकी जमीन पुरुषार्थी भाइयों को अलाट कर दी गयी थी, उनका क्लेम बाकी आज तक भी पड़ा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले आठ-दस साल से तो हम भी कह-कह कर थक गये। पिछले पांच साल भी बड़ी कोशिश की कि इन गरीब लोगों को कुछ रियायत मिल सकें, इनको न्याय मिल सकें, पांच साल में तो हम करा नहीं पाये। अब आपने निवेदन करते हैं कि आपकी सरकार काफी सवेदनशील, बोर्ड लगा रहे हैं, क्या यह जो लोग परेशान हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, आलरेडी काबिज हैं। कब्जा इनसे छुड़ाया नहीं जा सकता है तो आप स्पेशल कैम्प लगवाकर इन प्रकरणों को हल करने का कोई मानस रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री जयराम जाटव : एक मेरा भी है, अध्यक्ष महोदय।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : पूछ लेना अभी।

श्री अध्यक्ष : पहले उसका जवाब आने दीजिए, उनका।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जैसाकि भिवाड़ी का मामला बताया। न तो लिखित में और न कोई मौखिक रूप से इस प्रकार के उनको रेगुलाइज करने की मनाही नहीं कर रखी है सरकार ने। दूसरा उन्होंने जो बताया कि काबिज भूमि है, उनके पट्टे देने का मामला है। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रकार के एक्ट बने हुए हैं। एक स्टेट एक्ट और एक सेंट्रल एक्ट है और जो सेंट्रल एक्ट है वह डिस्प्लेस्ड परसन्स कम्पनसेशन रिहेब्लिटेशन एक्ट, 1954 और इसी ढंग से अपना एक स्टेट का एक्ट बना हुआ है, वह 1963 का है। तो इसका जो एक्ट है वह बना है स्पेशली भरतपुर एवं अलवर जिलों के लिए। जिसमें राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू परमानेंट अलाटमेंट आफ एवेक्यू एग्रीकल्चर लैण्ड रूल्स, 1963 है, इसका कुछ रूल्स का वायलेशन हो गया। अध्यक्ष महोदय, इस वायलेशन हो जाने के कारण तत्कालीन सरकार ने 5.12.2002 को एक केबिनेट सब कमेटी बनायी। उस केबिनेट सब कमेटी की दो मीटिंग्स हो गयीं। इस केबिनेट सब कमेटी का 1.3.2004 को पुनर्गठन किया गया है। उसका मैं भी सदस्य हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस केबिनेट सब-कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, वैसे ही हम तुरन्त प्रभाव से इन सब पेंडिंग प्रकरणों के मामलों को निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कह दिया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है कि पिछली कमेटी ने तो यह निर्णय कर लिया था कि आज की मार्केट वेल्यू के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये, प्रश्न पूछिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने चालीस साल से, क्या आप उस क्लाज को रोकेंगे या बदलेंगे क्योंकि आज की तारीख में पिछली कमेटी ने, पिछली सरकार की ने यह किया था कि मार्केट वेल्यू के हिसाब से पैसे देकर रजिस्ट्री करवाइये। जिन लोगों ने चालीस साल पहले पैसे देकर रजिस्ट्री करवा ली, उनसे क्या यह उचित है? क्या वह जो पिछली कमेटी ने रिकमण्ड किया है, क्या जिस तरह से आप सारे फैसले बदल रहे हैं, क्या उसको बदलने का विचार रखते हैं? जो कमेटी ने पिछली ने यह रिकमण्डेशन दी है कि आज के बाजार भाव से लोगों को रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी जबकि पहले ही वे रजिस्ट्री करवा चुके हैं और काबिज हैं और गैर खातेदारी नाम उनका दर्ज है। तो आप यह बताइये सदन को कि क्या आप भी उसी तरह तलवार चलाने का विचार रखते हैं कि मार्केट वेल्यू से या इसको रेशनलाइज करने का विचार रखते हैं?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, इसी से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब पहले आने दीजिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसी से सम्बन्धित मेरा भी एक प्रश्न है कि मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया है कि केवल भरतपुर और अलवर जिलों के लिये यह बनाई गई है। जयपुर जिले में भी मेरे कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के 15 गांवों के अन्दर कस्टोडियन लैण्ड है।

श्री अध्यक्ष : तो उसका क्या कन्सर्न है। आपके कोटपूतली से इसका क्या कन्सर्न है? (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जयपुर जिले में भी कस्टोडियन है। आपने यह कहा है कि केवल अलवर और भरतपुर के लिये 1962-63 का एक्ट बना है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जयपुर जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान में जहां भी कस्टोडियन लैण्ड है और जिस पर पिछले 45-50 सालों से काश्तकार काबिज हैं खेती कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। अलग पूछियेगा। यह प्रश्न अलग से है। माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : उसको उसका अधिकार कब दिया जाएगा? जब बंदिश ही नहीं लगा रखी है तो माननीय फिर तो जवाब इसमें है ही। बंदिश वहां है तो फिर इन और जिलों के अन्दर उनको खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? जब बंदिश ही नहीं लगाई है तो फिर समस्या कहां रहती है? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह के एक्ट हैं। एक सैंट्रल एक्ट है और अलवर, भरतपुर के लिये स्टेट का अलग से एक्ट है। जो सैंट्रल एक्ट है उसमें बाकी के 30 जिलों को कवर किया जा रहा है और चूंकि उस सैंट्रल एक्ट में हमने जब पत्राचार किया तो भारत सरकार ने यह लिखकर भेज दिया कि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रशासनिक आदेश जारी करके ऐसे उनका डिस्पोजल कर सकते हैं। तो यह भी सब कमेटी में विचाराधीन है।

दूसरा, आपने जो बताया कि क्या पहले की जो सब कमेटी बनी है उसमें आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाह रहे। उसमें जो खामियां रह गयी हैं पहले की सब कमेटी में उन खामियों को दूर करते हुए हम इसमें तुरन्त निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भी पूछ रहे हैं। अलवर से सम्बन्धित है, अलवर का सवाल है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका खुद का क्वेश्चन आने वाला है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसी सवाल पर मेरा आपसे निवेदन है भरतपुर का मामला है। अलवर और भरतपुर के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र के भी 1883 किसान हैं इसलिए आप अलाऊ करें तो मैं एक सवाल पूछ लूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर का मामला है। अलवर से प्रश्न करने के लिये...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) नहीं, मैं आसन के आदेश के बिना नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : पूछिये। पूछ लीजिये, माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं। एक तो पिछली मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी थी उसने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिश की है? इससे आप अवगत करायें। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में करीब दो हजार किसान इस चीज से प्रभावित हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। क्या आप एक विशेष कैम्प लगाकर या अभियान चलाकर इन किसानों को राहत देने का और इनको खातेदारी अधिकारी देने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

डा. किरोड़ीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल का जवाब भी लम्बा है थोड़ा, दे दूं?

मोहम्मद माहिर आजाद : वह बताइये। किसानों का मामला है, साहब।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मंत्रिमण्डलीय समिति की कार्यवाही का विवरण जो खामियां रहीं आबंटियों द्वारा किश्तें जमा नहीं होने के कारण आबंटन निरस्त कर दिया गया लेकिन आबंटी का अभी भी मौके पर कब्जा है। जुबेरजी, आप जो कह रहे थे, निराकरण हेतु ज्ञापन में प्रस्तावित प्रस्ताव-आबंटी से बकाया राशि मय ब्याज एवं एक हजार प्रति बीघा सिंचित भूमि एवं 500 रुपये प्रति बीघा असिंचित भूमि की कम्पाउंडिग फीस लेकर नियमन कर दिया जाये एवं आबंटन बहाल कर दिया जाये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के काश्तकारों हेतु कम्पाउडिंग फीस उपरोक्त दरों की आधी रखी जानी प्रस्तावित है। आबंटी को छह माह के अन्दर-अन्दर बकाया राशि एवं ब्याज जमा कराना होगा। कम्पाउंडिग की राशि चार अर्द्ध वार्षिक किश्तों में वसूल की जाये। उप समिति की सिफारिश इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि भूमि आबंटन नियम 1975 में आबंटन निरस्त होने के बाद 6 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज और बकाया राशि वसूल कर भूमि का नियमन किया जा सकता है। अत: समिति का सुझाव है कि ऐसा ही प्रावधान निष्क्रांत भूमियों के लिये किया जाये। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के काश्तकार हेतु कम्पाउंडिंग फीस उपरोक्त दरों की आधी रखी जाये। दूसरा है, डी.पी.सी. एवं आर.एफ. 1954 की धारा 1० (2) और डी.पी.सी. एण्ड आर. नियम 1955 के नियम 102 की अवहेलना में आबंटित भूमियों का बेचान कर दिया गया। इस स्थिति में आबंटन निरस्त किये जाने का नियमों में प्रावधान हैं. जुबेरजी।

श्री जुबेर खान · मैं सुन रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अलवर एवं भरतपुर जिलों हेतु निष्क्रांत भूमियों के स्थाई आबंटन नियम, 1963 के नियम 6 और 7 में भी यही प्रावधान है। हजारों की संख्या में आबंटियों ने ऐसे अवैधानिक हस्तान्तरण किये हैं, जिन्हें अब बेदखल किया जाना कठिन काम है। इसका निराकरण का उपाय था-राजस्थान उपनिवेश संशोधन अधिनियम 1989 में कालोनी क्षेत्रों में आबंटित भूमियों के अवैधानिक हस्तान्तरण को राज्य सरकार ने कम्पाउंडिग फीस लेकर नियमित किया है। इसी अनुरूप यह प्रस्तावित है कि हस्तान्तरण द्वारा काश्तकारों की बकाया राशि मय ब्याज जमा कराने एवं सिंचित क्षेत्र हेतु पांच हजार प्रति बीघा एवं असिंचित क्षेत्र हेतु ढाई बीघा के हिसाब से नियमन की राशि जो इस अर्द्ध वार्षिक समान किश्तों में वसूल की जाएगी। हस्तान्तरण के नाम पर यह भूमि विधिवत हस्तान्तरण की जाएगी और उसे काश्तकारी हक दिया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु कम्पाउंडिंग फीस उपरोक्त दरों की आधी होगी। इसमें आपकी कमेटी कहती है उप निवेश संशोधन 1989 के अन्तर्गत नियम 13 क(1) में भूमि के अवैधानिक सिंचित भूमि के लिये दो हजार प्रति बीघा और असिंचित के लिये चार हजार प्रति बीघा लेकर नियमन किये जाने का प्रावधान है। उसी के अनुरूप निष्क्रांत सम्पत्ति के लिये भी प्रावधान किया जाये कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये उपरोक्त दरों की आधी होगी। आगे है खांचा भूमि का आबंटन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सार बता तो इनको। आ गयी समझ में।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप तो यह बता दो कि इन किसानों को राहत देने के लिये आप इसमें क्या कर रहे हैं?

श्री जुबेर खान : किसी की 10 बीघा जमीन के बीच में 5 बिस्वा आई है तो वह खांचा, यह भी बताइये इनका कैसे करेंगे?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह ग्रामवार सूची है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : खांचा भी बोलूं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप तो सारा ही बता दो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : जब यह खांचा भूमि एक ही काश्तकार की भूमि के साथ लगती है तो वह उस काश्तकार को प्रचलित बाजार दरों से जमा कराने पर आबंटित कर दी जाएगी। यदि खांचा भूमि दो काश्तकारों की भूमि के बीच में है और दोनों ही उसे लेने हेतु इच्छुक हैं तो इसका निस्तारण नीलामी द्वारा किया जाएगा। सब

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

कमेटी की रिपोर्ट है। खांचा भूमि के निस्तारण के लिये आई.जी.एन.पी. क्षेत्र में आरक्षित दर का दुगुना शुल्क लेकर आबंटित करने का प्रावधान है। इसी आधार को निष्क्रांत सम्पत्तियों के लिये भी किया जाये। यदि खांचा भूमि के लिये एक से अधिक दावेदार हों तो दोनों पड़ौसी दावेदारों के बीच नीलामी द्वारा खांचा भूमि का निस्तारण किया जाये। निष्क्रांत भूमियों पर अवैधानिक कब्जे अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण-कई भूमियों का जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित भूमि की बाजार दर जमा कराने पर भूमि उन्हे आबंटित कर दी जाये। निर्धारित की 6 अर्द्ध वार्षिक किश्तों में वसूल की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भूमिहीन काश्तकारों से बाजार कीमत की 50 प्रतिशत राशि वसूल की जाएगी। यदि अतिक्रमी बाजार दर जमा कराकर भूमि नियमन नहीं कराना चाहता तो उसे बेदखल कर इस भूमि का निस्तारण खाली निष्क्रांत भूमि हेतु प्रावधान किया जाएगा। सब कमेटी कहती है निष्क्रांत भूमियों पर जिन लोगों ने अवैधानिक कब्जे कर रखे हैं उन्हें 15 बीघा भूमि तक नियमन किया जाये। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में अतिरिक्त काबिज भूमि का 50 प्रतिशत बाजार मूल्य वसूल करने का प्रावधान है तथा एस.सी., एस.टी. के लोगों से 25 प्रतिशत का प्रावधान है। इसी प्रकार इस निष्क्रांत सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भी निर्णय ले लिया जाये। 15 बीघा से अधिक भूमि पर अतिक्रमण हटाया जाये।

श्री सांगसिंह भाटी : इसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : (व्यवधान) अभी पढ़ रहा हूं मैं। पूरा नहीं हुआ। अभी जवाब पूरा नहीं हुआ।

श्री जुबेर खान : रख दो। आप तो बता दो साहब, कब तक कर देंगे इतना।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास भी है क्या यह?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह बता दो कि इन काश्तकारों को, जो प्रभावित हैं, इतने सालों से आप इनको कुछ राहत देने के लिये अलवर और भरतपुर में एक विशेष कैम्प लगाकर इनको खातेदारी देने का इरादा रखते हैं क्या? यदि हां, तो कब तक? यह किसानों के हक में बोला करो। आप भी एक किसान हो, मंत्रीजी, यह बोलो आप तो।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास नहीं है तो मंत्रीजी को पढ़ने का अधिकार नहीं है। कोई स्टेटमेन्ट नहीं पढ़ सकते। जब तक आपके पास यह स्टेटमेन्ट नहीं आ जाये। (व्यवधान) वह तो स्टेटमेन्ट दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्फोर्मेशन दे रहे हैं, स्टेटमेन्ट नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्षजी, जैसे ही कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट के आने के तुरन्त बाद मैं माननीय सदस्यों का दु:ख समझ रहा हूं। मै भी किसान हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : किसान का समझो आप, हमारा नहीं। आप किसान के दु:ख को समझो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हां, आप किसान के बेटे हो। मैं भी किसान का बेटा हूं और जैसा आपने कहा है कि सब कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद अलवर और भरतपुर में विशेष कैम्प लगाकर इसका तुरन्त निस्तारण करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अशोक बैरवा।

सवाईमाधोपुर जिले में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य

274. श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में भू-संरक्षण एवं भूजल ग्रहण के क्या-क्या विकास कार्य विभाग द्वारा कब से करवाए जा रहे हैं?

(2) विभाग द्वारा उक्त विकास कार्यों के लिये वर्ष 1998 से अब तक विधान सभा क्षेत्रवार कुल कितने व क्या क्या कार्य वर्षवार कुल कितनी राशि के करवाए गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खण्डार में विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य कहां-कहां करवाये जा रहे हैं एवं अब तक उन पर कुल प्रस्तावित बजट में से कितना व्यय किया जा चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिले में विधान सभा क्षेत्रवार और कुल कितने कार्य कहां-कहां एवं कितनी राशि के प्रस्तावित हैं? सूची मय विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) सवाई माधोपुर जिले में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 से भू-संरक्षण एवं जलग्रहण विकास के कार्य तथा कृषि एवं अकृषि भूमि का उपचार, चारागाह विकास, वृक्षारोपण, जलग्रहण ढांचों का निर्माण, नाला उपचार आदि करवाये जा रहे हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-अ (अ-1 से अ-3) पर संलग्न है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(2) विभाग द्वारा वर्ष 1998 से जलग्रहण क्षेत्रों में कृषि योग्य एवं अकृषि योग्य भूमि में भू-संरक्षण एवं फसल उत्पादक के कार्य, चारागाह विकास कार्य, वृक्षारोपण कार्य, जलसंग्रहण ढांचों का निर्माण, नाला उपचार कार्य आदि के रुपये 12.55 करोड़ के कार्य करवाये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र एवं वर्षवार व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब (ब-1 से ब-5) पर प्रस्तुत है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कुल 28 जलग्रहण क्षेत्रों पर कार्य प्रगति पर है जिनकी कुल स्वीकृत राशि 741.51 लाख रुपये है तथा माह जून, 2004 तक राशि रुपये 306.33 लाख व्यय किये जा चुके हैं, विवरण परिशिष्ट-स (स-1) पर प्रस्तुत है।

(4) जलग्रहण विकास परियोजनाओं का आबंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में जिला सवाईमाधोपुर को नई परियोजनाओं का आबंटन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्व में स्वीकृत परियोजनाएं, जो प्रगति पर हैं, उनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-द (द-1 से द-3) पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है भाग दो में उसमें जो कार्य करना बताया गया है, जैसे चारागाह विकास कार्य, वृक्षारोपण कार्य, जल संरक्षण के कार्य यह सारे कार्य अधिकतर कच्चे और मिट्टी के होते हैं। क्या विभाग पक्के कार्य, एनीकट जैसे कार्य बनाने का विचार रखता है? इसके लिए अगर कोई विस्तृत कार्य योजना है जिससे किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके? यह बताएं।

दूसरा, वर्ष 2003-04 में स्वीकृत राशि 741.51 लाख के विपरीत जून, 2004 तक यह जो 306.33 लाख कम व्यय हुआ, उसके क्या कारण रहे हैं?

तीसरा, क्या यह सही है कि जो सरकार की 100 दिन की कार्य योजना थी उसमें इस विभाग का परिणाम शून्य रहा है? चौथा, क्या यह सही है कि जब से यह विभाग आप के पंचायत राज विभाग को संभलाया है तब से आपके कार्य एवं प्रगति प्रभावित हुई है? अब इसके बारे में आप यह बताएं कि विभाग सुचारू रूप से कार्य करे, इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत रूपरेखा या व्यवस्था आपके विभाग ने की जिससे विभाग सही ढंग से कार्य सम्पादित कर सके?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा कि एनीकट और पक्के कार्य करवाने का विचार है क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जलग्रहण योजना में जो चारागाह विकास, वृक्षारोपण और जलसंग्रहण, ढांचों का निर्माण, नाला उपचार आदि कार्य कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एनीकट भी बनाये जाते हैं और जगह-जगह मेड़बंदी करके पानी को वहीं रोका जाए, इसके प्रयास भी किये जाते हैं।

तो जहां तक एनीकट और पक्के बनाने का सवाल है, जहां स्थान है और गुंजाइश है वहां बनाये जा सकते हैं, बनाये जाते भी हैं।

जहां तक आपने कहा कि 2003-2004 में कार्य प्रोग्रेस नहीं है, कम व्यय हुआ है, मेरा निवेदन है कि यह योजना पांच साल के लिए होती है और इस योजना में पांच साल तक कार्य चलता है। पहले जल संग्रहण योजना की तैयारी होती है, उस फील्ड को तैयार किया जाता है। उसके बाद उसमें वृक्षारोपण, चारागाह आदि डवलप किया जाता है। उसमें भी धीरे-धीरे जब पौधे उगते हैं और बढ़ते हैं जिन पर और खर्चा बाद में होता है। इस तरह से लगातार कार्य चलता रहता है इसलिए यह कहना कि कम व्यय हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है और जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से बराबर खर्चा हो रहा है।

इसके अलावा 100 दिन के कार्य में आपने कहा प्रोग्रेस नहीं हुई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 100 दिन का इसमें सवाल नहीं है इसमें सवाल है कि पांच साल के कार्य जो सतत चलते हैं इसलिए 100 दिनों में जितने कार्य आगे बढ़े हैं उसका माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो उन 100 दिनों में कितना-कितना और काम बढ़ा है उसकी और मैं सूची दे दूंगा। बाकी का तो कार्य लगातार चल रहे हैं, निरन्तर प्रगतिशील कार्य हैं और बराबर चलते रहते हैं इसलिए 100 दिन का सवाल ही नहीं है।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" (खण्डार) : मंत्री महोदय, 100 दिन का सवाल नहीं है तो आप यह बताएं कि आपने भाग तीन में जो जवाब दिया है उसमें वर्ष 2004-05 के वित्तीय लक्ष्य आपने रखे 256.55 लाख और इसके पेटे 5.37 लाख रुपये जो खर्च किये हैं अगर बरसात आ जाती तो सारे साल के खर्च का क्या उपयोग होता? किसानों को इस बरसात में जल संरक्षण का, भू-संरक्षण का होने वाला लाभ नहीं मिलता तो फिर 259 लाख रुपये खर्च करने का औचित्य क्या रह जाता है? यह मैंने जो जवाब मांगा था कि यह विभाग जब से पंचायत राज विभाग के अन्दर आया है तब से इसका कार्य और प्रगति प्रभावित हुई है? आपने बताया जून, 2004 तक 259 लाख के पेटे 5.37 लाख खर्च किये हैं, तीन महीने में आपका परिणाम जीरो जीरो जीरो रहा है। अब इस विभाग को कैसे विधि संगत बनायेंगे, कैसे यह कार्य संभालेंगे, कैसे यह काम करेंगे?

(श्री अशोक बैरवा "खण्डार")

करेंगे कि नहीं करेंगे या ऐसे ही हवा में काम चलेगा? आप यह बताएं कि आपकी क्या योजना है?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि यह कार्य 5 साल के लिए स्वीकृत हुआ था और खण्डार में जो स्वीकृति हुई है, सवाईमाधोपुर में, बामनवास में, गंगापुर में हुई सब की कुल स्वीकृतियां 2703 लाख रुपये है इसके विरूद्ध 1254.69 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और वह भी तीन मार्च, 2004 तक। तो मैं सोचता हूं कि इसकी प्रोग्रेस इससे अच्छी और अच्छी क्या हो सकती है। पांच साल में खर्चा करना है और हमने इतना खर्च कर लिया कि यह पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : मंत्रीजी, बिलकुल असत्य बात आप कह रहे हैं। इस वर्ष में आपने जो 5.37 लाख रुपया खर्च किया और 259 खर्च करना था जिसमें आप जो कार्य करते हो, जिसमें आपने...

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न के सम्बन्ध में पांच पूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पांच पूरक प्रश्न आपने पूछ लिये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अध्यक्ष महोदय, जवाब सही नहीं आ रहा है। मैं यह देख रहा हूं कि जो जवाब मंत्रीजी बताते आ रहे हैं किसी का जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा आगे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांच पूरक प्रश्न तो आप पूछ चुके।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : अभी इन्होंने यह नहीं बताया कि काम कैसे करेंगे? पंचायत राज के विभाग में जब यह विभाग आया है, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के पास जो सूचना थी वह बता दी उन्होंने। जो सूचना उनके पास उपलब्ध थी उसकी बता दिया।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : मैं यह कह रहा हूं कि 5.37 लाख रुपये खर्च किये हैं फिर 259 लाख रुपये इसमें काहे में खर्च करेंगे जब आप चारागाह नहीं लगा सकते, बरसात आयी नहीं, जल संरक्षण आप कर नहीं सकते, पानी कटाव रोक नहीं सकते? यह काम बरसात से पहले होना चाहिए। तो आप नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : तो आप प्रश्न तो पूछते नहीं, भाषण देने लग जाते हैं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : तो फिर 259 लाख का प्रोविजन क्यों किया? और विभाग क्या कार्य, कैसे करेगा इसके बारे में आप कुछ बताना नहीं चाह रहे... (व्यवधान) पूरे राजस्थान का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो इनको साथ ले जाऊंगा और यह कोई कार्य में सुधार के लिए कहेंगे तो इनकी सलाह मानूंगा।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1998 से आज तक 12 करोड़ रुपये जल संरक्षण और भू-संरक्षण पर लगाये हैं, क्या विभाग ने इसका भौतिक सत्यापन करवाया है? करवाया है तो उसमें भौतिक सत्यापन में क्या उपलब्धियां रही हैं? और नहीं कराया है तो क्या विभाग इस 12 करोड़ के जल और भू-संरक्षण के कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाने का इरादा रखता है?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जल संग्रहण कार्यक्रम का भौतिक सत्यापन होता है और उसमें अब से पहले यह...

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बता दें कि कराया तो उसमें उपलब्धि क्या रही है? यह पैसा खर्च हुआ उसका सही सदुपयोग हुआ है क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जितने भी सत्यापन हुए हैं उनमें जलग्रहण योजनाओं के पूरे सदुपयोग हुए हैं और उसके बाद आजकल चूंकि यह पंचायतों को दिया गया है तो पंचायतों के अन्दर इसको ग्राम सभा से भी और बाद में एप्रूव और करवाया जाता है तब जाकर के यह कार्य पूरा माना जाता है। बाकी समय-समय पर इनका सत्यापन होता है। आज दिन तक मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं मिली कि इसमें कोई धन का दुरुपयोग हुआ।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत के माध्यम से यह जलग्रहण का काम आप करवा रहे हैं...

श्री रणधीर सिंह भीण्डर : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री बाबूलाल नागर : ग्राम पंचायत की ग्राम सभा द्वारा जल ग्रहण कमेटी बनायी जाती है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो आम सभा साधारण सदस्यों द्वारा सारे मिलकर पंचायत बोडी से जो जल ग्रहण कमेटी बनाते हैं क्या विकास अधिकारी उस बिना आम सभा के, साधारण सभा के बिना प्रस्ताव उस कमेटी के पदाधिकारियों में से किसी को हटा सकता है क्या? कृपया यह बतावें।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जल ग्रहण कमेटी जो बनती है उसका जिला जल ग्रहण समिति बनी हुई है और वो ही इसमें शिकायतों की जांच भी करते हैं और कमेटी भंग कर सकती है, विकास अधिकारी नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, किसी विकास अधिकारी ने जनरल बाडी से...

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। मोहम्मद माहिर आजाद।

हज हाउसों का निर्माण

275. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की सुविधा हेतु जयपुर व जोधपुर में हज हाउसों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो कितनी भूमि में और कितनी धनराशि से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त हज हाउसों को पूर्व में दी गयी या आबंटित भूमि का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी भूमि का?

(3) क्या उक्त दोनों हज हाउसों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो इन्हें कब तक पूर्ण कराया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) राजस्थान राज्य के हज यात्रियों की सुविधा हेतु राजस्थान सरकार द्वारा गठित स्टेट हज कमेटी द्वारा जयपुर में हज हाउस का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जयपुर में हज हाउस के निर्माण हेतु एक बीघा भूमि आबंटित की गई है। हज हाउस का मानचित्र स्वीकृति हेतु नगर निगम जयपुर में प्रस्तुत किया गया है। जयपुर में हज हाउस के निर्माण पर व्यय होने वाली राशि का अनुमान मानचित्र अनुमोदित होने के उपरान्त ही लगाया जा सकेगा। जोधपुर में हज हाउस निर्माण की कोई योजना नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) जयपुर में हज हाउस हेतु नगर निगम जयपुर द्वारा स्टेट हज कमेटी को एक बीघा का भूखण्ड नि:शुल्क आबंटित किया गया है। अध्यक्ष, स्टेट हज कमेटी द्वारा चार बीघा और भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) जयपुर में प्रस्तावित हज हाउस का मानचित्र नगर निगम जयपुर में अनुमोदन हेतु विचाराधीन होने तथा आबंटित इस भूखण्ड को आवासीय भूमि के रूप में रूपान्तरण करने का प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन होने के कारण निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। जैसे ही उक्त दोनों कार्यालयों से स्वीकृति प्राप्त होगी हज हाउस का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाएगा। जयपुर में हज हाउस का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि एक तो आपने यह कहा है कि जयपुर नगर निगम में जयपुर से हज यात्रियों की सुविधा के लिए जो हज हाउस बनाने के लिए जमीन आबंटित की है तो यह कितनी तारीख को की है? यह आप कृपया बताएं कि जयपुर नगर निगम ने आबंटित की है।

दूसरा आपने कहा कि चार बीघा भूमि और प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास नहीं उन्होंने आपको आवेदन किया है और मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप इसको चूंकि एक बीघा कम रहती है आप इसको और विस्तृत हाजियों को सुविधा मिले इसके लिए आप और ज्यादा भूमि जितनी मांग रहे हैं उतनी देने का इरादा रखते हैं क्या?

तीसरा, मैंने आपसे पूछा था कि यह हज हाउस का निर्माण कब कर लिया जाएगा। आपने कहा कि इसके मानचित्र जयपुर नगर निगम के यहां पैण्डिंग हैं तो मानचित्र कब तक स्वीकृत करके काम शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन साहब ने घोषणा की थी अगले वर्ष यानि फरवरी, 2005 में जो राजस्थान के हाजी मक्का मदीना हज करने जाएंगे तो उनकी फ्लाइट जयपुर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से ही रवाना होगी तो पूरे प्रदेश के हाजी आएंगे और हज हाउस नहीं बना होगा तो वह कहां रहेंगे। उनको असुविधा होगी।

क्या जयपुर में हज हाउस के निर्माण के लिए किन्हीं कोषों से आपके पास कोई धनराशि दी है या किसी ने प्रस्ताव किया है क्या. कृपया यह भी अवगत कराएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, हज हाउस के लिए भूमि आबंटन 30.8.2003, आप चाहें तो पूरा बताऊं। उन्होंने जो एक बीघा जमीन का आबंटन किया है रामगढ़ रोड़ कर्बला के पास नि:शुल्क नियमानुसार अरबन असेसमैंट पर 99 वर्ष की लीज पर नक्शा कालोनी की दीवार, रास्ता यह जो सारी इसकी लम्बाई चौड़ाई बताई है, 99 वर्ष की लीज पर बताई है। एक भूमि रूपान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण होने के पश्चात समय-समय पर सरकार द्वारा दूसरा हज हाउस की भूमि आबंटन एवं भूमि पर कब्जा यह 21.8 को आबंटन हुआ, 21.8 को ही इसका कब्जा दे दिया गया है। उसके बाद 7.4.2004 को शासन सचिव, गृह विभाग ने आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को जयपुर में हज हाउस निर्माण करने हेतु आबंटित भूमि का रूपान्तरण करने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने उसको पत्र लिखा कि वह इसका भूमि रूपान्तरण करें। यह सात अप्रेल का, इसी तरह से 26 अप्रेल के गृह सचिव ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम को इसका नक्शा पास करने के लिए अपनी तरफ से इसको मूव कर रखा है। मैं सोचता हूं कि सरकार की तरफ से इस काम को हमने आगे बढ़ाने के हिसाब से जो प्रक्रिया है जैसे ही इसका रूपान्तरण और इसका नक्शा पास होगा उसके बाद ही इसकी कीमत का असेसमेंट होगा कि इसमें कितने रुपये की आवश्यकता होगी और उसके आधार हम आगे की जो कुछ भी सरकार को इसमें अपनी तरफ से जो मदद करनी है वह हम करेंगे।

जहां तक चार बीघा जमीन के लिए उन्होंने मांगा है, सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं किया कि वहां चार बीघा जमीन उनको उपलब्ध कराई जा सकती है या नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने कहा कि नगर निगम ने जमीन दी है। माननीय गृह मंत्रीजी आप दुरुस्त कर लें, नगर निगम ने हज कमेटी के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था सर्वसम्मति से। मेरे पास भी पत्र है आप इसका अवलोकन कर लें 14.7.2003 को नगर निगम ने कहा कि हज हाउस के लिए हम जमीन देने में असमर्थ हैं और सर्व सम्मंति से साधारण सभा की बैठक दिनांक 3.4.2003 की बैठक में पारित इस प्रस्ताव को 14.1 में निरस्त कर दिया था। यह राज्य सरकार ने, उप शासन सचिव ने यह जमीन दी है। पहली चीज तो नगर निगम ने नहीं दी। जब नगर निगम की नीयत ही साफ नहीं थी, जमीन देने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया था तो उससे हम यह अपेक्षा करें कि वह मानचित्र पास करके इसके निर्माण की मन्जूरी दे देगी, मुझे इसमें शक लगता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जोधपुर में कोई प्रस्ताव ही नहीं है। आप सही कर ले। आप सही जानकारी ले लें जोधपुर में भी हज हाउस को जमीन दी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गई है। वहां मारवाड़ हज वेलफेयर सोसायटी ने उसको एडाप्ट कर लिया कि हम खुद इसका निर्माण कराएंगे, सरकार के ऊपर वित्तीय भार नहीं पड़ने देंगे।

मैंने आपसे तीसरा सवाल यह पूछा था कि क्या इसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की बात आपने कही है, मैं जब इसका शिलान्यास हुआ था उसमें मौजूद था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसके लिए राजस्थान के राज्य सभा सांसदों ने या जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों ने अपने सांसद और विधायक कोष से भी इस हज हाउस का निर्माण कराने के लिए कोई राशि देने की पेशकश की है क्या?

मेरा अन्तिम सवाल आपसे यह है कि आप तो यह बताइए कि हज का टाइम तो निश्चित होता है, फरवरी में आ रहा है, आप यह मानचित्र वगैरह स्वीकार करवाकर कब तक इसका काम प्रारम्भ करा देंगे? यह आप कृपया हमें बताएं।

श्री जुबेर खान : कुछ ऐसी चीजें होती हैं भावनाओं से जुड़ी रहती हैं। तो आप क्या कोई कदम उठाएंगे कि नगर निगम और जे.डी.ए. से जल्दी, क्योंकि इल्लीगल बन नहीं सकता तो जल्दी से इसकी स्वीकृति मिल जाए कि क्या सरकार यह प्रयास करेगी लोगों की भावनाओं को देखते हुए कि जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति करवाए दोनों विभागों से? और इसका काम शुरू करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो आबंटन हुआ है वह मैं पढ़ देता हूं। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने आदेश क्रमांक...14.7 एवं संशोधित आदेश क्रमांक. 7.8.2003 एवं आयुक्त मुख्यालय नगर निगम के आदेश क्रमांक बी.एम.क्यू. 3(12)19 दिनांक 16.8 की पालना में आपको हज हाउस निर्माण हेतु एक बीघा भूमि रामगढ़ रोड कर्बला के पास नि:शुल्क नियमानुसार अरबन असेसमेंट पर 99 वर्ष की लीज पर नक्शा अथवा कालोनी की दीवार, रास्ता, उसकी लम्बाई चौड़ाई यह जो है सरकार ने नगर निगम को कहा और नगर निगम ने...

मोहम्मद माहिर आजाद : गृह मंत्रीजी, आप बहुत योग्य आदमी हैं। मेरा तो स्पैसिफिक सवाल यह था कि क्या नगर निगम ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था? और राज्य सरकार ने जमीन दी है। 14.7 के आदेश का आप भी हवाला दे रहे हैं। मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं और अब सारी बात सुनकर हम तो यह पूछना चाहते हैं कि आप इसका कब तक निर्माण शुरू करा देंगे?

श्री जुबेर खान : इसको जल्दी कराओगे, यह बता दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने जो पढ़ा उसका मतलब 14.7 का जो प्रस्ताव था उसमें संशोधन करते हुए उस संशोधन को किया, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार और उसके बाद जब 21.8 को नगर निगम ने यह भूमि उनको आबंटन की और 21.8 को ही उन्होंने इस पर कब्जा दे दिया। मैं सोचता हूं कि दूसरा जो आपने जोधपुर के बारे में कहा; यह जोधपुर के बारे में आपको स्वयं को ही मालूम है कि हज़ हाउस के लिए कोई जमीन नहीं थी जोधपुर के लिए, जोधपुर में हज हाउस निर्माण की कोई योजना नहीं थी, जोधपुर के नगर विकास न्यास द्वारा मारवाड़ हज वेलफेयर सोसायटी को मारवाड़ कम्युनिटी हाल का निर्माण कराने हेतु चालीस हजार पांच सौ पचपन वर्ग भूखण्ड पुराने स्टेडियम के पास अम्बा बाड़ी में आबंटित की गयी है। इस भूखण्ड पर मारवाड़ कम्युनिटी हाल का निर्माण प्रारम्भ किया जा चुका है। इस कम्युनिटी हाल के निर्माण पर लगभग एक करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसके लिए सांसद क्षेत्रीय कोष, विधायक क्षेत्रीय कोष जन सहयोग एवं आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जा रही है इस निर्माण के लिए सांसद क्षेत्रीय कोष से बीस लाख रुपये और विधायक क्षेत्रीय विकास कोष से 14.30 लाख रुपए स्वीकृत की गयी। नगर निगम द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मारवाड़ हज वेलफेयर सोसायटी का बेसमेंट का निर्माण हो गया है, लेकिन अपने यहां अभी भी जब तक इसका रुपान्तरण और नक्शा पास होने के बाद ही इसमें फिर आपकी जो केन्द्रीय हज कमेटी है उससे जो एक करोड़ रुपया या 20 परसेंट जो अपने को इसमें सहयोग राशि राशि मिलती है वह उसके तकमीने के आधार पर ही तय होगा कि बिल्डिंग का आकार और उसमें कितना खर्च होगा। 20 परसेंट या एक करोड़ दोनों में से जो भी कम होगा, वह देंगे, बाकी जन सहयोग और राज्य सरकार की मदद से बनेगा। मैं प्रयास करूंगा कि जहां इसका नक्शा और इसकी भूमि रूपान्तरण का काम रुका हुआ है, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से चौथे महीने में और इसका पत्र भी लिखा। हम और प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी पूर्ति होकर काम हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री रामप्रताप कासनिया, सदस्य विधान सभा को वर्तमान सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य विधान सभा ने अपने भाई के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण

(श्री अध्यक्ष)

दिनांक 23.7.04 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रामनारायण मीणा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पुलिस थाना कोतवाली बारां में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-437 एवं प्रमुख मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमराराम (धोद) एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से किसानों की बिजली सप्लाई घटा देने एवं जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य श्री रामनारायण मीणा की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव एक स्थानीय घटना से सम्बन्धित है। पुलिस विभाग की मांग पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को अवसर उपलब्ध रहा है। पूर्व अवसर का लाभ नहीं उठाये जाने की दशा में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अत: मैं इस प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दिनांक 30 जुलाई, 2003 को राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार होगा, अत: माननीय सदस्य श्री अमराराम के प्रस्ताव पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से तहसील फागी एवं चाकसू में मुंसिफ न्यायालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री लालचन्द कटारिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर के विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(3) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से परबतसर उपखण्ड में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(4) श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से भरतपुर शहर स्थित सुजान गंगा नहर के जीर्णोद्धार में हुई कथित गड़बड़ी की जांच के सम्बन्ध में।

(5) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ के रामगढ़ कस्बे में नकली दवाएं नकली सीमेंट का बेचान होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कतिपय गांवों के लिये पथ परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अर्जुन लाल मीणा, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर में गृह विज्ञान विषय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

जो चार पर्चियां आज निकली हैं उनमें-(1) श्री मदन राठौड़, विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के गांव सांडेराव में पर्यटक रिसोर्ट का उदघाटन होने पर भी निर्माण कार्य नहीं करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री राव राजेन्द्र सिंह, कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा को बन्द किये जाने की सम्भावना.के सम्बन्ध में।

(3) श्री नन्दलाल बंशीवाल, डी.ओ.पी. के अधिकारियों द्वारा सदन में गलत सूचना देने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेश मीणा, जयपुर शहर में बढ़ते अत्याचार एवं दलित महिलाओं के साथ में हुए अत्याचार के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को तीन-तीन, चार-चार मिनट पर्ची पर अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो नम्बर पर पर्ची निकली थी...

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा 287, इसको स्थगित का दिया है। सिर्फ इतना सा आश्वासन चाहता हूं कि इस सदन के सत्र के चलते हुए ही इसका उत्तर मिल जाएगा? 287 सुरेश मीणाजी और मेरा दोनों का जोइंट सवाल है। इसको स्थगित कर दिया है कि इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो इसकी सूचना हमें इसी सत्र के दौरान मिल जाएगी?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है आपसे। मेरे दूसरे नम्बर पर पर्ची निकली थी, तीन नम्बर पर पुकारा गया है...

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न स्थगित होते हैं यदि उन पर डिस्कशन नहीं होता है तो उनके उत्तर भेज दिये जाते हैं और डिस्कशन में आने वाले प्रश्न अगर पहला, दूसरा, तीसरा हो तो उनका रख दिया ज़ाता है। इस प्रश्न को रख दिया जाएगा। आपको...

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, उत्तर तो आ जाएगा? इसका उत्तर नहीं दिया गया, उत्तर चाहते हैं कि इसका उत्तर मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा...

मोहम्मद माहिर आजाद : क्योंकि उत्तर ही नहीं आया, विभाग ने कहा कि लम्बी सूची है, अभी इकट्ठा करने में समय लगेगा। बस उसका उत्तर आ जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हां, उत्तर आ जाएगा।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे इतना अनुरोध है कि मेरा जो स्थगन प्रस्ताव था। यह हत्या का मामला है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी मेरी जो...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर बिजली की समस्या के सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है...

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न को अगले मंगलवार को रख दिया जाएगा स्थगित प्रश्न को।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

किसानों की बिजली सप्लाई घटा देने एवं जले हुए ट्रांसफारमर समय पर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव आपके सामने दिया और आपने जो व्यवस्था दी। व्यवस्था शिरोधार्य है। आपने कहा आज 23 तारीख है, 30 तारीख का बिजली की स्थिति पर चर्चा होगी।

आज जहां बरसात नहीं हो रही है। मूंगफली और दूसरी जो फसलें बोयी हुई हैं जहां 8 घंटे से 6 घंटे और 6 घंटे से अभी 3 घंटे और जलने के बाद ट्रांसफार्मर 15-15, 10-10 दिन नहीं मिल रहे हैं तो आप बताइये सात दिन का यह समय, मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरह से मात्र तीन घंटे जो भी कमियां हैं राजस्थान में वह बिजली की कमी केवल क्या राजस्थान के गांव और किसान के लिये है। राजस्थान में बिजली जितनी भी कम हो वह पूरी की पूरी भोगना राजस्थान के किसान और इस भयंकर स्थिति में जहां भयंकर अकाल की स्थिति है, जहां थोड़ी बहुत भी फसल है उसको बचाने के लिये किसान प्रयासरत है वहां बिजली घटाते-घटाते 2-4 घंटे के ब्लाक्स बना दिये और उसमें भी तीन घंटे मुश्किल से नहीं मिलती। तीन घंटे में 17 ट्रिप होती है और जो ग्रामीण में रात को सप्लाई करते थे उसको भी घटाकर 8 घंटे से, घोषणा तो सरकार कर रही है। 18 घंटे की, मिल रही है ढाई घंटे, तो यह जो विभिन्न परिस्थितियां हैं मैं समझता हूं कि सात दिन का समय इतना लम्बा है कि व्यवस्था को सुधारने के लिये निश्चित रूप से सरकार इस पर ध्यान दे और जितनी भी सप्लाई बढ़ायी जा सकती है, आज कमी है तो हम सबको भोगनी चाहिये न केवल उप पीड़ित किसान को भोगना पड़े...

श्री अध्यक्ष : आप ध्यान दें। आप ध्यान दो।

श्री अमराराम (धोद) : गांव को भोगनी पड़े उस कमी के लिये मैं समझाता हूं यह कतई किसी भी रूप में उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि बजट पास कराना आवश्यक है 30 तारीख से पूर्व। इसलिये यह सब जो अब तक...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपसे अनुरोध किया है...

श्री नवनीत नीनामा : 295 में मेरा नाम नहीं आया...

श्री अध्यक्ष : किसका नाम नहीं आया। किसका नाम नहीं आया?

श्री नवनीत नीनामा : मेरा, नवनीत लाल। 295 में नहीं आया ना 295.

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस विभाग की मांग पर मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला।

सुरेश मीणा की हत्या हुई, पुलिस अधिकारी का बच्चा, त्यागी का बच्चा, उसमें शामिल गवाह जो रविकांत था उससे रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। 437, सम्वत् 2004, गृह मंत्रीजी, आप बिराजमान हैं उसमें चार मुलजिमों को...

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर था ना पुलिस की डिमांड पर बोलने का। वह तो आपने उस समय बोले नहीं...

श्री रामनारायण मीणा : मैं कैसे बोलता मेरे पास तो कल सूचना आयी है कि इस तरह की ज्यादती हो रही है। मेरे पास कल सूचना आयी है कि हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है। हमने पर्ची दी, पर्ची हमारी नहीं निकली। इस तरह का मामला हो, पुलिस विभाग के कर्मचारी का बेटा...

श्री अध्यक्ष : पुलिस की डिमांड पर आप क्यों नहीं बोले। पुलिस की डिमांड पर बोलना चाहिये था। बजट के समय बोलते, बजट के सामान्य वाद विवाद पर बोलते, पुलिस की डिमांड पर बोलते...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मुलजिमानों को नहीं गिरफ्तार किया जाए मैं इसलिये कह रहा हूं अज्ञात में रिपोर्ट लिखी है...(व्यवधान) एक मिनट अर्ज करना चाहता हूं। पुलिस विभाग और मुलजिम में नहीं रखा जाए, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज की जाए जबकि गवाह जो है, चश्मदीद गवाह है, मैं तो आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि गृह मंत्रीजी, इसके बारे में जानकार कर लें...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अन्दर राजस्थान के अन्दर व्याप्त भयंकर सूखे की स्थिति के बारे में चिन्ता प्रकट की है। अन्य राज्यों के साथ राजस्थान का विशेष उल्लेख किया है और यहां सत्ता पक्ष... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तीन-तीन माननीय सदस्य खड़े हैं, मैं किसकी बात सुनूं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्तावों पर लेकर के चुप होकर के बैठा हुआ है। आप तो व्यवस्था करो ना आप फेमिन के अन्दर और तब यह देना दूर की बात, हुई थी कि एक दिन की बहस करवायेंगे...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बहस तो करवायेंगे लेकिन सप्लाई...

श्री अध्यक्ष : 30 तारीख को बिजली पर ही बहस होगी...

श्री अमराराम (धोद) : बहस तो बिजली की स्थिति पर होगी। अध्यक्ष महोदय, बिजली की स्थिति पर होगी...(व्यवधान) देश की सरकार चिंतित है। आज सभाएं बैठायी जा रही हैं। जो कमी आ रही है आज वह पूरी क्या किसान के लिये है, गांव के ही लिये है? देश की सरकार चिंतित है...(व्यवधान) आज सप्लाई घटायी जा रही है और जो कमी आ रही है क्या वह पूरी किसान के लिए ही है, गांव ही गांव के लिए है?

श्री रामनारायण चौधरी : सूखे के बारे में प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की है पार्लियामेंट में...(व्यवधान) राजस्थान के अन्दर इस साल अकाल की जो स्थिति है उस पर भारत सरकार चिंतित है।

श्री अध्यक्ष : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप शायद उस समय सदन में नहीं थे। यह बात हुई है कि सूखे की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बी.ए.सी. की एक मीटिंग बुलाई जायेगी और दिन तय किया जायेगा कि कौनसे दिन उस पर चर्चा हो।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यही तो कह रहा हूं, आपकी बी.ए.सी. की मीटिंग नहीं होगी, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। आप बी.ए.सी. की मीटिंग में ही अटक रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आसन ने यह निर्देश दिये थे कि सूखे की स्थिति पर मंत्रीजी का वक्तव्य आ जायेगा। वक्तव्य का समय तय कर दें। बहस की तो कोई बात नहीं हुई थी। दिन तय करना है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कहां हुई थी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वक्तव्य देने के लिए सरकार तैयार है। आसन ने जो निर्देश दिये थे, वक्तव्य देने की बात थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, बिलकुल गलत है।

श्री जुबेर खान : एक दिन चर्चा करायें। एक दिन चर्चा की बात हुई थी...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कार्य सलाहकार समिति की बैठक में एक दिन निश्चित कर लिया जायेगा और सदन की नेता ने यही कहा था...(व्यवधान) आप हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आज ट्रांसफार्मर 15 दिन तक नहीं मिल रहे हैं...(व्यवधान) क्या पैदा होगी, राजस्थान की क्या स्थिति है...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय. एक दिन की चर्चा की बात हुई थी। चर्चा होनी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : 5 अगस्त को हाउस का दिन बढ़ाकर के अकाल पर चर्चा होनी चाहिए पूरे दिन।

श्री रामनारायण चौधरी : सारा काम स्थगित करके इसको प्रथम वरीयता दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यहां अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी और सदन की नेता महोदय ने भी यह कहा था कि हम पूरी बहस कराने के लिए तैयार हैं। यह संसदीय कार्य मंत्री को कुछ पता तो है नहीं और आप हाउस को गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : जो बात हुई थी उसमें यह तय हुआ था, उधर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने प्रस्ताव रखा था कि बी.ए.सी. के मालिक आप ही हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : कार्य सलाहकार समिति ने...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अलग से किसी दिन आना चाहिए...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : संशोधन करा दो, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, प्रतिपक्ष के नेता सहमत थे। सारा सदन सहमत है, उसको संशोधन कर दें और अकाल की स्थिति पर चर्चा हो। लोग मरेंगे, भूखे मरेंगे और आत्महत्याएं होंगी। अध्यक्ष महोदय, बंगाल में हो रही हैं, राजस्थान में होने की तैयारी हो रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता महोदय ने ऐसा कहा था कि हम बहस कराने को तैयार हैं और आपने व्यवस्था दी थी कि कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में रखकर के एक दिन बहस करेंगे। यह संसदीय कार्य मंत्रीजी गलत बयानी कर रहे हैं। एक दिन तय करके बहस करा लीजिये...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने ही व्यवस्था दी थी कि सदन में समय तय करके...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जिस तरह से ट्रांसफार्मर दस-दस दिन तक नहीं मिल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक दिन के लिए बढ़ा दीजिए...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उसको स्थगित करा दीजिये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : यह गुमराह कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब सदन की नेता ने सदन में कह दिया कि राजस्थान में सम्भावित सूखे की स्थिति से सरकार चिंतित है और यह भी नहीं कि सरकार इस पर विचार नहीं करना चाहती। आसन से जब यह व्यवस्था दी थी कि इस पर आप वक्तव्य दिलायें। उसके बाद अगर माननीय सदस्य कुछ पूछना भी चाहें तो पूछ भी लें...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय नेता महोदय चर्चा के लिए तैयार थीं...(व्यवधान) एक दिन की चर्चा की बात हुई थी...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बी.ए.सी. कमेटी की बैठक होगी उसमें...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय सदन की नेता महोदय ने जो कह दिया उसको भी आप उलट रहे हैं।

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय ने ही यह व्यवस्था दी थी कि सदन में इस पर एक दिन चर्चा करा ली जायेगी। अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है।

श्री जुबेर खान : सदन की नेता महोदय ने कहा था कि एक दिन की चर्चा करायें और आप उसको बदल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन की नेता चूंकि इस समय यहां पर मौजूद नहीं है। आप दो घंटे का समय दीजिये। उनसे बात करने के बाद में कोई व्यवस्था करेंगे... (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : आप स्वयं व्यवस्था दे चुके हैं...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : बी.ए.सी. की बैठक करके दिन तय किया जायेगा। परन्तु उससे सरकार पलट रही है। बी.ए.सी. की बैठक आपको बुलानी है। अब आपको तारीख तय करनी है। इस पर उलटने-पुलटने की आवश्यकता नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय. अगर आप समय को बी.ए.सी. में निश्चित करना चाहें तो भी आपका अधिकार है, आसन अगर स्वयं व्यवस्था दे दें तो भी अधिकार है। इसमें विवाद किस चीज का है? जो व्यवस्था आपने दी है वह मैंने निवेदन की है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, स्थगन का प्रस्ताव आया है...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने यह कहकर कि इस पर वक्तव्य आयेगा, आपने हाउस को मिसफीड किया है। जब आसन से व्यवस्था हो गयी थी कि एक दिन की इस पर चर्चा होगी। आप रोज बदलते रहते हो...(व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा के दौरान मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता का भी यहां रहना अनिवार्य है, आवश्यक है इसलिए उनसे पूछे बिना तो मैं आपको क्या बता सकती हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : समय बतायें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको वही तो कह रही हूं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पीने के पानी की दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं बात करके आपको बता दूंगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चारे की दिक्कत, बिजली का संकट, सदन की नेता को सदन में रहना चाहिए। इतना भयंकर अकाल है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सोमवार को बी.ए.सी. की मीटिंग रख लेंगे...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : 24 घंटे हो गये, इस प्रश्न को उठे हुए और राज्य सरकार सो रही है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए। बी.ए.सी. की मीटिंग बुलाकर के निर्णय करना चाहिए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन ने व्यवस्था कब दी है, आसन ने निर्देश दिये हैं क्या? समय के लिए नहीं हुआ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अकाल पर पहले विचार नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि बहुत गम्भीर बात है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह सरकार किसानों के प्रति चिंतित नहीं है। आज पूरे राजस्थान के किसान चिंतित है।

श्री भवानी सिंह राजावत : हम पूरा पानी लोगों को पिलायेंगे और आपको भी पानी पिला देंगे...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : किसान बेरोजगार हैं, खरीफ की फसल में... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप किसान नहीं हो...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : राज्य सरकार की नीति का यहां पता ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : ट्रांसफार्मर रिपेयर करके 72 घंटे में बदलने की घोषणा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सदन में वह रहती ही नहीं हैं...(व्यवधान) आपने स्वयं ने कहा था कि बी.ए.सी. मीटिंग करके निर्णय किया जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : 12 घंटे की घोषणा करते हो और दो घंटे बिजली नहीं आती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : संसदीय कार्य मंत्रीजी कहते हैं कि वक्तव्य दे देंगे, इतना बड़ा गैप है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह संसदीय कार्य मंत्रीजी के वक्तव्य देने की बात से विवाद शुरू हुआ था। सदन की नेता ने कहा था कि हम बहस को तैयार हैं और आसन ने व्यवस्था दी थी, आप एक दिन हाउस बढ़ायें...(व्यवधान) अकाल पर चर्चा करायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, किसने मना किया है, बी.ए.सी. की मीटिंग बुला लें, कल सारा दिन इधर सदन की नेता यहीं पर थी...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर अकाल की इनको चिंता है तो किसने मना किया है, सरकार की ओर से किसी ने मना नहीं किया। चाहे दिन भर की चर्चा करें, चाहे वक्तव्य से इस चर्चा से अगर बचना चाहते हैं...(व्यवधान) यह मेरी समझ में नहीं आता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सोमवार को यदि आपने बी.ए.सी. की मीटिंग बुलाकर के तय नहीं किया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके चार सदस्य और खड़े हैं। आपके सदस्य आपको नेता ही नहीं मानते।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सब मानते हैं। यहां पर कितने लोग बोल रहे हैं। आपके इस प्रकार के कमेंट्स ठीक नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो मेहरबानी करके सुन लिया करें उन्हें। वह खड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हां, बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने और सदन की नेता ने यह कहा है कि कल बी.ए.सी. की बैठक करें हम जल्दी से जल्दी इसमें समय तय करेंगे और चर्चा करायेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि सोमवार तक आप बी.ए.सी. की मीटिंग बुलाकर के इसका समय तय करवा दें क्योंकि अकाल जैसा मुद्दा कोई हो नहीं सकता और मैं तो समझता हूं कि पहले इस सदन में एक स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, आप इतिहास बनाये और सदन की कार्यवाही को इसके लिए आपको चर्चा करानी चाहिए। आज राजस्थान की 75 प्रतिशत जनसंख्या पीड़ित है, आज पीने का पानी गांवों में नहीं है। पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध नहीं है। रोजगार का प्रबन्ध नहीं है। मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि आज किसान आत्महत्या करने को आतुर है। ऐसी स्थिति में तुरन्त डिसीजन लेना चाहिए। यहां पर राज्य सरकार को। सोमवार तक यदि बी.ए.सी. की मीटिंग बुलाकर के निर्णय नहीं लिया गया तो मैं और मेरा दल सदन में धरने पर बैठ जायेगा और सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने एक धमकी दी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक आत्महत्या का सवाल है, सरकार पूरी मुस्तैदी से पानी व्यवस्था कर रही है।

श्री रामनारायण मीणा : यह धमकी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनाज की मुस्तैदी से कर रही है। आज तक ऐसी कोई नौबत नहीं आयी और न सरकार चर्चा से बचना चाहती है। सदन के माननीय नेता ने प्रारम्भ से ही...(व्यवधान) यह देखिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने तो आपसे निवेदन किया है...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : यह हमारे नेता पर असत्य आरोप लगा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह प्रतिपक्ष के नेता गम्भीर नहीं हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कौन गम्भीर नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष गम्भीर नहीं है। यह कल कह सकते थे। सदन की नेता भी यहीं थी। अध्यक्ष महोदय भी यहीं थीं...(व्यवधान) कोई भी बिजनिश तय करवायें, किसने मना किया? किसी ने मना नहीं किया कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

श्री रामनारायण मीणा : आप उलट रहे हैं (व्यवधान) आप बात को उलट रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले चर्चा हुई, सारी चर्चा करो...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप तय कर लीजिये। जैसी भी चर्चा करनी चाहें। सत्ता पक्ष वक्तव्य के लिए, चर्चा के लिए तैयार है। जिस समय चाहे उस समय कराएं, हम उसके लिए तैयार हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे आसन से परमीशन मिल गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इनका नाम पुकारा है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे परमीशन मिल गई है, जरा आप इनको बैठाइए। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : प्रतिपक्ष के नेता बताएं कि किसने आत्महत्या की अकाल के मामले में? सदन के पटल पर रखें। अगर यह तथ्य सही है तो सदन के पटल पर रखें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी समझ में नहीं आए तो मेरा दोष नहीं है। मैंने कहा कि किसान आत्महत्या के लिए आतुर हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी समझ में नहीं आए तो इनका भगवान ही मालिक है, समझो पहले शब्द को।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव) : आप तो नहीं हैं न आतुर? (व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य गांवों में रहते ही नहीं हैं, किसने आत्महत्या की यह बताओ, सदन के पटल पर रखो। पीने के पानी और चारे की व्यवस्था कर रखी है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, ये दूसरी बात करने लग गए।

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी सदस्य क्यों खड़े हो? आप दो माननीय चौधरी सदस्य क्यों खड़े हो? बताओ मुझे क्यों खड़े हो? आपने अपनी बात कह दी, अब आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अब स्थान ग्रहण कर।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव इस बात पर था कि बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है. 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं होते, अकाल का समय है। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : (व्यवधान) आप काजू बादाम का नाश्ता कर रहे थे, अब घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सदन की नेता नहीं मिल रही है, आप उनको तलाश करो और ढूंढो कहां चली गई है। (व्यवधान) सदन चल रहा है और वे कहां है, पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : किसको ढूंढें? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई हैव टेकन योर परमीशन।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने आंखों पर पट्टी बांध रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जनता की समस्या के प्रति जागरूक नहीं है, जनता की समस्या उठाना नहीं चाहते और सारा समय व्यवधान पैदा करते हैं। आपको राजस्थान की सारी जनता देख रही है। (व्यवधान) आप चर्चा से बचते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं करते। केवल हो-हुल्लड़ का माहौल बना रखा है। सदन की नेता का एक मिनट, एक-एक क्षण जनता की सेवा के चिंतन में लगा रहता है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा) : आपने पिछले पांच साल में क्या किया? (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री) : समस्या का समाधान करने को सरकार तत्पर है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय गृह मंत्रीजी, सदन की नेता महोदय को ढूंढिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : माननीय सचेतक महोदय, प्रदेश में विद्युत का संकट व्याप्त है और लोक सेवा चुनाव के बाद आपकी बिजली गुल हो चुकी है। (व्यवधान) अंधेरे में डूबे हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विपक्ष ने आंखे बन्द कर रखी हैं। (व्यवधान) पिछले पांच साल में अशोक गहलोत जब मुख्य मंत्री थे तो कितने समय सदन में बैठे, जरा बताइए? पांच साल में आपके मुख्य मंत्री ने कितने सदन में दर्शन दिए?

डा. बुलाकीदास कल्ला : रोज बैठे रहते थे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : महावीरजी, आप तो पांच साल यहां थे नहीं, आपको क्या पता? आप तो थे ही नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, आप बहुत ईमानदारी से कह दो कि पांच साल में कितने समय बैठे? सदन की नेता विधान सभा में ही रहती हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मुद्दा यह है कि राजस्थान में मूंगफली की फसल तबाह हो रही है। सरकार ने 8 घण्टे बिजली देने की घोषणा कर दी, जबकि मिल दो घण्टे रही है, सरकार कानों में तेल डालकर बैठी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों के बीच में वाक् युद्ध अब समाप्त हुआ और अब कार्यवाही चलती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? (व्यवधान) आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर : मुझे परमिट किया है। अध्यक्ष महोदय ने मुझे परमिट कर दिया लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम भी बोलने नहीं देंगे आपको। यह क्या हुआ? परमिट कर दिया उसके बाद भी नहीं बोलने दे रहे। मुझे परमिट कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथूसिंहजी गुर्जर।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप बैठिए। नहीं तो हम भी नहीं बोलने देंगे। मुझे परमीशन दी है आसन ने। अध्यक्ष महोदय, मुझे परमिट करने के बाद भी नहीं बोलने दे रहे हैं। हम भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने सुना कि नहीं? (व्यवधान) सोमवार को बी.ए.सी. की मीटिंग होगी। मैं यह कह रहा हूं कि आप सुने तब कहें आप लोग [illegible] खड़े रहते हैं। आप लोग बैठते ही नहीं हैं, क्या कहूं? मैंने पहले भी कहा और [illegible] कह रहा हूं कि सोमवार को बी.ए.सी. की मीटिंग होगी और उसमें तय किया जाएगा। खतम। (व्यवधान) अब क्या रह गया बाकी?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा हो जाएगी, सोमवार को आप बी.ए.सी. की मीटिंग में तारीख और समय तय कर लें। अध्यक्ष महोदय, अकाल पर चर्चा हो जाए यह आप बी.ए.सी. में तय कर दें। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि किसान की फसल जल रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बी.ए.सी. की मीटिंग बुलाकर आप 5 तारीख तय कर देंगी, यह कोई मतलब थोड़े हुआ, यह कोई मतलब नहीं है। यह तो बर्निंग इश्यू है, इस पर तो पहले चर्चा होनी चाहिए।

श्री सांवरलाल (सिंचाई मंत्री) : आसन की व्यवस्था हो गई, फिर आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) बर्निंग इश्यू है, सरकार को भी इसकी चिंता है, सरकार जहां-जहां पानी की जरूरत है, वहां व्यवस्था कर रही है।

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने स्वयं ने कहा है कि अकाल पर चर्चा करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आसन पैरों पर है और आप खड़े हैं? अकाल और सूखे की गम्भीरता को कोई प्रतिपक्ष ही समझे और सत्ता पक्ष नहीं समझे, मैं समझती हूं कि ऐसा नहीं है। इनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी है और ये ज्यादा गम्भीरता से इस बात को ले रहे हैं। जब एक बार तय हो गया कि सोमवार को बी.ए.सी. की मीटिंग होगी और अरलिएस्ट पोसिवल, अरलिएस्ट पोसिवल इस बारे में कुछ भी किया जाएगा वह अरलिएस्ट पोसिवल होगा लेकिन बजट तो उससे पहले पास होना जरूरी है। यह तो आप जानते हैं कि बजट तो उससे पहले पास करना पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

माननीय सदस्यों को 295 पढ़ने की अनुमति दी जाती है। श्री लक्ष्मी नारायणजी बैरवा।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा बीच में व्यवस्था का प्रश्न है। आप जिस माननीय सदस्य को परमिट कर दें और उसके बाद ये उसे बोलने नहीं दें, यह नहीं चलेगा। इस तरह से तो हम भी नहीं बोलने देंगे किसी को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपने कल ही कहा था कि जीरो आवर में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता (व्यवधान)।

डा. एन. एस. गुर्जर : ये हमको कमजोर समझते हैं, हम भी नहीं बोलने देंगे, किसी को भी। बीच में खड़े हो गए, आपकी परमिशन के बाद भी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में पाइन्ट आफ आर्डर तो नहीं होता लेकिन वे खड़े हुए थे, मैंने इशारा किया था, उनका नाम भी लिया लेकिन आप लोगों के शोर के कारण (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : आप आसन पर खड़ी रहती हैं और ये खड़े हो जाते हैं, इतने सीनियर मैम्बर्स खड़े हो जाते हैं। मैं इनको क्या कहूं? मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आसन खड़ा है और आप भी खड़े हैं।

एक यह कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया है? आप खड़े रहते हैं, यह भी खड़े हो जाते हैं, नियम पढ़कर नहीं आते हो क्या? अटैण्ड कर लो क्लास हमारी, हम नियम बता देंगे। फालतू बात कर रहे हैं। आप इजाजत देते हो और ये बोलने नहीं देते हैं। आप भी बोल कर देखें, आप बोल कर देखें, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। अब आप बोलिए न, मैं नहीं बोलने दूंगा। बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ हूं और आपकी मेहरबानी से नहीं आया हूं। आप कैसे नहीं बोलने देंगे? आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं आपकी मेहरबानी से नहीं बोलता हूं, मैं आपकी मेहरबानी से नहीं आया हूं। मैं डर नहीं रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की पार्टी के एक ही लीडर हैं। इस तरह से उनको डराया धमकाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर-आर्डर (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : उन्होंने कोई प्रश्न उठाया, माननीय अध्यक्ष महोदय की उनको अनुमति मिल गई और वे बोलने लग गए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : ...आदिवासी समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है। पुलिस के कर्मचारी अपने बेटों को बचा रहे हैं। हम किससे प्रोटेक्शन की बात करें? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय रामनारायणजी साहब आप थोड़ा सा निवेदन सुन लें। मैं अनुमति से बोल रहा हूं, आप भी अनुमति से बोलें तो कोई दिक्कत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, मैं तो आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं, आप मुझे यह बताएं...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : बिना परमीशन ठीक नहीं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर तो एतराज नहीं है, व्यवस्था तो देनी है अध्यक्ष महोदय को।

श्री अमराराम (धोद) : व्यवस्था का प्रश्न होता ही नहीं है जीरो आवर में।

श्री नरपत सिंह राजवी : आपस में वाद विवाद और दूसरी तरफ से जिस प्रकार से हुआ वास्तव में नहीं होना चाहिए। समय काफी कीमती है और आज बहुत बड़ा डिमार्टमेन्ट है जिस की डिमाण्ड आने वाली है। वाद-विवाद हो, कोई इश्यूज पर हो, समय के लिए आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद में न हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा-सा आप सहयोग इसके अन्दर करें, वरिष्ठ लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो नये लोग क्या सीखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप थोड़ा-सा आगे चलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप आठ-आठ दिन तक तो पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हो और हमको उपदेश दे रहे हो।

श्री ओम बिरला : पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं तो उसका कारण दूसरा है वह कारण यहां पर मत खुलवाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अकाल से बड़ा कारण क्या है। आप समझते हो, पीड़ा को समझते हो (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : आपके मंत्री गायब हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोच्च है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोच्च है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पानी की बात करने के लिए आप अवरोध पैदा करते हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : आप चर्चा करें हमें आपत्ति नहीं है। (व्यवधान) आप आसन से अनुरोध करें, आसन अनुमति दे तो हमें आपत्ति नहीं है। अकाल के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोच्च है और अध्यक्षजी नियमों में ढील दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अकाल की नहीं शून्यकाल की चिन्ता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई वास्तव में सदन में चर्चा करने से ही अकाल का समाधान हो जाए तो मैं आपको यह कह सकता हूं यदि आज सारा बिजनेस, सारा बजट पास (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी : इस प्रकार की सदन में कहने दीजिए (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो आप कारण बता रहे हो यहां पर भी सात मंत्रियों पर मुकदमे चल रहे हैं। यहां पर भी काम और हो रहा है।

श्री ओम बिरला : वह पूरी चर्चा होने पर आपको बताएंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं अध्यक्ष महोदय, की व्यवस्था को चैलेंज नहीं करना चाहता।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप नियमों में ढील देकर आप पूरा बजट पास करवा दें और सोमवार को पूरी चर्चा अकाल पर एक दिन, दो दिन (व्यवधान) यदि केवल सदन में चर्चा से ही समस्या का समाधान हो सकता है तो आसन को यह अधिकार है। यह सदन सर्वोच्च है (व्यवधान) बजट का सवाल है। आप सब मिलकर बजट पास करवा दीजिए तो केवल इसी का समाधान होगा। बजट करवा दीजिए।

एक माननीय सदस्य : आसन ने व्यवस्था दे दी कि सोमवार को इस पर फैसला होगा उसके बाद मुख्य सचेतक महोदय बात को बढ़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपको कोई अधिकार नहीं है। आप दिन भर यों ही पकड़कर खड़े हो जाएंगे। आपको कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : बिजली की समस्या भयंकर व्याप्त हो चुकी है और पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली का बटन बन्द हो गया, गांवों में अब दो घण्टे बिजली आ रही है, आप जाओगे तो पता लगेगा, सिर्फ दो घण्टे।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से अकाल पर सरकार से जानकारी चाही थी। आपने कहा सरकार वक्तव्य देगी उसके बाद अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार क्या कर रही है?

डा. एन. एस. गुर्जर : क्या सदन में बिना परमिशन के कोई भी बोल सकता है और परमिशन लेकर कोई नहीं बोल सकता?

श्री संयम लोढ़ा : आप परमिशन से बोल रहे हैं क्या?

डा. एन. एस. गुर्जर : परमिशन ली थी मैंने।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो खुद ही मान लेते हो परमिशन।

डा. एन. एस. गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय ने परमिशन मुझे दी थी। उसके बाद आप खड़े हो गये।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चलेगा?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सदस्य खड़े रहने का पूरा ठेका आपके चीफ व्हिप ने लिया है, हर वक्त खड़े ही दिखते हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ये खड़े होते हैं तो हम भी खड़े हो जाएंगे। अब आप बोलिए हम भी खड़े रहेंगे। अव्यवस्था फैलांनी है तो हम भी खड़े रहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं आसन की इजाजत से खड़ा रहता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं 295 पढ़ने के लिए लक्ष्मीनारायण बैरवा का नाम पुकार चुकी हूं। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

फागी एवं चाकसू तहसील में मुंसिफ न्यायालय

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी की तहसील फागी में 31 ग्राम पंचायतों में 172 गांव हैं जिनकी आबादी लगभग तीन लाख है। इन गांवों में अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य रोजगार खेती है। ये ग्रामीण गत पांच वर्षों से अकाल पड़ने के कारण गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इन गांवों में ग्रामीणों के आवागमन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इन गांवों में पक्की सड़कों का भी अभाव है। इन गांवों के गरीब ग्रामीणों को न्याय पाने के लिए अपने गांवों से लगभग 70 किलोमीटर दूर दूदू में स्थित मुंसिफ न्यायालय में जाना पड़ता है। इन गांवों के लगभग 100-125 व्यक्तियों को प्रतिदिन न्यायालय में पेशी हेतु दूदू मुंसिफ

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

न्यायालय में जाना पड़ता है जिससे इन गरीब ग्रामीणों को न्याय पाने के लिए अत्यधिक धन एवं समय खर्च करना पड़ता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी के तहसील चाकसू में 35 ग्राम पंचायतों में 269 गांव हैं जिनकी आबादी लगभग सवा तीन लाख है। इन गांवों में अधिकांश ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती है। ये ग्रामीण गत पांच वर्षों से अकाल की मार सह रहे हैं। इन गांवों के व्यक्ति गरीबी की रेखा से भी नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। इन गांवों के ग्रामीणों के लिए न तो आवागमन के लिए पर्याप्त साधन हैं न ही इन गांवों में पक्की सड़कें हैं। इन गांवों के गरीब ग्रामीणों को अपने मुकदमों के लिए न्याय पाने के लिए अपने गांवों से लगभग 50 किमी. दूर जयपुर न्यायालय में आना पड़ता है। इन गांवों से लगभग 125-150 व्यक्तियों को प्रतिदिन न्यायालय में पेशी हेतु जयपुर में आना पड़ता है जिससे इन गरीब ग्रामीणों को अत्यधिक समय एवं धन खर्च करना पड़ता है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से विधि एवं न्याय मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी की तहसील फागी एवं चाकसू के ग्रामीणों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र मुंसिफ न्यायालय खोलकर यहां की गरीब जनता को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री लालचन्द कटारिया।

आमेर के विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में विभिन्न राजकीय विद्यालयों में हो रही पीने के पानी की अव्यवस्था की ओर राज्य सरकार एवं पेयजल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, प्रतापपुरा कलां, जयसिंहपुरा, माचड़ा-हरमाड़ा, राजवास, बाढ़पिथावास एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुर्जनियावास, कूकस, बसेड़ी तथा राजीव गांधी पाठशाला, बलाई मोहल्ला, कूकस में छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल का भारी संकट है जिसके कारण या तो उनको एक-डेढ़ किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेकर आना पड़ता है या अपने-अपने घरों से छात्र-छात्राएं बोतलों में पानी भरकर लाते हैं जिसके कारण उनका अध्ययन कार्य तो प्रभावित होता ही है, साथ ही अभिभावकगण में भी भारी आक्रोश फैल रहा है एवं विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं को भी अध्यापन कार्य में कठिनाई महसूस की जा रही है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इन विद्यालयों में पूर्व में हैण्ड पम्प लगे हुए थे और पानी की व्यवस्था बनी हुई थी, परन्तु जून और जुलाई के महीने में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण ये हैण्ड पम्प सूख गये। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा न तो विद्यालयों के नाकारा हैण्ड पम्पों की जगह नये हैण्ड पम्प लगाये गये और न ही बिना हैण्ड पम्प वाले विद्यालयों में नये हैण्ड पम्प स्वीकृत कर स्थापित किये जा रहे हैं। विभाग से इस सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर कोई भी आशाजनक उत्तर नहीं मिलता है और कहा जाता है कि विद्यालयों में नये हैण्ड पम्प लगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त बजट नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं राज्य सरकार का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मेरे क्षेत्र में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है उनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या शिक्षा विभाग, जिनके पास भी यह व्यवस्था करने के समुचित साधन हों, द्वारा पीने के पानी का पर्याप्त एवं सन्तोषप्रद प्रबन्ध कराने का कष्ट करें। मैं आशा करता हूं कि हमारे पेयजल मंत्रीजी मेरी इस वाजिब मांग को तुरन्त स्वीकार कर आवश्यक निर्देश सम्बन्धित विभाग को देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

परबतसर (नागौर) उपखण्ड में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जो कि पूर्व में नागौर जिले का सबसे बड़ा उपखण्ड रह चुका है, जिसमें परबतसर, मकराना एवं नावां विधान सभा क्षेत्र आते थे। अब नावां, मकराना को अलग उपखण्ड बना दिया गया है एवं उक्त दोनों उपखण्ड मुख्यालयों पर पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित है जबकि परबतसर विधान सभा क्षेत्र जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, परबतसर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परबतसर थाना, पीलवा थाना व गच्छीपुरा थाना तथा विदियाद पुलिस चौकी एवं बडू पुलिस चौकी लगती है। परबतसर शहर में अंग्रेजों के जमाने का कारागृह है। परबतसर शहर में ए.सी.जे.एम. कोर्ट, ए.डी.जे. कोर्ट तथा ए.डी.जे. (फास्टट्रेक) कोर्ट भी स्थित है।

(श्री राकेश मेघवाल)

परबतसर बस स्टेण्ड पर रोजाना लगभग सौ से अधिक रोडवेज बसों को व अन्य निजी बसों का आवागत होता है जिसमें भारत के कोने-कोने से तरह-तरह के यात्री आते रहते हैं तथा प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना या अपराध होता रहता है। परबतसर शहर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पुष्कर व अजमेर से बहुत नजदीक है एवं पुष्कर की तलहटियों में 7 किमी. में बसे होने के कारण तथा परबतसर शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 से जुड़े होने के कारण इस विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों से तरह-तरह के लोगों का व सैकड़ों वाहनों, ट्रकों का प्रतिदिन आवागमन रहता है जिससे इस क्षेत्र में अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

परबतसर विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र है। यहां की गरीब जनता को न्याय पाने के लिए समय व पैसा खर्च करके मकराना जाना पड़ता है, लेकिन वहां भी जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है जिससे यहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की जनता की परेशानियों एवं भावनाओं को मद्दे नजर रखते हुए जनहित में परबतसर उपखण्ड में पुलिस उप अधीक्षक का नया पद स्वीकृत करवाते हुए मुझे तथा मेरे क्षेत्र की जनता को अनुगृहीत करावें। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विजय बंसल।

सुजान गंगा नहर के जीर्णोद्धार में हुई गड़बड़ी की जांच

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत भरतपुर स्थित सुजान गंगा के जीर्णोद्धार में हुई गड़बड़ी की जांच के बारे में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, भरतपुरजो जीवनदायिनी कही जाने वाली सुजान गंगा नगर में नगर परिषद् द्वारा शकर का गंदगा पानी डालने के कारण वह प्रदूषित हो गई है। नगर परिषद् भरतपुर ने इसमें जीर्णोद्धार का कार्य कराने का सन् 2000 में फैसला लिया एवं राज्य सरकार ने भी इस कार्य के लिए एक करोड़ रुपये देने का वादा किया।

नगर परिषद में एक एक्स, ईएन. एक ए.ईएन एवं छह जे.ईन. होने के बावजूद इस कार्य को आर.एस.आर.डी.सी. को दे दिया आर.एस.आर.डी.सी. ने फिर यही कार्य 10 प्रतिशत लेकर लोकल ठेकेदारों को दे दिया

(श्री विजय बंसल)

आर.एस.डी.सी. एवं नगर परिषद् के अधिकारियों की मिली भगत से सुजान गंगा में गंदे पानी का डलना बन्द नहीं हुआ बल्कि पानी के बहाव को गलत दिशा में बदला गया।

उक्त दोनों विभागों के अधिकारियों के षड्यंत्र के कारण 3.7 करोड़ रुपये बरबाद हो गये। राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका में सुजान गंगा के प्रदूषण के लिए दायर की गई उसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने नगरपरिषद् एवं आर.एस.आर.डी.सी. के अधिकारियों को दोषी पाया गया एवं पुन: कार्य को सही करने को कहा गया।

मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की पूर्ण जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराई जाए एवं प्रदूषित सुजान गंगा को सही करावें ताकि भरतपुर में महामारी न फैल सके तथा 3.7 करोड़ रुपये करबाद करने वाले अधिकारियों को भी दण्डित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : डा. सुरेश चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री कन्हैया लाल मीणा।

बस्सी के गांवों में पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव बाबत।

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मैं श्रीमान् यातायात मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक बड़े मार्गों पर रोडवेज नहीं लगाई है। आपसे निवेदन है कि मेरे निम्न क्षेत्र में अतिशीघ्र रोडवेज लगाकर आने जाने में रोजाना जयपुर आने वाले दूध. सब्जियां, मजदूरी करने जयपुर आना व सरकारी कर्मचारियों को भी रोजाना आना जाना पड़ता है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी विनती को सुनकर अमल में लाने का श्रम करेंगे। जो इस प्रकार है:-

1. बस्सी जयपुर से बनियाना गाया नटवाड़ा. बाढ़बादूपुरा हंसमहल. कांनटी खेड़ला भटेरी आदि से होते हुए रोडवेज लगावें।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

2. चाकसू से भंगपदाकला वाया करूडवासी राजपुरा, बाढ़मुरलीपुरा ढीकरिया गुजरान, ढीकरिया मीणान, देहलाला, बावनपुरा, केसूपुरा।

3. जयपुर से बस्सी वाया जीतावाला, लसाडिया ब्राह्णान, गोकुलपुरा, हरीपुरा, हरिरामपुरा।

4. जयपुर से दौसा, लालसोट, महवा आदि आगरा रोड से जाती हैं लेकिन आगे दौसा वर्ग द्वारा जाने वाली बसें बस्सी बस स्टैण्ड पर नहीं रूकती हैं। अत: बसों को रोकने के आदेश जारी करने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीसिंह रावत।

राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने विषयक

श्री हरीसिंह रावत (भीम) : महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए दिनांक 12 जुलाई, 2004 को राज्य का परिवर्तित बजट सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2 हजार 204 करोड़ 17 लाख रुपये का घाटा रहने का अनुमान है।

बजट में यह घाटा प्रतिवर्ष सुरसा की तरह बढ़ता ही जा रहा है। हर सरकार इस घाटे को नियंत्रित करने की घोषणाएं तो करती है परन्तु इस पर नियंत्रण करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाती। हर सरकार अपने प्रशासनिक खर्चों में कमी करने के बड़े-बड़े वादे तो किये हैं किन्तु उसंकी क्रियान्विति नहीं की गई।

मान्यवर, प्रशासनिक खर्चों में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये बचाये जा सकते हैं। राज्य सरकार के समस्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्रशासनिक/प्रगति प्रतिवेदन प्रतिवर्ष बढ़िया क्वालिटी के पेपर पर जिसका कवर पृष्ठ मोटे व चिकने पेपर पर लेमीनेशन युक्त छपवाया जाता है जिसकी एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये से 500 रुपये तक आती है तथा ये कम से कम पांच सौ की संख्या में मुद्रित कराई जाती है।

राजकीय उपक्रम तो एक कदम आगे हैं। जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं वे भी अपने वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा विवरण तथा डायरियां हजारों की संख्या में मुद्रित कराई जाती हैं जिन पर भारी राशि प्रतिवर्ष खर्च की जाती है जिससे राजकीय उपक्रम का घाटा उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कि वित्त मंत्री भी हैं का ध्यान इस विशेष उल्लेख के माध्यम से इस ओर आकर्षित कर निवेदन है कि कृपया आप इस बारे में शीघ्र ही जनहित में राज्य सरकार के इन

(श्री हरिसिंह रावत)

प्रशासनिक/प्रगति प्रतिवेदनों तथा राजकीय उपक्रमों के वार्षिक/लेखा प्रतिवेदनों को मुद्रित न करवाकर साइक्लोस्टाइल्ड अथवा गेस्टेटनर से निकलवाई जाए। इसके अतिरिक्त राजकीय उपक्रमों द्वारा जो डायरियां हजारों की संख्या में मुद्रित कराई जाती हैं वो खादी ग्रामोद्योग से परचेज की जाए जिससे राज्य सरकार की करोड़ों रुपये की राशि की प्रति वर्ष बचत हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

राजकीय महाविद्यालय सलूम्बर में गृह विज्ञान विषय

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में एक राजकीय बालिका सीनियर स्कूल है तथा क्षेत्र के आस-पास गांवों में 8 राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल है जहां पर गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है लेकिन क्षेत्र में एक मात्र राजकीय महाविद्यालय है जिसमें गृह विज्ञान विषय नहीं है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के छात्र छात्राएं गृह विज्ञान महाविद्यालय में आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन महाविद्यालय में गृह विज्ञान विषय नहीं होने से छात्र छात्राएं विषय को पढ़ने से वंचित रह जाते हैं जिससे विशेषकर छात्राओं के लिए जीवन में उपयोगी विषय है, आगे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं।

अत: राजकीय हाड़ी रानी महाविद्यालय सलूम्बर में गृह विज्ञान विषय खोला जाए।

श्री अध्यक्ष : पर्ची पर बोलेंगे। मदन राठौड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सांडेराव (सुमेरपुर) में पर्यटक रिसोर्ट का निर्माण कार्य

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 को...

श्री अध्यक्ष : चार मिनट का समय है आपका, चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री मदन राठौड़ : जब राजस्थान की कांग्रेस की सरकार थी और इनके पर्यटन राज्य मंत्री ने सांडेराव में एक राजस्थान पर्यटन मार्ग बस सुविधा, सांडेराव का शिलान्यास किया था। बहुत वाहवाही लूटी, खूब मालाएं पहनी स्वागत करवाये लेकिन वहां पर निर्माण कार्य अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैंने एक प्रश्न किया अभी तारांकित प्रश्न था जिसका उत्तर आया है। वह प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि सांडेराव ग्राम के गोल तालाब के पास पर्यटकों का रिसोर्ट बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था, उत्तर जी, हां पाली जिले में सांडरा व ग्राम में गोल तालाब के पास में पर्यटकों हेतु रिसोर्ट बनाने के लिए शिलान्यास किया गया था। लेकिन रिसोर्ट को बनाने के लिए कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई थी और किसी भी प्रकार की कोई योजना सरकार की नहीं थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं थी तो तत्कालीन पर्यटन राज्य मंत्री ने यह जनता को धोखा देने का काम किया। यह वास्तव में शर्मनाक स्थिति है कि कांग्रेस ने जनता के साथ में धोखा किया। यह स्थिति मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कभी भी कोई भी प्रश्न तारांकित प्रश्न हो, बहुत गम्भीर प्रश्न हो तो मैं विपक्ष पर आरोप लगाना चाहूंगा कि माननीय विपक्ष के सदस्य उस प्रश्न को आने ही नहीं देते, व्यवधान उत्पन्न करके समय जाया करते हैं और वह प्रश्न आ नहीं पाता और गम्भीर प्रश्न के प्रति यह पूरी तौर पर गैर गम्भीर हैं। इस प्रकार का जो आज प्रश्न था कि सुमेरपुर के... (व्यवधान) यह खैर, परमानेंट इनका स्वभाव होगा लेकिन मैं नया हूं, मुझे जानकारी मिली है तो आज सदन के माध्यम से आपके सामने यह विषय रखना चाहूंगा कि गेहूं वितरण में जो इन्होंने भारी अनियमिता की है कि यह पंचायत समिति सुमेरपुर के बी.डी.ओ...

श्री अध्यक्ष : आप तो पर्यटक रिसोर्ट की बात करते-करते गेहूं वितरण पर आ गये।

श्री मदन राठौड़ : नहीं, मैं इनके भ्रष्टाचार के कारनामे खोल रहा था अध्यक्ष महोदय। इसी प्रकार का...

श्री अध्यक्ष : आपका जो सब्जैक्ट है वह है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम साण्डेराव में पर्यटक रिसोर्ट का उदघाटन होने पर भी निर्माण कार्य नहीं करवाने के सम्बन्ध में।

श्री मदन राठौड़ : लेकिन मुझे पूरी बात तो कहने दीजिये अध्यक्ष महोदय। इसमें भी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है और इन्होंने इतनी यानि जो गेहूं निकला ही नहीं, खाद्य निगम से जितना गेहूं निकला उससे अधिक गेहूं इन्होंने वितरण करना बता दिया और इसमें 5 रुपये के हिसाब से एक लाख 31 हजार का भ्रष्टाचार किया। इस प्रकार के कारनामे...

श्री अध्यक्ष : विषय पर बोलें। आपका जो पर्ची का विषय है उस पर बोलें आप। यों क्या करते हैं आप पर्ची के विषय पर बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा : भ्रष्टाचार किया है तो आपका राज है, आप कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : कर रहे हैं और...(व्यवधान) जब कभी बोलते हैं तो आप बीच में व्यवधान करने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे इनको निर्देश नहीं दे सकते। सात बार जीतने वाले दोनों माननीय सदस्य, आप निर्देश नहीं दे सकते उनको। आसन देगा निर्देश।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष का काम यह करने लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सात बार जीत चुके हैं यहां पर। आप बैठे-बैठे निर्देश नहीं दे सकते। आसन देगा निर्देश। यह काम आपका नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप अपने विषय पर बोलिये। मैंने निर्देश दिया है आप विषय पर बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : उसके बाद ही नहीं मान रहे हैं यह तो।

श्री अध्यक्ष : आप कहां मानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अब आपकी बात तो मान ली क्या इन्होंने?

श्री अध्यक्ष : वो तो नये-नये हैं, आप पुराने ही नहीं मानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने कभी भी आपकी बात के अनुसार...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सात बार जीते हुए नहीं मानते हैं वो तो पहली बार आये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी नहीं मानते हैं तो हम मनवायें जाकर।

श्री अध्यक्ष : ये तीनों सात बार जीते हुए हैं। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं आपना कि हम सात बार जीते हुए हैं। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप खड़े रहते हुए खड़े हो जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आसन 9 बार जीता हुआ है। आसन अपने आपको असहाय पाता है तो हम तो आसन का सहयोग करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

डा. एन. एस. गुर्जर : यह आसन का सहयोग करते हो या आसन जब खड़ा रहता है तो आप खड़े हो जाते हो। (व्यवधान) यह सहयोग है क्या आसन का? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह आप क्या कर रहे हो, यह अभी-अभी क्या कर रहे हो?

डा. एन. एस. गुर्जर : यह सहयोग है आसन का? यह सहयोग है?

श्री रामनारायण चौधरी : यह आप क्या कर रहे हो?

डा. एन. एस. गुर्जर : आसन जब खड़ा होता है जब खड़ा नहीं होता हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये तो वरिष्ठ लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1988-89...

श्री मदन राठौड़ : मैं कुछ रखना चाहता था आपके समक्ष।

श्री अध्यक्ष : आप विषय से बाहर हो गये। विषय पर रहते तो कोई बात नहीं थी। अब आप प्लीज स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सदन के पटल पर रखना चाहता हूं 2-3 फोटोग्राफ।

श्री अध्यक्ष : हां, रख दो। बिलकुल रख दीजिये।

कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा को बन्द किये जाने विषयक

श्री राव राजेन्द्र सिंह : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 1988-89 में कोटपूतली के तत्कालीन विधायक मुक्तिलालजी मोदी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ने एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना कोटपूतली में की थी। 300 बीघा की जमीन में यह कृषि अनुसंधान केन्द्र 1988-89 से आज तक कोटपूतली में चल रहा है। विगत दिनों में केन्द्र सरकार के एक आदेश द्वारा इस विज्ञान केन्द्र को बन्द करने का फैसला कर लिया गया है। 15 साल से यह जो विज्ञान केन्द्र कोटपूतली में चल रहा था उसको बन्द करने का फैसला सिर्फ इसलिए किया गया कि कुछ वर्ष पहले एक स्वयंसेवी संस्था ने चौमूं के पास में टांकरड़ा के अन्दर एक ऐसा ही अनुसंधान केन्द्र खोला और क्योंकि एक जिले के अन्दर एक अनुसंधान केन्द्र चल सकता है दो नहीं चल सकते ऐसी केन्द्र सरकार की कोई नीति रही है। यह 15 साल पुराना जो एक स्वतंत्रता सेनानी के हाथ से और तत्कालीन जो कृषि मंत्री थे उनके हाथों जिसका उदघाटन हुआ, 360 बीघा पक्की जमीन पर यह अनुसंधान केन्द्र है, प्रशासनिक भवन बना हुआ है, ट्यूबवैल बना हुआ है, 15 साल से उन्न बीज किसानों को बांटता है, 15 तहसीलें इससे प्रभावित हैं और हमारा प्रदेश ही नहीं, हरियाणा से भी लोगबाग इसका फायदा उठाने के लिए आते हैं और आज एक स्वयंसेवी संस्था का नाम लेकर इस 15 साल पुराने अनुसंधान केन्द्र को बन्द करने की बात कही जा रही है। मैं सदन के माध्यम से यह राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से इस केन्द्र को बन्द नहीं किया जाए। भारत सरकार को इस बारे में प्रार्थना पत्र भेजा जाए। साथ ही मैं यह बात भी अर्ज करना चाहूंगा और आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि इसी साल मार्च के अन्दर आपके द्वारा एक पत्र इसी अनुशंसा के लिए भारत सरकार को भेजा गया था तब यह रूक गया था लेकिन 15 दिन पहले इस अनुसंधान केन्द्र को बन्द करने के लिए वहां से एक परिपत्र जारी हुआ है इसलिए इस राजस्थान सरकार का, राजस्थान प्रदेश के किसानों का हित इससे जुड़ा हुआ है कि 15 साल पुरानी यह संस्था जो राजस्थान सरकार और बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय के नीचे कार्य कर रही है, वहां के किसानों का ध्यान रखते हुए और उन्न किस्म के बीज हमें प्राप्त हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए...

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी. वो दोनों सम्बन्धित मंत्री तो हैं नहीं. बात तो इनकी महत्वपूर्ण है. आप कृपया नोट तो कर लें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : इस सारी बातों को ध्यान में रखने के बावजूद अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी बात है कि...

श्री रामनारायण चौधरी : सदन के नेता गायब, मंत्री गायब, पूरी गवर्नमेंट गायब है।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्री सहित मंत्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य सदन से गायब हैं, सब अनुपस्थित हैं।

श्री मदन दिलावर : पांच मंत्री बैठे हैं, कहां नहीं बैठे हैं? दिखाई नहीं देता है? चश्मा बदलवा दीजिये न। दिखाई नहीं देता आपको?

श्री कनकमल कटारा : 4-5 मंत्री बैठे हुए हैं कहां नहीं बैठे?

श्री मदन दिलावर : बहुत गम्भीरता से सुन रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : 6-7 मंत्री तो बैठे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह : एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि उस वक्त 360 बीघा में कुछ जमीन ऐसी भी है जो वहां के काश्तकारों ने इस अनुसंधान केन्द्र के लिए दी है। उन लोगों ने जो कुछ भी किसानों के हित में किया और एक स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, इस सदन का कई वर्षों तक वह सदस्य रहा, उसकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए यह विनम्र आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर कोई पहल करे। जय हिन्द, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बंशीवाल।

कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कार्मिक विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सदन की एक माननीय सदस्या श्रीमती अनिता भदेल हैं। आपने एक प्रश्न पूछा प्रश्न संख्या 786. उसका उत्तर आया कार्मिक विभाग से। उन्होंने इसमें पूछा कि प्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के कितने पद स्वीकृत हैं। उसका जवाब आ गया। उक्त में स्वीकृत पदों की

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

तुलना में कार्यरत अधिकारियों की कैडर अनुसार संख्या कितनी है, उसका जवाब आ गया। उन्होंने पूछा कि सरकार के समक्ष अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग के मामले विचाराधीन हैं, यदि हां, तो किस-किस के विवरण सदन की मेज पर रखें। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि कार्मिक विभाग से यह सूचना आई कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जी.एस. नरवानी सेवानिवृत्त, श्री एस.एन. खण्डेलवाल सेवानिवृत्त, श्री संजय पुरोहित सेवा से बर्खास्त, श्री टी.आर. वर्मा सेवानिवृत्त, श्री रविशंकर श्रीवास्तव। भारतीय पुलिस सेवा के श्री हरिशचन्द्र मीणा, श्री के. नरसिंहराव का नाम आया। भारतीय वन सेवा के भी नाम आये। इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न पिछले सत्र में पूछा गया था हमारे माननीय वन मंत्रीजी वर्तमान...

श्री अध्यक्ष : आप पर्ची के मार्फत क्या कहना चाहते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं, सदन को जानकारी भी दे रहा हूं कि एक प्रकार के पूछे गये प्रश्नों में दो अलग-अलग उत्तर आये हैं। यह इसलिए आये हैं...अध्यक्ष महोदय, कि मैं यह पूछना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष : वह तो आधे घण्टे की चर्चा कर लीजिये तो ज्यादा अच्छा होता, जवाब देते।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : मैं दो मिनट में। बहुत गम्भीर मामला है। डी.आई.जी. टंडन थे...

श्री अध्यक्ष : गम्भीर था तो आधे घण्टे की चर्चा करनी थी आपको। पर्ची का कोई मतलब नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : उन्होंने एक एस.टी. की महिला के साथ बलात्कार किया, सरकार ने उसको बर्खास्त किया, क्या उसकी जानकारी इस सदन को कार्मिक विभाग को नहीं देनी चाहिए थी? उन्होंने नहीं दी। हरीशजी मीणा के ऊपर 86 में कोई चार्ज लगा होगा, सुप्रीम कोर्ट तक उसका फैसला हो गया, उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है पर उनका नाम इसमें जबरदस्ती उनको बदनाम करने के लिए कार्मिक विभाग ने दिया है। मैं यह चाहता हूं कि यह जो गलती इनका नाम आया है, वह निकाला जाए, चूंकि एस.सी., एस.टी. का मामला है और एस.सी., एस.टी. के अधिकारियों को गलत प्रताड़ित किया जाएगा, मानसिक रूप से परेशान किया जाएगा, तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और कार्मिक विभाग के जिस भी अधिकारी ने गलती की है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करे और उसको निलम्बित

(श्री नन्दलाल बंशीवाल)

करे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। कार्मिक विभाग का जो अधिकारी, जिसने गलत सूचना सदन को दी है उसके खिलाफ में कार्यवाही चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

(13.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा : सूचना तो मुख्य मंत्री ने दी है, कार्मिक विभाग मुख्य मंत्री के पास है।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, देखा जाता है, सदन में टण्डन जैसे आदमी का नाम नहीं आये, क्योंकि वह भ्रष्ट अधिकारी था, रेप केस उसके खिलाफ था और औरत को भगाने का मामला था। एक ईमानदार आदमी जिसको पूरा राजस्थान जानता है, सदन जानता है, माननीय मंत्रीगण जानते हैं, यदि किसी कारणवश, त्रुटिवश आ गया तो माननीय सदस्य का इतना सा अनुरोध है कि उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दें कि इस तरह की कोई गलती हो गई है। साधारणतया मामला पहले रहा होगा, इसके आधार पर कोई बात आ गई, इतना सा आप बता दें, क्योंकि यह मसला है, उसको आप भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : भूलवश आ गया तो सुधार कर लिया जाये।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : नहीं, नहीं, यह भूलवश नहीं है, यह दुर्भावनावश दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भावनावश दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : दुर्भावना कोई नहीं होती है। यह बदनाम करने वाली बात है। अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकारियों को बदनाम करने की बात है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : यह किसी प्रकार की अच्छी भावना नहीं है, दुर्भावना है। यह जब भी ऐसी स्थिति आई है, एस.सी., एस.टी. के खिलाफ में इस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और इस प्रकार की दुर्भावना सरकार के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : इस प्रकार से ये अधिकारियों को बदनाम करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हम सबकी भावना समान है कि किसी भी निरपराध के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। अपराधी है तो कार्यवाही हो। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : कार्मिक विभाग के खिलाफ चालान करने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, एक बार आप स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी स्थान ग्रहण करें। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कह रही हूं कि स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) मैं आपको कह रही हूं कि स्थान ग्रहण करें। कुछ नहीं सुनना चाहती हूं मैं। स्थान ग्रहण करिये, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) मैंने कहा है कि अपने स्थान पर बैठ जाइये, मैं यह कह रही हूं। (व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये गये)

पर्ची पर जिसको अलाउ किया है, केवल पर्ची पर बोलने का अधिकार उसको है, बाकी माननीय सदस्यों को नहीं है। आप लोग नहीं बोल सकते बीच में, आप नहीं बोल सकते बीच में। माननीय खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, मैं देख रही हूं कि आप मिनट-मिनट में बार-बार खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : बाहर जाएं, वह मर्जी है आपकी। वह मर्जी है आपकी। मैं तो कह नहीं रही हूं बाहर जाने के लिए। मैं बैठने के लिए कह रही हूं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बैठें, बाहर जाएं, आपकी मर्जी है। मैंने बाहर जाने को नहीं कहा है। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। पर्ची जो देता है, केवल बोलने का अधिकार उसी को होता है।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : मामला कितना ही गम्भीर हो, मामला कितना भी गम्भीर हो, पर्ची देने वाला अकेला ही बोलता है और दूसरे माननीय सदस्य नहीं बोलते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : आप सब मिलकर दूसरे नियम में क्यों नहीं लाते ऐसे मामले को, ऐसा मामला आपको दूसरे नियमों से लाना चाहिए था, दूसरे नियम में लाते इस मसले को।

श्री जोगेश्वर गर्ग : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री गोविन्द राम मेघवाल : xxx

श्री सी. डी. देवल : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री रामनारायण मीणा : xxx

श्री सुरेश मीणा : xxx

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी खड़े हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में आपको कुछ लोगों की सूची मिली, उसमें उनका नाम है कि उनके खिलाफ भी चाहे 16 या 17 में कोई न कोई कार्यवाही पेंडिंग है, मैं सोचता हूं, इसमें अगर कोई कमी रही या गलत सूचना दी तो देने वाला निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा लेकिन यदि है तो सूची देने में उसने कोई गलती नहीं की, क्या है, क्या नहीं है, यह विषय मेरे देखने का है और मैं उसको देखने के बाद ही अपना कुछ निर्णय लूंगा लेकिन जो प्रश्न का जवाब आया, वह आपके सामने है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको मैं देखने का काम करूंगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, डी.जी.पी. के यहां से यह सूचना आई है, उसमें उसका नाम नहीं है और कार्मिक विभाग से आई है, उसमें नाम है, यह अलग-अलग क्यों?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने कहा है कि मैं देख लूंगा। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की, मैं देखने के लिए कह रहा हूं, उसके बाद भी यदि आपको लगता है तो आप नोटिस देकर और किसी किसी तरीके से आयें। अगर हमने कोई गलत सूचना दी है तो हम उसके लिए जो जिम्मेदार होंगे...

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ओ. के. साहब, थैंक्यू।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपके आदेश को मानते हुए कुछ बातें सदन में रखना चाहता हूं। बात यह है कि महाभारत हुआ था, उस समय द्रोपदी की लज्जा लूटी गई थी, उस लज्जा को तो भगवान श्रीकृष्ण ने बचा लिया लेकिन आज इस स्वतंत्र भारत में हमारी दलित महिला को नंगा गांव में ले जाया जाता है। उनको कौन बचाता है? न तो भगवान रक्षा कर रहे हैं, न यह सरकार रक्षा कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं इस सदन में। यह धौलपुर में हुआ है। आज के पेपर को देख लीजिये, धौलपुर में एक दलित मिहला को नंगा घुमाया जाता है गांव में, इसकी जांच की जाए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान) आप अखबार नहीं पढ़ते हैं। आज सारी जगह अखबार आते हैं। अखबार के मैन पृष्ठ पर है, यह महिला. दलित महिला को निर्वस्त्र किया, यह धौलपुर का मामला है राजस्थान पत्रिका में यह छपा है। और यह कब तक चलता रहेगा, यह हम माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहते हैं। कल गृह मंत्रीजी हमसे बता रहे थे कि हमने पूछा था कि एस.सी., एस.टी. के अधिकारियों को आप क्यों नहीं लगाते तो कहते हैं कि योग्य नहीं है लेकिन मैं गृह मंत्रीजी से पूछता हूं कि जयपुर में एक भी एस.सी., एस.टी. का अधिकारी नहीं है। यहां तो आपने सब योग्य को लगा छोड़ा है? लेकिन आज जिस अखबार में देखते हैं, उसमें कहीं गोली चल रही है, कहीं चैन लुट रही है, किसी होटल में वेश्यावृत्ति हो रही है। यह क्या हो रहा है, यहां के अधिकारी क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं यहां के अधिकारी और यदि कोई मामला पकड़ा जाता है तो उसको रफा-दफा कर दिया जाता है। यहां के एक अखबार में छपा है, यह अखबार है "महका भारत"...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको सूचना दूं, अखबार के आधार पर यहां कोई चर्चा नहीं होती है। बात सुनिये पहले, पहले बात सुनेंगे आप।

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, यंह अखबार झूठे हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : आपको पर्सनल किसी बात की जानकारी हो, वही मुद्दा उठाकर आप अपनी बात करें।

श्री सुरेश मीणा : आज होटलों में जो छापे मारे, जो होटलों में छापे मारे गये, उन छापों को क्यों रोक दिया गया?

श्री अध्यक्ष : महज अखबार की खबर के आधार पर...

श्री सुरेश मीणा : मैं यह पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से, उसमें हकीकत की बात तो यह है कि उन होटलों में छापे मारें गये थे, उनमें एडिशनल डी.जी. का हाथ था। उसने यह सारा मामला रुकाया था। यह जांच की जाये कि उन होटलों में जो एडिशनल डी.जी. की पार्टनरशिप है, उस एडिशनल डी.जी. को...

श्री अध्यक्ष : उस एडिशनल डी.जी. का नाम नहीं लिया।

श्री सुरेश मीणा : नाम पता लगायेगी सरकार अपने आप। कौन है, कौन नहीं है। इसकी जांच की जाये। यह इस तरह से चल रहा है। यह कहां तक चलेगा? जयपुर में यह चैन लुट रही है, ये रोजाना के केस हैं। व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं यहां पर...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने एडिशनल डी.जी. का नाम लिया है, आपको स्वयं को कोई जानकारी है?

श्री सुरेश मीणा : हां, जानकारी है।

श्री अध्यक्ष : तो नाम बताइये और वरना आप इस तरह से रेफरेंस नहीं कर सकते किसी के लिए।

श्री रामनारायण मीणा : नाम के लिए आप कहेंगे कि नोटिस दीजिये, नाम नहीं ले सकते ना। नोटिस नहीं दिया ना। पद का नाम ले सकते हैं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : आप कहते हैं कि दलित महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। उसके परिवार की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नोटिस देकर नाम ले सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि माननीय सदस्य के बोलने के अधिकार पर किसी प्रकार से अंकुश नहीं हो लेकिन सदन में जो यहां जवाब नहीं दे सकता, बिना प्रमाण के, बिना आधार के, इस प्रकार की चर्चा आये, मैं तो मना नहीं करता लेकिन आसन से निर्णय करें, बाहर के लोगों के सम्मान का सवाल है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस बात को आसन तय करें, कौन है जिसने यह कृत्य किया है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : यह धौलपुर रियासत में कोई भी घटना घट जाये, एक दलित महिला के साथ में इस तरह का हो जाये, सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, धौलपुर रियासत में...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : आप विघन पैदा मत कीजिये आपसे हाथ जोड़ते हैं। आप बोलें मजबूती से।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : सचेतक महोदय, यह दलित महिला के सम्मान का मामला है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसने मना किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : जयपुर जैसे शहर में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया तो उसके परिवार की सुरक्षा की जाये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह कह रहा हूं, आप गये थे क्या वहां पर, आप गये वहां? आप यहां केवल ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। आप वहां जाते, मालूम करते कि किसने क्या गड़बड़ की है, उसका मालूम कीजिये। पर्सनल इन्फोर्मेशन प्राप्त करिये, थोड़ा सा शरीर को हल्का करिये, थोड़ा जाइये, आइये। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : जयपुर सुरक्षित है। (व्यवधान) इन छह महीनों में अत्याचार कम हुए हैं, यह आपको जानकारी नहीं है। जिस दिन से वसुन्धराजी ने राज सम्भाला है, जयपुर में अपराध कम हुए हैं।

श्री सुरेश मीणा : आज व्यापारियों को गोली मारी गई है, यह रोजाना अखबार में आ रहा है, आप क्या बात कर रहे हो...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : अपराध जयपुर में कम हुए हैं...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब यह केवल भावनाओं ने भड़काया है, कोई किसी जाति का मुझे विरोध नहीं है लेकिन क्या अब यह क्या किसी जाति के आधार पर फैसले होंगे। आज सदन में अत्याचार, अत्याचार है; कानून के शिकंजे में अपराधियों को होना चाहिए, इस पर एक सौ एक परसेंट हम वह हैं लेकिन जब यहां पर यह कोई भी मामला उठा, दलितों की रक्षा होनी चाहिए इसमें कोई दोराय नहीं है पर दलित... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, आप इनको दबा नहीं सकते, सच्ची बात है। इनको क्यों दबा रहे हो आप? जोर से बोलकर के इस तरह दबाते हो, क्या मतलब है? यह कोई तरीका है...(व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : एस.सी., एस.टी. के साथ अन्याय हो रहा है... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मुख्य सचेतकजी किस बात पर बोल रहे हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : उन होटलों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है उन होटलों का नाम ले रहे हैं, आप नाम लेना तो चाहते हैं...(व्यवधान) तो हम लेते हैं नाम, अधिकारीगण का नाम लेंगे, होटल मालिक का नाम लेंगे...

श्री रामनारायण चौधरी : आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री रामनारायण मीणा : आप बैठ जाइये चुपचाप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी माननीय अध्यक्षजी ने कहा था कि किसी का नाम, किसी का वह बिना आधार के उठाना...

श्री रामनारायण चौधरी : बिना अनुमति...

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना अनुमति के। (व्यवधान) मैं अध्यक्ष महोदय से पूछ कर उठा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप भी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, वह भी बिना अनुमति के, दोनों बराबर हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, मैं तो आपसे पूछकर खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे पूछ कर खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : धौलपुर की महारानी, माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जो विशेषाधिकार मिला हुआ है कि आप कुछ भी बोलें उसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के खिलाफ कुछ भी वेग चार्जेज लगाकर के सदन में एक सनसनी पैदा कर दें, इसका मतलब कदापि नहीं है...

श्री सुरेश मीणा : आप जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष : इस विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं कर सकते, आप इस विशेषाधिकार का केवल उपयोग कर सकते हैं। आप दुरूपयोग कर रहे हैं इसका।

श्री सुरेश मीणा : मैं बता रहा हूं आपको। आज तो आप यह भी कह दो, यह जो महिला है इसके बारे में पूछ रहा हूं मैं...

श्री अध्यक्ष : फिर आप पेपर पर जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा पर्सनल जानकारी आपकी कोई हो, आप केवल उस मुद्दे को उठाकर अपनी बात यहां पर कह सकते हैं। आप अखबार की नहीं, अपनी जानकारी के आधार पर...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का जो मीडिया बैठा हुआ है यह झूठा नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसकी बात पर सारे लोग गौर करते हैं, सारी चीज, अच्छी खबर छपती है और उसकी जांच की जाय, मैं तो यह पूछता हूं ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय घनश्यामजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : एक तो अध्यक्ष महोदय, प्रेस दीर्घा को या दीर्घाओं को माननीय सदस्य सदन से सम्बोधित नहीं कर सकते, अपने सदन का नियम है। नये सदस्य हैं, तो इनको बता दिया जाय। एक। दूसरा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुद्दे उठा सकते हैं, अखबार के आधार पर उठाने की बजाय अपनी सूचना के आधार पर उठा लें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

डा. सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, कल टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने अखबार के माध्यम से एक मुद्दा उठाया था उस समय आपने उनको अलाउ कर दिया और आज अखबार के माध्यम से बोल रहे हैं तो आप मना कर रही हैं। आसन की व्यवस्था एक होनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अखबार की मान्यता नहीं है क्या और हमारे गृह मंत्री कहते हैं, अखबार में जो कुछ लिखा है...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : चार्ज नहीं लगाया, प्रश्न पूछा था...

श्री रामनारायण चौधरी : न उसके कोई हाथ है, न उसके कोई पूंछ है, किस बात का जवाब दें। फिर यह अखबार किसलिए छपते हैं यह तो बताओ, करोड़ों-करोड़ों के अखबार छप रहे हैं, सारी दुनिया अखबारों पर चल रही है और आप इसमें कोई मान्यता नहीं दे रहे हैं और... .

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह व्यवस्था आपकी की हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपकी व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी : और कटारियाजी, इसमें जो कुछ लिखा है उसको तो यह पैर मानते हैं और हाथ मानते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : रामनारायणजी की व्यवस्था है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मान्यता, और अमान्यता की वह नहीं है, आप मान्यता की और अमान्यता की बात...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं उस महिला के बारे में, उस महिला को गांव में नंगा घुमाया गया है, निर्वस्त्र घुमाया गया है, उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूं कि वहां से कुछ सूचना लेकर आओ, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं जिन लोगों ने ऐसा किया है। मैंने आपको बताया है भगवान भी दलित की नहीं सुन रहा है...

श्री गोविन्द राम चौहान : एक मिनट, सुरेशजी। आपसे मेरा आग्रह है कि आये दिन अखबारों में भी पढ़ते हैं और सच्चाई है और हम जानकारी भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि दलितों के ऊपर आये दिन अत्याचार बी.जे.पी. के राज बनने के बाद तो बहुत कम हुए हैं लेकिन यह जो लोग बैठे हैं, मेरा आपसे आग्रह है...

श्री सुरेश मीणा : यह पार्टी और उसकी बात नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ा मामला है, पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अत्याचार तो अत्याचार ही होता है, इसमें कोई...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : अपराध कम हुए हैं, यह अत्याचार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नंगा करके घुमाया और खुले आम यह काम हुआ है...

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत बात है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं, बैठिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह किसका राज है फिर, बीजेपी का राज नहीं है क्या?

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : मेरा आपसे आग्रह है कि यह...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो बात है गृह मंत्रीजी बता दें कि ऐसा हुआ है या नहीं, जो मुद्दा उठाया है, यह बता दें, यह घटना हुई या नहीं हुई है और घटना हुई तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की, इस पर सफाई देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम चौहान : अभी पांच दिन पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि दलित महिला के साथ बस में बलात्कार...

श्री अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री। मिस्टर गोविन्दराम, कुछ माननीय मंत्री कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : धौलपुर वाला प्रकरण, उसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है उसके आधार पर इनवेस्टीगेशन हो रहा है, क्या उसमें सच्चाई है, कितनी है जब तक उसकी बिना जांच किए मैं इस समय कोई बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। प्रकरण ध्यान में आया मैंने भी बात की है, वह इसका इनवेस्टीगेशन करने के बाद ही जो भी कानून के तहत कार्यवाही होगी, वह निश्चित रूप से होगी।

श्री सुरेश मीणा : माननीय गृह मंत्री महोदय, हम निवेदन करना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई, याचिका समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : आप मुलजिमों को गिरफ्तार करिये, उस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : और हम चाहते हैं कि इस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, उस एस.पी. को तत्काल सस्पैण्ड किया जाय, वहां के पूरे डिपार्टमेन्ट को सस्पैण्ड किया जाये. जिन्होंने दलित महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया है, उसको तुरन्त प्रभाव से सस्पैण्ड किया जाय, उस एस.पी. को किया जाय, कलक्टर को सस्पैण्ड किया जाय, यह मांग है सदन में हमारी। यह मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वहां आपसी विवाद है और आपसी झगड़े में उनके, स्वयं के ही लोग हैं। आपस में विवाद के कारण से हुआ है, विषय की जानकारी करने के बाद ही उस पर बतायेंगे। आदरणीय रामनारायणजी ने जो विषय उठाया है, मैं कह रहा हूं बिना जानकारी के आप विषय उठाते हैं, मुझे इसका दुख है। अभी आपने एक जो कुछ लिखा उस पर एफ.आई.आर. नम्बर तो लिख दिया, साल उसमें लिखा नहीं, थाना उसमें लिखा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं। अब आपने तो मोशन मूव कर दिया, अब उसमें चार लोग गिरफ्तार हो गये, उसके बारे में आपको जानकारी होते हुए भी, आठ में से चार मुलजिम गिरफ्तार कर लिये, चार के लिए पार्टी गई हुई है उसके बाद भी आप विषय को उठाते हैं...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : उसके बेटे को बचाया गया आप उसकी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पूरी बात तो सुन लें पहले।

श्री रामनारायण मीणा : मेरी तो एक ही बात है। पुलिस अधिकारी के बेटे को बचाया गया है, आप कृपा करके उसको देख लें।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी की पूरी बात सुनिये आप। आप मंत्रीजी की पूरी बात सुनिये, बीच में ही खड़े हो जाते हैं। कह दिया मंत्रीजी आपने? मंत्रीजी कह दिया जो कुछ कहना था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई, सभापति, याचिका समिति, 2004-05 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति, वर्ष 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री रामसिंह विश्नोई (सभापति, याचिका समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति, 2004-05 समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य विधान सभा, याचिका।

याचिका का उपस्थापन

मदनगंज-किशनगढ़ में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने विषयक

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ (अजमेर) में आवश्यक उपकरण स्थापित करने बाबत तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम-131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कालीचरण सर्राफ मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा करने विषयक

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 259 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। "Repetition of motion.-A motion raising a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session shall in no case be repeated." मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस की मांग पर माननीय सदस्य इस विषय को उठा चुके थे इसलिए सदन में इसकी दोबारा चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह नियमों के विपरीत है माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि नियम 131 में भी यह प्रावधान है कि कोई भी सदस्य जो अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, माननीय सदस्य ने जो यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया है, उन्होंने स्वयं गृह मंत्रालय की डिबेट पर इसके ऊपर पूरा प्रकाश डाला और जिस घटना के बारे में वह बोलना चाहते हैं, वह मैं समझता हूं कि करीब-करीब आठ-दस महीने पुराना है...

श्री संयम लोढ़ा : पिछले साल की है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मामला, जो घटना हाल ही में घटित हुई हो, उसके बारे में कालिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। आप कलिंग अटेंशन मोशन के बारे में देखें, 131- "It relates to a specific matter of recent occurrence." तो यह रिसेंट आकरेंस का मामला नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दूसरा भी पढ़ें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां. आगे भी पढ़ लेता हूं। "It is of grave public importance requiring immediate intervention of the State Government.' गवर्नमेंट ने इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया. उन सबके बयान हो गये. सारी चीज, क्या ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं। इन लोगों ने, मैं कहता हूं जितना इसका...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो वह बतायेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पोलिटिकल लाभ लेना चाहते थे वह ले लिया जबकि आपकी यह घटनाएं, अध्यक्ष महोदय, जूदेव, जया-जेटली, बंगारू लक्ष्मण; इन्होंने भी खुले आम रिश्वत ली।

श्री धर्मपाल चौधरी : इसमें पोलिटिकल लाभ की बात नहीं है...(व्यवधान) अशोक गहलोत के राज में जो शिक्षा मंत्री भ्रष्ट है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उनके बारे में भारत सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, उनकी लेबोरेट्री से जांच कराये...(व्यवधान) एक मिनट, मैं अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक मिनट। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं एक मिनट के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष यहां पर केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई प्रश्न उठाता है, यह आपने जो कहा न पोलिटिकल फायदे के लिए...

श्री संयम लोढ़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अधिकांश मामलों के अन्दर यही होता है, अधिकांश मामलों में यही होता है।

श्री संयम लोढ़ा : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप यह कह रही हैं मैं कहता हूं कि अधिकांश मामलों में राजनीति होती है यहां पर बैठ करके।

श्री अध्यक्ष : राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हो आप मुद्दे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बताइये। नहीं, आप बिराजिये। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आप बिराजिये। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप एक बार बैठें मैं आपको मौका दूंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह केस कायम कर दिया गया क्या सदन के अन्दर चर्चा करके उस तफ्तीश को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी? आपने यह केस कायम कर दिया और भारत सरकार में ऐसे केस हुए हैं इंग्लैण्ड से टेप की जांच

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करवायी गयी। आजकल ऐसी टैक्नोलोजी हो गयी है कोई फेब्रीकेशन हो सकता है। उस आदमी का क्या है इसको नहीं देखा यहां पर। आपने एकदम केस कायम करवाया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं। बीच में नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुन लें कृपया। प्लीज आप मेरी बात सुनिये। और यहां सदन के अन्दर चर्चा करके रोज डी.आई.जी. के अखबारों में बयान आ रहे हैं, अखबारों में रोज डी.आई.जी. अपना बयान दे रहा है। बयानों में पढने से ऐसा लगता है कि डी.आई.जी. ने पहले से प्रि-कंसीव माइंड से डिटरमाइंड है। इसके अन्दर बदले की भावना से सरकार कार्यवाही करा रही है। और उसके बाद आप यहां चर्चा करके क्या उस चर्चा को प्रभावित नहीं कराना चाहते हैं? आप यहां पर, यह प्रभावित नहीं होगी चर्चा यहां पर? जब सारी बात हो गयी आपको इसको अलाऊ ही नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूं कि यह सबजुडिश मैटर नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी चीज के अन्दर यहां सदन में तरह-तरह की चर्चाएं होंगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तहलका मामले में आपने इंग्लैंड से सी.डी. की जांच करायी। आपने सी.डी. की जांच यहां से करायी...(व्यवधान) एक मिनट सुनिये आप। आपने सी.डी. की जांच वहां से करायी। आपकी फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी आपके अण्डर में है...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी :...(व्यवधान)...बजट लीक में छोटे-छोटे कर्मचारियों को मारा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके ज्यादा दायित्व हैं कि आप स्पष्ट...(व्यवधान) इस मामले की निष्पक्ष जांच करायें।

श्री धर्मपाल चौधरी :...(व्यवधान)...यह भ्रष्टाचार की लिस्ट है आपके मंत्रियों की।

एक माननीय सदस्य : ये सारे इन्वोल्व हैं उसमें कांग्रेस वाले...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आज तीन-तीन मंत्री फंस रहे हैं। रोज अखबारों की कटिंग का ये नमूना है।

एक माननीय सदस्य : शायद ऐसा लगता है कि ये लोग इसमें इन्वोल्व हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : और तीन-तीन मंत्री जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं...(व्यवधान)...आप उन मंत्रियों को बचाना चाहते हैं। अभी तो ये तीन ही हैं और कितने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

भ्रष्टाचार के नमूने निकलेंगे यह आपको पता लग जाएगा और आपके समय में जब बजट लीक हुआ, मारा किसको? एल.डी.सी. और यू.डी.सीज को।

डा. एन. एस. गुर्जर : अध्यक्षजी, रूल 131 जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कोट किया है, उसी में लिखा है, कुछ कंडीशंस दी हैं 131 में एडमिशन करने के लिए उसमें जुडिशियल पेंडिंग नहीं होना चाहिए जुडिशियरी में मामला वो कोई...।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रभावित नहीं होना चाहिए।

डा. एन. एस. गुर्जर : एक मिनट और दूसरा आपने कहा, अभी की घटना होनी चाहिए। इसमें माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि रीजनेबल टाइम। अब ये कहते हैं कि प्रभावित होगा। मान लीजिये। आज...(व्यवधान)...एक मिनट सुनिये। मेरी बात सुन लीजिये। आज घटना कोई घटित हुई और पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज कर ली। पुलिस उसकी जांच कर रही है और दूसरे दिन माननीय सदस्य ने यहां पर मामला उठा दिया, जैसा अभी माननीय सदस्य ने उठाया था। क्या यहां उठाने से वो मामला प्रभावित नहीं होगा? तो इसलिए यहां कोई इस तरह का नियमा नहीं है कि एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद अगर उसकी जांच चल रही है...

श्री संयम लोढ़ा : इसका सब सैक्शन 6 भी देखें आप।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता।

श्री संयम लोढ़ा : इसके सब सैक्शन 6 को भी देखें आप।

डा. एन. एस. गुर्जर : हां मैं पढ़ रहा हूं, आप मेरे बाद में बता देना न। आप मेरे बाद में बता देना।

श्री संयम लोढ़ा : इसको मैडम 259 में उठाया है।

डा. एन. एस. गुर्जर : आप मेरे बाद में बता देना। मेरे बाद में बता देना न। इसलिए अध्यक्ष महोदय,...एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, जुडिशियरी में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यह पेंडिंग नहीं है। रीजनेबल टाइम है क्योंकि अभी उसकी इन्क्वायरी चल रही है उसका कोई रिजल्ट अभी मेरे हिसाब से आया नहीं है। मैं इसलिए रीजनेबल टाइम में चूंकि सेशन अभी आया उसका सेशन अभी है। अब आज कोई घटना हो गयी उसके बाद में विधान सभा का सेशन आया तो उसके पहले हम कैसे उठायेंगे उस मैटर को? इसलिए माननीय सदस्य ने 131 में जो और पहले भी इस सदन में कई सालों से इस तरह के मैटर जो एक सदन से दूसरे सदन के बीच में

(डा. एन. एस. गुर्जर)

होते रहे हैं वो उठते रहे हैं और 131 में ही उठते हैं वो जो सत्ता पक्ष...। आप तो उसको उठाते हो स्थगत प्रस्ताव के माध्यम से और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के पास 131 के अलावा कोई चारा नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)...एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, इन सब चीजों को देखते हुए आपने सारी 131 की जितनी कंडीशंस हैं उनको देखते हुए आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करके एनलिस्टेड कर लिया आज के बिजनेस में। और बिजनेस में एनलिस्ट करके आपने सदस्यों को पुकार लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। तो किस आधार पर, हर चीज पर डिस्कसन नहीं होने देंगे आप तो। तो कैसे बचा जा सकता है। इसलिए इस पर डिस्कसन कराइये आप।

व्यवस्था

एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा की जा सकती है

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं आप मुझे सुनिये उसके बाद मैं सुनूंगी आपको। पहले आप मुझे सुनिये। कोल एण्ड शकधर ने इस बारे में लिखा है-"A question on a subject under police investigation is not disallowed on the ground that the matter is sub -judice."

उसके बाद लिखा है- "Likewise, the Speaker may, in his discretion, allow any such matter being raised in the House on an adjournment, motion resolution, motion or cut motion as is concerned with the procedure or subject or stage of inquiry if he is satisfied that it is not likely to pre-judice the consideration of such matter by the statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or commission or court of inquiry."

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : इसलिए सुनिये। इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन जहां तक उसके अन्दर तो मैटर सबजुडिश नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सबजुडिश का प्रश्न ही नहीं है। इन्होंने कहा कि रिपीटेशन है।

श्री अध्यक्ष : देखिये और जब सबजुडिश नहीं है तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यह जो है, the Speaker may allow such matters.

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान...

श्री रामनारायण चौधरी : इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : They have already availed the opportunity. गृह विभाग की मांगों के ऊपर इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली है। आपसे मैं तो यह मांग करूंगा...।

श्री रामनारायण चौधरी :..(व्यवधान)...बोले हैं, यह आप प्रोसीडिंग दिखवा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : सुनिये एक लाइन और सुन लीजिये "A member in possession of."

डा. बुलाकीदास कल्ला : पेज बता दो आप।

श्री अध्यक्ष : सुनिये पेज-1067 "The members in possession of any particular and reliable information about a matter under police investigation have been advised to pass-on that information to the minister concerned." यह और लिखा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने रूल 131 में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। मैंने 259 में भी...माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला :...(व्यवधान)...अब जनता के सामने सत्य बात आने दो...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यही है माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)...इन तीनों मंत्रियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अशोक गहलोत का भाई भी इसमें है। और एक पूर्व मुख्यमंत्री का भाई शामिल हो, इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। और इस बात की सदन में चर्चा होनी चाहिए। आप लोग रोज अखबारों की बातें, रिश्वत की बात करते हैं और यह आपके कार्यकाल की...(व्यवधान)...(व्यवधान) और वो मंत्री हैं...(व्यवधान) इनके कार्यकाल में...(व्यवधान) और आज यहां पर खड़े होकर कहते हैं और फंसाया गया है उन छोटे-छोटे कर्मचारियों को...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बिना जांच के असत्य मुकदमा बना देते हैं लोगों पर...(व्यवधान) जूदेब के मामले में क्या हुआ, तहलका में क्या हुआ और जार्ज फर्नाण्डीस के मामले में क्या हुआ? क्या किया भारत सरकार ने इस के बारे में?...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी :...(व्यवधान)...और पूर्व मुख्यमंत्री का भाई जिसने घोटाला किया हो उनको बचाने के लिए कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जांच नहीं करना चाहते हैं। आप प्रोपर जांच नहीं कराना चाहते हैं। जूदेव के मामले में क्या किया?

श्री भवानी सिंह राजावत :...(व्यवधान)...कलंकित कर दिया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने बंगारू लक्ष्मण के मामले में क्या किया?

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई ये ही नहीं बाकी जितने भी घोटाले हुए हैं वो उनकी भी जांच चल रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह :...बात कर रहे हो यहां पर।

श्री भवानी सिंह राजावत : बहस करने से क्यों डर रहे हो? आओ सामने और बताओ।

श्री धर्मपाल चौधरी : ये अभी ये ही नहीं अभी तो और घोटाले सामने आएंगे आपके...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ :...(व्यवधान) इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती...(व्यवधान)

श्री बीरूसिंह राठौड़ : इस देश में यह कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है इसका मुहूर्त 1948 में किया गया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। पहले स्थान ग्रहण करें। मैं मौका दूंगी आपको। 259 में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य,...थोड़ा...।

श्री रामनारायण मीणा : आप व्यवस्था देने से पहले...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनूंगी, व्यवस्था देने से पहले सुनूंगी। आपको बता चुकी हूं ये सब बातें और फिर उसके बाद दूंगी व्यवस्था। लेकिन यह फिर से आपको सुना रही हूं। इसमें यह भी लिखा है जिसका आप हवाला दे रहे हैं 259 का- "A motion raising a question substantially indentical with one on which the House has given a decision in the same session shall in no case be repeated."

इस हाउस ने इस मामले के अन्दर कोई निर्णय नहीं किया है। निर्णय नहीं किया था इसलिए यह आ सकता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, जनरल डिबेट में बोली गई बात थी कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं था। कोई मंत्री ने जवाब नहीं दिया इसलिए दुबारा उठाया जा सकता है। आज जो उठाया जा रहा है वह बिलकुल उचित है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके निर्णय से तात्पर्य है कि आपने उठाने की अनुमति दे दी थी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चर्चा नहीं हुई जनरल डिबेट पर बोला था, कोई उत्तर नहीं आया उसका। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी. डी. प्रकरण के अनुसंधान के सम्बन्ध में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आई एम/ओन ए पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपका ध्यान रूल 131 के सब सैक्शन (4) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें बिलकुल साफ लिखा है किसी ऐसे विषय पर चर्चा पुन: नहीं की जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। यह 131 का सब सैक्शन (4) कह रहा है। 131 में भी यह प्रोविज़न है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इस पर काफी चर्चा हुई है। माननीय सदस्यों ने इस सदन में पुलिस की मांग पर यह मुद्दा उठाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने अनुमति दी है और चर्चा आपने करवाई है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, इसी पर मैंने निवेदन किया था पहली बार जब यह विषय उठा वह एक सामान्य वाद विवाद के दौरान उठा था। उस पर न तो कोई स्पेसिफिक प्रश्न किया गया न सरकार की तरफ से उस पर जवाब आया। इसलिए इसे उठाया हुआ नहीं माना जाये। और आज जो उठाया है वही विधिवत उठाया हुआ माना जाये और इस रूप में अलाऊ करना चाहिये। इस पर सब सैक्शन (4) लागू नहीं होता।

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, यह सब सैक्शन (4) की बात कर रहे हैं लेकिन चर्चा नहीं हुई क्योंकि कल जो चर्चा की व्याख्या की गई थी चर्चा में सवाल और जवाब दोनों होने चाहिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : चर्चा हुई है, मैंने जवाब दिया है कि बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। (व्यवधान) जवाब नहीं आया उसका।

श्री टीकम चन्द कान्त :...(व्यवधान) इसी कारण इसको चर्चा का नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि चर्चा की व्याख्या पहले की जा चुकी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी अनुज्ञा हो चुकी है। सारे सब सैक्शन और वगैरह को पार करने के बाद आप 131 के (क) का (9) देखें और (9) का दूसरा पैरा देखें तो उसमें बिलकुल स्पष्ट है कि "अध्यक्ष स्व विवेक से किसी ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रकरण से सम्बन्धित हो। यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इससे कानूनी प्राधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा ऐसे विषय पर विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं।" इस प्रश्न को उठाने की जरूरत कहां है जब आपने उसकी अनुज्ञा दे दी।

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन सब सैक्शन (4) स्टेंड कर रहा है वहां। और उसमें बिलकुल स्पष्ट प्रावधान है कि जिस विषय पर चर्चा हो गई हो उस पर दुबारा चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग :...(व्यवधान) चर्चा नहीं हुई, उसका जवाब नहीं आया। चर्चा इसलिए नहीं मानी जायेगी क्योंकि उसका जवाब नहीं आया।

श्री टीकम चन्द कान्त : चर्चा का अर्थ यह है कि उस पर प्रश्न हो और जवाब हो। कल ही तो बात हुई थी कि चर्चा किसको कहते हैं। चर्चा की व्याख्या की बात कल ही हुई थी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह गलत व्याख्या कर रहे हैं इसकी। पाइंट आफ आर्डर आपको स्वीकार करना चाहिये और इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आज ही आपने नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य को स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी थी। (व्यवधान) कि आपको समय मिला था जिसका आपने उपयोग नहीं किया। इसलिए मैं अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज ही आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई थी। नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य को आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई थी। एक स्थगन प्रस्ताव इन्होंने दिया और अपने आसन से यह व्यवस्था दी, आप प्रोसीडिंग देख लें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का मामला है अध्यक्ष महोदय को निर्णय देना है, आप उनके बाद अपनी बात खूब कहिए।

श्री अशोक बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज ही आसन से व्यवस्था दी गई थी नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य को...(व्यवधान)

श्री ओम बिड़ला :...(व्यवधान) इसलिए राजस्थान की जनता को लग रहा है कि कांग्रेस के लोग भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है।

श्री अशोक बैरवा : आसन की व्यवस्था का मामला है यह, अध्यक्ष महोदय, आज ही आसन से यह व्यवस्था दी गई थी नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव दिया था जिस पर आसन ने यह व्यवस्था दी थी कि...

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर को स्वीकार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय कालीचरण सर्राफ, ध्यान आकर्षित करें।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण के अनुसंधान के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर पैंडिंग है 131(4) के अन्तर्गत

डा. बुलाकीदास कल्ला : जो पाइंट आफ आर्डर सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था...(व्यवधान) कालिंग अटेंशन के लिये (4) नम्बर की जो शर्त थी इस सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की डिबेट वाले दिन...(व्यवधान) उस वक्त जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर अपने विचार विस्तार से व्यक्त कर दिये इस पर पुन: चर्चा नहीं हो सकती। यदि आप पुन: चर्चा करवाते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है आप नई [illegible]...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन :...(व्यवधान) यह जनता का विशेषाधिकार है कि किसने क्या किया है और भ्रष्ट आचरण के मामले में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता को सुन लो।

श्री संयम लोढ़ा : व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपने व्यवस्था नहीं दी और मंत्रीजी खड़े हो गये। मेरा पाइंट आफ आर्डर जो 131 के सब सैक्शन (4) के अन्तर्गत मैंने आपके सामने रखा है वह लम्बित है, आपने व्यवस्था दी नहीं उसके पहले गृह मंत्रीजी खड़े हो गये। आप व्यवस्था तो दीजिए।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी तो कहां खड़े हुए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने सारे पहलुओं पर गौर करने के पश्चात् आपने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिस्टेड किया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह सदन नियमों से चलता है ओनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आपकी मर्जी से नहीं चलता, यह हाउस नियम से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं चल सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह नियमों से चलेगा और आसन के आदेश से चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, काल एण्ड शकधर को मैंने कोट कर दिया। 131 को बता दिया पर लास्ट में जैसा टीकम चन्दजी कान्त ने बताया वह मैं आपको फिर पढ़ कर बता रही हूं।

श्री संयम लोढ़ा : 131(4)

श्री अध्यक्ष : 131, 131 (4) नहीं।

श्री संयम लोढ़ा : आप 131 (4) पढ़िए।

श्री अध्यक्ष : 4, 2 सब ठीक है लेकिन लास्ट सुन लीजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा : नहीं, वह (4) से रिलेट नहीं करता है जो इन्होंने कोट किया है आपको।

श्री अध्यक्ष : आप सहयोग करें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, नई परम्परा शुरू हो जायेगी, फिर आगे भी ऐसे ही आयेगा मामला।

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सहयोग कीजिए। सुनिए तो सही। "परन्तु अध्यक्ष स्व विवेक से किसी ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुज्ञा दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रकरण से सम्बन्धित हो। यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये कि इसे कानूनी प्राधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा ऐसे विषय पर विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।"

यह पाइंट आफ आर्डर का जवाब है। इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण के लिये नाम पुकार लिया है और इसे एक्सेप्ट कर लिया है, आप ध्यानाकर्षण करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट मेडम, आपने जो अभी यह सुनाया यह पाइंट उससे रिलेटेड है जो मामला सब ज्युडिश हो, किसी न्यायालय में विचाराधीन हो। यह धारा उससे सम्बन्धित है, (4) का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : यह आपको सब सैक्शन (4) के बावजूद अधिकार देता है क्या?

श्री अध्यक्ष :...(व्यवधान) पुलिस इन्वेस्टीगेशन में मामला...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम इस बिन्दु को उठा ही नहीं रहे हैं। हमको पुलिस इन्वेस्टीगेशन, सब ज्युडिश से कोई मतलब नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : फिर नियमों का मतलब ही क्या है? (व्यवधान) यदि अध्यक्ष को सब पावर है तो फिर मतलब क्या है इसका?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम तो यह कह रहे हैं कि इस पर चर्चा हो चुकी है इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसको माननीय सदस्य यहां पर उठा चुके हैं। इसलिए इस पर चर्चा जरूरी नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद :...(व्यवधान) फिर एक भी मामला यहां नहीं उठ सकता जो पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है वह मामला सदन में नहीं उठाया जा सकता, फिर एक भी मामला सदन में नहीं उठाया जा सकेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप जो बोल रहे हैं वह मामला सब ज्युडिश है उसको स्व विवेक से उठवा सकते हैं लेकिन (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि जिस विषय पर इसकी चर्चा हो चुकी हो उस विषय पर दुबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : सुनिए, यह व्यवस्था मैंने इसलिए दी है, मैं मेरी व्यवस्था के सपोर्ट में आपको कहना चाहूंगी:- "Members in possession of any particular and reliable information about a matter under police investigation have been advised to pass on of that information to the minister concerned." इसलिए मैंने कहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पुलिस इन्वेस्टीगेशन का मतलब ही नहीं है इस पर चर्चा हो चुकी है, मेडम।

श्री अध्यक्ष : चर्चा होने से क्या होता है। चर्चा का तो मैंने आपको बता दिया...

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी खुद की रूलिंग है कि जिस पर चर्चा हो जाये उस पर दुबारा चर्चा नहीं होनी चाहिये। फिर आप दुबारा चर्चा की इजाजत देंगे, आप अपने निर्णय का उल्लंघन करेंगे। (व्यवधान) आपने खुद ने व्यवस्था दी थी कि पुलिस की मांग पर इस पर चर्चा हो चुकी है और दुबारा चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, कल ही इस बात की, चर्चा की व्याख्या कर ली गयी थी, चर्चा की व्याख्या कल ही की गयीं थी।

श्री संयम लोढ़ा : आपने स्वयं ने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर चर्चा हो चुकी है।

श्री टीकम चन्द कान्त : चर्चा का अर्थ यह है कि एक तरफ से जो बात कही जाए, दूसरी तरफ से जवाब आ जाए, उसको डिस्कशन कहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के मुख्य मंत्री ने मंत्रियों की जो जासूसी करवायी थी, मेरे उस स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी थी कि उस पर पुलिस की मांग पर चर्चा हो चुकी है, अब दुबारा चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री टीकम चन्द कान्त : और अब इसमें डिस्कशन या चर्चा नहीं हुई। मामला सिर्फ उठा था एक तरफा, और एक तरफ जब बात कही जाए तो वह चर्चा नहीं कही जा सकती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य को मैंने उठाने की आज्ञा दे दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह जो 131 के अन्तर्गत जो इन्ग्रेडिएंट्स हैं 9, उसमें यह लिखा है कि किस पर आज्ञा दें, किस पर नहीं दें। उसके बाद जो आगे परन्तुक लिखा है इसमें सारा विवेक पर है, आप कुछ भी आज्ञा दे सकते हैं और आपने आज्ञा प्रदान कर दी। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : और इसलिये शब्द प्रोवाइडेड भी लिखा है। 9 पाइण्ट्स के बाद शब्द प्रोवाइडेड है, माननीय विद्वान वकील समझें कि प्रोवाइडेड शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : चर्चा का मतलब होता है आपस में प्रश्न हो और उत्तर हो और प्रश्न और उत्तर इस मामले में हुए नहीं, एक तरफा कोई बात कही गयी थी और वह चर्चा नहीं कही जा सकती है।

श्री संयम लोढ़ा : तो मुख्य मंत्री की जासूसी के सवाल पर जवाब हुए थे क्या? मुख्य मंत्री ने जो जासूसी करवायी थी, मंत्रियों की, उस पर सवाल जवाब हुए थे क्या। जवाब दिया सरकार ने?...(व्यवधान) तब तो हो गया कि सदन में चर्चा हो गयी, अब नहीं उठाया जा सक़ता...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते समय सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया और दूसरे दिन पर्ची के माध्यम से वापस वही विषय उठाया...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : एक भी आदमी ने कहा क्या मैंने रिश्वत नहीं खायी। (व्यवधान) और सी.आई.डी. में रोने लग गये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अपराध संख्या 82/2004 के अन्तर्गत धारा 7 व 13 पी.सी. एक्ट, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। परिवादी श्री रणवीरसिंह पुत्र श्री नफेसिंह, उम्र 42 वर्ष। नाम आरोपित-श्री गुलाबसिंह शक्तावत, पूर्व गृह मंत्री, श्री तकीउद्दीन अहमद, पूर्व यू.डी.एच. मंत्री, श्री छोगाराम बाकोलिया, पूर्व यू.डी.एच. मंत्री। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो कमेण्ट्स, सुनिये सुनिये, नो कमेण्ट्स, बैठे-बैठे, कोई कमेण्ट्स नहीं करेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्री राजेश्वर महावर, सदस्य, जे.डी.ए., श्रीमती मिनी सिद्धू, श्री दामोदर थानवी, पूर्व निशक्तजन आयुक्त, श्री रामेश्वर दाधीच और श्री कंवरसेन गहलोत। प्राथमिक जांच संख्या 23/2004, 26.4.2004, दर्ज एफ.आई.आर. 82/2004, 28.4.2004.

दिनांक 24 अप्रैल, 2004 को श्री रणवीर सिंह द्वारा एक प्रेस कान्फ्रेंस में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भूतपूर्व सरकार के पूर्व मंत्रियों एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध रिश्वत मांगने व प्राप्त करने के आरोप लगाये गये। उन्होंने प्रमाण स्वरूप कुछ वीडियो दृश्य दिखाये जिनमें आरोपियों का उनसे रिश्वत प्राप्त करते व वार्ता करते दिखाया गया था। समाचार पत्रों में दिनांक 25.4.2004 को यह प्रकरण प्रकाशित हुआ। जिसके आधार पर ब्यूरो द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 23/4 दर्ज की जाकर जांच प्रारम्भ की गयी। जांच के दौरान श्री रणवीरसिंह द्वारा वीडियो कैसेट की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयीं। जिन्हें जांचकर्ता द्वारा देखा गया तो आरोपितगण द्वारा विभिन्न स्थानों पर रणवीरसिंह से रुपये प्राप्त करना, कैसेट में प्रदर्शित होना पाया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा रिश्वत की राशि का आदान-प्रदान देखे जाने पर और प्राथमिक जांच से श्री रणवीरसिंह द्वारा दर्ज कराये कथनों के आधार पर मुकदमा नम्बर 82/4, अन्तर्गत धारा 7 व 13, पी.सी. एक्ट में दर्ज किया गया। एफ.आई.आर. में लगाये गये आरोप, श्री रणवीरसिंह का आरोप है कि ग्राम चैनपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 34 से 43 222/43, 223/43 222 और 224 की कुल भूमि 49 बीघा 10 बिस्वा में से 23 बीघा 16.5 बिस्वा जो राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गयी थी और जे.डी.ए. द्वारा एयरपोर्ट प्लाजा के नाम से व्यवसायिक थीम प्रसारित थी। साई दर्शन होटल व मोटल्स नामक कम्पनी, जिसमें रणवीरसिंह डाइरेक्टर है द्वारा इस भूमि में से 23 बीघा 16.5 बिस्वा की एवज में मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार क्रय कर लिया गया था। यू.डी.एच. विभाग द्वारा उन्हें इस स्कीम में प्लाट नम्बर 7, क्षेत्रफल 9 हजार वर्गमीटर के आबंटन सम्बन्धीं आदेश किये गये थे। इस सम्बन्ध में 3 भिन्न-भिन्न आदेश पारित किये गये। पहले आदेश में क्रमांक 6/16, नगर विकास प्रन्यास 3/3, दिनांक 12.5.2003 द्वारा स्वीकृति जारी की गयी। उसी दिन दूसरा आदेश जिसमें अंकित था कि यदि भूमि से सम्बन्धित कोई वाद न्यायालय में चल रहा है तो प्रार्थी द्वारा वापस लेने के बाद ही आबंटन की कार्यवाही की जाए। इस आदेश के विरूद्ध उन्होंने राज्य सरकार से गुहार की जिस पर यू.डी.एच. सचिव द्वारा सम संख्या आदेश 19.5.2003 को जारी किये गये। उसमें यह शर्त लगायी गयी थी कि न्यायालय में इस भूमि से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित हों तो उसे विदड्रा करने का शपथ-पत्र देकर प्रार्थी को 23 बीघा 16.5 बिस्वा भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि का प्लाट नम्बर 7, 9 हजार वर्ग मीटर एयर पोर्ट प्लाजा में आबंटित करने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। 23 जून, 2003 को श्री एन.सी. गोयल, नगर विकास सचिव द्वारा फैक्स जारी कर उक्त तीनों आदेशों की क्रियान्विति अग्रिम आदेश तक स्थगित किये जाने के आदेश जारी किये गये। इस बारे में परिवादी ने तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री श्री तकीउद्दीन से सम्पर्क किया तो उन्हें सलाह दी गयी कि 15 प्रतिशत विकसित भूमि देने के मामले में एक मंत्रिमण्डलीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समिति गठित की गयी है जिसमें 5 सदस्य होंगे, श्री प्रद्युम्न सिंहजी, श्री गुलाब सिंहजी, श्री छोगाराम बाकोलिया, श्री तकीउद्दीन और श्री चन्द्रभान होंगे। श्री तकीउद्दीन ने यह भी कहा कि रणवीरसिंह सी.एम. सालब से बात कर लें तो सी.एम. साहब चाहेंगे, वही होगा। पर अब यह काम सीधे होने वाला नहीं है तथा उन्हें पूरा शक है कि उनका प्लाट हाइ-पावर कमेटी से निरस्त होकर उसी व्यक्ति को कम दर पर रिश्वत की राशि लेकर दिया जाएगा जिसे 18 हजार वर्ग मीटर भूमि मात्र 18 सौ रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से दी गयी थी। परिवादी के अनुसार श्री तकीउद्दीन ने कहा कि यह हमारे मुख्य मंत्री से सेटिंग कर लेते हैं तो कमेटी के शेष सदस्य जिसमें स्वयं तकीउद्दीन शामिल थे, डाक्टर चन्द्रभान तथा हीरालाल इन्दौरा से फेयर करा लेंगे। इस एवज में पैसे देने पड़ेंगे। क्योंकि थोड़े ही दिन बाद चुनाव हैं। इस बात पर तकीउद्दीन से उनके स्वयं और समिति के अन्य सदस्यों के लिये 20 लाख रुपये का सौदा हुआ। श्री तकीउद्दीन ने यह भी कहा कि श्री गुलाबसिंह, श्री प्रद्युम्नसिंह से वह ही बात कर लें क्योंकि उनकी श्री तकीउद्दीन से पटती नहीं है। श्री रणवीरसिंह ने यह भी बताया कि उसके बाद उन्होंने मुख्य मंत्री से सम्बन्ध रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों से सम्पर्क साधा जिसमें सर्वप्रथम श्री राजेश्वर महावर थे जो जे.डी.ए. में नान एम.एल.ए. सदस्य थे। उन्होंने श्री महावर को अपने घर पर बुलाया तथा काशीपुरी योजना से सम्बन्धित समस्त जारी आदेश दिखाये तथा सौदेबाजी की बातचीत की। उन्होंने अपने मित्र राजेन्द्र उर्फ चेला से एक प्रकरण में 25 हजार रुपये दिये समस्त विवरण कैसेट में दर्ज है। तत्पश्चात् श्री तकीउद्दीन को 20 लाख देने का सौदा रणवीरसिंह और उसके, तकीउद्दीन के मध्य में तय हुआ तथा उस सम्बन्ध में श्री तकीउद्दीन को रणवीर द्वारा अपने घर पर बुलाया गया जहां उन्होंने 2.5 लाख रुपये राजेन्द्र उर्फ चेला के की फाइल के सम्बन्ध में दिये। इस मीटिंग में श्री तकीउद्दीन के पुत्र नकीउद्दीन भी उपस्थित थे। साई दर्शन होटल ओर मोटल्स को जो 15 प्रतिशत विकसित भूमि दी थी उसके लिये 20 लाख रुपये की मांग की गयी। इस मीटिंग में श्री तकीउद्दीन द्वारा एक अन्य प्रकरण में 15 लाख का सौदा होने तथा उसमें से 3 लाख रुपये प्राप्त करने की स्वीकोरोक्ति भी की गयी। श्री रणवीरसिंह उसके बाद मिनी सिद्धू नामक एक महिला से मिले जिसके माध्यम से श्री गुलाबसिंह शक्तावत से भेंट की। उन्होंने मिनी के मार्फत 2.5 लाख रुपये श्री गुलाबसिंह शक्तावत को सरकारी मकान पर दिये तथा बाद में मिनी के मार्फत श्री गुलाबसिंह शक्तावत को मिनी के घर पर बुलाकर काशीपुरा योजना के सारे कागजात दिखाये गये और रिश्वत की राशि तय हुट 2 लाख रुपये दिये जो स्वयं गुलाबसिंहजी की मौजूदगी में मिनी सिद्धू द्वारा लिये गये। इसी प्रकार फील्ड फायरिंग रेंज के एक काल्पनिक सौदे की बातें करते 50 लाख रुपये रिश्वत देने का प्रस्ताव रणवीरसिंह की ओर से रखा गया जो मिनी सिद्धू ने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया। इसमें रुपयों का लेन-देन नहीं हुआ। उपरोक्त वार्तालाप की व 2 लाख रुपये स्वीकार करने की कैसेट तैयार की गयी। उसके बाद रणवीरसिंह द्वारा श्री छोगाराम बाकोलिया को मिनी सिद्धू के माध्यम से अजमेर रोड स्थित फार्म हाउस पर भी बुलाया गया जहां एक लाख रुपये उसी समय दिये। फिर छोगाराम ने सरकारी बंगले पर मिनी की मध्यस्थता में एक लाख रुपये देने की वार्ता भी टेप में दर्ज है।

परिवादी के अनुसार तत्पश्चात् उन्होंने दामोदर थानवी, तत्कालीन अशक्तजन आयुक्त के घर, अपने घर बुलाया और मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग कराने के बारे में वार्ता की। उन्होंने श्री थानवी से फील्ड फायरिंग रेंज की भूमि में एक काल्पनिक प्रकरण के बारे में भी बात की जिसमें उन्होंने 14 परसेन्ट विकसित भूमि देने के बदले रुपयों की मांग की। श्री रणवीर सिंह द्वारा सूत्र ढूंढकर जोधपुर जाकर श्री रामेश्वर दाधीच तथा तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत के भाई श्री कंवरसेन गहलोत से बात की। अब तक किया गया अनुसंधान:-

ब्यूरो द्वारा लगभग 45 व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये तथा सभी आरोपियों के बयान दर्ज किये गये। सभी आरोपियों ने आरोप से इनकार करते हुए कैसेट की विश्वसनीयता को नकारा। मूल कैसेट्स एफ.एस.एल. को भेजकर वार्तालाप के ट्रांसक्रिप्शन और विश्वसनीयता के सम्बन्ध में कुछ बिन्दुओं पर रिपोर्ट चाही गयी। अभी तक ट्रांसक्रिप्शन, आंशिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है। शेष रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। सभी आरोपियों ने मिलान हेतु आवाज का नमूना देने से इंकार किया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अनुसंधान के दौरान यू.डी.एच. और जे.डी.ए. की सभी पत्रावलियां और दस्तावेज प्राप्त कर लिये हैं और परीक्षण किया जा रहा है। एफ.एस.एल. की रिपोर्ट प्राप्त होते ही अनुसंधान शीघ्र किया जाएगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से पूर्व सम्बन्धित वीडियो कैसेट प्रकरण में निम्नलिखित रायत प्राप्त हुई है—

वार्तालाप का हिन्दी लिपि में रूपान्तरण प्राप्त हो चुका है। कैसेट में दर्शाये गये आरोपित व्यक्तियों द्वारा उच्चारित शब्दों, वाक्यों और होठों और शरीर के अंगों का संचालन में साम्य पाया गया है। वर्तमान में एफ.एस.एल. से निम्नलिखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट वांछित है-

इस प्रकरण से सम्बन्धित वीडियो कैसेट में कोई एडिटिंग प्रक्रिया तो नहीं हुई है? इस कैसेट में कोई भाग ऊपर से अपलोपित या मिश्रित तो नहीं किया गया है:

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तकनीकी संसाधनों की कमी से देरी हो रही है। एफ.एस.एल. द्वारा विशेष साफ्टवेयर प्राप्त करके तकनीकी रिपोर्ट पेश की जाएगी।

मैं सोचता हूं कि इन बिन्दुओं पर जांच अभी तक उसमें जो जांच हुई, केवल उनके होठों का, जिस प्रकार का जो कैसेट में वाइस है इन दोनों का मिलान हुआ है बाकी इसमें कोई एडिटिंग या और कोई चीज तो नहीं हुआ, उसकी जांच अभी बाकी है। इस सारी जांच होने के बाद मैं सोचता हूं कि इस प्रकरण के बारे में जो अपराधी हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही हो सकेगी।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 अप्रैल, 2004 का दिन प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जब एक व्यक्ति ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि तीन मंत्रियों और अन्य लोगों ने रिश्वत मांगी और एक वीडियो कैसेट बतायी गयी। प्रेस कान्फ्रेंस में उसमें नोट गिनते हुए (व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण कैसे दे रहे हैं?

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठिये, आप बैठिये। इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप आसन का काम करने लग जाते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपको क्या तकलीफ होने लग गयी? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आप भी उनसे मिले हुए हैं क्या? +++

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस वीडियो कैसेट में...

श्री अध्यक्ष : आप सब माननीय सदस्य...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आसन का संचालन यह कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? यह कहना तो पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ी हूं और आप खड़े हो रहे हैं। मैं तो आपका बहुत सम्मान करती हूं तो मुझे कुछ कहने तो दीजिए। आप यूं ही खड़े हो गये (व्यवधान)

सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों से मुझे निवेदन करना है कि प्रतिपक्ष का कोई व्यक्ति यदि खड़ा होकर कोई बात कहता है तो सुनने में क्या आपत्ति है? एक साथ आप इतने खड़े होकर आसन का काम करने लग जाते हैं। आसन सक्षम है अपना काम करने में। आपके असिस्टेंस की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि वे खड़े हो गये थे, मैं जवाब दे देती। माननीय सदस्य, प्रश्न के रूप में आपको कोई इन्फोरमेशन चाहिए तो वह आप इनसे पूछ लीजिए। प्रश्नों के रूप में पूछिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : वही पूछ रहा हूं, मैं तो दो मिनट तो बोलूंगा और उसके बाद तो पूछूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न के रूप में पूछो आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उस प्रेस कान्फ्रेंस में जो वीडियो कैसेट दिखायी गयी है उसमें पूर्व मंत्रियों के द्वारा रिश्वत मांगने के दृश्य दिखाये गये। रिश्वत लेते हुए उन मंत्रियों को दिखाया गया। नोट गिनते हुए उन मंत्रियों को दिखाया गया और जब यह सब जानकारी समाचार-पत्रों में पढ़ी तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति का सर शर्म से झुक गया। इससे यह सीधा सिद्ध होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनावों से ठीक पहले एक हाई पावर कमेटी बनायी जाती है और हाई पावर कमेटी बनाकर उसके माध्यम से करोड़ों रुपये लोगों से वसूल किया जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें यह तीन मंत्री ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें इन्वाल्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, होना तो यह चाहिए कि जो...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : एक मुलजिम आपका भी पकड़ा गया और जो दलाल स्ट्रीट में है (व्यवधान) उस मुलजिम को पकड़ा नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : वीडियो कैसेट में रिश्वत लेते हुए और नोट गिनते हुए जिन अभियुक्तों को बताया गया है, उनको कांग्रेस पार्टी...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : इनका रेवेन्यू बोर्ड का मैम्बर पकड़ा गया है। उसके साथ जो मुलजिम रहे हैं (व्यवधान) उनको गिरफ्तार करना चाहिए था...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : उनको पार्टी से निकाल देते कि कांग्रेस पार्टी उन नेताओं और उन मंत्रियों को उसी समय पार्टी से निकाल देती और यह कहते कि इसकी जांच की जाए परन्तु...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : गृह मंत्रीजी यह बताये कि उसमें कब गिरफ्तार करेंगे?

श्री कालीचरण सर्राफ : परन्तु कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन मंत्रियों को निकाला नहीं। तकीउद्दीन, गुलाब सिंहजी शक्तावत, छोगारामजी बाकोलिया, इनको कांग्रेस पार्टी से निकाला नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक राजनीतिक षड्यन्त्र के तहत यह किया गया। (व्यवधान) एक पार्टी की सरकार दिल्ली में है। इस तरह के कैसेट प्रकरण में वहां पर तो दूसरा स्टेंड लेती हैं और यहां पर दूसरा। वहां पर क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठिये।

श्री सी. डी. देवल : उसकी पत्नी को एम.पी. बना दिया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जांच होने से पहले ही मुकदमा दर्ज करवा दिया और अन्त में लोक सभा चुनावों में अखबारों में इतना बड़े-बड़े विज्ञापन निकाल दिये। किसी को अपराधी जब तक नहीं माना जा सकता जब तक वह साबित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां पर एफ.आई.आर. (व्यवधान) यह चर्चा केवल यहीं राजस्थान पर लागू होगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : वह पायी गयी, उसके कुछ तथ्य और कुछ वार्तालाप का इसका अंश मैं आपके सामने पढ़कर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (व्यवधान) आने वाले माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कालीचरण सर्राफ : जो वीडियो कैसेट दिखायी गयी उसके वार्तालाप के कुछ अंश मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। तकीउद्दीनजी से बात हो रही है। रणवीर की। रणवीर यह...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई इन्फोरमेशन लेना चाह रहे हैं या क्या चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं, यह क्या हो रहा है, साहब? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्फोरमेशन नहीं, स्पष्टीकरण।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठ जाइयें।

श्री संयम लोढ़ा : क्या स्पष्टीकरण?

श्री कालीचरण सर्राफ : इनके वक्तव्य को पढ़कर कोई स्पष्टीकरण मांगना चाहता है, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इन्फोरमेशन लेना चाहे तो ले सकते हैं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, 131 में स्पष्टीकरण चाह सकते हैं। आपको यहां यदि कोई स्पष्टीकरण चाहना है तो आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं स्पष्टीकरण ही पूछ रहा हूं, साहब मैं तो कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, इस वीडियो कैसेट में यह कहा गया कि यह झूठा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ध्यान आकर्षित कर दिया और गृह मंत्रीजी ने जवाब दे दिया उसके बाद यह क्या भाषण दे रहे हैं?

श्री कालीचरण सर्राफ : यह झूठा है, मैं चाहता हूं कि उस वीडियो कैसेट में जो वार्तालाप के कुछ अंश आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री सी. डी. देवल : माननीय गृह मंत्रीजी बता चुके हैं उसके बाद में यह किस प्रकार की बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : रणवीर पूछता है तकीउद्दीनजी से कि यह बात तो पक्की है कि सी.एम. साहब भी पैसा लेते हैं? तकीउद्दीनजी कह रहे हैं कि हां, हंड्रेड परसेंट पक्की है और फिर रणवीर कहता है कि फिर यह...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको मालूम नहीं है, 131 का...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : यह भाषण दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : क्या है साहब?

श्री सी. डी देवल : यह भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : 50 लाख दिये हैं आपके लिए। तकीउद्दीन, 50 लाख फिर इनका लड़का मोहसिन बोलता है कि झूठ बोल रहा है। रणवीर बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कितने पैसे दिये। अभी तक तीन दिये हैं यह शक कर रहे हैं इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप तो स्पष्टीकरण मांगो, स्पष्टीकरण कोई हो तो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यह तो लिखा हुआ है, सवाल पूछिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह इसमें वीडियो कैसेट की वार्तालाप बता रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : यह पूछें कि मंत्रीजी यह बतायें कि यह सही है क्या? पर यह बात तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण मांगो कोई।

श्री कालीचरण सर्राफ : रणवीर, टोटल ही तीन दिये हैं। बाद में कितने देंगे? बाद में देगा, जो देगा, हो गया उसका तो केस। रणवीर बोलता है कि इस भगत को देखो न (व्यवधान) जमीन दी सही या गलत दी। आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य, जिन्होंने नाम दिया था इसमें मोशन के लिए वह क्या कोई स्पष्टीकरण चाह रहे हैं तो आप खड़े हो।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं दो-तीन प्रश्न पूछता हूं। साहब, दो-तीन प्रश्न पूछता हूं। दो-तीन क्वेश्चन पूछ लेता हूं। पहला प्रश्न है मेरा कि हाई पावर कमेटी कब बनायी गयी। इसको बनाने के क्या कारण थे? चार साल कमेटी क्यों नहीं बनायी गयी और चुनावों के ठीक पहले इस प्रकार की कमेटी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन तो मेरा यह है।

दूसरा है कि क्या यह सही है कि अभियुक्तों ने कैसेट की विश्वसनीयता को नकारा है? यदि हां, तो क्या ब्यूरो ने कैसेट्स की एफ.एस.एल. रिपोर्ट, एफ.एस.एल. को भेजकर इसकी विश्वसनीयता की जांच करने को कहा है? और यदि हों, तो एफ.एस.एल. ने क्या रिपोर्ट दी? उसकी जानकारी सदन के पटल पर रखी जाए। क्या यह भी सही है कि अभियुक्तों ने उनकी वाइस टैस्ट करवाने से इन्कार किया है और क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि दाल में कुछ काला है? और वाइस टैस्ट करवाने के लिए ब्यूरो क्या कार्यवाही कर रहा है? मेरा लास्ट क्वेश्चन यह है कि...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है यह?

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं? राव राजेन्द्र सिंहजी आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है मेरा।

श्री अध्यक्ष : राव राजेन्द्र सिंहजी, आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री कालीचरण सर्राफ : एक क्वेश्चन और है मेरा, प्लीज (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पूछ रहे हैं, यह तो माननीय गृह मंत्रीजी बता चुके हैं। बार-बार यह क्या पूछ रहे हैं।

(14.30 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पूछ रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : राजनीतिक फायदा उठाने के लिये ही बात कर रहे हैं। राजस्थान की जनता आपको अच्छी तरह समझ चुकी है।

श्री मदन दिलावर : हम तो काम करेंगे...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : कोई काम नहीं हो सकता आपसे। करते तो फिर बंगारू लक्ष्मण को हटाते। जार्ज फर्नांडीस को हटाते। उस दिलीप सिंह जूदेव को हटाते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) राव राजेन्द्र सिंह। बाकी सदस्य बैठ जायें। बाकी सदस्य बैठ जायें। पहले जो मोशन दिया है उनका...(व्यवधान) नहीं तीन ने दिया है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप बिराजें। राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उनका मोशन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कोई स्पेसिफिक बात है वह करिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस इन्वेस्टीगेशन के और गृह मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह भी मालूम पड़ता है कि इस इन्वेस्टीगेशन के दरम्यान ऐसे रिलेटेड मैटर भी सामने आये हैं जो इस सी.डी. में कवर नहीं हुए हैं। जैसे गृह मंत्रीजी के वक्तव्य में आया है कि पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने 18 हजार गज जमीन मात्र 1800 रुपये में जो 12-13 हजार रुपये गज की थी वह दे दी क्या वह बात भी इन्वेस्टीगेशन करेंगे या नहीं करेंगे? यह जांच के अन्दर आया है। और भी कई प्रकरण आये हैं जो सी.डी. में नहीं है। लेकिन यहां गृह मंत्री महोदय के वक्तव्य में है क्या इन प्रकरणों की भी जांच होगी? इसमें भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है। एक-एक बिन्दु पर जांच होनी चाहिये। सी. डी. पर क्या देखा जा रहा है वह ही नहीं, जो कहा जा रहा है उस पर भी जांच होनी चाहिये। उसकी सत्यता को भी प्रमाणित करना चाहिये। गृह मंत्री यह बात भी बतायें।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी। (व्यवधान) पहले जिन्होंने मोशन दिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है कि इस विधान सभा में किसी भी वक्तव्य के बारे में, जो राजस्थान में पिछली सरकार के भ्रष्टाचार मामले उजागर होने लग रहे हैं और प्रतिपक्ष के हमारे सारे साथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि हम भी जब विधान सभा में उधर बैठते थे तो कई बार आरोप लगा देते थे और हमारे सामने प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हैं, इनका भी थोड़ा

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सा, माननीय अध्यक्षजी जो राजाखेड़ा से आये हुए हैं, बजट लीक हुआ था तो इनका भी नाम इसमें है। (व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : बात नहीं, प्रश्न पूछिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय गृह मंत्रीजी ने जो इसमें कहा है, इसमें जो रिपोर्ट आई है एफ.एस.एल. की तो इस एफ.एस.एल. की रिपोर्ट को कितने समय में मंगवाएंगे? और इसमें गिरफ्तारी, क्योंकि एक ऐसा मामला है कि आज गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में यह चर्चा चल रही है कि तीन टीम, एक सरकार के मंत्री किसी प्रकरण में जांच के घेरे में आये हैं और तीन-तीन महीने का समय लग जाये तो लोगों में इस न्याय के प्रति, पुलिस जो कार्यवाही कर रही है उसके प्रति लोग कहते हैं कि इन नेता लोगों के प्रति जितने भी चार्जेज लगते हैं यह सारे बच जाते हैं क्योंकि इस सरकार में इनका बचाव होगा। मेरा गृह मंत्रीजी से यही कहना है इसमें कितने समय में इस जांच प्रकरण को पूरा करके जो जो दोषी हैं। इसमें पूर्व मुख्य मंत्रीजी का नाम भी आया हुआ है, उनके भाई का भी नाम आया हुआ है और जो जमीन जिस तरह राव राजेन्द्र सिंहजी कह रहे हैं कि 18 हजार रुपये गज की जमीन को 1800 रुपये में बेच दिया। ऐसे और भी प्रकरण इसमें आये हैं इनकी सबकी जांच होनी चाहिये और इसमें पूर्व मुख्य मंत्री हो चाहे जो भी इसमें दोषी हो, उनको सजा मिलनी चाहिये। यही माननीय गृह मंत्रीजी से आपके मार्फत निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जुबेर खान। पहले स्थान ग्रहण करें। आपने मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं इसके बारे में। मंत्रीजी का वक्तव्य आने के बाद वह सदस्य, जिसने सूचना दी है और कोई अन्य सदस्य, जिसने अध्यक्ष को पूर्व प्रज्ञापना दी है, मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाह सकते हैं परन्तु कोई विचार विमर्श नहीं होगा लेकिन...

डा. बुलाकीदास कल्ला : और कोई नहीं कर सकता?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, आप बहुत जल्दी करते हैं। (व्यवधान) लेकिन इस नियम में छूट देते हुए मैं प्रतिपक्ष के दो माननीय सदस्यों को भी क्लियरिफिकेशन मांगने की आज्ञा प्रदान करती हूं।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सवाल मंत्री महोदय से (व्यवधान) सुनिये, सुनने से पहले ही। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अब जब मैंने व्यवस्था दे दी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपने व्यवस्था दे दी पहले, वह शिरोधार्य है। मैं तो केवल आपके ध्यान में लाने के लिये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी व्यवस्था के ऊपर पाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का सवाल उठाया था और उसका आसन की तरफ से जो व्यवस्था हुई थी वह केवल मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद में प्रक्रिया 19.3 को श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने के समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया। अभी तक सदन की परम्परा यह रही है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर देते हैं और माननीय मंत्री महोदय उसका वक्तव्य देते हैं। उसके बाद अगर माननीय सदस्यों को उस पर कुछ जानकारी करनी हो, सवालात पूछने हों तो वह पूछ सकते हैं लेकिन भाषण नहीं होते। अगर नियमों के विपरीत इस तरह हाउस का संचालन होगा तो बहुत कठिनाई सामने आने वाली है। इस तरह की नई परम्पराएं डाली जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले मंत्री महोदय का स्टेटमेन्ट आ जाए।

एक माननीय सदस्य : आ गया न। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसके बाद जिन माननीय सदस्यों ने काल अटेंशन नोटिस दिया वह सवाल पूछ सकते हैं। इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी। मैं कहना चाहता हूं कि नियम 131 में जिस प्रकार से काल अटेंशन एक्जीक्यूशन किया जा सकता है, उसके लिये व्यवस्था है। व्यवस्था इस प्रकार है कि माननीय सदस्य पहले ध्यान आकृष्ट कर दें, उसके बाद मंत्री महोदय का वक्तव्य हो जाये फिर अगर कोई माननीय सदस्य सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इसलिए पहले मंत्री महोदय से वक्तव्य हो जाये फिर आप बोलना चाहें तो बोल लें। इसलिए...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल : इसमें नई बात आपने क्या की है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या है नई बात? (व्यवधान)

श्री बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी ऐसे 6 मामले हैं। मुझे रोजाना धमकाया जा रहा है। मेरी जान को खतरा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 6 मामले हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या आपका नाम था क्या? इसमें आपका इस मोशन पर नाम था क्या? (व्यवधान)

श्री बीरूसिंह राठौड़ : मुझे धमकाया जा रहा है। मैं 6 नाम बताना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बता दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं यह? (व्यवधान)

श्री बीरूसिंह राठौड़ : बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में जमीन के 6 घोटाले हैं मेरे को धमकाया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : नाम बोल दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कोई भाषण की बात नहीं करके पिन पाइंटेड आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। एक तो जमीन के बारे में जिस तरह आपने कहा है सी.डी. बनी। इस जमीन के प्रकरण में क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री कार्यालय से क्या कार्यवाही की गई थी इस फाइल के ऊपर? एक तो सदन को यह अवगत कराएं कि इसका अनुमोदन किया गया था, इसको रोक दिया गया था। दूसरा मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : You can only seek information, not to give information. You can seek information.

श्री जुबेर खान : एक आप यह बताइये रणवीर सिंह, जिसका आपने एफ.आई.आर. में हवाला दिया है कई बार, क्या यह टर्मीनेटेड कर्मचारी है हरियाणा सरकार का और क्या इसका ब्लैकमैल और भूमाफिया का धंधा है? जैसा कि काफी अखबारों के माध्यम से आया है। क्या सरकार जिस तरह केन्द्रीय सरकार ने तहलका डाट काम और जूदेव टेप का सत्यापन कराया था अच्छी लेबोरेट्री से, क्या राज्य सरकार इस सी.डी. का भी सत्यापन उस केन्द्र सरकार के आधार पर कराने का विचार रखती है या नहीं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि राजस्थान की पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अन्तिम 9 महीनों में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह इस प्रकार की जो विवादित भूमि है जिनके कोर्ट में केसेज चल रहे हैं। केवल सामने वाला पक्ष कोर्ट में केस विदड्रा करे तो यह समझौता समिति उस पर निर्णय करे। इस समझौता समिति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के बनने के बाद ही यह सारे के सारे प्रकरण तैयार हुए हैं, इसमें जिनके नाम पर एफ.आई.आर. है उनकी वाइस टैस्ट करने के लिये उनसे कई बार आग्रह किया लेकिन उन्होंने बिलकुल रिफ्यूज कर दिया कि वह अपनी वाइस का टैक्सट भी नहीं देना चाहते हैं। यह जो फाइल है, यह फाइल जब इस पर निर्णय हो गया और उसने एफेडेविट दे दिया जे.डी.ए. को कि मैं आपकी शर्तों के आधार पर मुकदमा विदड्रा करूं। उसने अपने मुकदमे विदड्रा भी कर लिये लेकिन उसके बाद भी इस फाइल को दो महीने तक सी.एम. साहब ने अपने पास मंगाकर पड़ रखी। उसके बाद जाकर यह सारे के सारे यह सौदे और प्रकरण तय हुए हैं। यह उसके बाद की प्रक्रिया से तय हुए हैं, और अब तक जो एविडेंस मिली है और डिपार्टमेंट की जो अब तक की जानकारी है उसमें अपराध होना अब तक की जांच से प्रमाणित होता है। कुछ चीजों की जानकारी और है जो माननीय सदस्य चाहते हैं। मैंने वह कहा है क्योंकि इसमें कहीं एडीटिंग तो नहीं हुई, किसी बात की और कोई इसमें मिलावट तो नहीं की। इन दो बातों के टैस्ट के लिये किसी मशीन को मंगाया है, मशीन आने के बाद इस चीज का भी टैस्ट होगा। अब तक के टैस्ट से तो यह लग रहा है कि यह अपराध घटित हुआ है। जो कुछ भी लेन-देन हुआ, वह भी घटित हुआ है। यह बात तय होने के बाद भी इस बारे में शत-प्रतिशत दोषी है, यह प्रमाणित होगा।

श्री जुबेर खान : गृह मंत्रीजी, मैंने रणवीर सिंह के बारे में पूछा था।

श्री ओम बिरला : अब माननीय गृह मंत्रीजी ने बता दिया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : ऐसे भ्रष्टों को तुरन्त गिरफ्तार करो।

श्री हेमराज मीणा : गिरफ्तार करो।

श्री भवानी सिंह राजावत : गिरफ्तार करो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रणवीर सिंह के बारे में मेरी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : गिरफ्तार करिये। गृह मंत्रीजी, इस प्रकार के लोग लोकतंत्र के नाम पर धब्बा हैं और इस प्रकार के जो अभियुक्त हैं, चाहे कितने भी बड़े आदमी हों उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री जुबरे खान : गृह मंत्रीजी का जवाब सुनना नहीं चाहते क्या आप? गृह मंत्रीजी पर इतना दबाव सदन की आवश्यकता क्या थी, वहीं बना लेते न अपने कार्यालय में? (व्यवधान) गृह मंत्रीजी पर आप क्यों दबाव बना रहे हो इतना? मंत्री महोदय कुछ बोल रहे हैं और आप दबा रहे हैं उनको।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसे जो भ्रष्ट मंत्री थे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, आपके मंत्री जवाब दे रहे हैं और आप खड़े हो जाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है, इस बात में मुख्य मंत्री कार्यालय का नाम भी आया है। और इस तरह से जो समझौता समिति में और जो केसेज इसी प्रकार के हुए हैं, उनको भी एक बार फिर से देखेंगे क्या वास्तव में वह ठीक ढंग से थे या किसी प्रकार से पैसे ले देकर उन सारे केसेज का निर्णय हुआ है, इसको भी निश्चित रूप से फिर से देखा जायेगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : रणवीर सिंह के बारे में बताएं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : गृह मंत्रीजी, रणवीर सिंह की बैक ग्राउंड तो बताइये। रणवीर सिंह क्या आदमी है, क्या है इसके बारे में तो कुछ बताइये सदन को। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रणवीर सिंह के बारे में मेरी जानकारी नहीं है।

श्री भवानी सिंह राजावत : गृह मंत्रीजी, मेडिकल कालेज सी.डी. प्रकरण में अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रणवीर सिंह के बारे में मेरी जानकारी नहीं है कि उनकी सर्विस कहां थी, क्या थी? न मैं रणवीर सिंह को ठीक प्रकार से जानता हूं, न मेरे से कभी उनका मिलना हुआ। इतना जानता हूं, एफ.आई.आर. जो मेरे पास दर्ज है...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इनको आप कब तक गिरफ्तार करेंगे।...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : साधारण लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अगर कोई पटवारी रिश्वत लेता है तो उसको सस्पैंड कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई। 131 पर चर्चा समाप्त श्री घनश्याम तिवाड़ी अनुदान की मांग रखेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 39,85,61,21,000/-(उनतालीस अरब, पिच्चासी करोड़, इकसठ लाख, इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सिम्मलित है, प्रदान की जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक डिमाण्ड और भी है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी भी कर दीजिये।

मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन की प्रस्तुति

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,35,30,82,000/-(एक अरब पैंतीस करोड़ तीस लाख बियासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 24 व 6 पर विचार

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आप मांग संख्या 24 और मांग संख्या 6 पर चर्चा करना चाहता हूं। मान्यवर, मानव जीवन में शिक्षा का जो महत्व है वह सब को विदित है। वास्तव में शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। हमारी सरकार के लिए, मुख्य मंत्रीजी के लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में शिक्षा के लिए जो प्रावधान इस बजट में किया है। 700 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 400 उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत करना, 200 माध्यमिक शालाओं को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करना यह वास्तव में ही सराहनीय कदम है और शिक्षा के प्रति सरकार की सजगता का प्रतीक है, द्योतक है।

(14.13 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री बत्तीलाल)

मैं मेरे क्षेत्र टोडाभीम के बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्वी राजस्थान का टोडाभीम बहुत बड़ा कस्बा है और नगरपालिका है लेकिन करौली जिले में जितने भी नगरपालिका हैं। सब में कालेज कर दिये गये हैं और टोडाभीम नगरपालिका के अन्दर अभी तक कालेज नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी महारानी वसुन्धरा राजेजी जब इलैक्शन में पधारी थीं तो उन्होंने स्वीकार किया था और कहा था कि इलैक्शन है इसलिए हम घोषणा नहीं कर सकते लेकिन मैं यह स्वीकार करती हूं कि यदि हमारी सरकार आयी तो हम टोडाभीम के अन्दर कालेज करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि टोडाभीम के अन्दर कालेज किया जाए।

मेरी दूसरी मांग यह है कि कालेज के अलावा टोडाभीम क्षेत्र में, टोडाभीम कस्बे में एक माध्यमिक कन्या विद्यालय है, वहां पर करीब 600-700 बच्चियां शिक्षा अध्ययन कर रही हैं लेकिन वहां मात्र चार टीचर हैं। इतना बड़ा भारी उनके भविष्य के साथ खिलावाड़ किया जा रहा है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां जो शिक्षकों की कमी है उनको पूरा किया जाए ताकि हमारी बच्चियों का भविष्य उज्जवल हो सके।

हमारे जो विद्यालय हैं, नादौती के अन्दर सीनियर सैकण्डरी, गुढ़ाचन्द्रजी में सीनियर सैकण्डरी है वहां पर अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। विद्यार्थियों के अनुपात में जितने शिक्षक होने चाहिए वह शिक्षक नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर शिक्षकों की पूर्ति की जाए।

नांगल शेरपुर सीनियर सैकण्डरी के अन्दर एग्रीकल्चर या साइंस जैसी फैकल्टी खोली जाए जो कि वहां के स्थानीय जनता की बड़ी भारी मांग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो 400 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है बजट में, 200 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का जो प्रावधान रखा है वह जनता की मांग को देखते हुए बहुत कम है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस को बढ़ाया जाए क्योंकि पिछली सरकार ने शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया। यदि गांवों में आप दो हायर सैकण्डरी खोलेंगे, दो सीनियर सैकण्डरी खोलेंगे तो दस की मांग आ रही है। आज हरेक विधायक, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब की इस बात की ज्यादा मांग है कि ज्यादा से ज्यादा सीनियर सैकण्डरी खोली जाएं। मान्यवर, यदि आप 200 या 400 में से पूरे राजस्थान का बंटवारा करोगे तो वह बहुत कम पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शिक्षा बजट लें, चाहे और कहीं भी कमी हो जाए सब को सहन कर

(श्री बत्तीलाल)

सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कटौती करना मानवता के साथ खिलवाड़ है। अच्छा राज, कल्याणकारी राज की यह द्योतक है, यह प्रतीक है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को शिक्षित बनाए।

मैं महामहिम शेखावत साहब को इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारा जो साक्षरता का नीचा ग्राफ था, हिन्दुस्तान के नक्शे पर उसको बढ़ाकर उन्होंने बहुत ऊंचा पहुंचा दिया और साक्षर राज्यों की गिनती में हमें आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वह बहुत ही सराहनीय है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव के साथ पिछले टाइम में जो खिलवाड़ किया गया, इन राजीव गांधी पाठशालाओं में 1200 की तनख्वाह पाने वाला टीचर और गांव के लड़कों को पढ़ायेगा और वह खुद ही आठवीं पास, क्या गांव में पढ़ने वाले, ग्रामीण अंचलों में पढ़ने वाले, पेड़ों के नीचे पढ़ने वाले विद्यार्थियों से हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि इस हाई टैक्निकल एजुकेशन में वह उच्च काम्पीटिशन में पास हो सकेंगे? यह बहुत बड़ी साजिश है। कांग्रेस की जो नीति रही, जो गरीब-अमीर के बीच की खाई थी उसको उन्होंने बढ़ाया। उनकी एक सोची-समझी साजिश थी कि गरीब गरीब रहे, गांव-गांव रहे और कोई हम जो राज कर रहे हैं उसमें हमारी तरफ देख नहीं सके।

मैं जानना चाहूंगा कि आज जब देश में तरह-तरह के इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, हाई टैक्नोलोजी के सेण्टर हैं, स्कूल हैं उन गांवों के लड़कों को आप क्या बनाना चाहते हो? वह कैसे काम्पीटिशन करेंगे इस आधुनिक युग में, इन शहरों में रहने वाले लड़कों से, इन बड़े-बड़े अफसरों के लड़कों से, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लड़कों से? मेरा आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है कि यह पूरे राजस्थान के ग्रामीण अंचलों की मांग है कि इन स्कूलों को शीघ्र बन्द किया जाए। जब टीचर ही इस तरह के होंगे तो आप बताइए वह क्या शिक्षा देंगे, कैसे कंपीटिशन करेंगे? जिस मकान की नींव कमजोर होती है, मान्यवर, उस पर कैसे महल खड़ा किया जा सकता है। आप क्या सपना देख रहे हो उनको पढ़ा करके? तो मेरा तो, जो भी कुछ इनकी भावना रही हो, चाहे किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने की रही हो, चाहे किसी नेता को नवाजने का मामला हो, या फिर किसी कार्यकर्ता को सर्विस देने का मामला हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। पर इस तरह का खिलवाड़ जो हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों के साथ किया जा रहा है वह बिलकुल नाजायज है। वह बन्द होना चाहिए।

आज न्याय पर चर्चा है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री बत्तीलाल)

तहसील नादौती में मुन्सिफ कोर्ट नहीं है। हिण्डौन में हमारा मुन्सिफ कोर्ट था उसको उठाकर महावीरजी ले आए और नादौती के नाम से महावीरजी खोल दिया। इसलिए कि जूडिशियल अफसर, कोई हाई लेवल का अफसर जाए उनको सेल्यूट देने के लिए एक मुन्सिफ वहां खड़ा रहे जबकि साठ सत्तर मील से वहां लोग न्याय प्राप्त करने जाते हैं। सैंकड़ों की तादाद में रोज जाते हैं। वहां किसी तरह के आवागमन के साधन नहीं हैं। किसानों को बहुत परेशानी होती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो कोर्ट हमारे नादौती के नाम से महावीरजी में चल रहा है उसको आप नादौती के अन्दर लाएं। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

मेरा अनुरोध है कि राजीव पाठशाला जो हमारे बच्चों के लिए अभिशाप है, यह स्लो पाइजन ग्रामीणों को दिया जा रहा है इसको आप बन्द करें। इसका रिजल्ट यह होगा कि भविष्य में जाकर गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर अमीर बन जाएंगे। जब लोग इस तरह की उच्च शिक्षा नहीं पढ़ सकें, यह प्रजातंत्र है इसमें सबको समान अधिकार होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। यह कौनसा समानता का अधिकार है? कोई आठवीं पास टीचर से अपने बच्चों को पढ़ा लेगा? नहीं पढ़वा सकता। तो यह खिलवाड़ बन्द की जाए।

मैं आपसे बार-बार अनुरोध करते हुए कि टोड़ाभीम में कालेज खोला जाए हमारा मुन्सिफ कोर्ट जो महावीरजी में चल रहा है वह नादौती में लाया जाए। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उनकी पूर्ति की जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : उपाध्यक्षजी, आपके द्वारा मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज से पन्द्रह वर्ष पहले सरकारी स्कूलों का अच्छा प्रभाव था और आज पन्द्रह साल के बाद प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अध्यापकों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों में एक भी बी.एड. किया हुआ मास्टर नहीं होता है सब आठवीं पास हैं तो वहां तो सारे पढ़ना चाहते हैं और जो बी.ए. एम.ए. हैं वहां पढ़ना नहीं चाहते। यह मंत्रीजी से हम पूछना चाहते हैं जवाब में बताओगे कि इसका क्या कारण है। कोई उनके पास न्याय की किताब है क्या जो वह पढ़ाकर पास करवा दें और जो अच्छे पढ़े हुए हैं। आप इसको मजाक में मत लीजिए, इसको देख लो गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल में 4-400, 5-500 बच्चे हैं और जो एम.ए. बी.एड. मास्टर हैं

(श्री सुन्दर लाल)

उनके पास 2-200 बच्चे हैं और जितने भी शिक्षक हैं उनके सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो फिर इनमें पढ़ेगा कौन।

यह तो पांबदी करो जब आपके बच्चे ही इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं तो आप तनख्वाह किस बात की लेते हो। हर जगह प्राइवेट स्कूल चल रही है। मास्टर सौ में से साठ प्रतिशत तो राजनीति करते हैं, साठ पर्सेण्ट तो चमचागिरी में रहते हैं वह कहीं नहीं जाते हैं। वह एम.एल.ए. और प्रधान को राम राम करता रहता है और कहीं नहीं जाता है। और फिर उनकी कहीं बदली कर दें तो गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। जब किसी भी पार्टी का चुनाव हो तो सारे मास्टर भाषण देते फिरते रहते हैं। तो आप सक्षम हो, इस बात में कुछ करके दिखाओ। राम रमी करने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप यह तो सोचो कि प्राइवेट स्कूलों में क्या है ऐसा जो सारे पास हो जाते हैं और (व्यवधान) आप रुको एक बार, भूंगड़ा खिलाकर राजी करते हो। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी इस पर ध्यान दें और गांव में इन्सपैक्टर और शिक्षा अधिकारियों को यह कहे कि पांच पांच साल तक कोई चैक नहीं करता है। और हमारे जो हरियाणा के टीचर हैं वह तो थोक में जाते हैं। मतलब शुक्रवार को जाते हैं और मंगलवार को आते हैं। मेरे क्षेत्र में 250 अध्यापक हरियाणा के हैं। पहले एक बार हरिदेव जोशी के टाइम में निर्णय हुआ था शिक्षा के अलवर, झुन्झुनूं, चूरू, गंगानगर में हरियाणा के अध्यापक नहीं रखे जाएंगे फिर उसके बाद गोलमथोल हो गयी। रहते ही नहीं हैं वह। इससे क्या है कि हरियाणा बोर्ड़र पर वह अध्यापक रहते हैं तो हरियाणा कल्चर ही यहां हावी हो गया। अपन तो यहां स्टेशन बोलते हैं और वह सटेशन बोलते हैं। अपन स्टेज कहते हैं वह सटेज कहते हैं। तो यह भाषा ही उलटी करवा दी। इसलिए आप कम से कम भाषा तो ठीक करवाओ। हरियाणा की भाषा से मिलता जुलता ही मैं हूं, कहीं यह न सोचें कि नहीं हूं। लेकिन अपनी और उनकी भाषा नहीं मिलती है।

इसके बाद आप यह तो सोचें कि कौनसे स्कूल में अध्यापक है। जहां अध्यापक को सूट करे वहां तो डेपुटेशन पर रहते हैं और अध्यापक के सूट नहीं करे तो पूरे ही नहीं। सब्जैक्ट अध्यापक तो अंग्रेजी, संस्कृत सब्जैक्ट के तो आप रखो। सारा ही गोलमथोल कर रखा है। और अब पांच साल में ऐसा भट्टा बैठाया है कि एक बार मैं, राजेन्द्र राठौड़ मैं और किरोड़ीलालजी एक राजीव पाठशाला में गए तो मैंने कहा मास्टर कहां गया। तो बोले कि दूध बेचने गया। उसकी मां बैठी, बीस एक बच्चों को बैठा रखा गोरखड़ी भई गोरखड़ी, सासू छोटी बहू बड़ी। तो हमने कहा कि यह पढ़ाई कहां से आई यह तो हमने आज ही सुनी। इस तरह की तो पढ़ाई हो रही है राजीव पाठशालाओं में। कोई मतलब नहीं है।

(श्री सुन्दर लाल)

इसलिए आपसे मैं तो यही कहना चाहता हूं आप सक्षम हो। आपको मुख्य मंत्री ने बहुत सोच समझकर यह डिपार्टमैंट दिया है। मैंने तो मुख्यमंत्री को कभी धन्यवाद नहीं दिया लेकिन आज देता हूं कि आज इनकी भी परीक्षा हो जाएगी कि करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए आप इसमें एक तो अध्यापक जहां स्कूलों में नहीं हैं, उनमें लगना चाहिए और जिस अध्यापक का तीन साल से ज्यादा ठहराव है उस अध्यापक को वहां से हटाकर दूसरी जगह लगाना चाहिए। वह एक जगह रैठाण बना लेता है और वहां से वह हिलता ही नहीं है। बीस बीस साल तक एक अध्यापक एक ही जगह रहता है। मैंने एक अध्यापक से कहा कि तुम्हें कितने साल हो गए, बोला 18 साल हो गए। तो मैंने कहा कि तुम्हारी तो सारी उम्र यहीं निकल गयी। आंक सिखाते नहीं हैं, जाते ही सो जाते हैं। रात में तो खेतों में पानी देता है और दिन में स्कूलों में जाकर सो जाता है और दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह, सोलह-सोलह हजार रुपए तनख्वाहें लेता है। अक्षर एक सिखाता नहीं है, सारे लड़के प्राइवेट में चले गए। इसलिए इस शिक्षा का सत्यानाश मत करो। इस शिक्षा के ऊपर विचार करके आप यह करके दिखाओ, अगले साल प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं जाएं सरकारी स्कूलों में जाएं।

आज से बीस साल पहले यह कहा करते थे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आज कहते हैं मेरा प्राइवेट में पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल तो अच्छी हो गयी और जो चालीस अरब रुपये की स्कूलें चलती है यह स्कूलें खराब हो गयी। आज चालीस अरब की बताई है, मैं जब 1972 में एम.एल.ए. बना तब 35 करोड़ का शिक्षा पर खर्चा था और आज बता दिया चालीस अरब रुपये। यह कहां जाएगा, कौन पढ़ाएगा, क्या होगा इसका पता ही नहीं है।

इसके अलावा कहीं-कहीं तो पांच-पांच साल अध्यापक नहीं लगते हैं। मिडिल स्कूलें खोल दीं, पिछले साल थोक में खोली गयी। दो साल पहले एक भी नहीं लगा यहां मास्टर, स्कूलें खाली पड़ी हैं, कोई है ही नहीं। दस स्कूल तो ऐसी हैं कमरे ही नहीं बने, यों ही बैठे हैं। इसलिए आप इस बात पर विचार तो करो। इसके अलावा आप स्कूल खोलो, नीति मत बनाओ, यह नीति ने पहले गड़बड़ की है अब भी गड़बड़ कर देगी। इसलिए नीति मत बनाओ, जंचे तो करो, कायदे से करो। नीति में क्या है, कभी कहते हैं हम खोलेंगे नीति में। इसलिए आप जहां बच्चे हैं वहां स्कूल खोलें।

मैं मेरे क्षेत्र की कहता हूं एक तो बुहाना में कन्या का कालेज खोलें। मैंने मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन भी दे दी 42 तो पंचायतें हैं और मेरे क्षेत्र में पचास स्कूलें हैं दसवीं और बारहवीं की। सुन्दरलाल के क्षेत्र सूरजगढ़ में, लिख लो पचास स्कूलें हैं दसवीं और बारहवीं की। और कालेज है नहीं। पैसे की भी व्यवस्था नहीं है। कल आपने कहा

(श्री सुन्दर लाल)

भामासा, तो भामासा भी ला दूंगा मैं। पहले एक बार राजस्थान में सत्तर स्कूलें खुली थीं दो दो लाख रुपये, जिसमें अकेले 29 खुलवाई थीं। भामासा भी मुझे लाना होगा, मैं ले आउगा भामासां भी। तो आप तो घोषणा कर दो। भोला सा आदमी हूं, मेरे क्षेत्र में दो तीन काम की, एक हमारे उस वक्त बुहाना में मुन्सिफ कोर्ट की घोषणा हो गयी थी उस राज में और फिर हम तो चले गए, दूसरे आए उन्होंने पिलानी में खोल दिया। इसलिए वह भी आपके पास न्याय है। वह सारा आर्टिकल 17 और सारा आपके पास है तो वह भी हमारे होना चाहिए।

मेरे सिंघाणा में बीस हजार की आबादी है और लड़कियों की दसवीं की स्कूल है वह बारहवीं की स्कूल होनी चाहिए। मैं लम्बा चौड़ा नहीं बोलूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, प्राइवेट स्कूलें अगली बार कम हों और सरकारी स्कूलों में लड़के ज्यादा हों। यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में शिक्षा, कला एवं संस्कृति व न्याय...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कृपया बात करने से रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में शिक्षा, कला संस्कृति व न्याय प्रशासन की मांग पर चर्चा की जा रही है, अभी सत्ता पक्ष के हमारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि हमने पांच साल में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया, हमने शिक्षा को अभिशाप में बदल दिया, ठीक बात है। हमने कोई गुनाह किया होगा इसलिये राजस्थान की जनता ने सत्ता परिवर्तन का फैंसला किया। अब आपको राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया है। राजस्थान की हुकूमत सौंपी है जो राजस्थान की जनता की बेहतरी के लिये, राजस्थान के शैक्षिक वातावरण को बेहतर करने के लिये बेहतरीन प्रयास हो सकते हैं मैं समझता हूं आने वाले वक्त में यह सरकार उन कदमों को उठायेगी।

सरकार ने जो पहला बजट पेश किया है हालांकि उसमें तो कहीं एक परसेंट भी इस बात की सम्भावना नहीं नजर आती कि राजस्थान में किसी तरह का परिवर्तन का सोच या व्यवस्था परिवर्तन का सोच लेकर राजस्थान की मौजूदा सरकार काम कर

(श्री संयम लोढ़ा)

रही है। हमने शिक्षा का भट्टा बैठाया या राजस्थान को पीछे धकेला, मैं कुछ जानकारी आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में पहली से पांचवीं कक्षा तक जो एनरोलमेंट 1998-99 तक जब हम सत्ता में आए, राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने जो हमें विरासत में राज सौंपा। राजस्थान में पहली से पांचवीं कक्षा तक एनरोलमेंट था 41,20,000 और 2003-2004 में हमने उसको 52,85,000 पर लाकर आपको सौंपा है। लड़कियों का एनरोलमेंट मात्र 27,77,000 था 1998-99 में जिसको हमने 42,84,000 पर लाकर आपको सौंपा। किस रूप में हमने शिक्षा का भट्टा बैठाया। लड़के और लड़कियों दोनों का अगर फिगर मानें तो इस पांच साल में 27 लाख बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया है। हमने चुनौती के रूप में इस काम को लिया था और इसलिये शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। जिला कलक्टर को शिक्षा आपके द्वार की कमान सौंपी और पूरे प्रशासनिक तंत्र को, पूरे जन प्रतिनिधियों को, हर क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के आन्दोलन से जोड़ने की कोशिश की। और जो हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता से आहवान किया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। चाहे आज आप उन नारों को मिटाने का काम कर रहे हैं किताबों से। चाहे हर पुस्तक तो पचास पैसे खर्च करके उन किताबों पर कालिख पोतने का आप काम कर रहे हैं लेकिन राजस्थान की जनता ने उस नारे को स्वीकार किया। और उसी की वजह थी कि राजस्थान की जनता के बहुत से लोगों के घरों पर, मोटर साइकिल और वाहनों पर उस नारे को आप आज भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वह नारा राजस्थान की आम जनता के लिये था। राजस्थान की जनता के हित में था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कक्षा छह से आठ, अगर हमने राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठाया है तो जो एनरोलमेंट में 1998-99 तक 21.67 लाख था वह 27.56 लाख कैसे हो गया? राजस्थान के छह लाख विद्यार्थियों को अपर प्राइमरी स्टेज तक उस एनरोलमेंट को बढ़ाने का काम तत्कालीन सरकार ने किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या ठहराव की है। एनरोलमेंट तो हो जाता है लेकिन ठहराव की समस्या सबसे बड़ी है। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी सरकार ने या हमारे शासन ने उस समय कोई बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। वह चुनौती आज भी बरकरार है कि उस ठहराव को कैसे बढ़ाया जाए।

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था का भट्टा बैठाने का काम नहीं किया। अगर कक्षा पहली से पांचवीं तक के ठहराव के आप आंकड़े देखें तो जो लड़कों का ठहराव 1998-99 में 41.27 था वर्ष 2003-04 में हमने उसको 47.05 तक पहुंचाया है। लड़कियों का जो पहली से पांचवीं कक्षा तक रिटेंशन 38 था, 48.59 तक पहुंचाने का हमने काम किया और अगर आप कुल इसकी गणना करेंगे तो जो 40.03 प्रतिशत था उस ठहराव को 47.59 तक लाने का हमने काम किया। छठी से आठवीं कक्षा तक जो रिटेंशन है, ठहराव है उसको भी बढ़ाने का काम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया। 1998-99 तक लड़कों का ठहराव छठी से आठवीं तक 86 फीसदी था वह 88 फीसदी तक आया और लड़कियों का 87 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी तक हुआ। और यह सारे काम राजस्थान की जनता के सहयोग से, राजस्थान में हमारे शिक्षा विभाग के महकमे के सहयोग से और एक सोच और एक वातावरण जो राजस्थान की जनता में बना कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ना चाहिये। उसी सोच के नक्शे कदम पर चलते हुए यह काम किया जा सका है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल की वार्षिक योजना का आकार तो सरकार ने बहुत बढ़ाया है लेकिन यह प्रारम्भिक शिक्षा हमारी कितनी प्राथमिकता पर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर 1998-99 के प्रारम्भिक शिक्षा के बजट का प्रावधान आप देखें तो 1,49,908.93 लाख यह बजट प्रोविजन था जिसको आने के बाद पहले ही साल में हमारी सरकार ने 181320.94 लाख किया। 2000-2001 में 189219.38 लाख किया। 2002-2003 में 190999.36 लाख रुपये किया। यह खर्चा बता रहा हूं मैं आपको प्रोविजन नहीं और 2003-2004 में 203916.75 लाख रुपये हुआ। लगातार इसमें प्रारम्भिक शिक्षा के बजट के प्रावधान में बढ़ोतरी हुई, खर्चे में बढ़ोतरी हुई। अब आपने कितना प्रारम्भिक शिक्षा में इतने बड़े वार्षिक आकार के बाद क्या बढ़ोतरी कर दी है। आपने कुल प्रावधान रखा है 2302.52 करोड़ प्रारम्भिक शिक्षा में और उसमें भी नान प्लान का पैसा बढ़ा है, सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम का पैसा बढ़ा है। नोन प्लान का किसलिये बढ़ा कि 31 मार्च तक आपने जिन नियुक्तियों का संकल्प व्यक्त किया था वह काम आपने नहीं किया। इस लिहाज से यह जो बजट पेश किया गया है यह राजस्थान की शैक्षिक स्थिति में कोई बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत नहीं देता है।

आज राजस्थान में स्कूलों की क्या हालत है और आप कहते हैं आपने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की शुरूआत की है राजस्थान के अन्दर। मैं आपसे यह

(श्री संयम लोढ़ा)

पूछना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी कि ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्दर जिन 678 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति तत्कालीन सरकार ने दी थी आज तक भी 110 विद्यालयों के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है। यह राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था को लेकर सरकार का सोच है और राजस्थान के अन्दर एक ऐसी सरकार जिसने राजस्थान की जनता को परिवर्तन का सपना दिखाया था कि हम राजस्थान के शैक्षिक जगत में आमूलचूल परिवर्तन लायेंगे। भौतिक सुविधाओं से सम्पन्न विद्यालयों की व्यवस्था देंगे। उस सरकार के वक्त में जो स्थितियां बनी हुई हैं, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय भवन, कक्ष निर्माण के लिये पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। 5,421 विद्यालय हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, भवन हैं अगर आप यह निर्माण कक्ष का इन सारे स्कूलों में बांटो तो एक विद्यालय के हिस्से में दस हजार रुपये भी नहीं आते माननीय मंत्रीजी।

मरम्मत के लिये आपने अस्सी लाख रुपये का प्रावधान किया है। माध्यमिक शिक्षा में 5,421 भवन मरम्मत की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक विद्यालय के हिस्से में चौदह सौ रुपये भी नहीं आयेंगे। बड़ी वाहवाही कर रहे हो। क्या ऐसा इसमें आप नया लाने की कोशिश कर रहे हैं।

खेलकूद के मैदान पर पांच लाख का आपका प्रावधान। एक विद्यालय को कितने रुपये देंगे खेलकूद के लिये सौ रुपये। क्या कर लेंगे सौ रुपये से उस विद्यालय के मैदान पर।

संस्कृत शिक्षा में आपने मरम्मत के लिये पांच लाख का भवनों का प्रावधान किया है। 1412 के करीब आपके स्कूल हैं, प्रवेशिका वगैरह सब मिलाकर। साढ़े तीन सौ रुपये एक स्कूल के हिस्से में आते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा में भवन मरम्मत के लिए आपने 50 लाख का प्रावधान किया है, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप जिस तरह की व्यवस्था शासन के माध्यम से लाना चाहेंगे आप ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सत्ता में थे, पांच साल प्रतिपक्ष ने इस सदन का पूरा वातावरण गरमा कर रखा कि शिक्षा सहयोगी जिनको लिया गया है उनका शोषण कर रहे हो। वह रोटी भी नहीं खा सकता। आत्महत्या कर रहे हैं लोग, पूरे राजस्थान के अन्दर जो शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की सोच और परिकल्पना को लेकर शासन चल रहा था। उस सोच को प्रभावित करने की कोशिश की और वह हजारों नौजवान जो इस बात को समझते हुए कि वह अपना खुद का काम भी करें और साथ में शिक्षा के माध्यम से वह अपना सहयोग कर इस समाज को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान

(श्री संयम लोढ़ा)

करें। उन सारे नौजवानों के दिल में एक आग लगाने की कोशिश आपकी पार्टी ने की थी। लेकिन सात-आठ महीने हो गये आपको शासन में आये हुए, आपने क्या फैसला किया। आज सत्ता में आने के बाद आपकी चाल और आपका चरित्र किस तरह बदला हुआ है। यह राजस्थान का वह नौजवान देख रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज वही शिक्षा सहयोगी जब आपके पास यह मांग लेकर आता है कि हमको पूरा पैसा दिया जाये। वह दस दिन तक शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठता है। आमरन अनशन पर बैठता है। अपना एक उजले भविष्य का सपना जो आपकी सरकार के माध्यम से उन्होंने देखा था और आपके घोषणा-पत्र में जो सपना उनको दिखाया था। आज आप क्या देते हो? आज आप लाठियां देते हो, उनके शरीर पर जख्म देते हैं, उनके रिसते हुए खून के धब्बे देते हैं कपड़ों पर तो यह आपकी सोच है और इन आठ महीनों में क्या किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 1998 में वह चयनित नवयुवक उनको आठ महीने में सरकार ने क्यों नौकरियां नहीं दी। हाई कोर्ट का आखिरी फैसला हुआ मैं जानता हूं कि इस सारे प्रकरण में कई बार कोर्ट का हस्तक्षेप रहा। हाई कोर्ट का भी रहा, सुप्रीम कोर्ट का रहा। सिंगल बैंच का रहा, डबल बैंच का रहा। लेकिन आखिरी फैसला 23 फरवरी, 2004 को आ गया। लेकिन आपकी नियत नहीं है। उन लोगों को नौकरी देने की। आपने जिला स्तर की कमेटी से रिपोर्ट मंगाने की सोची। आपने राज्य स्तर की कमेटी से रिपोर्ट मंगाने की सोची। आज दो महीने हो गये उन रिपोर्टों को भी आपको प्राप्त हुए। आप क्यों उन लोगों की नौकरी का फैसला नहीं करते हैं। अगर आपकी नीयत ठीक है। हालांकि सब जानते हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है क्योंकि जो सरकार सत्ता में आने के बाद अपना पहला फैसला 58 से 60 साल उम्र करने का करे। राजस्थान का नौजवान समझ सकता है कि इस सरकार की सोच क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे संविदा शिक्षक जिनकी नियुक्ति का फैसला किया गया था। कई जिलों में नियुक्तियां हुई, कई जिलों में नहीं हुई। मैं यह नहीं कहता कि हमारी सरकार ने सारे लोगों को नियुक्ति दे दी। लेकिन गवर्नमेंट एक कंटीन्यू प्रोसेस है। जो काम हम पूरा नहीं कर सके आपकी जिम्मेदारी है कि यह काम करें। आज वह संविदा शिक्षक, 1900 संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के तत्कालीन सरकार ने आदेश दिये लेकिन आज भी 2591 संविदा शिक्षक लगाये जाने शेष हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस दिशा में फैसला करें। आप जैसे शिक्षा मंत्री से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि आपकी वह शख्सियत है जो एक छात्र राजनीति के माध्यम से चलकर खुद को

(श्री संयम लोढ़ा)

विकसित किया है और आपने एक अच्छा फैसला लिया जिसके लिए मैं आपकी और आपकी सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने जिला शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती का फैसला किया। यह अलग बात है कि 83 पद रिक्त थे और आपने मात्र 30 की नियुक्ति का ही फैसला किया। आपको सारे पद भरने चाहिए थे। लेकिन आपने 30 का भी जो फैसला किया है, सीधी भर्ती का फैसला, यह बहुत अच्छा फैसला है।

उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या है कि उस अवस्था तक जब शिक्षक पहुंच जाता है कि उसके बाद काम करना उसके बस की बात नहीं होती है। वहां स्कूल में टीचर पहुंच रहा है या नहीं, यह काम जिला शिक्षा अधिकारी के देखने का है, कभी उसकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी उसके घुटने में दर्द हो जाता है इसलिए आपका यह बहुत अच्छा फैसला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़े जोर-शोर से आपने घोषणा की थी कि इसी सदन में कि हम तबादला नीति बनायेंगे और राजस्थान के शिक्षकों के लिए एक ऐसा वातावरण देंगे कि वह एक स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 28 दिसम्बर को सरकार का नेतृत्व सम्भालने के बाद अपनी प्रेस कांफ्रेंस में क्या कहा था, "Vashundhara Raje announced on Saturday that the B.J.P. Government will draft a new policy for transfer of teachers on the lines adopted by the States like Gujarat, Andhra Pradesh and Tamilnadu. The Education Minister Shri Ghanshyam Tiwari and senior officials of the Education Department will tour these States to study the transfer procedures adopted by them. She said.

According to the observers, then the vice President Shri Bhairon Singh Shekhawat, was the Leader of Opposition, he would open rift of the Congress Government for turning the transfers of teachers into an industry. These teachers complained that they had to pay M.L.As. sums to get the desired postings. The politics of transfer is ultimately proved to be the Congress waterloo industry." ठीक है, हमारा वाटरलू हो गया था। तो कोई बात नहीं। इन आठ महीनों में इस वाटरलू से राजस्थान के शिक्षा जगत को मुक्त करने के लिए आपने क्या काम किया। दिसम्बर में आपने घोषणा कर दी कि हम तबादला नीति बनायेंगे। हमारे मंत्रीजी जायेंगे, हमारे अधिकारी जायेंगे। स्पेशल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी। लेकिन नतीजा क्या हुआ। वही ढाक के तीन पात।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने गलत काम किये होंगे तो उसकी सजा हमने भुगती। राजस्थान का वातावरण अच्छा बने, राजस्थान का प्रशासनिक वातावरण अच्छा बने और राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम हो सके इसके लिए जिस घोषणा-

(श्री संयम लोढ़ा)

पत्र के आधार पर आप राजस्थान में शासन में आये थे उसके ऊपर झांककर देखें और उसको लागू करने की कोशिश कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक विषय उठाया था। इसी सत्र में प्रश्नकाल में कि एक शहीद सिरोही जिले का अनुसूचित जाति का चतराराम मेघवाल उसके नाम पर नामकरण होना था, वह नामकरण नहीं हुआ तो हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बड़ा हल्ला मचाया था कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। शिक्षा विभाग में अभी नौ प्रकरण विचाराधीन हैं जिसमें शहीद के नाम पर विद्यालयों के नामकरण नहीं किये जा सके हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में पत्रावली मंगाकर शीघ्रातिशीघ्र फैसला करे। जिससे उन शहीदों को जो सम्मान देने की नीति हमारी सरकार की है, हमारे समाज की है उसके अनुरूप फैसला किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में निवेदन किया, अब मैं आपको माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे देश की शैक्षिक व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या ड्रोप आउट की है। जो ड्रोप आउट 1998-99 में सीनियर सैकण्डरी में 53.32 हुआ करता था। वर्ष 2003-04 में घटकर 49.74 प्रतिशत तक गया। इसलिए यह मत कहिये कि राजस्थान की शैक्षिक व्यवस्था का भट्टा बैठाने का काम हमारी सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर शिक्षा के प्रयोजन पर राजनैतिक प्रयोजन से हमला करने की बहुत कोशिश की गयी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक व्यवस्था की साइंस और कामर्स के विषयों में कम्प्यूटर शिक्षा की, बाकी में डायरेक्टर के माध्यम से जिला स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गयी और इस सारे मसौदे में जो कांट्रेक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से हुआ या डायरेक्टर के माध्यम से निकली हुई प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। उसमें यह व्यवस्था थी कि विद्यालय का हैड, संस्था प्रधान जब वहां पर दी जा रही कम्प्यूटर शिक्षा व्यवस्था से सन्तुष्ट होगा तभी भुगतान करेगा। आज आपने राजस्थान में कम्प्यूटर शिक्षा की क्या स्थिति कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में आपने घोषणा की थी कि कम्प्यूटर शिक्षा में घोटाला हुआ है। किसी को बख्शा नहीं जायेगा। मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। आपने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। क्यों नहीं करते कार्यवाही? आपको किसने रोका है? आपको राजस्थान की जनता ने अधिकार दिये हैं, राजस्थान का राज दिया है। अगर किसी व्यक्ति ने उस कम्प्यूटर

(श्री संयम लोढ़ा)

शिक्षा के मामले में घोटाला किया है तो आप क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराते? लेकिन आपने राजस्थान में कम्प्यूटर शिक्षा को जिस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया है, अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में अभी तक आपकी कोई नीति नहीं है, आपका काम बन्द पड़ा है।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियावादी सोच की वजह से राजस्थान का शैक्षिक समुदाय 25 साल पीछे चला गया है। हमारे साउथ के राज्य कर्नाटक, आन्ध्रा, 1990 के दशक के अन्दर वहां पर कम्प्यूटर शिक्षा लागू की गई और यह राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य था कि 1990 से 1998 तक आपका राजस्थान में राज रहा और इस कम्प्यूटर शिक्षा के लिए आपने कोई काम नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान कम्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे चला गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे हमारे समय में अकाल पड़ा हुआ था राजस्थान में पांच साल में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा समय मेरी पार्टी ने दिया है इसलिए कृपा करें आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : पूरा समय नहीं दिया है, पार्टी ने कहा है कि आप बोलें।

श्री संयम लोढ़ा : बैठ जाऊं क्या?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह कह रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने, आपकी पार्टी के और इधर से भी, यह आया है कि आज 9 बजे सबको जाना है इसलिए 9 बजे तक इन मांगों को पारित किया जाए। यदि इससे आप सहमत हैं तो थोड़ा कम समय से बोलें, यदि नहीं है और देर तक चलाना है, मर्जी आपकी आप बोलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : 9 बजे आपको फ्री कर देंगे, आप निश्चिन्त रहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो लोढ़ा साहब, मैं आपको पूरा समय दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : बोलें लेकिन इतना एक्सरसाइज मत करो।

श्री संयम लोढ़ा : आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जो सीखाएंगे, वही सीखेंगे, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल खड़े किए गए, उच्च शिक्षा में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था देखिए, कोई ऊंगली नहीं उठाता उसके ऊपर, उसकी क्या व्यवस्था, क्या उसका सिस्टम इससे अलग था? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम्प्यूटर शिक्षा को राजनीति का विषय न बनाएं। एक साफ सोच के साथ, खुले दिमाग के साथ सरकार को आगे आना चाहिए। और राजस्थान के हमारे गरीब का बच्चा, हमारा गरीब विद्यार्थी जो सरकार के माध्यम से आगे बढ़ने का सपना देखता है, आगे बढ़ने की तमन्ना रखता है, उस सपने को साकार करने के लिए कोशिश कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जो बजट घोषणाएं की थीं उनमें शिक्षा क्षेत्र में 10 हजार से अधिक महिला शिक्षा शिविर लगाएंगे। यह बजट 31 मार्च, 2005 तक का है। ये शिविर कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कितने दिन के लिए लगाएंगे, क्या आपकी कोई प्लानिंग है? क्या वो दो महीने के होंगे, क्या 3 महीने के होंगे, क्या 30 दिन के होंगे, क्या 2 दिन के होंगे? गांव में रहने वाली महिला को अपन इतना सिखा देंगे क-म-ला, कमला, क्या सोच है आपकी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं...।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : वह कहेगी कमल ला, कमला, कमल ला।

श्री संयम लोढ़ा : उसके लिए कीचड़ लाना पड़ेगा पहले, कीचड़ में ही कमल खिलता है।

श्री शांतिलाल चपलोत : अज़ी आप ही कह रहे हैं, क म ल ला।

श्री ज़ुबेर खान : आपने कीचड़ ही कीचड़ कर दिया।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह प्रावधान किया है, यह घोषणा की है, आपकी बेटी योजना। इसका खुलासा नहीं किया गया है कि किसकी बेटी, संयम लोढ़ा की बेटी, किसी जागीरदार की बेटी, किसी सरपंच की बेटी, किसी प्रधान की बेटी, किसकी बेटी? अनुसूचित जाति की बेटी, अनुसूचित जनजाति की बेटी या साधनहीन आदमी की बेटी? उसके लिए पैसा कहां से आएगा?

श्री उपाध्यक्ष : देश की बेटी का किया है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने प्रावधान किया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का अच्छा विचार है, पर पैसा कहां से आएगा?

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की शैक्षणिक स्थिति पर आप नजर डालें कि वो जिले जो बहुत पिछड़े हुए हैं खास तौर से महिला शिक्षा के मामले में, राजस्थान में सबसे फिसड्डी जिले हैं, जालौर जहां महिला साक्षरता मात्र 27.53, डूंगरपुर जहां महिला साक्षरता मात्र 31.22 प्रतिशत है, बांसवाड़ा जहां महिला साक्षरता मात्र 27.86 प्रतिशत है। ये आंकड़े 2001 की जनगणना के आधार पर हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह बजट इन जिलों में महिला शिक्षा को इन जिलों में बढ़ावा देने के लिहाज से कोई अलग तस्वीर पेश नहीं करता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन जिलों को खास प्राथमिकता प्रदान करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी शिक्षा की क्या स्थिति है? जो 100 बच्चे स्कूल में आते है उसके लिए सब जिम्मेदार हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शासन व्यवस्था, सब रेस्पोंसिबल है। 100 बच्चे जो स्कूल में आते हैं तो उनमें से 50 तो पांचवी कक्षा तक ही गायब हो जाते हैं, बचे हुए बच्चे जो आठवीं कक्षा तक पहुंचने हैं उनमें नवीं तक मात्र 30 बच्चे ही पहुंचते होंगे। हमारा रिजल्ट चूंकि 40 प्रतिशत के आसपास रहता है तो मानिए उन 20 बच्चों में से भी 8 बच्चे ही पास होते होंगे। तो जिन 100 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी है उनमें से सैकण्डरी स्कूल तक मात्र 8 बच्चे ही पहुंच पाने की व्यवस्था हम कर पाते हैं।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रिटेंशन को एक चुनौती के रूप में लीजिए। हमारे पड़ौस में हिमाचल प्रदेश जैसा स्टेट है जो हमारे लिए एक एक्जाम्पल है कि जहां 98 प्रतिशत रिटेंशन है। हम अपनी तुलना उन दूसरे राज्यों से क्यों करते हैं जो फिसड्डी हैं? अगर हम बेहतर काम करते हैं तो हमको तुलना उन अव्वल राज्यों से करनी चाहिए और राजस्थान को उस दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी शासन पद्धति के तहत एक सिस्टम राजस्थान में, हिन्दुस्तान में इण्ट्रोड्यूस किया गया कि 33 प्रतिशत वाले पास होंगे। आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे कि इस 33 प्रतिशत नहीं लाने की जलालत की वजह से हमारे कितने ही होनहार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। अखबार में आप पढ़ते होंगे कि लड़की ने फांसी लगा ली, लड़का जल कर मर गया। क्या इस व्यवस्था को बदलने की हमारी जिम्मेदारी नहीं? अंग्रेज हमारे यहां यह व्यवस्था थोपकर चले गए लेकिन ब्रिटेन में उन्होंने यह व्यवस्था नहीं रखी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे मासूम बच्चों को आप उस बोझ

(श्री संयम लोढ़ा)

से मुक्त करना चाहिए, उस तनाव से मुक्त करना चाहिए, उस जलालत से मुक्त करना चाहिए, उनको एक अच्छा वातावरण देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो मेहरबानी करके ग्रेडिंग सिस्टम को चालू करो। और ग्रेडिंग सिस्टम को आप लागू करेंगे तो सारे बच्चे, नई पीढ़ी एक तनाव से मुक्त वातावरण के अन्दर शिक्षा अर्जित करने का काम कर सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं चाहते हुए भी हम एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। एक गीत है, एक कहानी है बहेलिये की जो पंछी को सुनाई गई कि बहेलिया आएगा, गीत सुनाएगा, जाल बिछाएगा, बातों में आकर फंसना मत, बहेलिया आया, गीत सुनाया, जाल बिछाया, लेकिन बातों में आकर फंस गए। शिक्षा के जरिये समाजवाद, शिक्षा के जरिये लोकतंत्र, शिक्षा के जरिये संकल्प, शिक्षा के जरिये तरक्की, ये सारी बातें कही गई लेकिन आज हम कैसे शिक्षा कुचक्र में फंस गए हैं। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में धनवान आदमी के बच्चों के लिए अलग शिक्षा, गरीब आदमी के बच्चों के लिए अलग शिक्षा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपका बहुत लम्बा अनुभव है। आप उस पूरे जीवन के बीच से निकल कर आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में शिक्षा की इस खाई को पाटने की दिशा में आपकी सरकार काम करे, तब तो यह परिवर्तन का नारा देकर आप राजस्थान की सत्ता में आए हैं, वह सार्थक होगा नहीं तो वही ढाक के तीन पात। राज तो आते रहते हैं, आप गये हम आये, हम गये आप आये। आपका भी 15 फीसदी टाइम पूरा हो गया, समय जाते देर नहीं लगेगी।

(15.00 बजे)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार ने शासन में आते ही एक फैसला किया। महान राष्ट्र नायक स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर जो शिक्षा संकुल बनाया गया था और इस सदन में शिक्षा मंत्री को जब हमारी तरफ से एतराज किया गया, हमारे लोग जब सड़कों पर आये, यह घोषणा की इन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था को यथावत कर दूंगा। आज भी अखबार में पढ़ते हैं तो उस शिक्षा संकुल के नाम के साथ हमें राजीव गांधी का नाम नहीं दिखता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं उस शिक्षा संकुल में आपका भी कमरा है, आपका भी दफ्तर है। आप जब उस दफ्तर के अन्दर घुसते हैं तो लास्ट के अन्दर एक बोर्ड लगा हुआ है, राजीव गांधी शिक्षा संकुल शिलान्यास श्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री। राइट में जब आप देखते हैं तब वो की वो तख्ती लगी हुई है। ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लगी रहेगी।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इतने सालों साल तक इस देश की तरक्की और बहबूदी के लिए काम किया और जिसने एक प्रधानमंत्री के रूप में जो फैसला किया था उस फैसले की सजा अपने शरीर को बम विस्फोट से उड़ाने के रूप में पाया और जिसको भारत रत्न देश की सरकार ने माना। आपको राज दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि उस शहीद के साथ आप इस तरह व्यवहार करें। (व्यवधान) तो हटाना आपके बस की बात नहीं है। यह मत समझ लेना, राज के अहंकार में मत रहो। यह मत समझो कि आपका राज आ गया तो सब कुछ आ गया है। कांग्रेस का जनाधार अभी खतम नहीं हुआ है और कांग्रेस की संघर्ष करने की ताकत भी अभी खतम नहीं हुई है। अब मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं...

श्री बंशीलाल खटीक : मेरे क्षेत्र में दीनदयाल उपाध्याय का फोटो हटा दिया गया और स्वामी विवेकानन्द का फोटो इनके नेहरू युवा केन्द्र में हटा दिया गया। यह इनकी सरकार की बेइमानी है। यह कांग्रेस की बेइमानी नहीं तो और किसकी है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह चतुर्भुज योजना वाले अटलजी के पोस्टर भी हटा दिये वहां से।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में टोकाटाकी नहीं। कंक्लूड कीजिए।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक शंका मेरे मन में है, मैं माननीय सोनिया गांधीजी को प्रणाम करना चाहूंगा, जब माननीय राजीव गांधीजी की हत्या हुई, आप पूरा अखबार देख लीजिए, हमेशा साथ रहती थी उस दिन साथ क्यों नहीं थी?

श्री संयम लोढ़ा : आपकी अक्ल का जितना दिवाला निकला हुआ है उसका तो अब +++ इलाज हो सकता है।

श्री जुबेर खान : 1995 के चुनाव में सोनियाजी साथ थीं क्या? जानकारी नहीं है और ठोके जा रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा . माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी देश के नेता थे और आज भी देश की जनता के मन में उनमें गहरी आस्था और श्रद्धा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसका मतलब आप स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सभाओं में छुपकर जाते थे इसलिए आपको पता है कि कब-कब, कौन-कौन साथ होता था, क्यों सदन को गुमराह करना चाहते हो?

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी भावना का मामला है। आप हजारों दूसरी बिल्डिंग दूसरे लोगों के नाम पर कर दें आपको राज दिया है पांच साल तक। लेकिन अगर इस तरह की प्रवृत्ति पर आपकी सरकार कायम रही तो मजबूर होकर हमें सड़कों पर आना होगा जो अच्छी बात नहीं होगी। एक ऐसे विषय पर आंदोलन का फैसला करना पड़े किसी भी राजनैतिक दल को यह ठीक बात नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो शिक्षा का भट्टा बैठा दिया, लेकिन आपने देखा होगा जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव से पहले के समय टी.वी. पर एक विज्ञापन आता था जिसमें एक शानदार स्कूल दिखती थी और इसमें जाते हुए बच्चे दिखते थे। और इसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो टी.वी. पर दिखता था। ऐसा स्कूल पूरे राजस्थान के अन्दर ढूंढा और पूरे देश में पता करवाया कि कोई सरकारी स्कूल ऐसा है, तो नहीं मिला। आपने इस तरह का भ्रामक प्रचार किया उसी का यह नतीजा रहा कि आपको देश की जनता ने फील गुड करा दिया और राजस्थान...

श्री ओम बिरला : राजस्थान में क्या हुआ, यह तो बताओ।

श्री संयम लोढ़ा : यह तो आपका अपराध बोध था कि हम राज से जाने वाले हैं। इसलिए आपकी पार्टी के नेताओं ने सोचा कि इन तीन राज्यों में हमारी ताजा-ताजा हवा चल रही है, यहां हमारी फसल कट जाएगी। इस फसल को काटने के लिए वहां चुनाव करा दिये और दूसरी जगह ठिकाने लग गये। यही चुनाव अगर राजस्थान में 9 महीने के बाद होते तो आपकी अक्ल ठिकाने आ जाती।

श्री ओम बिरला : आज करवांकर देख लो। पंचायत के चुनाव, नगर-पालिकाओं के चुनाव में देख लेना।

श्री संयम लोढ़ा : जनता आपको जो भी है उसका दे देगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : मैं कंक्लूड कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आखिरी बात माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

उच्च न्यायालय में अभी न्यायाधीशों के 19 पद रिक्त हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस तरह की व्यवस्था चलती रहे यह राजस्थान की जनता के हित में नहीं है न न्याय व्यवस्था के हित में है। वो हजारों लोग जो न्यायालय का दरवाजा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपने वाजिब हक के लिए खटखटाते हैं और वहां पर अगर माकूल व्यवस्था नहीं हो तो जो प्रदेश में वातावरण बनता है आप समझ सकते हैं। मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि आप इस बारे में जानकारी मंगवायें। सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान मूल के अब तक कितने न्यायाधीश रहे। अब तक मात्र तीन न्यायाधीश राजस्थान मूल के सर्वोच्च न्यायालय में रहे। हम क्यों पिट जाते हैं? क्या हमारे पास काबिल लोग नहीं हैं? क्या राजस्थान के लोग कानून के जानकार नहीं हैं? क्या राजस्थान में न्यायिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले लोग, देश की सेवा करने में अक्षम हैं? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। दक्षिण के लोग जिस तरह से एक लाबिंग करके सर्वोच्च न्यायालय में अपने लोगों के लिए काम करते हैं, मैं समझता हूं राजस्थान के लोगों को भी इसका वाजिव हक मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा, कला व संस्कृति एवं न्याय प्रशासन की मांग पर चर्चा हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। शिक्षा न केवल समाज और मानव के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी आवश्यकता है बल्कि आज जिस सदन में हम बैठकर जिंस मांग के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम सब लोग यहां प्रजातांत्रिक तरीके से चुनकर आये उस लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र का कुशल संचालन सम्भव नहीं है और इस विचार को आधार मानकर जब भारत राष्ट्र की शिक्षा नीति बनी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को प्राथमिकता दी। मैं अभी यहां पर किसी प्रकार का चार्ज फ्रेम नहीं करना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए। सार्थक प्रयास हुए, आगे बढ़े और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन सार्थक प्रयासों का परिणाम रहा कि जो 1950-51 में 4336 प्राइमरी स्कूल थे उनकी संख्या बढ़कर 2002-03 में 55766 हो गई। आपने देखा होगा कि जो 732 अपर प्राइमरी स्कूल थी उनकी संख्या 23 हजार कुछ हो गई। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या आज हम इस विचार के समय सन्तुष्ट हैं? इस चर्चा के समय हमारे मन में तसल्ली है, संतोष है क्या हमने इस क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये हैं?

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर रहे थे, हमारे राज में आने के बाद नामांकन बहुत बढ़ा। हमने नामांकन बढ़ाने के सार्थक प्रयास किये, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन नामांकन के बाद वह ठहराव के आंकड़े ठीक से बताना भूल गये। मेरे पास यह पुस्तक है और यह पुस्तक शिक्षा विभाग की राजस्थान के विधान सभा सचिवालय के द्वारा प्रदत्त पुस्तक है। इसके आंकड़े कहते हैं, 1997-98 में प्राइमरी की रिटेंशन रेट 44.65 थी जो 2000-01 में आकर 34.14 रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का खेल चर्चा में करके आरोप से बच सकते हैं, जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? आज हमको विचार करना पड़ेगा. पहली बार जब राजस्थान में भैरोंसिंहजी शेखावत का राज आया इसका एक मौलिक चिन्तन हुआ कि गांव का व्यक्ति गरीब व्यक्ति हम उसकी शिक्षा की चिन्ता कर रहे हैं, स्कूल लगातार खोले जा रहे हैं, पाठशालाएं खुलती जा रही हैं। लेकिन कभी यह ख्याल किसी के मन में नहीं आया कि राजस्थान की धरती पर एक बहुत बड़ा भू-भाग रेगिस्तान है। यहां अकाल पड़ते हैं। लोग आर्थिक दृष्टि से तंग हैं। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन हालातों में जीवन जीता है कि सुबह कमाकर शाम को खाता है। उसके मन में भी बेटे को पढ़ाने का अरमान है, उसके मन में भी बेटी को पढ़ाने का अरमान है। लेकिन उसकी जेब अलाऊ नहीं करती, उसका बटुआ परमिट नहीं करता इसलिए अरमानों पर पानी फिरता है, सपने टूट रहे हैं बेटे को पढ़ाने के। आज इस मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन मुख्य मंत्री और महामहिम भारत के उप राष्ट्रपति शेखावतजी को, आदरणीय गुलाबचन्दजी कटारियाजी को कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में यह तय हुआ, प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए पांचवीं क्लास तक की निशुल्क शिक्षा दी जाएगी, आंठवीं क्लास तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका एक व्यापक असर सारे राजस्थान में देखने को मिला। इसके फायदे सुनिश्चित रूप से होते लेकिन 1998 में सत्ता का परिवर्तन आ गया।

1998 में सत्ता में परिवर्तन से शिक्षा को राजनीतिकरण की ओर धकेल कर खड़ा कर दिया। बहुत चिन्तन कर रहे थे अभी माननीय सदस्य, शिक्षा में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। आपने शिक्षा संकुल थे उनमें से नाम हटा दिया। आज इस मन से कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार आई थी और इसी सदन में बजट के जवाब के समय इनके शिक्षा मंत्रीजी ने जो कहा था, मैं पढ़कर बता रहा हूं हमारा तरीका है देश को आगे बढ़ाना, मजबूत करना इसको आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाने की कल्पना की थी हमारे स्वर्गीय राजीवजी गांधी ने। उस कल्पना को साकार करने के लिए हम आगे की सोच से काम करना चाहते हैं। उसमें कठिनाइयां हैं, तकलीफ हैं, रास्ता कठिन है और ईमानदारी से करना चाहते हैं और इसलिए लक्ष्य को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्राप्त कर लेंगे। और साथ में अमर्त्य सेन ने कहा था लोगों को च्वाइस दें, मौका दें, अवसर दें, क्षमता बढ़ेगी, च्वाइस का उपयोग करके लोग आगे बढ़ेंगे। क्या इसीलिए खेला यह राजीव गांधी स्वर्ण जंयन्ती पाठशाला का पाठ का खेल गांव के गरीब विद्यार्थियों के साथ? क्या परिदृश्य बन गया राजस्थान में शिक्षा का? आपके माध्यम से सवाल रखना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आज कोटा राजस्थान की ही नहीं दूरे देश की शैक्षणिक राजधानी बनकर खड़ा हो गया है और जब हम इस विषय में मूंल्याकन करते हैं, चिन्तन करते हैं तो रोना आता है। आज हिन्दुस्तान भर से लोग हमको इस बात की सिफारिश करते हैं कोटा में, मेरे बेटे के 90 परसेंट मार्क्स हैं, 85 परसेंट मार्क्स हैं रेजोनेंस के टेस्ट में फैल हो गया। केरियर पाइंट के टेस्ट में फेल हो गया, बंसल में फैल हो गया, एडमिशन करा दीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि आज पूरे देश में जो कोटा की धरती पर आज उसको देखने के बाद हम यह अनुमान लगा रहे हैं, क्या कम्पीटिशन 90 प्रतिशत वाले लोगों के लिए बचा है? आज प्रतिस्पर्द्धा 95 प्रतिशत अंक वालों के लिए बचा है। एक सोची-समझी साजिश थी, इस राज का एक षड्यंत्र था, इस राज की 80 प्रतिशत आबादी जो गांव में रहती है उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए राजीवजी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के नाम पर आठवीं, दसवीं पास लोगों को लगा दिया जाए। क्या हश्र हुआ? प्रतिस्पर्द्धा के जमाने की जहां हम बात कर रहे हैं, कम्पीटिशन का जमाना है। क्या हमने षड्यंत्र रचकर 80 प्रतिशत लोगों को प्रतिस्पर्द्धा से बाहर करके इस प्रतिस्पर्द्धा का यह खुला मैदान छोड दिया सीमित लोगों के लिए? कौन जिम्मेदार है इस साजिश के लिए? 11 हजार से अधिक अप्रशिक्षित लोगों को पैरा टीचर बना दिया जिनमें स्वयं में कूबत नहीं। हम कहते हैं प्रतिस्पर्द्धा का जमाना है, लोग चन्द्रमा पर जाने की बात कर रहे हैं, मंगल पर पानी तलाशने की बात कर रहे हैं। और पढ़ा रहे हैं हमारे गांव के बच्चों को आठवीं पास, दसवीं फेल लोगों से जिनमें स्वयं में जज्बा नहीं है, स्वयं में प्रतिभा नहीं है। जो स्वयं प्रतिस्पर्द्धा के मैदान में टिक नहीं पाये, थक हार कर घर बैठ गये। अब पढ़ाने चले हैं गांव के बच्चों को क्योंकि कोई कांग्रेस के सरपंच का बेटा, कोई एम.एल.ए. साहब का भतीजा, कोई प्रधानजी की बहन, इन्हें भी तो ओब्लाइज करना था कांग्रेस के राज में। कौन जिम्मेदार है? और आप चिन्ता करने लगे कि हम शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना चाहते हैं।

दूसरा भाषण दिया था गवर्नेंस का युग है, हम क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर यह सम्भव नहीं हुआ तो जिस प्रकार से आज लोग कह रहे हैं कि राजस्थान के लोगों में यह चर्चा होती है कि हमने कभी 20 साल पहले ट्रेन देखी थी फिर 50 साल बाद लोग कहेंगे हमने 50 साल बाद यह कम्प्यूटर देखेंगे। यह कहा था आपके जोशीजी ने। कम्प्यूटर शिक्षा की कन्सेप्ट आप लेकर आ गये लेकिन आपने विचार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नहीं किया इसको लागू करने के पहले निर्धारित मापदण्ड तय किये जाने, क्या निर्धारित मापदण्डों को तय करके आपने उनको लागू करवाया? यह मेरे पास अखबार की खबर है, फीस वसूलते दो साल हो गये, कम्प्यूटर का पता नहीं कंगाली में बच्चों के कोर्स का बोझ।

अभी माननीय सदस्य सिरोही से आने वाले चर्चा कर रहे थे एस.सी., एस.टी. के लोगों की हिमायत कर रहे थे। उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जब कम्प्यूटर की 600 रुपये की फीस लागू की 11वीं, 12वीं क्लास के लिए तो कहां आपका विचार मर गया था, कहां आपका ख्याल जल गया था? इस राजस्थान की धरती पर अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों से फीस नहीं ली जाती। उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनका जज्बा बढ़ाने के लिए उनको स्कालरशिप दी जाती है। उनसे डवलपमेंट फण्ड आधा लिया जाता है। आपने जाते ही पहले पर्ची पकड़ा दी उस एडमिशन से पहले जाकर के गांव के बेटे-बेटी को कि लाओ 600 रुपये कम्प्यूटर की फीस। क्या आपने सर्वे करवाया कि राजस्थान की कितनी स्कूलों में जहां आपने 624 में लागू किया, कितने में लागू हुआ? और लागू हुआ तो कम्प्यूटर की फीस कितने हैडमास्टर ने जमा कराई है, कितने गांव के लोगों ने चन्दा करके गरीब बच्चों की फीस जमा कराई? आपको ख्याल नहीं होगा कि क्या हश्र हुआ होगा उस राजस्थान के गरीब का जिसका बाप बैठा है। बाप सवेरे 6 बजे निकलकर घर से मजदूरी करने के लिए चला गया और मां जब उसका हाथ पकड़कर के फीस जमा कराने गई और उससे 600 रुपये कम्प्यूटर की फ़ीस के साथ जोड़कर कहा तो जेब में पैसा नहीं होने के कारण वापस लौटी होगी। जब बच्ची एडमिशन के लिए रोयी होगी तो गांव की उस गरीब मां ने जाकर सेठजी के दरवाजे पर कहा होगा कि मेरे पैर के चांदी के कड़े ले लो, नाक की नथ ले लो पर मेरी बेटी की फीस जमा करा दो। शाम को जब उसका पिता घर लौटकर आता है, बेटी की फीस की बात पूछता है तो पत्नी कहानी सुनाती है। दिन में बेटी रोयी और शाम को पिता कहता है कि आज दिन भर मुझको मजदूरी नहीं मिली। तो दोनों मां-बाप घर में बैठकर के रोये। यह हश्र आपने अनुसूचित जाति के गरीब मजदूर के साथ किया। आपने यह हश्र अनुसूचित जनजाति के साथ किया।

श्री टीकमचन्द कान्त : ऐसा मत बोलो, ये रो रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल : और आज आपको उनकी हिमायत करने की चिंता पड़ी है।

श्री रामनारायण मीणा : अब तो हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिया, इंजीनियरिंग में एस.सी., एस.टी. से पूरी फीस, बहुत फीस ली जा रही है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कुछ देखो। यह भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना चाहिए।

श्री प्रहलाद गुंजल : किससे चलेगा, हमको ध्यान है। यह भी मैं कहना चाहता हूं। अभी चिन्ता कर रहे थे नीति बननी चाहिए। 35 प्रतिशत, हो सकता है विचार ठीक हो, मैं इसके परिप्रेक्ष्य में जाना नहीं चाहता। सदन के लिए मैं नया सदस्य हूं। सदन की कार्यवाही में भाग लेकर मैं देख रहा हूं कि जो कांग्रेस के लोग यहां सदन में आकर के बोलते हैं और लगातार राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से पिछले इनके पांच साल के कारनामों को अखबारों में पढ़ता रहा हूं, इनके क्रियान्वयन को, इनकी नीतियों को, उनको इम्प्लीमेंटेशन को, इनकी मन्शा को और ऐसा लगता है कि राज में जब होते हैं तो इनकी आत्मा कुछ और कहती है और जब राज के बाहर होते हैं तो इनकी आत्मा कुछ और कहती है। क्यों नहीं उस समय यह चिंतन आपके मन में पैदा हुआ? क्यों नहीं यह विचार उस समय आपके मन में आया? यह फीस का स्लैब मेरे पास है, किसने किया बंटाधार राजस्थान के विद्यार्थी का? आई.टी.आई. का शुल्क आपने 300 से बढ़ाकर के 1800 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया। आपने माध्यमिक शिक्षा में तीन से छह गुनी फीस बढ़ा दी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ? मैंने जब बजट भाषण में यह सवाल उठाया था तो माननीय जोशीजी कह रहे थे कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस गरीब जनता के भले में चिंतन, मनन करके राजस्थान की सरकार हलफनामा दे सकती है, आग्रह कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार के लिए कि जिस तकनीकी शिक्षा में आपने प्रवेश के लिए किसी जमाने में 1984 में 400 रुपये फीस हुआ करती थी, आज बढ़ाकर के 41 हजार कर दी। आज गरीब विद्यार्थी के लिए राजस्थान में टैक्नीकल शिक्षा दुश्वार हो गई। आज राजस्थान का गरीब विद्यार्थी टैक्नीकल शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा रखते हुए भी प्रवेश नहीं ले पा रहा क्योंकि उसकी जेब में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय चाहता हूं। क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है, उसके पास प्रतिभा है, उसके पास विद्वता है लेकिन उसके मां-बाप के पास जेब में उसका पैसा जमा कराने के लिए 41 हजार रुपये नहीं। कहां गया था आपका चिंतन? क्यों महरूम किया आपने राजस्थान के उस गरीब विद्यार्थी को टैक्नीकल शिक्षा से? क्यों अलग रखा आपने राजस्थान के उस गरीब, असहाय परिवार के उस विद्वान बेटे को, बुद्धिमान बेटे को तकनीकी शिक्षा से? और आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अभी कम्प्यूटर शिक्षा के कंसेप्ट की बात कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, कम्प्यूटर शिक्षा होनी चाहिए। ई-गवर्नेंस का युग है, राजस्थान में कम्प्यूटर शिक्षा निश्चित रूप से आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? क्या कम्प्यूटर शिक्षा लाने के पीछे हमारा मन्तव्य स्पष्ट था? बोर्ड के माध्यम से 624 स्कूलों का कम्प्यूटर का ठेका दे दिया। ठेका देने से पहले विचार नहीं किया कि कितने विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है कितने में बिजली की व्यवस्था है और मुझे तो अफसोस होता है, जिस प्रांत की असेम्बली में बैठकर हम यह चर्चा कर रहे हैं कि राजस्थान शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा है, इसी सदन में शिक्षा मंत्री माननीय सी.पी. जोशीजी ने कहा था जब यह सवाल उठा था कि बिजली नहीं है आप कम्प्यूटर ला रहे हैं तो ऐसा कम्प्यूटर भी आ गया है जो बिना बिजली के चल जाता है। इसमें स्टेटमेंट है। हमने तो नहीं देखा और आ गया तो राजस्थान में लाया जाना चाहिए और सबसे पहले यहां विधायकों को दिखाया जाना चाहिए। जब यहां राजस्थान की विधान सभा में वह दिखाया जाएगा तो राजस्थान के जन में विश्वास पैदा होगा। कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर क्या हुआ? कम्प्यूकाम को 624 का दिया। और बाद में 2003-2004 के लिए पूरे राजस्थान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के लिए अनिवार्य कर दिया। न जाने कितनी कम्पनियों को दिया। कोटा में कोई हैदराबाद की कम्पनी साइबरटेल इन्फोटेक है उसको ठेका दिया। कौन पढ़ाने आ रहे थे? जहां सीमित स्कूलों में यह शिक्षा लागू हुई, कोई कम्प्यूटर का आपरेटर जो सामान्य किसी के यहां बाबूगिरी की नौकरी करता था, कोई बेरोजगार नौजवान जो कम्प्यूटर लेकर के कहीं बिल बनाया करता था, न कोई उनकी डिग्रियां, न कोई उनके नार्म्स। सबका खुला उल्लंघन हुआ। और फिर क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि इस बड़े बड़े सफेद हाथियों को कम्प्यूटर के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने ठेका दे दिया। उन्होंने गाइड लाइन का खुला उल्लंघन किया। गाइड लाइन के अनुसार शिक्षा प्रदत्त नहीं की और बेरोजगार लोगों को कम्प्यूटर लेकर पढ़ाने के नाम पर लगा दिया। आज उनका पैसा हजम कर गये। कौन जिम्मेदार है? क्या सफेद हाथियों से राजस्थान सरकार के मंत्रियों के हाथ तो नहीं मिले थे? क्या स्थिति आज राजस्थान की जनता के सामने स्पष्ट नहीं होनी चाहिए? शिक्षा की चिंता कर रहे हैं, यह मेरे पास...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं बोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा हो रही है। शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से है, सम्पूर्ण राष्ट्र की तरक्की से है, वैभव से है, शिक्षा सामान्य विषय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत सदस्य बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल : मैं बिल्कुल सीमित बोलूंगा अब। यह आप देखिये आपके कारनामें। स्टील फर्नीचर का घोटाला। मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जांच होनी चाहिए, इसके दोषी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा विभाग में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत नियमों के विरूद्ध जाकर 6.92 करोड़ रुपये का फर्नीचर खरीद लिया। और फर्मों को 12.16 लाख रुपये का बिक्री कर अलग से भुगतान किया जिस पर आडिटर जनरल आफ इण्डिया, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने आडिट टि्प्पणी लगाई और कहा है कि सरासर फर्मों को अदेय लाभ है। यह पढ़कर देख लीजिये आप। उपाध्यक्ष महोदय, पेज नम्बर 115 पर आपूर्ति आदेशों की शर्तों और उपबन्धों में दिया हुआ था कि आपूर्ति आदेशों में की गई दरों में कर, ड्यूटी शामिल थे इसके विपरीत विभाग ने फर्मों को रुपये 12.16 लाख बिक्री कर के रूप में अदा किये हैं जिससे फर्मो को 12.16 लाख का अदेय लाभ हुआ है। यह घोटाला कर रहे हो स्टील खरीदने में। गांव के बच्चे को आप आवश्यक संसाधन देना नहीं चाहते, आप आवश्यक सुविधा नहीं देना चाहते। आवश्यक संसाधन, आवश्यक सुविधा के नाम पर आप उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। यह घड़ियाली आंसू बहाने से राजस्थांन आगे नहीं जाएगा, आज नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ सजेशन मेरे देना चाहता हूं।

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आज कुछ नीतिगत निर्णय करना पड़ेगा, कुछ विचार करना पड़ेगा। क्या आप राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के कंसेप्ट को उठाकर बेरोजगार, अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए लगायें, मैं सवाल करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में शिक्षा जगत में जिस प्रकार से टिपीकल कोर्सेज आ गये हैं, जिस प्रकार से कठिन कोर्स आज पढ़ाई में चल रहे हैं, जो अध्यापक 25 साल पहले, 20 साल पहले नौकरी में एस.टी.सी. बी.एड. करके आया। आज उनका पढ़ाना दुश्वार हो रहा है। आज आवश्यकता है उसके लिए फ्रेश कोर्स की। आज जो अध्यापक नये कोर्स को समझ नहीं पा रहा है, उन नये और पुराने अध्यापकों के रेफरेंस कोर्सेज कराये जाने चाहिए और सच मायने में गांव के विद्यार्थियों के साथ न्याय करना चाहते हैं। एक तरफ तो पुराने प्रशिक्षित अध्यापकों के रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप समाप्त करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : और दूसरी तरफ आप खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। मैं एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। मांग रहा हूं, वही मांग रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह बहुत बड़ी विसंगति आई, इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह आपको विचार करना होगा। शिक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सौभाग्य से भ्रष्टाचार से बचा रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से आपने अध्यापकों को घूघरी बनाने वाला और डी.पी.ई.पी. में संकुल प्रभारी बनाया है, उसके भी भ्रष्टाचार मुंह लग गया है। भगवान के लिए आप शिक्षक को शिक्षक रहने दो, उसको भ्रष्ट मत बनाओ। भगवान के लिए इस शिक्षक को इस समाज का आदर्श रहने दो, उस पर धब्बे मत लगाओ। इस नीति में आज परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शिक्षक अगर भ्रष्ट बन गया तो समाज में भ्रष्टाचार की पीढ़ी संस्कार लेकर खड़ी होगी। इसलिए शिक्षक को शिक्षक रहने दो। और यह घूघरी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो घूघरी का जो कंसेप्ट है, इसमें कोई न कोई सुधार लाना चाहिए वरना कोई राजस्थान का विश्वविद्यालय कुम्भकोणम जैसा नहीं बन जाये। इसके लिए सावधानी बरती जानी चाहिए।

मैं जो यह मांग है शिक्षा की, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सम्भाग कोटा अब राजधानी बन गया है, इसलिए मेरे क्षेत्र की एक बात निवेदन करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने जो महाविद्यालय खोल दिये श्रेय लेने के लिए, लेकिन बिल्डिंग के नाम पर एक पैसा नहीं दिया। सांसद कोष से बिल्डिंग बनी, कुछ एम.एल.ए. ने दिया। पांच साल से वह भवन आंसू बहा रहा है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। उसकी दयनीय स्थिति को सुधार किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी मांग है मेरे इलाके विधान सभा क्षेत्र में माइनिंग की बहुलता है, वह माइनिंग की कोई टैक्नीक होनी चाहिए। औद्योगिक एरिया है, वहां पर आई.टी.आई. होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र कोटा जिले का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है। और कुछ विद्यालय जो मैंने आपको दिये हैं, निवेदन कर दूंगा व्यक्तिगत रूप से, उनका क्रमोन्नत होना बहुत जरूरी है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आयाम खड़ा करना चाहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं तो यह आपकी मेहरबानी मेरे विधान सभा क्षेत्र पर होनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे रखता हूं।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, कोटा बहुत बड़ा सम्भाग केन्द्र है। राजस्थान में हाई कोर्ट जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में मांग हो रही है। मैं आज सदन में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग रखता हूं कि कोटा में भी हो। कोटा में पिछले

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लम्बे समय से हाई कोर्ट की बैंच की मांग हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चेचट में मुन्सिफ कोर्ट की आवश्यकता है। इन सारी आवश्यकताओं पर आपके माध्यम से, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट में प्राथमिकताएं हैं, इस क्षेत्र को सुधारने के लिए आप लेकर आये हैं। मैं आशा करता हूं कि शतप्रतिशत पिछले राज में है नहीं। आपने वेतन हैड में से पैसा बचाया, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम खड़े होने चाहिए, यह जो आपने छह महीने की उपलब्धि दी है, सारा राजस्थान इसको पढ़कर अभिभूत है। मुख्य मंत्रीजी और आपका कृतज्ञ दिल से आभार व्यक्त करता है कि इस गति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम लोकतंत्र की भावना के अनुरूप इस राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ कर सके, समग्र विकसित प्रांत के रूप में लाकर खड़ा कर सकें, ऐसी अपेक्षा मैं आपसे करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त : आज गुंजल साहब बहुत गूंजे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24 शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। मेरा मुख्य प्रस्ताव है शिक्षा में गुणवत्ता लाने का, मैं इसी पर ज्यादा चर्चा करूंगा।

इस बार हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, उसमें काफी अच्छे प्रावधान, अच्छी योजनाएं रखी हैं, मैंने उसको देखा है। माननीय मंत्रीजी ने अभी कहा है कि 40 अरब के करीब पैसा इस बार वह खर्च करेंगे। बात तो सही है, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि शालाओं की संख्या बढ़ रही है, छात्र और छात्रों की संख्या बढ़ रही है। कई तरह की योजनाएं जिसमें शिक्षाकर्मी, साक्षरता का अभियान और लोक जुम्बिश, इन सारी संस्थाओं ने मिलकर हमने क्वांटिटी तो बहुत बढ़ा दी और मुझे चिंता है, क्वालिटी के बारे में बात करना ध्यान में आये। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के पिछड़े जिले हैं जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर आगे चलें तो कुछ दक्षिण इलाका भी, चित्तौड़गढ़ वगैरह इन सभी में जब हमने देखा, हमारा जो सेवाओं में चयन होता है, भर्ती होती है, उसमें इन पिछड़े जिलों के जो उम्मीदवार होते हैं, उनका चयन नहीं हो पा रहा है। 1998 में जब हमारे जिला परिषद की तरफ से चयन हुआ, प्रार्थना पत्र आये, सरकार ने पिछड़े जिलों के लिए कुछ बोनस मार्क्स भी रखे थे। रेजिडेंस के, ग्रामीण क्षेत्र का, इस तरह के, उसके बावजूद भी इन क्षेत्रों के

(श्री गंगाराम चौधरी)

लड़के सलेक्ट नहीं हुए हैं और पूर्वी राजस्थान के लड़कों का चयन हो गया था तो मुझे चिंता हुई। मैं कुछ दिन जिला परिषद में रहा था। चिंता इस बात की हुई कि हम क्वांटिटी तो बहुत बढ़ रही हैं, क्वालिटी क्यों घट रही है? क्या बात है, कहीं पर कमजोरी है। एक दफा मैं एक मास्टरों के वाक्पीठ में गया था मिडल स्कूल के हैडमास्टर्स के, उनसे जाकर पूछा कि बात क्या है, जब आप इतना पढ़ा रहे हैं तो कहां कमजोरी आती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। मास्टर हाजिर नहीं रहते है, चले जाते हैं। यह बात है, वह बात है। बच्चों के मां-बाप अनपढ़ हैं, वे तो ध्यान दे नहीं सकते और अध्यापक ध्यान देता नहीं है। आगे जाकर के मैंने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी वालों से पूछा तो वे कहते हैं कि मिडल स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती इसिलए हम कहां तक इम्प्रूव करें। हमारी नवीं क्लास में जब बच्चा आता है तब तक हम आगे क्या उस पर पढ़ाई करायेंगे? इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने सुझाव दिया कि प्राइमरी शिक्षण में गुणवत्ता को कैसे सुधारा जाये। चर्चा की, बात की तो हमने एक नई योजना तैयार की। 8वीं, बोर्ड की जिस प्रकार से परीक्षा होती है समान परीक्षा पद्धति से, उसी तरह से 5वीं क्लास का बोर्ड क्यों नहीं करते। तो एक नया तरीका सोचा और 5वीं कक्षा का बोर्ड, बाड़मेर जिले में शुरू किया गया था। बड़ी मुश्किल से सरकार से हमको इजाजत मिली थी। 2001 में 5वीं कक्षा बोर्ड के आधार पर जो परीक्षा हुई, उसके नतीजे अच्छे हुए। हमने यह चीज जरूर रखी कि जो अच्छा अध्यापक पढ़ाएगा, उसको तो हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको इनाम देंगे, जलसे में बुलायेंगे। और जो अध्यापक नहीं पढ़ायेगा, उसको दण्डित करेंगे, उसका स्थानान्तरण कर देंगे। यह सारी बात की तो नतीजे भी अच्छे आये। सरकार के ध्यान में आयी बात। शिक्षा विभाग में तय कर दिया कि हम सारे राजस्थान में 5वीं परीक्षा समान परीक्षा पद्धति से लागू कर दी है, हो गया। दो साल तक चला, उसके बाद में उसको स्कीम को खतम कर दिया। और स्कीम को खतम ही नहीं किया, उस पर यह तय कर दिया कि पहली से पांचवीं तक किसी को फैल ही नहीं किया जाये। और उसके बाद में एक दफा तो यह भी तय कर दिया कि आगे से पूरक परीक्षाओं की तरह आगे बढते जाओ और परीक्षा देने जरूर आओ। उसको तो खतम किया लेकिन पहली से पांचवीं कक्षा तक किसी को फैल नहीं किया जायेगा। अब आप देखिये. अब अन्तर कीजिये। बड़े शहरों से। बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल में. उसके अन्दर तो हर महीने में टैस्ट होते हैं बच्चों के, परीक्षा होती है. फिर आगे होता है, फिर उसके आगे चलते-चलते थे, सब जगह उसका स्टैण्डर्ड देखा जाता है कि बच्चा किस तरह से पढ़ता है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

तो हमारी जो कमजोरी है वो क्वांटिटी और क्वालिटी की, जैसा मैंने कहा कि जब क्वांटिटी इतनी बढ़ गयी तो क्वालिटी इस तरह से गिर गयी कि हमें उसका लाभ बराबर नहीं मिला। हर स्कीम का हम देखते हैं कोस्ट बेनीफिट रेश्यो तो हमारी शिक्षा पर आप 40 अरब रुपये खर्च करेंगे और अब तक भी किया है तो उसमें क्वांटिटी में तो हमने ठीक किया हमारा बेनीफिट हुआ लेकिन वो काफी नहीं है। चाहे इण्डस्ट्रीज हो, चाहे जानवरों की पैदावार हो, चाहे आप खेती करते हो। उसमें देखा जाता है कि अच्छी चीज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो गुणवत्ता जो गिर रही है उससे आप देखिये कि आपका बराबर फायदा नहीं हो रहा है। आपकी जितनी कोस्ट हो रही है उतना बेनीफिट अपन सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल इस मामले में आयी। और दूसरी चीज थोड़ी सी एक और दिक्कत हमारे सैकेण्डरी और हायर सैकण्डरी में भी पड़ गयी। हमारे वहां उदाहरण के तौर पर मैं एक जगह का देता हूं, शायद और जगह भी होगा। सीनियर हायर सैकण्डरी का साइंस का टीचर गांव के उन लड़कों को बराबर नहीं पढ़ाता है जो ट्युशन नहीं लेते उनसे। और बहुत से गरीब लड़के हैं वो ट्यूशन नहीं ले सकते पैसा बहुत खर्च होता है ट्यूशन का। बाड़मेर जैसी जगह केवल 3-4 जगह साइंस है। जैसे बाड़मेर सब डिवीजन में तो केवल एक बाड़मेर और बायतू ही है और बाकी बालोतरा, सिवाणा, मोकलसर, समदडी इन जगह साइंस है। तो साइंस, बहुत बड़ा इलाका है 6 पंचायत समितियों के लोग तो बाड़मेर ही आते हैं कुछ बायतू जाते हैं। और वहां पर जो गांव के लड़के भर्ती होते हैं उनको विज्ञान के हमारे अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। फिर आगे क्या करते हैं कि दण्डित और करते हैं। उसको छमाही में फेल करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे फाइनल में पहले प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में नम्बर कम कर देते हैं। तो इस तरह की जो चीज हुई तो एक लड़के की हालत बड़ी खराब हुई। उपाध्यक्ष महोदय, वह लड़का 85% मार्क्स लाया था और उसने साइंस ले ली तो साइंस लेने के बाद उसको तंग इस बात के लिए किया कि तुम हमसे ट्यूशन पढो। उसने कहा कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, मैं टयूशन नहीं कर पाउगा। छमाही के इम्तहान तक तीन महीने तक वो बाट देखता रहा, फिर वो प्रिंसीपल के पास गया। प्रिंसीपल से कहा कि मुझे तो आर्टस दिला दीजिये। प्रिंसीपल ने आर्ट्स देने से मना किया तो छमाही इम्तहान के अन्दर उसने अपनी कापी में सारा यह इतिहास लिखा कि मेरे साथ यह बीता, यह बीता और कापी छोड़ कर वो चला गया। और स्कूल छोड़ दी। उसकी पढ़ाई खतम हो गयी। साल भर बाद में हमने जब उसको वापस बुलाया और भर्ती कराने की कोशिश की तो हमारा प्रिंसीपल कहने लगा कि तूने हमारी शिकायत कर दी हम तेरी भर्ती नहीं करते। और उसको भर्ती भी नहीं कर रहे हैं और वहां पर प्रयास चल रहा है। हेमवीर उसका नाम है बाड़मेर में। यह तो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप स्टेण्डर्ड देख लीजिये। सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी में विज्ञान में अगर यह हालत होती है तो गांव का लड़का कैसे पी.एम.टी. और पी.ई.टी. में जाकर वो भर्ती हो

(श्री गंगाराम चौधरी)

पाएगा। नहीं हो पाता है। तो इसलिए पिछड़े जिलों की हालत यह है। अगर तो इस गुणवत्ता को सुधारने के लिए कुछ आप स्टेप्स लीजिये। मैं तो अब भी समझता हूं कि चाहे विभाग माने चाहे नहीं माने हमारे सैक्रेटरीज वगैरह नहीं मानते हैं इस बात को। मैं तो अभी भी यह कहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से टैस्ट होते हैं लड़कों के इस तरह से आप क्यों नहीं उनको कुछ तरीका ऐसा निकालें कि वो पंचम बोर्ड, मैं तो पंचम बोर्ड को अभी भी ठीक समझ रहा हूं। पांचवीं क्लास का बोर्ड हो तो भय लगता है डर लगता है मास्टर को। हाजिर रहता है और उसकी देखभाल तो हो नहीं सकती। सुपरवीजन, सुपरवीजन में क्या है। एक तो बी.डी.ओ. और एक ब्लाक एजुकेशन आफिसर और दो एस.डी.आई. और उसकी पांच सौ सात सौ प्राइमरी स्कूल हैं। बी.डी.ओ. उसको जीप नहीं देता तो फिर वो कैसे जाएगा और कैसे देखेगा। सुपरवीजन कुछ भी नहीं है। मास्टर हाजिर रहे, नहीं रहे, कोई देखभाल नहीं होती है तो इस चीज की आप मेहरबानी करके कोशिश करें। अच्छा अब हाई स्कूल वाली बात मैंने कर ली। आगे मैं बात यह कहना चाहता हूं कि छात्राओं का ड्राप आउट्स, लड़कियां, 8वीं तक तो लड़की किसी तरह से मर-भिड करके पढ़ती है। पांचवीं तक ही पढ़ती है खास तौर से। अब लड़कियों की संख्या पिछड़े जिलों में बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। और 8वीं के बाद में वो दूर तक स्कूल में जा नहीं सकती। होस्टल्स वहां पर हैं नहीं। सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी में तो प्रयास यह रहता है, लोगों की मांग यह रहती है कि छोरियों को आगे पढ़ा कोनी सकां। म्हाके अठे खुलावो आप 10वीं स्कूल 12वीं स्कूल। यह मांग ज्यादा है। मैं नहीं कह सकता कि आपके बजट में इतना प्रावधान नहीं है बात तो सही है। लेकिन इस चीज को धीरे-धीरे देखिये कि छात्राओं की पढ़ने में अब रूचि ज्यादा है और उनको सर्विसेज भी अच्छी मिल जाती है। तो उनको पढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। प्राइवेट संस्थाएं कुछ तैयार हुई हैं। वो कहते हैं हम होस्टल्स बना देते हैं। तो होस्टल के लिए जमीन भी लड़कियों के लिए तो फ्री भी मिल जाती है।

मैं लम्बा नहीं करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ध्यान है आप सोच रहे हैं कुछ। तो एक तो प्राइवेट संस्थाएं या स्वयंसेवी संस्थाएं समझ लीजिये वो अगर जमीन लेकर होस्टल चलाये तो उन्हें आप स्वीकृति दीजियेगा। और दूसरा आप कितनी मिडल स्कूलों पर एक सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी कर सकते हैं। आपने एक रेजीडेंशियल स्कूल के अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए तो कुछ प्रावधान रखा है इसमें, बजट में। लेकिन वो काफी नहीं है। इनकी लड़कियां तो खैर कम पढ़ती है चलो यह भी अच्छी चीज है। फिर भी आप जनरली ऐसा क्यों नहीं कर देते हैं आवासीय, जिसमें लड़कियां ही लड़कियां पढ़ सकें। कम से कम पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर अगर रख दें तो वह एक अच्छी चीज है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

अब मैं अन्त में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। मैंने शुरुआत में कहा कि सेवा में प्राथमिकता नहीं मिलती है। प्राथमिकता के लिए बोनस मार्क्स किये तो भी नहीं हुआ। एक चीज है जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये जो बैकवर्ड इलाके हैं इन इलाकों में अनुसूचित जनजाति के लिए बैकवर्ड किया तो उसमें तो नौकरियां मिल जाती है दूसरे जिलों में नहीं मिलती हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्रीजी गयी थीं तो उन्होंने विशेष दर्जा कुछ जिलों को दिलवाये जाने की बात की थी। अच्छी चीज है। जो सूखा सम्भावित है मैं यह निवेदन करूंगा कि विशेष जिले के बजाय कुछ जिलों को बैकवर्ड घोषित किया जाए। कुछ जिलों को अगर आप घोषित करवाएंगे तो उसमें सूखा सम्भावित और कुछ जिसमें शिक्षण संस्थाएं होते हुए भी शिक्षा का स्टैण्डर्ड नहीं है, गरीब लोग हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एक दफा 2001 में एक लैटर मुझे मिला एन.आई.आर.डी. नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रूरल डवलपमेंट अपने हैदराबाद में है। जिला परिषद बाड़मेर को लैटर दिया प्रमुख के नाते कि नेशनल लेवल की एक कांफ्रेंस हो रही है उसमें पिछड़े जिलों को जिनको अब तक पूरी तरह से देखा नहीं गया, अब तक पूरा ध्यान नहीं दिया गया, जो डवलपमेंट में पीछे रह गये हैं ऐसे जिलों को अपन आइडेंटीफाई कर लें। और उन जिलों में विशेष रूप से अलग स्कीम बनायेंगे तो आप आइयेगा। राजस्थान पूरे में एक बाड़मेर जिले को उन्होंने छांटा था क्योंकि वो उस वक्त साक्षरता में बहुत पीछे था। तो लैटर आया और उसमें लिखा था कि मिनिमम अर्जेन्ट नीड का ब्रीफ भेजियेगा। मैंने एक लैटर भी भेज दिया वहां पर। वो कांफ्रेंस भी हुई। अच्छा लैटर जो आया था उसमें लिखा था कि कंट्री में 120 कुल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्टस को चिन्हित कर रहे हैं उसमें आपका जिला भी है। कांफ्रेंस हुई। प्लानिंग कमीशन में गया मामला। रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री के लैटर्स आये। लेकिन हमारे जिले को फिर भी बैकवर्ड घोषित नहीं किया। पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस पर बहस चली थी। लेकिन एम.पीज कहने लग गये कि हमारा जिला करो, हमारा जिला करो। तो सारी बात वहां पर खतम हो गयी। फिर एक दफा मैंने ये सारे पेपर्स इकट्ठे करके, हमारे वहां राष्ट्रपतिजी आये थे, तो राष्ट्रपतिजी के सामने ही मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कागज पेश किये। वो सारे लैटर्स मेरे पास जो थे। और उन्हें निवेदन किया कि प्लानिंग कमीशन में हमारा मामला विचाराधीन है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान के कुछ और डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, बाड़मेर जो इकानामिकली, एजुकेशनली एण्ड सोशली तीनों क्षेत्रों में जो पिछड़ा है ऐसे जिलों को आप कब से कब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित करवाइगा। राष्ट्रपतिजी ने टेक करके कहा अच्छा मैं...। तो उन्होंने ऊपर जाकर के प्लानिंग कमीशन को भेज दिया मेरा लैटर वहां से जवाब आया। प्लानिंग कमीशन ने आखिर में जाकर यह फैसला किया इनमें 20 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड

(श्री गंगाराम चौधरी)

घोषित किये हैं लेकिन नार्म्स के अनुसार आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं आता। खैर यह बात है। लेकिन मैं यह बात यहां पर इसलिए कर रहा हूं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है लेकिन सेवा के चयन प्रक्रिया में यह काम की चीज है इसलिए मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं इस बात का। और अगर हमारी सरकार इस बात को लेकर केन्द्र में प्लानिंग कमीशन और रूरल डवलपमेंट मिनिस्ट्री में जाये कि राजस्थान के जो सूखा सम्भावित पिछड़े जिले हैं जो एजुकेशनली, सोशियली, इक्नामिकली, सब तरह से पिछड़े हुए हैं इनको अगर बैकवर्ड घोषित किया जाये और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के बाद डवलपमेंट का पैसा तो आयेगा। लेकिन एक चीज और हो सकती है। वह हो सकती है कि जिस तरह से बैकवर्ड जातियां, अन्य पिछड़ी जातियों को आप सेवा में प्राथमिकता देते हैं इस तरह से हो सकता है कि बैकवर्ड जिले के कैंडीडेट को सेवा में प्राथमिकता दे दी जाये। इस तरह की कुछ कोशिश कीजिए नहीं तो इस पिछड़े इलाके में हमारे को नौकरी तो मिलती नहीं है और पढ़ पढ़ कर बेरोजगार होते हैं। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डा. बी. डी. कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला : एक व्यक्ति के बाद बुलाना मुझको।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के ऊपर इस सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। यहां पर मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने बहुत ओजस्वी भाषण दिये, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ओजस्वी भाषणों से यदि शिक्षा में सुधार हो जाये तो यह कभी का हो जाता। इन भाषणों से सुधार नहीं हो सकता है। इस सुधार के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अब आप इसके लिये कितनी इच्छा शक्ति रखते हैं या नहीं रखते हैं आने वाले समय में इस बात का पता पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की जब से सरकार आई है मैं देख रहा हूं एक ही इनका आलाप है कि पूर्ववर्ती सरकार ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया, राजस्थान का भट्टा बैठा दिया, शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, सब कुछ आपकी बात को सही मान लें तो उसका निर्णय तो हो चुका है। उसका निर्णय जनता कर चुकी है। अब आप उसका निर्णय क्या करना चाहते हैं और कोई भी निर्णय करना चाहते हैं तो आप एक बार निर्णय ले लें, लेकिन आप रोज पांच साल तक इसी बात के गीत यहां गाते रहेंगे, आलाप अलापते रहेंगे तो उससे फिर सुधार हो जाये तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर, जैसलमेर यह सीमावर्ती जिले हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए रेगिस्तानी जिले हैं। अकाल निरन्तर इन जिलों में छाया रहता है। वहां पर शिक्षकों की इतनी भारी कमी है कि शिक्षा में गुणवत्ता आये तो आये कैसे। आखिर स्कूल में कोई पढ़ाने वाला तो हो। बिना गुरू के ज्ञान कैसे आ सकता है। जब विद्यालयों में अध्यापक ही नहीं है, गुरू ही नहीं है, आज मिडिल स्कूले हैं कहीं तो एक अध्यापक है, कहीं दो अध्यापक हैं। प्राइमरी स्कूलों में कहीं एक अध्यापक है और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी का व्याख्याता नहीं, हिन्दी का व्याख्याता नहीं, विज्ञान का व्याख्याता नहीं, वरिष्ठं अध्यापक नहीं। आखिर स्कूल खोल देने मात्र से यदि शिक्षा का विस्तार हो जाये, शिक्षा का सुधार हो जाये, शिक्षा में गुणवत्ता आ जाये तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल खोलने में तो एक इतना सा कागज ही चाहिये और ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके बाद में वहां पर अध्यापकों की व्यवस्था हो, पढ़ाने वालों की व्यवस्था हो, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व में हमने ध्यान नहीं दिया तो कोई हमने भी अच्छा काम नहीं किया। अब हमने अच्छा काम नहीं किया क्या आप भी अच्छा काम नहीं करना चाहते। आप भी वही करना चाहते हैं जो हमने किया। मंत्रीजी आप सिर हिला रहे हैं, मेहरबानी करके आप तो अच्छे काम के लिये कदम उठाये। आपने अभी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया। परिवर्तन किया है, क्रमोन्नत नहीं किया है राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को। आपने प्राथमिक विद्यालयों में से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी क्रमोन्नत किया। 1402 प्राथमिक विद्यालय में से उच्च प्राथमिक विद्यालय में, 1661 आपने नये प्राथमिक विद्यालय खोले और राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को आपने प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया। कितने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं हैं जिनको आपने प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया उसमें आपने कोई अध्यापक लगाने की व्यवस्था की। अध्यापक तो वही है जो पहले से शिक्षा सहयोगी लगे हुए हैं। फिर नाम बदल देने से उनमें शिक्षा का सुधार हो जायेगा तो फिर कोई बात नहीं, नाम बदलते रहिए। आपने नये प्राथमिक विद्यालय खोले। कितने नये प्राथमिक विद्यालयों में आपने अध्यापक लगाये, 1661 खोले, शुरू हुए कि नहीं हुए, हुए तो फिर अध्यापक कहां से आये आपने कोई नई नियुक्तियां तो की नहीं। पहले से अध्यापक है ही नहीं। एक एक ही अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में लगे हैं। मेरा कल एक प्रश्न था उसका जवाब आपने इतना लम्बा चौड़ा दिया है। जिसमें अकेले बाड़मेर जिले में आधे से अधिक अध्यापकों के पद खाली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर आप इसके बारे में सोच

(श्री हेमाराम चौधरी)

क्या रहे हैं। आप कहेंगे कि हम नई भर्ती करने जा रहे हैं, हम पदोन्नति करने जा रहे हैं। आप पदोन्नति से पद भरेंगे तो पीछे दूसरे पद खाली हो जायेंगे। नई नियुक्तियों की जहां तक बात है, आपने आर.पी.एस.सी. से भर्ती का निर्णय लिया है।

(15.58 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

आर.पी.एस.सी. से भर्ती होकर नियुक्ति होने में कितना समय लगेगा और उस आर.पी.एस.सी. में कौन लोग नियुक्ति होंगे। क्या आप सोचते हैं कि बाड़मेर जिले के लोग उसमें नियुक्त हो जायेंगे? यह तो जब परिणाम सामने आयेगा उस समय पता चलेगा। इसलिए दूसरे जिले के लोग सलेक्ट हो जायेंगे आर.पी.एस.सी. से वह बाड़मेर जिले में आना नहीं चाहेंगे। एक बार नियुक्ति के लिये आ जायेंगे वह लेकिन उसके बाद वह या तो स्थानान्तरण करवा कर के चले जायेंगे या फिर छुट्टी लेकर बैठ जायेंगे। विदआउट पे हो जायेंगे लेकिन वहां स्कूल में नहीं ठहरेंगे।

सभापति महोदय, इसलिए इन अध्यापकों की, व्याख्याताओं की, सब्जेक्ट टीचर की इतनी भारी कमी है इसको आप किस प्रकार से कैसे दूर करेंगे इस पर आपको गम्भीरता से सोचने की जरूरत है और दूर किये जाने की जरूरत है। और आप दूर नहीं करेंगे, हमने ठीक काम नहीं किया तो हम देख रहे हैं आज, और आप भी ऐसा करो तो आपकी इच्छा है। उसमें हमें आपको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप हमारी सलाह मानोगे भी नहीं। हम चाहे अच्छी सलाह दें, हम ही नहीं आपकी पार्टी के भी कुछ लोग आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। लेकिन उनकी सलाह आपके दिमाग में शायद बैठे या नहीं बैठे, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि अच्छी बात, कड़वी बात हर किसी के दिमाग में बैठना मुश्किल होती है। हर किसी की प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। बस यहां प्रशंसा के पुल बांधे जाओ। वर्तमान मुख्य मंत्री की प्रशंसा के पुल बांधो, मंत्रीजी की प्रशंसा के पुल बांधो। अब सत्तापक्ष के सदस्य ज्यादा पुल बांधते हैं। मैं भी आपकी तारीफ मैं कोई आपकी योग्यता को, काबिलियत को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। बहुत काबिल आदमी हैं आप। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे तो बहुत काबिल हैं आप। बहुत काबिल हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इतने काबिल हैं तो क्या यह कहने की जरूरत है कि आप बहुत काबिल हैं। यह भी बताने की जरूरत है क्या, इसके लिये तो जनता अपने आप आपकी काबिलियत को आने वाले समय में निर्णय कर लेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं उतना मीठा नहीं हूं जितने मीठे आप हो। उतना मैं नहीं हूं। मीठे ज्यादा हो।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, मीठा मैं भी नहीं हूं। यह कमी मेरे में भी है। कमी हर कोई में होती है, इसलिये किसी में कोई कमी नहीं हो तो वह फिर कभी कोई गलती करता ही नहीं। वह तो देखता है, फिर भगवान है। पर जो गलती कर ले और गलती को गलती स्वीकार कर ले वह तो इन्सान है और जो गलती को गलती करके फिर स्वीकार नहीं करता है। वह इन्सान नहीं, वह हैवान है।

श्री भागीरथ चौधरी : अब तो गलती को स्वीकार कर रहे हो ना आप।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिये, सभापति महोदय, जो मैं अध्यापकों की कमी के बारे में, समय की कमी है, आप कह रहे हो, इसलिये मुझे लगता है, अभी बहुत सी बातें कहनी हैं। इसलिये मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप इस पर ध्यान दो।

आप स्कूलों पर स्कूल खोले जा रहे हैं। इस बजट में भी आपने रखा है। हम ने भी खूब सारी स्कूल खोलीं। लेकिन स्कूल में अध्यापक हो, ठीक से वह स्कूल चले, इस बात की व्यवस्था करो आप। इस पर आप ध्यान दो। यह नहीं होगा तब तक शिक्षा में कोई किसी प्रकार से सुधार आप लाना चाहते हुए भी ला नहीं सकेंगे।

दूसरा, आपने शिक्षा सहयोगी, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स यह सब देन तो हमारी है। पर आप इसको कुछ ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि चुनाव के समय अखबारों की आप कह रहे थे, लोग आपसे भी मिले थे। शिक्षा सहयोगी, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स और संविदा पर कुछ लोग लगे और कुछ नहीं लगे जो कुछ रह गये वह हमारे से भी लगातार बराबर मिलते रहे थे। हम उनके लिये कुछ कर नहीं पाये। और आप लोगों ने कहा अब आप चिन्ता मत करो, आप इनको उल्ट दो, इनको शासन दे दो। हम आपके काम ठीक कर देंगे। तो उन्होंने खूब मेहनत की आपके लिये। वे लगाये हुए हमारे थे, यह बात सही है लेकिन काम आपके लिये किया उन्होंने। क्योंकि उनके मन में इतना अहसास था कि इन्होंने 12 सौ रुपये में हमारे से काम लिया और हमारा कोई भविष्य नहीं। हम स्थायी होंगे, नहीं होंगे, अध्यापक लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इतनी नाराजगी थी उनसे। उस बात को मैं अहसास करता था। हो सकता है सभी अहसास करते तो शायद उनका कुछ हो जाता। लेकिन सबको अहसास नहीं हुआ। मुझे इस बात का अहसास हो गया था, ये इनको गोडा दे देंगे। और किसी को तो नहीं, मैंने सोचा मेरे को भी ये दे देंगे। लेकिन चाल-चाल चल गया। इसलिये, सभापति महोदय, अब आपने उनको आश्वासन दे दिया, अब आप पर भरोसा किये हुए बैठे हैं तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

आप उनके लिये कुछ करना। आप नहीं करेंगे तो फिर वह आपके गोडे दे देंगे। अब जनता भी क्या करे। जनता के भी मुसीबत हो गयी यह कि वह हमारे को देखते फिर बाद में उसको कुछ नहीं होता, फिर वापस दुबारा देखते हैं। इनसे तो वही अच्छे। आगे से पीछा भला, नाम भला लटूरा। वह वाली बात हो जाती है। लटूरे वाली बात सुनाऊं, इतना टाइम नहीं है।

इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इनके लिये कुछ करें। संविदा वाली बात है, संविदा में कुछ लोग, कुछ दिनों के लिये, महीनों के लिये नहीं, कई लोग कुछ दिनों के लिये ही स्कूलों में लग गये थे। और फिर कोर्ट से कोई फैसला आया और जिन लोगों को मालूम पड़ा, जिन जिला परिषदों को मालूम पड़ा, जिन प्रमुखों ने जिनको इत्तिला कर दी उन्होंने फार्म भरकर नियुक्तियां प्राप्त कर लीं। एक टाइम दिया था, उस टाइम के अन्दर। और जिनको पता नहीं पड़ा, गांव में बैठे रहे, उनको, वह वैसे ही रह गये। अब तो कम से कम एकरूपता तो रखो। संविदा में वह भी थे, संविदा पर वह भी थे। अब रह गये। वे गांव में रहते थे, ढाणियों में, उनको ज्ञान नहीं हुआ। बाकी दूसरों ने एप्लायी किया, नौकरी प्राप्त कर ली, वे भी कर लेते। इसलिये बाकी के लिये भी आप अगर कर देंगे तो, इतनी ज्यादा कोई संख्या में भी नहीं हैं। कौनसा आसमान टूट जाएगा। इसलिये वह आप पर खुश होंगे कि इन्होंने उनकी तरह फैसला करके हमारे साथ भी न्याय किया।

सभापति महोदय, आपने स्थानान्तरित नीति की भी बात कही। स्थानान्तरण नीति तो आप बना नहीं पाएंगे। क्योंकि प्रजातंत्र है यह। प्रजातंत्र में सत्ता में आने के बाद में सत्ता में बैठे लोगों को बहुत सारे लोग इधर-उधर से घेर लेते हैं और फिर वही उनकी इच्छा के हिसाब से काम करवाते हैं। इसलिये यह मुश्किल काम है फिर भी आप कर जाओ तो मैं आपको बहादुर मानूंगा। क्योंकि सोचा तो आपने भी था, ऐसी बात नहीं है, आपके मन में यह था। नहीं तो कोई हमने तो आपके मुंह से कहलवाया नहीं था, आपकी इच्छा थी तब आपने कहा था। लेकिन आप कर नहीं पाये और आगे भी कर पाओगे, मुश्किल लगता है। लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल करो, दुर्भावना से, राजनीतिक भावना से तो आप किसी का स्थानान्तरण मत करो। आपने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये उसमें लिखा स्वेच्छा से, आन रिक्वेस्ट, विदाउट टी.ए., डी.ए. अब वह अध्यापक कह रहा है मैंने तो कोई स्थानान्तरण की एप्लीकेशन ही नहीं दी। मैं तो चाहता नहीं, मेरा घर छोड़कर मैं क्यों जाऊं। और मेरा आदेश हो गया कम से कम आप मेहरबानी करके उनका तो कैंसिल कर दें। आपने आश्वासन तो दिया, क्रियान्वित हुआ कि नहीं हुआ, मुझे अभी तक उसकी जानकारी नहीं है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसलिये मंत्री महोदय, यह बात तो आप करें, क्योंकि मैं जानता हूं...। मैंने कहा, ये रामसिंहजी बैठे हैं। इन्होंने अभी मुझे छेड़ दिया। एक बार ये आये थे सोनरी। तो मैंने इनसे कहा, रामसिंहजी। एक मिनट आप मेरे को डिस्टर्ब नहीं करें... (व्यवधान) इनको मैंने कहा, ये मंत्री थे और मैं मंत्री नहीं था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस उम्र में भी आदत छोड़ी नहीं आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : छेड़ने की नहीं, छोड़ने की बात कही थी।

श्री हेमाराम चौधरी : ये मंत्री थे और मैं मंत्री नहीं था उस टाइम। मैंने कहा- रामसिंहजी, आप सरकार में बैठे हैं और मंत्री हैं। कम से कम वह काम तो कर दिया करो जिसमें सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं होना है। तो बोले, बिना एक रुपया खर्च हुए ही काम हो जाए, ऐसा कौनसा काम है जो आप कहते हो कर दो। मैंने कहा, वह जो सरकारी कर्मचारी बिना टी.ए., डी.ए. के आन रिक्वेस्ट ट्रांसफर चाहते हैं, जहां पोस्ट वेकेंट है वह तो कर दो। लेकिन वह भी नहीं कर पाये। नहीं कर पाये तो वह भी हमारे से नाराज रहे। तो इसलिये किसी का भला होता है तो उसके करने में किसको तकलीफ है। खाली जगह है, कोई खुशी से जाना चाहते हैं तो ऐसे काम करने में तो मैं समझता हूं, आप करिये, उसमें हमारे को तकलीफ नहीं। लेकिन राजनीतिक भावना से आप करेंगे तो उससे लाभ तो हमारे को होगा, लाग रन में। लेकिन अभी इस समय जरूर वह लोग कुछ हमारे से नाराज होंगे। इसलिये मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहता हूं स्कूल खोलने में आप राजनीतिक भेदभाव नहीं बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। बरतेंगे तो आपकी इच्छा, आपके ऊपर कोई हम तो दबाव डाल नहीं सकते। हम तो आपसे अनुरोध, विनती ही कर सकते हैं। अभी आपने प्राइमरी स्कूल खोलीं, 14028 आपने उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खोले।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 17-18 मिनट हो गये।

श्री हेमाराम चौधरी : अब उसमें हमारी राय से तो आपने कोई नहीं खोली। पर आपने कहा है आगे आपकी अनुशंषा का ध्यान रखेंगे। रखेंगे तो आप, हमने आपको दी है, आपकी मेहरबानी होगी। नहीं खोलेंगे तो भी यह संसार चलता रहेगा। इस दुनिया में कोई आसमान तो गिरने वाला है नहीं। आपके लोग भी विपक्ष में बैठे थे, उनके ऊपर आसमान नहीं गिरा। सत्ता में आ गये। आज मंत्री बन गये। तो इसलिये यह समय परिवर्तनशील है। मैं जब मंत्री था, आपकी पार्टी के कोई विधायक कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मैंने उसका, किसी का काम नहीं किया तो एक तो खड़े होकर कहे ना कोई। वाजिब काम करना है, इसमें क्या, सत्ता में बैठे हैं तो मंत्री कोई बी.जे.पी. के, ठीक है आपको बहुत मिल गया। लेकिन होता है, आप राजस्थान के मंत्री हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इन्होंने कहां मना किया, आप क्यों नाराज हो रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी : आप इस भावना से काम करोगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। आपकी भावना क्या है, वह भावना किसी को पता नहीं है। वह तो अन्दर की चीज है। उसका पता तो सिर्फ ईश्वर को लग सकता है। ईश्वर जो करता है वही होता है। इन्सान के हाथ में कुछ भी नहीं है। इन्सान की यह सब भूल है। अब भूल में फंसा हुआ है। इसलिये वह चलता रहता है। इस चक्कर से बाहर कोई भी निकल नहीं सकता। बाकी करने वाला सब ईश्वर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह जो आप कह रहे हो, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करा दें। यह जो आपके नीतिगत वाक्य 2-4 हैं, इनको पाठ्यक्रम में शामिल करा दें।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, नीतिगत क्या, वैसे तो कुछ होना नहीं है। ठीक है। सभी ने अपनी बात इस सदन में कह दी और मैं भी अपनी बात, सुझाव कह दूं, मानना या नहीं मानना आपका काम है। माने, या नहीं माने, आपको बुरा लगे तो उससे और उल्टा करें तो कोई बात नहीं। यह तो अभी तो मैं देख रहा हूं कि आप किस प्रकार से, आप अगर हमारी बात को गलत उल्टा ही करेंगे तो मैं दूसरे हिसाब से सुझाव देना शुरू कर दूंगा मेरे। मेरे क्या जाएगा? नहीं तो मैं आपको अभी सही बात कह रहा हूं। इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको, क्योंकि कटारियाजी उस समय इधर बैठते थे, उस समय बहुत अच्छी बात कहते थे...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री हेमाराम चौधरी : एक मिनट में ही समाप्त करता हूं। एक मिनट में। उस समय बहुत अच्छी बात कहते थे और मैं उनकी बात सुनता था और मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगतीं थी। मैंने कहा कि यह कितनी अच्छी बात कहते हैं लेकिन क्या करें इस पर तो कोई हो नहीं रहा है। मैं महसूस करता था बैठा-बैठा यहां पर लेकिन आज तो अब कटारियाजी उधर हैं। कटारियाजी के पास यह विभाग होता तो कहते लेकिन कटारियाजी और आपमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप भी विद्वान हो इसलिए आप इस पर ध्यान दें और शिक्षा का स्तर सुधारें।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री मोहनलालजी।

श्री हेमाराम चौधरी : खाली पढ़-लिख जाए और आगे उसका कोई भविष्य नहीं और आज यह कह रहे हैं कि किस प्रकार से नींव कमजोर होगी तो वह फिर किस काम का आदमी होगा? मारवाड़ी में कहावत है कि-भण्यो पर गुण्यो कोनी, कोई काम को। "भण्यो पर गुण्यो नहीं," तो वह काई काम को? (धन्यवाद)।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-24 के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रगट करने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। शिक्षा, कला एवं संस्कृति विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। हमारी सरकार ने अपने बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने जो-जो घोषणाएं की हैं शिक्षा के सम्बन्ध में वह सब आप लोगों को मालूम है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में दो तरह की शिक्षा दी जा रही है। एक सरकारी स्कूलों के माध्यम से और दूसरी प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक पढ़ाने वाले हैं उनकी तनख्वाह खूब है। लेकिन उनका आउट-पुट क्या है, यह एक विचारणीय विषय है। वहां पर जो बालक किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यह भी हम सब लोगों के लिए एक विचारणीय विषय होना चाहिए कि क्या वास्तव में उन्हें सही ढंग की शिक्षा दी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में जिस प्रकार का आकर्षण है, जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है क्या हमारे अध्यापक उस प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकते हैं? निश्चित रूप से वे दे सकते हैं। हाइली-पेड है। प्राइवेट स्कूलों में मिलते होंगे 2000, 3000, 4000 रुपये लेकिन एक सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक हैं उसको आठ-आठ, दस-दस हजार रुपये तनख्वाह मिल रही है। 15,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही है तो क्या हमारे सरकारी विद्यालय अच्छे स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, यह एक चेलेंज का विषय है। कांग्रेस सरकार के लिए भी था और आज हमारे विद्वान शिक्षा मंत्रीजी के लिए भी है कि वास्तव में, हमारे तिवाड़ीजी को यह डिपार्टमेंट मिला है। यह एक चेलेंज है। जब केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ने के लिए लोगों की क्यू लग सकती है, वह भी सरकारी विद्यालय है। वह कोई प्राइवेट नहीं है। वह भी केन्द्र संचालित विद्यालय है। वहां पर क्यू लग सकती है, शिक्षा का एक स्तर है। पढ़ाई का एक स्तर है। खेल-कूद का एक स्तर है। सांस्कृतिक गतिविधियों का एक स्तर है तो क्यों नहीं हमारे यहां सरकारी स्कूलों में इस स्तर को हम पैदा कर सकते हैं? यह एक चेलेंज का विषय है। अध्यापक लग जाएंगे जहां पर अध्यापक नहीं है वहां पर लग जाएंगे। उनकी सब बातें पूरी हो जाएंगी लेकिन यदि वहां से जो पढ़ा-लिखा विद्यार्थी केवल साक्षर होकर ही आ जाए और वह एक अच्छा विद्यार्थी होकर नहीं आये और एक अच्छा नागरिक बनकर नहीं आये, एक सद्चरित्र नागरिक बनकर नहीं आये, एक सेवार्थी नागरिक बनकर नहीं आये तो फिर उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। हमारा करोड़ों रुपया जो हमने खर्च किया है, वह निश्चित रूप से बेकार है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वह हर विद्यालयों में लिखा हुआ है-

"ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान।"

ज्ञान के लिए व्यक्ति पवेश करता है, बालक प्रवेश करता है और जब वह प्रस्थान

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

करता है वहां से तो उसके मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की और अपने सम्पूर्ण मानवता की सेवा के लिए यहां से प्रस्थान करूंगा। इस प्रकार की भावना लेकर, इस प्रकार का क्षमतावान बालक वहां से निकलना चाहिए लेकिन इस प्रकार का क्षमतावान बालक निकलता है क्या? यह एक विचारणीय विषय है। शिक्षा शास्त्रियों की रिपोर्ट भी है। आज लार्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसी के आधार पर हमारे विद्यालय चल रहे हैं। शिक्षा पद्धति में सुधार हो, इसके बारे में हमारा कोई चिन्तन नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इस प्रकार की घोषणा करें कि हमारी शिक्षा पद्धति में सुधार हो और जो विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वे निश्चित रूप से अच्छे नागरिक बनकर निकले तो निश्चित रूप से हम राजस्थान की जनता का एक भला कर सकते हैं। एक माडल हमारी राजस्थान की शिक्षा का जाए। इस प्रकार की एक घोषणा माननीय शिक्षा मंत्रीजी करें।

मैं कहना चाहूंगा कि कुछ सुधार सरकारी स्कूलों में अपेक्षित है। छोटे-मोटे सुधार। अगर वे छोटे-मोटे सुधार हो जाए, कहीं पर टायलेट नहीं है, कहीं पर पंखे नहीं है, कहीं पर फर्नीचर नहीं है। कहीं पर टाट-पट्टी नहीं है और तो और मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं हमारे कांग्रेसी मित्रों की ओर। मेरे क्षेत्र में एक विद्यालय ऐसा है जयपुर शहर में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जयपुर शहर के किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जो पेड़ के नीचे भी चलता है। केवल पेड़ के नीचे जहां पर विद्यार्थियों के लिए कक्षा नहीं है। पंखे, टाट-पट्टी और फर्नीचर की बात तो दूर है और वह भी एक ऐसा विद्यालय है जो अल्पसंख्यक इलाके में है जहां से कांग्रेस के बहुतायत मात्रा में वोट भी मिलते हैं। इस प्रकार की एक स्थिति है। एक विद्यालय ऐसा है जिसमें कांग्रेस के राज में, पूरी बिल्डिंग, खेल का मैदान, सब कुछ होने के बाद भी उस विद्यालय को बंद कर दिया गया और जबरदस्ती वहां के लोगों ने जाकर चालू करवाया, दरबार विद्यालय। कितना बड़ा खेल का मैदान है, कितनी बड़ी उसकी बिल्डिंग है और उसके बावजूद भी वह बन्द हो गया। यह जयपुर शहर की स्थिति है। जयपुर शहर के मध्य की स्थिति है। यह सरकारी विद्यालयों की स्थितियां हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा स्कूल, यह दरबार स्कूल बन्द करवाया। अगर वहां के अध्यापक चाहते जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में कन्वेयन्सर जाते हैं, शुरू-शुरू में जाकर अपना प्रचार-प्रसार करते हैं। आज सरकारी विद्यालयों में फीस माफी है। किताबें मुफ्त में दी जाती है फिर भी वहां पर विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहे हैं शहरों में? क्या हमारे शिक्षक घर-घर में जाकर इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते हैं कि हमारे विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधाएं हैं, आप आइये और पढ़िये और अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए। लेकिन

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनको काम केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग का है और उसके अलावा कुछ नहीं है।

मैं यह चाहता हूं कि हमारे सरकारी विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनकी ड्यूटीज इस प्रकार से नहीं लगायी जाए ताकि वह विभिन्न कार्यक्रमों में लगे। उनकी ड्यूटी इस बात की हो कि वे क्षमतावान, योग्यतावान और एक अच्छा विद्यार्थी वहां से निकाले और उसके लिए वहां के आस-पास के लोगों से सम्पर्क करके वह सरकारी विद्यालयों में पढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। निश्चित रूप से वे अगर जाएंगे और आस-पास के लोगों से सम्पर्क करेंगे और उन विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छी शिक्षा का उन्हें विश्वास यदि दिलाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालयों में भी सब लोग पढ़ाएंगे। अमीरों के बच्चे भी वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अब कया हो गया, गरीबों के बच्चे वहां सरकारी विद्यालयों में जाते हैं और अमीरों के बच्चे नहीं जाते हैं। और अमीरों के बच्चे और मध्यम क्लास के बच्चों की भी स्थिति एक अलग से है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों में से तो बहुत सारी स्कूलों को तो सरकार एड देती है। प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारी स्कूलों को हमने नि:शुल्क या नाम मात्र की रेट पर जमीन दी है और उसके बावजूद भी उनकी फीस के स्ट्रक्चर पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अभी कुछ दिन पूर्व बनीपार्क में एक विद्यालय में अभिभावकों ने आन्दोलन किया था। मैंने आपका ध्यान उस ओर आकर्षित भी किया था। और आपने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फीस स्ट्रक्चर को तय करने के लिये सरकार अपनी एक नीति बनाएगी, एक सिद्धान्त बनाएगी और वह अनावश्यक रूप से फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। यह मध्यम क्लास के लोगों पर एक बहुत बड़ा भार है कि एडमिशन के नाम पर, कम्प्यूटर की शिक्षा के नाम पर, काशन मनी के नाम पर, डिपोजिट के नाम पर विभिन्न प्रकार की फीसें वहां ली जाती हैं। आज जयपुर शहर में जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनकी आप जमीन के आबंटन की फाइल मंगवाइये नगर विकास न्यास से, नगर निगम से, जे.डी.ए. से उनको इस शर्त पर जमीन दी गयी कि वह गरीब विद्यार्थियों को कुछ सुविधाएं देंगे। और निश्चित रूप से गरीब विद्यार्थियों को, सभापति महोदय, थोड़ा आपका सहयोग चाहिये, (व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट में अपनी बात खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति : पांच मिनट नहीं, दो मिनट में अपनी बात खतम करिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : पांच मिनट।

श्री सभापति : सिर्फ दो मिनट में।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अच्छा, मैं यह कह सकता हूं कि उनकी स्कूल को यदि आप चैक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका नियन्त्रण हो जाएगा और गरीब लोग भी वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार ने अभी हमारे मुरली मनोहरजी जोशी ने जो शिक्षा नीति तय की थी, इसको चेंज करने के लिये एक कमेटी बिठा दी और शिक्षा का जो स्वरूप है वह उसे प्रदान कर रहे थे। उसको चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। उस वक्त डा. मुरली मनोहर जोशीजी की अध्यक्षता में समिति बनी थी। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रवादी शिक्षा बच्चों को मिले, इस बात का प्रयास किया था। लेकिन शिक्षा का साम्प्रदायीकरण कहकर, शिक्षा का भगवाकरण कहकर उस बात को टाला जा रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो विद्यार्थियों की इतिहास की पुस्तकों में और विभिन्न पुस्तकों में जो बातें पढ़ाई जा रही हैं, क्या वह सही है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि वह बातें सही हैं। उसके बाद भी राजस्थान की सरकार ने उस बात को नहीं माना। मैं दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अर्जुन देव की आधुनिक भारत पृष्ठ 21 में यह लिखा हुआ है कि आगरा और मथुरा में जाटों का एक शक्ति केन्द्र स्थापित हुआ। उन्होंने भरतपुर में अपना राज्य स्थापित किया। यहां से आसपास में लूटपाट करते थे। दिल्ली के दरबार को अस्थिर करने के लिये षड्यन्त्र रचते थे। क्या इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देना ठीक है? जाट राजाओं के बारे में इस प्रकार की गलतफहमियां बच्चों को देना ठीक नहीं है। एक और बात कहना चाहूंगा अर्जुन देव आधुनिक भारत पृष्ठ 182 में लाला लाजपतराय के बारे में लिखा है बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिखा है, विपिन चन्द्र पाल के बारे में लिखा है कि वे उग्रवादी के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह इस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं।

शिक्षा मंत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर के बारे में इस प्रकार की बातें कहीं जा रही हैं। आर.एस. शर्मा की पुस्तक है- "प्राचीन भारत" पृष्ठ संख्या 92- भगवान महावीर 12 वर्षों तक एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भटकते रहे। इतनी लम्बी यात्रा में उन्होंने कभी भी कपड़े नहीं बदले और 42वर्ष की आयु में तो निर्वस्त्र हो गये। इस प्रकार की गलत बात भगवान महावीर के बारे में पढ़ाई जा रही है और उसके साथ-साथ एक बात और पढ़ाई जा रही है। प्रो. सतीश चन्द्र "मध्यकालीन भारत" पृष्ठ

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

संख्या 85 औरंगजेब खुदा से डरने वाला इंसान था। वह ज़िंदा पीर के रूप में प्रसिद्ध था। अकबर के बारे में बात पढ़ाई जा रही है। अकबर राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण स्थापित करना चाहता था, शाही राजपूत परिवार से विवाह सम्बन्ध स्थापित कर उसने अपनी इच्छा को पूर्ण किया। रोमिला थापस "प्राचीन काल" पृष्ठ संख्या 86 गुरू गोविन्द सिंह के बारे में-सातवें गुरू के बारे में-सातवें गुरू की मृत्यु के पश्चात् औरंगजेब ने गद्दी के लिये संघर्ष तथा सिक्खों के आपसी मतभेद को देखते हुए गुरू तेग बहादुर का वध करने का आदेश दिया। यह रोमिला थापर लिख रही है "मध्यकालीन भारत" पृष्ठ संख्या-86 इस प्रकार की गलत बातें इतिहास में बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इस प्रकार की गलत बातें राम, कृष्ण और अर्जुन के बारे में यह कही जा रही है "मध्यकालीन भारत" पृष्ठ 158 राम, कृष्ण और अर्जुन काल्पनिक वीर पुरूष थे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत बातें अर्जुन देव, रोमिला थापर, डा. आर.एस. शर्मा, डा. सतीश चन्द्र आदि द्वारा जो किताबें लिखी गयीं हैं इनके द्वारा विपरीत संस्तुति...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : डा. अम्बेडकर के बारे में सबसे गन्दा जिस अरूण शौरी ने लिखा, उसको तो आपके वाजपेयीजी ने मंत्रिमण्डल में रखा था और आपकी पार्टी ने राज्य सभा का टिकट दिया उनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह सब चीजें इतिहास में पढ़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया।

श्री कालीचरण सर्राफ : इसको सही करना चाहते हो क्या? तो यह सहमत है क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप सहमत हैं तभी कांग्रेस के शासन काल में यह सब बातें पढाई जा रही हैं।

श्री संयम लोढ़ा : जनता पार्टी 1977 में आई तब से किया यह। इतिहासकारों को बदलने का काम, पुस्तकों को बदलने का काम किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। अपने कमेंट्स पास नहीं करें। (व्यवधान)

मोहम्मट माहिर आजाद : नहीं, डा. भीमराव अम्बेडकर के लिये तो कोई लिख दे वह ठीक है। उसको आप सही मानते हो क्या?

श्री संयम लोढ़ा : आपकी सरकार का मंत्री और राज्य सभा का टिकट दिया उसको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : निन्दा प्रस्ताव पास करना चाहिये था अरूण शौरी के लिये आपको।

श्री संयम लोढ़ा : पार्टी से निकालो, अगर इतना ही आपके अन्दर सोच है तो। जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान की रचना की उसके बारे में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भारत का संविधान बनाया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय गुप्ताजी, यह आपके बस का विषय नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह गलत है पर यह भी गलत है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कालीचरणजी आ चुके हैं। यह आपके बस का नहीं है विषय।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। आप कन्क्लूड करें। एक मिनट में।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। आप अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। डा. अम्बेडकर के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की गलत बात नहीं कही है लेकिन कांग्रेस के लोगों ने (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अरूण शौरी ने जो किताब लिखी है, जो विषवमन किया है...(व्यवधान) आपकी पार्टी ने राज्य सभा का टिकट दिया। (व्यवधान) अरूण शौरी ने लिखा है...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिये। अरूण शौरी आपके नेता है। उन्होंने लिखा है और आप सबने उसको स्वीकार किया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अगर उन्होंने लिखा है तो गलत लिखा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 12 सितम्बर, 2002 की...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनके बस की बात नहीं है।

श्री सभापति : आप क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : एन.सी.ई.आर.टी. के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया है और आपकी सरकार द्वारा यह पाठ्यक्रम पढ़ाये जा रहे हैं और यू.पी. की सरकार इसके वापस चेंज करने के लिये कमेटी बिठा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप माननीय बी.डी. कल्ला। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय मैं दो मिनट में अपनी बात कन्क्लूड करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा के भगवाकरण के नाम पर पाठ्यक्रम में ऐसी गलत बातें न पढ़ाई जाये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आज इस बात की घोषणा करें कि यह गलत बातें हमारे विद्यार्थियों को हम नहीं पढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पालीटैक्निक महाविद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी है उसको भी निश्चित रूप से आप दूर करें। और इस मांग का समर्थन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री टीकमचन्द कान्त : इतिहास को सही पढ़ाया जाये कम से कम यह बात तो सही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला और संस्कृति के बारे में जो मांग शिक्षा मंत्रीजी ने रखी है उसके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह बात सही है कि विद्या ददाति विनयम्...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आप बिराजें। बीच में बातें नहीं करें। आप बैठकर बात करें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : विद्या किसी भी व्यक्ति के बनने का माध्यम है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है। बचपन में हर बालक-बालिका और उसके अभिभावकों का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ बने और बालक-बालिका भी यह चाहते हैं कि मैं बड़ा होकर कुछ बनूं। कुछ चाहते हैं हम बड़े होकर इस देश के अच्छे प्रोफेसर बने, डाक्टर बने, इन्जीनियर बने, अच्छे आई.ए.एस. अफसर बन अथवा अच्छे खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं कई लोग। लेकिन वह तभी बन सकते हैं जब वह शिक्षित होते हैं। सभापति महोदय, शिक्षा ही किसी व्यक्ति के बनने का माध्यम है। बिना शिक्षा के वह कुछ भी नहीं बन सकता। इसलिए हमारे देश के महान् मनीषि विवेकानन्दजी ने कहा था शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये बहुत आवश्यक है। सफदर हाशमीजी ने अभी एक गीत लिखा-"किताबें कुछ कहना चाहती है।" बहुत चर्चित हुआ, लेकिन आज इन सब चीजों पर मनन की आवश्यकता है। अब्राहम लिंकन ने अपने लड़के के अध्यापक को एक चिट्ठी लिखी, जो आज भी मौजूद है। उसमें उन्होंने लिखा था मेरे बच्चे को केवल सफल होना न सिखाएं. वह असफल होने पर कैसे सफल हो। गिरकर कैसे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सम्भले। वह केवल हंसना न सीखे, उसको रोना भी आना चाहिये। कुल मिलाकर उसको गिरकर सम्भलने की बात आनी चाहिये जिससे व्यक्ति का समग्र विकास होगा और वह आगे बढ़ सकेगा। अच्छे शिक्षण के लिये तीन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो बालक जिज्ञासु हो। बालक-बालिकाओं को जिज्ञासु होना चाहिए। दूसरा, अध्यापक उसका कैसा है, गुरू कैसा है। पहले विद्यार्थियों की पहचान होती थी कि यह उस गुरू से पढ़े हुए हैं और इसलिए गुरूओं के बारे में कहा गया था-"गुरूब्रह्मा गुरूर्विष्णु गुरूर्देवो महेश्वर:, गुरू साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरूवे नम:।"

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : फिर आप तो गुरू को मानते ही नहीं हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : श्रीमाली के नाते गुरू हो और दूसरे नाते से आप देख लो कि कौन सीनियर है। श्रीमाली समस्त ब्राह्मणों के गुरू होते हैं।

श्री सभापति : तो नहीं मानते के पीछे कारण क्या हैं, उनका पता करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इधर बैठा हूं तो मैं भी तो हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : महावीरजी, आपका गुरू कौन है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे गुरू आप हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो खुद ही गुरू घंटाल हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्ला साहब, आज आपने बुद्धिमानी की बात करी है, अब मैंने समर्थन कर दिया आपका।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब धीरे-धीरे इधर का अनुभव हो रहा है न। आपको इधर का अनुभव ज्यादा है हमको उधर का अनुभव ज्यादा है।

"गुरू गोविन्द दोऊ खड़े कां के लागू पाय बलिहारी गुरू आपनो गोविन्द दियो बताए"। तो जो गुरू की बात सीखने वाला है वह तो गुरू ही है। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षित होना चाहिए और उसका एक तरह से लगातार प्रशिक्षण आवश्यक है तब जाकर वह अपने विषय के बारे में अधुनातन जानकारी रखेगा। और जब वह कक्षा रूम में जाता है तो उसको, कम से कम विद्यार्थी को आनन्द की अनुभूति हो, जायफुल एजुकेशन आज एक नया कान्सैप्ट आया है। यदि विद्यार्थी को लगे कि स्कूल जाने में उसको कष्ट हो रहा है तो वो ही विद्यार्थी स्कूल नहीं जायेगा। और विद्यार्थी को लगे कि मैं घर के बजाय स्कूल जाऊंगा तो मुझे वहां आनन्द की अनुभूति होगी तब विद्यार्थी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

स्कूल जायेगा। इसलिए जायफुल एजुकेशन की आवश्यकता है और वह तभी होगी जब हमारा अध्यापक ट्रेंड होगा। केवल बी.एस.टी.सी. या बी.एड. करने से काम नहीं चलेगा। लगातार, हर एक-दो साल के बाद उसको प्रति वर्ष या दो-तीन सालों में अपने विषय के बारे में अधुनातन जानकारी, टीचिंग एड्स के बारे में और शैक्षिक नवाचार आ रहा है उसके बारे में उसको पूरी नालेज होनी चाहिए तब जाकर वह अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे।

तीसरी जिम्मेदारी आती है हमारे अभिभावकों की। अभिभावक यदि बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे, कई अभिभावक मैंने ऐसे देखे हैं जो दस दिन में, पन्द्रह दिन में अपने बच्चे को सम्भालते नहीं हैं तो बच्चे का क्या असर होगा। जब विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक यह तीनों बच्चे पर ध्यान देंगे तब हमारे बच्चे पढ़ पायेंगे।

मैं अभी बहस सुन रहा था, कई माननीय सदस्य ऐसे कह रहे थे जैसे शिक्षा में कुछ हुआ ही नहीं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप जब रिप्लाई दें तो बताएं कि पिछले दशक में राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत किस तरीके से आगे बढ़ा है। हमारी बालिकाएं 22 प्रतिशत पढ़ी हुई थीं और आज हमारी बहनों का 44.34 प्रतिशत हमारा साक्षरता प्रतिशत हो गया। कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि हमने गांव में, रिमोट एरियाज में शिक्षा के लिए व्यापक प्रबन्ध किये। लोक जुम्बिश, डी.पी.ई.पी. प्रोग्राम और अपने अनेक प्रकार के कार्यक्रम चला कर, जिनमें शिक्षाकर्मी योजना है। अभी एक माननीय सदस्य जोरदार, जैसे उनमें कोई आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री प्रकट हो गये हों और बड़ी बाहें ऊंची कर करके कह रहे थे कि कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिक्षाकर्मी योजना आपने चलायी थी? आप कितना मेहनताना देते थे, 800 रुपये, 1200 रुपये। तो पहले अपने दिल के अन्दर झांक कर देखें कि आपने क्या किया और जो आपने किया बल्कि हमने तो पैराटीचर की तनख्वाह बढ़ायी। हर वर्ष 200 रुपये का इन्क्रीमेंट देकर पैराटीचर को आगे बढ़ाया और पैराटीचर को पक्का करने का वायदा किया। इसके लिए हमने नियम बनाये, ठीक है वह नियम चैलेंज हो गये। वह एक अलग चीज है लेकिन हमने पैराटीचर को एक तरह से पंचायत टीचर की तरह समझ कर यह कोशिश की कि हमारे पैराटीचर नियमित हो जाएं। पैराटीचर्स ने जो काम किया व हमारे अध्यापक काम करते थे उसके बराबर या उससे बेहतर काम किया। इसलिए इन पैराटीचर को यदि आप इग्नोर करेंगे तो निश्चित रूप से यह राजस्थान की ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम हो जायेगी और उनके साथ अन्याय होगा। हमारा पैराटीचर सबसे पहले हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो अध्यापक काम करता था। उन ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को हर 10 साल

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

में, 12 साल में शिक्षा विभाग में सीनियरटी के आधार पर ले लेते थे, इसी तर्ज पर हमने यह कोशिश की थी कि पैराटीचर को धीरे-धीरे मैन स्ट्रीम में लेकर और उनको अध्यापक, थर्ड ग्रेड टीचर्स के रूप में, जिसको आजकल हम अध्यापक कहते हैं उसके रूप में उसको ले लिया जाए। लेकिन अब आप आर.पी.एस.सी. में जा रहे हैं, खैर, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, प्रसंगवश इस बात को कह गया। कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पुरूषों के साक्षरता का प्रतिशत तो राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत से भी ज्यादा है और यह सब चीजें पिछले वर्षों में प्रयास करने से हुई।

मेरा यह दावा है कि राजस्थान में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो काम पिछले वर्षों में हुआ है, मैं समझता हूं देश के किसी भी हिस्से से बहुत अच्छा हुआ है और इसकी आप तारीफ करने से तो दूर रहे। आप गांव की चिन्ता करते हो, गांव में तीसरी में अंग्रेजी की पढ़ाई किसने शुरू की? आप फाइल उठा कर देख लें, मेरे आदेश हैं शिक्षा विभाग की पत्रावली में कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग के अधिकारी यह तैयारी करें कि पहली कक्षा के अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करायी जायेगी ताकि हमारा गांव के बच्चे किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से कमजोर नहीं रहें। हमने तीसरी कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की और पहली से दूसरी की तैयारी हमने शुरू करा दी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट एक कन्टीन्यूइंग प्रोसेस है, आपको चाहिए कि गांवों में प्राइवेट स्कूलों में बराबर हमारे बच्चे आएं। उनसे हैल्दी कम्पीटिशन हो तो हम अपने बच्चों को, खास तौर से पहली और दूसरी कक्षा में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करें। मीडियम कोई जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी रखें लेकिन कम से अंग्रेजी उनको सिखाएं तो सही। पहले हमारे यहां छठी कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी तब हमारे गांव के बच्चे कमजोर रह जाते थे क्योंकि पांच वर्ष तक पढ़ते ही नहीं थे लेकिन शुरू से जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो गांव का विद्यार्थी दूसरे प्राइवेट स्कूलों की तुलना में वह भी कम.से कम अंग्रेजी का शिक्षण पहली कक्षा से लेता रहेगा, अंग्रेजी का माध्यम आगे कभी लेना चाहे तो वह ले सकेगा।

इसी प्रकार से विद्यालय विकास समितियों का हमने गठन किया। हर विद्यालय की हमने अलग से समिति बनायी और उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि को, वहां के प्रधानाध्यापक को, अध्यापक-अध्यापिका को, वहां के चुने हुए जो सरपंच हैं उनको और इसके साथ-साथ वहां के मौजूदा रिटायर्ड लोग हैं उस गांव के, उनको लेकर एक समिति बनायी। उनसे विद्यालयों का विकास हुआ और उनको एक तरह से निर्णय का पावर दे दिया कि वो अपने स्तर पर उस स्कूल के विकास का कोई भी कदम उठाना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहें। कोई डोनर वहां पर भवन बनाना चाहे, कोई प्रयोगशाला बनाना चाहे, कोई इक्विपमेंट देना चाहे तो अपने स्तर पर उसको स्वीकार कर सकते हैं। पहले दान स्वीकार करने के लिए भी यहां राज्य सरकार के पास आना पड़ता था। शिक्षा विभाग इतना बड़ा विभाग है कि मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी अनुभव कर रहे होंगे कि इसमें 24 घंटे मेरे ख्याल से काम के लिए कम पड़ते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं खास तौर से कि विद्यालय विकास समितियां जब से बनी हैं शिक्षा विभाग का काम, डाइरेक्टरेट का काम काफी कम हुआ है और उसके माध्यम से विद्यालयों का विकास हुआ है। वहां पर पेड़-पौधे लगे हैं, वहां पर हैण्डपम्प लगे हैं, वहां पर प्रयोगशालाएं बनी हैं, वहां पर भवन निर्माण के काम हुए हैं, वहां पर कम्प्युटर्स आये हैं। अनेक काम आते जायेंगे। आप जितना इनको स्ट्रैन्थन करेंगे उतना ही विद्यालय विकास समितियों के माध्यम से इन स्कूलों का विकास होगा। आप प्राइमरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, सीनियर सैकण्डरी स्कूल, इन तमाम स्कूलों में विद्यालय विकास समितियों का गठन कर इनके माध्यम से इनको इफैक्टिव बना कर प्राइवेट डोनर से इन स्कूलों का विकास करवा सकते हैं।

इसके अलावा पेरेंट्स मीटिंग कभी नहीं होती थी। अभिभावकों को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा होम वर्क करता है या नहीं करता है, खेल-कूदने में हिस्सा लेता है या नहीं लेता है। उनकी मेडिकल जांच कभी भी नहीं होती थी। यह सारे काम हमने विद्यालयों में शुरू करवाये। शनिवार की सभा को अनिवार्य किया। अभी पूर्व राजस्व मंत्रीजी, जो बाड़मेर जिले से पधारते हैं, उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता की बात की। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। शिक्षा मंत्रीजी, जब तक हम शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए, क्वालिटेटिव चैलेंज के लिए काम नहीं करेंगे शिक्षा का सपना हमारा अधूरा रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाए। गुणात्मक सुधार के लिए सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगा कि हमारे एक हजार स्कूलों के भवन ही नहीं हैं बिना भवन की स्कूलें हैं उनके भवन सबसे पहले बनाए जाएं। दूसरा काम हमारे को यह करना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा में जहां पर प्रयोगशाला नहीं हैं वहां प्रयोगशाला बनाई जाए। जहां लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं हैं वहां लाइब्रेरी में पुस्तकें खरीदी जाएं। जहां प्रयोगशाला है वहां कोई इक्वीपमेंट नहीं हैं तो उनको वैल इक्वीप्ड किया जाए। इसके साथ-साथ हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए तब जाकर के हमारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा।

समय-समय पर हम अपने शिक्षकों के माध्यम से गरमी की छुट्टियों में जो बालक कमजोर हैं उन बालकों के लिए विशेष कोचिंग क्लासेज वहीं स्कूलों में लगाएं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हम कर सकेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माननीय शिक्षा मंत्रीजी को मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कम्प्यूटर शिक्षा के बिना आज व्यक्ति इललिट्रेट है। मेरे को स्वयं को एक बार इन्टरनेट से कोई जानकारी करनी थी मुझे दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ी और मुझे महसूस हुआ कि मुझे कम्प्यूटर सीखना चाहिए। तो कम्प्यूटर लिट्रेसी का प्रोग्राम चलाने के लिए नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं से हमने यह कार्य शुरू किया था, मैं चाहता हूं कि आप इस काम को और नीचे लेकर आएं, छठी, सातवीं, आठवीं से इस काम को शुरू करें ताकि हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी कम्प्यूटर लिट्रेसी के बारे में जान सकें और वह विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कम्पीट कर सकें।

हमारे यहां शिक्षा एक ऐसा विषय है कि इसमें कोई राजनीतिक सीमाओं में रहकर हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं। इससे ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। हमारा कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन सर्वपल्ली डाक्टर राधाकृष्णन, अनेक लोगों ने अपने विचार दिए। और विचार देकर यह कहा कि शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा को एक साथ रखना चाहिए। आप इसको बुरा मत मानिएगा, आपकी सरकार ने व्यवसायिक शिक्षा आते ही बन्द कर दी। और व्यवसायिक शिक्षा बन्द करने के कारण जो हमारे प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से लोग स्वावलम्बी हो रहे थे, कोई जरूरी नहीं है सारे लोग उस शिक्षा में जाएं। उस शिक्षा में वहीं लोग जाएं जो रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं लेकिन कुछ विद्यार्थी दस जमा दो प्रणाली से सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर ली उसके बाद वह एक तरीके से वर्किंग पापुलेशन का हिस्सा बने, कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा बने और वह बनने के लिए जो माध्यम था वह माध्यम बन्द हो गया। हम लोग चाहते थे व्यवसायिक शिक्षा को शुरू करना। आप कहेंगे कि आपने क्यों नहीं शुरू किया, मैं पहले ही उसका उत्तर दे देता हूं। हमारे वक्त में चार साल का...

श्री महावीर प्रसाद जैन : अपराध भाव से ग्रसित हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, मेरे तो अपराध भाव है। अपराध किया है तो कोई कार्यवाही कर लो, जेल में बन्द कर लो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके बोलने से ऐसा लग रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं तो अपराध से ग्रसित हूं आप अहम् भाव से ग्रसित हैं। इस अहंकार को कम करो महाराज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारा कोई अहंकार नहीं है। अब आपको सुनने के लिए 11 मैम्बर हैं यह मेरा अहंकार नहीं है पर आप इसको देखो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप 120 में से कितने हो (व्यवधान) आप 20-22 हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप बोल रहे हो तो हम तो आपको सुनने के लिए बहुत हैं परन्तु आपकी पार्टी के लोग नहीं हैं। यह नोटिस लेना चाहिए आपको (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती : सभापति महोदय, जब चर्चा शांति से चल रही है, माननीय सदस्यों को आप निवेदन करें कि चर्चा ढंग से होने दें। शांति से हम सुन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं तो आप कृपया शांति से सुनें। बीच-बीच में बोलना उचित नहीं है।

श्री जुबेर खान : अहमदाबाद गए हैं क्योंकि कल नवलजी शपथ ले रहे हैं इसलिए नहीं हैं यह बात नहीं कि आपके भी कभी जाते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पता नहीं था।

श्री जुबेर खान : आपकी तो मुख्य मंत्रीजी बाहर बैठी रहती हैं, सदन में ही कभी नहीं आती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हमेशा हाउस में अटेन्डैंस कम रहती है। आप कभी-भी देख लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई बात नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनके कितने लोग हैं 120 में से, हमारे तो लोग अहमदाबाद गए हुए हैं आपके कहां गए हुए हैं दिल्ली या कलकता गए हुए हैं, कहां गए हुए हैं? गिनो तो सही आप। आपके थ्री लाइन व्हिप जारी है आपके पच्चीस आदमी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : गिनती भी नहीं आती आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, मेरे को नहीं आती, मैं मैथेमैटिक्स में... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : हद हो गयी आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, मास्टर हैं गिनती भी नहीं आती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बता दो, आप करैक्ट कर दो मेरे को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 45 लोग हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर।

श्री सुरेन्द्र पारीक : इनके समय में जो मुख्यमंत्री थे वह तो केवल शपथ लेने के लिए आए, शपथ लेने के बाद आज तक सदन में आए ही नहीं। वह आते ही नहीं, पता नहीं कहां रहते हैं वह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, मैंने तो आपकी जानकारी के लिए कहा है।

श्री सुरेन्द्र पारीक : वह छान बीन करवाओ, कहीं वह गायब तो नहीं हो गए अशोक गहलोत शपथ लेने के बाद आए ही नहीं इस सदन में।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : मुख्य मंत्रीजी कितनेक दिन आते हैं।

श्री सुरेन्द्र पारीक : आते हैं आज भी आए हैं, रोजाना आते हैं। आकर गए आपने देखा नहीं, आंख बन्द करके बैठ जाते हो।

एक माननीय सदस्य : अभी भी विधान सभा में ही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। माननीय सदस्यगण, बीच में टोका टाकी न करें प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं उनको सुनें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप चीफ व्हिप को प्रताड़ित कीजिए (व्यवधान) यह मान नहीं सकते अपनी हरकत से।

श्री संयम लोढ़ा : चीफ व्हिप को प्रताड़ना दो इनके पता नहीं पैरों में बिच्छू काटता रहता है क्या हर वक्त खड़े हो जाते हैं उचक उचक कर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मेरे से मत अड़ो।

श्री सभापति : आप क्यों उचक रहे हैं? आप बिराजिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहली बार तो कल्लाजी विद्वता से बोल रहे हैं इनको बोलने दो। रेस्ट दिया है इनको आराम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो रेस्ट देने के लिए, इनका गला सूख रहा था. मेरा कोई इरादा नहीं है आपको डिस्टर्ब करने का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पूर्व शिक्षा मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन्होंने आपस में तय किया हुआ है रेस्ट देने के लिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने तो तय किया हुआ नहीं है आप लोगों ने इनको समझाया हुआ जरूर है।

श्री सभापति : अब आप फरमाएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, गीजू भाई एक बहुत अच्छे शिक्षाविद हुए हैं। उन्होंने बालपन की गहराइयों में उतरकर उनको किस तरीके से उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाना चाहिए उसके लिए बहुत अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। मैं चांहता हूं कि हमारे पुस्तकालयों में वह पुस्तकें जितनी ज्यादा आएंगी, बहुत कम लागत की पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों के माध्यम से बालकों के मन मस्तिष्क पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं खास तौर से एलीमैंट्री एजुकेशन की क्या प्राब्लम है उसके बारे में आना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश में बीस लाख बालक बालिकाएं ऐसे हैं जो स्कूल जाने से वंचित हैं और आपने सन् 2004 के कार्यक्रम में अपने प्रगति विवरण में लिखा है कि तेईस लाख बालक बालिकाओं के लिए आप चाइल्ड ट्रेकिंग प्रोग्राम को शुरू करेंगे और उसके माध्यम से उन बच्चों को स्कूल में लाने का प्रयास करेंगे तो उन तेइस लाख बच्चों को आप लाने का प्रयास तो करेंगे ही लेकिन आपने दूसरी ओर तेरह जिलों में लोक जुम्बिश कार्यक्रम चल रहा था, मुक्तांगन कार्यक्रम और उसी के अनुसार स्व शिक्षा और शिक्षा मित्र के बारे में आपने अभी जून में मीटिंग माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में की और उसमें यह फैसला लिया कि उनमें जो कार्यरत लोग थे उनको आप रखेंगे। उसमें जो कुछ लोग अनुबन्ध के आधार पर लगे हुए थे उनको आपने रखा है लेकिन एजेन्सीज के माध्यम से कुछ लोग रह गए हैं वह आज भी सड़क पर हैं और ज्यादातर उसमें महिलाएं हैं जिन्होंने वास्तव में इस शिक्षा विभाग के लिए काफी मेहनत की है। हजारों लोगों को उन्होंने एक तरीके से एनरोल किया है। मैं चाहता हूं नए लोगों की वनिस्पत उन लोगों को आप तवज्जोह दें, उनके माध्यम से उन कार्यक्रमों को जारी रखें।

इसी प्रकार उर्दू के पैरा टीचर्स जो वर्षों से करीब चालीस से लेकर तिंयालीस हजार विद्यार्थियों का नामांकन सभापति महोदय, उन्होंने किया था। वह भी आज सड़क

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पर हैं उनको कोई काम नहीं है। उर्दू पैराटीचर्स को भी पैरा टीचर्स की तरह आप कंटीन्यू करें ताकि उनके माध्यम से जो वंचित वर्ग है उन लोगों को आगे लाना चाहिए।

शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा मंत्रीजी ड्राप आउट की प्राब्लम है। स्कूलों में नामांकन हो जाता है, हम राजी हो जाते हैं, शत प्रतिशत नामांकन हो गया, स्कूल चलो अभियान हमारा सफल हो गया। जैसे ही घर का काम होता है कई लोग पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं बालक बालिकाएं और कोई घर के काम से चले जाते हैं। उसके बाद अक्टूबर में हम लोग रिव्यू करते हैं तो पता लगता है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा बच्चे उड़न छू हो गये, वाक आउट हो गये। ऐसी स्थिति में ड्राप आउट की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। इसलिये स्कूल चलो अभियान केवल जुलाई में न हो, यह अभियान जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर तक हो तब ड्राप आउट की समस्या का समाधान होगा और शत प्रतिशत नामांकन का जो लक्ष्य है वह पूरा होगा।

मैं खास तौर से आपको कहना चाहूंगा कि एजुकेशन इनफ्रास्ट्रक्चर के पाकेट्स में स्थान-स्थान पर गेप है जिसको ब्लेक होल्स कहते हैं। यह ब्लेक होल्स वाक आउट के कारण होते हैं, इसको भरने की आवश्यकता है और इसके लिये हमको सुगठित टीम बनाने की आवश्यकता है हमारे टीचर्स की ताकि जो नामांकन हो वह इधर-उधर न हो।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोक जुम्बिश के जो अनुदेशक मुक्तांगन और अन्य जगह काम कर रहे हैं या एजेन्सीज के माध्यम से कार्यरत थे, उनको यह संदेह है कि आपने उन विद्यार्थियों का रेगुलर, नियमित विद्यालयों में नामांकन करवा दिया है तो वहां तो वह बच्चे आयेंगे नहीं। कोई आठ किलोमीटर, कोई दस किलोमीटर, कोई पांच किलोमीटर नियमित विद्यालय से दूर है। आप एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि हम हर एक किलोमीटर के ऊपर एक प्राइमरी स्कूल प्रोवाइड करेंगे तो फिर उन बच्चों को कौन पढ़ायेगा। तो मैं यह चाहता हूं कि भारत सरकार जब आपको सर्व शिक्षा अभियान में मुक्त हस्त से धनराशि दे रही है तो इन सब चीजों को आप बन्द न करें। यदि इनको बन्द करेंगे तो साक्षरता के प्रतिशत का जो ग्राफ बढ़ा है वह नीचे चला जाएगा वापस और राजस्थान में फिर निरक्षरता आ जाएगी। निरक्षरता और गरीबी यह दोनों वीसियस सरकल जो है वह राजस्थान में जो बना हुआ था उसको कम करने की हम लोगों ने कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आप भी शिक्षा का जितना विस्तार करेंगे गरीबी कम होगी और शिक्षा जितनी कम होगी उतनी गरीबी बढ़ेगी इसलिये इस वीसियस सर्कल को तोड़ने की आवश्यकता है।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आपको उदाहरण देकर मैं बताना चाहूंगा कि सुई गांव लूणकरणसर में, 5 छात्रों पर दो शिक्षक हैं। जहां इस प्रकार की चीजें हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। मैंने केवल एक उदाहरण दिया है लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि राजस्थान में 65 करोड़ रुपया इस साल के बजट में खर्च कर रहे हैं उसमें खास तौर से 1661 प्राथमिक विद्यालय हैं, 715 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 400 माध्यमिक विद्यालय, 200 सीनियर सैकेण्डरी स्कूल आप खोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है लेकिन दूसरी तरफ जो 50-60 साल से स्कूल चल रहे हैं आर्थिक और अनार्थिक, स्कूल कभी आर्थिक थे क्या शिक्षा मंत्रीजी? स्कूलों ने कभी आपको कमाई करके दी है क्या? शिक्षा का काम वेलफेयर का काम है और वेलफेयर के काम में आप आर्थिक और अनार्थिक, एक बनिये की दुकान की तरह करेंगे तो शिक्षा कैसे चलेगी? इसलिये जो पुरानी स्कूल हैं उन स्कूलों को आपको जो 60-60 साल से चल रही हैं उनमें आपको यह सोचना होगा कि यह स्कूल कैसे चलें, इनमें विद्यार्थियों का नामांकन बढ़े और लोग निजी स्कूलों में नहीं जाकर सरकारी स्कूलों में बढ़े। मैंने आपका समाचार पत्रों और अन्य जगहों पर बयान पढ़ा है कि जो शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ायेंगे उनका हम स्थानान्तरण कर देंगे। हो सकता है उस विचार को आपने बदल लिया हो लेकिन हमें इस बात के बारे में विचार करना होगा कि हमारे स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूलों की तुलना में उनकी गुणवत्ता में सुधार करें। और इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो आपने 65 करोड़ की लागत से यह कार्यक्रम शुरू कर दिया एक बजट पूरा का पूरा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये आप खर्च कीजिये तो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा एलीमेंटरी एजुकेशन में सुधार आयेगा। और जो जो कमियां हैं, सबसे पहले तो अध्यापकों की कमी है उसे हमें दूर करना होगा। अध्यापकों की कमी हम दूर कर देंगे तो सबसे बड़ी शिकायत राजस्थान के लोगों की दूर हो जायेगी कि आपने अध्यापकों की कमी को दूर कर दिया है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया जहां-जहां जो जो कमियां हैं उन्हें डिस्ट्रिक्टवाइज आप एक तरीके से दूर करते जाइये और एक बजट पूरा का पूरा शिक्षा का गुणात्मक सुधार हो सके इसके लिये समर्पित कर दीजिये तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो सकेगा।

इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी राजकीय शिक्षा बनाम निजी शिक्षा का कई बार जिक्र होता है। निजी शिक्षण संस्थाओं में हमारे जितने भी अध्यापक, अध्यापिकाएं हैं उनको न तो पूरा वेतन मिलता है. न उनको सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कोई मेडिकल रियम्बर्समेंट अथवा और सुविधाएं मिलती हैं लेकिन इसके बावजूद वहां कम वेतन दकर भी काम लेना जानते हैं। तो शिक्षा मंत्रीजी, मैंने भी यह कोशिश की थी कि शिक्षा के प्रबन्धन में सुधार होना चाहिये। हमारा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

प्रबन्धन इतना कमजोर है कि एक जिले में एक जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूलें इतनी। मुझे याद है जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, इंस्पेक्टर आफ स्कूल का जब दौरा होता था स्कूल की पुताई, रंगाई होती थी, लोग ड्रेस में होते थे और बड़ा, अब जिला अधिकारी आता है, पता ही नहीं चलता। लगता है कि एक तरीके से कोई अजनबी आकर चला गया। तो इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रबन्धन को मजबूत करने की, आज पूरा जमाना मैनेजमेंट का है लेकिन हमारा शिक्षा का प्रबन्धन बहुत कमजोर है। इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है और इसके लिये निश्चित रूप से आप प्रयत्न करेंगे।

शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम आपने अभी मैंने सुना आर.पी.एस.सी. के माध्यम से करा रहे हैं। क्या आर.पी.एस.सी. से कोई आर.ए.एस. आफिसर का आप चयन करा रहे हैं, कोई आर.पी.एस. आफिसर का चयन कर रहे हो। बरसों से आपके जमाने में, हमारे वक्त में हम यहां पर मैरिट के आधार पर...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतकजी का प्रस्ताव है कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-24 व 6 पर विचार

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कह रहा था कि इसके लिए स्टेट इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, यह आठ महीने पहले, दस महीने पहले निर्णय हो चुका था इसकी स्थापना की जाए। मैं चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट की आप स्थापना करें ताकि शिक्षा का मैनेजमेंट सही हो सके और शिक्षा के अच्छे मैनेजर शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर सकें।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा मैं आर.पी.एस.सी. का आपसे जिक्र कर रहा था। बरसों से हमारी एक तयशुदा प्रक्रिया थी कि जिलों में मैरिट के आधार पर हम शिक्षकों की भर्ती किया करते थे। मैरिट के आधार पर एक तयशुदा फार्मूला था। फुलप्रूफ सिस्टम था। उस फुलप्रूफ सिस्टम को छोड़कर आर.पी.एस.सी. में तो आपने आज हमारे राजस्थान का पढ़ा हुआ विद्यार्थी किसी अन्य प्रदेश में जाता है तो उसको कोई शिक्षक नहीं रखेगा। आपने आर.पी.एस.सी. के माध्यम से पूरे देश के पढ़े लिखे लोगों को आमन्त्रण दे दिया है। वह आयेंगे और यहां पर एक तरीके से अपनी बेरोजगारी दूर करेंगे। हमारे यहां पर बोर्ड बड़े सख्त नम्बर देता है और दूसरे बोर्ड बड़े उदार हैं हमारे यहां की तुलना में तो इसलिये यहां के स्थानीय विद्यार्थियों को नुकसान होगा।

इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं 1998 में हमारे यहां एक सारी जिला परिषदों में एक कार्यवाही शुरू हुई चयन के लिये और उसमें दस नम्बर राज्य के रहने वाले के, दस नम्बर जिले के और पांच नम्बर गांव के जिस गांव का रहने वाला है। इस प्रक्रिया को तय रखते हुए कुछ लोगों के सलेक्शन हो गये। इससे प्रभावित होकर कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गये। शम्भू दत्त की रिट पर जो आदेश हुआ उसके आधार पर कुछ लोगों को रख लिया गया, कुछ वंचित रह गये। मेरा इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह आग्रह है कि जो नीचे की मैरिट वाले लोग थे उनका तो सलेक्शन हो गया और ऊंची मैरिट वाले लोग रह गये उनको आपको न्याय देना चाहिये।

इसके अलावा बीकानेर की जो जिला परिषद थी उसमें 1998 में पांच सौ व्यक्तियों का चयन करना था। हमारे जिला प्रमुख उस समय यह चाहते थे कि जितने पद रिक्त हैं, हमें पूरे रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया जाए। लेकिन इसी बीच में अकाल राज्य में पड़ गया था और वित्त विभाग की पाबन्दी के कारण वह भर्ती नहीं हुई। वह भर्ती की प्रक्रिया अभी भी बन्द है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को आपको जो पहले से नियमित रूप से भर्ती की प्रक्रिया में आ गये, केवल मात्र नियुक्तियां नहीं हुई ऐसे लोगों को आपको नियुक्तियां देनी चाहिये।

शारीरिक शिक्षकों की भर्ती भी पूरे राज्य में हम लोगों ने की लेकिन कुछ लोग खाली पद होते हुए भी उनकी नियुक्तियां नहीं हुई उनके ऊपर भी राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये।

(17.00 बजे)

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माननीय सभापति महोदय, आपने अपना सौ दिन का कार्यक्रम दिया उसमें और कार्यक्रम तो आपके थे ही, ये माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, इनको डिबेट को सुनने दें कृपया। आपके सौ दिन के कार्यक्रम में एक तो यह था कि हम 600 सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। वह आप उन दिनों में नहीं खोल पाये। आपने कहा था कि मैं स्थानान्तरण नीति बनाउगा। वह आप नहीं बना पाये। आप स्थानान्तरण नीति बनाकर के जो कैंसर पीड़ित हैं, बहुत असाध्य रोग से पीड़ित हैं, पति-पत्नी के केसेज हैं उनके बारे में यथा सम्भव इच्छित स्थान पर रखने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, जहां तक मदरसों का सवाल है, शिक्षा मंत्रीजी, मदरसों में दो महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और मदरसों में पुस्तकें नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहूंगा कि मदरसों में पुस्तकों की व्यवस्था करें और वेतन की व्यवस्था करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वेतन और पुस्तकें दोनों भेज दीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके अलावा मैं राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्थिति के बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यह राज्य में उच्च शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते हैं। हमारे वक्त में कोटा में और बीकानेर में विश्वविद्यालय बने। उसके बाद आप सत्ता में आ गये। आज उनके भवनों का कोई अता-पता नहीं है। उनके स्टाफ का कोई अता-पता नहीं है। विश्वविद्यालय बिना स्टाफ के ही एक तरह से चल रहे हैं। यह तो अच्छा हुआ कि डूंगर कालेज में कुछ भवन बना रखे थे इस कारण से वहां पर वी.सी. का और रजिस्ट्रार आफिस मिल गया। नहीं तो आज उनके बैठने की जगह भी नहीं होती।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने थोड़े खोले हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों को बनाने में समय लगता है। लेकिन इनके लिए आपने कोई पर्याप्त बजट की व्यवस्था नहीं की है, ना कोटा के लिए, ना बीकानेर के लिए। मैं चाहता हूं कि आप ब्लाक ग्राण्ट निश्चित करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करी है, करी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमारे राजस्थान में जब भी नये विश्वविद्यालय बनते हैं उसकी ब्लाक ग्रांट तय होती है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने इन दोनों

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विश्वविद्यालयों के लिए कोई ब्लाक ग्रांट तय की और स्टाफ की कोई मन्जूरी आपने दी। यही हालत हमारे इन्जीनियरिंग कालेज की है। अजमेर का इन्जीनियर कालेज, बीकानेर का इन्जीनियर कालेज इनके लिए आज तक स्टाफ की स्वीकृतियां नहीं हुई हैं। आपको चाहिए कि इनमें सुधार लाने के लिए आप परमानेंट स्टाफ की स्वीकृति दें। उनके लिए भवन की स्वीकृति दें, ब्लाक ग्रांट की स्वीकृत दें। ताकि यू.जी.सी. से भी हम उतना का उतना पैसा ले आयेंगे।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां उच्च शिक्षा का विकास होने में देरी इसलिए हुई कि हमारे यहां विश्वविद्यालयों की कमी है। आज यू.पी. के एक -एक जिले में एक-एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यह सौभाग्य की बात है कि कांग्रेस के शासन में, जितनी भी यूनिवर्सिटिज बनी हैं वह कांग्रेस के शासन में बनी हैं, अभी आपने दो यूनिवर्सिटिज मेडिकल यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा पहली बार की है। वह एक तरीके से टेक्निकल और मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। यह भी यदि आप किसी जिले में बनाते जहां यूनिवर्सिटी पहले से नहीं होती तो ज्यादा फायदा होता। जहां यूनिवर्सिटी पहले से बनी हुई है वहां यूनिवर्सिटी को एक तरीके से पूरा का पूरा स्थान बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्सिटी जितनी जिलों में बनेंगी वह जिलों का फायदा मिलेगा। उन जिलों का डवलपमेंट होगा। हमारा जब प्रिंसली स्टेट से राज्य का एकीकरणं हुआ था उस समय प्रत्येक जिले में कुछ न कुछ नयी बात रखी गयी थी ताकि उसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे। मैं चाहता हूं कि आप इन यूनिवर्सिटिज को भी जयपुर के स्थान पर अलग-अलग जिलों में बनायेंगे तो राजस्थान को निश्चित रूप से उसका लाभ होगा।

श्री वासुदेव देवनानी : जोधपुर में क्या किया? (व्यवधान) पुरानी बात हो गयी। आप हमें तो शिक्षा दे रहे हो, आपने जो किया है।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता को कनक्लूड करने दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : देवनानीजी, हम लोगो ने जोधपुर में विश्वविद्यालय बनाया. आयुर्वेद का विश्वविद्यालय बनाया है।

श्री वासुदेव देवनानी : किसने किया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने क्या किया, मैं बताता हूं। हमने अलवर में आटोनोमस कालेज खोला

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो करते हैं वह मत करो, यह जो कहते हैं वह करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है मुख्य सचेतक महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने अलवर में आटोनोमस कालेज बनाया। डीम्ड यूनिवर्सिटी दी, हमने अजमेर में आटोनोमस कालेज बनाया था। आटोनोमस कालेज आपने बन्द कर दिये। हम तो जिलों तक पहुंच रहे थे। आपने आटोनोमस कालेज बन्द किये आप क्यों सुनना चाहते हो मेरे से।

श्री वासुदेव देवनानी : आपने आयुर्वेद और ला जोधपुर में क्यों खोले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप इनको बतायें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम जिलों का विकास करना चाहते थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिला नहीं डिवीजन है वह।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब इनका बस चलेगा यह सीकर में खोल देंगे। वहां कहां दिक्कत आ रही है, वहां के मुख्य मंत्री थे इसलिए खोला हमने। बोलिये, आप क्या सुनना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आपकी नहीं चली तो हम क्या करें। आप भी फाइनेन्स मिनिस्टर थे, कर सकते थे कुछ धौलपुर में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं किया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका और कोई मामला होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं किया।

श्री रामनारायण डूडी : जोधपुर में सभी तरह की कालेज खुली हैं, डिवीजन हैडक्वार्टर है, इसमें किसी को भी किसी तरह है ही नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके लोगों को ही एतराज है।

श्री रामनारायण डूडी : एतराज नहीं है। इनको ज्ञान करा दिया गया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आगे चलो।

श्री टीकमचन्द कान्त : आगे चलो। आप ऐसी नीति बनायें जो नीति बराबर चलती रहे, किसी को एतराज ही नहीं हो।

श्री सभापति : आप बीच-बीच में नहीं बोलें विपक्ष के नेता महोदय सुझाव दे रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : हम सुझाव दे रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं लेकिन मिलकर के एक बार इस प्रकार का भी प्रयत्न करें तो शिक्षा की कोई नीति बराबर बने, एक पूरा दिन ही शिक्षा के लिए तय करें, हम बोलें। सारे सुधार एक साथ करें।

श्री सभापति : सुझाव दो ना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतने वर्षों के बाद तो कल्ला साहब आज अच्छा बोल रहे हैं और आज ही मौका नहीं देना चाहते।

एक माननीय सदस्य : आपने भी कहा, अच्छा बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका लड्डू खाने का मन कर रहा होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हमारे इन्जीनियरिंग कालेज तो बहुत खुले लेकिन उसमें बहुत-सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो आज तक खुली हुई नहीं है ऐसे विषय हैं जो खुले नहीं है। जैसे प्रोडक्शन इन्जीनियरिंग, टेक्सटाइल इन्जीनियरिंग, स्पेस इन्जीनियरिंग, एयरोनाटिकल इन्जीनियरिंग। इनको आप अपने प्रदेश में खोलें ताकि लोगों को राजस्थान से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। इसी प्रकार आपका जो टैक्स्ट बुक बोर्ड है, आज 23 जुलाई हो गयी और अभी तक शिक्षा मंत्रीजी पुस्तकें नहीं आयी हैं। कई आपशनल सब्जेक्टस की नहीं आयी हैं, मैं आपको नाम बता सकता हूं। कई बोर्ड की किताबें नहीं आयी हैं। आप इस मामले में उनको पुख्ता निर्देश दें और जल्दी से जल्दी एक महीने के करीब हो रहा है, स्कूलें खुले हुए और लोगों के पास अभी तक किताब नहीं है। किताबें बराबर आनी चाहिए। आपको पता है कि मैं पूरी जानकारी के साथ बोलता हूं। ऐसे नहीं बोलता हूं। आप शिक्षा का भगवाकरण कतई मत करना, कंट्रोवर्सियल हो जायेंगे। शिक्षा को शिक्षा ही रहने दें। मैंने शुरू में ही कहा था कि शिक्षा का मामला ऐसा है उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति के ऊपर उठकर काम करना चाहिए...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह भगवा से चिढ़ते क्यों हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं इसका कारण तो बतायें। भगवा से आपको चमक क्यों लगती है?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे यह लगता है कि आप भगवान पहन मत लेना। इसलिए डरता हूं कि अगर आप भगवा पहन लेंगे तो हमेशा मेरे सामने रहोगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो भगवा नहीं, मैं तो जिस दिन होउगा बिलकुल दिगम्बर ही हो जाउगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : दिगम्बर ही बन जाओगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दिगम्बर ही बन जाओगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह गलत-सलत बातें विद्यार्थियों को पढ़ाने का मतलब क्या है। यह इतिहास के बारे में गलत-सलत बातें विद्यार्थियों को पढ़ाने का मतलब क्या है...(व्यवधान) कांग्रेस के राज में इस प्रकार की गलत-सलत बातें विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती थीं।

श्री सभापति : माननीय गुप्ताजी, बिराजें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : आज फिर कांग्रेस सरकार इस प्रकार का प्रयत्न कर रही है।

श्री बंशीलाल खटीक : भगवाकरण किसे कहते हैं, आप बता दो। स्पष्ट कर दें कि भगवाकरण किसे कहते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) वह व्यवस्था हो रही है। आप बीच-बीच में क्यों व्यवधान कर रहे हैं। आप बैठें, आपके नेता बोल रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नये मंत्रिमण्डल का गठन हुआ और उस गठन में शिक्षा से सम्बन्धित सारे कार्य आपको दिये गये। कृषि शिक्षा का काम आप देख रहे हैं। आपको एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बीकानेर में मिस्टर आर.के. सक्सैना को आपकी सरकार ने जब मुख्य मंत्री के पास यह विभाग था, तब उन्होंने अपना नोमिनी नियुक्त किया, उनकी कार्यावधि दो साल की थी। आपने उनको हटाकर के दूसरे व्यक्ति को जो मत्स्य पालन विभाग का व्यक्ति है उस प्रोफेसर की वहां पर नियुक्ति कर दी। हमारा एरिड जोन है, जहां पर फसलों का स्वरूप, कोपर्न पैटर्न और वहां पर मरूस्थल सें सम्बन्धित खेती की आवश्यकता है। वहां पर मछली पालन नहीं हो सकता। हमारे यहां तो वैसे ही फेमिन एफेक्टेड एरिया है इसलिए आपको इस दृष्टि से भी विचार करना चाहिए। वैसे भी कानूनी तौर पर आप उसको 2 साल पहले नहीं हटा सकते। एक उदाहरण दिया है कि यूनिवर्सिटीज में आज किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है और जब आपके मुख्य मंत्रीजी ने लगाया और आपने हटा दिया, मुझे समय में नहीं आया कि यह कैसे हुआ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज में आपको सुधार करना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है तो खास तौर से इनकी परीक्षाएं समय पर हो, यूनिवर्सिटीज को यू.जी.सी. से ज्यादा से ज्यादा मैचिंग ग्रांट मिले। यदि हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से सबसे कम सहायता मिलने वाले प्रदेशों की श्रेणी में आता है। हमने जब पिछले वर्षों में कुछ विश्वविद्यालय बनाए तो यह ग्राफ ऊंचा उठा है। हम चाहते हैं कि आप इस ग्राफ को और ऊंचा उठाएं और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा यू.जी.सी. का पैसा उच्च शिक्षा के डवलपमेंट के लिए आए।

हमारे कालेजेज के लिए तो हमने पैसा देना बिलकुल बन्द कर दिया है। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि आप आंकड़े उठाकर देखें तो हम 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए पूरे कालेजों के डवलपमेंट के लिए रखते हैं। इंससे कैसे कालेजों का डवलपमेंट होगा? 70 लाख रुपए यू.जी.सी. और दे देगी। हम यदि 7 करोड़ कर देंगे तो 7 करोड़ यू.जी.सी. हमारे कालेजों के डवलपमेंट के लिए देगी।

मैचिंग ग्रांट लेने में हमारा प्रदेश विफल रहा है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए और कई सब्जैक्ट ऐसे हैं जिनमें यू.जी.सी. 100 प्रतिशत ग्रांट देती है, इस मामले को एक्सपर्टस को दिखाकर हमें ऐसे विषय प्रारम्भ करने के प्रयास करने चाहिए।

मुझे आपकी एक खबर बहुत अच्छी लगी कि आप कालेज खोल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में, हमने भी कालेज खोले थे। लेकिन कालेज वही खोले जाएं जो निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हैं, जो निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करते हैं उन कालेजों को नहीं खोलना चाहिए।

जो सरकारी महाविद्यालय हैं, जहां पर बिना खर्चे के, स्टाफ वहां पूरा पड़ा है और कोई विषय आप खोल सकते हैं, कोई नया सैक्शन खोल सकते हैं तो उनको खोलने में हमको आगे आकर काम करना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में हमें गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए भी वही फार्मूला जो मैंने आपके माध्यम से स्पष्ट किया था, हमारी लेबोरेट्रीज, पुस्तकालय, वाचनालय, भवन, इन सबमें सुधार करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज टीचर्स के बारे में कहना चाहता हूं कि जब हम खुद कालेज में पढ़ते थे तो कई बहुत अच्छे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, चूंकि हिस्ट्री मेरा भविष्य नहीं था लेकिन हिस्ट्री के विद्यार्थी हमें कैंटीन में मिलते थे तो वह कहते थे कि सत्यनारायणजी की कथा सुनकर आए हैं। ऐसी स्थिति में हमको अपने कालेज टीचर्स और यूनिवर्सिटीज टीचर्स को भी अपने विषय के बारे में अधुनातन जानकारी हो, इस

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बारे में उनको रिफ्रेशर कोर्स करवाएं जाएं ताकि वह अपने विषय के बारे में नई बातें सीखते रहें और करते रहें।

अंत में मैं आर्ट एण्ड कल्चर के बारे में यह कहना चाहूंगा,

"संगीत, साहित्य, कला विहीना

साक्षात् पशु पूंछ विषाण हीना"

संगीत, साहित्य और कला के बिना मनुष्य बिना सींग और पूंछ वाले पशु के समान होता है। हमारा प्रदेश संगीत, साहित्य और कला में रूचि रखने वाला प्रदेश है। इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जवाहर कला केन्द्र (व्यवधान) वह इसमें नहीं है, वह दूसरा है। (व्यवधान) देखो इसमें टोटकेबाजी नहीं चलती शिक्षा मंत्रीजी, यह संस्कृत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अगर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं तो मुकाबला पहले यह हो जाए। हो जाए, आने दो श्लोक।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : हम इस बात पर आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आपको ज्यादा ज्ञान का है तो आज हो जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां तो तैयार हूं मैं।

श्री ओम बिरला : एक घंटा, घनश्यामजी तिवाड़ी और कल्ला साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, तैयार हूं।

श्री ओम बिरला : हम एक घंटा कटौती कर देंगे और कामों में। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : कल्ला साहब, आज पता चल जाएगा कि दोनों पण्डितों में बड़ा पण्डित कौन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान) इनका शास्त्रार्थ तो मीडिया के सामने करवाएं, आप तो बोलो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : तिवाड़ी साहब असंतुष्ट ब्राह्मण हैं, इनसे तो कोई मुकाबला होना ही नहीं चाहिए। इन्होंने वसुन्धराजी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए स्वीकार नहीं किया, अब कैसे कर सकते हैं? इससे क्या मुकाबला करेंगे?

श्री ओम बिरला : यह आपको पता है क्या? यह आपको कहने आए थे क्या? तिवाड़ी साहब आपको कहने आए थे क्या? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैं कला और संस्कृति विभाग के बारे में सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जवाहर कला केन्द्र जब बनाया तो हमारी परिकल्पना थी कि इसमें कम से कम 17-18 तरह के म्यूजियम बने, म्यूजियम नहीं बन रहे हैं। हमारे यहां के आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है और अलग-अलग क्षेत्रों में जो लोक संस्कृति है...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर : जवाहर लालजी का कला से क्या सम्बन्ध था?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत बड़ा सम्बन्ध था।

श्री संयम लोढ़ा : इसको आपसे बेहतर और कौन जान सकता है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वे बहुत बड़े लिटरेट आदमी थे, इस देश के मनीषी थे, देश के निर्माता थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जवाहर कला केन्द्र की जो परिकल्पना थी, उसके आधार पर उसको मूर्त रूप देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनको यह कहना चाहूंगा कि जवाहर कला केन्द्र का संचालन आटोनोमस बाडी के माध्यम से हो, इसके लिए आपको आर्टिस्टों का सहयोग लेना चाहिए और कला संस्कृति से सम्बन्धित जितनी भी कमेटियां बनती हैं उनमें आर्टिस्टों को तवज्जोह देनी चाहिए।

अभी आपने डाइरेक्टर, ड्रामा जो पिछले 12 साल से लगे हुए थे, रिटायर हो गए, 70 वर्ष के हो गए, अब युवा व्यक्तियों को आप कब मौका देंगे? इसलिए युवाओं को मौका देने के लिए निवेदन है। मेरे वक्त तो यह बात आर्टिस्ट लेकर नहीं आए नहीं तो मैं ध्यान देता, मेरे पास सात-आठ महीने तक यह विभाग रहा था लेकिन उस वक्त मुझे खुद को यह मालूम नहीं था। आप नई टीम के लोग जो आए हैं, उनको मौका दीजिए और उनके माध्यम से इस केन्द्र को चलाने के लिए आगे से आगे काम करना चाहिए।

सभापति महोदय, अन्त में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है, इस प्रकाश की ओर ले जाने वाली शिक्षा को हम राजनीतिक भंवरजाल में न फंसा कर सोचें, विचार करें, मनन करें, चिंतन करें और शिक्षा के माध्यम से उसको सशक्त करें, मजबूत करें ताकि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का व्यक्ति पढ लिखकर ऐसा नागरिक बने जो न केवल राजस्थान में टोप करे बल्कि इण्डिया में टोप करे और वर्ल्ड में कहीं भी कोई कम्पीटिशन हो तो, आई.एम.एफ.

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

और वर्ल्ड बैंक का कोई कम्पीटिशन हो तो हमारे राजस्थान प्रदेश का व्यक्ति उसमें टोपर रहे, ऐसी परिकल्पना करके हमको अपनी शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान) वह तो आपकी पार्टी का है, आपके नेता तो बोल गए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : प्रतिपक्ष के नेता के बोलने के बाद क्या बचता है?

श्री सभापति : हां, कुछ नहीं, बल्कि पचास मिनट बोल लिए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : परम्परा का निर्वहन करें, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहो तो जवाब दिलवा दें? (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के इतिहास से राजस्थान के नाम को, राजस्थान के इतिहास को अगर हटा दिया जाए तो हिन्दुस्तान का इतिहास अपने आप में एक सूक्ष्म बिन्दू तक सिमट कर रह जाएगा और राजस्थान को इसलिए भी याद नहीं किया जाता है कि राजस्थान के अन्दर बहुत बड़ा रेगिस्तान है, राजस्थान को इसलिए भी याद किया नहीं जाता कि यहां की प्राकृतिक सम्पदा इतनी ज्यादा है कि उच्चतम कोटि के पद पर इस प्रदेश को प्रतिस्थापित कर सकती है। राजस्थान को इसलिए भी याद नहीं किया जाता कि यहां की वन सम्पदा इतनी है कि दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाए इतिहास इसलिए राजस्थान की शहादत देता है कि राजस्थान की रज के अन्दर वे शूरवीर पैदा हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए, इस देश की धरा के लिए दिया। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की शिक्षा और शिक्षा के संस्कार की बात करना चाहता हूं। आप कालेज खोलिए, आप स्कूल खोलिए, सैंकड़ों कालेज खोले हैं, हजारों माध्यमिक विद्यालय खोले हैं, प्राइमरी स्कूल खोले हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि राजस्थान का इतिहास इस बात की शहादत देता है कि यहां के नागिरक की प्रवृत्ति इस देश के प्रति अपने जीवन का बलिदान देने के लिए है। आज के प्रचलित विद्यालयों के बारे में हमने बात कर ली, शिक्षा के बारे में बात कर ली, लेकिन यहां के नागरिक की जो एक प्रवृत्ति है जो संस्कार है, जो संस्कृति है वो इस प्रदेश में पैदा होने के बाद स्वत: उसको मिल जाती है। हमने कभी इस बात पर भी चिन्तन किया है कि आज जिस तरीके से इस हिन्दुस्तान के अन्दर आतंकवाद फैल रहा है जिस तरीके से इस पूरे देश की

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सीमाओं पर दुश्मनों की आंखें लगी हुई हैं, कहीं इस पद्धति से इस प्रदेश के अन्दर वो ऐसे विद्यालय स्थापित करें, चित्तौड़ में एक सैनिक विद्यालय है उस पद्धति पर विद्यालय स्थापित करें। यह संस्कार हमारे बच्चों में है। आज भी जितने बलिदान और शहादत दी जा रही हैं और जो शहीद इस देश के लिए हो रहे हैं अधिकांश प्रतिशत इस प्रदेश के नागरिकों का है। यह तब है जब हमने कोई वातावरण उनको नहीं दे रखा, यह तब है जब हमने ऐसी कोई योजनाएं उनको नहीं दे रखीं, यह तब है जब हमने ऐसी कोई शिक्षा पद्धति उनको नहीं दे रखी। कहीं न कहीं आपके और हमारे पूर्वजों का वो पुण्य है कि स्वाभाविक स्वरूप में उन लोगों के अन्दर उनकी आत्मा में, उनके चरित्र में यह संस्कार है। डाक्टर बनाएं इन्जीनियर बनाएं इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जो आपका, एक सबसे बड़ा गुण है और आज इस देश को जिसकी आवश्यकता है और यही एक पहला विषय है जिसका आग्रह शिक्षा मंत्रीजी को करना चाहता हूं। अगर कहीं कानून का इसके अन्दर कोई उल्लंघन न हो और ऐसी व्यवस्था दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चित्तौड़ जैसे सैनिक विद्यालय की पद्धति पर विद्यालय स्थापित किये जाएं और ये ग्रामीण बच्चे जो इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो जब मिलैट्री में भर्ती हो या अर्द्ध सैनिक बल में भर्ती हो तो सूबेदार की रैंक पर जाकर रिटायर न हों, अगर इन्हें सही शिक्षा मिले, इनको सही वातावरण मिले तो बाद में ये भी कमीशंड आफिसर्स बनें यह भी एक सत्यता है। सर्वाधिक सैनिक बल हमारे यहां का है, लेकिन कमीशंड आफिसर्स की जब बात आती है वहां हमारा प्रतिशत सबसे कम है और इसकी व्यवस्था की आवश्यकता है। अगर इस ढंग की कोई चीज आप करें और यह सरकार शिक्षा के प्रति कटिबद्ध है तो यह वातावरण इस प्रदेश में होना चाहिए। अगर राजस्थान जैसे प्रदेश में सैनिक स्कूल नहीं खुली तो हिन्दुस्तान के और किस प्रदेश में खुलेगी। इसको कैसे चिन्हित किया जाए, इसकी कैसे व्यवस्था की जाए, कानून के क्या प्रावधान हैं यह बात मेरी जानकारी में नहीं है। सम्माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इस बारे में जरूर गौर फरमाएं।

मैं बहुत ज्यादा समय, सभापतिजी, आपका नहीं लेते हुए दो-तीन ऐसे प्रमुख बिन्दु हैं जिसके ऊपर मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि जिस तहसील से मैं आता हूं उस तहसील में त्रिवेणी जैसा एक पवित्र धाम है और उसके जो शिरोमणि हैं उनकी दया और उनकी कृपा से शिक्षा जगत को बहुत कुछ सहायता और मदद मिली है और आज इस बड़े फख्र के साथ इस पवित्र सदन में खड़ा रहकर यह बात कहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है उसमें इस महात्मा का सम्पूर्ण योगदान

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रहा है और यह भी अपने आप में उदाहरण है कि मेरे तहसील क्षेत्र में जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं तीन महाविद्यालय हैं। किसी तहसील में तीन महाविद्यालय नहीं हो सकते। चिमनपुरा में महाविद्यालय, शाहपुरा में बालिका महाविद्यालय और मनोहरपुर में संस्कृत महाविद्यालय। लेकिन इसके अन्दर किसी सरकार की या किसी भी, चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने अध्यापन का कार्य जरूर दिया, लेकिन जितनी बिल्डिंग, जितना पैसा, जितनी जमीन है वो सारी इस शिरोमणि के सान्निध्य में उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुई। चिमनपुरा अगर एग्रीकल्चर कालेज बना तो पूरी जमीन उन्होंने दी, पूरी बिल्डिंग उन्होंने बनायी और पूरे तीन साल तक उस कालेज को चलाने के लिए पैसे की भी व्यवस्था की। शाहपुरा में अगर बालिका महाविद्यालय बना, पूरे महाविद्यालय की बिल्डिंग बनी और पांच साल तक चलाने के लिए पूरा उसका वित्त-पोषण किया गया। आज जब राजस्थान के संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है तो उसके वित्त-पोषण में उनका प्रमुख योगदान रहा है। लेकिन उनके दोनों कालेज जो उन्होंने दी, जब उन्होंने दी, जिस तरीके से उन्होंने दी उसके बाद में उस पर सरकार की तरफ से कुछ प्रगति नहीं हुई। जितने संकाय खोले गये उस वक्त भी उतने थे आज भी उतने हैं।

1980 के अन्दर चिमनपुरा कालेज खोला। जितने से खोला आज भी उतना है। सात साल पहले शाहपुरा गर्ल्स कालेज खुला, चार विषयों से खुला जिसमें तीन तो अनिवार्य हैं एक विषय के साथ में पूरा कालेज चल रहा है। चिमनपुरा के अन्दर तीन हजार छात्र हैं, 300 से ऊपर छात्राएं हैं एडमिशन नहीं ले सकती शाहपुरा गर्ल्स कालेज में क्योंकि सेक्शंस नहीं है। जब राजस्थान की बात आती है, विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात आती है जब हमारे यहां से कोई व्यक्ति, वो परम पूज्य हैं अगर पूरा का पूरा वित्त पोषण करने की आपको सुविधा दे सकते हैं तो हमारा आग्रह है मंत्री महोदय से कि उनके हाथों से निर्माणाधीन इन दोनों कालेज में संकाय खोले जाएं और एग्रीकल्चर कालेज और सिर्फ एग्रीकल्चर विषय डिग्री कोर्स तक का है उसको पी.जी. खोलकर एग्रीकल्चर कालेज की अलग से स्थापना की जाए।

शिक्षा मंत्रीजी इसके बारे में शायद ज्यादा चिन्तित होंगे कि इसमें पता नहीं कितना खर्चा आएगा तो उदाहरण के तौर पर और जानकारी के तौर पर आपसे आग्रह कर दूं कि एक प्रिंसिपल, दो असिस्टेंट से चिमनपुरा का एग्रीकल्चर संकाय अलग से स्थापित हो सकता है। पूरी बिल्डिंग है और 500 बीघा का अलग से फार्म है। अगर आप चाहें तो यह कर सकते हैं और अगर कहीं पैसे की कमी पड़ती हो तो हमारे पास तो

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

ऐसे संत पुरूष हैं कि जब आपको विश्वविद्यालय खुलवा सकते हैं अगर पैसे की कमी पड़ती हो तो एक कालेज भी चला सकते हैं लेकिन हम यह चाहते हैं सरकार भी तो कुछ करे। यह विनम्र निवेदन है और मेरा सौभाग्य है कि उस तहसील का मैं हूं, हिन्दुस्तान में पैदा हुआ हूं, इसलिए किसी न किसी जाति का जरूर होऊंगा, एक क्षत्रिय हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे शिक्षा मंत्री अब जिस पृष्ठभूमि से आते हैं मेरे लिए इससे ज्यादा सदुपयोगी समय नहीं हो सकता कि तुरन्त आशीर्वाद लेकर अपना स्थान ग्रहण कर लूं, यही छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता था, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री कन्हैया लालजी पाटीदार।

श्री शांतिलाल चपलोत : हमारा नाम गायब है क्या?

श्री सभापति : ये कभी-कभी बोलते हैं।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : यहां सभी विद्वान लोग बैठे हैं आप तो मांग पारित कराओ।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, मेरा भी नाम है क्या?

श्री सभापति : आपको बुलाऊंगा माननीय। आपका नम्बर इनके बाद है।

श्री शांतिलाल चपलोत : यहां विद्वान तो पहले बोल चुके।

श्री सभापति : विद्वानों को बाद में।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा सम्बन्धी चर्चा में मैं भी अपने आपको शामिल करते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस वर्ष शिक्षा हेतु लगभग 65 करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया। पिछले पांच वर्ष में लगभग सभी सदस्यों ने कहा सत्ता पक्ष के लोगों ने कि शिक्षा का काफी ह्रास हुआ। मैं नहीं कहता शिक्षा पूरी तरह से चौपट हुई हो लेकिन पिछले पांच वर्षों में शिक्षा अव्यवस्थित निश्चित रूप से हुई। ताबड़तोड़ राजीव गांधी विद्यालय खोले गये जिनमें पढ़ने वाले छात्र नहीं थे और जिन कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज किया गया उन्होंने जो हमारे प्राथमिक स्कूल थे जो पूर्ववत चल रहे थे उन्हीं छात्रों का नामांकन राजीव गांधी पाठशालाओं में भी कर

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

दिया, दोहरना नामांकन इस प्रकार हुआ। केवल आंकड़े दर्शाये गये। माननीय सभापति महोदय, यहां सदन में काफी सरकारी स्कूलों के बारे में चर्चा हुई, काफी क्रिटिसाइज भी की गई कि अध्यापक लोग पढ़ाते नहीं हैं, सारे लोग अपने छात्रों को, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज जितने कालेजों के छात्र पढ़ रहे हैं क्या ये सभी प्राइवेट स्कूलों से आये हुए हैं। क्या हमारे सारे सरकारी स्कूलों के अध्यापक अध्यापन कार्य नहीं करवाते हैं? ऐसा कतई नहीं है, अपवादस्वरूप कहीं-कहीं रिजल्ट्स कम रहते हैं। कोई-कोई अध्यापक कम काम करता होगा लेकिन अध्यापक की वजह से ही आज हमारा भारतवर्ष इतना उन्नतशील हुआ है। अध्यापकों के द्वारा शिक्षित कराये युवक ही आज इतने ऊंचे पदों के ऊपर पहुंचे हैं तो शिक्षक तो हमेशा ही आदरणीय है। शिक्षकों के साथ एक और समस्या है जो अपना पूरी तरह से अध्यापक कार्य नहीं कर पाते हैं। हम लोअर स्कूल के अध्यापकों से प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से विभिन्न कार्य करवाते हैं, कितने ही प्रकार के सर्वे करवाते हैं। चाहे जनगणना हो, चाहे पशुगणना हो या अन्य किसी प्रकार का सर्वे हो, सारा का सारा हम प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ऊपर सौंप देते हैं। और प्राइमरी स्कूल के अध्यापक जो हमारी नींव होती है बच्चों की, जहां से नींव मजबूत होनी चाहिए वहां ही अध्यापक यदि पूरा समय देकर इन छोटे-छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो निश्चित रूप से नींव कमजोर होगी। तो आगे चलकर वह बच्चा पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के ऊपर अन्य प्रकार का भार नहीं डाला जाए। उनके ऊपर केवल पढ़ाई का भार ही डाला जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी नींव मजबूत होगी और हमारे जो बच्चे हैं उच्च शिक्षा में वह निश्चित रूप से अच्छे अंक लेकर अच्छे डिवीजन से पास होंगे और निश्चित रूप से देश की सेवा करने में सफल होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस अवसर के ऊपर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ शिक्षा सम्बन्धी मांग भी रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में दो माध्यमिक स्कूल सिरपोई कड़ोदिया जो काफी वर्षों से सैकण्डरी हैं और लड़कों की संख्या भी काफी है। यहां से सीनियर सैकण्डरी भी काफी 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी पर है, न तो इन दोनों गांवों में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले जावे और सैकण्डरी स्कूल के लिए गाडियां और पीपलिया दो सैकण्डरी स्कूल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय नहीं विराजमान हैं, देवनानी साहब विराजमान हैं, आप कृपया नोट करें गाडिया और पीपलिया में सैकण्डरी स्कूल और सिरपोई कड़ोदिया में दो

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले जावें। साथ ही, माननीय सभापति महोदय, रायपुर हमारा एक बहुत बड़ा कस्बा है वहां सीनियर सैकण्डरी स्कूल कार्यरत हैं लेकिन निरन्तर कितने ही वर्षों से मांग चली आ रही है कि रायपुर सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय खोला जाए। रायपुर के पास में काफी लम्बा चौड़ा एरिया है, काफी मीडिल स्कूल भी हैं, सैकण्डरी स्कूल भी हैं तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी भी पधार चुके हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे रायपुर कस्बे में विज्ञान संकाय निश्चित रूप से खोलें। यह काफी वर्षों से हमारे यहां उस क्षेत्र के लोगों की मांग है। पिछले पांच वर्षों से तो हम मांग कर नहीं पाये। इस बार जब हमारी सरकार बैठी है तो सभी लोगों की अपेक्षाएं हैं कि हमारी अपेक्षाएं निश्चित रूप से शिक्षा मंत्रीजी पूरी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे एक सदस्य बता रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 43 पंचायतें हैं और 50 सैकण्डरी और सीनियर स्कूल हैं। इस पैमाने से तो, माननीय सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। मेरे यहां 52 पंचायतें हैं, मात्र 25 सैकण्डरी और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं तो मैं इस अवसर के ऊपर शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जो मैंने मांग रखी है, मात्र दो सैकण्डरी और दो सीनियर सैकण्डरी, दोनों स्कूलों की मांग को निश्चित रूप से पूरा करेंगे तो मेहरबानी होगी। शिक्षा मंत्री से अनुरोध है। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल राजपुरोहित (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं पहले प्रथम आदरणीय राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने एक शिक्षाविद कर्मठ, धैर्यवान व्यक्तित्व वाले शिक्षा मंत्री को नियुक्त किया। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, कि लोग कहेंगे ऐसी बात क्यों करते हैं। घोड़ा सौ कोस तक दौड़ने के बाद उसको शाबासी की थापी दे देंगे तो उसकी थकान उतर जाती है। इसलिए उसका गुणगान करना कोई बड़ी बात नहीं है। मान्यवर, मैं विद्या के ऊपर यह बात कहना चाहता हूं। यहां आज सुबह से मैं इसके बारे में सुन रहा हूं, सभी लोग कई कमियां निकाल रहे हैं, कई कुछ कहते हैं। मैं विद्या के महत्व की बात कहना चाहता हूं। विद्या यानी कि शिक्षा, विद्या जो है, विद्या ददाति विनयम्, विद्या यदि हम 16वीं पढ़कर इन्जीनियरिंग कर लिया, पी.एच.ई.डी. कर लिया, विद्या के बाद में यदि हमारे ठेठ से

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

संस्कार प्राइमरी से, यह विनय के नहीं रहे जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वह व्यक्ति बहुत महान है जिसमें विनय प्राप्त हो जाता है। वह सबसे बड़ा आदमी है। और फिर ग्रेजुएट बनने से और 10वीं के बाद में ये चीजें प्राप्त नहीं हो सकती है। "विद्या नाम नरस्य रूपम्धिकम् प्रच्छन्न गुप्तम् धनम्, विद्या भाग करि यश सुकीर विद्या गुरूनाम् गुरू, विद्या राजस पूजताने धनम् विद्या विहिनिम् पशु।"

पशु इसका शब्द क्यों लिया है? विद्या ग्रेजुएट को नहीं कहता एम.ए., पी.एच.ई.डी. को नहीं कहते यदि वह गुणवान और उसमें विनय नहीं है तो सारा बकवास है। आज जो शिक्षा, हमारी जो पढ़ाई जा रही है, हम सब महसूस करते हैं, शिक्षा में आज का बच्चा आप खुद महसूस करते होंगे, आपका बच्चा कभी उठते ही मां -बाप को प्रणाम करता है। यह हमारे हिन्दुस्तान की संस्कृति थी। आप महसूस कीजिए बात को, आपका बच्चा आपका पोता प्रणाम नहीं करता है, विनय भी नहीं करता और प्रणाम होली दिवाली करता है तो इतना ही करके रह जाता है। क्या पढ़ाया हमने उसको? मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा जो है हमारी हिन्दु संस्कृति के हिसाब से हमारे भारत की संस्कृति के हिसाब से विद्या की शुरूआत जो है गुरूकुल की तरह होनी चाहिए थी। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे नेता जो महान नेता थे, यदि इसके बारे में 47 के बाद सोचते कि हमको इस विद्या का संस्कार बढ़ाना है क्योंकि हम सभी जानते हैं, वह भी जानते थे कि मुगलों और अंग्रेजों के जमाने के बाद में हमारे यहां की शिक्षा की हालत कैसी हुई थी बिलकुल ऐसी हालत हो गई थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था 1946 में मैट्रिक, छठी में पढ़ता था। एक बार में एक स्कूल में पढ़ता था, सब अनपढ़ थे। और अभी पिछली सरकार ने यह भी कहा था, मैंने पढ़ा और बहुत पैसे खर्च हुए उसके बाद में लाखों, वह तो 46 की बात कह रहा हूं। उसके बाद तो यूनिवर्सिटी वगैरह न जाने कितने, हमारे आज एक-एक पंचायत समिति में करीब सौ-सौ तो प्राइमरी स्कूल होंगे। और अब तो हमारे आदरणीय तिवाड़ी जी की कृपा से तो बहुत स्कूलें खुल गई हैं। लेकिन मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे नेताओं ने बहुत कमियां रखी। सारा बजट स्कूलों पर देते, शालाओं पर देते, आज तक सब शिक्षित हो जाते। और आज के 4-5 साल पहले मैंने अजमेर के स्टैंड पर पढ़ा था कि अजमेर ने सबसे ज्यादा साक्षरता के मामले में दक्षता प्राप्त कर ली है। मैं वहां एक डी.एस.ओ. के आफिस में बैठा हुआ था तो वहां एक कम्पलेंट के मामले में एक रजिस्टर आया। उसमें अंगूठे ही अंगूठे किये हुए थे। तो मैंने प्रश्न किया कि जब यह अजमेर सारा जिला साक्षर हो रहा है तो यह अंगूठे कहां से आ गये? तो उसने कहा यह तो कहने की बात है यानी हमारे यहां के

डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

लीडर्स ने वाहवाही लूटने के लिए कह गये साक्षरता प्राप्त कर ली। हम सब साक्षर हो गये। आज आज की तारीख में भी लोग अंगूठेबाज गांवों में बैठे हैं। यह जो इस सरकार की कृ ई और सरकार ने सोचा और प्रथम लक्ष्य लिया कि हमें शिक्षा में ठेठ गांव, ढाणी तक पहुंचना है। मान्यवर, पिछली सरकार बात कर रही थी और वह अपनी जिम्मेदारी से आज विमुख होने की बात करते हैं। क्यों ये इतने स्कूल खोले, क्यों उन्होंने इतने कालेज खोले? प्राइमरी स्कूलों में 100 बच्चे पढ़ा तो दिये पर एक मास्टर जैसे कोई ग्वाल भेड़ों को लाकर के बैठता है। मिडिल स्कूल दो मास्टर, हाई स्कूल तीन मास्टर। क्या आप इसको कोई स्कूल बनाना कहते हो? यह प्रोग्रेस में आता है क्या? यह पर्सेंटेज में आता है क्या? मैं हमारी सरकार को भी कहता हूं कि स्कूलें मत खोलो, ... उसमें ... ला में बच्चे जरूर भेजो। पिछली सरकार ने ढेरों स्कूल खोल दीं, मकान का नाम नहीं, कोई खेजड़ी के नीचे बैठा है, कोई बड़ के नीचे बैठा है। हमारी समझ में नहीं आया कि आपने क्या किया।

हमारे आदरणीय प्रद्युम्नजी जब कह रहे थे, मुझे याद है, यह बात, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के टाइम में कोटर्स के स्टे आ गये थे। अब हमारे टाइम में कोर्ट के स्टे कहां गये? वो स्टे खुल गये। कोई इच्छा नहीं थी आपकी, आप पढ़ाना नहीं चाहते थे। आपने कहा कि स्टे खुल जाएंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, रुपया कहां से लायेंगे। आज हमारी सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आदरणीय ... के प्रयत्नों से ... खर्बों रुपये लाये हैं, कल ही दिल्ली से लाये हैं। कितनी स्कूलें खोल दीं और कितने रुपये लाये हैं, बच्चे भी आयेंगे, स्कूल भी खुलेगी, कमरे भी बनेंगे। मान्यवर मैं एक बात कहना चाहता हूं। कोई भी सरकार हो, सरकार का लक्ष्य ... कड़े ... ने के लिए नहीं होना चाहिए। उसके प्रति उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति कैसी की है, मुझे विश्वास है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में इच्छा शक्ति है। मुझे ... त्मा ... है, शिक्षा मंत्रीजी मजबूत आदमी होना चाहिए। इतनी ... री ... ड़, मैं ... ताज्जुब करता हूं इस व्यक्ति पर कि एक-एक हजार, दो-दो हजार ... रोज के मिलना और ... ना संयम नहीं खोना। यह भी एक संयम की बात है। मैंने दूसरे मंत्रियों को भी देखा है, मैंने 40 साल से मंत्रियों को देखा है। थोड़ी सी बात पर ... त हैं। आज ... हब यहां नहीं हैं, मैं नहीं कहना चाहता, वो नहीं हैं इसलिए नहीं कहा, मिलते ही ... ले पड़ने लग जाते थे। ऐसा नहीं होता है। विद्यावान जो ... शिक्षा मं... उसमें बहुत ही संयम होना चाहिए, विनय होना चाहिए। विनय बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ा करेक्टर है, उसका आभूषण है। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं।

(डा. भंवरलाल राजपुरोहित)

मान्यवर, समय का मुझे राजेन्द्र सिंहजी ने कह दिया, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में, हिन्दुस्तान में हमारी शिक्षा में करेक्टर होना चाहिए। और मैं आदरणीय शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि प्राइमरी स्कूल में संगीत कम्पीटिशन आप कम्पल्सरी कीजिये। मैं कहता हूं कि विद्या में भी राग, रसायन, नतगत, ये सब्जैक्ट हैं नदबारी, धनुषबाण, रथ हांकवो, जाणो...चितचोरी, ब्रह्मज्ञान, जन तिरबो, मीठा वंचन, ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं को पढ़ाना जरूरी है, इसमें दक्षता प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए मैं आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी को कहूंगा कि और कुछ नहीं तो इतना तो जरूर करने की कृपा करें कि स्कूलों में चरित्र सिखायें, विशेष जोर दें और स्कूलों में संगीत सिखायें।

अन्त में मेरी एक बात जरूर कहूंगा कि मेरा एरिया हमेशा उपेक्षित रहा है। मैं उसका कारण नहीं बताना चाहता कि क्यों पीछे रखा गया है, उसका एक तो मैं ही कारण था कि मैं किसी की आंख का किरकिरा था। वहां स्कूल नहीं खोली गई। आज नागौर जिले में हर तहसील में कालेज हैं। डीडवाना में, नागौर में, कुचामन में, मेड़ता सिटी में, सब जगह कालेज है। परबतसर और मकराना में जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या तीन लाख है वहां पर कालेज नहीं है। हमने क्या गुनाह किया है साहब? मैंने मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन किया कि आप कृपया हमारे गर्ल्स कालेज खोलें क्योंकि हमारा एरिया गरीब का एरिया है। वहां पर गर्ल्स कालेज खोलें ताकि बच्चियां ज्यादा पढ़ सके। यह पहली मेरी मांग है और वाजिब मांग है। वाजिब मांग इसलिए कह रहा हूं कि आज हम उपेक्षित हैं। सब 8 तहसीलों में आप कालेज खोल रहे हैं तो हमने क्या गुनाह किया है, क्या कालेज में पढ़ने लायक नहीं हैं, हम कोई दूसरे भू भाग में रहते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो हमारे कालेज खोलनी चाहिए।

दूसरा, हम उपेक्षित हैं, दूसरे तहसीलों में हायर सैकण्डरी ज्यादा हैं, मेरे लिमिटेड हायर सैकण्डरी हैं। मैं 2-3 हायर सैकण्डी के लिए भी आपको निवेदन करूंगा और 3-4 स्कूलों के लिए भी निवेदन करूंगा। और तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्राइमरी स्कूलें आपने बहुत खोलीं और मिडल स्कूलें आपने बहुत खोलीं और आपने कमरे भी खूब दिये। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शिक्षा मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद और सभापतिजी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : माननीय सभापतिजी, शिक्षा कला और संस्कृति पर...

श्री सभापति : पांच मिनट में कल्क्लूड करें। आप बोलें।

श्री रामचन्द्र सराधना : मान्यवर, कोई बीच में गड़बड़ मत कर देना, मैं तुरन्त बैठ जाऊंगा नहीं तो।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति पर वाद-विवाद चल रहा है। बड़ा गम्भीर विषय है। सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े उग्र रूप से और आक्रोश में आकर के भी कई बातें कहीं। हो सकता है कि उनकी बातें सत्य हों लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अपने दल के साथियों को धोखा दिया, उनके साथ धोखा किया, उनसे पूछकर के बजट पेश नहीं किया। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई रीति-नीतियों में कोई सुधार नहीं किया, गलत नीतियों को उन्होंने छोड़ा नहीं, राजीव गांधी पाठशाला को बन्द नहीं किया, 1200 की जगह उन्होंने नई पे स्केल जो थर्ड ग्रेड की मिलती है उसको स्वीकार किया नहीं। बिना भवन के जो स्कूल चल रहे हैं बड़ के पेड़ के नीचे उनको उन्होंने रोका नहीं, न. भवन बनाने की बात की। बहुत सारी बातें जो कांग्रेस के राज में चल रहीं थीं, बहुत सारे साथियों ने बड़े आवेश में आकर के बातें कीं, बहुत बुरा किया। लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया, यह बजट आपको यह बताता है, परिलक्षित करता है इस बात को कि कांग्रेस की सरकार ने, पिछली सरकार ने अपनी मौलिकता से इस बजट में बहुत सारी बातें दीं, राजस्थान के शिक्षा जगत में बहुत सारी बातें देने की कोशिश की थीं। आप उस मौलिकता में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाये। उन्हीं बातों को आप चला रहें हैं।

राजस्थान में साक्षरता बढ़ी है और साक्षरता का भी प्रतिशत, पुरूषों का प्रतिशत 1991 में 64.13 था महिलाओं का 39.29 था और आज पुरूषों का 76.46 है और महिलाओं का 44.34 है। शिक्षा में साक्षरता बढ़ी है। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि हमारी क्वालिटी बननी चाहिए, हमारे यह शिक्षा आनी चाहिए, यह होना चाहिए। आज तक तो राजस्थान साक्षरता से जूझ रहा है, हम सारे प्रदेश की जनता को साक्षर नहीं कर पाये। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बी.जे.पी. की हो, कोई सरकार को, सरकार को जूझना पड़ रहा है साक्षरता को बढ़ाने के लिए और साक्षरता को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा हो तो कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी पाठशालाएं खोलकर की थीं। उस सरकार के प्रतिनिधियों को, सरकार को मालूम था कि 1200 रुपये में पढ़ाने वाले अच्छे नहीं मिलेंगे, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं लेकिन साक्षरता के लिए जो अनौपचारिक शिक्षा जो चला रखी थी और छोटी-मोटी स्कीम चला रखी थीं जिनका

(श्री रामचन्द्र सराधना)

अता-पता नहीं था, कौन चला रहे हैं, कहां रहता है, एक आइडेंटिफिकेशन दिया सरकार ने राजीव गांधी पाठशाला के नाम से खोलकर। और राजस्थान में सबसे बड़ा यह उदाहरण हुआ कि पहले प्राइमरी स्कूल खुलती थी बाद में बिल्डिंग बनती थी, राजीव गांधी पाठशाला की बिल्डिंग पहले बनी, स्कूल बाद में खुली। गांव के लोगों को दूर से मालूम पड़ता था कि यह क्या है, यह राजीव गांधी पाठशाला है। कौन पढ़ाता है, चाहे उसको 1200 रुपये मिले लेकिन उसकी ड्यूटी थी, उसको पूछते थे लोग कि आज स्कूल क्यों नहीं खुला। यह एक कंसेप्ट था सरकार का। उसकी चर्चा अपन कई कर सकते हैं। मजबूरियां थीं सरकार की, पूरा पैसा नहीं दे पाये। हां, हो सकता है कि उससे अच्छे क्वालिफाइड रह गये हों लेकिन क्वालिफाइड नहीं आ सके, उनहोंने एक क्राइटेरिया रखा था कि स्थानीय लोगों को मौका दिया जाए। कम पैसे में रहकर वे अपना काम चला लेंगे और उनके भविष्य के लिए भी योजनाएं बनाई थीं कि आपको इस तरह से हम नियमित सेवा में लेंगे। आपने उसके बारे में कोई नया और साफ दृष्टिकोण जाहिर नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बातें नहीं कह कर शार्ट में बातें कहना चाहूंगा। सरकार ने स्थानान्तरण नीति बनाने की बात की थी। स्थानान्तरण नीति नहीं बनी। क्यों नहीं बनी यह आप सब जानते हैं इस बात को। और मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं लेकिन स्थानान्तरण नीति नहीं बना पाओगे और न उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे और यदि एग्जीक्यूट कर पाओगे तो हमारी तरह इधर आ जाओगे। स्थानान्तरण नीति बहुत खतरनाक है। जिन लोगों के हौसले आपने बढ़ाये थे चुनाव से पहले...

श्री तगाराम चौधरी : ऐसा नहीं हो कि यह सपना देखते ही रह जाएं।

श्री रामचन्द्र सराधना : स्थानान्तरण नीति के लिए, लोगों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने कल स्पष्ट कर दिया। शिक्षा मंत्रीजी ने भी किया और यह साफ हुआ था सदन में कि उनका जो हड़ताल के दिनों का वेतन था वह हम नहीं दे पायेंगे, पी.एल. का पेमेन्ट हम नहीं कर पायेंगे। जो आपने सर सब्ज बाग दिखाये थे वो कहां चले गये? आपने बहुत सारे युवकों में जोश भरा था कि हम आपको नौकरी देंगे। माननीय राजपुरोहितजी कह रहे थे कि कांग्रेस ने स्कूलों में खाली जगह छोड़ दीं, आपने भर दी या भरो। भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो और आने वाले भरेंगे, कोई अपना ही ठेका है क्या। भरते ही रहेंगे। जैसे जैसे आयेगा वैसे वैसे चलता रहेगा।

श्री तगाराम चौधरी : और वाले ने भी खाली रखे थे पहले।

श्री रामचन्द्र सराधना : लेकिन भरने की कोशिश करते हैं आप भी, आपकी भी नीयत खराब नहीं है, आपकी सरकार की नीयत खराब है नहीं। आपकी सरकार की नीयत खराब नहीं मान रहा हूं, न जो गई सरकार थी, उसकी नीयत खराब थी। संकट था उस समय, पांच साल तक उन्होंने अकाल का मुकाबला किया और सारी शिक्षा को और सारी नीतियों को छोड़कर पहले वह प्राण नीति को बचाने के लिए उन्होंने सोचा। इसलिए उनकी मजबूरी थी, आपकी भी मजबूरी हो सकती है। न्यायपालिका का दबाव आप पर हो सकता है, रोक आप पर हो सकती है। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कहता कि आपकी सरकार भरना नहीं चाहती या शिक्षा मंत्रीजी के दिल में खोट है लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। दूर बैठे आदमी को नजर आता है बहुत सारे अवगुण, लेकिन जब खुद कबड्डी खेलने चला जाता है तो वह पकड़ा जाता है। शिक्षा मंत्रीजी के हौंसले बुलन्द हैं, मैं उनके हौंसलों की बहुत ताइद करता हूं। शिक्षा के बारे में मैं यह निवेदन भी कर रहा हूं, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन बहुत हुए, लेकिन शिक्षा पद्धति में नहीं हुए। शिक्षण पद्धतियां बहुत आई, मैथड आफ टीचिंग...

श्री सभापति : कन्क्लूड करें। बहुत हो गया।

श्री रामचन्द्र सराधना : इतनी जल्दी कुछ नहीं होता है, होना था तो वह तो होकर चला जाता, सुबह ही चला जाता। मान्यवर, मेहरबानी करें, मैं कुछ ठोस बातें कहना चाहता हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, तो मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, एक मिनट बिराजें। सभापति महोदय, रावी-व्यास जल के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अभी रेफरेंस किया, उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी कुछ जानकारी देना चाहेंगी। आपको पधारना है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो उसके बाद माननीय सदस्य अपनी बात कह दें, मुख्य मंत्रीजी अपनी बात कह रही हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति : आप बिराजें माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

सूचना

द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 की नवीनतम स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहती हूं। इस सन्दर्भ में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने उच्चतम न्यायालय को संविधान की धारा 143-ए के अन्तर्गत एक रेफरेंस दिनांक 22 जुलाई, 2004 को प्रेषित किया है, जिसमें निम्न बिन्दु शामिल किये गये हैं :-

Points of reference under Article 143(1) of the Constitution, and I quote-

"Whether the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 and the provisions thereof are in accordance with the provisions of the Constitution of India;

Whether the Punjab Termination of Agreements Act, 2004 and the provisions thereof are in accordance with the provisions of section 14 of the Inter-State Water Disputes Act, 1956, section 78 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 and the notification dated 24th March, 1976 issued thereunder;

Whether the State of Punjab has validly terminated the agreement dated 31.12.1981 and all other agreements relating to the Ravi-Beas waters and is discharged from its obligations under the said agreements; and

Whether in view of the provisions of the Act, the State of Punjab is discharged from its obligations flowing from the judgment and decree dated 15.1.2002 and the judgment and order dated 4.6.2004 of the Supreme Court of India."

राज्य सरकार ने पंजाब जल समझौता समापन अधिनियम, 2004 के सन्दर्भ में विधिक राय प्राप्त करली है और प्राप्त राय के अनुसार उक्त अधिनियम भारतीय संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा मामला उच्चतम न्यायालय को प्रेषित किये जाने के उपरान्त हम आश्वस्त हैं कि हमारे हितों की पूर्ण रूप से रक्षा हो सकेगी। मैं सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहती हूं कि रावी-व्यास के जल समझौते में कोई आंच नहीं आये, इस हेतु हम सब मिलकर सभी आवश्यक कदम उठायेंगे। मैं सभी सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि पंजाब के मुख्य मंत्रीजी की भी चिट्ठी आई है, जो मेरे पास है। उन्होंने यह कह दिया है-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

"This has a reference to your D.O. letter no...of 10th July. I have had the different releases of water verified. It is reported that the requisite water releases of 8, 225...7,900 cusecs of water is being released from Harike and 325 cusecs from the Sarhind feeder tail. My officers have confirmed these releases with their counterparts in Rajasthan. I assure you that the release of water, as per entitlement of Rajasthan, continues as usual."

Thank you.

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में एक शासकीय संकल्प के माध्यम से जो भावना व्यक्त की थी कि पूरा सदन इस बात के लिए एकमत हैं और एकजुट है कि राजस्थान के हितों के लिए कुछ भी हमको करना पड़े, हम मिलकर काम करेंगे और हमारा जो हिस्सा है रावी व्यास पानी का, वह पूरा का पूरा राजस्थान को मिले। इस सन्दर्भ में पूरे सदन के लोगों ने अपनी अपनी तरफ से प्रयास किये। माननीय मुख्य मंत्री महोदया प्रधानमंत्रीजी से मिलीं। मैं, शिवचरणजी माथुर साहब, जगन्नाथजी पहाड़िया, हमारे जितने भी लोक सभा और राज्य सभा के एम.पीज. हैं, हमारे केन्द्र में राजस्थान के जितने मंत्री हैं, शीशरामजी ओला, कुंवर नटवर सिंहजी,...(व्यवधान) नमो नारायण मीणाजी, और हमारे एक्स एम.पीज. हैं, सब मिले। न केवल हम प्रधानमंत्रीजी से मिले बल्कि हम हमारी पार्टी की नेता सोनियाजी से मिले। साथ ही हम पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी के माननीय सदस्य गृह मंत्री शिवराजजी पाटिल साहब, कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब, सबसे मिले। आप लोग भी अपनी तरफ से कई नेताओं से मिले। प्रियरंजन दास मुंशी साहब से मुख्य मंत्रीजी ने बात की, अन्य लोगों से बात की। श्री पी. चिदम्बरम साहब से हमारे शिवचरणजी माथुर साहब की बात हुई। उस समय हम लोग कहीं और मिलने गये हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर जो लोबिंग हुई, उसका परिणाम यह हुआ कि जो पाइंट आफ रेफरेंस अण्डर आर्टिकल 143(1) हुआ है, उसमें राजस्थान के हितों को सेफगार्ड करने का केन्द्र सरकार ने पूरा प्रयास किया है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य जब सदन के पूरे के पूरे लोग एकमत हैं, वहीं कई लोग यह कह रहे थे कि यह केन्द्र सरकार के इशारे पर हो रहा है या हाईकमान के इशारे पर हो रहा है। इस टर्म्स आफ रेफरेंस में आने के बाद, मैं समझता हूं, ये बातें सब क्लियर हो गई कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए जो टर्म्स आफ रेफरेंस तय किये हैं इस चौथे को छोड़कर, चौथा तो हमारे से सम्बन्धित है नहीं, लेकिन पहले तीन जो टर्म्स आफ रेफरेंस अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पढ़कर सुनाये, उसमें राजस्थान के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : कुछ नहीं हुआ है, छींके हैं वह।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कल्लाजी, छींक आये तो छींकने से मत डरो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय राजस्थान के साथ न्याय करेगा और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट बिल, 2004 है, वह स्ट्राइक डाउन होगा और राजस्थान को अपने हितों का पूरा पानी मिलेगा। मैं इस अवसर पर सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि यह तो बिल की बात हो गई। हमको राजस्थान के जितने भी इंटर स्टेट डिस्पुट हैं, उनके बारे में भी मैं पुन: आपसे यह आग्रह करता हूं कि बहुत हमारे टैक्नीकल लोग हैं, जो हमारे लीगल एक्सपर्टस हैं, जो हमारे अच्छे -पुराने अधिकारी हैं आई.ए.एस. जो रिटायर हो गये हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर जितने भी इंटर स्टेट डिस्पुट्स हैं, इनके लिए एक परमार्नेंट कमेटी बनायें ताकि राजस्थान के हित हम पूरी तरह से हर क्षेत्र में रक्षा कर सकें। और साथ ही साथ बी.बी.एम.बी. का जो कन्ट्रोल आज भी पंजाब के हाथों में है और 0.6 एम.ए.एफ. पानी हमें अपने पूरे साधन, रिसोर्स डवलप कर लिये, वह हमको नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी जो भी कानूनी कार्यवाही आगे करनी पड़े, वह हमको करनी चाहिए। धन्यवाद (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मुझे बड़ी खुशी है, आपने जो चिंता जताई है और मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हमने आलरेडी एक कमेटी घोषित कर दी है और इसमें लायर्स हैं, पांच और लोग हैं, हमारे मुख्य सचिव हैं, headed by Vishnu Modi, only to look after the legalities of water disputes. मैं आपको यह बता दूं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पूरे सदन को कि सब लोगों ने, सभी पार्टियों ने मिलकर इतना बड़ा कार्य किया है। और मैं समझती हूं, सब लोगों ने राजस्थान के हितों को पहले रखकर, प्रमुख रखकर जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों के अन्दर दबाव बनाया है, उसकी वजह से दिल्ली की सरकार को भी, राजस्थान के हितों के ऊपर जो कुठाराघात न हो, इसको देखते हुए यह काम किया है। मैंने जैसा आपको बताया है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह होगा और इसी विषय में मैंने अमरिन्दर सिंहजी से बात की थी और उसका नतीजा भी आ गया है। पानी पहुंच चुका है, मैंने इसको चैक कर लिया था आज। और मैं यह कहना चाहती हूं कि 8200 समर्थिंग क्यूसैक्स वहां पहुंच चुका है...(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है बचाव करने की बीच में। नहीं, मैं नेता महोदया से बात करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई विवाद का विषय नहीं है।

(18.00 बजे)

श्री रामसिंह विश्नोई : आदरणीय नेता महोदय, मैं आपको इतना ही कह रहा था कि पूरे सदन ने आपके नेतृत्व में आस्था प्रकट की है और इस पानी के मामले के अन्दर एक राय होकर आपसे यह वायदा किया कि हम साथ रहेंगे। आपका फर्ज बनता है जब आप दिल्ली पधारी हैं, प्रधानमंत्रीजी से मिली हैं, पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से मिली हैं तो कम से कम विरोधी दल के नेता से या एक-दो आदमी को साथ लेकर आपको जाना चाहिए था।

श्री विष्णु मोदी : यह सारी बात स्पष्ट हो चुकी है और जो कांग्रेस के कोई...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बाद में बोल लेना।

श्री विष्णु मोदी : मैं, माननीय सभापति महोदय, इसलिए कह रहा हूं कि यह बात आलरेडी डिसकस हो चुकी है और आदरणीय शिवचरणजी, माथुर, आदरणीय जगन्नाथजी पहाड़िया और जो उनके दल के लोग, आदरणीय कल्ला साहब, और उन्होंने यह बात कही कि इस बात को आप यहीं छोड़िए, क्योंकि इसमें कई सारी परिस्थितियां हुई थीं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पहली बार हुआ है ऐसा, यह सन्दर्भ का।

श्री विष्णु मोदी : और जिस तरह सामंजस्य अभी बैठ गया है तो हम पुरानी बातों को यहीं छोड़ दें...

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं...

श्री विष्णु मोदी : नहीं तो बात के अगर, प्याज के छिलके अगर उतारने लगेंगे तो यह जो नये छिलके उतरने लग जायेंगे, तो यह बात आलरेडी हो चुकी है, सभापति महोदय, और यह जो एक वातावरण बना है...

श्री रामसिंह विश्नोई : उसका एतराज थोड़े ही है। आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : तो मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बहुत सीनियर मेम्बर हैं...

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, यह कोई अच्छी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं और यह बीच में बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : उनको यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब यह प्याज के छिलके उतारना बन्द कर दें, जो भी बात हुई है, वह आपके तीनों नेताओं से खूब तसल्ली से बात हुई। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मोदीजी को कुछ बना दो, बहुत परेशान करते हैं हमें यह सदन में। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं नेता महोदय, मुझे, आप अगर...

श्री सभापति : बिराजिये न अब आप। कमेटी में ले लिया इनको।

श्री हेमाराम चौधरी : कमेटी में ले लिया, अब तो शांत रहो।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो स्थिति देश के अन्दर, पंजाब की इकतरफा कार्यवाही से जो कार्यवाही बनी है और आप अपने आप में सक्षम अगर समझती हैं कि मैं सारा कुछ कर लूंगी, हमें आपत्ति नहीं है। हमें बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। लेकिन आपने बिना सहयोग लिये, आप अगर चाहती हैं कि नहीं, मैं तो कर ही लूंगी, हमें आपत्ति थोड़े ही है, +++ यह तो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, बीजेपी में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। +++ न तो किसान हैं, न पानी से ही इनका मतलब है, +++ मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, हमारी पूरी आस्था आपके अन्दर है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आदरपूर्वक कहिये, माननीय सदस्य हैं। बोल जाता है, क्या है यह, आदरपूर्वक कहिये, माननीय सदस्य हैं।

श्री- रामसिंह विश्नोई : नहीं नहीं, आप ठहरो। हमारी पूरी आस्था आपके अन्दर है, हमने...(व्यवधान) आप सारा सही बोलते हो? और हमने कभी भी आपके खिलाफ या कोई आस्था प्रकट नहीं की हो, ऐसा कोई नहीं है। हमें पूरा विश्वास है आपकी कार्यशैली में, आपके विचार-विमर्श में, आपने जो सहयोग लिया उसमें, आपने जो कदम उठाये उसमें, सब में हमारी आस्था है। लेकिन एक तरफ इस तरह की कार्यवाही करना और बाद में जो मामला नहीं बैठा, ऊंट अगर करवट पर नहीं बैठा तो क्या स्थिति होगी। इसलिए आपको ऊंट को करवट पर बैठाने के लिए, सही करवट बिठाने के लिए काम करने के लिए आपको कम से कम कभी-कभी इनका सहयोग साथ लेकर जायें और यह बताने की चेष्टा करें पूरा सदन आपके साथ है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सब को धन्यवाद किया है, सबके सहयोग की प्रशंसा की है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी से एक ही बात पूछना चाह रहा हूं कि कमेटी में मुख्य सचिव को लिया है या मुख्य सचेतक को? जरा साफ सुनाई नहीं दिया, यह स्पष्टीकरण हो जाय कि कमेटी में मुख्य सचिव हैं या मुख्य सचेतकजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको तकलीफ हो रही है, यह दूर करो। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, अच्छे माहौल में यह इस प्रकार का राजनीति वातावरण करने की कोशिश नहीं करें और जिस भावना से (व्यवधान) यह पहली बार हुआ है...

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारी कोई भावना नहीं हुई है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको यह पता है, आप उस समय सदस्य थे 81 में, जब यह समझौता रहा, उस समय हम मांग करते रहे, बोलने का भी अवसर नहीं दिया और पहली बार (व्यवधान) साथ मिलकर चले हैं, इसका मतलब हमने यह किया, हम साथ गये, अब चार एम.पी.का नाम गिना रहे हैं और पच्चीस एम.पी. गये हम, उनको आप भूल गये। अब मुख्य मंत्रीजी स्वयं मान लो, हर बार साथ ले जाय, यह जरूरी है क्या, साथ ले जाना जरूरी है क्या।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सभापति महोदय, आप राजनीति मत करो, राजनीति करोगे तो हमको आपसे ज्यादा राजनीति आती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमको भी आती है। हमको भी आती है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : जब देखो बिगाड़ने की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो कर ही रहे थे। आप तो धरना दे रहे थे न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है आपकी मेहरबानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्या कर लोगे आप, हम तो अच्छी भावना से बात करते हैं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो सदन के अन्दर तो मीठी-मीठी बात करते हैं और सदन के बाहर धरना देते हैं आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजनीति करनी आती है, हमको नहीं आती है क्या, क्या कर लोगे आप? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप क्या कर लोगे। आप क्या कर लोगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या कर लोगे, आप विरोध करो इसका।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हम आपका विरोध करेंगे।

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बिराजें

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय विधायक ने मेरे पर व्यक्तिगत कुछ बात कही है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : एक मिनट सराधनाजी, एक मिनट।

श्री सभापति : माननीय विष्णुजी, आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत कोई बात कही...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय, अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, आपकी जानकारी में मैं लाना चाह रहा हूं, जब प्रधान मंत्रीजी का टेलीफोन केवल मुख्य मंत्रीजी को बुलाने के लिए आया, उससे पहले माननीय प्रतिपक्ष के नेता दिल्ली पहुंच गये थे और चूंकि प्रधानमंत्रीजी ने केवल मुख्य मंत्रीजी को ही बुलाया और सब अधिकारी गये वह भी बाहर बैठे थे, इसलिए मुख्य मंत्रीजी को व्यक्तिगत रूप से बुलाया है, उनसे बातचीत करनी थी इसलिए सहयोग लेना...

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे आपत्ति नहीं है, जो आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, हमारी आस्था पूरी साथ है। सारा हाउस एक है, हमारी आस्था आपके साथ है, हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह की कार्यवाही करना ठीक नहीं है।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यह है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रधानमंत्री ने आपसे बात नहीं करी, हम क्या करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रधानमंत्रीजी आपसे मिले ही नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मिले ही नहीं वह।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह जो इकतरफी कार्यवाही कर रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। कल जाकर के वही मामला हो सकता है...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यह है कि सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी विवाद राजस्थान के हक-हकूक के लिए होगा उसमें हमारे हर सदस्य, पूरा प्रतिपक्ष, पक्ष साथ रहेंगे और उस हक की सुरक्षा के लिए एकमत हैं और एकमत रहेंगे। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय विधायक ने मेरे ऊपर व्यक्तिगत कुछ बात कही है, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। या तो आप कार्यवाही से वह बातें हटाओ...

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय विष्णु मोदीजी, आपको ही ज्यादा, माननीय विष्णु मोदीजी, अब सब का समय बरबाद मत करो आप।

श्री विष्णु मोदी : या तो कार्यवाही से आप वह शब्द हटा दें या मेरा आपको स्पष्टीकरण लेना होगा। आपके पास दो आप्शन हैं...

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ यह...

डा. बुलाकीदास कल्ला : क्या कह दिया इन्होंने।

श्री विष्णु मोदी : या तो आप कार्यवाही से एक्सपंज कर दें, या आप मुझे बोलने का मौका दें।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह आपका और इनका व्यक्तिगत मामला है, विराज जाओ आप।

श्री विष्णु मोदी : कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है।

श्री रामचन्द्र सराधना : तो आप क्यों बीच में बोलने लग गये। जब यह बोल रहे थे तो बीच में आप क्यों खड़े हो गये, आपको क्या अधिकार था? सभापति महोदय, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, बेकार माहौल खराब कर रहे हैं आप...

श्री विष्णु मोदी : वह जो अधिकार है, मैं चुनकर आया हूं, आपकी मेहरबानी से नहीं आया इस सदन में, क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है इसलिए आया हूं सदन में।

श्री रामचन्द्र सराधना : हमेशा खड़े हो जाते हैं, ऐसा मत करो आप। आपको ठेका नहीं दिया है बोलने का।

श्री विष्णु मोदी : आपकी कोई मेहरबानी नहीं हे मेरे ऊपर...

श्री रामचन्द्र सराधना : क्या बात हुई, यह बीच में बोल गये खड़े होकर...

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, जो आपके खिलाफ टिप्पणी की, वह कार्यवाही से विलोपित करता हूं।

श्री विष्णु मोदी : थैंक यू।

श्री रामचन्द्र सराधना : हम उसको नोर्मल करने की बात कर रहे थे, आप कानून में फंसा रहे हैं उसको। यह कोई बात हुई क्या।

श्री हेमाराम चौधरी : जनता ने सदन चलाने के लिए भेजा है...

श्री रामसिंह विश्नोई : जनता ने नहीं भेजा है, आप मनचाहे जब तो बीच में बोल जाते हो और मनचाहे जहां से खड़े हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और किसान कहते हो और धन्धा दूसरा करते हो, पाइप बनाने का काम करते हो उसमें भी दवाई...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन यह कर रहा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापतिजी, माननीय सदस्य जो अपना स्पष्टीकरण देना चाह रहे थे, स्पष्टीकरण तो लेना चाहिए। जब यहां सदन के अन्दर अबे-तबे की भाषा से, सदन के अन्दर एक माननीय सदस्य को अबे-तबे की भाषा से कुछ भी कह दें...(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजें आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : यह जैसी भाषा बोली है, सभापतिजी, +++

श्री सांवरलाल : माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुंची है जिससे... (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, आप बिराजिए।

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मसूदा की जनता ने जिता कर भेजा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : तो बीच में बोलना चाहिए? माननीय मंत्री महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो, बीच में बोलना जरूरी है, बाद में नहीं बोल सकते माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय लूणी से आने वाले सदस्य से मेरा निवेदन है, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : इतने सीनियर सदस्य हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, क्या बाद में नहीं बोल सकते, आसन की परमिशन लेकर बाद में नहीं बोल सकते, आप क्या लेट हो रहे थे, क्या देरी हो रही था, क्या आपको गलतफहमी हो रही थी, मैं कौनसा ऐसी कार्यवाही कर रहा था जिसकी वजह से आप बीच में बोले।

श्री रामचन्द्र सराधना : अब बैठ जाओ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह सब बातें बोल रहा था जो कल सर्वदलीय बैठक में हुई। जो उसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई, उसके अन्दर कुछ बातें हुई...

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, मेरे बीच में क्यों व्यवधान पैदा करवा रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : मैं उस बात को फिर से कहना नहीं चाहता, वहां कल्लाजी, वहां पहाड़ियाजी, वहां माथुर साहब मौजूद थे और इस तरह की बातें हुई तो वहां सब ने यह कहा कि यह बातें यही छोड़ो और वह बातें वापस माननीय लूणी से आने वाले विधायक ने आज उठाई, इसलिए मैंने यह बात कही।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो बाद में ही कह देते, मैं मान लेता। मैं तो यों ही मान लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय लूणी से आने वाले सदस्य से निवेदन है, बिराजें आप। माननीय श्री सराधना।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप अगर बाद में कह देते तो ही मान लेता मैं, आपको जल्दी क्या हो रही थी? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय विश्नोई साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आजकल आप मानते नहीं हो।

मांग संख्या 24 व 6 पर विचार

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन यह कर रहा था, माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, सांवरलालजी और यहां तक कि किरोड़ी लालजी, हमारे उनके पुराने रिश्ते हैं, निभा तो लेने दो थोड़े-बहुत, इतनी खार तो मत बोलो कि हम बिलकुल ही उनके विपरीत हो गये। हमारे पुराने रिश्ते हैं मोदीजी से, प्यार से बोल देते हैं, आप उसको क्यों उछाल रहे हैं बिना मतलब। कभी-कभी हमारा व्यक्तिगत मामला भी चलता है।

माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन यों कर रहा था, राजस्थान में शैक्षिक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, चाहे कोई सरकार हो. विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है, छात्र-छात्राओं की संख्या भी बढ़ी है, विद्यालय बिल्डिंग भी बनी हैं और हर सरकार ने कोशिश की है लेकिन जो हमें मिलना चाहिए था उसका रिजल्ट, वह नहीं

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मिल पाया। आज सबसे बड़ी कमी अगर शिक्षा में है, पहले जिसकी दहशत रहती थी, डर रहता था, वह खतम हो गया, आब्जर्वेशन और इन्सपेक्शन। (व्यवधान) मंत्रीजी...

श्री सभापति : आप प्लीज, आप कन्क्लुड करिये।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह क्या कर रहे हैं साहब?

श्री सभापति : इनसे आपको क्या लेना-देना, आप बोलिये न।

श्री रामचन्द्र सराधना : यह डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। मुझे डिस्टर्ब होता है। यह सदन कानून से चलता है साहब।

श्री सभापति : आसन को सम्बोधित करें। बोलें आप, माननीय सदस्य। आप आसन को सम्बोधित करिये, कन्क्लुड करें।

श्री टीकमचन्द कान्त : माननीय सदस्य, इधर क्यों देखें, आसन की तरफ देखें।

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय सभापतिजी, मेरे बीच में सारा डिस्टर्ब हुआ है मुझे तो बोलने का मौका मिला ही नहीं। और अब माननीय अध्यक्षजी आ गयीं

(18.10 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए वो बिलकुल ही नहीं बोलने देंगी। (व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी, हमारे इस शिक्षा जगत में इंसपेक्शन और आब्जर्वेशन का जो महत्त्व था वो खतम हो गया। आज भी इस डिबेट में अधिकारी भी आपके सुन रहे हैं। वो केवल मात्र आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपको कौनसी बात का जवाब चाहिए वो लिख कर दे देंगे। लेकिन हम जो बोल रहे हैं और जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए कल ही उसका इंस्पेक्शन और आब्जर्वेशन होना चाहिए उसकी जांच होनी चाहिए उस पर कतई उनका भी ध्यान नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि शासक कोई भी हो शासन प्रशासन करने वाला कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, किसी ने भी इंस्पेक्शन और आब्जर्वेशन पर ध्यान नहीं दिया। आप किसी जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाकर पूछ लीजिये कि आपने 12 महीनों में एक वर्ष में कहां-कहां इंस्पेक्शन किया, कितनी स्कूलों में किया? और उसका नुकसान सबसे बड़ा यह हो रहा है, आपने देखा होगा कि

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मांझीपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर्स की लापरवाही के कारण, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने गौर किया। उस पर बारीकी से देखा। उस विद्यालय के गांव के लोगों ने छात्रों ने ताला लगा दिया। 19 दिन तक धरना दिया और तीन दिन हो गये भूख हड़ताल की अध्यापक को हटाने के लिए। और अध्यापक इतने लापरवाह हो गये कि बी.ई.ओ. को भी कह दिया कि अपना काम करो तुम्हें रहना है कि नहीं रहना। बी.ई.ओ. जब जाता है जांच करने के लिए, उस अध्यापक ने कह दिया कि तुम्हें यहां रहना है कि नहीं रहना। अब यह इंस्पेक्शन और आब्जर्वेशन की कमी है। उनके दिमाग में दहशत नाम की चीज बिलकुल खतम हो गयी है। वो अपने मर्जी से चल रहे हैं। मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं मैं पहले की कह रहा हूं न अब की सरकार की कह रहा हूं मैं मेरे मन की बात बताना चाहता हूं। यह पंचायत राज को आपने जाने क्या समझा है और पंचायती राज को सारे अधिकार देना चाहते हैं। मैं भी उस पक्ष का हूं। मैं भी एक पंचायती राज का आदमी रहा हुआ हूं। मैं भी चाहता हूं लेकिन आपके पंचायती राज के प्रतिनिधि के प्रति कोई आपका उत्तरदायित्व नहीं है। उसकी कुछ शिक्षा का कोई उसका वास्ता भी नहीं। उसका कोई स्टैण्डर्ड भी नहीं नापा आपने पांचवीं पास हो कि साक्षर हो कि निरक्षर हो कि कैसा हो और उसके लिए कह दिया कि प्राइमरी स्कूल वो ही सम्भालेगा। मिडिल स्कूलों को सम्भालेगा, आयुर्वेदिक औषधालयों को संभालेगा। सारा काम-काज पंचायती राज करेगा। यह नकारात्मक भाव सरकार में पैदा हुआ है। यह बहुत बड़ा नुकसानदायक है इस प्रदेश की जनता के लिए। यह सारा कुछ छोड़ना चाहते हैं, आप पंचायती राज को देना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं? पंचायती राज, प्राइमरी एजुकेशन पंचायत के अधिकार में गयी, अपर प्राइमरी पंचायती राज के पास में चली गयी। उसके बाद में उसकी क्वालिटी देखें न आप कोई शिक्षक जिम्मेदार नहीं है इस बात के लिए काम करने के लिए। और सबसे बड़ा अभी माननीय गंगारामजी बता रहे थे वो सही बात है। आपने शिक्षा के लिए कोई मूल्यांकन करने की जगह नहीं छोड़ी। पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक लड़का चला गया पास होकर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पांचवी तक चला गया। छठी क्लास में जाकर भर्ती हो गया वहां जाकर के फेल हो गया। फिर घर आ गया। किसी भी काम का, ये तो शिक्षा है किसी भी काम का जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हमें उसकी प्रगति का मालूम नहीं पड़ेगा और उस काम को करवाने वालों की भी क्षमता का मालूम नहीं पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं प्राइमरी एजुकेशन में निश्चित रूप से

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मूल्यांकन रखिये। टैस्ट दो रखिये, तीन रखिये हाफ ईयरली एनुअल एग्जामिनेशन रखिये उससे डर रहेगा। शिक्षकों को यह महसूस होगा कि मेरे लड़के कितने पास होंगे और कितने फेल होंगे। आपने 8वीं का बोर्ड बना दिया। पांचवीं का कोई लेना-देना नहीं है। पांचवीं का बोर्ड बनाते तो वो नींव मजबूत होती। 8वीं वाले तो बहुत सारी क्लासेज सैकेण्डरी के साथ भी चलती हैं वहां पर गजटेड आफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वहां तो आपको जरूरी नहीं था। यहां आपको पांचवीं का बोर्ड जरूर रखना चाहिए था। आपने 8वीं बोर्ड की एक नजीर देखी होगी तो आपको मालूम पड़ा होगा। ताला में एक स्कूल है सैकेण्डरी स्कूल वहां पर 8वीं के बोर्ड की परीक्षा हो रही थी। मांझीपुरा का एक टीचर गया और पेपर करके बच्चों को दे गया। बोर्ड पर लिख करके पेपर करवाया। 91% रिजल्ट रह गया और गांव वाले कहते हैं कि हमारा छोरा पास तो हो गया लेकिन इसको किताब पढ़ना नहीं आता है और उसकी जांच हो गयी शिक्षा अधिकारियों ने जांच की है। जांच में टीचर की राइटिंग मिल गयी तो जब पूछा कि आपने यह क्या किया तो बोला कि राइटिंग मेरी नहीं है। फिर राइटिंग की जांच हो गयी पता चला कि इसी की राइटिंग है। क्या करना चाहते हैं शिक्षा में? बात बड़ी-बड़ी करना चाहते हैं 40 अरब का पैसा खर्च करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता को बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन हमारा धरातल कमजोर है। और जब तक धरातल पर ध्यान नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी खोलो न आप बराबर खोलो पी.जी. कालेज खोले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : लेकिन नीचे वाला जो आधार है इसको जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका जो उद्देश्य जो लाना चाहते हैं वो पूरा नहीं होगा। मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : 5.45 पर शुरू किया था आपने अब देखिये क्या समय हुआ है।

श्री रामचन्द्र सराधना : बहुत टाइम हो गया। बड़ी मेहरबानी रही आप नहीं आयीं तब तक काम चल गया मेरा आपके आने के बाद तो तीन ही मिनट हुए हैं अभी।

श्री अध्यक्ष : टाइम नोटेड है 5.45।

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यापकों की कमी के लिए आपने भी महसूस किया मैंने भी महसूस किया। अध्यापकों की कमी के लिए पहले वाली सरकार ने भी महसूस किया उन्होंने गैस्ट फैकल्टी के नाम से टीचर लगा करके उस स्कूल की पूर्ति करने की कोशिश की थी। मान्यवर, जुलाई का महीना समाप्त हो रहा है। आपने एक जुलाई को टीचर्स पहुंचाने की कोशिश की थी। आपके पास कोई परेशानी आयी होगी कोई बाधाएं आंयी होंगी। लेकिन गैस्ट फैकल्टी का फैसला तो आप कर सकते थे आप वो फैसला भी नहीं कर पाए। क्लार्सें सफर कर रही हैं। सैकेण्डरी स्कूल डांगरवाड़ा में एक हैडमास्टर और एक टीचर दो सैकेण्डरी स्कूल में दो अध्यापक। शर्म की बात है यह हमें गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से किसी भी तरह से करना चाहिए था उस व्यवस्था को हमने और बिगाड़ दिया। आप स्कूलें बराबर खोले जा रहे हैं लेकिन उन गांव के लोगों को आपने देखा नहीं कि आर्टस के अलावा और भी सब्जैक्ट्स इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। विषय खोलने पर भी गौर करें और फैकल्टीज खोलने पर भी गौर करें। उन गांवों के लोगों को साइंस पढ़ने की भी उनको जरूरत है, कामर्स पढ़ने की भी उनको जरूरत है, दूसरे विषयों की भी जरूरत है, उनमें भी कम से कम पुरानी स्कूलों में तो आप यह चीज, मेरे चंदवाजी स्कूल है। चंदवाजी स्कूल में आज तक पुराना स्कूल होते हुए भी वहां पर कोई सब्जैक्ट नहीं खुला। सब्जैक्ट वहां पर खोलने की कोशिश करें। विद्यालय क्रमोन्नत कर ही रहे हैं उसमें तो मैं समझता हूं जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री रामचन्द्र सराधना : एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपकी कृपा से। मैंने पहले बताया था आपको। मैथड आफ टीचिंग में तो बहुत परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा। लेकिन एजुकेशन का मूल मैथड खतम हो गया है कोई मतलब नहीं है वो पुराना ढर्रा चल रहा है। आमूल-चूल परिवर्तन की बात करते हैं। इन शब्दों का उपयोग सब करते हैं लेकिन कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ न चूल परिवर्तन हुआ। वो का वो ही जगह है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश की आवश्यकता है, आपका बी.ए. पास लड़का ग्रेजुएशन करने के बाद मां-बाप गरीब आदमी वो बिना पढ़ा-लिखा बाप उस बेटे को पढ़ने के लिए भेजेगा और बी.ए. पास करने के बाद वो बेटा वो डिग्री लेकर के बाप की छाती पर डालेगा कि बोलो अब मैं क्या करूं? और बाप असहाय हो जाता है। तुझे बी.ए. पास कराया था अब क्या करेगा, कुछ न कुछ कर। वो जानता नहीं कुछ भी करना। वो परिश्रम से और मुंह मोड़ लेता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नाइंथ क्लास से ट्वेल्थ तक एक व्यावसायिक विषय अनिवार्य रूप से चलना चाहिए। व्यावसायिक विषय चलना

(श्री रामचन्द्र सराधना)

चाहिए और कालेज एजुकेशन में जाने के बाद तो उस पर प्रैक्टिकल काम हो जाना चाहिए। बी.ए. करते-करते लड़का ग्रेजुएशन करते-करते लड़के को अपने जीवन का उद्देश्य उसके सामने आ जाना चाहिए। और जिस वृत्ति में, जिस प्रवृत्ति में प्रवृत्त होना चाहता है वो प्रवृत्ति उसके सामने होनी चाहिए ताकि बाप के सामने भी बोझ न पड़े और जीवन में भटके नहीं। बेरोजगारी का सर्टिफिकेट लिये नहीं फिरे दुनिया में। मैं क्या करूं हम बेरोजगार हैं। जमाना बदल गया है। नौकरी हम नहीं दे पाएंगे। कितनी भी कोशिश करें। आप भी ऐसी बातें करेंगे चुनाव आते-आते हम भी ऐसी बातें करने लग जाएंगे। वोट भी ले लेंगे सरकार भी बन जाएगी। एम.एल.ए. मिनिस्टर भी बन जाएंगे। लेकिन उस बेरोजगार का भला नहीं कर पाएंगे। जब तक बेरोजगार को व्यावसायिक शिक्षा नहीं देंगे तब तक उसका भला नहीं होगा। आपसे मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी आप समझदार आदमी हैं शिक्षा के मामले में भी और वैसे भी संवेदनशील हैं समाज के प्रति भी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस पर गौर करें और मेहरबानी करके केवल डिबेट को डिबेट नहीं मानें आज। आज केवल औपचारिकता पूरी नहीं मानें और आपके आफिसर्स से बैठ करके और जानने वाले और सब्जैक्ट्स के मामले में जानने वाले लोग ज्ञानवान हों उनसे पूछ करके व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कोई गौर करें। एक निजी महाविद्यालय और महाविद्यालय के बारे में और निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बस अब आप समाप्त करें। अब आप समाप्त करें। बहुत समय ले लिया। बहुत समय ले लिया।

श्री रामचन्द्र सराधना : बाढ़ आ गयी है। निजी विद्यालय और महाविद्यालय की बाढ़ आ गयी। एक मिनट प्लीज। एक मिनट। आप भी महसूस करेंगे इस बात को जो विद्यालय और महाविद्यालय खुल रहे हैं, बाढ़ आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि हम तो नार्म्स को देख करके कर रहे हैं। आपने गलती कर दी। हम कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो। हम सब गलत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : औरों के लिए भी छोड़िये कहने को।

श्री रामचन्द्र सराधना : इतने कालेज खोल दिये। इतने ये खोल दिये लड़के कहां से आ रहे हैं बहुत सारे बन्द पड़े हैं। और आपको यह दो-तीन साल बाद एक और आफत आने वाली है ये फर्जी सर्टीफिकेट बांटेंगे। आप रोक नहीं पाएंगे। यू.पी. वाली और एम.पी. वाली जो धारणाएं थी वो यहां भी आ जाएंगी। राजस्थान में ऐसा पहले

(श्री रामचन्द्र सराधना)

कभी नहीं हुआ। आपने हर जगह देने की कोशिश की और देखा होगा मैं तो मेरे चंदवाजी की बात बताता हूं सैकण्डरी स्कूल है उसको मान्यता मिली नहीं है। एडमिशन चालू हो गये और क्लास में सारा काम चल रहा है। और अपने उसको मान्यता दी ही नहीं। अब उसको मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी भगवान जाने लेकिन उन लड़कों का भविष्य खराब हो गया। आप इस पर गौर फरमायें। बातें तो बहुत थीं लेकिन आप पधार गयीं। यह भी मैं आपकी कृपा ही मानता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद बहुत-बहुत। श्री बीरूसिंह राठौड़।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : माननीय सभापति महोदय, सारी, अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24 पर जो चर्चा हो रही है शिक्षा एवं संस्कृति इस पर मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जब शिक्षा पर चर्चा हो और मां सरस्वती को याद नहीं किया जाए तो उचित नहीं है। आपकी आज्ञा से एक श्लोक बोलना चाहूंगा "ओम ए बाग्ग वादनी वद बसवा" यह सबसे बढ़िया पवित्र मंत्र माना गया है। तो मैं आज सरस्वती जी को प्रणाम करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1950 से लेकर अब तक हमारी शिक्षा की जितनी भी एजुकेशन की नीतियां बनी हैं उसका विश्लेषण करें। तो जो संस्कार के पांच बिन्दु हैं उन पर हमने आज तक चर्चा नहीं की, न उनके बारे में सोचा। संस्कार का जो पहला बिन्दु है उसको मैं आदरणीय मां के नाम से पुकारता हूं। दुनिया की जो सबसे बड़ी शिक्षिका है या अध्यापिका है उसको मैं मां के नाम से पुकारता हूं। एक बालक अपने सम्पूर्ण संस्कार उस मां के माध्यम से प्राप्त करता है। एक बार जब डाकू सुल्ताना को फांसी लगी तो जज ने पूछा कि तेरा अन्तिम वाक्य क्या है। तो उसने एक ही बात बताई कि अगर मां मुझे चोरी करना नहीं सिखाती तो आज मेरे को फांसी की सजा नहीं होती। आज हमारी ऐसी सैकड़ों माताएं हैं जो कच्ची बस्ती में रहती हैं, बीड़ी पीती हैं, वाइन पीती है, उनके बच्चे क्या संस्कार लेंगे? आज हमारी ऐसी कई बहने हैं जो अपना पेट पालने के लिये गन्दा काम करती हैं, उनके बच्चे क्या संस्कार लेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि हम सबसे पहले शिक्षा के माध्यम से जो हमारा पहला संस्कार का बिन्दु है मां, हम उसको शिक्षित करें, इसकी आप योजना बनाइए। संस्कार का जो दूसरा बिन्दु बताया गया है उसको हम शिक्षक के नाम से पुकारते हैं। आज का शिक्षक हमको क्या संस्कार दे रहा है। आप अखबारों में पढ़ते हैं कि एक शिक्षक ने एक छात्रा के साथ गन्दा काम किया। एक शिक्षक बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर स्कूल

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

में पढ़ा रहा है। एक शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ाता है ट्यूशन करता है। जो संस्कार का हमारा दूसरा बिन्दु है शिक्षक उसके बारे में भी हमको मानेटरिंग करने की आवश्यकता है अन्यथा संस्कार हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। संस्कार का तीसरा बिन्दु है हमारा सारा का सारा धार्मिक ग्रन्थ। पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, गीता, रामायण। इनमें जो शिक्षा के बारे में संस्कार चिन्हित है हमें उनका भी विश्लेषण करना चाहिये। इन धार्मिक ग्रन्थों में जो अच्छी बातें है शिक्षा के बारे में उसका विश्लेषण करके, उसका शोध करके हमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिये। शिक्षा का जो चौथा संस्कार का बिन्दु है उसे हम समाज का मनोविज्ञान मानते हैं कि समाज की साइक्लोजी क्या है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। सिंधी समाज अपने बच्चे को पढ़ने के स्थान पर व्यापार कराना चाहता है। एक नाई का पुत्र नाई की दुकान पर रहना चाहता है। एक धोबी का लड़का धोबीघाट पर जाना चाहता है। एक सुनार का बच्चा सुनार का काम करना चाहता है। पढ़ाई मे उनकी रूचि कम है। इसके बारे में एक इण्डस्ट्रीयल एजुकेशन की पालिसी बननी चाहिये, औद्योगिक शिक्षा नीति। उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि जो यह समाज का मनोविज्ञान है हम उसके माध्यम से इस वर्ग में आने वाले बच्चों को शिक्षित कर सकें। एक पांचवा संस्कार का बिन्दु है उसको मैं राजनीतिक विचारधारा के नाम से पुकारता हूं। दुनिया में केवल मात्र एक ही राजनीतिक विचारधारा है जिसको मैं साम्यवाद के नाम से पुकारता हूं। मेरा खुद का भी बैकग्राउन्ड 65 से 1977 तक S.F.I. का रहा है। मैं मेरे जमाने का पोद्दार का नोटोरियस कम्युनिस्ट रहा हूं और मैंने 1971 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन किया, लगभग 35 साल हो गये। जितनी किताबे मैंने साम्यवाद के बारे में पढ़ी हैं शायद मेरे धोद से आने वाले मित्र ने भी नहीं पढ़ी होंगी। साम्यवाद का बेसिक चिन्तन है यह धर्म को अफीम के नाम से पुकारते हैं। यह पूरे के पूरे नास्तिक विचारधारा के हैं। इनके झण्डे का रंग लाल है। इस लाल रंग के झण्डे का मतलब क्या है।

अभी 8 महीने पहले ब्रिटेन में एक किताब छपी है उसमें बताया गया कि 1917 से लेकर अब तक इस लाल रंग ने, जिसको मैं आधुनिक राक्षस के नाम से पुकारता हूं, नास्तिक के नाम से पुकारता हूं। पूरी दुनिया में 10 करोड़ लोगों की हत्या की है। इनकी जो शिक्षा की पद्धति है, आज आन्ध्र प्रदेश में क्या स्थिति है। नक्सलवाद कहां से आया, रोजाना कितने लोगों की हत्याएं होती हैं। साम्यवादी चिन्तन की शिक्षा पद्धति और उसका विचार, मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी 1917 में रशिया में मुस्लिम समाज के जितने भी कब्रिस्तान थे उनको समाप्त कर दिया गया और वहां पर खेती की व्यवस्था कर दी गई। पवित्र कुरान में लिखा हुआ है

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

कि जब कयामत का दिन आयेगा तो इस कब्र में से उठकर वह स्वर्ग में जायेगा। उस कब्रिस्तान में जो हमारे मुस्लिम बन्धु दफन थे उनका क्या होगा, यह बड़ा चिन्ता का विषय है। उस समय रशिया में आपकी 23 मस्जिदे थीं, 20 को तोड़ दिया गया। आज की तारीख में केवल 3 हैं और आज की तारीख में तो साम्यवाद को मैं अजगर के नाम से पुकारता हूं। यह हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं चाहे वह आपका इस्लाम हो, चाहे इसाईत्व हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो यह अजगर उसको किसी भी समय समाप्त कर सकता है।

श्री हेमाराम चौधरी : अमराराम जी यहां है नहीं इसलिए आपको आनन्द आ गया।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : मेरा अध्यक्षजी के माध्यम से निवेदन है, शिक्षा मंत्रीजी को यह अजगर है साम्यवाद उनको निगल जायेगा (व्यवधान) आप कान से रूई बाहर निकालकर रखें। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह जो संस्कार के पांच बिन्दु हैं इन पर चिन्तन किया जाये।

दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा 1991 में लगभग 5000 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय थे। 1998 में मैंने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा। पेज नम्बर 14 जिसमें लिखा हुआ है भाजपा ने प्रदेश में शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। यह इन्वरटेड कोमाज में कोटेड है। लेकिन जब मैंने माननीय भैरोंसिंहजी का और माननीय गुलाबजी उस समय का वक्तव्य पढ़ा तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि यह भट्टा किसने बैठाया है। इसमें कुछ 5-7 पंक्तियां मैं आपको बताना चाहूंगा। पूर्व भाजपा सरकार द्वारा ढाई करोड़ छात्र-छात्राओं को कक्षा 5 तक के सभी छात्र-छात्राओं को और कक्षा 8 तक की छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तकें वितरित की गई, यानि ढाई करोड़। दूसरा है 1992-97 तक 8630 नये प्राथमिक विद्यालय, 3678 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। उन 8 वर्षों में 80 महाविद्यालय प्रदेश में खोले गये जिनमें 57 महिला महाविद्यालय थे। जबकि 1985 से 90 में एक भी महाविद्यालय मेरी प्रिय कांग्रेस के द्वारा नहीं खोला गया। उसके बाद 1990 से 98 में 40 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटा में मेडिकल कालेज, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर में इन्जीनियरिंग कालेज खोले गये। पाली, सीकर, चित्तौड़गढ़ जिलों को सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला उन 8 साल में जबकि शेष जिलों में यह कार्यक्रम सफलता पूर्वक चलाया जा रहा था। 1982 से 89 में कांग्रेस सरकार द्वारा शिक्षा पर केवल मात्र 411 करोड़ रुपये खर्च किये गये जबकि 1990 से 1998 तक भाजपा सरकार द्वारा 1587 करोड़ रुपये खर्च किये गये। मेरी समझ में नहीं आता कि

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

यह जो आपने कोट किया है कि भाजपा ने भट्टा बैठा दिया यह मेरी तो समझ में नहीं आ रहा।

अब हम पिछले पांच साल की कांग्रेस की शिक्षा के बारे में बात करें। हां, उन्होंने काम किया है। एक शिक्षक के नाते मैं उनको 10 में से 11 नम्बर देना चाहूंगा। लेकिन पिछले 5 साल में केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा पर जो विभिन्न प्रकार का खर्चा किया वह भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी मेरे गले का आपरेशन हुआ है इसलिए कुछ शब्द टूट सकते हैं तो उसका आप बुरा ना माने। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिये क्रान्तिकारी संविधान संशोधन अधिनियम को बनाया गया। स्वतन्त्रता के बाद अभी तक के सर्वाधिक बड़े शैक्षणिक कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान को सन् 2000 में 16 हजार करोड़ रुपये के व्यय से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया। वर्ष 2001 में साक्षरता दर 65.5 परसेंट थी जो कि 1991 में 52.5 परसेंट हो गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लगभग 300 विश्वविद्यालयों को विशेष अभियान के अन्तर्गत लिया गया। इसी प्रकार से रूड़की विश्वविद्यालय को आई.आई.टी. के अन्दर परिवर्तित कर दिया। 2 नये संस्थान, भारतीय सूचना प्रोजेक्ट संस्थान, इलाहबाद तथा भारतीय प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध संस्थान, ग्वालियर स्थापित किया गया। इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या 1997-98 के अन्दर 562 थी, जो बढ़कर 2003-04 में 1203 हो गयी। विद्यार्थियों की संख्या 1997-98 के अन्दर 134298 से बढ़कर 356267 हो गयी। सभी 17 क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों तथा बिहार इन्जीनियरिंग कालेज को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अन्दर दर्ज कर दिया गया तो ऐसे इस प्रकार से संस्कृत के बारे में, इसी प्रकार से उर्दू के बारे में और विशेष तौर से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कलक्लूड करें। आप तो प्रगति विवरण पढ़ रहे हैं। (व्यवधान) आप कटमोशन पर तो बोल ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अल्पसंख्यक शिक्षा की 2 प्रमुख योजनाओं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों हेतु सघन कार्यक्रम तथा मदरसों के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय सहायता योजना को एक व्यापक योजना में मिला दिया गया, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अन्त में मैं 2 या 3 बातें और बताना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, समय तो समाप्त हो गया आपका।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अभी हमारे सचेतक हैं नहीं, मैं उनसे निवेदन करना

(प्रो. बीरू सिंह राठौड़)

चाहूंगा, मैं पिछले 27 साल से कामर्स कालेज में पढ़ा रहा हूं और एक शिक्षक हूं। आप सुझाव सुनना चाहें तो ठीक है। मुझे तो कभी बोलने का मौका मिला नहीं है। वैसे ही भगवान ने परेशान कर रखा है। केवल दो या तीन मिनट बोलूंगा।

यह हमारा जो तिरंगा झण्डा है। महात्मा गांधी के माध्यम से इसको बनाया गया। इसमें तीन रंग हैं। नम्बर एक पर भगवा, यानि +++ नम्बर 2 पर सफेद यानि +++ और नम्बर 3 पर हरा यानि +++।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्षजी, राष्ट्रीय ध्वज का गलत चित्रण हो रहा है। केसरिया का मतलब शूरवीरता, सफेद का मतलब शांति और हरे का मतलब खुशहाली।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : देखिये, आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये धर्मों के नाम से आप राष्ट्रीय ध्वज को बता रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, I strongly object Hon'ble Speaker. Kindly delete it from the proceedings.

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : यह मेरा विश्लेषण है। आपको आपत्ति होगी तो हटा दिया जाएगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह अध्यक्षज़ी की व्यवस्था आप कर लेंगे... (व्यवधान) आप बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय बीरूसिंहजी आप प्रोफेसर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। आप मेरे क्लास फैलो हैं। यह राष्ट्रीय ध्वज का...

श्री बाबूलाल नागर : आप विश्लेषण कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की तौहीन नहीं कर सकते।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : हां, मुझे पता है, आपसे ज्यादा जानता हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप राष्ट्रीय ध्वज के ठेकेदार मत बनो। ये अपने आप बता देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह ठेकेदार की बात नहीं है। मैं आसन से निवेदन कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं,...(व्यवधान) आप नहीं समझते हैं।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : सुनिये, सुनिये, जो दोनों के रंग बताये हैं, यह मेरे दोनों शब्द वापस लेता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, रंगों को आप धर्म से मत जोड़िये। यही मेरा निवेदन है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : ओ.के., वापस ले लिये। भगवा पर जो चर्चा हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 50 साल में शिक्षा के बारे में जितनी भी किताबें लिखी गयीं हैं वह हमारे कम्युनिस्ट मित्रों के माध्यम से लिखी गयीं हैं जिन्होंने पहले ही धर्म को अफीम घोषित कर दिया है, जिसका किसी भी धार्मिक पुस्तक में विश्वास नहीं है। ये जो 4 महारथी हैं, प्रो. अर्जुनदेव, प्रोमिला थापर, डाक्टर आर.एस. शर्मा, डाक्टर सतीशचन्द्र, जब हम प्रिय कांग्रेस के जमाने की बात करें, इस राजस्थान में महाराणा प्रताप से बढ़कर...

श्री अध्यक्ष : कटमोशन में कहीं कांग्रेस और बी.जे.पी. नहीं आते हैं। कटमोशन पर बोलिये आप। आपके कटौती प्रस्ताव जो हैं, उन पर बोलिये, शिक्षा पर बोलिये। कहीं पार्टी थोड़ी आती है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : लास्ट में यह बताना चाहूंगा, एक पंक्ति और बताऊंगा। हम महाराणा प्रताप की चर्चा करते हैं, भगवा की चर्चा करते हैं तो आदरणीय कांग्रेस ने क्या किया माध्यिमक शिक्षा बोर्ड...

श्री जुबेर खान : अब कांग्रेस कहां से आ गयी। क्या कांग्रेस के लिये सौ रुपये मांग रहे हैं क्या कटमोशन में बजट में। अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था करिये, इतनी देर से ख्वाहमख्वाह उल-फिजूल कोई भी बात करता रहे।

श्री धर्मपाल चौधरी : सिरोही वाले तो पता नहीं किस-किस का नाम ले रहे थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, विचार कितने ऊंचे हैं, प्रतिपक्ष को भी आदरणीय कांग्रेस कहा है। कितने बड़े विचार हैं कांग्रेस पार्टी को आदरणीय कहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह सिरोही वाले तो कह गये और जब ये नाम ले रहे हैं तो बड़ी तकलीफ हो रही है आपको।

श्री जुबेर खान : नहीं, कांग्रेस के लिये सौ रुपये मांगे हैं क्या, कट-मोशन में।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां मांगेगे।

श्री जुबेर खान : हां तो फिर चर्चा करो, मांगे हैं तो।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां कर रहे हैं, आप चिन्ता मत करो।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज़ घर जाना है, बाकी कांग्रेस की तो आप खाल निकाल दें लेकिन आज तो घर जाने दो। आप तो कांग्रेस की खाल निकालने के अन्दर हमारी खाल निकाल रहे हैं। हमें तो घर जाना है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : यह जो भगवाकरण की बात हुई उस पर बात कह रहा हूं मैं। माननीय कल्ला साहब ने बोला भगवाकरण पर, उस पर ही मैं बोल रहा हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्दर वीर शिरोमणि हिन्दूपति महाराणा प्रताप के नाम से पहले...

श्री अध्यक्ष : यह बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, प्रोफेसर साहब। यहां बोला जाता है, पढ़ा नहीं जाता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नकल करके पास हुए हैं, मेरे साथ पढ़ते थे, मालूम है मुझे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : +++ गोल्ड-मैडल लिया है सन् 1976 के अन्दर, ऐसे नहीं लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो देख के क्यों पढ़ रहे हो।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : अभी भी 30 किताबें चलती हैं 4 सोवेनियर लिखे हैं। यह शब्द हटा दिया गया। इसलिये इस आधार पर केवल 2 या 3 सुझाव देना चाहूंगा मैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : ये खुद टीप कर पास हुए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमें तो कालीचरणजी, आप ही पर्ची लाकर देते थे।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : बस दो सुझाव देना चाहूंगा मैं।

मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें पृथ्वीराजनगर जिसमें लगभग 72 हजार मतदाता हैं इस प्रकार से वार्ड 8, 9, 10 और वार्ड एक। आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी मेरे

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

वार्ड 11 में रहते हैं, यह जो विधान सभा है, यह मेरे वार्ड नम्बर 16 में है, यह जो सचिवालय है, मेरे वार्ड नम्बर 6 में है। मेरा आपसे निवेदन है कि पृथ्वीराजनगर में एक महिला महाविद्यालय खोल दिया जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नमस्कार, भारत माता की जय।

श्री अध्यक्ष : श्री तगाराम चौधरी।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गला खराब नहीं है और ये खराब कहने वाले तैयार रहते हैं। मैंने कहा था मैं ठीक होकर बोलूंगा तब आपको पता पड़ेगा। आज जो चर्चा हुई उसमें विद्वानों की बात आयी, वक्ताओं की बात आयी, सिद्धान्तों की बात आयी और शिक्षा तो है ही। मैं शिक्षाविद् नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। परन्तु शिक्षा के सम्बन्ध में मैंने कम से कम 50 वर्ष इसी में ही निकाले हैं, स्कूल बनाने में, स्कूल को चलाने में और अध्यापकों के बीच में, बालकों के बीच में। अध्यापकों की नियुक्ति भी मैंने हजारों की है अपने हाथ से और स्थानान्तरण भी किये हैं। इसलिये मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मुझे इतनी प्रसन्नता हुई इस बात को सुनकर के, देखकर के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में, कई वर्षों से शिक्षा विभाग को कई मंत्रालयों के बीच दिया गया था उसमें हम ढूंढते रहते थे कि किस मंत्री के पास जाएं कौनसी शिक्षा के लिये। उनको एक करके, उन्होंने बहुत ही दूरदर्शी निर्णय लिया है, शिक्षा को बहुत अपने पैरों पर खड़ा करने का। और घनश्यामजी जैसे शिक्षा मंत्री के हाथों में। इस बात के लिये मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, इस बात के लिये शिक्षा मंत्रीजी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी-अभी थोड़ी देर पहले एक बड़े नेता जिन्होंने भाषण दिया था, वह भाषण एक भाषण ही था। बालिकाओं की शिक्षा की बात मैं करूं, सबसे पहले बालिका शिक्षा में महामहिम भैरोंसिंहजी, उप.राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में जो सरकार थी, उन्होंने यह निर्णय लिया था, बालिकाओं के बारे में कि किसी भी पंचायत समिति मुख्यालय पर कोई भी बालिका माध्यमिक विद्यालय है उनको सीनियर माध्यमिक विद्यालय कर दिया जाए। और जो उन विद्यालयों के साथ आज तक पक्षपात हुआ है, राजनीति हुई है, वह यह है कि उस विद्यालय को जो श्रीमान भाषण दे रहे थे आज, उन्होंने नहीं किया। उनको तो शेखावत साहब ने बहुत बड़ा पद दिया था लेकिन आज उनको वह बात याद आयी, अपने निर्वाचन क्षेत्र से हटकर, उनको बात आयी, बायतू में शिक्षा का गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, मैं बीच में आपसे एक बात कह रहा हूं। मेरे पिताजी, दादाजी के नाम एक विद्यालय है निमानियों की ढाणी और वह विद्यालय दस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां पर तो आप कटमोशन की बात करो। दादाजी, पिताजी की मत करो। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी : दसवीं कक्षा तक का है। है, नाम तो है साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम तो है।

श्री तगाराम चौधरी : नाम तो है, लेकिन उस विद्यालय की बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि बात आती है कि पद रिक्त है। बात आती है पढ़ाते नहीं है। बात आती है कि अध्यापक ड्यूटी पर नहीं रहते हैं। यह सारी बातें आयी हैं। मैं इसलिए उसका वर्णन कर रहा हूं। मैं उसको क्रमोन्नत करवाने की बात नहीं कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्यों नहीं कहेंगे, कहिये।

श्री तगाराम चौधरी : मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह तो मेरा है। मैं मेरे वाले को करवाऊं और दूसरों के नहीं करवाऊं तो फिर मैं जीतकर काहे के लिए आया हूं, यह बात है। इसलिए मैं नहीं मांगूगा, वह नहीं अभी नहीं है।

मैं कन्या सीनियर विद्यालय की बात इसलिए कह रहा था कि बायतू कन्या माध्यमिक विद्यालय, बाड़मेर 50 किलोमीटर पड़ता है पश्चिम में, और बालोतरा 60 किलोमीटर पड़ता है और उत्तर-दक्षिण में। नजदीक इतनी दूरी तक कोई सीनियर विद्यालय नहीं है कन्या का। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सीनियर विद्यालय, बायतू का कन्या माध्यमिक विद्यालय को करवाएंगे तो कन्याओं को दूरी तक नहीं जाना पड़ेगा। और बहुत सी अध्यापिकाएं बहनें भी होंगी और चूंकि पढ़ी-लिखी बहनें जो आप चाहते हैं, सरकार चाहती है कि कोई भेद नहीं रहे पुरूष और मिहला में। तो इसको लेकर मैं आपसे यही निवेदव करूंगा बार-बार और उस विद्यालय का मैं वापस जिक्र इसलिए करूंगा, मेरे वाले का कि मेरे वाले में कभी कोई अध्यापक गैर-हाजिर नहीं रहता है। एक पद रिक्त नहीं है आज की तारीख में और कभी कोई लड़कों ने कोई हड़ताल नहीं की कोई लड़े नहीं और पढ़ाई करते हैं और अच्छे से अच्छा परिणाम लाते हैं। यह है गांव वालों की आपस में, गांव वाले भी शिक्षा को ग्रहण करने में सहयोग करें। और आपस के सहयोग से इस तरह का काम होता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि गलतियां निकालना तो बहुत आसान है और अलग प्रकृति के भी बहुत से सज्जन होते हैं। अब बात आती है कि खाली पड़े हैं। राजीव गांधी को प्राथमिक विद्यालय क्यों कर दिया? राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय करने की मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि इन्होंने वापस नाम

(श्री तगाराम चौधरी)

तो प्राथमिक विद्यालय किया, नहीं तो फिर अभी नाम का, माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरे को कहा कि नाम मत लो। लेकिन वह क्या था कि एक नम्बर का बनाने के लिए यह सारी जो केन्द्र से राशि आयी थी उस राशि का उपयोग करके पता नहीं कि कौनसे खाते की राशि में डालते थे और इस तरह से किया। अब इस बात को लेकर उधर से जो भी आवाज आ रही है, वह कमी है, उसको दूर आपंने आठ महीनों में नहीं किया, सात महीनों में नहीं किया। यह नहीं किया तो हम सुनने को तैयार हैं लेकिन एक सपना आप देख रहे हो वह सपना अबके पूरा होने वाला नहीं है। उसकी तो आप बिलकुल मेहरबानी ही रखें क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी और मैं तो यही कहूंगा। कि मंत्रीमण्डल बहुत ही सूझ-बूझ वाला मंत्रीमण्डल है। और आप देख लेना पांच साल में।

मैं शिक्षा के बारे में और निवेदन यह करूंगा कि मेरा क्षेत्र है वह बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और उसमें कन्या शिक्षा की बहुत ही कमी है। इसलिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक प्राथमिक विद्यालय अभी फिलहाल आप करवाये। और उच्च प्राथमिक भी आप क्रमोन्न करें तो मेरे तो बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में जो भी आप करना चाहते हैं वह करें। लेकिन उसमें कन्याओं की शिक्षा पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए। इतनी कमी है। मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया कि वह जो मेरे से पहले रहे हैं विधायक के पद पर, चाहे बड़े भी बन गये लेकिन उन्होंने इतनी कमियां छोड़ रखी हैं और वे पांच साल वाले इतनी कमियां करके छोड़ दिया, जिसकी पूर्ति की जाए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री तगाराम चौधरी : मेरे को आपने कुछ दिन बाद में ही सही, समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और आपका ज्यादा समय नहीं लेकर और सज्जनों का भी समय मैं मेरे नाम से नहीं लेना चाहता इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बहुत-बहुत आभारी हूं आपका।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल खराड़ी। (अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। (अनुपस्थित)

श्री नवरतन राजोरिया। (अनुपस्थित)

श्री दाताराम गुर्जर।

श्री शांतिलाल चपलोत : शांतिलाल चपलोत भी है, साहब।

श्री अध्यक्ष : दाताराम गुर्जर भी नहीं है?

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के बारे में जो कटमोशन पर चर्चा हो रही है उसमें बहुत कम समय में और दो-तीन बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं।

एक तो हमारे जब राजस्थान में महामहिम भैरोंसिंहजी के नेतृत्व में सरकार थी उस समय गांवों में सर्वत्र शिक्षा के लिए और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक शिक्षा खोलने की बात आयी थी लेकिन उसके बाद में जो सरकार आयी उसने उस बात को पूरी नहीं की। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रति सब लोगों की भावना अच्छी है और सबके विचार भी यह हैं कि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा फैले। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और अन्धकारमय जीवन में उजाला अगर आता है तो शिक्षा से आता है इसलिए राजस्थान में पंचायतों में तीन-तीन, चार-चार गांव होते हैं और पंचायत मुख्यालय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई-कई ऐसे पंचायत मुख्यालय हैं जहां 1962 और 65 के बीच के मिडल स्कूल आंज तक सीनियर में क्रमोन्नत नहीं हुए हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पंचायत मुख्यालयों पर कम से कम एक ऐसी नीति बनाकर ताकि राजस्थान के पंचायत मुख्यालयों को तो कम से कम सैकण्डरी स्कूलों से जोड़ा जाए। जिस प्रकार से आपने सड़क नीति बनायी थी उसमें पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की बात हुई थी ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की एक नीति बनाई जाए।

दूसरी बात, कम्प्यूटर की बात मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कही। यह बात कही कि कम्प्यूटर के लिए हमने यह किया वह किया। वह कम्प्यूटर की जो शिक्षा नीति इन्होंने बनायी थी वह महज एक बहुत बड़े व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए वह कम्प्यूटर शिक्षा प्रणाली लागू की गयी थी। वह असफल रही और उसका प्रामाणिक तौर पर, मेरे पास में एक यह, वैसे आप कहेंगे कि पढ़ना नहीं चाहिए, सरकारी विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र स्थापित करने में एक फर्म को अनुचित लाभ दिया गया। इसमें चार-पांच पाइन्ट है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं और नहीं तो वैसे ही मान लो। तो इसमें एक फर्म-ए-अनुबन्ध की विभिन्न धाराओं की पालना करने में विफल रही, जिनका विवरण निम्नानुसार है। अनुबन्ध की धाराओं का विवरण और लेखा परीक्षा टिप्पणी। फोरमाइका मेज एवं बैठने की कुर्सी से सुसज्जित कम्प्यूटर लेबोरेटरी की स्थापना करना और ए.सी.

(श्री दाताराम गुर्जर)

संस्थापित करना था। 199 विद्यालयों में से 186, 93 परसेंट में कम्प्यूटर लेबोरेटरी बिना ए.सी. प्रणाली के संस्थापित की गयी। मूल साफ्टवेयर के साथ अद्यतन पाठ्नन्तर तथा मैन्युअल प्रदान की जानी थी, 1800 मशीनें तथा साफ्टवेयर उपलब्ध करवाने थे, 1000 साफ्टवेयर हेतु बीजक दिखाया गया और 800 के हेतु बीजक उपलब्ध नहीं था। फर्म द्वारा गैर लाइसेंसीकृत साफ्टवेयर की आपूर्ति की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कम्प्यूटर प्रिन्टर आनुपातिक आधार पर प्रदान किये जाने थे, अर्थात् 100 विद्यार्थियों तक दो कम्प्यूटर और एक प्रिन्टर एवं उसके बाद प्रति 100 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक कम्प्यूटर। 199 विद्यालयों में 87 कम्प्यूटर तथा 113 प्रिन्टर संस्थापित नहीं किये गये। संस्थापित कम्प्यूटर विभिन्न माडलों के थे और इनका समाकृति भी निविदा विशिष्टताओं से भिन्न थी। कम्प्यूटर अनुदेशकों का पदस्थापन 500 विद्यार्थियों के लिए दो, 501 से 1000 विद्यार्थियों के लिए तीन और 1000 या अधिक विद्यार्थियों के लिए चार किया जाना था। 600, 406 अनुदेशकों के समक्ष केवल 268 पदस्थापित किये गये। फ्लापी काम्पैक्ट डिस्क एवं अन्य सभी उपभोज्य इण्टरनेट कनेक्शन के लिए संचार तन्त्र के साथ नि:शुल्क प्रदान किया जाना था। 199 विद्यालयों से प्राप्त सूचना जिला शिक्षा अधिकारियों की नमूना जांच में यह नहीं दर्शाया कि उप साधनों की आपूर्ति नि:शुल्क की गई थी एवं इन्टरनेट कनेक्शन एक विद्यालय के अलावा नहीं दिये गये। इस प्रकार से कम्प्यूटर में उपरोक्त से ज्ञात होता है कि अनुबन्ध निष्पादन में भारी अनियमिततताएं थीं तथा फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रकार की अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो और जिस फर्म को इतना लाभ दिया गया है उसको निश्चित रूप से दोषी पाये जाने पर सजा दिलायें ताकि राजस्थान की जनता को राहत मिले और कम्प्यूटर में जो धोखाधड़ी हुई, वह भी जनता के सामने आये। आपने समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और पुन: शिक्षा मंत्रीजी से यही कहना चाहता हूं कि पंचायत मुख्यालयों तक कम से कम सैकण्डरी स्कूल तक की व्यवस्था करावें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री सी.डी. देवल (अनुपस्थित) श्री मंगलाराम गोदारा (अनुपस्थित) मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज शुक्रवार भी है और सदन में दो दिन की छुट्टी है, जाना चाहते हैं, मैं लम्बा नहीं बोलूंगा। मैं केवल एक-दो पाइन्ट उठाऊंगा और बाकी कुछ और सुझाव दूंगा। यह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अच्छी बात है कि पिछली बार जैसे यहां पांच-पांच मंत्रियों के जवाब नहीं होंगे, तकनीकी शिक्षा मंत्री अलग थे, प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री अलग और संस्कृत शिक्षा मंत्री अलग। आज तो एक है इसके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदयाजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शिक्षा विभाग का एकीकरण करके सबको एक जगह लाने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिन माननीय सदस्यों ने यहां राय व्यक्त की है और जो सुझाव दिये हैं मैं उससे अलग एक दो मुद्दो पर अपनी बात कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि हमारा मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है यह लार्ड मैकाले द्वारा बनाया हुआ है और इससे बाबू जरूर बन सकते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। बेरोजगारी बढ़ रही है और मैं यह इसलिए कहता हूं कि आज जो हायर एजुकेशन का प्रतिशत बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्षजी के समय कितने लोग थे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त करते थे। आपकी और हमारी पीढ़ी में कितने थे और आज जो नई जनरेशन आ रही है उसमें कितने लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हैं। यह जो संख्या बढ़ रही है यह कोई ज्ञान प्राप्ति करने के लिये नहीं बढ़ रही है। पहले मैट्रिक करते ही नौकरी लग जाती थी तो हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग आते थे। या सीनियर करने के बाद लग जाती थी या ग्रेजुएशन करने के बाद लग जाती थी। आज पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, एल.एल.बी. करने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। तो नौजवान साथी केवल एक साल भी बिना कहीं एडमिशन लिये रह जाता है और उससे कोई पूछता है तू क्या कर रहा है तो वह कहता है रोड मास्टरी कर रहा हूं, फालतू हूं। और वह अगली क्लास में पढ़ता है तो जरा अपना थोड़ा सम्मान महसूस करता है कि अभी तो मैं पढ़ रहा हूं। पालिटिकल साइंस में एम.ए. कर लिया, सोशियोलाजी में कर रहा हूं। सोशियोलाजी में कर लिया तो दूसरे विषय में कर रहा हूं तो हायर एजुकेशन का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, यह इसलिए बढ़ रहा है कि रोजगार के अवसर खतम होते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम बात खूब करते हैं चाहे हम हों चाहे आप हों। हमको इस शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना चाहिये। इसको हमको एम्प्लायमेंट बनाना चाहिये।

मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं आपने प्राइवेट कालेज खूब खोल दिये। हर जगह करीब-करीब जहां से भी आया हर विधान सभा क्षेत्र में एक दो खुल गये। मेरे यहां भी एक दो खुल गये। आपने जो गवर्नमेन्ट के कालेजेज और यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेन्ट हैं उनमें छात्रों की प्रतिशत लो नहीं आ रही थी और प्रवेश के लिये छात्र आन्दोलन कर रहे थे, आपने सीटें बढ़ा दीं, वह आपने अच्छा काम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

किया। लेकिन जितनी सीटें बढ़ाई हैं उस अनुपात में क्या शिक्षक भी बढ़े हैं? उसके अनुपात में क्या रूम्स की भी व्यवस्था हुई है? इन्फ्रास्ट्रक्चर भी डवलप हुआ है? जरा हम अपने आप देखें कि हम क्या करना चाहते हैं। केवल उनको एडजेस्ट करने के लिये हम सीट बढ़ा दें महाराजा कालेज में या राजस्थान कालेज में या मेरे अजीज मित्र जो कामर्स कालेज की बात कर रहे थे आपने 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत छात्र बढ़ा दिये और उस हिसाब से वहां व्याख्याता नहीं बढ़े तो शिक्षा का स्तर गिरेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

कम्प्यूटर शिक्षा की बात सबने कही। मैं तो केवल संक्षिप्त में आपको कहना चाहता हूं अभी तक यह निश्चित नहीं है, शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया कि कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य रहेगी या नहीं रहेगी। जिन लोगों ने कम्प्यूटर लगा रखे हैं या जिन फर्मो ने ठेका ले रखा था जिनके पेमेन्ट बाकी हैं वह आपने रोक दिये। इसकी क्या स्थिति होगी? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपको क्लियर करना चाहिये। रिक्त पद भरने का आप प्रयास कर ही रहे हैं।

मैं एक यह भी चाहूंगा कि जब आप अपना उत्तर दें तो मदरसा बोर्ड की क्या स्थिति रहेगी, क्या आप मदरसा बोर्ड का वापस पुनर्गठन करेंगे? नहीं तो उसकी क्या स्थिति रहेगी, वह आप बतायें।

एक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पिछले सत्र में यह आश्वस्त भी किया था चाहे मदरसा पैरा टीचर्स हो, चाहे राजीव गांधी पाठशाला के शिक्षाकर्मी हैं, चाहे उर्दू शिक्षाकर्मी, चाहे डी.पी.ई.पी., चाहे लोक जुम्बिश इनके सबके वेतन और वेतन वृद्धि को आप एक समान कर देंगे। यह मेरा निवेदन है।

1998 के जो चयनित शिक्षक हैं उनका मामला काफी समय से पेंडिंग चल रहा है और वह रोज धरने, प्रदर्शन जितना करना चाहिये था, वह कर लिया। एक बार आप उसका जो भी फैसला लेना हो, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, वह लें ताकि वह किराया खर्चा करके और ज्यादा आगे बरबाद नहीं हों।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि 213 के करीब तो उर्दू शिक्षक रिटायर हो गये और कुछ उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त हैं। जनरली ऐसा होता है जो रिटायर हो जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उसको नोन प्लान में हम जनरल टीचर में डाल देते हैं। उर्दू के शिक्षकों के पद खाली रह जाते हैं। मेरा दूसरा आपसे निवेदन है कि हर मुस्लिम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अध्यापक उर्दू का टीचर नहीं होता है। कई बार जो मुस्लिम टीचर हैं वह जहां भी उर्दू के टीचर की पोस्ट खाली होती है वह नजदीक आने के लिये आपको कह देता है मुझे वहां लगा दीजिये। ऐसा नहीं है जिसका उर्दू टीचर के रूप में अपाइन्टमेंट हुआ है। आप उस विद्यालय में जहां उर्दू भाषा है, वहां उस उर्दू टीचर को लगाएं और उस उर्दू टीचर को ऐसे विद्यालय में ट्रांसफर नहीं करें जहां उर्दू विषय ही नहीं है ताकि इन दोनों का उपयोग हो सके। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

आपको एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा है, बारां है, सवाईमाधोपुर है ऐसी और कई जगह हैं जहां सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, इनमें तो उर्दू आप्शनल और उर्दू थर्ड लेंग्वेज विषय दोनों हैं, लेकिन वहां से जो बालक बालिकाएं निकालते हैं वहां के कालेज के अन्दर उर्दू सब्जैक्ट नहीं है। तो मुझे जरा बताएं जो नाइंथ, टैंथ, इलेवंथ या ट्वेल्थ में उर्दू पढ़कर आया है वह फर्स्ट ईयर में एडमिशन कहां लेगा उर्दू विषय नहीं है तो, तीन चार जगह से आपके पास प्रस्ताव आये हैं। भीलवाड़ा के माननीय सांसदजी ने और कालू लालजी गुर्जर ने भी, सब ने आपको लिखकर दिया है। सवाई माधोपुर का भी आया है। मेरा आपसे निवेदन है ऐसी जगहों पर कृपया आप उसको देखकर व्यवस्था करें।

मदरसे बोर्ड की मैंने आपसे कही ही है।

उर्दू एकेडमी का काम भी आप देखते हैं। उर्दू एकेडमी भंग हो गयी। या तो आप वहां कोई एजुकेशनिस्ट लगा दें जो उसकी निरन्तर गतिविधि है वह तो चलती रहे। जब आप उसका पुनर्गठन करें तब कर दें। लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति लगा दें ताकि उसका काम चले।

मेरा आपसे निवेदन और है कि आपने बजट में घोषणा की है कि राजस्थान में आप मिडल से सैकण्डरी, सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी स्कूल नये खोलेंगे और क्रमोन्नत करेंगे। आप किस आधार पर खोलेंगे? आवश्यकता के आधार पर, छात्र संख्या के आधार पर या जैसे दूसरे लोग राजनीति करते रहे वैसे ही राजनीतिक आधार पर खोलेंगे। यह आपका आउट-लुक है, आपका विवेक है। केवल आप समान आवश्यकताओं के आधार पर खोले तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर थून एक बहुत बड़ा गांव है। वहां पूर्व सांसद, स्व. सतीश चन्द्रजी अग्रवाल ने 5 कमरे अपने सांसद कोष से बनाये हुए हैं। बड़ा गांव है। आसपास के काफी मिडल स्कूल लगते हैं। उनको आप सीनियर सैकण्डरी बनाएं और दूसरा एक

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मूंडिया बहुत बड़ा कस्बा है जब भी क्रमोन्नत करें, मैंने आपको लिखित में भी भिजवाया हुआ है। कृपया आप इसको देखें। यह मेरा निवेदन है।

मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपनें कर्मचारियों की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी और शिक्षकों की भी कर दी लेकिन इसमें जो अनुदानित शिक्षण संस्थान हैं 30 जून से इसका काम नहीं हुआ। 400 या 500 आदमी मेरे पास आये थे चूंकि जिस दिन आपने आदेश दिये। शिक्षा सचिवजी ने निकाला 30 मई या 30 जून वह आप नहीं करें, उसको आप लिखकर कर दें। जो सरकारी स्कूलों के लिये किया है वह आप अनुदानित स्कूलों के लिये कर दें ताकि उन लोगों को भी इसकी समानता मिले।

जहां तक संस्कृत शिक्षा का सवाल है मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल एक स्कूल सेमली में है। मैंने लड़-झगड़कर उसको तीन चार साल पहले मिडल से सैकण्डरी कराया था। मेरा आपसे निवेदन है कि भरतपुर में सबसे अच्छे परिणाम उसके रहे हैं। संस्कृत सैकण्डरी विद्यालय सेमली को आप सीनियर करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

एक अन्त में मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर एक सब्जैक्ट होता है और राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर एग्रीकल्चर के स्टूडेन्ट्स के लिये कृषि फार्म हैं। सवाई माधोपुर में भी है, आपके दौसा में हे, नौगांवा रामगढ़ में हैं और बड़े-बड़े सैंकड़ों एकड़ जमीन के फार्म पड़े हैं और वह आज बिलकुल बेकार पड़े हैं। कहीं कुएं में पानी नहीं है, कहीं मशीन नहीं है या छात्र पता नहीं एग्रीकल्चर लेते हैं या नहीं।यह मानते हैं

(19.00 बजे)

कि हम तो कृषि प्रधान राज्य के हैं, सब खेती करना तो जानते ही हैं। मेरा आप से निवेदन है कि उसका आप उपयोग करें और एक आप उनको काम में लें।

एक न्यायालय से सम्बन्धित बात यह कहना चाहता हूं कि, अध्यक्ष महोदय, क्या वजह है कि आज तक राजस्थान उच्च न्यायालय में एक भी अनुसूचित जाति का न्यायाधीश नहीं बना? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या अनुसूचित जाति के अन्दर ऐसे कोई लोग नहीं हैं जो उच्च न्यायालय के जज बन सकते हो? कई डिस्ट्रिक्ट और सैशन जज हैं, अच्छे जजेज. एडवोकेट हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज को आप देखकर अनुसूचित जाति के लोगों को भी न्याय मिले और राजस्थान के

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उच्च न्यायालय में जो 19 न्यायाधीशों के पद हैं, जब भी उनको भर्ती हो तो मेरा करबद्ध आग्रह है कि अगर अनुसूचित जाति के किसी योग्य व्यक्ति को आप उसमें शामिल कराना चाहें, शामिल करा सकें, बनवा सकें तो यह अनुसूचित जाति के लोगों के साथ न्याय होगा।

एक, माननीय मंत्रीजी, मैं आंपको आसन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जो आठ जिले ऐसे हैं जहां 20 परसेंट अध्यापक हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर रूरल है वहां के अध्यापकों को दूसरी जगह स्थानान्तरित नहीं करने के लिए जो रोक लगायी है यह वाकई में पश्चिमी राजस्थान और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ आपने न्याय किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी भर्ती हो पहले प्राथमिकता उन जगहों को दें, वहां भी हमारे राजस्थान के लोग रहते हैं। 20 परसेंट अध्यापकों से वहां काम नहीं चल सकता। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व में शिक्षा विभाग में हम नये शैक्षणिक आयाम स्थापित कर पायेंगे।

आखिर में मैं यही एक और निवेदन करना है कि आज जो भी काम विकास का हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : समय तो आपका खतम हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक ही निवेदन कर रहा हूं कि एक गाड़ी के दो पहिये होते हैं, अगर एक पहिया में कम हवा होगी और एक में ज्यादा होगी तो वह नहीं चल पायेगा तो यह शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठा कर मेन स्ट्रीम से जोड़ने और माडर्न एजुकेशन से जोड़ने के लिए भी आप प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इन सुझाव देने के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : कोई और बोलना चाहते हैं?

श्री शांतिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, मैंने कट मोशन दिये हुए हैं।

श्री बाबूलाल नागर : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव था। आपने कहा था... (व्यवधान) मैं शिक्षा पर मांग पर रखूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक नवलखा। पार्टी की तरफ से जो नाम आये हैं मैं केवल वही पुकारूंगी, उसके बाद दूंगी मौका। पहले पार्टी से जो नाम आये हैं...

श्री शांतिलाल चपलोत : मैंने कट मोशन दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अशोक नवलखा का नाम पुकारा है।

श्री बद्रीलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का मुझे समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : पहले जो पार्टी की तरफ से नाम आये हैं उन्हें पुकारूंगी, उसके बाद समय रहा तो...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : हमने कट मोशन दिये हैं, बोलने का हो तो फिर तो रुकें, नहीं तो ठीक है फिर।

श्री अध्यक्ष : पार्टी ने आपका नाम तो नहीं दिया है।

श्री शांतिलाल चपलोत : नाम नहीं, मैंने कट मोशन दिये हैं। आपने कहा था कि पहले कट मोशन वाले पहले प्रायोरिटी पर होंगे और उसके बाद पार्टी के लोग नाम देंगे उस पर होंगे।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल होनी चाहिए प्रोयोरिटी।

डा. श्री गोपाल बाहेती : अभी मेरा नाम है कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहीं था। मेरा नाम नहीं पुकारा गया।

श्री अध्यक्ष : मैंने अशोक नवलखा का नाम पुकार लिया, उसके बाद।

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के इस पवित्र सदन में पहली बार बोलने का अवसर मिल रहा है, मैं इस अवसर पर मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

अनुदान की मांग संख्या 24, शिक्षा, कला, संस्कृति पर मैं बोलते हुए राज्य के मुख्य मंत्री और हमारे शिक्षा मंत्रीजी, दोनों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान सरकार का जो बजट पेश किया है उसके अन्दर शिक्षा के आधारभूत ढांचे की संरचना एवं शिक्षा के विकास के लिए बहुत कुछ ठोस कदम उठाये हैं। आज समय काफी कम है इसलिए मैं ज्यादा भाषण नहीं देते हुए सीधे-सीधे बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर, हम शिक्षा के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की बात करते हैं, मैं इस अवसर पर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सबको पढ़ाओ का लुभावना नारा देने वाली गत सरकार का पांच वर्ष का कार्यकाल शिक्षा जगत विशेष कर उच्च शिक्षा के

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

लिए एक प्रकार से अन्धाकारयुक्त रहा। श्रेष्ठ वित्तीय प्रबन्धन में असफल रहने पर अकाल के नाम पर तत्कालीन सरकार ने महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षको से पूर्व से चले आ रहे लाभ छीने। पी.एच.डी., एम.फिल उपाधिधारियों को यू.जी.सी. वेतनमान योजना के तहत प्रदत्त अग्रिम वेतन वृद्धि के प्रावधान को 6 मई, 2002 से वापस लिये जाने का मनमाना आदेश लागू किया है। इसके कारण राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशों के विपरीत जारी किया। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पी.एच.डी., एम. फिल की उपाधि पर अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रावधान वर्तमान में जारी है। राजस्थान सरकार द्वारा अग्रिम वेतन वृद्धि का आदेश निरस्त किये जाने से राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्य प्रभावित हुए हैं, श्रेष्ठ प्रतिभाओं का राज्य से पलायन प्रारम्भ हुआ है।

अत: मेरा सरकार से, मंत्रीजी से निवेदन है कि 6 मई, 2002 के इस आदेश को पुन: निरस्त करने का कष्ट करवाएं।

मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, यहां का मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति, श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने किया था। हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 1977 में जब भैरोंसिंहजी मुख्य मंत्री थे उस समय निम्बाहेड़ा में महाविद्यालय की स्थापना की थी। आज मैं यह कहते हुए अपने आपको गौरवान्वित मानता हूं कि शेखावत साहब ने निम्बाहेड़ा के अन्दर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय की जो घोषणा की है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वर्ष 1977 में शेखावत साहब ने जो विषय उस महाविद्यालय के प्रारम्भ किये थे पांच विषय, आज 27 साल बाद भी वो ही पांच विषय महाविद्यालय में कायम है। यही नहीं उस समय उस महाविद्यालय में 60 विद्यार्थियों से शुरू हुआ था लेकिन आज 850 विद्यार्थी पढ़ते हैं लेकिन वह क्रमोन्नत नहीं हुआ। मैं शिक्षा मंत्रीजी से विनम्र शब्दों में आग्रह करना चाहता हूं कि हमारा निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र राजस्थान के लास्ट छोर पर आता है, वहां से मध्य प्रदेश की सीमा प्रारम्भ हो जाती है इसलिए शिक्षा की व्यवस्था को विकास की दृष्टि से आगे लें तो निम्बाहेड़ा के महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने का शीघ्र आदेश दिलावें।

एक छोटा सा निवेदन मेरा और है कि निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र का कनेरा घाटा कस्बा है। कनेरा घाटा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है, एक टापु की

(श्री अशोक कुमार नवलखां)

तरह है। उस कनेरा घाटा क्षेत्र में जाने के लिए हमें मध्य प्रदेश में होकर जाना पड़ता है। राजस्थान की सीमाओं को लांघ कर मध्य प्रदेश में होते हुए। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर बसा हुआ कनेरा घाटा क्षेत्र में जाता हूं। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि वह क्षेत्र पूरा किसानों की दृष्टि से, खेतीहर लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग वहां पर रहते हैं लेकिन वहां सैकण्डरी कन्या विद्यालय है, वहां के एक भी लोग अपनी बालिकाओं को आज भी पुरूषों का जो विद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए भेजते नहीं है। दसवीं के बाद उन छात्राओं को अध्यक्ष छोड़ना पड़ता है क्योंकि 40 किलोमीटर दूर जाना एक गांव की लड़की के लिए सम्भव नहीं है इसलिए शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो निम्बाहेड़ा तहसील क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में मध्य प्रदेश सीमाओं से जाता हुआ गांव है उसमें एक सैकण्डरी स्कूल को इसी सत्र से हायर सैकण्डरी करने का आदेश देंगे तो मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानूंगा।

एक हमारे चित्तौड़ जिले की छोटी-सी स्कूल है, बेगूं विधान सभा क्षेत्र का एक भोपालपुरा का सैकण्डरी स्कूल है, पिछले तीन वर्षो से उस विद्यालय के अन्दर केवल एक अध्यापक है, वह भी विकलांग अध्यापक है। वह उस सैकण्डरी स्कूल को चला रहा है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले उस विद्यालय के अन्दर स्टाफ की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। ताकि समय अभाव के कारण मैं अपनी बातें नहीं कह पा रहा हूं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एजुकेशन पर लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई है। हमारे देश में एक समय था 5000 साल पहले, दस हजार साल पहले रामायण भी लिखी गयी, वेद भी लिखे गये, गीता भी लिखी गयी, तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय भी हुए। इसके बाद कालान्तर में आज स्थिति यह आ गयी है कि हम सब से पिछड़े देशों में हैं। हमारे यहां महिला शिक्षा बहुत ही कम है और जब तक महिलाओं की शिक्षा पूरी नहीं होगी तब तक यह हमारी साधना अधूरी है। "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवता"। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। हमने अक्ल की देवी इसीलिए किसी मूंछ वाले का नाम नहीं रखकर एक महिला का नाम दिया है जिसे मां सरस्वती का नाम दिया है। हमने पैसे की व्यवस्था करने के लिए घर की व्यवस्था करने के लिए लक्ष्मी नाम दिया है, हमने

(श्री शांतिलाल चपलोत)

अत्याचार अन्याय का मुकाबला करने के लिए दुर्गा नाम दिया है। पर आज की वास्तविक स्थिति क्या है यह हमको आज जानने की आवश्यकता है कि किस तरीके से नारी का उत्पीड़न हो रहा है और किस तरीके से नारी की एजुकेशन नहीं हो रही है।

इसलिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नारी शिक्षा के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें। यदि एक नारी पढ़ जाएगी तो दो घर सुधर जाएंगे। ससुराल भी सुधरेगा और पीहर भी सुधर जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है।

उच्च शिक्षा के बारे में भी दो चार बातें कहना चाहता हूं। हम आज सारी दुनियां में हमारा लोहा मना रहे हैं। लोग आज अच्छी एजूकेशन वाले, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इन्जीनियर आज अमेरिका में पलायन कर रहे हैं। आज की तारीख में एक लाख से ज्यादा इन्जीनियर अकेले अमेरिका में होंगे, लंदन में होंगे तीन चार लाख इन्जीनियर हमारे देश के हिन्दुस्तान के बाहर हैं। आज अच्छे से अच्छे डाक्टर हमारे यहां से बाहर जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हम और किसी प्रकार की विधाएं अपना सकते हैं। आज एरोनोटिक्स में बहुत बढ़ावे की स्थिति है, एरोनोटिक्स में भी बात करें, स्पेस के बारे में बात करें। इस देश का एक होनहार बच्चा जो मंगल ग्रह पर शोध कर रहा है वह उदयपुर से है। मुझे आज प्रसन्नता है, उसका नाम शालीन हरलालका है। आज क्या हमने उसकी कोई रेस्पेक्ट की है क्या कभी हमने उसका ऑनर किया है? किस तरीके से बच्चे आगे बढ़ेंगें।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि टैक्निकल एजूकेशन और वह भी जीवनोपयोगी हो, किस तरीके से हम टैक्निकल एजूकेशन के जरिए हमारी विधाओं को कायम करके बच्चों को बढ़ाया जा सकता है, रोजगार उनसे प्राप्त किया जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा लम्बी बात इस बारे में नहीं कहना चाहता। एजूकेशन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बहुत ज्यादा सैकण्डरी स्कूल भी खोल रहे हैं पर यह नाकाफी हैं, 400 सैकण्डरी स्कूल इस राजस्थान के लिए नाकाफी है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम 600 सैकण्डरी स्कूल और 400 हायर सैकण्डरी स्कूल और 1500 के आस पास कम से कम मिडल स्कूल बनाएं, प्राइमरी स्कूल तो आप बढ़ा ही रहे हैं। टैक्निकल एजूकेशन के बारे में आप जरा विचार करें। मैं इससे ज्यादा एजूकेशन के बारे में नहीं कहना चाहता। मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि क्या हम केवल अक्षर ज्ञान को शिक्षा कह रहे हैं। जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं सबने ही अक्षर ज्ञान को शिक्षा मान लिया है अक्षर ज्ञान होना शिक्षा नहीं है। आदरणीय कल्ला

(श्री शांतिलाल चपलोत)

साहब ने कहा था कि "विद्या ददाति विनयम् विनयादयाति पात्रताम्" विद्या से विनय प्राप्त होती है और हमने विनय के लिए क्या इस एजूकेशन सिस्टम में कोई चैंज करने का मानस बनाया है।

हमने नैतिक शिक्षा का नाम कहीं नहीं लिया। इन सारी किताबों में कहीं नैतिक शिक्षा नहीं है। मैं कह रहा हूं मोहम्मद साहब ने जो अच्छा काम किया, नैतिक शिक्षा का एक सिलेबस बनाकर उनका भी नाम लो। राम ने अच्छे काम किए हैं, माता पिता की आज्ञा मानी है, दोस्तों का साथ निभाया है, एक गरीब व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है यह बताया गया है। तो आज ऐसे महापुरूषों को उस नैतिक शिक्षा के नाम पर या किसी पार्टी विशेष के नाम पर या साम्प्रदायिकता के नाम पर हम इस प्रकार की बात क्यों करना चाहते हैं। ईसा मसीह ने कोई अच्छी बात कही है, टेन कमांडमेंट्स दिए हैं तो वह नैतिक शिक्षा का हमारा आधार बनना चाहिए। इसलिए नैतिक शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है और यह सब पढ़ लिखने के बाद बहुत अच्छे अच्छे होंगे।

मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं इस देश में बहुत अच्छे शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं। मानसिंह भी थे, बहुत शक्तिशाली थे किन्तु अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार की। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत बड़े-बड़े शूरवीर हुए पर राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है और राष्ट्रीय चरित्र के लिए आपने इस शिक्षा में क्या काम किया है। राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमारी शिक्षा अधूरी है। आज हमारा पढ़ा लिखा व्यक्ति देश की सीक्रेट चीजें हिन्दुस्तान के बाहर भेज देता है। यह शिक्षा की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र का और नैतिकता का पाठ इस शिक्षा में शामिल किया जाए। यह मेरी आपसे मांग है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं यह घूघरी और दलिया, आज की तारीख में ओब्सोलिट हो चुके हैं इस घूघरी और दलिया को भी आप बन्द कराएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पंचायत राज में हैं मैं कह दूंगा कालूलालजी को।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, इसको भी थोड़ा बन्द कराने की चेष्टा करें। शिक्षा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

दूसरा मैंने एक कटमोशन और दिया है प्रिंसली स्टेट्स थी, 22 रियासतों से मिलकर राजस्थान बना। सन् 1946 में उदयपुर में लेटेस्ट पेटेन्ट के तहत हाई कोर्ट

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हुआ करती थी। सन् 1948 में फोरमर राजस्थान बना और जब फोरमर राजस्थान बना तो उदयपुर और जयपुर में हाई कोर्ट की बैंचे रहीं और प्रिंसिपल जगह जोधपुर की गयी। और उसके बाद आन्दोलन होता रहा राजस्थान में और सन् 1976 में जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की स्थापना की गयी। मेरा आपसे अनुरोध है कि सन् 1982 से उदयपुर में हाई कोर्ट की बैंच के लिए हर माह की 7 तारीख को अदालतों का बहिष्कार रहता है, काम काज ठप्प रहता है, 22 साल से सारा का सारा आदिवासी इलाका हाई कोर्ट की बैंच की मांग को लेकर आन्दोलित है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बागीदौरा का व्यक्ति चलकर के हाई कोर्ट में जोधपुर में जाता है। कुशलगढ़ का व्यक्ति जिस गरीब की आप बात कर रहे हैं, जिस असहाय की बात कर रहे हैं वह सब उदयपुर डिवीजन में बसता है। आदिवासी इलाका पूरा का पूरा उदयपुर में है। उनको न्याय त्वरित गति से मिले। आज जोधपुर जाना उसके लिए बहुत श्रम साध्य काम है, बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हर हालत में उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना की जाए क्योंकि यह पहले भी हाई कोर्ट वहां रह चुकी है। (व्यवधान) मुझे पता है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मंत्रीजी देंगे जवाब।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे हित का मामला है क्यों नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री हैं? यह नहीं होगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे हित का मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप यह कैसे कह रहे हैं कि सपने में भी नहीं होगा, यह क्या बात हुई?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिवीजन में छह जिले आते हैं और राजस्थान की जितनी आबादी है उसमें से सैकिण्ड नम्बर की आबादी उदयपुर डिवीजन की है। मैं इतना सा कहना चाहता हूं बम्बई में यानि महाराष्ट्र में तीन जगह हाई कोर्ट की बैंचे हैं एक बम्बई में है, एक औरंगाबाद में है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं। मैं तो बहुत ज्यादा बोलने का आदी भी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन पर तो बहुत बाद में आए हो, उससे पहले और और ही बोलते रहे। कट मोशन पर तो अब आए हैं आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं पहले भी कट मोशन पर ही बोला हूं। हायर सैकण्डरी के लिए भी कहा है मैंने।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन तो एक ही है आपका।

श्री शांतिलाल चपलोत : दोनों में है। मैं कभी मिथ्या बात कहने का आदी नहीं हूं। बाम्बे में भी है, नागपुर में भी है, औरंगाबाद में भी है। मध्यप्रदेश में भी तीन जगह है भोपाल, जबलपुर और इन्दौर। तीनों में हाई कोर्ट की बैंचे आज काम कर रही हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी इलाहबाद में और लखनऊ में है और उत्तराखण्ड अलग हो गया है तो उसकी हाई कोर्ट बैंच अलग हो गयी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इतना बड़ा इलाका जो दूसरे नम्बर पर आबादी में आता हो उसको न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता इसलिए पुरजोर शब्दों में इस बात की मांग करता हूं।

जहां तक इकोनोमी का सवाल है उदयपुर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रही है। मार्बल के जरिए आ रही है, राक फास्फेट के जरिए आ रही है, हिन्दुस्तान जिंक के जरिए आ रही है, सोफ्ट स्टोन के जरिए आ रही है, एक्साइज के जरिए आ रही है, टूरिज्म के जरिए आ रही है इसलिए भी मेरा आपसे अनुरोध है कि हर हालत में हमारे यहां उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना हो। इसके साथ-साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 19 पद जो हाई कोर्ट में खाली पड़े हैं उन्हें शीघ्र भरा जाए। ए.डी.जे. कोर्ट कितनी खोलेंगे, मुंसिफ कितनी खोलेंगे, सिविल जज की क्या स्थिति होगी इस बजट में आपने कहीं बताने की चेष्टा नहीं की है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि मावली में ए.डी.जे. कोर्ट के लिए हाई कोर्ट से भी आया हुआ है, दूसरी जगह से भी आया हुआ है। आप ए.डी.जे. कोर्ट की स्थापना करें और जितने ट्रिब्युनल हैं वह सब जयपुर में कार्यरत है। एक आदमी सर्विस मैटर में बागीदोरा से चलकर जयपुर आयेगा यह तो उसके लिये विड़म्बना है। पहले मुंसिफ मजिस्ट्रेट में यह केस तय हो जाते थे आज उसको जयपुर आना पड़ेगा बागीदोरा से चलकर उस आदिवासी को। इसलिये मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इन ट्रिब्युनल की भी बैंचे कायम की जाए या बायफरकेशन किया जाए, हर डिवीजन हैड क्वार्टर पर ट्रिब्युनल स्थापित किये जाएं इस प्रकार के।

आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा। पांच मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति और न्याय प्रशासन पर अपने आपको शरीक करते हुए मैं दो तीन बातों से आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा।

शिक्षा पर जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि समुचित विकास होना चाहिये, सर्वांगीण विकास होना चाहिये। जब तक विद्यालय हम नहीं खोलेंगे तो शिक्षा का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा पहलू यही है कि प्राय: प्राथमिक विद्यालय से लेकर सीनियर सैकण्डरी तक जो विद्यालय है, जितने विद्यालय खोले जायेंगे उतना ही ज्यादा शिक्षा का प्रसार होगा।

माननीय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में एक ऐसी बात लाना चाहता हूं कि राज्य सरकार की तरफ से प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक मिडिल स्कूल है। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में पण्डितपुरा एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कई बार सरकारों को लिख लिखकर भेज दिया लेकिन पण्डितपुरा पंचायत मुख्यालय होने के बावजूद भी आज की तारीख में प्राथमिक विद्यालय ही है। इसलिये माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मैंने पिछले दिनों सूची भी भेजी थी लेकिन फिर भी उस विद्यालय का दुर्भाग्य है कि वह छूट गया और उसमें मिडिल स्कूल नहीं हो सकी।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थिति ऐसी हो गयी है कि जिन विद्यालयों में बच्चे बच्चियां पढ़ते थे उन विद्यालयों के अन्दर आज दो सौ की छात्र संख्या अगर है तो मैं समझता हूं कि डेढ़ सौ बच्चियां और पचास बच्चे पढ़ रहे हैं। यह चाहे मां बाप की और अभिभावकों की मैं तो यह कह सकता हूं उनकी ज्यादा होशियारी का नतीजा है कि बच्चों को वह प्राइवेट विद्यालयों में फीस देकर पढ़ाना चाहते हैं और बालिकाओं को सरकारी स्कूलों में केवल इसलिये छोड़ देना चाहते हैं कि कुछ दिन ढूंढ फिर करके वापस आ जायेंगी। और साल, दो साल, पांच साल बाद इसकी शादी कर देंगे यह अपने घर चली जायेगी। बालिका शिक्षा का इतना जो दुर्दिन हो रहा है हमारे प्रदेश में इसलिये मंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगा कि विशेष तौर से अगर इन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को मिडिल, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी, ज्यादा बढ़ा सके, जैसा अभी शांतिलालजी चपलोत साहब ने कहा था कि मैं तो यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक सैकण्डरी विद्यालय और प्रत्येक तीन पंचायत मुख्यालयों के बीच में एक सीनियर सैकण्डरी विद्यालय अवश्य होना चाहिये जिससे हम बालिकाओं को शिक्षा दिलवा सकें।

माननीय मंत्री महोदय, अभी पिछले दिनों जो स्थानान्तरण हुए थे, मेरे

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

विधान सभा क्षेत्र के ज्यादातर विद्यालय खाली हो गये हैं। माननीय मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपूतली सीनियर सैकण्डरी बालिका, पावटा सीनियर सैकण्ड्री बालिका और कोटपूतली सीनियर सैकण्डरी ब्वायज और पावटा के अलावा दातेल और राजनोता जैसे गांवों के अन्दर सीनियर सैकण्डरी स्कूलों के अन्दर बहुत सारे पद रिक्त हो गये हैं और इससे बच्चों की शिक्षा में कमी आ रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन विद्यालयों में आप इन पदों को भरने का भरसक प्रयास करें।

पावटा में अभी तीन-चार दिन पहले आपने कहा था कि जन सहयोग के लिये अगर कोई भामाशाह तैयार होता है और कोई महाविद्यालय खोलने की जरूरत पड़ी तो हम निश्चित रूप से हम उसमें प्रयास करेंगे। महोदय, कोटपूतली की जनता पिछले कई सालों से भामाशाह के रूप में आगे आती रही है। हमारा कोटपूतली का अस्पताल, करोड़ों रुपयों की लागत भामाशाहों के द्वारा दी गयी। पावटा में सीनियर सैकण्डरी बालिका विद्यालय बीस लाख रुपये की लागत से एक परिवार ने दान देकर भवन और सब कुछ और सरकार को हैण्डओवर किया है। मैं आपसे मांग करता हूं उस बालिका विद्यालय में और आस पास के पचास गांवों के बीच में कम से कम छह सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं जिनमें साढ़े बारह सौ, तेरह सौ के बीच में बच्चियां अध्ययनरत हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास भामाशाह भी हैं आपको भवन बनाकर भी देंगे आप जैसा उचित समझेंगे उस तरह से लेकिन आप मुझे इस बात का रिलीफ दे पायेंगे कि हमारे पावटा में एक बालिका महाविद्यालय की आवश्यकता है तो मैं समझता हूं आपकी बड़ी कृपा आपकी बालिका महाविद्यालय और महिला शिक्षा के सम्बन्ध में हो पायेगी।

टैक्नीकल एजुकेशन की जो बात हम कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम घूमते हैं एक ही बात घूमकर सामने आती है कि रोजगार नहीं है। जापान की पद्धति माननीय मंत्री महोदय, आप अगर अपनायेंगे, बच्चों को पहली क्लास से लेकर उस अध्ययन की तरफ ले जाएं, उस शिक्षा की तरफ ले जाएं जिसमें उसकी रुचि है और बाहर निकलकर वह काम कर सके तो रोजगारपरक शिक्षा अगर आप देंगे तो मै समझता हूं कि बच्चों का भविष्य बन पायेगा और बेरोजगारी से मुकाबला भी कर पायेंगे।

इसके अलावा मेरा एक छोटा सा और निवेदन है। पावटा में...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपने पांच मिनट का समय मांगा था, अब पांच मिनट पूरे हो गये हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : लास्ट है। कोटपूतली में एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित है। प्रागपुरा में एक थाना है और प्रागपुरा थाने के सारे केसेज कोटपूतली के ए.एम.जे.एम. कोर्ट में सुनवाई की जाती है। वहां पर और किसी दूसरे थाने से सम्बन्धित प्रकरण नहीं आते कोई। पावटा के लोगों की बहुत समय से मांग रही है केवल स्थानान्तरण का मामला है आपका कोई राजस्व खर्च नहीं हो रहा है। आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ रहा है। केवल कोटपूतली से उस ए.एम.जे.एम. न्यायालय को स्थानान्तरित करके और पावटा में स्थापित अगर कर दिया जाता है तो कम से कम सत्तर-अस्सी गांवों की जनता को इसका लाभ मिलेगा और उसमें आपका कोई खर्च भी नहीं होगा। ग्राम जनता, पावटा और आस पास के लोग आपको भवन भी उपलब्ध करायेंगे पावटा के अन्दर। बना बनाया भवन है केवल आपके स्थानान्तरण आदेश की जरूरत है।

इसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

एक छोटा सा निवेदन जयपुर के बारे में रह गया। गांधीनगर का एक बालिका विद्यालय है। उसके अन्दर पेयजल की, ठण्डे पेयजल की कमी की है। गांधीनगर के बालिका सीनियर सैकण्डरी में ठण्डे पेयजल की व्यवस्था अगर करेंगे तो मेहरबानी होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सुबह से ही बोलने के लिये इन्तजार कर रहे थे अभी नम्बर आया...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय है क्योंकि रोज बारह बजते हैं और अभी जवाब देना है मंत्रीजी को।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : अध्यक्ष महोदया, दो मिनट देंगे। 15 दिन में पहली बार बोल रहा हूं फिर भी पांच मिनट में पूरी कर देंगे बात...

श्री अध्यक्ष : नहीं बहुत, आप देखिये...

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया : आपकी आज्ञा का पूरा पालन होगा।

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया।

माननीय विपक्ष के नेता और दूसरे वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी बात मैं सुन रहा था तो हमारे मेवाड़ की एक कहावत याद आ गयी। मेवाड़ की कहावत में एक बात है कि भट्टजी तो भट्टा खावे औरा न ज्ञान बतावें। आपने वह चोजें खुद ने तो की नहीं, हमारे भट्टजी बोलते हैं किसी को ज्ञान देने वाले को। वह ज्ञान देने के लिये दूसरों को तो ढूंढता है खुद के ऊपर वह ज्ञान लागू नहीं करता।

सारी राय ऐसी दी कि जैसे शिक्षा में कोई स्कूल क्रमोन्नत हो उससे पहले वहां शिक्षकों का इन्तजाम हो। पर पिछले पांच साल में जितनी भी स्कूले क्रमोन्नत हुई, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे जिले भीलवाड़ा में किसी ने भी जितनी स्कूलें क्रमोन्नत हुई किसी में नये अध्यापक नहीं भेजे गये।

साक्षरता के बारे में बात हुई और जो अभी लिस्ट शिक्षा विभाग ने दी। राजस्थान की जो साक्षरता की दर है उसके हिसाब से 33 राज्यों में 29वां नम्बर है। यह एक बड़े सोचने का विषय है कि राजस्थान में साक्षरता इतनी कम है और इस बारे में कोई भी पिछले पांच सालों में जैसा इसमें बताया गया कि 1981 में साक्षरता की जो दर थी, 1981 और 1991 में 30 प्रतिशत राजस्थान की साक्षरता की दर थी 1981 में। 9-10 साल का कांग्रेस का राज रहा वह केवल 30 से 38 हुई और उसके बाद 1991 से 2000 के बीच में 38 से 61 प्रतिशत हुई जो कि बी.जे.पी. का माननीय भैरोंसिंहजी का राज था। तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इस सदन को कि कहने की कुछ बात और है, शिक्षा देने की बात और है, सामने वाले को बताना और है और करना कुछ और है, इस माध्यम पर हमारे सामने बैठने वाले वरिष्ठ सदस्य बात कर रहे हैं।

अब मैं मेरे क्षेत्र की बात पर आता हूं। भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जो एम.एल.बी. टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग कालेज है। उसके अन्दर दो सब्जेक्ट स्वपोषित फाइनेन्स से चलते हैं। तीन सब्जेक्ट तो गवर्नमेंट से हैं और दो सेल्फ फाइनेन्स से हैं। सेल्फ फाइनेन्स में लड़कों का पैसा पड़ा हुआ है, पैसे का उपयोग यहां की परमीशन के बिना वह नहीं कर सकते हैं और इसके कारण से वहां पर न तो लेक्चरर लगे हैं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट का कोई फण्ड नहीं चाहिए। केवल यहां से स्वीकृति जानी है और सत्र चालू हो चुका है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को जल्दी से जल्दी वहां पर जो व्याख्याता हैं उनकी नियुक्ति के लिए परमीशन दी जाये। आप भी इसमें लेबोरेट्री वगैरह के लिए पिछले शासन में दो साल से लेबोरेट्री का पैसा पड़ा हुआ है, 90 लाख का बजट होते हुए भी वहां के कालेज को पिछले शासन ने स्वीकृति नहीं दी। लेकिन माननीय वसुन्धरा राजेजी के आते ही, जब उच्च शिक्षा का चार्ज माननीय

(श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया)

मुख्य मंत्रीजी के पास था। तब उनसे निवेदन किया गया फरवरी में इमिजिएट जो 90 लाख की लेबोरेट्री की सामग्री लानी थी वह ले ली गयीं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि उन्हें लेक्चरर की स्वीकृति दी जाये। दूसरा, भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़गढ़ जिले में संस्कृत महाविद्यालय नहीं है। दोनों जिलों में यह हमीरगढ़ जो गांव है वह भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा में पड़ता है बिलकुल बीचों-बीच है। वहां पर आलरेडी उपाध्याय तक की यानि सीनियर सैकण्डरी संस्कृत में है तो मेरी यही मांग है कि वहां पर संस्कृत महाविद्यालय हमीरगढ़ में खोला जाये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा बापू नगर भीलवाड़ा के अन्दर वह शहर के करीब पांच किलोमीटर दूर है और वहां पर बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है। इसको सीनियर किया जाये। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुर को जो वार्ड नम्बर 22 का है, उसको क्रमोन्नत करके उच्च प्राथमिक किया जाये। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूर में जीव विज्ञान विषय खोला जाये। इसकें लिए न तो कोई सरकार से फण्ड की जरूरत है, केवल स्वीकृति चाहिए। वहां पर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला भी है क्योंकि पहले जीव विज्ञान चलती थी, उसका स्टाफ भी वहीं पर है।

अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कन्या विद्यालय की स्थापना अलग से की जाये क्योंकि वहां अभी जो विद्यालय है उसकी संख्या करीबन 1400 है और उसमें करीबन 350 लड़कियां पढ़ती हैं तो उसको अलग से कन्या विद्यालय खोला जाये क्योंकि हम हर जगह बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसके अनुरूप शाहपुरा में कन्या महाविद्यालय खोला जाये।

अध्यक्ष महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में भी लड़कियों की ज्यादा संख्या है, ज्यादा पढ़ती हैं, है तो वह ब्वाय स्कूल, लेकिन लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। इसलिए वहां पर एक सब्जेक्ट गृह विज्ञान का और चालू किया जाये। अभी जो हमारे विपक्ष के साथी थे माहिर आजादजी उन्होंने उर्दू के लिए मांग की, मैं भी भीलवाड़ा के महाविद्यालय में उर्दू सब्जेक्ट चालू किये जाने का निवेदन करता हूं। जो कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें संस्कृत विषय खोला जाये। यही है, आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लूंगा। मेरा नम्बर तो पहले ही था, पता नहीं क्या चक्कर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको बोलने का समय दूंगी। लेकिन मैं देख रही हूं कि हर कोई माननीय सदस्य यहां पर आकर के आसन से बात करने लग जाता है। यह नियमों के विपरीत है, गलत परम्परा है। गलत परम्परा न ढालें और आपको यदि कोई बात करनी है, सम्पर्क करना है अध्यक्ष से तो सचिव के मार्फत या सचिव को लिखकर के दें। वह मुझे पहुंचायें। लेकिन यह बहुत गलत बात है कि तीन-तीन मिनट, चार-चार मिनट तक खड़े होकर के इस तरह से बात करने लग जाते हैं। आपको नियमों का कोई ख्याल ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। यह बहुत गलत परम्परा है और इस गलत परम्परा को मैं अलाऊ नहीं करूंगी। पहले से आप सबको कह रही हूं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्षजी, बहुत कड़े हो रहे हैं, क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : कड़े की बात नहीं है। इस सदन की गरिमा रखनी है। आसन की भी गरिमा है। सदन की भी गरिमा है। हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं एक निवेदन और कर देना चाहती हूं कई माननीय सदस्यों का जब नाम बोला जाता है वह सदन से गायब रहते हैं। नाम पुकारते वक्त वह यहां प्रजेन्ट रहते नहीं हैं। उसके बाद आकर के कहते हैं कि अलग समय दो।

श्री संयम लोढ़ा : सदन की गरिमा रख रहे हैं मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये, कौन रख रहा है। आप भी बहुत रख रहे हैं। वह तो नहीं रख रहे हैं, आप भी नहीं रख रहे। आप तो रखिये। मैं निवेदन कर रही थी कि आइन्दा, आज तक तो ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है, जिसे बोलना है उसे सदन में उपस्थित रहना चाहिए। इसलिए आइन्दा यदि कोई नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित रहेगा तो दुबारा उसका नाम नहीं लिया जायेगा। उसे बोलने का अवसर नहीं दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप अगर उचित समझें तो इसको आज से ही लागू कर दें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है हमारे लिए तो।

श्री अध्यक्ष : रोजाना 12 बजते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक बात है, बिलकुल ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष : 5-5 मिनट में आप जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उसी को ध्यान में ला दें तो मैं समझती हूं कि ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीन मंत्री बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : बोलने वाले अभी पांच कांग्रेस से मौजूद हैं और पांच-छह ही अभी बी.जे.पी. से हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : दो-दो मिनट ही लेंगे। दो मिनट ही लेंगे। सुझाव दूंगा। खाली सुझाव, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रोज बोलना जरूरी है क्या?

श्री कन्हैया लाल मीणा : कल बोला ही नहीं मैं, कहां बोला था, सुझाव ही तो दे रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि आपने जो निर्णय दिया है कि माननीय सदस्य आकर के डायस पर आपसे बात नहीं करें तो यह केवल सदस्यों के लिए है या सरकारी मुख्य सचेतक और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी वहां आकर के खड़े होकर के यूं हाथ रखकर के बात करते रहते हैं, इन पर भी यह लागू होगा।

श्री अध्यक्ष : यह सबके लिए है, सबके लिए है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारा तो काम पड़ता रहता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं आप भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा फिर।

श्री अध्यक्ष : लिखित में भेज दो। उसमें क्या बात है। कोई भी बात है तो लिखित में भिजवायी जा सकती है सचिव के मार्फत।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है इसको आठ बजे से आगे मत चलाया करो। पार्लियामेंट तो छह बजे ही खतम हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लिये। आप औरों को बोलने देना नहीं चाहते। यह कैसे सम्भव होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज की बात नहीं है। मैं तो हमेशा की कह रहा हूं (व्यवधान) आप तय कर लें रोज का।

श्री अध्यक्ष : यह कैसे सम्भव होगा। आप तो बोल लिये। सभी बोलना चाहते हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माहिरजी, आप तो एक-एक घण्टा बोल लेते हैं, हम लोग पांच-'पांच मिनट लेते हैं तो भी कहते हो कि आठ बजे कर दो...(व्यवधान) आप तो एक-एक घंटे ले जाते हो...(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : जीरो आवर को आगे बढ़ाते ही क्यों हो? जीरो आवर को कम कीजिये, समय पर डिबेट को शुरू कर दीजिये। अपने आप समय ज्यादा लगेगा ही नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक बात है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालालजी।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा, मात्र सुझाव दे रहा हूं। एक तो डैपुटेशन पर जितने अध्यापक लगाये हुए हैं वह खतम करके उनको विद्यालयों में भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि अध्यापक एरिये में ट्रांसफर करके लगा दिये जाते हैं लेकिन अध्यापक तीन-तीन महीने तक जाते नहीं हैं और आपके रिकार्ड में यह होता है कि अध्यापक लगा दिया गया है फ़लां स्कूल में। वह अध्यापक अवैतनिक रह जाता है, उसके बाद में वह ग्रामीण एरिये में जाकर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है। इसको ध्यान में रखा जाये। चाहे आप सीनियर सैकण्डरी ले लो, चाहे आप आठवीं की ले लो, प्राइमरी स्कूलों की तो हालत ही बहुत खराब है। प्राइमरी स्कूलों में ही अगर बच्चों की नीव मजबूत नहीं हुई तो आगे जाकर वह क्या कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी एजुकेशन में तो कम से कम अध्यापकों की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जाये। दूसरा मेरा निवेदन है कि बस्सी क्षेत्र में सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बस्सी में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद नहीं है। पहले पद था जिसमें एक महिला महानुभाव कांर्यरत थी, उसका ट्रांसफर हुआ था तो उसके साथ ही साथ वह पुस्तकालयाध्यक्ष का पद भी ले गयी। बस्सी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भवन बनाने के लिए बस्सी की जनता तैयार है, अगर बालिका कालेज खोल दिया जाये तो बस्सी में, बिल्डिंग बनाने को जनता तैयार है, आपको पहले बिल्डिंग दे देंगे बाद में चाहे हमें स्वीकृत कर दें। दूसरा, आपके द्वारा जो अध्ययन एवं प्रशिक्षण की सुविधा अध्यापकों की दो शिक्षा संस्थान क्रमशः बीकानेर एवं अजमेर में है। इसमें बी.एड., एम.एड. प्रशिक्षण की व्यवस्था है। बीकानेर में 200 एवं अजमेर में 150 सीटें हैं। इनकी सीटें बढ़ायी जायें। यह दोनों 350 हैं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में भी एक ऐसा संस्थान

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

खोला जाये जिससे कि पूर्वी राजस्थान के छात्रों को फायदा मिल सके। ऐसा ही उदयपुर के अन्दर भी जहां ट्राइबल एरिया है, वहां भी खोला जाये। बस मैं इतने ही सुझाव देना चाहूं .I, धन्यवाद।

(19.38 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको समय देने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत कम शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। आपके मार्फत मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा और शुरूआत गत समय में हुई लेकिन वर्तमान समय में जब तक नए आदेश जारी नहीं हो जाते, वहां पर जो स्टाफ लगाया गया है वह 31.7.2004 तक ही नियुक्त रहेगा। आप अपने आज के उदबोधन में इस सम्बन्ध में उचित आदेश फरमाएं। इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हेतु बजट में भी कुछ प्रावधान किया जाए। वहां पर जो गवर्नमेंट डूंगर कालेज है और महारानी सुदेशना .ल्र्स कालेज है, इनको भी उसके साथ जोड़ा जाए जिससे वहां विश्वविद्यालय का स्वरूप बन सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत दिनों विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की दो पंचायत समितियों जिनके ग्राम पंचायतों को अगर जोड़ें तो करीब 99 ग्राम पंचायतें हैं, यह चर्चा में रहा। समाचारपत्र राजस्थान पत्रिका के मुखपृष्ठ पर एक समाचार आया जिसमें यह बताया गया कि विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं होने के कारण वहां आम जनता आन्दोलनरत है और प्रदर्शन हेतु बीकानेर निदेशालय तक पहुंची। इसी प्रकार आज दिनांक 23 जुलाई, 2004 को दैनिक भास्कर अखबार के मुखपृष्ठ पर समाचार है कि सहजरासर ग्राम के ग्रामवासी प्रदर्शन हेतु बीकानेर निदेशालय पहुंचे।

मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दोनों ही विद्यालयों के प्रदर्शनकारी जो वहां आए वे एक ही समस्या लेकर आए कि दोनों विद्यालयों में 3-3 अध्यापक पदस्थापित हैं। लेकिन मौके पर 1-1 अध्यापक ही है, बाकी अन्यत्र कहीं पदस्थापित कर दिए गए हैं। यह इन दोनों विद्यालयों का ही हाल नहीं है, अधिकांश विद्यालयों का यही हाल है और रिकार्ड में तो विद्यालय खुले हैं इसके लिए 1-1 अध्यापक वहां पर महज ताला खोलने के लिए रहता है। शैक्षणिक कार्य वहां बिलकुल भी नहीं

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

चल पाता है। दोनों ही विद्यालयों में समानता यह है कि लगभग साढ़े पांच सौ, साढ़े पांच सौ छात्र-छात्रा वहां अध्ययनरत रजिस्टर्ड हैं। अध्ययन तो वहां पर हो नहीं रहा, दोनों ही विद्यालयों में यह स्थिति है। मेरा निवेदन है कि इन बातों की गहराई में जाकर आने वाले समय में कोई उचित समाधान फरमाएंगे, ऐसा मैं विचार रखता हूं।

इसके साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा समय में नीति के अनुसार विद्यालय खोलना, क्रमोन्नत किया जाएगा लेकिन गत समय में दिनांक 28.2.2004 को एक आदेश जारी हुआ कि वर्ष 2003-2004 में नए प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाता है। 1281 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया लेकिन दुःख की बात है कि इतना बड़ा विधान सभा क्षेत्र होने के बावजूद लूणकरणसर में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ। इसी प्रकार से एक अन्य आदेश है दिनांक 25.2.2004 का, जिसमें वर्ष 2004-2005 के सत्र में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के आदेश जारी हुए, 1556 विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गये। इनमें भी मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में एक भी नहीं खोला गया जबकि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम उसकी जनसंख्या की तुलना भी करें तो वह भी बहुत ज्यादा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां नए विद्यालय खोलने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय भी खोलने का सरकार की ओर से प्रावधान किया जाए। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर का कस्बा लूणकरणसर अपने आप में बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर लम्बे समय से महाविद्यालय की मांग चली आ रही है। इसी के साथ कस्बा खाजूवाला जो सीमान्त क्षेत्र है, यहां भी महाविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

चूंकि आप शिक्षा मंत्री होने के साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर पालिटैक्निक और आई.टी.आई. कालेज खोलेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर से जो छात्र शिक्षा लेकर निकलेंगे वह स्वावलम्बन के अन्दर उनका उचित कदम होगा और सरकार जो रोजगार प्रदान करने के बारे में चिन्तित है, वह भी युवाओं को एक उचित समाधान दे पाएगी।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा के नाम पर सरकार काफी जागरूक है और प्रयासरत है। मेरा पूर्व में भी निवेदन रहा है कि तहसील मुख्यालय पर वहां बालिका शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। खाजूवाला कस्बा बहुत बड़ा कस्बा है, यहां पर बालिका प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां और अन्य जगह भी जहां पर इस प्रकार की आवश्यकता महसूस की जा रही

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

है, आपकी जो गाइड लाइन है, उस गाइड लाइन के अकोर्डिगली वहां विद्यालय खोले जाएं।

इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राजधानी जयपुर में जो राजकीय पालिटैक्निक महाविद्यालय है, वहां इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, अगर इस ब्रांच की शुरूआत वहां पर की जाए तो उचित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, इसके साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राकेश मेघवाल।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने लोगों को आपने बुलवाया, इतनी देर से शिक्षा जैसे मामले पर यहां चर्चा हो रही है, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य 55 हैं और 55 में से यहां 5 सदस्य बैठे हैं। ये अपनी बात कहने के लिए हैं, शिक्षा मंत्रीजी को सुनने के लिए नहीं, 55 में से यहां कितने सदस्य हैं, कांग्रेस के, शिक्षा के प्रति वे कितने गम्भीर हैं इस बात से साफ उजागर होता है कि यहां ये पांच बैठे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद में कल गुजरात के महामहिम राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह है, हमारे बहुत से माननीय सदस्य उसमें भाग लेने के लिए गए हैं। आप यह मत समझिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : सारे के सारे गए क्या उसमें?

श्री संयम लोढ़ा : आप यह मत समझिए, सदन के प्रति प्रतिपक्ष के लोग भी पूरी तरह से गम्भीर हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई भी नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : और आपसे ज्यादा पार्टिशिपेशन है, आप तो कभी-कभी आते हैं परदेशी की तरह।

श्री धर्मपाल चौधरी : कभी-कभी क्या आते हैं, आपसे ज्यादा टाइम तक बैठते हैं, आपको तो बड़ी गलतफहमी हो रही है अपने आप पर. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : रिकार्ड निकाल लो रिकार्ड।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, रिकार्ड देख लो। रिकार्ड देख लो, आपके +++ से रिकार्ड में आता है क्या? अखबार वालों की तरफ देखते रहते हो ऊपर कि मैं +++ और ऊपर नाम आ जाए अखबार में इसके लिए है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 24 पर अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में एक होनहार मंत्री बनाया है जो शिक्षा जगत में आमूल चूक परिवर्तन करना चाहता है और शिक्षा जगत में रिकार्ड कायम करना चाहता है, मैं उनको बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।

शिक्षा मंत्री, माननीय घनश्यामजी, राजस्थान के लोकतन्त्र के 55 साल के इतिहास में आप एक इतिहास रच दो कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे कि कोई शिक्षा मंत्री था जिसने अलग से एक छाप छोड़ी, राजस्थान के शिक्षा जगत में एक नई पहचान बनाई, नई साख बनाई। पिछली सरकार में जब आप ऊर्जा मंत्री थे तो आपने एक व्यवस्था की थी कि आज ही आओ और आज ही कनेक्शन पाओ। क्यों न आप शिक्षा जगत में भी आज ही आओ, आज ही स्कूल पाओ और शिक्षा को आगे बढ़ाओ, सबको पढ़ाओ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सही कह रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के 55 साल के इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक हमारे परबतसर विधान सभा क्षेत्र, मकराना विधान सभा क्षेत्र, डेगाना विधान सभा क्षेत्र और नावां विधान सभा क्षेत्र में कोई भी बालिका महाविद्यालय नहीं है। इसलिए शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां मेन स्टेट हाइवे नम्बर 7 पर सैकड़ों बीघा जमीन है, मंगलाना सेन्टर पड़ता है मकराना, कुचामन, नावां, डेगाना का। वहां पर कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतिहास बदल दीजिए और हमारे यहां कन्या महाविद्यालय परबतसर के मंगलाना में खोल दीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां बड़ू में बहुत बड़ा कस्बा है. वहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, परबतसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, परबतसर में गरू, जावड़ा और परबतसर में गर्ल्स और बायज उनमें सभी करीब-करीब 50 परसेंट पद रिक्त हैं और न वहां कोई फर्नीचर की

(श्री राकेश मेघवाल)

सुविधा है। तो वहां फर्नीचर की भी सुविधा हो, वहां स्टाफ पूरा लगे और पूरे स्टाफ की व्यवस्था करेंगे ऐसी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

उधर परबतसर में भारी मात्रा में जगह-जगह स्कूलों में पद रिक्त हैं। हायर सैकण्डरी स्कूल हैं वहां पांच मास्टर हैं, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां दो मास्टर है। कहीं स्कूलों में तो एक-एक मास्टर है। अगर एक मास्टर बीमार हो जाता है तो स्कूल का दूसरे दिन ताला ही नहीं खुलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से परबतसर विधान सभा क्षेत्र में सभी रिक्त पद भरने की गुजारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, करगिल में सर्वप्रथम राजस्थान में शहीद हुए थे शहीद मंगेज सिंहजी राठौड़ और वो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरनावा के निवासी थे। आपको पता है वो लाश कम से कम 7-8 दिनों से मिली थी और सर्वप्रथम शहीद थे। वहां माननीय उपराष्ट्रपति महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत भी गये थे और उससे पहले, शेखावतजी से पहले माननीय मुख्य मंत्री नम्बर वन अशोकजी गहलोत गये थे। उन्होंने कम से कम 20-25 हजार लोगों के बीच में यह घोषणा की थी कि जो स्कूल है वह शहीद मंगेज सिंहजी के नाम से कर दी जाएगी और उनके नाम से क्रमोन्नत की जाएगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में उन्होंने घोषणा की थी। राना बाईजी की जन्म स्थली है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और त्रिमूर्ति बालाजी का मन्दिर है जो बडू है वो पूरे राजस्थान में एक ही मन्दिर है। और यह भी कहा था कि इस बडू से हरनावा सड़क का नाम भी शहीद मंगेज सिंहजी के नाम से कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरे दिन महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंहजी के जाने के बाद में मुख्य मंत्री नम्बर एक ने दुर्भावनावश उस स्कूल को आज तक क्रमोन्नत नहीं किया। माननीय घनश्यामजी तिवारी शिक्षा मंत्रीजी से मैंने बात की थी शहीद की स्कूल की घोषणा आज इस सदन के पटल पर अपने उत्तर में करें तो पूरे राजस्थान में एक समाचार जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने दुर्भावनावश जो स्कूल क्रमोन्नत नहीं की थी वो माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी के द्वारा और माननीय घनश्यामजी तिवारी के श्रीमुख से उसकी घोषणा आज इस सदन में करें।

श्री उपाध्यक्ष : मेघवालजी, अब आपको धन्यवाद।

श्री राकेश मेघवाल : एक सैकण्ड, स्कूलों का नाम तो लिया ही नहीं। एक मिनट। मेरे यहां कुछ स्कूलें क्रमोन्नत करनी हैं उसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को लिखित में ज्ञापन दे दूंगा। इन्होंने आश्वासन दिया है वो क्रमोन्नत कर देंगे। उनका

(श्री राजेन्द्र मेघवाल)

मेरे पर बहुत आशीर्वाद है, वे मुझे पहले से ही पुराने जमाने से, 1993 से जब साथ में रहे तब से अच्छा आशीर्वाद है और आज भी अच्छा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा है सेठ, तू जो कहेगा खोल दूंगा। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24 और मांग संख्या 6 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

श्री मांगीलाल गरासिया, (अनुपस्थित) श्री बाबूलाल नागर।

मांग संख्या-24 एवं 6 पर विचार

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : बाबूलालजी, शार्ट में। बिलकुल शार्ट में। बहुत कुछ पहले भी आ चुका है।

श्री बाबूलाल नागर : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई भाषण तो देना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले भी बहुत कहा है।

श्री बाबूलाल नागर : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, मैं 10 मिनट जैसे ही होंगे...

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट।

श्री बाबूलाल नागर : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, अध्यक्ष महोदय ने मुझे व्यवस्था दी थी, सेक्रेट्री साहब का लिखित में मेरे पास लैटर आया है, अपनी बात शिक्षा की मांग पर बोलना, यह मुझे लिखित में निर्देश आया है।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट बहुत हैं।

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय 7 बजकर 54 मिनट हो गये, 10 मिनट होते ही मैं बैठ जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में बहुत अनुभवी और डाइनेमिक लीडर को राजस्थान का शिक्षा मंत्री बनाया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि मेरा कोई छोटा सा निवेदन है उस पर आप तो खाली चिन्तन करें। इसमें कोई शंका नहीं है, सब लोग जानते हैं, तिवारीजी बहुत खुले दिमाग के हैं, बहुत विद्वान हैं आप इसमें चिन्तन करें कि इसमें हम कहां तक खरे उतर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में 2-4 मोटी-मोटी बातें की कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था हम करेंगे। दूसरी उन्होंने बात की कि शिक्षा में जो बढ़ा हुआ शुल्क है उसको हम कम करेंगे। तीसरी बात छात्राओं की निर्धारित संख्या होने पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करेंगे। चौथी बात कि जहां भी एक लाख की आबादी है वहां हम कालेज खोलेंगे। पांचवीं बात प्रत्येक जिले में एक कन्या महाविद्यालय खोलेंगे और इसके बाद उन्होंने बात की कि शिक्षा विभाग में जो भी रिक्त पद होंगे उनको 31 मार्च तक भर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, 10 दिसम्बर, 2003 को आदरणीय तिवाड़ीजी साहब ने शिक्षा विभाग का काम संभाला वेद मंत्रों के साथ। शिक्षा विभाग का कार्यभार संभालने के बाद बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए तिवाड़ी साहब ने कहा कि जो भी पैराटीचर्स हैं उनको शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे दी जाएगी यह बात तिवाड़ी साहब ने 10 दिसम्बर को कही। इसके बाद 11 दिसम्बर, 2003 को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा कि राजस्थान में एन.सी.ई.आर.टी. कोर्स लागू कर दिया जाएगा। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जो फालतू में ऐसे ही जा रहा है आपको इतना समय ज्यादा देना पड़ेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई मांग हो तो बताओ अपनी। 13 दिसम्बर को क्या कहा था और 15 दिसम्बर को क्या कहा था। पांच साल के बाद (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : 13 दिसम्बर, 2003 को माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि 100 दिन में जहां भी स्कूलें और शौचालय हैं उनमें पेयजल की पूरी व्यवस्था कर देंगे और हर स्कूल में शौचालय बना देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 14 दिसम्बर को तिवाड़ी साहब ने कहा कि तबादलों का कोई राज्यादेश नहीं करेंगे। (व्यवधान) 18 दिसम्बर...

श्री धर्मपाल चौधरी : 18 दिसम्बर को राज तो था ही नहीं।

श्री बाबूलाल नागर : 18 दिसम्बर को माननीय तिवाड़ी साहब ने कहा कि पैराटीचर्स व्यवस्था राजस्थान में समाप्त कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 18 दिसम्बर को आदरणीय तिवाड़ी साहब ने कहा कि 31 मार्च तक जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको भर देंगे।

श्री हीरालाल (निवाई) : खाना खाने की बात नहीं बतायी, कब खाना खाते हैं। रोटी कितने बजे खायी, यह नहीं बताया तिवाड़ी साहब ने।

श्री बाबूलाल नागर : ये मेरे बड़े भाई भी हैं, राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं, मैं इनकी बड़ी कद्र करता हूं इसलिए आपको इनकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, इनके मैं पैर छूता हूं, यह मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं आपको। इनकी बहुत कद्र करता हूं। आप इनकी चिन्ता न करें। उपाध्यक्ष महोदय, 28 दिसम्बर को आदरणीय तिवाड़ी साहब ने कहा राजस्थान में शिक्षकों की तबादला नीति बनाएंगे और सत्र शुरू होने से पहले इस बात के लिए नीति बनाकर क्रियान्वित कर देंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर 28 दिसम्बर को आदरणीय तिवाड़ी साहब ने कहा छात्रों की आठवीं कक्षाओं और बारहवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा होगी। 28 दिसम्बर को आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा हर किलोमीटर पर एक किलोमीटर के दायरे में जहां भी प्राथमिक स्कूल नहीं होगा। वहां तत्काल विद्यालय खोल दिया जाएगा और इसमें वित्तीय प्रावधान कहीं आड़े नहीं आएंगे। 28 दिसम्बर को आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा कि 100 दिन में 3500 स्कूलों की हम इमारत बना देंगे। फिर 16 जनवरी को आदरणीय तिवाड़ी साहब ने कहा कि शिक्षक तबादला नीति 100 दिन में हम तैयार कर देंगे। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मकड़जाल में उलझ गई शिक्षक तबादला नीति।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ अपनी तो बताओ, तिवाड़ी साहब ने कहा, तिवाड़ी साहब ने कहा। कुछ अपनी भी तो बताओ।

श्री बाबूलाल नागर : मैं बता रहा हूं सुनो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपनी भी तो कहो।

श्री बाबूलाल नागर : कालेज की फीस चार गुना बढ़ी। यह 2 जुलाई का है। शिक्षक-छात्र अनुपात सही किया जाएगा। फिर दूदू में प्राथमिक स्कूलों में 325 अध्यापक के पद रिक्त शिक्षकों का जिला काडर बनेगा और अच्छे नम्बर लाने वालों

(20.00 बजे)

को, फर्स्ट डिवीजन वालों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं। और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। यह सब बातें मंत्री महोदय ने कही।

श्री उपाध्यक्ष : ये सब तिवाड़ीजी के ध्यान में हैं।

श्री बाबूलाल नागर : ये सब इनके ध्यान में है और मैंने तो खाली चिन्तन के लिए आपसे आग्रह किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करता हूं कि तिवाड़ीजी ने बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया, शिक्षकों की भर्ती का काम शुरू किया। उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें यह व्यवस्था की गई है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भी भर्ती और नियुक्ति अब होगी, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी आरक्षित पद हैं और जितना भी बैकलाग है, उन सबको इसमें शामिल करके और इसके बाद में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं तिवाड़ी साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि यह तो अब संविधान संशोधन कानून बन गया। आपसे मेरा आग्रह है आपने अध्यापकों की भर्ती निकाली, बहुत-बहुत आपके आभारी हैं। लेकिन जो बैकलाग है अनुसूचित जाति जनजाति का और संवैधानिक व्यवस्था है, मेहरबानी करके इसको आप जो आपने अध्यापकों के पद निकाले हैं, कहीं न कहीं कोई सामाजिक संस्था का आदमी कोर्ट में चला जाएगा कि साहब, संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो रहा है, पहले भर्ती नहीं हुए फिर वापस इस पर स्टे लग जाएगा और सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं जो बैकलाग है वह पूरा करें।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 2-3 छोटी-छोटी बातें मैं आदरणीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में प्राथमिक विद्यालयों के 325 अध्यापकों के पद रिक्त हैं, सात विद्यालय अध्यापक विहीन हो गई, 31 विद्यालयों में सिंगल टीचर रह गये और उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा...

(श्री बाबूलाल नागर)

(व्यवधान) यह आदरणीय तिवाड़ी साहब जानते हैं। यह अभी ट्रांसफर आदेश निकालेंगे उसमें व्यवस्था दे देंगे कहीं। आपको पता है आप इसमें ज्यादा वकालत मत करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल तक क्या किया इन्होंने? (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : तिवाड़ी साहब ने आदेश जारी किया।

श्री धर्मपाल चौधरी : तिवाड़ी साहब ने 3 तारीख को यह किया, तिवाड़ी साहब ने चार तारीख को यह किया।

श्री बाबूलाल नागर : अब 83 अध्यापक दूदू से अन्य जगह ट्रांसफर हो गये।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल में अशोक महान करते करते चले गये और पांच साल एम.एल.ए. रहे हो आप दूदू के, आपने क्या किया, यह बताओ पांच साल में?

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपालजी इसीलिए तो कह रहे हैं भाई नहीं किया जब ही तो करना है।

श्री बाबूलाल नागर : अब मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, मेरा समय तो यों ही जा रहा है। बजट में अलग से व्यवस्था भी दी गई। अब मैं एक निवेदन करूं, मेरी मिडल स्कूलों का है, एक आंतोलाल स्कूल हैं, उस मिडल स्कूल में सात अध्यापकों के पद खाली हैं। मैं समझता हूं उस स्कूल में आठ होते होंगे, आठ सात खाली हैं, चैनपुरा में मिडल स्कूल में पांच अध्यापकों के पद खाली हैं, गुढाबेरसल में पांच खाली हैं, हवजपुरा में पांच खाली हैं, तोसना स्कूल में पांच खाली हैं, कल्याणपुरा में पांच खाली हैं, लोहड़ी में छह खाली हैं, मालेड़ा में सात खाली हैं और सुनारिया में छह खाली हैं। मैं आपके माध्यम से थोड़ा मंत्री महोदय से कहूं। हर एक किलोमीटर पर हम खोलते हैं। मेरे यहां 90-100 करीब विद्यालय आपके डिपार्टमेंट के थ्रू आपके पास आई हैं उन्होंने सर्वे किया है पर पांच विद्यालय ऐसे हैं लोहिडी है. मेरे यहां उसमें मीणों की ढाणी है, 3-4 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं है। इसलिए गेजी में आमा की ढाणी है, खिडिराम में एक तारणों की ढाणी है, बोराज में चन्द्रभानपुरा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नागर साहब।

श्री बाबूलाल नागर : जल्दी कर रहा हूं, नरेणा में फाटक है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कई बार बता चुके हैं इनको, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर : एक मैं मेरे नाम से करना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री बाबूलाल नागर : यह जो वर्तमान में पाठ्यक्रम है उपाध्यक्ष महोदय, 10 मिनट से 11 मिनट मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) इस तरह अन्याय, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है। आप जो कहेंगे सिर माथे पर, मुझे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर भी निर्देश दिया, मुझे यह व्यवस्था दी गई है कि अपने क्षेत्र की बात आप शिक्षा की मांग पर बोलना। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज नहीं बोलूंगा तो मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर मेरे क्षेत्र के साथ अन्याय हो जाएगा। बस दो मिनट में खतम करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आपका जो पाठ्यक्रम है मेहरबानी करके इसमें एक तो जनसंख्या, पर्यावरण और मानव का सम्बन्ध है और बढ़ती हुई जनसंख्या का पूरा सदन चिन्ता कर रहा है तो अगर इसमें बदलते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों में यह भावना पैदा होगी। एक मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो यह बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन स्कूलों से बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज को जोड़ दें। आप इसमें 50 प्रतिशत सिलेबस तो आपका रखें सैनिक शिक्षा का और 50 प्रतिशत रखें आप ट्रेड शिक्षा का, इससे वहीं प्रशिक्षण लें और वहीं के वहीं नौकरी करने लग जाएं तो नौजवानों का एक बेरोजगारी का मामला खतम होगा। एक मैं जो आपकी हायर एजुकेशन है उसके लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें फंडामेंटल आपका रिसर्च बेस होना चाहिए। इसमें आपको बायो-टेक्नोलोजी, जोन थेरेपी, रोबोट सर्जरी, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग इन सबका बेस उसमें होना चाहिए। जो आने वाला, आज समय आ गया है इसमें बहुत आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : बैठिए, यह क्या है पूरे भाषण में उपाध्यक्ष महोदय?

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, बिना बैठाये आपके बिना निर्देश दिये ही समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और तिवाड़ी साहब से आग्रह करता हूं कि खाली आपकी अगर कोई बात खराब होती है, मैं यहां सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, आप जहां मिलते है मैं आपके पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूं। और इसके बाद में यह बातें जो बाजार में जाती हैं न तिवाड़ी साहब, मेरे साथ में यहां एक प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इतने काबिल, इतने डायनेमिक शिक्षा मंत्री कहते हैं इसके बाद में मामला गोल हो जाता है, इसका ध्यान रखिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीं अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का और शिक्षा मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट में समाप्त करिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूक परिवर्तन करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाने के पर्याप्त बजट का प्रावधान रखा। और मैं एक बार और तत्कालीन मुख्य मंत्री और भारत के उप राष्ट्रपति माननीय भैरोंसिंह शेखावत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गुलाबजी कटारिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी अपने शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में बालिका शिक्षा और बालकों को पांचवीं तक की शिक्षा निशुल्क देकर शिक्षा में एक क्रान्ति लाने का प्रयास किया और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं उसी समय बालकों की शिक्षा के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो बीमा की व्यवस्था भी की थी। यह भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सोच थी-उसी का परिणाम है कि आज गांव-गांव में शिक्षा पहुंची है और हर एक बालक को अच्छी शिक्षा मिले यह व्यवस्था कर रहे हैं। 12वीं तक की बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी जब परिवर्तन यात्रा लेकर, जब मुख्य मंत्री नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय निकले थे। और उन्होंने सीधी बात कही कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 12वीं तक की बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा मिलेगी। और उनका सपना साकार हुआ और आज राजस्थान में जितनी भी बालिकाएं हैं वह निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. की बालकों को भी 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त की है जिनके अभिभावक आयकर से मुक्त हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि अभी जो प्रावधान रखा है 400 उच्च प्राथमिक

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का, 200 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का और 1600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा और शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह टारगेट है, जो लक्ष्य है, यह कम है। इसको दुगुना किया जाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ परिवर्तन ला सकें और प्रत्येक बालिका को हम शिक्षित कर सकें। यह मेरा प्रमुख विचार है।

श्री सभापति : बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है आपने। बाकी आप अपने विधान सभा क्षेत्र की कहें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस के शासन में राजीव गांधी विद्यालय खोलकर उसमें पैरा टीचर आठवीं पास शिक्षक लगाए हैं तो शिक्षा का पूरा भट्ठा बैठाने की व्यवस्था की गई लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने यह पुख्ता व्यवस्था की है जो ट्रेनिंगशुदा हैं उनको लिया जाएगा।

श्री बाबूलाल नागर : आठवीं पास केवल राजस्थान में 1300 हैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : आठवीं पास लगाए आपने क्यों भट्ठा बैठाया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भरने के लिए भी भर्ती करने का पूरा प्रावधान किया गया है। एक खास बात कहना चाहूंगा। हमारे शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि जो संविदा पर लगे थे शिक्षक उनमें चित्तौड़, उदयपुर, नागौर, जैसलमेर और सिरोही और झालावाड़ ये ऐसे जिले छूट गये थे। जिनमें संविदा शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई उन जिलों में संविदा शिक्षकों की सीधी भर्ती करावें। यदि इस पर पुनर्विचार करके कोई व्यवस्था दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। विद्यालयों के बारे में, जो मेरे क्षेत्र में कुछ विद्यालय क्रमोन्नत होने हैं उनकी मांग भी रख देता हूं। तहसील मुख्यालय पर बालिका माध्यमिक विद्यालय राशमी है, मेरा ही गांव है उसको क्रमोन्नत किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। वह सूची दे दें। जीनगर साहब. आ गई बात। श्री गोपाल बाहेती। आप बोलें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : जो खास बात है वह है अभी। एक सैकण्ड। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र में पूरे चित्तौड़ जिले के अन्दर एक विद्यालय चलता है मूक बधिर नेत्रहीन मन्दबुद्धि विद्यालय, जो चन्देरिया के अन्दर है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि उसके लिए भवन, भूमि और अनुदान की व्यवस्था करायें।

एक खास बात जो रह गई है कि यह घूघरी पकाने का सिस्टम है वह मेरी समझ में नहीं आया। इससे कभी जोरदार एक्सीडेंट हो गया तो उसका कोई जवाबदार नहीं है। अभी हाल ही में पिछले दिनों कुम्भकोणम तमिलनाडु का विद्यालय था उसमें खाना पकाने को लेकर यह एक्सीडेंट हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि यह घूघरी पकाने के स्थान पर कोई न कोई नया फूड बालकों को दें तो बालक भी विद्यालय के अन्दर आयेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीगोपाल बाहेती। बाहेतीजी, शार्ट में, बिल्कुल पांच मिनट में।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : शार्ट में साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा, कला और संस्कृति और न्याय के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मेरी बात को रखना चाहता हूं।

अभी माननीय सदस्य रामचन्द्रजी सराधना ने जो बात की थी शिक्षा नीति की। (व्यवधान) अमरारामजी, मैं बहुत गम्भीर बात कर रहा हूं। सदन चूंकि बहुत ज्यादा एग्जास्ट हो गया था इसलिए वह बात हवा में रह गई। वास्तव में इस देश के अन्दर शिक्षा नीति पर कभी चिन्तन नहीं हुआ। प्राइमरी के अध्यापक से लेकर राष्ट्रपति तक और एक गांव के वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक...(व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, कृपया पांच मिनट के लिए मेरी बात को जरा गम्भीरता से लें। मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा हूं जो छींटाकशी हो। इस देश के अन्दर ग्राम पंचायत के पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक और राष्ट्रपति से लेकर के प्राइमरी शिक्षक तक सब यह बात करते हैं कि देश की शिक्षा नीति में बदलाव हो, पाठ्यक्रम में बदलाव हो। लेकिन आजादी के अर्द्धशताब्दी से ज्यादा समय बीत गया उसके बाद भी हम इस पाठ्यक्रम को और शिक्षा नीति को अब तक देश के अनुकूल लाइन पर नहीं ला सके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस बात पर बहुत गम्भीरता से चिंतन करेगा और हम हमारी शिक्षा

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

नीति को इस प्रकार से बनायेंगे जिसमें गांव, गरीब, किसान, अबला, अनाथ, एस.सी., एस.टी. सब का भला हो, देश का साम्प्रदायिक सदभाव फले-फूले, सामाजिक समरसता फले-फूले, देश के अन्दर कोई ऐसा दुराव नहीं हो हमारी शिक्षा की वजह से, यह मैं उम्मीद करता हूं।

अब मैं मेरी बात को लम्बी न करता हुआ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर आता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर को दे दी। अजमेर शिक्षा की दृष्टि से बहुत समृद्ध शहर है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि टैक्नीकल यूनिवर्सिटी आप अजमेर को दें। इससे आपका खर्चा भी बचेगा, आपका खर्चा जो एस्टेब्लिशमेंट का है वह बचेगा, लैण्ड का बचेगा, बिल्डिंग का बचेगा। मैं कहना चाहता हूं कि पालीटैक्नीक कालेज के अन्दर इतनी बिल्डिंग है कि उसमें यदि आप 10-20 कमरे और बनायें तो उसमें आपकी यूनिवर्सिटी चल सकती है।

इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि लोक जुम्बिश के कार्यकर्ताओं को, अनुदेशकों को आपने कहा था कि आप सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर लेंगे। लेकिन आपने अनुदेशक के ऊपर तो समाहित कर लिये और जो 11 हजार अनुदेशक हैं वे आज भी अपनी मांग के लिए पालिश करके, गाड़ियां साफ करके अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वे बहुत अल्प वेतनभोगी हैं, 800 रुपये महीना उनको मिलता है और ये वो लोग हैं जिन्होंने बकरी चराने वाली लड़की को पढ़ाया, बर्तन मांजने वाली लड़की को पढ़ाया, जिसने उस बच्ची को पढ़ाया जो बच्ची स्कूल में नहीं आती थी। उन पर ध्यान दें और उन अनुदेशकों को आप निश्चित रूप से इसमें समाहित करें।

इसके साथ साथ, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षकों की भर्ती में जो कोटा आपने जारी किया था आर.पी.एस.सी. के माध्यम से, उस कोटे को, 2 जून को अखबार में प्रकाशित हुआ उसमें तो परित्यक्ता और विधवाओं के लिए भी 10 प्रतिशत का रिजर्वेशन था और उसकी अन्तिम तारीख 5 जुलाई थी और 4 जुलाई को लोक सेवा आयोग का एक सर्कुलर निकला कि यह भर्ती हम अलग से करेंगे। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि क्योंकि टैक्नीकल बात तो यह थी कि यह सब काम चले हैं सर्कुलर से और सब विधवाओं ने, परित्यक्ताओं ने अपने फार्म भर दिये थे उसी कोटे

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

से तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार सर्कुलर निकाले और इतनी बड़ी भर्ती जो आप 25 हजार टीचर्स की कर रहे हैं उससे वो वंचित न रहे इसका आप ध्यान जरूर रखेंगे ऐसी मुझे आपसे उम्मीद हैं।

एक बात मैं बहुत गम्भीरता से करना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन इस बात को बहुत ध्यान से सुने। स्थानान्तरण नीति और गांवों में ठहराव। यह एक ऐसी समस्या इस देश के अन्दर है कि हम गांव में किसान के बेटे के साथ खिलवाड़ करते हैं। चाहे वह अध्यापक हो, चाहे वो डाक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे बड़े अधिकारी हो, चाहे किसी भी विभाग का सरकार आफिसर हो। वह गांव में ठहरना नहीं चाहता। इसमें सदन एक मत होकर के यह प्रस्ताव पास करे कि हम गांव में ठहरने वाले सरकारी अधिकारी को शहर से ज्यादा भत्ता देंगे ताकि उसका ठहराव हो और कोई भी 9-10 गांव का जैसा आप कलस्टर बना लें ताकि उनको वहां रहने का माहौल मिले, वहां के बच्चों को, वहां की महिलाओं को, वहां के गवर्नमेंट सरवेंट को माहौल मिले। इससे क्या होगा कि गांव के बच्चे जो शिक्षा के अभाव में कम्पीट नहीं कर पाते हैं उनके साथ आप न्याय कर पायेंगे।

इसी प्रकार से जयपुर पालिटेक्निक कालेज के अन्दर बड़े खेद की बात है कि जो विषय दूसरे कालेज में है इलैक्ट्रिकल का विषय है वह जयपुर में नहीं है जबकि जयपुर में इलैक्ट्रिकल के स्टाफ की बहुत मांग है। तो मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जयपुर में पालिटेक्नीकल कालेज के अन्दर इलैक्ट्रिकल विषय अवश्य खोला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : दो मांग और हैं। अजमेर के संस्कृत कालेज के लिए पांच बीघा जमीन सरकार ने निःशुल्क दी हुई है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप शिक्षा प्रेमी भी हैं, उस कालेज के लिए आप बजट दें ताकि उसकी बिल्डिंग बन सके।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पहले सरकार ने विचार किया था कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल को वो पब्लिक स्कूल्स के आधार पर डवलप करके टैस्ट करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोबरा स्कूल अजमेर में है जिसमें बहुत बड़ा ग्राउण्ड है, बहुत बड़ी बिल्डिंग

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

है, उसको आप माडल स्कूल में विकसित करें ताकि हम यह कर सकें कि जिस प्रकार जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ सकें।

अन्तिम बात मेरी यह है कि माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है, एक पांच मिनट की बात और है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, 450 लड़के प्रतिवर्ष एस.सी., एस.टी. के प्राइवेट स्कूलों में भर्ती होते थे जिसका खर्चा सरकार वहन करती थी। सम्भवत: इस साल से सरकार ने वो बन्द कर दिया इससे एस.सी., एस.टी. के लोगों में आक्रोश है। जो योग्य बच्चे कभी डाक्टर बनते, इंजीनियर बनते, वकील बनते, आर.ए.एस. बनते, आई.ए.एस. बनते वो इस अवसर से वंचित रह गये। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उन बच्चों के लिए आप जरूर ध्यान दें।

अन्त में मेरी बात न्याय के ऊपर है कि राजस्थान में अजमेर की बार बहुत बड़ी बार है और अजमेर में बहुत से ए.डी.जे. कोर्ट खुल गये हैं इसलिए अजमेर की बार के पास ज्यादा काम नहीं है तो सम्भाग स्तर के आर्थिक अपराध की कोर्ट अजमेर को दी जाए और अजमेर के कोर्ट के विकास के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम धोद।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण मांग सदन के सामने है और शिक्षा ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, अगर हम तमाम राजस्थान को शिक्षित करने में सफल हो जाएं तो जनसंख्या की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, स्वास्थ्य की समस्या का भी बहुत कुछ समाधान हो जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद में भी राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ा लेकिन पूरे देश के अन्दर अन्य राज्यों के मुकाबले में हम आज भी शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए इसमें जो प्रयास है, मैं समझता हूं कि सरकारी स्तर पर प्रयास कर सम्पूर्ण [illegible] को शिक्षित करने का सवाल है, केवल सरकारी प्रयास [illegible] होगा बल्कि [illegible] पक [illegible]जनीतिक [illegible] है, राजनीति [illegible] लोग [illegible] इस [illegible] के लिए प्रयासरत नहीं होंगे [illegible] चाहे आप एक किलोमीटर पर खोल दें, चाहे आधे

(श्री अमराराम)

किलोमीटर पर खोल दें, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति से राजनीतिक कार्यकर्ता आपका गांव-गांव और मौहल्ले मौहल्ले में जहां वह नितान्त गरीब लोग जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनके लिए सरकारी स्तर के अलावा राजनीतिक रूप से आप और हम सब मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि शिक्षा का वो अचीवमेंट जो राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षर और शिक्षित करने का सपना है, मैं समझता हूं कि कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पायेंगे। चाहे जितने हम स्कूलें खोल दें, महाविद्यालय खोल दें। इसलिए सबसे बड़ा प्रयास और इस बात की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर जो जितने राजनैतिक प्रभावित क्षेत्र हैं और जो भी इस चीज में सबसे अग्रणी है शिक्षा में है उनके डवलपमेंट के आधार पर प्रमुख रूप से यह रही है, उनके राजनैतिक प्रभाव रखने वाले लोगों का सक्रिय रूप से योगदान किया है।

अब दूसरा कहना चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि एक जुलाई से कोई भी विद्यालय में पद रिक्त नहीं रहेगा, और माननीय सदस्यों ने भी कहा है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हर 31 मार्च को।

श्री अमराराम (धोद) : हर 31 मार्च को लेकिन आज तो 23 जुलाई को हम सदन में चर्चा कर रहे हैं और बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनमें एक-एक टीचर भी नहीं है। मैं समझता हूं, यह घोषणाएं हम कितनी ही कर लें, लेकिन इसमें हम कितनी कर पायेंगे और सबसे बड़ी समस्या है, आज हजारों की संख्या में पैराटीचर्स जो हमारे सामने हैं, जिनसे चुनावों में आपने बहुत वायदे किये और उसके बाद वह आपसे मिले भी हैं, हमारी मुख्य मंत्रीजी से मिले हैं। उन्होंने बार-बार कहा, आप निश्चित रूप से जवाब दें, उसमें स्पष्ट करें कि वे चयनित हो जायेंगे, उसके बाद में क्या हालत होगी? आज शिक्षा मंत्रीजी, यह हालत है कि पैराटीचर्स जो राजीव गांधी पाठशालाओं में है, अगर उसमें सरपंच नहीं हटाना चाहते, वह कुछ भी काम नहीं करता है तो, बाकी किसी को भी आज की तारीख में शायद अधिकार नहीं है, पंचायत समिति या बी.ई.ओ. या डी.ई.ओ. कोई कुछ उसका नहीं कर सकते, चाहे जिस तरह से हो, अगर सरपंच यह नहीं चाहता है कि काम ठीक से नहीं करता है, उसको हटाने का पावर आज किसी को नहीं है और उसमें बाद में आप किस तरह से लगाएंगे।

एक मेरा निवेदन है जो 1998 में चयनित शिक्षक थे, सुप्रीम कोर्ट से भी हो

(श्री अमराराम)

गया, हाई कोर्ट से भी हो गया और सबसे हो गया। उसके बाद कहना चाहता हूं, उसकी प्रक्रिया जो है, जो आर.पी.एस.सी. से मांगे हैं, उनमें विलम्ब बहुत होगा। कम से कम वह शिक्षक जो बहुत लम्बे समय से आपके बीच में है, ट्रेंड हैं, आपकी चयन सूची में है तो कम से कम आप हाई कोर्ट के अनुसार उनको नहीं हटायें। और जो आपने जिला वाइज दिये थे उनको हटाना है तो कम से कम जो लास्ट जो जिले में लगा है, उससे ऊपर की मेरिट में है, कम से कम उनको तो यह अधिकार है कि उनको तो कम से कम निश्चित रूप से देना चाहिए।

एक मेरा आपसे निवेदन है, शिक्षा में जितनी भी हम स्कूलों को क्रमोन्नत करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजन आपकी सरकार में है और पूर्ववर्ती सरकार में भी था, और अब भी है कि उसमें से 10 प्रतिशत विद्यालय संस्कृत के होंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, राजस्थान में 78 से 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। हम जितने भी स्कूल खोलें, कम से कम आपको यह तय करना चाहिए कि जितने भी स्कूल हम सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करें, उनमें से 25 प्रतिशत ग्रामीण इलाके में जितने भी स्कूल हैं उनमें 25 प्रतिशत स्कूलों में कृषि विषय खोलेंगे तो कम से कम जो हमारे परिवार का सदस्य है, आज नौकरी कहीं नहीं है। लेकिन किताबी ज्ञान के साथ-साथ अगर कृषि का ज्ञान अगर सीनियर हायर सैकण्डरी तक भी मिलेगा तो निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हम कह रहे हैं कि कृषि की आधुनिक तकनीक का एक रेशो तय करना चाहिए और जो ग्रामीण विद्यालयों में से ऐसे विद्यालय हैं जहां वह सुविधा जुटाने के लिए गांव वाले तैयार भी हैं तो कृषि को निश्चित रूप से जो ग्रामीण विद्यालय को आप सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करें। उनमें 25 प्रतिशत विद्यालयों में कृषि संकाय के रूप में निश्चित रूप से क्रमोन्नत करने का कष्ट करेंगे तो मैं समझता हूं, उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज स्कूल एजुकेशन और कालेज एजुकेशन तक बराबर की प्राइवेट, निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं, अपने विद्यालयों को आंकलन करेंगे तो निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में करीब-करीब बहुत नजदीक चला गया है लेकिन इस बात को तो स्वागत है कि वे इसमें सहयोग कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। लेकिन सरकार का कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिए। जहां हमारा इतना शिक्षक वर्ग है जो सरकारी में है, अनुदानित में है, उनके लिए हमने कानून बना रखा है। उनके लिए कंट्रोल करने के

(श्री अमराराम)

लिए केवल हमारे पास एक हथियार है, कहीं भी अनियमितता है तो उसकी हम मान्यता खतम कर दें। लेकिन उनके जो कर्मचारी हैं, उन विद्यार्थियों के अभिभावक हैं, अकेले जयपुर में उनके अभिभावकों ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया है, आपने जांच के आदेश भी दिये हैं लेकिन आज कोई भी नियंत्रण नहीं है। आज हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों में आधी जनसंख्या निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ रही हैं। उनके ऊपर सरकार को कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए आज नहीं तो आगे चलकर आप इसका कोई भी एक्ट लायें जिससे सरकार का नियंत्रण हो और निश्चित रूप से केवल सरकार नहीं कर सकती है, निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन सरकार का इस पर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो।

आज हमने मिनिमम वेज बढ़ाये हैं 13 रुपये और वह 13 रुपये मिनिमम वेज भी, बहुत से विद्यालय हैं जो बेरोजगारी का फायदा उठाकर वह मिनिमम वेज भी निजी शिक्षण संस्थाएं नहीं दे रही हैं। न उनका पी.एफ. है। आज आप अंदाजा कीजिये कि वह पूरी उम्र के बाद में, आगे की लाइफ के लिए, 60 साल पूरी करने के बाद उनका क्या होगा? न कोई उनका पी.एफ. है, न अन्य कोई सुविधा है, किसी भी तरह से कोई एजुकेशन करना चाहिए। मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज सबसे बड़ी आप मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं। पिछली सरकार ने भी 3-4 यूनिवर्सिटी खोले लेकिन हालात क्या है उन यूनिवर्सिटीज की? न कर्मचारी है, न भवन है। आप मेडिकल यूनिवर्सिटी और खोल दो। खोल दें, बहुत बढ़िया बात है लेकिन क्या हमने जितनी भी यूनिवर्सिटी खोली हैं, राजस्थान में क्या उनको हम उनके लिए स्टाफ और भवन की व्यवस्था कर पा रहे हैं? बीकानेर विश्वविद्यालयों में तमाम डेपुटेशन पर लगे हुए हैं। शायद यह हालत बीकानेर विश्वविद्यालय की नहीं, तमाम यूनिवर्सिटी की हालत होगी। शायद संस्कृत को तो आपने कर दिया होगा, मैं कह नहीं सकता, बाकी विश्वविद्यालय जितने भी खोले हैं, उनकी हालत बहुत ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये। यह आपको तो कई बार कहने का मौका मिलता रहता है। आप समाप्त करें। श्रीमती राजकुमारी शर्मा। अमरारामजी बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : अभी समाप्त कर देता हूं। इसलिए मैं तो आपसे लास्टली निवेदन करना चाहता हूं। विश्वविद्यालयों में एडमिशनों की हालत यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि 67 प्रतिशत लाये हुए हैं उनका भी एडमिशन नहीं हो रहा है

(श्री अमराराम)

और एक मैं सीकर के कालेज के बारे में, मैं समझता हूं, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान का सबसे बड़ा महाविद्यालय है जिसमें 8000 के करीब विद्यार्थी हैं जहां...

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य को बोल दीजिये कि सीकर के लिए मैं काफी हूं बोलने के लिए।

श्री अमराराम (धोद) : वहां पढ़कर आ रहे हैं क्योंकि मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आपके भवन का विस्तार करके अलग से महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार निश्चित रूप से उसमें कुछ घोषणा करें।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर मेरा क्षेत्र है, सीकर के लिए बोलने के लिए मैं काफी हूं. आप बिराजें।

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी, बैठिये। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद) : इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एक लास्टली निवेदन करना चाहता हूं, यह विनोदिनी महाविद्यालय खेतड़ी है जिसमें इतनी अनिमितताएं हैं, जिसमें आज तक करोड़ों रुपये की अनियमितताएं हैं। और उन अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले 10 लैक्चरर्स को उन्होंने सस्पैण्ड कर दिया है। आज तक आपने कुछ नहीं किया। जब मुख्य मंत्रीजी ने आदेश जारी कर दिये, फिर भी उस पर प्रशासक नहीं लगाया, इसका क्या कारण है? जो करोड़ों रुपये का चूना लगा दे, 90 प्रतिशत, उपाध्यक्ष महोदय, सब जांच हो गई, आपके विभाग के द्वारा, करोड़ों रुपये में उसमें घपला पकड़ा गया, उसके बाद भी आज तक विनोदिनी महाविद्यालय के ऊपर प्रशासक आपने क्यों नहीं लगाया? उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया बोलने के लिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती राजकुमारी शर्मा।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आपने जितने भी स्कूलों को क्रमोन्नत की है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे कालेज और सीकर के हमारे स्कूल पर आती हूं। सीकर का महाविद्यालय शिक्षा मंत्रीजी

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

का खुद का भी महाविद्यालय है। सीकर इनसे कोई अनजान नहीं है। बहुत सारी बातें नहीं कहकर मैं सीकर के महाविद्यालय जो अपना श्री कल्याण कालेज है, उसमें 7500 लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। जिसमें ला कालेज भी चलता है, साइंस का भी है, कामर्स का भी है। जो यह महाविद्यालय है, मैं तो लड़कियों के लिए महाविद्यालय की घोषणा आपसे करवाना चाहती हूं लेकिन मेरा मानना यह है कि यहां पर आये दिन राजनीति प्रभावित होकर यहां दंगे बहुत होते ही रहते हैं। यह कालेज आपसे कोई छिपा हुआ नहीं है। इस कालेज में एक तो आप चुनाव बन्द करवा दीजिये। यहां बच्चियों की संख्या भी बहुत हैं कालेज में...

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्या, अगर चुनाव बन्द हो गये तो आप और हम कहां जायेंगे?

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : कालेज के चुनाव बन्द करवा दीजिये। वहां बच्चियां भी बहुत हैं। यह महाविद्यालय तो आप लड़कियों के लिए इसको दान के रूप में दे दीजिये। मगर मैं एक महिला हूं, इसके लिए घोषणा कर दीजिये। जो लड़के हैं, इनको आप हमारे तोंदी नगर में इसके लिए एक भवन के लिए आप घोषणा करवा दीजिये जो वहां चले जाएं। आये दिन बहुत दंगे होते रहते हैं और बच्चियों ने मुझे इसलिए चुनकर भी भेजा है, आप भी सीकर के जन्मे हो और उसी कालेज में पढ़े हो...

एक माननीय सदस्य : अमरारामजी भी पढ़े हैं।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : अमरारामजी दंगे भले ही करवा दें वहां पर। कम्युनिस्ट हैं ना। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अब ये सीकर से चुनाव लड़ेंगे, धोद तो रिजर्व हो रही है।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : तो और ज्यादा दंगे हो जायेंगे। मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह कहना चाहती हूं, मेरे यहां एक ही संस्कृत स्कूल है पलासिया में, पिपराली पंचायत समिति में, आप इसको 8वीं तक या 10वीं तक क्रमोन्नत करने की कृपा करें।

(20.31 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

जो मेरा पहाड़ी क्षेत्र है माननीय शिक्षा मंत्रीजी, वह आपसे बिलकुल छिपा नहीं है, आप वहां से तीन-तीन बार जीत कर आये हैं। उसकी बच्चियां, अभी तक वहां साधनविहीन

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

हैं, उनकी बच्चियां सीकर नहीं आ सकती हैं। जितनी भी आठवीं तक की स्कूलें हैं, आप उनको क्रमोन्नत करने की कृपा करें। मैं एक महिला हूं, उन बच्चियों की मां हूं, इसलिए आपसे विनती करती हूं। एक हमारे यहां मारू विद्यालय है, मारू विद्यालय बच्चियों का सबसे बड़ा विद्यालय है, जो आपको पता है, उसमें बहुत सारे पद रिक्त हैं और बहुत सारी कमियां हैं तो आपको मैं लिखित में दे दूंगी, आप उसको पूरा करने की कृपा करें। मेरी लड़कियों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, हमारे लिये एक महिला विद्यालय की छाप अभी सदन में घोषणा कर दीजिये। गुंगारा और हरदयालपुरा में पंचायत समिति से एक प्रस्ताव मंगाया है, तो हरदयालपुरा में जो स्कूल बहुत पुराना है उसको आप क्रमोन्नत करने की कृपा करें। यहां पर जो रिक्त पद हैं, हमारे कल्याण कालेज में बहुत सारे पद रिक्त हैं, उसकी मैं सूची आपको सदन में दे दूंगी, उसकी ज्यादा बातें करने से तो समय बहुत हो रहा है और यह कोई नया तो आपके लिए क्षेत्र है नहीं, इसलिए मेरी एक विनती है लड़कियों के कालेज के लिए। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब करवाओ साहब। शिक्षा मंत्रीजी से दिलाओ साहब। हम कह रहे हैं, दोनों पक्ष कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : एक मिनट के लिए। आपका एक मिनट से ज्यादा समय लूं तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे अब। अध्यक्ष महोदय, मात्र दो मिनट।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, वह भी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि माननीय मंत्रीजी पकड़ में नहीं आते हैं, ट्रांसफर वाले घेरे रहते हैं। मेरा तो एक इतना सा निवेदन है मंत्री महोदय, रामगढ़, अलवर में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय जो है वह अलवर में कार्यरत है और उस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में सिर्फ रामगढ़ थाने के मुकदमे सुने जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको शिफ्ट रामगढ़ कर दीजिये क्योंकि एस.डी.ओ. भी है वहां ताकि वकीलों का भी थोड़ा काम चल जाय और जनता को सुविधा मिले, उसकी बिल्डिंग भी वहां उपलब्ध है, आपको सिर्फ अलवर से उसको स्थानान्तरित रामगढ़ में करना है। इतनी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता था।

(श्री जुबेर खान)

और अगर सम्भव हो सके, करना बहुत कठिन है, अगर आपके माननीय सदस्य और आपकी पार्टी के लोग हो जाने दें तो ऐतिहासिक काम कर जाइये कि शिक्षकों और छात्रों का रेश्यो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप सुधार कर सकें तो यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह दो निवेदन आपसे करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : डा. जालमसिंह रावलोत।

श्री बद्रीलाल जाट : है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : है नहीं, ठीक है तो फिर जवाब दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट के लिए हमारे तकनीकी शिक्षा के लिए देवनानीजी कहेंगे कुछ।

श्री अध्यक्ष : कौन बोलेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य मंत्रीजी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहली बार बोल रहे हैं मंत्रीजी, बोलने दो न।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आप बोल चुके हैं मिस्टर भंवरलाल राजपुरोहित। आप बोल चुके हैं इसलिए बोलने के बाद दोबारा फिर नहीं नम्बर आता।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : मांग संख्या 6 के ऊपर मुझे एक कोर्ट के बारे में, सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोल चुके हैं साहब।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : तीस सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, दोबारा थोड़े अवसर मिलता है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग पर पहली बार मेरे को विधान सभा में बोलने का यह

(श्री वासुदेव देवनानी)

अवसर मेल रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज प्रात:काल से शिक्षा के मुद्दे पर कई विद्वान सम्माननीय अपने सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। कई सुझाव भी आये, हालांकि तकनीकी शिक्षा पर जितने सुझाव आने चाहिए थे, मुझे लगा कुछ कम आये लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आये जिनका मैं निश्चित रूप से आदर करता हूं। और उन पर गम्भीरता से विचार करूंगा। अपनी शिक्षा में तकनीकी शिक्षा का एक विशेष महत्व है। देश के विकास में जितनी अपनी श्रमशक्ति है यदि उसकी तकनीकी दक्षता जितनी अधिक प्रतिशत बढ़ेगी उतना ही देश का विकास होगा। आज विश्व के देशों में श्रमशक्ति का साठ से अस्सी प्रतिशत लोग तकनीकी दक्षता प्राप्त हैं इसलिए विकसित राष्ट्र हैं। अपने देश में, भारत में यह प्रतिशत केवल 5.6 है जबकि राजस्थान तो पिछड़े राज्यों में होने के कारण इसका वह प्रतिशत 3 है। इसलिए यहां की तकनीकी शिक्षा के विकास की आवश्यकता है इसलिए इस सारी शिक्षा को मैंने आठ सूत्रीय मुद्दों को सोचकर बनाया है जिसमें इस तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो, वर्तमान तकनीकी इंस्टीट्यूशंस का सुदृढ़ीकरण हो, इसकी गुणवत्ता बढ़े। पाठ्यक्रमों में युगानुकूल पाठ्यक्रम बदले जायं, ग्रामीणों को तकनीकी ज्ञान मिले और ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम हो और यह नये नये क्षेत्रों में प्रारम्भ हो। इन सारे आठ बिन्दुओं को लेकर यह सारी योजना और बजट आपके सामने है। विस्तार की दृष्टि से एक समय था जब राजस्थान में केवल तीन ही इन्जीनियरिंग कालेज थे और आज इन्जीनियरिंग कालेज बढ़कर 14 हो गई हैं और आज शायद राजस्थान में ऐसा कोई विद्यार्थी, इच्छुक विद्यार्थी नहीं बचा जिसको कि इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश नहीं मिले। इस बार पी.ई.टी. में 14187 विद्यार्थी बैठे, उसमें सीटें 13955 हैं इस तरह एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं बचेगा जिसको कि प्रवेश नहीं मिले। इसी आधार पर बाकी में भी शिक्षा का विस्तार हुआ है जिसमें इस बार पांच नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोले गये हैं और बाकी अभियांत्रिकी विद्यालयों में मिलाकर 3330 स्थानों की वृद्धि की गई है। नये वि .यों की दृष्टि से हमने पांच नये वि .य भी इस बार इंजीनियरिंग कालेज में शुरू किये हैं। परम्परागत विषय तो वर्षों से चल रहे हैं लेकिन फैशन टेक्नालाजी, आटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, इण्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग एण्ड मेनेजमेंट एण्ड एप्लाइड इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन पांच विषयों में डिग्री के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इसके अलावा हमने इस बार पालीटेक्निक में कई डिप्लोमा के नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये हैं। इस दृष्टि से पैरा मेडिकल टेक्नालाजी

(श्री वासुदेव देवनानी)

विषय के रोजगार के अवसरों की दृष्टि से प्रारम्भ करने की योजना बनाई है, इसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। इसके अलावा फूड टेक्नालाजी है, टूरिस्ट गाइड है, एग्रो प्रोसेसिंग है, हैण्डीक्राफ्ट है तथा परम्परागत जो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं उनकी दृष्टि से नये रोजगार के अवसर सामने आयें इसलिए यह विस्तार की योजना बनी है। इस बार पन्द्रह नये एम.बी.ए. के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। पहले से संचालित चार एम.बी.ए. पाठ्यक्रमों की भी प्रवेश क्षमता बढ़ी है इसलिए कुल मिलाकर अब 2350 एम.बी.ए. के लिए स्थान हो गये। जब कभी एम.बी.ए. में एडमिशन ही बड़े दूभर होते थे, आज उन योग्य अभ्यर्थियों के लिए अवसर उपलब्ध है। इसी तरह आठ नये बी-फार्मेसी कालेज की अनुमति इस बार प्रदान की गई है जिसमें 480 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है और इस समय 1100 स्थान उपलब्ध हैं। आई.टी.आई. के बारे में चर्चा चली कि हर जगह आई.टी.आई. हो। इस बार 19 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं, जिसका शायद राजस्थान में, मैं समझता हूं बहुत राज्यों में अग्रणी है जिससे 15144 छात्रों को यह शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। इसमें कई नये पाठ्यक्रम भी जोड़े गये हैं। इसके अलावा पैसे की सरकार के पास कमी रहती है इसलिए हमने एक नई स्कीम प्रारम्भ की है औद्योगिक संस्थान सहभागिता योजना, उसमें आई.टी.आई. में जो अवसर उपलब्ध हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, उद्योग उसका उपयोग करें और साथ में वहां के पाठ्यक्रमों को वह सपोर्ट दें इसीलिए हमने ग्यारह ऐसे प्रस्तावों को, राज्य सरकार ने इस बार 2004 और 2005 में इसकी स्वीकृति प्रदान की है। यह एक नया प्रयोग है, मुझे लगता है इससे कालेजों की वृद्धि हो पायेगी।

इसके साथ ही गुणवत्ता की दृष्टि से कालेजों का सुदृढ़ीकरण हो, इसलिए वर्तमान पाठ्यक्रमों में कुछ बदलाव भी लाया गया है, वहां पर कुछ इक्यूपमेंट्स नये आये हैं, छात्रों का हित हो। इस बार पी.ई.टी. के लिए भी हमने प्रवेश की प्रक्रिया एक नई प्रारम्भ की। अब तक काउंसलिंग जो हुआ करती थी, सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज अपना टेन्ट लगाते थे, हर छात्र से बात करते थे, इस बार चूंकि अब टेक्नालाजी का युग है, हमने कम्प्यूटर से इसकी काउंसलिंग की है। हर लड़के को आप्शन फार्म दिया, उसमें दो सौ आप्शन थे, उसमें उसको देकर के एक निश्चित तिथि तक भरकर के वह दे रहा है, कम्प्यूटर में फीड करते ही उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार जो भी वह ब्रांच और कालेज के लिए योग्य है, उसमें उसको घर बैठे प्रवेश मिल जायेगा, उसको कहीं भी चलकर आने की आवश्यकता नहीं है। यह हमने एक नया प्रयोग इसमें शुरू किया है। इसके अलावा ग्रामीण तकनीकी ज्ञान की

(श्री वासुदेव देवनानी)

दृष्टि से सी.पी.डब्ल्यू., कम्युनिटी पालिटेक्निक योजना, केन्द्र सरकार की योजना कई पोलिटेन्कि में विद्यमान है। साथ में अप्रेंटिस योजना भी है कम्युनिटी पालीटेक्निक योजना में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसके गांव में ही उसको अल्पावधि प्रशिक्षण देने की योजना है जहां पर कहीं भी 15-20 लड़के इस शिक्षण के प्रशिक्षण के योग्य होंगे और वो चाहेंगे कि हमको प्रशिक्षण मिले तो वहां जाकर उनको तीन से 6 महीने के पाठ्यक्रमों द्वारा कई टेक्नालाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे स्वरोजगार की योजंना आगे बढ़ सके। वे सीख करके अपना ज्ञान बढ़ाये तकनीकी क्षमता बढ़ाये और इस क्रम में जैसे टीवी रिपेयर है उसको 6 महीने का पाठ्यक्रम पढ़ायेंगे इससे वो गांव में टीवी रिपेयर कर सकता है उससे कुछ रोजगार के अवसर उसको उपलब्ध हो सकते हैं इस प्रकार उसकी योग्यता में वृद्धि करने की हमने योजना बनायी है। इसके अलावा कई बार ये जो नये तकनीकी महाविद्यालय और आई.टी.आईज खुलती हैं, एक ही स्थान पर अधिक खुलती हैं यह पहली बार है कि कुछ नये ग्रामीण और छोटे स्थानों पर भी खोले जा रहे हैं जिसमें कोटपूतली में एक निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला जा रहा है जो कि एक छोटा स्थान है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम अलवर में शुरू किया जा रहा है। अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक-एक एम.बी.ए. संस्थान प्रारम्भ हो रहे हैं। सारी इन नयी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के प्रारम्भ होने से निजी क्षेत्र में 160 करोड़ का निवेश होगा जिसके कारण से दो हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 6 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। राजस्थान में इससे एक नया इतिहास कायम होने जा रहा है तकनीकी शिक्षा में, इसके अलावा इन्जीनियरिंग कालेज जो 44 खुले हैं इसमें गुणवत्ता में सुधार आये इसलिए तकनीकी विश्वविद्यालय की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में की है। विस्तार से माननीय शिक्षा मंत्रीजी इसके बारे में बतायेंगे कि इसके तहत जो अलग-अलग इंजीनियरिंग कालेजों में जिस प्रकार से पाठ्यक्रम चल रहे थे परीक्षा पद्धति चल रही थी उसमें एक रूप देने के लिए राजस्थान में वर्षो से आवश्यकता थी। मैं निश्चित रूप से आभार प्रकट करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने इस वर्ष इस बजट में इसका प्रावधान रखकर इसकी योजना की घोषणा करके राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देने की घोषणा की है। कुछ माननीय सदस्यों ने और कुछ कटमोशंस में इस प्रकार की चर्चा आयी है कि प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस में फीस का उन्होंने जिक्र किया है। कुछ बातें प्रवेश के बारे में कही है। इसमें प्रवेश आल इण्डिया कौन्सिल आफ टैक्निकल

(श्री वासुदेव देवनानी)

एजुकेशन के द्वारा दिये गये निर्देशों के आधार पर दिये जाते हैं जिसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हैं उसमें 15% सीटें तो ए.आई.ई.ई.ई. के माध्यम से दिये जाते हैं और बाकी 85% राज्य के लोगों को मिलते हैं जो निजी हैं उसमें 15% ए.आई.ई.ई.ई. के हैं और 15% का मैनेजमेंट कोटा है बाकी 70% अपने राजस्थान की आर.पी.ई.टी. की मैरिट के अनुसार दिये जाते हैं। फीस के बारे में भी जैसा बताया कि इस्लामी एकेडमी आफ कर्नाटक के मुकदमे के बाद जो एक निर्देश जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायधिपति पी.के. तिवारी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति थी उसने फीस स्ट्रक्चर की घोषणा की उसके आधार पर सारे प्राइवेट कालेजेज और ये निश्चित रूप से उसके लिए प्रतिबद्धतता हैं उनकी कि उसके अनुसार ही फीस लेंगे इस प्रकार यदि किसी की शिकायत आने पर कठोर कार्यवाही करने का भी प्रावधान है इसलिए वह जो 41 हजार उसकी फीस तय है वह उन्होंने ही तय कर रखी है 2004-05 में यह समिति अपने सुझाव देने वाली है। अभी अंतरिम रूप से वही फीस रखी गयी है जो पिछले वर्ष चालू थी इसके बाद जैसे ही नई फीस के प्रस्ताव आऐंगे, तीन वर्ष तक इसके सम्बन्ध में जारी रहेगा। फिर पिछले दिनों एक बात और आयी कि कुछ निजी विश्वविद्यालयों ने बाहर से यहां पर विज्ञापन प्रकाशित करके कुछ यहां पर कोर्सेज चलाने की योजना बनायी है जो कि नियम विरुद्ध है। इसके लिए उनको नोटिसेज भी दिये गये हैं। इन्हें यू.जी.सी. के जारी एस्टाब्लिशमेंट एण्ड मेंटीनेंस आफ स्टेण्डर्डस इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन, 2003 के अन्तर्गत हमने परीक्षण करके विधि विभाग से इन विश्वविद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया है। ताकि राजस्थान में कोई भी इस प्रकार तकनीकी शिक्षा के नाम पर बाहर का कोई विश्वविद्यालय अनआथोराइज्ड आकर के राजस्थान के विद्यार्थियों को भ्रमित न कर सकें, वह सही संख्याओं में शिक्षा ले सके उसके लिए प्रावधान हमारी सरकार ने किया है।

इसके अलावा राजस्थान में पालिटैक्निक शिक्षा में कुछ गुणवत्ता में सुधार हो इसकी दृष्टि से सभी पालिटैक्निक संस्थानों में इन्टरनेट सुविधा विकसित करने की दृष्टि से उनको क्रमोन्नत किया जाएगा। इस हेतु प्रथम चरण में 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा मण्डल में ई.गवर्नेंस विकसित करने हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। इस हेतु भी 12 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। नियोजन की क्षमताओं के संवर्द्धन की दृष्टि से राज्य के तीन पालिटैक्निक

(श्री वासुदेव देवनानी)

जोधपुर, अजमेर और राजकीय महिला पालिटैक्निक, जयपुर में हमने तीन कम्प्यूटर आटोमोबाइल एण्ड कास्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्रों का चयन किया है। इसके अलावा विकलांग छात्रों के लिए केन्द्रीय सरकार की विशे . योजना में जिसके अन्तर्गत तीन संस्थानों के मुख्य वि .यों में 25 अतिरिक्त प्रवेश स्थानों का सृजन किया गया है और इनके लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाएंगे इसके लिए राज्य सरकार ने 25 लाख रूपये का प्रावधान रखा है। वर्तमान में राजकीय पालिटैक्निक चूरू के छात्रों को बीकानेर में अध्ययन कराया जा रहा है उनको इसकी दृष्टि से 2004-05 में पालिटैक्निक भवन निर्माण, प्रयोगशालाओं को विकसित करने तथा पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 101 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। तकनीकी शिक्षा के विस्तार एवं मानक स्तर की शिक्षण सुविधाएं विकसित करने की दृष्टि से हम कुछ आई.टी.आई. शाखाओं में भी इसके कुछ नये आयाम रचने जा रहे हैं। जिसके आधार पर झालावाड में कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का नया व्यवसाय प्रारम्भ किया जाएगा। इस हेतु 17.7 लाख का प्रावधान रखा गया है। जोधपुर, आमेर, थानागाजी, सुजानगढ़, ब्यावर तथा बीकानेर, महिला आई.टी.आई., जयपुर व कोटा में डाटा प्रिपेरेशन कम साफ्टवेयर व्यवसाय कम्प्यूटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय में क्रमोन्नत किया जाएगा जिसके लिए वर्ष 2004 -2005 में 18.3 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जोधपुर, कोटा, बीकानेर तथा महिला, जयपुर में इन्फोर्मेशन टेक्नालाजी एण्ड इलेक्ट्रोनिक सिस्टम मेंटीनेंस का नया व्यवसाय प्रारम्भ किया जाएगा जिसके लिए 11.3 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से आई.टी.आइज में 50 नयी इकाइयां स्थापित की जाएंगी जिससे प्रवेश क्षमता में 800 की वृद्धि होगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : बैठाइये अब इनको। बहुत अच्छा जवाब दे दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लिया बहुत अच्छा है।

श्री वासुदेव देवनानी : 5 मिनट केवल और। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो...

मोहम्मद माहिर आजाद : राजेन्द्रजी, 9 बजे चले जाएंगे हम जो बच रहे हैं वो भी।

श्री वासुदेव देवनानी : शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ व्यवस्थाएं

(श्री वासुदेव देवनानी)

की गयी हैं। मैं सोच रहा हूं कि पूरा...। गुणवत्ता में सुधार हो इसके लिए जो विद्यार्थी पालिटैक्निक और आई.टी.आई. और इंजीनियरिंग कालेज में से निकले उसकी तकनीकी क्षमता अच्छी भी हो जिससे वह उद्योग में समाहित हो सके। इसके लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हमने कुछ निर्णय किये हैं जिससे गुणवत्ता सुधार के लिए प्रत्येक तकनीकी शिक्षण संस्था का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाए और एक बार उस संस्था का वार्षिक मूल्याकन किया जाए जिसके आधार पर उसमें जो कुछ कमियां पायी जाए वे ठीक की जा सकें और जवाबदेही भी निश्चित की जा सके। पाठ्यक्रमों के नवीनीकरण, कई बार लगता है कि नई टैक्नालाजी इतनी उपलब्ध हो गयी है, हमारी संस्थाओं में जो पुराने कोर्सेज और पुराने पाठ्यक्रम चल रहे हैं उनसे बहुत जल्दी इन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम समितियों की मीटिंग कराके इसमें पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण कराया जायेगा जैसे कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में पुराना कोर्स है। बहुत सारी उसमें नयी चीजें आ गयी हैं तथा इसी तरह से आई.टी. टैक्नालाजी है, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें पाठ्यक्रमों में नवीन पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे। कुछ उसमें बदलाव लाने की योजना है। इसके अलावा गुणवत्ता के लिए नेशनल बोर्ड आफ एक्रेडिशन से भी 1986 से पहले जितने भी पालिटैक्निकल हैं उनका उनसे हम निर्धारिण करवाएंगे ताकि उनसे प्रत्यायन एक्रेडिशन कराया जा सके। इसी तरह से आई.टी.आई. जितने हैं कई आई.टी.आईज एस.ई.बी.टी. के हैं उनको एन.सी.बी.टी. में बदलवाने के लिए प्रयास करेंगे ताकि वे लोग सारे देश में रोजगार प्राप्त कर सकें इसकी कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : कला और संस्कृति मंत्री भी तो बोलेंगी।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जिले में एक शहीद हो गये हैं उनके नाम से मैं उस स्कूल का नामकरण करने का निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय को एक फलाड़ा में शहीद हो गये हैं (व्यवधान)...उनके नाम से स्कूल की जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय। जवाब हो रहा है। क्या बोलेंगे जवाब में? क्या बोलेंगे?

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : एक ए.डी.जे. कोर्ट, दूसरा ए.डी.जे. कोर्ट मकराना में खुले...(व्यवधान) ए.डी.जे. कोर्ट की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, कला संस्कृति मंत्री नहीं बोलेंगी क्या?

श्री बंसीलाल खटीक :...(व्यवधान)...महाविद्यालयों में यह रैगिंग बन्द होनी चाहिए रैगिंग। महाविद्यालयों में रैगिंग...।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कला और संस्कृति मंत्री बोलना चाहेंगी क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बाद में बोलेंगी।

श्री अध्यक्ष : कला और संस्कृति मंत्रीजी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहेंगी?...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं यह माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि सिरोही, जालौर, बाड़मेर, पाली आदि के लिए कुछ तकनीकी बजट दिया है क्या?

श्रीमती उषा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि राजस्थान में कला एवं संस्कृति की समस्त संस्थाओं को एक विभाग के अन्तर्गत लेने की पहल करते हुए वर्ष 1982 में कला एवं संस्कृति विभाग का गठन किया गया था। यह चार विभाग कला एवं संस्कृति विभाग के नियंत्रण में निलम्बित है और चार विभाग कला एवं संस्कृति अकादमी में कार्यरत हैं। मैं आपको जो अभी तक हमारी 6 महीने की उपलब्धियां हैं और आगे की जो हमारी योजनाएं हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह बहुत गलत बात है। आप बोलने दें मंत्रीजी को।

श्रीमती उषा पूनिया : You may not like it but you have to hear. इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि रवीन्द्र मंच के कुछ सवाल प्रतिपक्ष के नेता द्वारा भी किये गये थे मैं उनके आपको जवाब दे देती हूं। जवाहर कला केन्द्र को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में विधिवत स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के तहत इसका पंजीकरण हो चुका है। जवाहर कला केन्द्र में दो स्थाई म्युजियम अलंकार स्फटिक कार्यरत हैं। इसके अलावा 6 अन्य

(श्रीमती उषा पूनिया)

कला दीर्घाएं भी हैं जिसमें समय-समय पर राज्य के, देश के व विदेश के कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शित की जाती रही है। जवाहर कला केन्द्र के कार्य संचालन व कार्यक्रम आयोजन में विभिन्न सम्बन्धित कलाकारों को सहायता व परामर्श भी दिया जाता है। जवाहर कला केन्द्र के वर्तमान निदेशक रंग मंच के अपने पद पर लगभग 12 वर्ष से कार्यरत हैं जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के शासन के दौरान रहा है। उनकी निरन्तरता का प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन है एवं उचित निर्णय शीघ्र लिया जायेगा। बाकी जो सवाल होंगे उनका हम लिखित में जवाब भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री. अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला एवं संस्कृति मांग संख्या 24, न्याय प्रशासन मांग संख्या 6 पर 206 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 30 माननीय सदस्यों ने आज अपने विचार व्यक्त किये हैं। कटौती प्रस्ताव सभी प्रस्तुत किये हुए मानते हुए उनका जवाब मैं 48 घण्टों में माननीय सदस्यों के पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की डिबेट वास्तव में शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका रास्ता सुझाने और रास्ता निकालने पर केन्द्रीत रही हैं। इसके लिये मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज प्रसन्नता हुई कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय बी.डी. कल्ला साहब ने एक शिक्षक के नाते मुझे ट्रेंड करने की कोशिश की, इसके लिये मैं उनका स्वागत करता हूं और मुझे दूसरी खुशी हुई कि हमारे नौजवान मित्र संयम लोढ़ा ने आज उसी प्रकार के रूप का प्रदर्शन किया जो कभी 80 और 85 के बीच मैं विधान सभा में किया करता था। आज उन्होंने बड़े जोश-खरोश के साथ अपने विचार रखे, उसके लिये मैं उनका भी आभार और सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि जब मैं शिक्षा विभाग में आया तो मैं थोड़ा असमंजस में था क्योंकि हमारे गुलाबचन्दजी कटारिया यहां बैठे हैं वह पांच साल तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, कल्ला साहब रहे हैं, आज जोशीजी नहीं है वह भी रहे हैं, शिवचरणजी माथुर साहब भी रहे हैं। बहुत लोग शिक्षा मंत्री रहे हैं लेकिन इन लोगों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का सौभाग्य रहा है कि यह शिक्षक होने के बाद शिक्षा मंत्री बने। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सौभाग्य नहीं रहा, मैं शिक्षक नहीं रहा कभी। इसलिए हमारे जितने भी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं वह शिक्षक के नाते मुझे ट्रेंड करते रहते हैं, यह भी मेरा सौभाग्य है। यह पास में बैठे-बैठे करते हैं, वह .सामने से करते रहते हैं। इनसे भी जो कुछ मैंने सीखा है मैं समझता हूं कि मेरा सौभाग्य है।

अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के बारे में मैं दो बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 6 महीनों में 1000 आदमी का आप औसत मानिए या 800 का, उनसे मैं रोज मिला हूं। 52 हजार प्रार्थना पत्र भिन्न-भिन्न स्थानों से मेरे पास आये हैं जिन पर मैंने हाथ से नोट लगाये हैं और आज वह मेरे पास कम्प्युटराइज्ड हैं। इसका कारण यह है कि इस विभाग का व्यास कितना है वह मैं पहले आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा। 41 अरब रुपये का बजट है, 39 अरब तो हम यहां से पारित करा रहे हैं, 2 अरब रुपये भिन्न संस्थानों के माध्यम से इस पर खर्च होते हैं। लेकिन आप देखिए 69008 इतनी तो हमारी विद्यालय हैं पहली से लेकर बारहवीं तक। इसमें 1 करोड़ और 41 लाख हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 5 करोड़ 36 लाख की जनसंख्या राजस्थान की और 1 करोड़ 41 लाख बच्चे पहली से लेकर बारहवीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। फिर उनके अभिभावक, फिर उनके अध्यापक। यह इतना बड़ा व्यास जो शिक्षा का है इसलिए जो शिक्षा मंत्री होगा वह इतने लोगों से डाइरेक्ट टच में या किसी न किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध हो जायेगा, यह इतना बड़ा विभाग का व्यास है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह केवल कर्मचारियों के हिसाब से अगर देखें तो 2 लाख 62 हजार 33 हमारे अध्यापक हैं। उन अध्यापकों में जो हमारे पास रिक्त पद हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं 54161 आज के दिन पद रिक्त है। 2 लाख 64 हजार में से 54 हजार पद रिक्त हैं, यह स्वीकार करने में मुझे कहीं आपत्ति नहीं है। पद रिक्त हैं, विद्यालय खाली हैं, अध्यापकों की कमी है। माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं यह बात बिलकुल यथार्थ है और मैं जब यहां खड़ा हूं अध्यक्ष महोदय, तो मैं आज के दिन इस बात को मानता ही नहीं हूं कि मैं किसी सरकार पर या भूतपूर्व सरकार पर या भूतपूर्व शिक्षा मंत्री पर किसी को मैं इनके लिये आरोपित करूंगा। मैं इसके पक्ष में कभी नहीं हूं। मैं कभी आरोपित करने की कोशिश नहीं करूंगा। आज शिक्षा विभाग में जो भी कमियां है इस सरकार की और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उनको ठीक करें। उनको ठीक इस प्रकार से करें कि राजस्थान की शिक्षा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की गाड़ी पटरी पर चले और शिक्षा की नहीं चलेगी तो करेंगे क्या। अध्यक्ष महोदय, कई बार मुझे सुन सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है, हम लोग कई बार यहां पर भाषण देते हैं, आज भी कई भाषण आये हैं, आज वेद मंत्र भी आये हैं। यह कहा गया

"हां और ना भी अन्य जन करना न जपते जानते,
ते ईश के आदेश के हम वेद मंत्र बखानते।"

बखानते होंगे हम वेद मंत्र। लिखे होंगे हमने वेद, पुराण, उपनिषद्, बहुत कुछ लिखे होंगे। आज क्या स्थिति है हमारी, आज महिला शिक्षा में राजस्थान हिन्दुस्तान में पिछड़ा हुआ है। आज है, आज हमारे निरक्षर लोग हैं, आज हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिये किताब ही नहीं है, आज हमारे पास सबको देने के लिये मास्टर ही नहीं है। हम उस गुणगान का क्या करेंगे जब तक हम गुणगान करने के लायक भी जब बनेंगे जब हम हमारे विद्यार्थियों को और हमारे सारे कर्मचारियों को एक प्रकार से मिशन के रूप में संगठित करके उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम हमारे काम में सफल नहीं होंगे। और अध्यक्ष महोदय, इस मिशन के लिये मैं शिक्षा विभाग में काम करने से अपने आप में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि इस मिशन को पूरा करने में हम आगे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं बहुत सी समस्याओं के बारे में यहां पर चर्चा की है। मैं आपसे कुछ मूलभूत बात कहने के बाद उन समस्याओं पर और माननीय सदस्यों के सुझावों पर आऊंगा। हमारे राजस्थान का जितना बजट है उसका 21.31 प्रतिशत हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। राजस्थान पहला स्टेट है भारत सरकार के बजट में इस बार चिदम्बरम साहब ने घोषणा की है कि वह घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय एवरेज 4.02 प्रतिशत है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है और जितना उसमें प्रावधान किया है उसके बाद राजस्थान राष्ट्रीय स्तर से ऊपर आकर 4.83 प्रतिशत घरेलू उत्पाद का शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला स्टेट है। 5 प्रतिशत के आस पास हम आ गये हैं, केवल एक प्रतिशत और करने पर हम 6 प्रतिशत पर पहुंच जायेंगे जो भारत सरकार ने हमको कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में 23 अरब 57 करोड़ और 52 लाख 43 हजार रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है जो राज्य के राजस्व बजट का 12 प्रतिशत एवं शिक्षा के बजट का 56.5 प्रतिशत है। इससे राज्य सरकार का प्राथमिक शिक्षा के प्रति समर्पण और उद्देश्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार राज्य के माध्यमिक शिक्षा पर कुल 14 अरब 39 करोड़ 10 लाख और 80 हजार रुपये का व्यय का प्रस्ताव है, जो राज्य के राजस्व बजट का 7.34 प्रतिशत एवं शिक्षा के बजट का लगभग 34 प्रतिशत है।

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित सब सेक्टर्स में गत वर्ष की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत बजट की वृद्धि इस बार की गयी है जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा के बजट में 15.61 प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा के बजट में 17 प्रतिशत। योजना बजट की दृष्टि से प्रारिम्भक शिक्षा में 77 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 412 प्रतिशत और सतत शिक्षा में 350 प्रतिशत, संस्कृत विश्वविद्यालय में 174 प्रतिशत एवं अकादमियों के बजट में 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। यह शिक्षा के बजट में हमने करके दिखाया है। इसलिये माननीय सदस्य जो यह कह रहे थे कि आप किस प्रकार करेंगे, आपने सोचा कैसे। इन प्रावधानों का क्या करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने पहली बार एक इस प्रकार का काम करके इस क्षेत्र में अपने आपको आगे बढ़ाया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं बना तो मेरे सामने एक समस्या थी मैंने 4 -5 जो बात तय की गयी है यहां पर। मैं आज सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन 4-5 बातों के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। यहां पर यह कहा गया कि आप स्कूल खोल रहे हैं। स्कूल खोलना जरूरी था। स्कूल, मैं आज भी कह रहा हूं, हमने आने के बाद पहली बार घोषणा की कि हम स्कूल खोलेंगे एक किलोमीटर के एरिये में प्राथमिक स्कूल और 2 प्राथमिक स्कूलों पर एक अपर प्राइमरी स्कूल। यह जब तक नहीं खोलेंगे तब तक राजस्थान में शिक्षा का काम पूरा नहीं होगा। और मैं कहना चाहता हूं, राजीव गांधी पाठशाला के अध्यापकों को, शिक्षा कर्मियों को या लोक जुम्बिश में काम करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से कम करके नहीं आंक रहा हूं और न मैं उनको कम करके आंकना चाहता हूं न मैं उनके काम की आलोचना करना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय पर एक आदमी ने मेरे से भेंट की। बहुत ही समझदार आदमी, शिक्षा कर्मी पाठशाला में एक बार चला गया था, जानबूझकर जर्दा और चूना लेकर अपने हाथ में खड़े-खड़े यूं जर्दा-चूना लगा रहे थे। तो मैंने बड़े प्रेमसे कहा कि मास्टरजी, यह चूना-जर्दा क्यों लगा रहे हैं? जयपुर जिले की बात है। उन्होंने कहा तिवाड़ीजी महाराज, 16 सौ रुपये में तो चूना ही लगायेंगे और ज्यादा रुपये देंगे तो काम पूरा करेंगे। तो चूना लगाने वाला वह आदमी जिसको आप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कम तनख्वाह दे रहे हो वह आदमी जिसकी तनख्वाह कम है, आप उसको यह कहकर नहीं टाल सकते हैं कि आप घर में खेती भी करते रहो, रात में खेत भी सम्भाल लो और दिन में 12 सौ रुपये में आकर पढ़ा जाओ। वह नहीं पढ़ा सकता है। इसलिये हमने तय किया कि हम जो भी लगायेंगे अध्यापक पूरे वेतन पर लगायेंगे और यह तय किया कि उनको किसी भी प्रकार से हम तनख्वाह कम नहीं देंगे। और इसलिये पहली बार, फिर मुझे कहा गया कि आपने आर.पी.एस.सी. में क्यों कर दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। थर्ड ग्रेड की भर्ती हाई-कोर्ट में रुकी हुई, सैकण्ड ग्रेड की भर्ती हाई-कोर्ट में रुकी हुई, डी.पी.सी. हाई-कोर्ट में रुकी हुई, प्रधानाचार्य की डी.पी.सी. हाई-कोर्ट में रुकी हुई। चारों तरफ से हाई-कोर्ट में, कोर्ट में, सारे केस इस प्रकार पाबन्द थे कि न तो आप किसी को निकाल सकते थे, न किसी को लगा सकते थे। एक समस्या यह थी हमारे सामने। पहली बार मैं आया तो हमने कहा क्या किया जाए। मैं आंध्र प्रदेश गया, वहां की पूरी स्टडी देखी, अन्य प्रान्तों की देखी और देखने के बाद मैंने तय किया कि जब आप 32 जिला परिषदों में आप आमंत्रित करते हो उनको नौकरी लगाने के लिये और वह नौकरी के लिये जाता है, 32 जगह उसको फार्म भरने पड़ते हैं। कहीं मैरिट कम आती थी, कहीं अधिक मैरिट आती थी। और आने के बाद कई बार उसके 2 जगह अपाइण्टमेंट होते थे, कई बार 3 जगह होते थे। कई बार नहीं होता था तो 6 महीने तक तो उसके अपाइण्टमेंट की मैरिट बनते-बनते समय लग जाता था। अब उसमें भी एक फर्क आ गया उसमें हमने बोनस अंक तय किये। गांव के, प्रदेश के, सारे 25 बोनस अंक तय किये थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब उन बोनस अंकों को समाप्त कर दिया, फिर हमारे पास क्या विकल्प बचा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में साफ-साफ कहना चाहता हूं, राजस्थान में बी.एड. करने वाले, बी.एस.टी.सी. करने वाले हाई मार्किंग से हमारे बच्चों के नम्बर आते हैं और राजस्थान के बाहर जो मार्किंग होती है वह मार्किंग में 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत बी.एड. के अंक लेकर आते हैं। आप जिला परिषद की भर्ती में उनको रोक नहीं सकते थे। केवल आपने जो यह बोनस मार्क दिये थे उनके आधार पर राजस्थान के लोगों की आप मैरिट बढ़ाना चाहते थे। जब बोनस मार्क खतम हो गये और जिला परिषद के आधार पर आप भर्ती करते तो आप उनकी मैरिट को समाप्त नहीं कर सकते थे और उनके पास सबसे बड़ा खतरा था कि बाहर के लोग आकर यहां पर ज्यादा नौकरी लगते। बाहर के लोग आये संविधान के अन्तर्गत, किसी को आपत्ति

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है। लेकिन वह जिस प्रकार का व्यवहार होता है, वहां पर, वह समस्या थी। इसलिये हमने तय किया कि आर.पी.एस.सी. के माध्यम से हम परीक्षा कराएंगे और इससे सारे विवाद भी खतम हुए। और मुझे सदन को यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 12 सितम्बर को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा होगी, सारे सेण्टर्स तय कर दिये गये हैं और 1 लाख 25 हजार फार्म उसमें जमा किये गये हैं और उसकी परीक्षा 12 सितम्बर को होगी और 12 सितम्बर को होने के बाद में 20 दिन के अन्दर या 22 दिन के अन्दर रिजल्ट निकालकर हमको 25 हजार अध्यापक नये ट्रेण्ड आर.पी.एस.सी. में मिल जाएंगें जिनको हम गांव में लगाकर हमारा काम प्रारम्भ करेंगे। तो यह जो 54 हजार हैं उसमें 25 हजार की तो इस प्रकार पूर्ति करेंगे। इसमें भी हमने प्रावधान किया, अध्यक्ष महोदय, जो संविधान के अन्तर्गत है। सिलेबस सरकार बनाकर भेजती है। सरकार ने सिलेबस बनाकर भेजा। हमने उसमें सौ नम्बर का जनरल नालेज, स्पेशल रेफरेंस विद राजस्थान, इसके नम्बर दिये हैं, इसी प्रकार से 8 नम्बर हिन्दी के, अंग्रेजी के, गणित के दिये हैं और 50 नम्बर एजुकेशन मेथेडोलाजी को हमने उसमें दिये हैं। इस प्रकार से जो राजस्थान के बच्चे होंगे उनको इस प्रकार का फायदा होगा कि स्पेशल ज्योग्राफी और भूगोल, राजस्थान का, इतिहास और संस्कृति इस बारे में जो सौ नम्बर का पेपर आयेगा उस पेपर में राजस्थान के लोगों के ज्यादा नम्बर आयेंगे और उसमें वे सफल होने की कोशिश करेंगे। मुझसे पूछा था किसी बच्चे ने कि राजस्थान के लोगों को विशेष क्या पूछेंगे। वह गांव का लड़का था। मैंने कहा, प्रश्न आ जाएगा, गोगाजी कहां हुए, तेजाजी कहां, रामदेवजी कहां, नाथद्वारा कहां है, आप लोग ज़्यादा जानोगे और बाहर के लोग कम जानेंगे। फिर यह पूछ लेंगे कि खेजड़ी का पेड़ है, इसके कैर लगती है कि सांगरी तो राजस्थान का तो सांगरी लिख देगा, बाहर का कैर लिखे कि सांगरी लिखे। तो यह राजस्थान के बारे में स्पेशल रेफरेंस इतिहास और भूगोल, राजस्थान की स्पेशियलिटी के बारे में आयेगा और राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से सफलता राजस्थान के लोगों को मिलेगी। अन्य लोग भी आयेंगे, आर.पी.एस.सी. अपने हिसाब से करेगी।

यहां बाबूलालजी नागर ने प्रश्न उठाया था। हमने आर.पी.एस.सी. को कहा है कि बिलकुल जिस प्रकार से शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा, या बैक लाग, जिस प्रकार से है वह नियमों के अनुसार, संविधान के अन्तर्गत, उसका पालन किया जाए और उसको पालन करके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वह कार्यवाही

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करेगा। इसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। ये अध्यापक तो आयेंगे। ये नियुक्त भी होंगे और मैं सदन को एक बात कहना चाहता हूं, बिलकुल साफ दो टूक शब्दों में। मैंने घोषणा की, आपने एक-एक करके, मैं बाबूलालजी नागर को धन्यवाद दूंगा, वैसे वो मेरे छोटे भाई हैं। लेकिन उन्होंने जो रेकार्ड बनाया है वैसा रेकार्ड तो मेरे दफ्तर में और मेरे घर में भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि वह रेकार्ड तो मुझे एक बार दे दें कम से कम। आपने जो मेरा काम किया है, लेकिन उसमें भी मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से जो जो मैंने घोषणा की है एक-एक घोषणा पर निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। मैंने कहा 31 मार्च तक सभी जो खाली पद हैं प्रतिवर्ष भरेंगे। हमारे चुनाव घोषणा पत्र में, पुन: आज सदन में आपको कहना चाहता हूं कि जो खाली पद इनमें हैं प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में, इस मार्च में, इस यीअर में सारे के सारे खाली पदों को निश्चित रूप से भरेंगे। एक भी खाली पद प्रतिवर्ष खाली नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं निश्चित रूप से भरेंगे। हमने इसका इस बार भी प्रावधान किया है, पिछली बार भी प्रावधान था।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आज पद खाली हैं। सब जगह माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी है, आज खाली हैं, मैं भी कह रहा हूं आज खाली हैं। भरने में एक महीना लगेगा, डेढ महीना लगेगा। लेकिन अब मैंने साफ-साफ निर्देश कर दिया है, आदेश निकल गये हैं कि सभी स्कूलों में अगस्त के महीने में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर कल से ही शुरू हो जाएंगे और कोई भी विद्यालय बिना अध्यापक के नहीं रहेगा। गेस्ट फैकल्टी में सारों को हम भर देंगे। इस प्रकार से वह काम भी पूरा होगा। कोई विद्यालय खाली नहीं रहेगा। आज विद्यालय खाली हैं। मैं मानता हूं उसका कारण है। एक तो पहले ही कमी थी फिर हमने छोटा सा काम किया, जरा सा। मैं तो ट्रांसफरों में पड़ा ही नहीं हूं। ट्रांसफर नीति पर भी आऊंगा मैं। उस पर पड़ा ही नहीं हूं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं कि अब तक जितने भी ट्रांसफर हुए हैं, मैंने एक भी ट्रांसफर नहीं किया। हमने एक ही काम किया कि ग्रामीण से ग्रामीण में स्वेच्छा से जो स्थानान्तरण कराकर जाना चाहते हैं उनकी इच्छा के आधार पर किया है। हां, 10-5 जगह गड़बड़ हुई है कुछ लोगों ने यह लिखकर दे दिया कि मैं हूं, मेरा स्थानान्तरण यहां से यहां कर दिया जाए, रिक्त पद है। आदमी दूसरा, नाम दूसरे का लिखकर दे दिया। ऐसे 5-7 स्थान पर होगा। उनको मैंने स्टे करने के आदेश विभाग के अधिकारियों को दे दिये। वह निश्चित रूप से स्टे हो जाएंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तीसरी बात यहां पर उठायी गयी है, वह उठायी गयी है कि पैरा-टीचर्स के साथ आप क्या करेंगे, लोक जुम्बिश के लोगों के साथ क्या करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्कूल खोलने का काम किया है। मैं आपको बताऊं कि स्कूल अब तक 8270 स्कल 7 महीने के इस काल खण्ड में हमने खोले हैं। जिसका मैं आपको वर्णन बता सकता हूं। राजीव गांधी पाठशालाओं को, 2317 को फरवरी महीने में हमने अभी तक सरकार में आने के बाद क्रमोन्नत किया पाठशालाओं में और अब इस बार 2000 कर रहे हैं। फरवरी में ही 1661 नये विद्यालय खोले, फरवरी में ही हमने क्रमोन्नत किये 1236 विद्यालयों को, अब नये बजट में 715 क्रमोन्नत का और 1402 नये स्कूल खोलने का प्रावधान है। हमने 400 सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान किया है। 200 सीनियर सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर 8270 सात महीने में हमने राजस्थान में यह विद्यालय खोले हैं। जो अपने आप में एक रेकार्ड है। यह विद्यालय खोले हैं इन विद्यालयों के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्तूरबा गांधी की मांग की थी माननीय सदस्यों ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हां, गंगारामजी चौधरी ने, उन्होंने कहा था कि बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय बनाने चाहिए। हमने इस बजट में यह प्रावधान किया है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इस बार परीक्षण के तौर पर हम हर जिले में एक विद्यालय खोल रहे हैं। अगली बार से इनको बढ़ाकर आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे।

इसी प्रकार संयम लोढ़ाजी ने पूछा था कि आप यह जो महिला प्रशिक्षण शिविर है, वह कैसे लगाएंगे? 10382 लगाएंगे, उनके लिए 10 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिला अधिकारी को नोडल एजेंसी बनाया गया है और 25 महिलाओं की संख्या की गयी है तथा दो दक्ष प्रशिक्षक लगाये गये हैं। 15 दिवस का कार्यक्रम है। 9.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक। इस प्रकार से शिविर आयोजित किये जाएंगे और शेष पुस्तकालय बची है, पिछली सरकार ने काम प्रारम्भ किया था, महात्मा गांधी पुस्तकालय की 3007 सार्वजनिक पुस्तकालय इस बार रखेंगे। इसी प्रकार से 9 से 14 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए जीवन कौशल आधारित शिक्षा हेतु 450 आवासीय ब्रिज कोर्स करेंगे। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां अभी प्रश्न उठाया गया था, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए हमने एक व्यवस्था की है कि 10 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान किया है, जो इन बच्चियों को छात्रवृत्तियों के रूप में देंगे। इसी प्रकार से पायलट प्रोजैक्ट शुरू किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में कहते हैं कि ड्राप-आउट्स बहुत है, उनको ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष के बालक-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बालिकाओं के बहुआयामी विकास हेतु मल्टी सैक्टर चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम किया है, जिसमें चयनित विकास खण्डों में शिक्षा, पोषाहार व स्वास्थ्य सेवाओं का समन्वय किया जाएगा। इसमें दो प्रकार की बात है। एक तो वह स्कूल में रहे और रहने के साथ-साथ उसको पोषाहार भी मिले। उसकी संरचना भी ठीक हो इसलिए मल्टी चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम हमने प्रारम्भ किया है जो हिन्दुस्तान में अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और इसमें बहुत हम निश्चित रूप से करेंगे। अब मुझे यह कहा गया कि आप यह कह रहे थे, भवन बना देंगे। 100 दिनों में यह कर देंगे। खाली रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े रखूंगा जिसमें मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उस आंकड़े को आप गम्भीरता से लें और सरकार की गम्भीरता और विभाग की गम्भीरता को समझें। हमने 100 दिन की जो कार्य योजना प्रारम्भ की थी प्रारम्भिक शिक्षा में, 583 नये विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया। 2398 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भी निर्माण करवाया, विद्यालयों में 810 प्रधानाध्यापक के कक्ष निर्मित करवाये। विद्यालयों में शौचालय सुविधा का निर्माण 6072 स्थानों पर करवाया। विद्यालयों में पेयजल की सुविधा नहीं थी उनमें 3036 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवायी और माध्यमिक शिक्षा में हमने यह हमने जो काम करवाये और इसी प्रकार से प्रारम्भिक शिक्षा में भी आगे हम निश्चित रूप से यह काम करवाने जा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी तो जब स्कूल नये खुल रहे हैं तो उन स्कूलों में हम जो भी नये स्कूल खुल रहे हैं, राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए कहा गया। शिक्षा गारंटी कार्यक्रम जो था, उसके अन्दर भी पहले बनाये गये। हमने भी तय किया है कि जब स्कूल खोलने का हम कह रहे हैं, प्राथमिक स्कूल तो दो कमरे प्राथमिक स्कूल बनाने के लिए, नये कमरे बनाने का आदेश भी हम साथ-साथ, स्वीकृति के साथ जारी कर रहे हैं।

जिन प्राइमरी स्कूलों को हमने अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत किया है उन प्राइमरी स्कूलों में तीन-तीन अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्राइमरी से बनाने पर और एक-एक हैडमास्टर का कक्ष और टायलेट की सुविधा और एक बड़ा भवन जिसमें बैठ कर मीटिंग हो सके, इसकी भी स्वीकृति हम साथ-साथ जारी कर रहे हैं। राजस्थान में इस बार इस बजट में 24000 नये कमरे इन नये विद्यालयों में खोलने की स्वीकृति प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति शीघ्र जारी हो जाएगी। बजट में उनका प्रावधान भी कर दिया गया है। तो पहली बात तो यह है कि स्कूल खोले गये और स्कूल खोलने के बाद कमरे बना दिये गये, कमरे बनाने के बाद इसमें अध्यापकों की बात की गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और चौथी जो हमने अभी बात की अध्यक्ष महोदय, वह मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार हमने हिन्दुस्तान में शायद ही कोई राज्य होगा राजस्थान के अलावा जिसने यह कदम उठाया हो, हमने पुस्तक वितरण का काम प्रारम्भ किया। पहले भी होता था, अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, वह शुरू किया था लेकिन इस बार हमने यह तय किया है कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक राजस्थान में पढ़ने वाले बच्चे चाहे वह अनुसूचित जाति के हैं, चाहे जनजाति के हैं, चाहे वह ब्राह्मण है, चाहे वह जाट है, चाहे वह राजपूत है, चाहे किसी भी वर्ग के हो, विश्नोई है, खाती, कुम्हार, नाई, मुसलमान, जिस वर्ग के भी हैं सभी बच्चों को और बच्चियों को पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी पुस्तकों को मुफ्त वितरण किया जाएगा। उसके हिसाब से अध्यक्ष महोदय, हमने 1 करोड़ 2 लाख बच्चों को 59 करोड़ रुपये की पुस्तकें हम अब तक वितरित कर चुके हैं राजस्थान में जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इतना बड़ा काम सरकार ने किया है और यह करने के बाद में हमने यह भी तय किया है कि एक ओर हम स्कूल खोल रहे हैं और एक ओर अध्यापक लगा रहे हैं और एक ओर किताब दे रहे हैं, अब मुझे अभी कल्ला साहब ने एक भाषण दे दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ज्ञान का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ज्ञान का। मैंने सुन लिया। बड़े आदमी हैं इसलिए सुनना ही चाहिए। मुझे कहा कि यह अंग्रेजी आपने चालू तो कर दी, यह तो मैंने फैसला किया था। मैंने कहा कि बाबाजी, आपने किया था तो आप पहले लागू कर देते, अब मना किसने किया था? मैं हाथ पकड़ने गया था? कोई नहीं था फाइल पर। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने यह तय किया कि एन.सी.ई.आर.टी. और सी.बी.एस.ई. के बराबर हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उस मीटिंग में जब हमने यह तय किया तो एन.सी.ई.आर.टी. में पहली से अंग्रेजी है इसलिए मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को वहां से फोन करके पूछा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को। मैंने कहा कि भाई तीसरी क्लास से राजस्थान में है। हम पहली से चालू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जरूर करिये। और हमने उस मीटिंग में तय किया और हमने पहली से अंग्रेजी चालू करने का तय कर लिया। चालू करने का तय, मैंने उसी समय आदेश दिया कि इसकी किताब भी छपवाओ और किताब वहां पहुंच भी जाए। एक अगस्त तक। मैं यह मानता हूं कि एक महीने की देरी इसलिए हुई कि निर्णय गलत हुआ था। एक अगस्त

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से लेकर सात अगस्त के बीच में राजस्थान के इन सभी विद्यालयों में अब पहली और दूसरी के लिए अंग्रेजी की छपी हुई पुस्तक मुफ्त में वहां पहुंच जाएगी और यह घोषणा भी हमने की। इसकी मेरी आलोचना भी हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह बात बीच में आ गयी। जब मैं चर्चा करके बाहर आया तो कुछ लोग मिले मेरे से। मुझसे मिले और बड़े-बड़े आदमी थे। बैठे, बोले आप यह कर रहे हो बच्चे के दिमाग में इसका बोझ हो जाएगा। मैंने पूछा कैसे हो जाएगा? बोले हिन्दी भी पढ़ेगा, अंग्रेजी भी पढ़ेगा। एक-एक से मैंने प्रेम से पूछा कि आपका बच्चा कहां पढ़ता है? इंग्लिश स्कूल में, आपका कहां पढ़ता है? इंग्लिश स्कूल में। बड़े आदमी थे। सबके बच्चे इंग्लिश स्कूलो में पढ़ रहे थे। मैं बोला वह हिन्दी भी पढ़ता है या नहीं? बोले, हिन्दी भी पढ़ता है। अंग्रेजी भी पढ़ता है या नहीं? अंग्रेजी भी पढ़ता है। मैंने कहा कि आपका बेटा अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ता है, दोनों पढ़ता है उसके दिमाग में असर नहीं होता है लेकिन वह ढाणी और गांव का और गरीब का बच्चा जब पहली से अंग्रेजी पढ़ेगा तो उसके दिमाग में बोझ आ जाएगा? यह उसके दिमाग का बोझ नहीं है, यह उनके दिमाग का इस बात का बोझ है कि वह गांव का बच्चा जब अंग्रेजी पढ़कर यहां फर्राटे से बोलेगा न अंग्रेजी जयपुर में आकर तो कम्पीटीशन में वह बराबर खड़ा हो जाएगा छाती पर, इस बात का डर था। और गरीब और गांव की इस सेवा के लिए हमने इसको पहली बार लागू कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र में इसका स्वागत हुआ है। मैं भी सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप इसकी निगरानी करें और बच्चे निश्चित रूप से इसको पढ़ते रहे इस बात का ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह बताना चाहूंगा, यह सब करने के बाद, हमने यह भी तय किया है कि अब अंग्रेजी भी पढ़े, स्कूल भी है, अध्यापक भी है और किताब भी है, उसके बाद भी यदि बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं तो अभिशाप है। और इसलिए सरकार ने तय किया और सरकार ने यह तय किया, मैं आप सबको सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पुरानी परम्परा है कि मां और बाप से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है लेकिन, अब हितोपदेश में एक वाक्य साफ लिखा है-

माता वैरी, पिता शत्रु, येन बालो न पाठितेः।

जिसका बच्चा पढ़े नहीं, जो मां-बाप बच्चे को पढ़ाये नहीं वह उसके मां-बाप

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं है। माता वैरी और पिता शत्रु के समान है। इसलिए उस देव वाक्य को ध्यान में रखकर हमने यह तय किया है कि राजस्थान में कुछ समय के बाद हम एक विधेयक लाएंगे और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करेंगे और मां और बाप को भी और उन अध्यापकों को जिम्मेदार बनाएंगे कि वे निश्चित रूप से बच्चे को पढ़ाने में अपना योगदान करें। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। इतना काम हमने किया।

अध्यक्ष महोदय, अब कुछ समस्याएं हैं। यह जिन समस्याओं के बारे में हमारे मित्रों ने भी जिक्र किया और मैं भी कहना चाहता हूं, पहली समस्या पैरा-टीचर्स की है। यह समस्या नहीं है बिल्कुल बहुत बड़ा वर्ग है, सर्विस कर रहा है, पढ़ा रहा है, आन्दोलनरत भी है। इसके बारे में जब हम आर.पी.एस.सी. को सौंप रहे थे उस समय, अध्यक्ष महोदय, इन सबको बुलाकर एक एक करके तीनों वर्गों से हमने समझौता किया। पैराटीचर से भी, शिक्षाकर्मी से भी, सबसे समझौता किया और समझौते का आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं। यहां पर 98 वाले से भी, तीन जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, जो यहां पर बार-बार उठाये गये हैं। 1998 में हमारे जो चयनित लोग थे, अध्यक्ष महोदय, इनका निकला था पंचायतों के माध्यम से, इन लोगों को नौकरी देने का तय किया गया था और उसमें यह तय किया गया था कि जितने लोग नौकरी में आते हैं उनको, मैं 1998 शिक्षक भर्ती के बारे में बता रहा हूं कुल 8086 रिक्त पदों के लिये 30 जिला परिषदों द्वारा विज्ञप्तियां जारी की गयीं अक्टूबर, 1998 में। उक्त रिक्तियां के खिलाफ 8286 पदों पर नियुक्तियां दे दी गयीं। एक नियम है कि जितनी हम रिक्तियां निकालते हैं उसके विरूद्ध इससे ज्यादा हम नौकरी में नहीं दे सकते फिर भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण से यह रिक्तियां दी गयी। उक्त भर्ती राज्य जिला व ग्रामीण क्षेत्र के लिये 10 और 5 बोनस अंक निर्धारित थे। निवास स्थान के आधार पर बोनस अंक देने की प्रक्रिया के विरूद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गयीं। दिनांक 30.7.2002 को सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. के निर्णय में निम्न निर्देश दिये "ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें 17.11.1999 तक नियुक्ति दी जा चुकी है। उनकी नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं किया जाये" नहीं किया गया। ग्रामीण और जिले के बोनस अंक को हटाते हुए यदि याचिकागण दिनांक 18.11.1999 को या इसके बाद नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अधिक वरीयता प्राप्त हो तो उन्हें नियुक्ति दी जाये तथा कम वरीयता वाले व्यक्ति को राज्य सरकार उचित समझे तो हटा सकती है। यह लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाएगा, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में पक्षकार रहे हैं। इन लोगों को भी 1100 लोगों को नौकरियां दे

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

दी गयीं। आगे लिखा है- "यह निर्देश विशेष परिस्थितियों में दिये जा रहे हैं जो किसी अन्य मामले में लागू नहीं होंगे।" उक्त निर्देशों की पालना में विधि विभाग की राय से नियुक्तियां दे दी गयीं।

उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, भिन्न भिन्न प्रकार की याचिकाएं चलीं। राज्य सरकार ने राय ली। संयम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। तत्कालीन राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला बी.के. जोशी साहब के आदेश से, परन्तु उस आदेश के बाद में, 20 दिन बाद ही उस आदेश को वापस ले लिया गया क्योंकि एडवोकेट जनरल और विधि विभाग ने इसके विपरीत राय दी थी। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार सत्ता में आई। इसके बाद में यह लोग हमारे पास में आये और मैं बिलकुल साफ हृदय से यह कहना चाहता हूं, उन्होंने बिलकुल साफ बताया है कि वह लोग पांच साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या हो सकता है? मैंने एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचा कि एक आदमी जो 70 प्रतिशत नम्बर लाकर बैठा है, वह चूंकि कोर्ट में नहीं गया, इम्प्रेशन में था, लेकिन वह कोर्ट में नहीं गया तो उसको नियुक्ति नहीं मिली, लेकिन 65 प्रतिशत वाला आदमी कोर्ट में चला गया इसलिये उसको नियुक्ति मिल गयी। इसलिये राज्य सरकार से बात करके समझौता किया कि जिला स्तर पर हमने कमेटी बनायी। जिला कलक्टर, सी.ई.ओ. और डी.ई.ओ., इनको कहा गया कि 1998 के अभ्यर्थियों की लिस्ट थी उसमें से जो आपके यहां पर मिनिमम मार्क्स का आदमी लगा है उससे ऊपर के मार्क्स के जो हैं, उनको आप सलेक्ट करके उनका नाम राज्य सरकार को भेज दीजिये।

इसी प्रकार हमने स्टेट लेवल पर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में स्टेट लेवल के फाईनेंस, विधि विभाग और शिक्षा सचिव, सब मिलकर एक कमेटी बनाई गई। इन नामों को आने के बाद वह कमेटी देखेगी और कमेटी देखकर फैसला करेगी और फैसला करने के बाद निर्णय करेगी। जिले की कमेटियों की मीटिंग हो गयी। उनकी रिपोर्ट आ गयी। उस पर कमेटी ने तीन बार विचार कर लिया। अन्तिम मीटिंग में इस कमेटी ने 1998-99 के चयनित अभ्यर्थियों का जो संघ था, उनके लोगों को बुलाया। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने कुछ विधिक मैटर उठाये। उन पर विचार करने के बाद इस कमेटी ने उन विधिक मामलों की जांच के लिये और कुछ जो विसंगतियां उन्होंने बताई, उन्होंने बताया है कि हमारे इतने लोग नहीं, इतने लोग हैं। उन्होंने बताया कि 5 जगह हमने फार्म भरे थे, तीन जगह सलेक्शन हो गया, 3

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जगह रह गये। यह जो संख्या आ रही थी, बहुत अधिक है। इसलिए उसके आधार पर दे दिया।

दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है, अध्यक्ष महोदय, वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सदन से कोई बात छिपा नहीं सकते। इसमें अब जो संविधान का प्रश्न है, रिजर्वेशन का, वह भी एक बहुत मुद्दा अड़ा हुआ है। हाई कोर्ट के आधार पर नियुक्तियां हो गयीं। इनमें जो सलेक्शन होंगे वह किस वर्ग के होंगे, अपन कह नहीं सकते। 50 प्रतिशत रिजर्वेशन जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का है या जो उसका बैकलाग है, उसको पूरा करे बिना आगे हम नौकरी में अपाइंटमेंट नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो उस पर स्टे होता है। इन सारे मामलों की जांच के लिये वह समिति जांच कर रही है और समिति जांच करके विधि विभाग की राय लेकर, एडवोकेट जनरल की राय लेगी और राज्य सरकार निश्चित रूप से इन पीड़ित आदमियों की मदद करना चाहती है। अब कानून इनकी जितनी मदद करेगा, उतनी मदद हम कर पायेंगे और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि इनको जो भी फायदा राज्य सरकार से मिल सकता हो, राज्य सरकार इनको देने की कोशिश करेगी।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मेरे समक्ष उठाया गया लोक जुम्बिश का। लोक जुम्बिश को हमने समाप्त नहीं किया। लोक जुम्बिश एक निश्चित पीरियड के लिये बना था। फर्स्ट, सैकिण्ड फेज उनका, दोनों समाप्त हो रहा था। इसके बाद उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। हमने तो एक काम किया वैसे तो स्पेशल स्कीम थी। स्पेशल स्कीम उसके साथ समाप्त हो जाती है लेकिन इतने दिन तक काम किया था। इसमें चार प्रकार के कर्मचारी थे। पहले वह जो सरकार से प्रतिनियुक्ति पर गये हुए थे, उनके लिये तो कोई समस्या नहीं थी, वहां रहे या सरकार में वापस आ जाएं। इसके अलावा अनुबन्ध के आधार पर लोक जुम्बिश के कर्मचारी थे, उनके इंटरव्यू लेकर उनको काम पर लगा दिया। अब दो प्रकार के और बचे हैं एक एन.जी.ओ. के माध्यम से काम करते थे और उनके माध्यम से काम करते थे कुछ मुक्तांगन में काम कर रहे हैं। अलग-अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। हमने यह तय किया है पहले लोक जुम्बिश परिषद में तय किया और उसके बाद जो हमारी साक्षरता, डी.पी.ई.पी. की परिषद हुई, गवर्निंग कौंसिल, उसमें हमने तय कर लिया कि अब इसके लिये कानूनी और नियम की पालना करनी पड़ती है। एजेन्सी के माध्यम से कान्ट्रेक्ट करेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान को दुबारा उनके लिये निकालकर काम करना पड़ेगा। इसलिए टेण्डर निकालेंगे और निकालकर इन लोगों को निश्चित रूप में लोक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जुम्बिश के जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ सरकार न्याय करेगी। वह किसी भी प्रकार से, बाहेतीजी आप चिन्ता मत करिये, किसी भी प्रकार से सरकार पूरी कोशिश करेगी। इसमें महिलाएं भी हैं। इन्होंने पढ़ाया भी है दूसरे स्थानों पर जाकर भी पढ़ाया है तो इनकी सेवाओं का जितना उपयोग हम कर पाएंगे, निश्चित रूप से इनका भी उपयोग करेंगे और किसी भी प्रकार से सेवा एजेन्सी के माध्यम से और एन.जी.ओ. के मार्फत जो काम करने वाले लोक जुम्बिश के लोग थे, उनके साथ हम किसी भी प्रकार अन्याय नहीं करेंगे।

अब पैरा टीचर्स के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं पैराटीचर्स काफी संख्या में काम कर रहे हैं। हमने 98 वालों के लिये और सबके लिये एक छूट दी। जब हमने आर.पी.एस.सी. में भर्ती का काम प्रारम्भ किया तो 01 जनवरी, 1999 को जो जिस उम्र में थे, उस उम्र के लोगों को हमने आज के दिन में परीक्षा में बैठने की छूट दे दी। इस प्रकार से सबसे बड़ी राहत उनको यह मिली कि वह ओवर ऐज हो गये थे, उन लोगों का ओवर ऐज का काम खतम किया और उनमें से अधिकांश लोगों ने फार्म भी भरे हैं और परीक्षा की तैयारी में भी लगे हैं। उनको भी राहत दे दी, उनको भी राहत दे दी। फिर इनके साथ हमने समझौता किया। हमने कहा है कि आप में से जो उनमें सलेक्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे। जो सलेक्ट नहीं होंगे उनको हम निकाल नहीं रहे हैं। उनका हम धीरे धीरे वेतन बढ़ाते रहेंगे जैसे-जैसे राजीव गांधी पाठशाला को नियमित पाठशालाओं में बदलते रहेंगे उस प्रकार से धीरे-धीरे इनका वेतन बढ़ाते बढ़ाते शनै: शनै तृतीय श्रेणी के शिक्षक के वेतन के समान उनको बराबर की सुविधा पर हम लेकर आ जाएंगे। इस प्रकार की बात हमने आर.पी.एस.सी. की भर्ती चालू करने से पहले उनसे समझौता करके किया। आपके माध्यम से मैं पुन: 1998 वालों को, लोक जुम्बिश वालों को, इन सबको निवेदन करना चाहूंगा कि वह किसी भी प्रकार से आन्दोलन में पड़ने के बजाय सरकार का सहयोग करें, सरकार उनके साथ है। सरकार उनका काम करना चाहती है और वह पहले अपनी परीक्षा दे। परीक्षा पास होने से जो रह जाए उन लोगों को हम निश्चित रूप से समायोजित करने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार से किसी के साथ गड़बड़ नहीं हो, हम निश्चित रूप से इसमें उनकी मदद करेंगे।

एक और समस्या थी, अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत तगड़ा काम था। मैं जब आया तो पहले तो मैं इसी भ्रम में फंस गया कि किससे बात करूंगा। गुरूजी नं.1, गुरूजी नं. 2, गुरूजी नं. 3 और गुरूजी नं. 4 बहुत थे। शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहयोगी,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

डी.पी.ई.पी. टीचर, उर्दू टीचर, मदरसा टीचर, सारे के सारे, संविदा टीचर, गेस्ट फैकल्टी टीचर और टीचर्स, उनके सारे संगठन बने हुए हैं। पहले तो मैं इस चक्कर में रहा।

शिक्षाकर्मियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती आज मैं इस बात को सदन में कहना चाहता हूं। मैंने इसको संशोधित किया है। शिक्षाकर्मी योजना सबसे पहले चालू हुई। दूरस्थ स्थानों पर इन्होंने काम किया। 1200 रुपये महिने में काम करते रहे। राजीव गांधी पैरा टीचर्स बाद में लगे। उनकी तनख्वाह सरकार ने बढ़ाई है। लेकिन शिक्षा कर्मियों के साथ राजनीतिक रूप से भेदभाव किया गया और उनको 1200 रुपये पर पटक कर रखा गया, अध्यक्ष महोदय। उनकी योजना खतम हो गयी। इस सरकार के आने के बाद हमने कोशिश की और कोशिश करके भारत सरकार के, राजस्थान सरकार का 25 प्रतिशत पैसा और भारत सरकार का 75 प्रतिशत और वह पैसा तय करके हमने इनकी दो साल के लिए सेवा अवधि भी बढ़ायी। इनका जो मानदेय था वह भी हमने पैराटीचर्स के बराबर, शिक्षा सहयोगियों के बराबर किया और इनमें वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों को प्रमोशन देकर हमने बहुत से लोगों को लाभ दिया। यह 8500 लोग हैं, इन 8500 लोगों को भी सरकार ने पूरी मदद की। इस प्रकार से हमने इन सब को भी पूरी मदद करी। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो भर्ती की प्रक्रिया है आर.पी.एस.सी. के माध्यम से यह केवल राजस्थान में नहीं है, बहुत स्टेट हैं जिनमें अधीनस्थ सेवा आयोग बने हुए हैं और आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली ऐसे स्टेट हैं जिनमें रोज इस प्रकार के विज्ञापन निकलते हैं। वहां इसी आधार पर भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ 25772 शिक्षक की हमने वहां दी और 2800 को भी, आपने विडोज, डाइवरसीज का मामला उठाया था, 2800, इसमें नियम से विधवाओं का, परितक्ताओं का, विकलांगों का जो कोटा नियम से आर.पी.एस.सी. करती है वह तो करेगी इसके अलावा स्टेट लेवल की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सीधी, क्योंकि वहां तो बी.एड. वाले ही जा सकते हैं इसलिए वह काम तो हमने ट्रांसपरेंट और पारदर्शी तरीके से कर दिये लेकिन यहां पर हम विधवाओं और जो विछिन्न महिलाएं हैं उनके लिए 2800 की वेकेंसी निकाली है जो अब दो-चार दिन में निकलने वाली है। इसमें उन विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को जिनका कोई चारा नहीं है लेकिन वो बी.एड. और बी.एस.टी.सी. भी नहीं हैं उनको इस ट्रेनिंग के आधार पर 2800

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को यहां भर्ती किया जायेगा और वह भी एक-दो महीने में इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और 2800 विधवा महिलाओं को हम यह रोजगार, वैलफेयर स्टेट के नाते यह काम भी सरकार ने करने का तय किया है। इसकी भी वितीय स्वीकृति सारी है।

अध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रश्न उठा कि आपने ट्रांसफर पालिसी के लिए कहा था, ट्रांसफर पालिसी आपने नहीं बनायी।

श्री संयम लोढ़ा : मंत्री महोदय, संविदा शिक्षकों के बारे में स्टैण्ड बता दीजिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी मैं बताऊंगा, जब इतने लोगों को बता रहा हूं तो उनको क्यों छोडूंगा? वैसे तो मैं सबका ही कर रहा हूं लेकिन आज तो मैं इनकी बात पर ही केन्द्रित हो रहा हूं। मैं उनका करूंगा। बड़ी मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुलझे, लोढ़ाजी। पहले अहले दानिश ने बड़ी सोच-समझकर उलझाया है। सारे मामले को आपने जो उलझाया है। न वह ऐसा सोच-समझकर उलझाया है कि गुत्थी को सुलझा लें तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हूं। और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि बार-बार सरकार पर, मुझे यहां कह रहे थे कल्ला साहब कि यह 98 का क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ? जिन्होंने किया पाप डाल रहे हैं मेरे पर। मैं कहना चाहता हूं इसके लिए, जरा बड़े आदमी हैं मैं कोई बात नहीं कहूंगा, यही कहूंगा डूबने वालों की मैय्यत पर लाखों रोने वाले हैं फूट-फूट कर और जो रोते हैं वहीं तो डूबोने वाले हैं। कभी 98 का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी संविदा टीचर्स का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी उसका उठा रहे हैं, आपने किया और काट रहे हम हैं।

श्री जुबेर खान : अगर डूबोने वाले नहीं होते तो आप उधर कैसे तैरते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए मैं उदार नहीं आऊं, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, इसलिए मैं इस सारे की सफाई करने में लगा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह काम हमने किया है।

संयमजी ने बड़ा प्रश्न उठाया कम्प्यूटर शिक्षा का, क्या करना चाहिए? बोलूं?

श्री टीकमचन्द कान्त : बहुत बोल लिये, थोड़ा और बोलें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोल ही दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वे कहें तो बोलूं, नहीं कहें तो मैं नहीं बोलूं। छोड़ो (व्यवधान) आप लोगों को कह रहा हूं मैं इशारों में, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। यही बात समझ लो आप लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में। समिति की रिपोर्ट आ गयी है। रिपोर्ट के साथ-साथ कमियां भी आ गयी हैं। चार जगह जांच चल रही है। अध्यक्ष महोदय, एक चल रही है लोकायुक्त के यहां, वह हमने चालू नहीं की थी, कांग्रेस पार्टी के टाइम में भी चालू थी। एक आडिट के पैरा बन कर आये हैं। एक मामला ए.सी.बी. में चल रहा है और एक मामला शिक्षा सचिव महोदय की अध्यक्षता में है। पारदर्शी काम है, घरवालों से ही कराया है इसलिए कोई उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं रहेगी (व्यवधान) किसका भी हो मतलब पारदर्शी है। तो वो रिपोर्ट भी आ गयी है, सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है, जो भी विधिक और कानूनी काम करने होंगे, सरकार करेगी। अनियमितताएं हैं, उनको मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम विधि विभाग की भी राय ले रहे हैं और एडवोकेट जनरल की भी राय ले रहे हैं। उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में घोषणा कर रहा हूं कि कम्प्यूटर शिक्षा राजस्थान में जारी रहेगी जारी इसलिए रहेगी कि, जमाना तो यह आ गया कि कम्प्यूटर हम छठी में, आठवीं में, पहली में लेकर आये हैं। तो इसके लिए अभी मैं जो निर्देश जारी कर रहा हूं यह कर रहा हूं कि नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं और बारहवीं इन चारों में दो साल पढ़ना जरूरी होगा। नवीं-दसवीं में पढ़ ले या ग्यारहवीं-बारहवीं में पढ़ लेगा।

दूसरी बात, एक और मामला है, गोपाल नाराज नहीं हो तो कह दूं। गोपाल धोबी नहीं है क्या? हैं? नहीं है तो कह सकता हूं। यह बहुत बड़ा घपला हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक कम्पनी को ठेका दे दिया, उसने फ्रेंचाइजी दे दी लोगों को, उन लोगों ने गरीब लड़कों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जगह-जगह कम्प्यूटर खरीद कर गांवों में लगा लिये। फ्रेंचाइजी लेने के लिए कम्पनी को पैसे दे दिये और कम्प्यूटर लगा कर गांवों में काम चालू कर दिया, इन्स्ट्रक्टर रख लिये। कम्पनी वाले अभी मेरे से मिले ही नहीं कभी कि हमारा आपने पैसा रोक लिया, रिलीज कराओ। वह लोग जिन्होंने गांवों में कम्प्यूटर लगा रखे हैं चक्कर काट रहे हैं रोज कि हमारा पेमेंट कराओ, डेली आते हैं। तो कम्पनी का कुछ बिगड़ा ही नहीं, अगर पैसा रूका हुआ है तो उन गरीबों का बिगड़ेगा। मैंने कहा कि धोबी का घर मैं बड़गा चोर, लूटगा और ही और। तो लूट गये

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वो सब और बच गया वो। तो हमने समिति की रिपोर्ट के आधार पर तय किया है कि समिति की रिपोर्ट में जिन लोगों का काम 100 परसेंट रहा है, विद्यालय विकास समिति उनका सर्टिफिकेट देती है तो विद्यालय विकास समिति उनका पेमेण्ट कर दें। और जहां पर काम गड़बड़ हुआ है, कम्प्यूटर लगा ही नहीं है, चला ही नहीं है वहां का पेमेण्ट नहीं किया जाए।

तीसरा, हमने तय किया कि 50 रु. की फीस नहीं होगी। एक्चुअल फीस जो 25 और 27 रु. के बीच में आती है वही फीस ली जाएगी, बाकी फीस नहीं ली जाएगी और चार साल में दो साल करने का, यह अभी प्रारम्भिक तौर पर हमने सोचा है। इसका बाद में बाकी फैसला करके इसका बाद में बतायेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मंत्री महोदय, जिन्होंने गड़बड़ी की है उन कम्पनी का भी तो कुछ करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह बता दिया न, चार जगह से जांच आ रही है। कुछ हथियार रहने दो, अगला बजट सत्र भी तो आ रहा है। जल्दी क्या हो रही है?

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि एक और मुद्दा अनुत्तरित है जो मुझे बार-बार पूछा गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में यह पूछा गया है कि आपने तो एक तारीख को यह कर दूंगा, पांच तारीख को वह कर दूंगा, तीन तारीख को यह कर दूंगा, ट्रांसफर पालिसी का क्या हुआ? बहुत साफ बात है, मुझे किसी ने नहीं कहलाया। मैंने कहा कि स्थानान्तरण नीति बनायेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा स्थानान्तरण नीति बनायें। हमने नीति बनाने के लिए समिति बना दी। समिति जिस समय कर रही थी उसी समय लोकसभा के चुनाव घोषित हो गये। जांच करने में समिति में जो अधिकारी थे उन सारे अधिकारियों को बाहर के प्रान्तों में पर्यवेक्षक बना कर भेज दिया गया था। उसके बाद वे आ गये, समिति की रिपोर्ट भी तैयार हो गयी है लेकिन तब तक शिक्षा सत्र निकल चुका था, उसमें जो डेट तय की थी उस डेट के हिसाब से हम उनकी एप्लीकेशन लेकर उसको लेकर उसको लागू नहीं कर सकते। इसलिए हमने यह तय किया कि इस बार उसके अन्तरनिहित जो निर्देशित तत्व हैं उनके अन्तर्गत स्थानान्तरण के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिये जाएं और वो काम पूरा होने के बाद में उस नीति को लागू कर दिया जाय। राज्य सरकार स्थानान्तरण नीति को लागू करने के लिये कृतसंकल्प है, उसी के निर्देशानुसार करेगी। लेकिन एक बात मैं बिलकुल साफ कहना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैंने आलोचना नहीं की है अभी तक, अब मैं करना चाहता हूं एक बात की। मैंने जिस प्रकार के स्थानान्तरण के आदेश देखे हैं, आज कल्ला साहब और जोशी साहब दोनों ही नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं उनकी तरह से आदेश करूंगा नहीं लेकिन जिन लोगों को राजनैतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए थर्ड ग्रेड टीचर को जयपुर से, बाड़मेर, झालावाड़, जैसलमेर, सीकर, वहां से वहां उठाकर जो भेजा है उन लोगों के स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत निरस्त किये जाएंगे। और हम किसी को भी राजनैतिक आधार पर प्रताड़ित नहीं करेंगे, यह मैं कहना चाहता हूं। नहीं करेंगे हम लेकिन यह काम जो किया गया है उसको कैसे छोड़ दें। इसलिए स्थानान्तरण के बारे में मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से यह प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में मैंने बात कही (व्यवधान) वो आ रहा हूं, आपने जो शिक्षा का एक प्रश्न उठाया वोकेश्नल एजूकेशन का (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : व्यवसायिक शिक्षा के बारे में?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस समय हमने कालेज एजूकेशन में वोकेशनल एजूकेशन प्रारम्भ कर दिया है और राज्य सरकार इस बात पर कृत संकल्प है कि जितने गवर्नमेंट के कालेजेज हैं उन कालेजेज में निश्चित रूप से एक फैकल्टी के रूप में हम वोकेशनल एजूकेशन प्रारम्भ करेंगे और राजस्थान में जो यह समस्या है उसका निराकरण करेंगे। उसके बारे में नीति हम शीघ्र जारी करने वाले हैं, मैं आपको अध्यक्ष महोदय, बताऊंगा।

अब इसके बाद मेरे पास उच्च शिक्षा विभाग है वैसे तो मैं अलग-अलग सब बातें बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गागर में सागर भरो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गागर में सागर भरता हूं। उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के बारे में तो मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि सारी बातें बता ही दी। नये विद्यालय खोलने के लिए तीन नये राजकीय महाविद्यालय, एक तो आपके आदेश से झुंझुनूं में, एक थानागाजी में और एक खैरवाड़ा में, यह तीन बजट में हैं। बाकी एप्रोप्रिएशन बिल पर मुख्य मंत्रीजी करेंगे, बाकी बहुत मांग है।

श्री अमराराम (धोद) : शुरू करो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे, हमने इनका टाइम टेबल तय कर दिया, 2 तारीख से 22 तारीख तक वह लिए जाएंगे। टाइम टेबल तय करके भेज दिया है सरकार ने। वह इसलिए समय हो रहा है कि बजट आपको पास करना है तो बजट पास करने के बाद यह लागू होगा। इसलिए 2 तारीख से उनके प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी, फार्म ले लिए जाएंगे और उनका समय भी इसलिए बढ़ा दिया है।

महाविद्यालयों में सत्तर पर्सेण्ट कालेज, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 52 उप खण्डों में आज भी कोई कालेज नहीं है। कालेजों का सारा एकत्रीकरण शहरों में या शहरों के आस पास है। गांव के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। गांव के लोग पता नहीं इतना भेदभावपूर्ण काम कब तक चला लेगा। कोई कालेज खोले, कोई बी.एड. कालेज खोले तो शहर में खोलता है और शहर में भी जयपुर के आस पास ज्यादा हैं। आज भी 52 हमारे उप खण्ड ऐसे हैं जहां कालेज नहीं है, पढ़ने की जगह ही नहीं है और कालेज में पढ़े तो क्या अधिकांश लड़के जो कालेजों में एडमिशन लेते हैं आर्टस में, तेरह प्रतिशत केवल साइंस में हैं, चौदह प्रतिशत कामर्स में, पांच प्रतिशत टैक्निकल में 0.04 पर्सेण्ट एग्रीकल्चर में, एनीमल हस्बैंड्री और एग्रीकल्चर जहां उनको पढ़ना चाहिए, सारा देश जिस पर डिपेन्ड कर रहा है वहां कुछ नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : स्कूल नहीं है तो कालेज में कहां से आएंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं ना आपको, उसी पर आ रहा हूं, स्कूल भी नहीं हैं एग्रीकल्चर के इसलिए कालेज कहां से आएंगे बिलकुल सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक लम्बे समय तक इतना बड़ा भेदभाव जबर्दस्त किया गया है राज्य सरकार उस भेदभाव को दूर करने के लिए कुछ कर रही है कार्यवाही। मैं उदाहरण दूं, राज्य के 52 उप खण्ड, जहां पर कोई कालेज नहीं है इनमें 42 उप खण्ड ऐसे हैं जिनके क्षेत्राधिकार में ही कालेज नहीं है, 264 महाविद्यालयों में 228 महाविद्यालय पन्द्रह जिलों में ही हैं सिर्फ 17 जिलों में 36 महाविद्यालय हैं। नागौर, चूरू, सीकर और धौलपुर जिला मुख्यालय पर कोई भी राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है।

इसी प्रकार एक इस बार हमने अगर अपने मापदण्ड के हिसाब से देखें तो एक लाख की जनसंख्या पर प्रत्येक तहसीलवार महाविद्यालय स्थापित करने का मापदण्ड रखा जाए तो 145...

श्री रामसिंह विश्नोई : जोधपुर में महाविद्यालय पीपाड़ सिटी में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पीपाड़ में है जोधपुर हैड क्वार्टर पर, मैं बता रहा हूं। नागौर, चूरू, सीकर व धौलपुर में जिला मुख्यालय पर कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है मैं यह कह रहा हूं इसी प्रकार अगर हम खोलें तो 145 अतिरिक्त कालेज की आवश्यकता है मापदण्ड के हिसाब से। सरकार किसी संस्था के माध्यम से 145 कालेज खोले तो हमारे पास कालेज का मापदण्ड पूरा होता है और अगर दो हजार विद्यार्थियों के पीछे कालेज के मापदण्ड को माना जाए तो 200 कालेज और खोलेंगे तब होगा। इसलिए संसाधनों की कमी को देखते हुए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार ने तय किया है। उसके अन्तर्गत भी कुछ नीतिगत बातें तय कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने राजकीय महाविद्यालयों में 17 हजार सीटें बढ़ायी हैं। यूनिवर्सिटीज को छोड़कर महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए और 224 नये कालेज स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किये हैं। उनको साफ साफ कहा गया, उन्होंने कहा कहा था आज सभी लोगों ने कि इनकी जांच का काम हो हमने स्पष्ट निर्देश दिये हैं, एन.ओ.सी. में साफ लिखा है, 6 महीने- में निर्धारित यू.जी.सी. के मानदण्डों को पूरा नहीं करेंगे तो अगले साल उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और उनका एफीलिएशन भी खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को निश्चित रूप से मानें।

दूसरा, हमने एक और तय किया है, आज वह कह रहे थे कि हमारे कालेजों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। आज कल्ला साहब नहीं हैं, मैं पूछता उनको, कैसे मिलेंगे। आपने कभी उनकी जांच करायी, उनका सर्टिफिकेट लिया, किसी भी प्रकार से उन्होंने इसकी जांच नहीं करायी तो इस बार हमने प्रारम्भ किया है और पैसे दे दिये हैं कि एक्रेडिशन की जो कार्यवाही है वह कार्यवाही हम कराएंगे। और इसके लिए हमने पैसा दे दिया और सारा काम कर दिया तो यह कार्यवाही हमारे सामने हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास अनुदानित महाविद्यालय हैं, इसमें कोष अपर्याप्त है। अनुदानित संस्थाओं में हमने नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम अनुदानित महाविद्यालयों में नियुक्ति की रोक को हटा रहे हैं। इस शर्त के साथ कि वह स्ववित्त पोषित पदों का अगर सृजन करें तो राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इस रोक को हटा रहे हैं।

इसी प्रकार से रोजगारोन्मुख शिक्षा का अभाव है। उसके लिए हमने 12 निजी विद्यालयों में 36 विषयों में व्यावसायिक शिक्षा कोर्स प्रारम्भ कर दिये हैं। हम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो महाविद्यालय हैं उनमें भी अगले साल से फैकल्टी के रूप में उनको प्रारम्भ करने की सोच रहे हैं।

साथ ही साथ हमने एक और तय किया। राजस्थान के लोग रंगरूट तो बनते हैं, सेना में तो भर्ती होते हैं लेकिन डिफेंस की ठीक से पढ़ाई नहीं होने के कारण हमारे लोग अफसर नहीं बन पाते। हमने तय किया है और एक समिति इसके लिए बना रहे हैं कि अगले शिक्षा सत्र से राजस्थान विश्वविद्यालय में डिफेंस एकेडेमी का कोर्स प्रारम्भ किया जाए तो राजस्थान के लोग सेना में अफसरों की जगह भर्ती हो सकें। यह काम भी हमने तय किया है और उसके लिए भी हम कार्यवाही निश्चित रूप से करने वाले हैं।

इसी प्रकार से हमारे जो विद्यार्थी होते हैं अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको बताया था क्या रोजगार, 64.48 प्रतिशत केवल आर्ट्स, गांवों से आते हैं वहां कोई दूसरा सब्जैक्ट नहीं है, साइन्स नहीं है और नहीं है। आठवीं पढ़ते हैं कालेज में आकर आर्ट्स ले ली, चुनाव लड़ लिया. कालेज में आ गए फिर, अमराराम और घनश्याम तिवाड़ी चुनाव लड़ रहे हैं यहां असेम्बली में तो 13 प्रतिशत विज्ञान में, 14 प्रतिशत वाणिज्य में और 5.2 प्रतिशत विधि में और 0.43 प्रतिशत एग्रीकल्चर में यह हमारी स्थिति है।

अनुदान की जो स्थिति है उसमें भी हम यह कहना चाहेंगे कि जो अनुदानित संस्थाएं हैं उनको धीरे-धीरे इस मामले को किया जाएगा। कोटा और बीकानेर के बारे में आधारभूत सुविधाओं का अभी प्रश्न उठाया था कल्ला साहब ने, संयम लोढ़ाजी ने भी उठाया था और हमारे प्रहलाद गुंजल जी ने भी कोटा के लिए मांग की थी, नहीं हैं शायद चले गए, पिछली सरकार ने इन महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2003 में की थी। लेकिन कुलपति, रजिस्ट्रार एवं वितीय नियंत्रक के पदों के अतिरिक्त और किसी पद का सृजन नहीं किया। एक-एक लाख रूपये में एक-एक विश्वविद्यालय बना दिया। अब हमने तय किया है कि इस बार इनको बजट में हमने तीन करोड़ रूपये का प्रावधान दिया है दोनों के लिए। और साथ ही साथ सम्बद्ध करेंगे कालेजों को भी, वहां के जो कालेज हैं बीकानेर-कोटा के उनको भी उनसे सम्बद्ध करेंगे ताकि दोनों विश्वविद्यालय मजबूत स्थिति में चलें और वह विश्वविद्यालय ठीक से चल सकें इसलिए हमने उनके लिए तीन करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ कुछ नये हम कार्यक्रम करेंगे। एक तो मेडिकल विश्वविद्यालय का बिल, बिल या आर्डिन्स जो भी सम्भव होगा वह करेंगे। एक टैक्निकल विश्वविद्यालय का बिल भी हम करेंगे। एक प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य करने का बिल भी कानून बनाएंगे। और चौथा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह कह रहे थे आज कि एक जिले में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी आवश्यक है। इसलिए हम नये विश्वविद्यालय के लिए, प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए भी हम एक कानून बनाएंगे और विधेयक लाएंगे। और कानून बनाकर राजस्थान में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को अनुमति देंगे लेकिन उन प्राइवेट विश्वविद्यालयों के हम निश्चित रूप से ऐसे मानदण्ड करेंगे कि जो वास्तव में हो, जिनमें पहले रूपऐ जमा कराएं, अपनी जमीन बताएं, अपना कोर्स कराएं इसके बाद हम निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज यह शिक्षा का जो महकमा है केवल पढ़ाने का ही नहीं, रोजगार का अगर साधन देखो तो जितने नये महाविद्यालय की एन.ओ.सी. दी गयी है, जितने नये स्कूल खोले गए हैं, जितने नये स्कूलों की क्रमोन्नति की प्राइवेट की अनुमति दी गयी है और उनमें जो काम हो रहा है, एक लाख आदमियों को परोक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से इसके माध्यम से इस साल इस वित्तीय वर्ष में रोजगार मिलता है तो शिक्षा रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन हो गया। इसलिए शिक्षा में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने की जो सरकार की नीति है, उस नीति के आधार पर निश्चित रूप से हम काम करेंगे। साथ-साथ हम एक इस प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे।

अभी यूरोपियन कम्युनिटी की एक रिपोर्ट आयी उस रिपोर्ट में दो सैक्टर, नालेज सैक्टर और सर्विस सैक्टर, दो की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं इंजीनियरिंग में रहा है, एम.बी.ए. में चले गये, वहां चले गये, नौकरी कहां से लायेंगे, काम कहां से करेंगे। वैसे तो अपन विदेशों का एवरेज देखें तो पता लगेगा कि वहां 80 परसेंट दक्ष आदमी और कहां 5 परसेंट दक्ष आदमी।

अभी पोलोटैक्निक का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया। तो वह एक रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि यूरोपियन कण्ट्री में 2004 से लेकर 2025 तक पांच करोड़ लोगों की सर्विस सैक्टर में आवश्यकता होगी क्योंकि वहां की जन्मदर शून्य हो गयी। जितने आदमी मरते हैं उतने ही जन्मते हैं और

बाकी बूढे जाते जा रहे हैं। चिट्ठियां लेकर रामसिंहजी, बाग में घूमते रहते हैं। अब उनसे कोई काम होता नहीं है। अब वहां सर्विस सैक्टर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एजुकेशन में भी है, टैक्नोलाजी में भी है, सबमें है। तो वहां कहां से लोग आयेंगे। तो जो उन्होंने लिखा है कि यूरोपियन कण्ट्री में तो है नहीं, अमेरिका के लोग वहां जायेंगे नहीं, अफ्रीका के लोग गुंजाइश नहीं है, चीन के लोगं अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं हैं। चीन ने अब यह राष्ट्रीय प्रोग्राम बनाया है कि अंग्रेजी को दस वर्ष में सारे राष्ट्र में पढ़ायेंगे और इस्लामिक कण्ट्रीज में वह आतंकवाद से डरते हुए जाना नहीं चाहते हैं, अलाऊ नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिये जो सबसे बड़ी जगह है वह भारत है। जो पांच करोड़ लोगों को बाहर एक्पोर्ट की या सर्विस सैक्टर और नालेज सैक्टर में जाने की गुंजाइश है उसका भी राज्य सरकार अध्ययन करायेगी और इसी के हिसाब से प्राइवेट सैक्टर को हम अलाऊ करेंगे। उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। वह लोग आएं और यह लोग जायेंगे तो रोजगार का साधन भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इण्डस्ट्री आफ नालेज और सर्विस सैक्टर आज काम के दो बहुत बड़े साधन हैं। राज्य सरकार इन पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। राजस्थान के आज से पहले भी कभी आसाम, कभी महाराष्ट्र और गुजरात जाकर काम करते हैं, मौका पड़ेगा तो बाहर भी जायेंगे और कमाई करेंगे। इस प्रकार से जो उच्च शिक्षा है उसके बारे में हमने नीति निर्धारित की है।

अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत-सी कहने की थी...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा पर तो बहुत कुछ बोल दिया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हो गया?

श्री अध्यक्ष : अब न्याय प्रशासन पर पांच मिनट में बात समाप्त कर दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर बन्द कर दूं?

श्री अध्यक्ष : न्याय प्रशासन पर तो कहो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलिये, मैं बन्द कर देता हूं आपने कह दिया। मैं आपको माननीय सदन को यह...(व्यवधान) दे रहा हूं कि मैं इस पर बन्द कर रहा हूं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

न्याय प्रशासन के बारे में माननीय...

पैराटीचर्स की बात जरूर कहकर समाप्त करूंगा। समस्या मैंने पैदा नहीं की। मैं इसका रिजल्ट निकाल रहा हूं। यह काम रूका क्यों? जब पिछली सरकार ने एक आदेश किया कि 70 परसेंट इनको आरक्षण दिया जाये। दस हजार की भर्ती निकाली थी, सात हजार की भर्ती निकाली थी उनमें 70 परसेंट आरक्षण पैराटीचर्स को दिया गया। यह कैसे, यह मुझे देखकर तकलीफ हुई, रिजर्वेशन में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विधि विभाग लिखता है कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 के खिलाफ है। इसको करना गलत है। सरकार एडवोकेट जनरल की राय लेती है। एडवोकेट जनरल कहता है कि यह करना गलत है, यह काम नहीं करना चाहिये। उसकी ओपीनियन के बाद उनको दिखाने के लिये कि हम आपका रिजर्वेशन कर रहे हैं वह आदेश जारी किया गया। वह आदेश कोर्ट में स्टे हुआ और इस कारण से पैराटीचर्स को आग लगी है। मैंने कोई इसमें लिखा घोषणा पत्र में इस कारण से आग नहीं लगी। आग लगाने वाले कहते हैं कि आपने आग लगा दी उन लोगों के। इस कारण से, मेरे पास हैं, आप कहो तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। वह आदेश भी है, कैसे कर सकते हैं आप। 50 परसेंट आपका संविधान में दिया हुआ है उसको आप खत्म करके एस.सी., एस.टी. के सारे शुल्क खतम करके आप बैकडोर एण्ट्री कर लेंगे इसलिये मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, न्याय प्रशासन के बारे में मुझे आपसे एक ही बात कहनी है। 48 कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्यों से मुझे प्राप्त हुए हैं, विशेषकर प्रस्ताव नये कोर्ट खोलने के सम्बन्ध में हैं...(व्यवधान) मैं ले रहा हूं। ले लेता हूं। एक मिनट ले लेता हूं...

श्री अध्यक्ष : इस समय कटौती प्रस्तावों पर आप उन्हें जवाब दीजिये, कोई आवश्यक नहीं है सब बातों पर कहना। सबके जवाब देना आवश्यक नहीं है। आप भिजवा देना लिखित में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां दे दूंगा। लिखित में भी दे दूंगा।

मदरसा उर्दू टीचर्स के 23 पद खाली हैं उनको शीघ्र भरेंगे। मदरसा बोर्ड अपने ढंग से काम करता रहेगा। उर्दू अकादमी का गठन करेंगे। आपको कोई रूचि हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तो आप मेरे से इस सम्बन्ध में बात कर सकते हैं। गैस्ट फैकलिटी की बात मैंने आपको कही है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में इतना ही कहता हूं। बाकी माननीय सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं उनको जो मिले हैं... गैस्ट फैकलिटी में आपके लिये गुंजाइश है। माहिर साहब, उर्दू अकादमी में गैस्ट फैक्लटी में आपके लिये गुंजाइश है।

इसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो विषय खोलने के सम्बन्ध में, स्कूल खोलने के सम्बन्ध में, कालेज खोलने के सम्बन्ध में, संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में ग्यारह कटमोशन आये हैं उनका जवाब भेजेंगे।

न्याय प्रशासन के बारे में सरकार की एक मान्यता है कि तुरन्त न्याय मिले, सही न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले, नजदीक न्याय मिले इसके लिये राजस्थान उच्च न्यायालय के पिछली बार से अधिक हमने 9 करोड़ का प्रावधान इस बार बजट में लिया है। कई कटौती प्रस्ताव आये हैं न्यायालय में करप्शन, भ्रष्टाचार है। अध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि उनकी नियुक्ति करने का काम, उनकी देखरेख करने का काम भी, उनका संचालन करने का काम भी माननीय उच्च न्यायालय का है। हम तो केवल उनके लिये एक ढांचा तैयार करते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो जो भी कोर्ट खोलने की सिफारिश हमारे पास आयेगी, राज्य सरकार उन कोर्टों को खोलेगी।

भर्ती की प्रक्रिया में जो हाई कोर्ट में 20 पद खाली हैं उनकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। उसका एक चीफ जस्टिस और दो जज का एक कोलेजियम होता है वह कोलेजियम नाम तय करता है। फिर राजस्थान सरकार और गवर्नर के माध्यम से वह सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और चार जज का एक कोलेजियम होता है वह तय करके विधि विभाग में जाता है और फिर राष्ट्रपति महोदय का वारण्ट जारी होता है। उनकी एक प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया के अन्दर वह काम होगा और न्याय के सम्बन्ध में राज्य सरकार कोशिश करेगी।

फास्ट ट्रेक अदालतें भी ठीक से काम कर रही हैं।

एक बात मैं न्याय प्रशासन में कहना चाहूंगा। राज्य सरकार कुछ संशोधन करना चाहती है आई.पी.सी. में ताकि अदालतों को, जैसे 147 में लग गया, समझौता

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नहीं होता तो राज्य सरकार कुछ छूट करके इन धाराओं में राज्य के हिसाब से परिवर्तन करके लोक अदालतों को और अधिक मजबूत करना चाहती हैं ताकि समझौते जो हों वह न्यायालय के बाहर लोक अदालतों में ऐसी धाराओं में भी हो सकें। इस प्रकार से न्याय प्रशासन को मजबूत करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, धैर्यपूर्वक सुना उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मांग संख्या 24 और 6 को पारित किया जाए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, इतिहास की पुस्तकों में जो गलत चीजें लिखी गयी हैं उसके बारे में आपको कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपकी मांग को मैं रखूं उससे पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण आपसे चाहूंगी कि यदि मेरी स्मृति काम दे रही हो मैं जहां तक सोचती हूं आपने पिछली विधान सभा के सत्र में यह घोषणा की थी कि जितने भी लड़कियों के स्कूल हैं चाहे वह किसी भी श्रेणी के हों, सब क्रमोन्नत कर दिये जायेंगे। यह आपने घोषणा की थी तो क्या उस मुताबिक आप सबको करने जा रहे है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल साफ कहना चाहूंगा पिछली बार यह प्रस्ताव हमारा बनकर भारत सरकार के पास गया हुआ है।

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत यह कार्यवाही थी। प्रस्ताव गया हुआ है, अभी तक हमको स्वीकृति नहीं मिली है लेकिन जो स्कूल अभी हमारे पास सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी और अपर प्राइमरी चल रहे हैं उनमें भी हम तय कर रहे हैं कि जहां लड़कियों की संख्या ज्यादा है वहां खोलेंगे और वह प्रस्ताव पचास करोड़ का भारत सरकार को भेजा हुआ है। ज्योंहि वह मंजूर होकर आयेगा, उस योजना पर हम अमल करेंगे। अगर वहां से नहीं हो पाया तो राज्य के संसाधनों के इस समय हम करने में समर्थ नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है ...(व्यवधान) कोई बात तो छोड़ी। नहीं उन्होंने अब क्या पूछना है आपको? पूछ लीजिये। कोई बात कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी :अपन तो बात करते ही रहते हैं और कर लेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं वही बात पूछूंगा आपकी इजाजत से कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अध्यापक लगाने की बात है वह और एक सब्जेक्ट का मामला है। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, वहीं ट्रांसफर करा लेते हैं। पूरे शहर के अन्दर पांच बच्चे कृषि विषय के हैं, बायलोजी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं तो वहां मास्टर रहेगा। गांव में पूरा सब्जेक्ट ही कृषि का है, साइन्स का है उसके बावजूद दो-दो, तीन-तीन साल से वहां पद खाली पड़े हैं तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं आप सबसे पहले गांव के अन्दर यहां स्कूल, हायर सैकेण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी है वहां सब्जेक्टवाइज जो अध्यापक नहीं है लम्बे समय से, आप उन सबको भरने की चेष्टा करें, नम्बर वन।

नम्बर दो, आपने जो जवाब दिया है वह वाकई में ही सन्तोषजनक है, मैं इसमें कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं। एक अध्यापक जोधपुर से, जयपुर से, अजमेर से पढ़ाने जाता है, सुबह जाता है, शाम को वापिस आता है। शहरों से 50 किमी. जाता है उसकी शक्ति खराब होती है। पढ़ाई के प्रति, बच्चों के प्रति वह न्याय नहीं कर सकता है जो उसको करना चाहिए। क्या आप जहां पर उसकी पोस्टिंग हैं वहां पर मुख्यालय के अन्दर रहने के लिए उसको पाबन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : दो तो बहुत होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब देना चाहते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : एक ही है मामला।

श्री सुन्दरलाल : पांच साल में नम्बर कहां गये थे ? आप तो कैबीनेट में थे, बताते लोगों को।

श्री रामसिंह विश्नोई : हम कर नहीं सके। हमने बहुत कोशिश की हम सफल नहीं हो सके।

श्री सुन्दरलाल : आपकी चलती नहीं थी कि कर नहीं सके?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप भी थे और हम भी थे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए और यह भी सफल नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके ऊपर दबाव होगा और यह जो मैं कह रहा हूं कि आप इसमें सफल नहीं हो सकते क्योंकि इतना प्रैशर आता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तस्वीर यह है कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो भेद है, जो आप भत्ता देते हैं शहरी भत्ता,

उस क्षेत्र को बन्द करके ग्रामीण भत्ता कर दें। कोई आकर्षण ऐसा पैदा करें जिससे वह रह सकें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ-साफ़ बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी है हम हां भर चुके हैं। जो टीचर्स अभी नये आ रहे हैं उनके लिए हम तय कर रहे हैं कि पांच साल तक वह वहां रहें उसके बाद ही वह स्थायी हो पायेंगे, नहीं तो वह स्थायी नहीं होगा। नम्बर दो, मैं खुद यह कह रहा हूं कि कई बार स्कूल, स्कूल के टाइम से नहीं खुलते हैं बस के टाइम से खुलते हैं। इसके लिए हम चैकिंग की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। यह अभी जो हमारा प्रवेश का कार्यक्रम था उसमें हमारे सैक्रेटरी भी चार जिलों में गये थे, डायरेक्टर भी गये थे, सब गये थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इन्सपेक्टर सब तक यह करना चाहता हूं, इसके लिए एक काम और किया है हमने एक काम यह किया कि पहले इन्सपेक्टर होते थे करीब-करीब 60 वर्ष की उम्र में आकर के बनते थे। हमने अब तय किया है कि डायरेक्ट रूप से भर्ती के लिए अभ्यर्थनाएं दे दी हैं। तीस लड़के नये डायरेक्ट इन्सपेक्टर बनेंगे, उसके हिसाब से इन्सपेक्शन का काम बनेगा। एक सीनेट, जो कल्ला जी कह रहे थे, चार करोड़ की लागत से प्रशिक्षण का यहां पर एक भवन बन रहा है जयपुर में, इसमें निरन्तर इनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा। वह भी हम चालू कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक सूचना मैं देना भूल गया, डीपीईपी के बारे में बहुत सारी शिकायतें थी कि डीपीसी वहां पर जो बनता था वह लोगों के नियन्त्रण में नहीं रहता था। हमने अब तय कर दिया है, आदेश कर दिये हैं कि डी.ई.ओ. एलीमेन्ट्री वहां जिले में वह डी.पी.सी. का इन्चार्ज होगा और डीपीसी उसके नीचे होगा। इस प्रकार से हमने उस पर भी नियन्त्रण कर दिया है।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के समबन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष तक किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 39,85,61,21,000/- (उनतालीस अरब पिचासी करोड़ इक्सड लाख इक्कीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–6 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-06-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,35, 30, 82, 000/- (एक अरब पैंतीस करोड़ तीस लाख बयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.05 बजे सोमवार, 26 जुलाई, 2004 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण नहीं लिये जा सके सदन में तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य से बाहर निगम बस स्टैण्ड्स पर मूलभूत सुविधाएं

276. डा. बुल्लाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश से बाहर जाने वाली बसों को खड़ा करने हेतु पर्याप्त स्टेण्ड का अभाव है तथा वहां मूलभूत सुविधाएं यथा; छाया, छत, पानी शौचालय, सुरक्षा गार्ड आदि का प्रावधान नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश से बाहर जाने वाली बसों की चैकिंग हेतु कोई स्थाई व्यवस्था नहीं होने से परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कार्य योजना बनाने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 14 जून, 2004 को हरिद्वार से फलौदी आने वाली बस से सम्बन्धित कन्डेक्टर श्री रणजीत सिंह ने विजय कुमार सोनी एवं उनके परिवार के साथ गाली गलौच की तथा अश्लील गालियां दी?

(4) क्या यह सही है कि श्री विजय कुमार सोनी ने फलौदी प्रबन्धक श्री जे.पी. शर्मा से बात कर पूरा प्रकरण उन्हें बताया किन्तु इसके बाद भी उक्त कन्डेक्टर द्वारा इस परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया? इस सम्बन्ध में परिवहन निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए निगम क्या कार्यवाही करने का विचार रखता है?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम का प्रदेश के बाहर स्वयं का कोई बस स्टेण्ड नहीं होता है अपितु प्रदेश से बाहर जाने वाली परिवहन निगम की बसों को खड़ा करने के लिये उन राज्यों में स्थित निगमों के अधिकृत बस स्टेण्डों एवं वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधायें छाया, पानी, छत, शौचालय, सुरक्षा गार्ड आदि का उपयोग किया जाता है।

(यातायात मंत्री)

(2) प्रदेश के बाहर जाने वाली बसों की चैकिंग परिवहन निगम के अधिकृत चैकिंग दलों द्वारा की जाती हैं।

निगम की बसों में यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सूचित जांच व कार्यवाही की जाती है। विद्यमान व्यवस्था के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में पृथक से कोई कार्य योजना का विचार नहीं है।

(3) इस बस के इस परिचालक के विरूद्ध एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई है।

(4) जी हां। शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य प्रबन्धक, फलौदी को मोबाइल फोन पर श्री रणजीत सिंह द्वारा उन्हें सीट नहीं दिये जाने तथा दुर्व्यवहार सम्बन्धी शिकायत की गई थी। प्राप्त शिकायत परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

उक्त शिकायत के सम्बन्ध में परिचालक से दिनांक 19.6.2004 को स्पष्टीकरण मांगा जाकर आरोप पत्र दिया जाकर जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में जांच कार्यवाही विचाराधीन चल रही है। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु समस्त परिचालकों को पुन: निर्देश दे दिए गए हैं।

परिशिष्ट-1

मुख्य प्रबन्धक,

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

फलौदी।

विषय : श्री रणजीतसिंह कन्डक्टर द्वारा मेरे साथ एवं मेरे परिवार के साथ किये गये दुर्व्यहार के सम्बन्ध में शिकायत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं दिनांक 14.6.2004 को हरिद्वार से फलौदी बस द्वारा मेरे माता-पिता एवं परिवारजनों के साथ आना चाहता था। मैं दोपहर 1.30 बजे हरिद्वार के बस स्टेण्ड पर जहां फलोदी की बस खड़ी रहती है वहां कन्डक्टर श्री रणजीत सिंह से मिलकर 7 सीटों के लिए (हरिद्वार से फलौदी) बात तय कर ली एवं परिवारजनों को बस में बिठाने लगा तभी कन्डक्टर ने मना कर दिया एवं प्रति

सवारी 50 रू. अतिरिक्त देने पर सीट देने के लिए कहा परन्तु मैंने अतिरिक्त पैसे देने से मना कर देने पर श्री सिंह भड़क गये एवं गाली गलोच पर आ गये। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को स्त्रियों सहित अश्लील गालियां दी एवं मारने की धमकियां दी, श्री सिंह के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री सिंह ने उसी समय मेरे सामने 10-15 यात्रियों को बुकिंग कलर्क से टिकट दिलवाये एवं सीटे दी इस मिलीभगत में बुकिंग कलर्क भी साथ थे। मैंने वहां से मोबाईल पर फलौदी प्रबन्धक श्री जे.पी.शर्मा से बात की एवं पूरा प्रकरण मेरे मित्र के साथ उन्हें बताई परन्तु कुछ नहीं हुआ। श्री शर्मा से बात करने पर श्री सिंह और ज्यादा भड़क गये एवं श्री शर्मा को भी अश्लील गालिया दी।

कन्डक्टर श्री सिंह ने गाली गलौच करते हुए कहा कि 'राजस्थान रोडवेज के सभी अफसरों को रिश्वत देता हूं, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता एवं मुझे पैसा कमाने का पूरा मौका देते हैं।'

गौरतलब है एवं हैरानी भी है कि राजस्थान रोड़वेज की चैकिंग एवं सतर्कता चैकिंग प्रदेश से बाहर नहीं के बराबर है इसलिए उक्त कथन में पूरी सच्चाई है। उक्त घटना के बाद हमें उसी दिन 14.6.2004 को सायं 5 बजे हरिद्वार से बाड़मेर आगार की बस द्वारा जोधपुर आना पड़ा एवं जोधपुर से कार द्वारा फलौदी आये। हमें बहुत ही मानसिक पीड़ा हुई समय बर्बाद हुआ, हमारी बेइज्जती हुई, स्त्रियों का अनादर आपके कर्मी द्वारा किया गया उनके खिलाफ कार्यवाही कर हमें अवगत कराये।

उक्त घटना से फलौदी डिपों की आय को भी धक्का लगा एवं छवि खराब हुई। जांच करें एवं कार्यवाही करें।

भवदीय
विजय कुमार सोनी
जोशी स्ट्रीट, फलौदी

प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
जयपुर।

विषय : राजस्थान रोडवेज में व्याप्त असुविधा एवं भ्रष्टाचार बाबत।

महोदय,

उक्त विषय में लेख है कि राजस्थान रोडवेज की बसे राजस्थान प्रदेश से बाहर की यात्रा पर जाती-आती है तो उसमें बहुत ही असुविधा, असुरक्षा एवं भ्रष्टाचार होता, यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती जिसका हर मानव को अधिकार होता है1 रोडवेज की टिकट प्रणाली में उक्त मूलभूत सुविधाओं हेतु हर यात्री से पैसा वसूल लिया जाता है एवं उक्त सुविधा प्रदान नहीं करना राजस्थान रोड़वेज की सेवाओं में कमी दर्शाता है। जो निम्नलिखित है—

1. राजस्थान प्रदेश से बाहर जाने पर वहां बसों के खड़े करने हेतु किसी भी तरह के स्टेण्ड या जगह नियम नहीं है।

2. जिस किसी गलत सही जगह बसे अपना स्टेण्ड बनाती है वहां मानवों हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती जैसे-छाया, छत, बैठने का स्थान इन्तजार हेतु, शौचालय, सुरक्षा गार्ड इत्यादि।

3. प्रदेश से बाहर जाने पर रोड़वेज प्रशासन की तरफ से बसो के चैकिंग की कोई पुख्ता व्यवस्था नही है इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एवं भ्रष्टाचार से प्राप्त राशि अधिकारियों से होती हुई मंत्रियों तक भी पहुंच सकती है।

4. प्रदेश से बाहर जैसे भी स्टेण्ड है उन पर रोड़वेज के किसी भी स्तर के अधिकारी शिकायत सुनने हेतु उपलब्ध नही होते। भ्रष्टाचार आराम से होता है एवं कन्डक्टर आये दिन यात्रियों से दुर्व्यवहार करते है।

5. वहां पर बुकिंग कलर्क हेतु खुले आसमान में बिना किसी सुरक्षा प्रहरी के लाखों रूपये के टिकिट बेचकर आय करने हेतु लावारिश छोड दिया जाता है, लूटपाट बहुत आसानी से हो सकती है।

6. वर्षा या तूफान में बुकिंग कलर्क टिकट एवं रूपये थैले में डालकर भाग खड़ा होता है। यात्री भगवान के भरोसे वहीं रहते है।

मेरे उक्त तथ्यों पर गौर करें एवं आवश्यक कार्यवाही कर उपरोक्त व्यवस्था में सुधार करें। मैंने उक्त असुविधाएं दिनांक 14.6.2004 को हरिद्वार से जोधपुर टिकिट नम्बर जे.डी.एल 2426 से 2432 द्वारा यात्री के रूप में यात्रा कर भोगी है।

पाली जिले में बबूल ठेके में व्याप्त अनियमितता

277. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) एवं श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में मार्च, 1999 में सरकार द्वारा वन क्षेत्र में बबूल उन्मूलन हेतु ठेका दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त ठेके की सेवा शर्तें क्या-क्या थी ? निविदा मय शर्तों के जारी परिपत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार द्वारा ठेके की सभी शर्तों की पालना समय-समय पर पूर्ण की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बबूल काटने की जगह कीमती वृक्षों की कटाई कर वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से पांच हजार हरे वृक्षों की कटाई कर कोयला बनाकर बेचा गया जिसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपये आंकी गई है? उक्त कार्य में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण की जांच लम्बित है? यदि हां, तो जांच किस स्तर पर विचाराधीन है एवं लम्बित रखने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वन मण्डल पाली के अधीन घास जोड़ों से अंग्रेजी बबूल उन्मूलन हेतु ठेका दिया गया था। जारी विज्ञप्ति क्रमांक 250 दिनांक 8.1.1999 की प्रति संलग्न प्रस्तुत है (परिशिष्ट 'क') इसके अतिरिक्त इकरारनामें की प्रति परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न प्रस्तुत है। नियम ठेकेजात जंगल राजस्थान 1958 की प्रति परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पाली वन मण्डल में कुल 6 ठेके अंग्रेजी बबूल उन्मूलन कार्य के लिए दिये गये थे। इनमें से दो ठेकेदारों द्वारा ठेके की कुछ शर्तों की पालना पूर्ण

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

रूप से नहीं की गई। पालना का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही था।

(3) यह सही नहीं है कि वन विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से 5000 हरे पेड़ों की कटाई कर कोयला बनाकर बेचा गया। परन्तु घास जोड़ कालूलाम्बिया में गणना करने पर 744 पेड़ अवैध कटना पाया गया। इस बाबत ठेकेदार से पेडों की कीमत तथा शास्ति वसूल की गई है। तत्कालीन उप वन संरक्षक, पाली के विरूद्ध एक शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच लम्बित है। क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, वनरक्षक एवं तीन पशुरक्षकों के विरूद्ध सीसीए नियमों के तहत जांच कराई जाकर दो लोकसेवकों को दण्डित किया गया है। दण्ड आज्ञा की प्रति संलग्न प्रेषित है।

(4) तत्कालीन उप वन संरक्षक, पाली के विरूद्ध प्रमुख शासन सचिव एवं अध्यक्ष , जल संसाधन एवं इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, राजस्थान, जयपुर के स्तर पर लम्बित है। जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त न होने से कार्यवाही अपेक्षित है।

(विज्ञप्ति की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अपेक्स बैंक, जयपुर सहायक महाप्रबन्धक के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण

278. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में अपेक्स बैंक (राजस्थान राज्य सहकारी बैंक) जयपुर में सहायक महाप्रबन्धक के पद पर कौन अधिकारी कब से सेवारत है?

(2) वर्तमान पदस्थापन से पूर्व उक्त अधिकारी कहां-कहां पद स्थापित रहा एवं उसके विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई एवं उक्त शिकायतों/ आरोपों में से किस-किस स्तर पर जांच कार्यवाही चल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक,

(श्री हेमराज मीणा)

सवाई माधोपुर, झालावाड़ एवं कोटा के महाप्रबन्धक पद पर भी कार्य कर चुके हैं ? यदि हां, तो कब-कब? पदस्थापन के दौरान उक्त के विरूद्ध गबन एवं अनियमितता के क्या-क्या मामले दर्ज हुये? इसकी किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई ? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें व इनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में अपेक्स (राजस्थान राज्य सहकारी बैंक), जयपुर में सहायक महाप्रबन्धक के पद पर निम्नलिखित अधिकारी उनके सामने अंकित दिनांक से कार्यरत है:

क्र. सं.	नाम सहायक महाप्रन्धक	तिथि जिससे सहायक महाप्रन्धक के पद पर बैंक में कार्यरत है
1.	श्री आर.के.मीणा	5.2.1998
2.	श्री एल.एल. गुप्ता	4.2.1988
3.	श्री जी.एस. चौहान	4.2.1988
4.	श्री ए.आर. मीणा	6.2.1988
5.	श्री आर.एस. अग्रवाल	17.5.1989
6.	श्री एस.के. जैन	3.8.1992
7.	श्री आर.सी. माथुर	3.8.1992
8.	श्री के.एम. बाबेल	18.8.1992
9.	श्रीमती अलका गौतम	25.3.1995
10.	श्री आर.पी. रस्तौगी	28.3.1995
11.	श्री डी.के. सक्सेना	10.5.1999
12.	श्री एस.के. गंगवार	14.9.2000

(सहकारिता मंत्री)

(2) वर्तमान पदस्थापन से पूर्व उक्त अधिकारियों के पदस्थापन उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतों/आरोपों सम्बन्धी विभिन्न स्तरों पर चल रही जांच कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। उपरोक्त अधिकारियों में से श्री एस.के. जैन, श्री आर.के. मीणा ही सवाईमाधोपुर, झालावाड़ एवं कोटा, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में प्रबन्ध निदेशक के पद पर निम्न विवरणानुसार कार्यरत रहे है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	बैंक में कार्यरत रहने की अवधि		
		सवाईमाधोपुर	झालावाड़	कोटा
1.	श्री आर.के. मीणा	मार्च 1982 से मई 1983, फरवरी 1984 से दिसम्बर 1984, सितम्बर 1986 से सितम्बर 1987	अक्टूबर 2001 से जुलाई 2002	मई 1999 से जुलाई 2001
2.	श्री एस.के. जैन	सितम्बर 1984 से दिसम्बर 1985	नवम्बर 1981 से अगस्त 1984	अक्टूबर 1995 से अप्रैल 1999 जुलाई 2004 से लगातार

पदस्थापन के दौरान उक्त अधिकारियों के विरूद्ध गबन/अनियमितताओं के प्राप्त प्रकरणों एवं प्रकरणों की जांच करने वाले अधिकारी का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। जांच प्रतिवेदन एवं जांच पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की गई।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन के स्थानों का विवरण	शिकायत प्राप्ति एवं शिकायत का विवरण	जांच अधिकारी एवं जांच कार्यवाही का विवरण तथा जांच उपरान्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री आर.के. मीणा	सवाई माधोपुर, टोंक कोटा, झालावाड़, बून्दी, केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रबन्ध निदेशक पद पर।	1. कोटा सहकारी बैंक में प्रबन्ध निदेशक पद पर रहते हुए अनियमित रूप से ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री एन.आर. खंगार, उप महाप्रबन्धक से जांच कराने पर आरोप प्रमाणित नहीं होने एवं राज्य सरकार से जांच प्रकरण समाप्त किये जाने के अनुसरण में जांच कार्यवाही समाप्त की गई। विभाग द्वारा इस प्रकरण में राज. सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गर्ग, मोनेटरिंग आफिसर, आई.सी.डी.पी. से जांच कराई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।
			2. मित्रपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, सवाईमाधोपुर के गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में।	शीर्ष बैंक के स्तर से की गई जांच में शिकायत के आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रकरण ड्राप किया गया।
			3. टोंक सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए शिकायत प्राप्त हुई।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री पी.एम. खत्री, उप महाप्रबन्धक (I&S) से जांच करवाकर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।
			4. टोंक सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए आडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ था।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री बी.एल. रावत, उप महाप्रबन्धक (I&S) से जांच करवाने पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण वर्णित प्रकरण संचित किया गया।
			5.प्रबन्ध निदेशक, सवाईमाधोपुर	शीर्ष बैंक स्तर से स्पष्टीकरणप्राप्त करने पर स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद

1	2	3	4	5
			सीसीबी के पद पर रखते हुए पाखर जीएसएस के व्यवस्थापक के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई।	पाया गया। अत: प्रकरण समाप्त कर दिया गया।
2.	श्री एल.एल. गुप्ता	सरोही सीसीबी, क्षे. का. शीर्ष बैंक-जयपुर, जोधपुर।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं।	
3.	श्री जी.एस. चौहान	क्षेत्रीय कार्यालय शीर्ष बैंक उदयपुर एवं झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	
4.	श्री ए.आर. मीणा	जैसलमेर, सीकर, उदयपुर, जालौर, डूंगरपुर, बाड़मेर सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर एवं क्षे.का. शीर्ष बैंक, बीकानेर में सहायक महाप्रबन्धक के पद पर।	1. स्टेशनरी प्रिन्टिंग आदि की शिकायत	सहकारी अधिनियम के तहत जारी जांच परिणाम एवं दिये गये निर्णय के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया गया।
			2. बैंक को आर्थिक हानि पहुंचाने, धोखाधडी एवं नियम विरूद्ध स्थानान्तरण एंव फर्जी यात्रा बिल बनाकर राशि हडपने के क्रम में प्राप्त शिकायत।	श्री जी.एस. शर्मा, तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार, जयपुर से धारा 55 के अन्तर्गत जांच करायी गयी एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच परिणाम जारी किये जाकर शीर्ष बैंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर तत्कालीन सहकारिता मंत्री महोदय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है।
			3. श्री आशाराम मीणा के बाडमेर सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक पद पर रहते हुए अनियमितताओं के सम्बन्ध में।	शीर्ष बैंक स्तर से उप महाप्रबन्धक (प्र.का.) श्री आर.एल. सोनी से जांच कराई गई। आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण आरोप मुक्त किया गया।
			4. जैसलमेर सीसीबी में 1985 से 1988 तक	शीर्ष बैंक स्तर पर इस सम्बन्ध में श्री पी.एम.खत्री, उप महाप्रबन्धक

1	2	3	4	5
			अधिकारों का दुरूपयोग, बैंक राशि का गबन, व्यवस्थापकीय सेवानियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत।	(निप) से जांच कराई गई तथा आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभावी से रोककर दण्डित किया गया।
			5. सीकर सीसीबी में कार्यरत रहते हुए बैंक जीप का दुरूपयोग।	शीर्ष बैंक स्तर से इस सम्बन्ध में जांच कराई गई तथा आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोककर दण्डित किया गया।
			6. आई.सी.डी.पी. परियोजना, सीकर में फर्नीचर क्रय में अनियमितता।	निदेशालय, निरीक्षण विभाग द्वारा आई.सी.डी.पी. परियोजना, सीकर के लेखों की जांच के आधार पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में शीर्ष बैंक द्वारा श्री मीणा को सीसीए-16 में आरोप पत्र जारी किया गया।
5.	श्री आर. एस. अग्रवाल	प्रधान कार्यालय शीर्ष बैंक, जयपुर, बीकानेर	कोई शिकायत प्राप्त नहीं	
6.	श्री एस.के. जैन	एवं सवाई माधोपुर, झालावाड, कोटा, सिरोही, सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर एवं क्षे.का. शीर्ष बैंक, जयपुर, जोधपुर में सहायक महाप्रबन्धक के पद पर।	1. झालावाड़ सीसीबी में श्री लक्ष्मी नारायण दाधीच व्यवस्थापक को अनुचित संरक्षण एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री पी.सी. व्यास, उप महाप्रबन्धक से जांच कराई गई जांच में श्री जैन को दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्वि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।
			2. कोटा होलसेल भण्डार से सामान क्रय करने में अनियमिता के सम्बन्ध में बैंक एम्पलाइज यूनियन से प्राप्त शिकायत।	शीर्ष बैंक द्वारा श्री एल.एल. गुप्ता, सहायक महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से जांच करायी जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।
			3. बैंक की जीप के दुरूपयोग एवं स्टेशनरी प्रिन्टिंग बाबत।	शीर्ष बैंक स्तर पर इस प्रकरण की संयुक्त रजिस्ट्रार, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच के

1	2	3	4	5
				आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप दोषमुक्त किया गया।
			4. अध्यक्ष, धाकडखेडा ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्राप्त शिकायत।	प्रकरण में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है।
			5. सवाईमाधोपुर सीसीबी में कार्यरत रहते समय अधिकारों को दुरूपयोग, नियमों की अवहेलना, कर्तव्यों में लापरवाही एवं श्रवण कुमार, निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	शीर्ष बैंक स्तर से प्रबन्धक (निप) से जांच कराई गई। जांच में आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण आरोपमुक्त किया गया।
			6. श्री आर.सी. शर्मा, अध्यक्ष, कोपरेटिव बैंक असोसियेशन, कोटा की शिकायत	विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 48(18) संविरा/बैंक-2/07 दिनांक 14.7.1998 से शीर्ष बैंक प्रबन्ध निदेशक को जांच कराकर कार्यवाही के निर्देश दिये गये, जिस पर शीर्ष बैंक स्तर से कार्यवाही होना अपेक्षित है।
7.	श्री आर.सी. माथुर	क्षे.का. शीर्ष बैंक, कोटा, जयपुर, जोधपुर एवं प्रबन्ध निदेशक सिरोही स.मा.	1. सहकारिता विभाग के पत्र दिनांक 26.5.98 के अनुसार सिरोही बैंक में प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए नियम विरूद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत लिखा गया था।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री के.डी. पारेख, उप महाप्रबन्धक से वर्णित प्रकरण की जांच कराई गई। जांच उपरान्त श्री माथुर को आरोप से दोषमुक्त पाया गया।
8.	श्री के.एम. बाबेल	प्रधान कार्यालय, शीर्ष, बैंक, जयपुर	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	
9.	श्रीमती अलका गौतम	प्रधान कार्यालय, शीर्ष बैंक, जयपुर	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	
10.	श्री आर.पी. रस्तौगी	क्षे.का. शीर्ष बैंक, कोटा, जयपुर, जोधपुर।	कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	

1	2	3	4	5
11.	श्री डी.के. सक्सेना	शीर्ष बैंक क्षे.का. कोटा, प्रधान कार्यालय, जयपुर	कोई शिकायत प्राप्त हुई है।	
12.	श्री एस.के. गंगवार	शीर्ष बैंक, क्षेत्रीय शाखा कार्यालय बीकानेर, प्रबन्ध निदेशक, सीसीबी, झुन्झुनू	1. प्रबन्ध निदेशक, सीसीबी, झुन्झुनू के पद पर रहते हुए नियम विरूद्ध पदोन्नतियां किये जाने बाबत शिकायत 5.4.2004 को प्राप्त हुई।	इस प्रकरण के सम्बन्ध में संयुक्त रजिस्ट्रार, खण्ड, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। प्राप्त रिपोर्ट में उल्लेखित बिन्दुओं पर प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. झुन्झुनू से कीगई कार्यवाही की जानकारी चाही गई है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापन के स्थानों का विवरण	शिकायत प्राप्ति एवं शिकायत का विवरण	जांच अधिकारी एवं जांच कार्यवाही का विवरण तथा जांच उपरान्त दोषी अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण।
1	2	3	4	5
1.	श्री आर.के. मीणा	सवाईमाधोपुर, टोंक, कोटा, झालावाड, बून्दी केन्द्रीय सहकारी बैंक में प्रबनध निदेशक पद पर।	1.कोटा सहाकारी बैंक में प्रबन्ध निदेशक पद पर रहते हुए अनियमित रूप से ऋण स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री एन.आर. खंगार, उप महाप्रबन्धक से जांच कराने पर आरोप प्रमाणित नहीं एवं राज्य संरकार से जांच प्रकरण समाप्त किये जाने के अनुसरण में जांच कार्यवाही समाप्त की गई। विभाग द्वारा इस प्रकरण में राज. सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गर्ग, मोनेटरिंग आफिसर, आई.सी.डी.पी. से जांच कराई गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है।
			2. मित्रपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, सवाईमाधोपुर के गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में।	शीर्ष बैंक के स्तर से की गई जांच में शिकायत के आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रकरण ड्राप किया गया।
			3. टोंक सीसीवी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए शिकायत प्राप्त हुई।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री पी.एम. खत्री, उप महाप्रबन्धक (I&S) से जांच करवाकर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

1	2	3	4	5
			4. टोंक सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर रहते हुए आडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ था।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री बी.एल. रावत, उप महाप्रबन्धक (I&S) से जांच करवाने पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण वर्णित प्रकरण संचित किया गया।
			5. प्रबन्ध निदेशक, सवाईमाधोपुर सीसीबी के पद पर रखते हुए पाखर जीएसएस के व्यवस्थापक के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई।	शीर्ष बैंक स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर स्पष्टीकरण सन्तोषप्रद पाया गया। अतः प्रकरण समाप्त कर दिया गया।
2.	श्री एस.के. जैन	सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा, सिरोही, सीसीबी में प्रबन्ध निदेशक के पद पर एवं क्षे.का. शीर्ष बैंक, जयपुर, जोधपुर में सहायक महाप्रबन्धक के पद पर।	1. झालावाड़ सीसीबी में श्री लक्ष्मी नारायण दाधीच व्यवस्थापक को अनुचित संरक्षण एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत।	शीर्ष बैंक स्तर से श्री पी.सी. व्यास, उप महाप्रबन्धक से जांच कराई गई जांच में श्री जैन को दोषी पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।
			2. कोटा होलसेल भण्डार से सामान क्रय करने में अनियमितता के सम्बन्ध में बैंक एम्पलाइज यूनियन से प्राप्त शिकायत।	शीर्ष बैंक द्वारा श्री एल.एल. गुप्ता, सहायक महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से जांच करायी जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।
			3. बैंक की जीप के दुरूपयोग एवं स्टेशनरी प्रिन्टिंग बाबत।	शीर्ष बैंक स्तर पर इस प्रकरण की संयुक्त रजिस्ट्रार, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच के आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप दोषमुक्त किया गया।
			4. अध्यक्ष, धाकडखेडा ग्राम सेवा सहकारी समिति से प्राप्त शिकायत।	प्रकरण में सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 55 के अन्तर्गत जांच विचाराधीन है।

1	2	3	4	5
			5. सवाईमाधोपुर सीसीबी में कार्यरत रहते समय अधिकारों का दुरूपयोग, नियमों की अवहेलना, कर्तव्यों में लापरवाही एवं श्रवण कुमार निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।	शीर्ष बैंक स्तर से प्रबन्धक (निप) से जांच कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण आरोपमुक्त किया गया।
			6. श्री आर.सी. शर्मा, अध्यक्ष, कोपरेटिव बैंक असोसियेशन, कोटा की शिकायत।	विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 48(18) सविरा/बैंक-2/07 दिनांक 14.7.98 से शीर्ष बैंक प्रबन्ध निदेशक को जांच कराकर कार्यवाही के निर्देश दिये गये, जिस पर शीर्ष बैंक स्तर से कार्यवाही होना अपेक्षित है।

प्रश्न संख्या –279

(स्थगित)

ग्राम-नरसाणा (भीनमाल) में स्वीकृत जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य

280. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिला स्तरीय जिला ग्रामीण विकास समिति की बैठक में दिनांक 8 जनवरी, 2003 को परियोजना जिला ग्रामीण नरसाणा 14/1 ग्राम-रा पंचायत समिति भीनमाल को स्वीकृति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यही भी सही है कि उक्त ग्राम में जल ग्रहण कमेटी बनाई गई तथा राशि भी स्वीकृत की गई? यदि हां, तो कब-कब कार्य शुरू किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अब उक्त कार्य को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निरस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त परियोजना को पुन: चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जलग्रहण विकास समिति की दिनांक 8.1.2003 को आयोजित बैठक में जलग्रहण परियोजना नरसाणा 14/1 (ग्राम राह) पंचायत समिति भीनमाल की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत की प्रति परिशिष्ट 'अ' (अ. 1 से अ. 4) पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। स्वीकृत परियोजना के लिए जलग्रहण कमेटी बनाई गई थी। पांच सौ हैक्टर क्षेत्रफल की इस परियोजना हेतु रूपये 30.00 लाख लागत की प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषद जालौर के कार्यालय आदेश क्रमांक डीडीपी/2003/3112 दिनांक 27.5.2003 के जरिये प्रदान की गई थी परिशिष्ट 'ब' (ब-1 व 2)। परियोजना अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी भीनमाल द्वारा करवाये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ब' (ब. 3 से ब. 4)।

(3) जी हां। ग्राम में जलग्रहण परियोजना 14/1 (राह) के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो गया था। अत: दिनांक 8.6.2004 को जिला जलग्रहण विकास समिति की आयोजित बैठक में निरस्त करने का निर्णय लिया गया ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। विवरण परिशिष्ट-स (स. 1 से स. 11)।

(4) उत्पन्न विवाद की गम्भीरता के मध्य नजर ही जिला परिषद द्वारा स्वीकृत परियोजना को निरस्त किया गया है। राज्य सरकार के पास परियोजना को पुन: चालू कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वाहन चोरी की रोकथाम हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ

281. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में राज्य में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में हुई वाहन चोरी का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किस प्रकार से कितने-कितने वाहन चोरी गये तथा उनमें से कितने वाहन पुलिस द्वारा बरामद किये जाकर अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या पुलिस जांच में ऐसे ठिकानों का पता चला है जहां चोरी के वाहन पहुंचाये जाते हैं तथा वहां उन्हें खोलकर अलग-अलग कर दिया जाता है, जिससे वाहन बरामद नहीं हो पाते हैं ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है?

(4) क्या सरकार वाहन चोरी कीं वारदातें रोकने के लिये अलग से सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसे कब तक कार्यरूप में परिणित किया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि गत पांच वर्षों में 1999 से 2003 तक वाहन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, जिनमें वर्ष 1999 में 3762, वर्ष 2000 में 3662, वर्ष 2001 में 4169, वर्ष 2002 में 4512, वर्ष 2003 में 5080 अभियोग वाहन चोरी के दर्ज हुए। वाहन चोरी का जिलेवार विवरण परिशिष्ट -'अ,ब,स,द,य' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कुल 21,185 वाहन चोरी के अपराध दर्ज हुए जिनमें से दो पहिया वाहन के कुल 17,076 व अन्य वाहन के कुल 4109 अपराध दर्ज हुए हैं जिनमें से पुलिस द्वारा कुल 8444 वाहनों को बरामद किया गया है जिनमें से दो पहिया वाहन के 6160 व चौपाया व अन्य वाहन के 2284 वाहन बरामद किये जाकर अपराधियों के खिलाफ चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं शेष रहे वाहनों की तलाश दिगर मुकदमात के साथ जारी है। वर्षवार अपराधों व बरामद किये वाहनों का विवरण निम्नप्रकार है :-

(गृह मंत्री)

वर्ष	दो पहिया वाहन			चौपहिया वाहन			कुल	कुल	शेष
	चोरी गये	बरामद	शेष	चोरी गये	बरामद	शेष	चोरी गये	बरामद हुये	कुल शेष रहे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999	2937	1114	1823	825	498	327	3762	1612	2150
2000	2876	1045	1831	786	435	351	3662	1480	2182
2001	3331	1204	2127	838	451	387	4169	1655	2514
2002	3696	1471	2225	816	430	386	4512	1901	2611
2003	4236	1326	2910	844	470	374	5080	1796	3284
योग	17076	6160	10916	4109	2284	1825	1185	8444	12741

(3) राज्य में जांच के दौरान धौलपुर जिले में कस्बा बाडी में सूरज उर्फ कदीर नि. धौलपुर ने महाराज बाग पैट्रोल पम्प के पास वर्कसोप खोल रखा है उस वर्कसोप में वाहनों का कलर व बाडी चेंज करता है। इस सम्बन्ध में थाना बाडी पर मु.नं. 75/04 धारा 379, 411, 413, 420, 467, 471 भादस में दर्ज कर बाद अनुसन्धान मुल्जिमान सूरज उर्फ कदीर, मानसिंह, कमलकिशोर, बन्टी को गिरफ्तार किया गया है रामबीर मीना को गिरफ्तार करना शेष है।

जयपुर शहर के मुरलीपुरा थाना द्वारा अनुसन्धान के दौरान वर्ष 1998 में चोरी गये वाहनों के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा सं. 4/98, 16/98, 47/98 और 52/98 में रहे अभियुक्तों :- (1) भंवर लाल पुत्र श्री लच्छाराम जाति-जाट उम्र 19 साल, निवासी बड़ा गांव, पुलिस थाना नेछवा, जिला सीकर (2) प्रेमसुख पुत्र श्री हरयाल सिंह जाति जाट, उम्र 20 साल, निवासी लालाणा, पुलिस थाना नेछवा, जिला-सीकर (3) गोपाल पुत्र श्री धन्नालाल, जाति-जांगिड़, उम्र 38 साल, निवासी रेलवे घूमचक्कर के पास, बाबूलाल लोहे वाले के पीछे, रींगस जिला सीकर (4) जगदीश पुत्र श्री नोपाराम, जाति-जाट, उम्र 25 साल, निवासी बड़ा गांव (नासणवा), पुलिस थाना, नेछवा, जिला सीकर को गिरफ्तार किया जाकर इनके कब्जे से चोरी गई महेन्द्रा डी.आई. जीपें, कुल 4 व सिन्धी कैम्प की कुल 2 गाडियां बरामद की गई थी।

(गृह मंत्री)

उपरोक्त चोर जयपुर शहर से वाहन चुरा कर श्री गोपाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति जांगिड, उम्र 38 साल, निवासी रेलवे घूमचक्कर के पास, बाबूलाल लोहे वाले के पीछे, रींगस, जिला सीकर अपने स्वयं के बने कारखाना रींगस में चुराये हुए वाहनों को खोलकर अलग-अलग कर बेच देता था। अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया तथा उपरोक्त चारों मुकदमों में चालान किया जा चुका है।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य में ऐसे ठिकानों का पता नहीं चला है, जहां चोरी के वाहन पहुंचाये जाते हो तथा वहां उन्हें खोल कर अलग-अलग कर दिया जाता हो, जिससे वाहन बरामद नहीं हो सके।

(4) वाहन चोरी की वारदातों को रोकने हेतु अलग से सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने का राज्य का वर्तमान में विचार नहीं है।

परिशिष्ट –अ

(वर्ष 1999 से 2003 तक वाहन चोरी के अपराधों के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना-वर्ष 1999)

क्र. सं.	जिला	दो पहिया वाहन चारी	बरामद	शेष बरामदगी	चौपहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	कुल चोरी	कुल बरामदगी	शेष बरामदगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	174	52	122	57	20	37	231	72	159
2.	भीलवाड़ा	177	51	126	25	8	17	202	59	143
3.	नागौर	53	24	29	35	25	10	88	49	39
4.	टोंक	52	19	33	20	13	7	72	32	40
5.	जयपुर श.उ.	282	100	182	40	20	20	322	120	202
6.	जयपुर श.द.	533	278	255	115	78	37	648	356	292
7.	जयपुर ग्रा.	39	9	30	40	29	11	79	38	41
8.	झुन्झुनू	28	8	20	27	16	11	55	24	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	सीकर	16	2	14	22	8	14	38	10	28
10.	दौसा	63	23	40	18	7	11	81	30	51
11	बीकानेर	42	13	29	4	2	2	46	15	31
12.	चुरू	8	4	4	7	6	1	15	10	5
13.	गंगानगर	86	42	43	27	19	8	113	61	52
14.	हनुमानगढ़	32	18	14	23	10	13	55	28	27
15.	भरतपुर	95	26	69	36	20	16	125	46	85
16.	अलवर	233	51	182	62	34	28	295	85	210
17.	स.माधोपुर	81	26	55	17	12	5	98	38	60
18.	धौलपुर	14	5	9	19	11	8	33	16	17
19.	करौली	33	6	27	6	6	-	39	12	27
20.	जोधपुर श.	201	54	147	30	21	9	231	75	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	जोधपुर ग्रा.	10	3	7	11	9	2	21	12	9
22.	जालौर	8	4	4	3	2	1	11	6	5
23.	जैसलमेर	-	-	-	2	1	1	2	1	1
24.	बाड़मेर	26	13	13	6	6	-	32	19	13
25.	पाली	60	18	42	14	6	8	74	24	50
26.	सिरोही	20	15	5	12	10	2	32	25	7
27.	कोटा शहर	191	100	91	42	28	14	233	128	105
28.	कोटा ग्रा.	43	11	32	7	7	-	50	18	32
29.	बून्दी	38	13	25	3	2	1	41	15	26
30.	झालावाड़	49	16	33	11	5	6	60	21	39
31.	बारां	17	11	6	9	6	3	26	17	9
32.	उदयपुर	57	57	-	11	11	-	68	68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	बांसवाड़ा	16	9	7	5	4	1	21	13	8
34.	चित्तौडगढ़	88	13	75	29	19	10	117	32	85
35.	डूंगरपुर	14	3	11	8	6	2	22	9	13
36.	राजसमंद	46	12	34	21	10	11	67	22	45
37.	जीआरपी अजमेर	8	1	7	1	1	-	9	2	7
38.	जीआरपी जोधपुर	4	4	-	-	-	-	4	4	-
	कुल योग	**2937**	**1114**	**1823**	**825**	**498**	**327**	**3762**	**1612**	**2150**

परिशिष्ट–ब

(वर्ष 1999 से 2003 तक वाहन चोरी के अपराधों के सम्बनध में वर्षवार सूचना-वर्ष 2000)

क्र. सं.	जिला	दो पहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	चौपहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	कुल चोरी	कुल बरामदगी	शेष बरामदगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	173	61	112	59	22	37	232	83	149
2.	भीलवाड़ा	198	76	123	25	10	15	224	86	138
3.	नागौर	62	32	30	17	10	7	79	42	37
4.	टोंक	50	14	36	6	3	3	56	17	39
5.	जयपुर श.उ.	211	63	148	51	34	17	262	97	165
6.	जयपुर श.द.	480	168	312	97	46	51	577	214	363
7.	जयपुर ग्रा.	34	13	21	40	27	13	74	40	34
8.	झुन्झुनू	16	7	9	24	21	3	40	28	12
9.	सीकर	47	8	39	19	5	14	66	13	53
10.	दौसा	43	16	27	21	19	2	64	35	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	बीकानेर	53	26	27	87	3	4	60	29	31
12.	चुरू	7	2	5	9	4	5	16	6	10
13.	गंगानगर	64	37	27	30	17	13	94	54	40
14.	हनुमानगढ़	37	11	26	37	18	19	74	29	45
15.	भरतपुर	96	37	59	38	21	17	134	58	76
16.	अलवर	239	68	171	72	34	38	311	102	209
17.	स.माधोपुर	63	25	38	13	11	2	76	36	40
18.	धौलपुर	7	4	3	9	6	3	16	10	6
19.	करौली	47	14	33	8	8	-	55	22	33
20.	जोधपुर श.	212	58	154	29	17	12	241	75	166
21.	जोधपुर ग्रा.	19	3	16	8	3	5	27	6	21
22.	जालौर	11	1	10	3	2	1	14	3	11
23.	जैसलमेर	3	1	2	7	3	4	10	4	6
24.	बाड़मेर	31	18	13	4	3	1	35	21	14
25.	पाली	43	16	27	14	7	7	57	23	34
26.	सिरोही	13	7.	6	7	4	3	20	11	9
27.	कोटाशहर	213	73	140	40	17	23	253	90	163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	कोटा ग्रा.	42	22	20	8	6	2	50	28	22
29.	बून्दी	28	7	21	5	2	3	33	9	24
30.	झालावाड़	41	18	23	11	5	6	52	23	29
31.	बारां	27	18	9	7	6	1	34	24	10
32.	उदयपुर	55	55	-	9	9	-	64	64	-
33.	बांसवाड़ा	25	13	12	4	4	-	29	17	12
34.	चित्तौडगढ़	100	26	74	26	18	8	126	44	82
35.	डूंगरपुर	16	11	5	1	-	1	17	11	6
36.	राजसमंद	58	11	47	19	8	11	67	19	58
37.	जीआरपी अजमेर	6	2	4	2	2	-	8	4	4
38.	जीआरपी जोधपुर	5	3	2	-	-	-	5	3	2
	कुल योग	**2876**	**1045**	**1831**	**786**	**435**	**351**	**3662**	**1480**	**2182**

परिशिष्ट–स

(वर्ष 1999 से 2003 तक वाहन चोरी के अपराधों के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना-वर्ष 2001)

क्र. सं.	जिला	दो पहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	चौपहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	कुल चोरी	कुल बरामदगी	शेष बरामदगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	186	53	133	62	18	44	248	71	177
2.	भीलवाड़ा	198	83	115	35	19	16	233	102	131
3.	नागौर	61	25	36	20	16	4	81	41	40
4.	टोंक	58	25	33	7	4	3	65	29	36
5.	जयपुर श.उ.	283	120	163	62	26	36	345	146	199
6.	जयपुर श.द.	505	176	329	95	50	45	600	226	374
7.	जयपुर ग्रा.	45	26	19	39	31	8	84	57	27
8.	झुन्झुनू	35	13	22	30	22	8	65	35	30
9.	सीकर	43	8	35	29	14	15	72	22	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	दौसा	83	20	63	14	8	6	97	28	69
11.	बीकानेर	71	27	44	19	13	6	90	40	50
12.	चुरू	6	2	4	17	7	10	23	9	14
13.	गंगानगर	65	21	44	19	14	5	84	35	49
14.	हनुमानगढ़	53	18	35	29	19	10	82	37	45
15.	भरतपुर	121	31	90	56	14	42	177	45	132
16.	अलवर	250	76	174	53	24	29	303	100	203
17.	स.माधोपुर	87	29	58	9	7	2	96	36	60
18.	धौलपुर	10	10	-	12	7	5	22	17	5
19.	करौली	47	20	27	17	10	7	64	30	34
20.	जोधपुर श.	218	68	150	27	21	6	245	89	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	जोधपुर ग्रा.	16	5	11	8	7	1	24	12	12
22.	जालौर	15	9	6	2	-	2	17	9	8
23.	जैसलमेर	2	1	1	3	2	1	5	3	2
24.	बाड़मेर	36	21	15	4	3	1	40	24	16
25.	पाली	57	29	28	13	3	10	70	32	38
26.	सिरोही	15	11	4	11	8	3	26	19	7
27.	कोटा शहर	345	89	256	46	30	16	391	119	272
28.	कोटा ग्रा.	45	20	25	7	6	1	52	26	26
29.	बून्दी	61	16	45	6	3	3	67	19	48
30.	झालावाड़	53	30	23	18	11	7	71	41	30
31.	बारां	18	13	5	3	2	1	21	15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	उदयपुर	45	45	-	5	5	-	50	50	-
33.	बांसवाड़ा	13	7	6	2	2	-	15	9	6
34.	चित्तौडगढ़	107	33	74	25	11	14	132	44	88
35.	डूंगरपुर	16	12	4	11	8	3	27	20	7
36.	राजसमंद	47	8	39	21	6	15	68	14	54
37.	जीआरपी अजमेर	6	1	5	2	-	2	8	1	7
38.	जीआरपी जोधपुर	9	3	6	-	-	-	9	3	6
	कुल योग=	**3331**	**1204**	**2127**	**838**	**451**	**387**	**4169**	**1655**	**2514**

परिशिष्ट–द

(वर्ष 1999 से 2003 तक वाहन चोरी के अपराधों के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना-वर्ष 2002)

क्र. सं.	जिला	दो पहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	चौपहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	कुल चोरी	कुल बरामदगी	शेष बरामदगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	240	72	168	53	19	34	293	91	202
2.	भीलवाड़ा	256	173	83	25	10	15	281	183	98
3.	नागौर	65	34	31	27	18	9	92	52	40
4.	टौंक	59	23	36	18	7	11	77	32	45
5.	जयपुर श.ऊ.	270	98	172	44	23	21	314	121	193
6.	जयपुर श.द.	554	285	269	139	54	85	693	339	354
7.	जयपुर ग्रा.	64	23	41	41	32	9	105	55	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	झुन्झुनू	28	14	14	31	20	11	59	34	25
9.	सीकर	32	5	27	22	10	12	54	15	39
10.	दौसा	94	30	64	23	15	8	117	45	72
11.	बीकानेर	63	26	37	6	4	2	69	30	39
12.	चुरू	14	5	99	11	3	8	25	8	17
13.	गंगानगर	95	29	66	21	15	6	116	44	72
14.	हनुमानगढ़	45	26	19	18	11	7	63	37	26
15.	भरतपुर	113	28	85	34	10	24	147	38	109
16.	अलवर	303	71	232	63	26	37	366	97	269
17.	स.माधोपुर	71	8	63	8	3	5	79	11	68
18.	धौलपुर	18	6	12	14	10	4	32	16	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	करौली	34	16	18	3	2	1	37	18	19
20.	जोधपुर श.	267	71	196	40	24	16	307	87	220
21.	जोधपुर ग्रा.	19	7	12	2	2	-	21	9	12
22.	जालौर	19	12	7	2	-	2	21	12	9
23.	जैसलमेर	8	4	4	4	3	1	12	7	5
24.	बाड़मेर	28	15	13	4	2	2	32	17	15
25.	पाली	70	22	48	11	9	2	81	31	50
26.	सिरोही	13	7	6	12	11	1	25	18	7
27.	कोटाशहर	324	107	217	51	27	24	375	134	241
28.	कोटा ग्रा.	36	17	19	15	11	4	51	28	23
29.	बून्दी	66	21	45	6	3	3	72	24	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	झालावाड़	68	26	42	16	12	4	84	38	46
31.	बारां	39	30	9	4	3	1	43	33	10
32.	उदयपुर	66	66	-	6	6	-	72	72	-
33.	बांसवाड़ा	28	19	9	2	1	1	30	20	10
34.	चित्तौड़गढ़	145	49	96	25	18	7	170	67	103
35.	डूंगरपुर	16	9	7	3	2	1	19	11	8
36.	राजसमंद	52	13	39	12	4	8	64	17	47
37.	जीआरपी अजमेर	9	1	8	-	-	-	9	1	8
38.	जीआरपी जोधपुर	5	3	2	-	-	-	5	3	2
	कुल योग	**3696**	**1471**	**2225**	**816**	**430**	**386**	**4512**	**1895**	**2617**

परिशिष्ट–य

(वर्ष 1999 से 2003 तक वाहन चोरी के अपराधों के सम्बन्ध में वर्षवार सूचना-वर्ष 2003)

क्र. सं.	जिला	दो पहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	चौपहिया वाहन चोरी	बरामद	शेष बरामदगी	कुल चोरी	कुल बरामदगी	शेष बरामदगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	227	61	166	51	21	30	278	82	196
2.	भीलवाड़ा	129	34	92	15	5	10	144	42	102
3.	नागौर	70	35	35	18	12	6	88	47	41
4.	टोंक	63	25	38	12	8	4	75	33	42
5.	जयपुर श.ऊ.	328	111	117	66	33	33	394	144	250
6.	जयपुर श.द.	681	163	518	138	64	74	819	227	592
7.	जयपुर ग्रा.	58	21	37	31	19	12	89	40	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	झुंझुनूं	33	15	18	24	17	7	57	32	25
9.	सीकर	38	6	32	20	4	16	58	10	88
10.	दौसा	146	38	108	37	13	24	183	51	132
11.	बीकानेर	65	21	44	16	12	4	81	33	48
12.	चुरू	12	2	10	12	5	7	24	7	17
13.	गंगानगर	107	43	64	20	19	1	127	62	65
14.	हनुमानगढ़	50	18	32	18	8	10	68	26	42
15.	भरतपुर	177	53	124	33	36	3	210	89	121
16.	अलवर	336	106	230	59	33	26	395	139	256
17.	स.माधोपुर	99	8	91	6	4	2	105	12	93
18.	धौलपुर	44	22	22	14	5	9	58	27	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	करौली	34	10	24	8	3	5	42	13	29
20.	जोधपुर श.	426	105	321	30	19	11	456	124	332
21.	जोधपुर ग्रा.	15	10	5	3	3	-	18	13	5
22.	जालौर	16	5	11	4	3	1	20	8	12
23.	जैसलमेर	13	4	9	4	1	3	17	5	12
24.	बाड़मेर	63	26	37	6	6	-	69	32	37
25.	पाली	80	17	63	15	4	11	95	21	74
26.	सिरोही	26	12	14	11	9	2	37	21	16
27.	कोटाशहर	381	101	280	53	29	24	434	130	304
28.	कोटाग्रा.	66	32	34	7	4	3	73	36	37
29.	बून्दी	66	35	31	20	17	3	86	52	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	झालावाड़	87	34	53	14	10	4	101	44	57
31.	बारां	33	28	5	10	5	5	43	33	10
32.	उदयपुर	51	47	4	28	27	1	79	74	5
33.	बांसवाड़ा	21	18	3	3	3	-	24	21	3
34.	चित्तौडगढ़	157	43	114	20	3	17	177	46	131
35.	डूंगरपुर	14	9	5	6	4	2	20	13	7
36.	राजसमंद	15	3	12	12	2	10	27	5	22
37.	जीआरपी अजमेर	6	2	4	-	-	-	6	2	4
38.	जीआरपी जोधपुर	3	-	3	-	-	-	3	-	3
	कुल योग	**4236**	**1326**	**2910**	**844**	**470**	**374**	**5080**	**1796**	**3284**

परिवहन निगम के दोषी मुख्य प्रबन्धकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

282. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विभाग में ऐसे कौन-कौन से आगार के मुख्य प्रबन्धक हैं जिन द्वारा डिपो में पदस्थापन के दौरान कार्यों में अनियमितता की हो तथा विभाग ने उनको चार्जशीट दी हो और विभाग ने यह भी तय किया हो कि उन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जावे? सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ऐसे अधिकारियों को अभी तक सेवानिवृत्ति नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम के आगारों में पदस्थापन के दौरान मुख्य प्रबन्धकों को उनके कार्यों में अनियमितता के फलस्वरूप आरोप पत्र दिये गये हैं। सूचना परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है। किन्तु निगम द्वारा इन अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने बाबत अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(2) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्यवाही अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध पारित दण्डादेशों, विचाराधीन जांच व वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी एवं उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश के आधार पर की जाती हैं। उक्त अधिकारियों के बारे में समिति द्वारा अभी तक अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: इनके सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्यवाही वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-1

मुख्य प्रबन्धकों के विरूद्ध विचाराधीन आरोप पत्रों की सूची

क्र. सं.	नाम व पद	पदस्थापन स्थान	आरोप पत्र क्रमांक/दिनांक	16 सीसी ए/ 17 सीसीए
1	2	3	4	5
1.	श्री बी.आर. ज्यानी, सम्भाग प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक	नागौर	100/16.2.2004	17 सीसीए
2.	श्री जे.पी. शर्मा सहा. सम्भाग प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक	फलौदी	109/16.2.2004	17 सीसीए

1	2	3	4	5
3.	श्री आई.एस. चौहान सहा. सम्भाग प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक	लोहागढ़	63/20.1.2004	17 सीसीए
4.	श्री शिवकुमार अरोड़ा सहायक सम्भाग प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक	झालाना-डूंगरी	811/22.12.2003	16 सीसीए
5.	श्री हरिप्रसाद, आगार प्रबन्धक (मिल.)	मुख्यालय	768/3.9.2003 62/24.1.2003	16 सीसीए 16 सीसीए
6.	श्री एस.एल. यादव, प्रबन्धक (यातायात)	उदयपुर	304/31.5.2003	17 सीसीए
7.	श्री विजयसिंह, आगार प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक	हनुमानगढ़	304/19.4.2002	17 सीसीए
8.	श्री एस.पी. गोयल, क.अभि. 'ए' प्रबन्धक (संचालन)	जोधपुर	386/6.8.2003	17 सीसीए
9.	श्री श्रीपाल सिंह, आ.प्र. प्रबन्धक (यातायात)	धौलपुर	726/22.12.2003	17 सीसीए
10.	श्री एस.ए. चिश्ती, स.या. अभि. मुख्य प्रबन्धक	बून्दी	14/2.1.2004 108/16.2.2004	17 सीसीए 17 सीसीए
11.	श्री श्रीराम तोपडिया प्रशा. अधि., प्रबन्धक (प्रशासन)	बीकानेर	227/9.4.2003	17 सीसीए
12.	श्री एम.एल. खत्री, सम्भाग यां, अभि., मुख्य प्रबन्धक	विद्याधरनगर	232/5.4.2004	17 सीसीए
13.	श्री सुखपाल मीणा आगार प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक	झालावाड़	129/20.2.2004	17 सीसीए
14.	श्री बनवारीलाल मीणा सांख्यिकी अधिकारी	हिण्डौन	122/20.2.2004	17 सीसीए

केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य (भरतपुर) में पर्यटकों की घटती संख्या

283. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौरदीपा (नदबई) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटकों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में कमी हुई है? यदि हां, तो क्यों? गत 3 वर्षों की पर्यटकों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पर्यटकों की संख्या में कमी के लिये साइबेरियन सारसों की घटती संख्या पानी की कमी व विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही जिम्मेदार है? यदि हां, तो इन समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार की क्या योजनायें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या घना पक्षी अभ्यारण में पशुओं का आवागमन जारी है जिसके कारण पक्षियों का स्वतन्त्र विचरण तथा उनके घोसलों-अण्डों को नुकसान पहुंचाता है? यदि हां, तो इस स्थिति को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) घना पक्षी अभ्यारण में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार की क्या योजनायें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2002-03 में यद्यपि वर्ष 2001-2002 की तुलना में पर्यटकों की संख्या राज्य में अनावृष्टि एवं अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण घटी थी, परन्तु वर्ष 2003-04 में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गत तीन वर्षों की पर्यटकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत है।

(2) पानी की कमी के कारण को छोड़कर दर्शाये गये अन्य कारण सही नहीं हैं। पानी की समस्या के निराकरण हेतु निम्न योनजाऐं प्रस्तुत हैं—

1. धौलपुर, भरतपुर चम्बल लिफ्ट परियोजना के द्वारा पार्क को पानी की आपूर्ति।

2. करौली स्थित पांचना बांध से पार्क को 350 एम.सी.एफ.टी. पानी माह जुलाई में छोड़ने, राज्य सरकार स्तर पर प्रयास।

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) घना पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 'ख' में प्रस्तुत है।

परिशिष्ट –क

विगत तीन वर्षों में घना पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर में आये पर्यटकों का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	भारतीय	विदेशी	छात्र	कुल
1.	2001-02	50894	27449	30559	108102
2.	2002-03	31708	15426	22136	69270
3.	2003-04	47680	33702	30177	110929

परिशिष्ट -ख

घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए क्रियान्वयन की जाने वाली योजनाएं

घना पक्षी अभ्यारण्य में पर्यटन उद्योग को बढावा देने के लिए निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं -

(1) डा. सालिम अली इन्टर प्रटेशन सेन्टर की स्थापना का कार्य चल रहा है, इसमें पर्यटकों की सुविधा हेतु एक विजीटर सेन्टर का निर्माण करवाया जा रहा है।

(2) ट्रेलों का निर्माण एवं पार्क पर मुद्रित सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

(3) प्रशिक्षित रिक्शा चालक, एवं गाईड कार्यरत हैं तथा पार्क में दो स्थानों पर केन्टीन एवं एक बुकशाप सन्चालित की जा रही है।

(4) पार्क में पर्यटकों को घुमाने हेतु एक इलेक्ट्रावेन एवं नाव सन्चालित (नौका विहार) की जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति निगम द्वारा पाली जिले को आबंटित राशि

284. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति निगम द्वारा पाली जिले को गत पांच वर्षों में कितना-कितना बजट आवंटित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि निगम द्वारा आबंटित बजट का उपयोग कर लिया गया है? यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) बजट का पूर्ण उपयोग नहीं करने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) भविष्य में बजट का पूर्ण उपयोग हो, इस हेतु सरकार क्या प्रक्रिया/नियम बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति /जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा जिला कार्यालय पाली को वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-04 तक आबंटित किये गये बजट की वर्षभार सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां, वर्षवार बजट उपयोग की सूचना परिशिष्ट –2 पर उपलब्ध है।

(3) जिला को आबंटित राशि का अधिकांश उपयोग कर लिया गया है लेकिन बैंको द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं करने के कारण शत प्रतिशत बजट का उपयोग नहीं हो पाया है।

(4) जिलों को भविष्य में आबंटित राशि का शत प्रतिशत उपयोग किये जाने के प्रति निगम कृतसंकल्प है।

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि., जयपुर

परिशिष्ट–I

वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक पाली जिले को बजट आबंटन

बजट आबंटन (राशि लाखों में)

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता व स्वच्छकारं योजना	अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना	राष्ट्रीय निगम योजनाएं: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद	योग
1999-2000	61.00	-	11.92	0.82	-	15.48	4.06	-	93.28
2000-01	69.50	-	8.28	0.76	-	-	3.48	-	82.02
2001-02	82.88	5.00	1.50	9.12	-	9.92	0.30	1.62	110.34
2002-03	148.00	17.00	5.84	8.93	4.65	-	-	1.15	185.57
2003-04	201.52	3.90	-	4.86	2.64	-	-	1.50	214.42
योग	562.90	25.90	27.54	24.49	7.29	25.40	7.84	4.27	685.63

परिशिष्ट -2

वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक पाली जिले द्वारा किये गये बजट उपयोग

बजट आबंटन (राशि लाखों में)

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता व स्वच्छकार योजना	अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना	राष्ट्रीय निगम योजनाएं: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय स्वच्छकार वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद	योग
1999-00	73.94	—	11.92	0.82	—	15.48	4.06	—	106.22
2000-01	73.80	—	8.28	0.76	—	—	3.48	—	86.32
2001-02	85.89	3.52	0.70	6.27	—	7.30	0.30	0.50	104.48
2002-03	145.96	10.06	5.76	8.93	3.67	-	-	1.15	175.53
2003-04	134.85	5.29	-	4.86	1.76	-	-	0.50	147.26
योग	**514.44**	**18.87**	**26.66**	**21.64**	**5.43**	**22.78**	**7.84**	**2.15**	**619.81**

खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक

285. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिये खाद्य सामग्री एवं अन्य पदार्थों में अपमिश्रण एवं कम मापतोल रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? यदि हां, तो क्या?

(2) सरकार द्वारा संचालित 'शुद्ध के लिये युद्ध' अभियान एवं अन्य अभियानों के क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए राज्य में एक विशेष सुरक्षा अभियान दिनांक 1.2.2004 से चलाया जा रहा है। यह अभियान प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर के निर्देशन में खाद्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न आयल कम्पनियों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों के परस्पर सामंजस्य एवं सहयोग से उपभोक्ता हितार्थ चलाया जा रहा है।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.7.2003 से शुद्ध के लिये युद्ध अभियान चलाया गया है। उक्त अभियान को प्रत्यावर्तित कर दिनांक 1.2.2004 से उपभोक्ता सुरक्षा अभियान के रूप में निरन्तर चलाया जा रहा है।

जुलाई 2003 से जून 2004 की अवधि में उक्त अभियानों के तहत खाद्य सामग्री एवं पदार्थों में अपमिश्रण के तहत 2758 निरीक्षण किये गये। 13 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा 1065 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की गई।

माप-तौल से सम्बन्धित मामलों में 3882 निरीक्षण किये गये। 3 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई तथा 1069 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की गई।

टोडारायसिंह, पंचायत समिति के विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार

286. डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है किं पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार उसी पंचायंत समिति के सीनियर एस.डी.आई. को सम्भलाया जाता है? यदि हां, तो टोडारायसिंह पंचायत समिति में वर्ष 1999 के बाद से अब तक कब-कब कितने समय के लिये विकास अधिकारी का पद रिक्त रहा एवं उस समय किस अधिकारी को विकास अधिकारी का कार्यभार दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले में अनियमितताएं हुई हैं? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है व उसके विरूद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) यह पूर्णत: सही नहीं है।

टोडारायसिंह पंचायत समिति में 1999 के बाद से अब तक निम्नानुसार विकास अधिकारी का पद रिक्त रहा एवं कार्यभार दिया गया।

क्र. सं.	वि.अ. का पद रिक्त रहने की अवधि	कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी का नाम व पद
1.	31.3.1999 से 3.4.2001	श्री ओमप्रकाश चौपडा, एस.डी.आई.
2.	22.8.2001 से 4.1.2002	श्री ओमप्रकाश चौपडा, कार्यवाहक ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

(2) जी नहीं।

प्रश्न संख्या-287

(स्थगित)

गंगरार के विद्यालयों में खेल के मैदान

288. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गंगरार के प्रत्येक विद्यालयों में खेल मैदानों को अच्छा बनाने का विचार रखती है तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराना चाहती है ? यदि हां, तो इस हेतु आबंटित बजट वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के तहसील मुख्यालयों पर मिनी स्टेडियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी राशि तक का व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य खेल विभाग द्वारा वर्तमान में विद्यालयों में खेल मैदानों को अच्छा बनाने तथा खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालयों को 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान खेल मैदान विकसित करने/खेल सामग्री क्रय करने हेतु प्रदान किया जाता है।

इस योजनान्तर्गत गंगरार विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नेवरिया का प्रार्थना-पत्र टेबिल टेनिस हाल निर्मित करने हेतु 2,03,700/- रु. (अंके दो लाख तीन हजार सात सौ रु. मात्र) के अनुदान स्वीकृति बाबत् खेल विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसे विभाग द्वारा दिनांक 23.2.2004 को वास्ते अनुदान स्वीकृत करने भारत सरकार को अग्रप्रेषित कर दिया गया है।

(2) जी नहीं, वर्तमान में उक्त क्षेत्र के तहसील मुख्यालयों पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है।

चम्बल फर्टिलाइजर्स, कोटा द्वारा प्रदूषण

289. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या चम्बल फर्टिलाइजर लि. गडेपान, कोटा द्वारा उर्वरक कारखाने से

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निकलने वाले गन्दे एवं प्रदूषित पानी के निस्तारण की अनुमति सरकार से प्राप्त की गई है? यदि हां, तो अनुमति एवं शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारखाने का गन्दा व प्रदूषित पानी काली सिन्ध नदी में छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त कारखाने में गन्दे व प्रदूषित पानी के ट्रीटमेन्ट की क्या व्यवस्था है? क्या उपलब्ध व्यवस्था, उर्वरक संयन्त्र के लिए पर्याप्त है?

(4) क्या प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के द्वारा रासायनिक कारखानों में प्रदूषण जांच की समयबद्ध निगरानी की जा रही है? यदि हां, तो उक्त कारखाने के सन्दर्भ में उन नियमों का पालन किस स्तर तक हुआ है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य मण्डल द्वारा चम्बल फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल लिमिटेड गडेपान, कोटा को जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के संचालन एवं उच्छिष्ठ के निस्त्राव हेतु सम्मति दिनांक 22.1.2003 को प्रदान की गई है। उक्त उद्योग को संचालन हेतु अधिरोपित शर्तों का विवरण सम्मति आदेश दिनांक 22.1.2003 में उल्लेखित है एवं सम्मति आदेश की प्रति परिशिष्ट 'क' व 'ख' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त उद्योग द्वारा जनित व्यवसायिक उच्छिष्ठ मण्डल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचारित करने के पश्चात ही काली सिन्ध नदी में निस्त्रावित किया जा रहा है।

(3) उद्योग द्वारा जनित व्यवसायिक उच्छिष्ठ के उपचार हेतु की गई उपचार व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट 'ग' एवं चित्र संख्या 1 व 2 पर संलग्न है। मण्डल द्वारा पिछले एक वर्ष की अवधि में एकत्रित किये गये उच्छिष्ठ के नमूनों के जांच प्रतिवेदनों के अनुसार उच्छिष्ठ की गुणवत्ता विहित मानकों के अनुरूप पाई गई है। अत: उद्योग द्वारा व्यवसायिक उच्छिष्ठ के उपचार हेतु अपनायी गई उपचार व्यवस्था पर्याप्त है।

(4) जी हां। राज्य मण्डल रसायनिक कारखानों के निरीक्षण हेतु उद्योगों के

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

आकार एवं श्रेणी यथा -लाल, नारंगी व अन्य के अनुरूप समय सीमा निर्धारित की गई है। राज्य मण्डल द्वारा उद्योगों का निरीक्षण सामान्यतया इस समय सीमा के अनुसार किया जाता है। इस सम्बन्ध में निरीक्षण समय सीमा का विवरण परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है। उक्त उद्योग के सम्बन्ध में भी पिछले एक वर्ष की अवधि में निरीक्षण निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही किये गये हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजगढ़ (चूरू) पंचायत समिति की वृद्धावस्था पेन्शन प्रकरण

290. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत किये जाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 10 वर्षों में ग्राम पंचायत सूरतपुरा एवं ग्राम पंचायत राधा बड़ी एवं ग्राम पंचायत राधा छोटी पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के गांवों के व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त गांवों के व्यक्तियों को लम्बी अवधि तक पेन्शन देने के बाद बन्द कर दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उन वृद्ध लोगों की पेन्शन पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायत समिति राजगढ़, चूरू के गांवों के व्यक्तियों को गत 10 वर्ष में स्वीकृत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन का ग्रामवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं ग्रामवार सूचियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं -

(समाज कल्याण मंत्री)

क्र.सं	ग्राम पंचायत	ग्राम	व्यक्तियों की संख्या
1.	सूरतपुरा	सूरतपुरा	98
		लुटाना मगनी	34
		सराऊ	56
		लुटानाभगनीवास	18
			206
2.	राधा बड़ी	राधा बड़ी	78
		भाकरा	90
		गागाडवास	88
			256
3.	राधा छोटी	राधा छोटी	53
		थान मठ्ठई	79
		बीसलाण	63
			195

(3) जी हां। राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ.9(5)(6)वृपे/सकवि/99/76122-54 दिनांक 17.11.1999 की पालना में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त कर रहे पेन्शनरों की पात्रता की पुन: जांच करवाई गई तथा जांच में पेन्शन की पात्रता नहीं रखने वाले व्यक्तियों की पेन्शन निरस्त कर दी गई।

(4) यदि ऐसे व्यक्ति पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें आवेदन करने पर पेन्शन स्वीकृत की जाती है। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष या महिला या किसी भी आयु की विधवा/परित्यक्ता, जो किसी ऐसे परिवार का हो जिसकी आई.आर.डी.पी./अन्त्योदय कार्यक्रम के अधीन किये गये सर्वेक्षण और डी.आर.डी.ए. द्वारा प्रकाशित सूचियों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के रूप में पहचान की गई है, अन्य किसी बात के होते हुए भी पेन्शन के लिये पात्र होगा/होगी, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत करने के लिये अन्य कोई भी शर्त पूरी करना आवश्यक नहीं होगा तथा आवेदन करने पर पेन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी।

(सूचिया विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों का उल्लंघन

291. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में स्थापित एवं कार्यरत बहुसंख्यक औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, समयबद्ध वेतन वृद्धि, बोनस, ई. एस. आई., भविष्य निधि और अन्य लाभ नहीं मिलते हैं ? यदि हां, तो पिछले 3 वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में श्रम कानून के उल्लंघन की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और क्या कार्यवाही की गई हैं?

(2) सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपचारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूर्व से ही विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षक, समझौता अधिकारी व प्राधिकारी पालना हेतु नियुक्त है।

पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन

292. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले कई वर्षों से पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन नहीं हुआ है?

(2) क्या यह भी सही है कि अनेक ग्राम पंचायतें बहुत बड़ी-बड़ी होने के कारण ग्रामीण जनता को बहुत दूर-दूर से आना-जाना पड़ता है?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालयों पर अधिक दूर से आने-जाने के किराये आदि का भारी बोझ ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायतों के पुनर्गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राज्य में एकल गांव की पंचायतों में ही जनसंख्या अधिक है, इसके अतिरिक्त कतिपय ग्राम पंचायत मुख्यालयों की दूरी, उस पंचायत में आने वाले गांवों से 5 कि.मी. से अधिक है।

(3) कतिपय गांव ग्राम पंचायत मुख्यालयों से कुछ दूरी पर हैं। परिसीमन आयोग भारत सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2004 की स्थिति यथावत रखा जाना है ऐसी स्थिति में फिलहाल पंचायतों का पुनर्गठन किया जाना सम्भव नहीं है।

पुलिस थाना दरगाह बाजार अजमेर हेतु भवन निर्माण

293. **डा. श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 17 फरवरी, 1998 को दरगाह बाजार अजमेर में दंगा हुआ था? यदि हां, तो क्या इस हेतु अस्थाई थाने के लिए सिंधी पंचायत द्वारा अपनी धर्मशाला प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कितने समय के लिए और इस हेतु क्या किराया निर्धारित किया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अस्थाई थाने हेतु भवन निर्माण के लिए जमीन मिल गई है एवं नक्शा भी स्वीकृत हो गया है तथा निर्माण के लिए क्या सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है एवं तत्कालीन विधायक फण्ड से भी राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो फिर भवन का निर्माण क्यों नहीं हुआ? वर्तमान में भवन निर्माण की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त समाज की धर्मशाला को खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि दिनांक 17.2.1998 को दरगाह अजमेर में सामान की

(गृह मंत्री)

खरीद फरोक्त को लेकर जायरीन एवं दुकानदार के मध्य विवाद हुआ था, उक्त विवाद ने दंगे का स्वरूप ले लिया, इस हेतु तत्कालीन जिला एवं सम्भाग स्तर के अधिकारियों के मध्य वार्तालाप हुआ एवं सिंधी समाज ने दरगाह में अस्थाई थाना खोलने हेतु सिंधी पंचायत की धर्मशाला का भवन विभाग को सर्वसम्मति से देने का प्रस्ताव रखा। भवन का समय व किराया निर्धारित नहीं किया गया था।

(2) थाना दरगाह के लिये भवन निर्माण हेतु नगर परिषद अजमेर द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई थी एवं भवन का नक्शा अनुमोदित करने हेतु गठित कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर के पश्चात् अन्तिम सदस्य अति. जिला दण्डनायक शहर अजमेर के पास हस्ताक्षर हेतु दिनांक 23.3.2004 से लम्बित है। थाना दरगाह के भवन निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 2842 दिनांक 9.5.2003 द्वारा 17 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी एवं उक्त राशि सीधे ही सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई थी। तत्कालीन विधायक द्वारा भी विधायक कोटे से 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में थाना दरगाह के निर्माण हेतु पुलिस मुख्यालय से स्वीकृत शुदा 17 लाख रुपये में से 12 लाख रूपये थाना बुहाना जिला झुन्झुनू को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्रमांक 2717 दिनांक 27.4.2004 एवं 5 लाख रुपये पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनूं को आदेश क्रमांक 2348-53 दिनांक 12.4.2004 द्वारा हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय राजस्थान द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाने पर एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर भवन का निर्माण होगा।

(3) पुलिस थाना दरगाह के लिए दूसरा भवन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक उक्त समाज की धर्मशाला को खाली करना सम्भव नहीं है।

डीजल चोरी के प्रकरण में लिप्त अधिकारी/कर्मचारी

294. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) एवं **श्री अतर सिंह भड़ाना** (बयाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 6 जून, 2004 को जोधपुर से डीजल भरकर पाली के लिए रवाना हुए राजस्थान रोडवेज के टैंकर से डीजल चोरी का प्रकरण सामने आया है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में कुछ अधिकारी/कर्मचारी लिप्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी? सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भविष्य में ऐसे प्रकरणों की रोकथाम का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) दिनांक 6 जून, 2004 को जोधपुर से डीजल भरकर पाली के लिए रवाना हुआ टैंकर राजस्थान रोडवेज का नहीं था। टैंकर भारत पैट्रोलियम कम्पनी के अनुबन्ध पर था। प्रकरण का विस्तृत विवरण परिशिष्ट- '1' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री आशाराम त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता, राजस्थान परिवहन निगम, पाली आगार को निलम्बित कर दिया गया है एवं भारत पैट्रोलियम के अनुबन्धित टैंकर चालक श्री निम्बाराम के खिलाफ पुलिस थाना, पाली कोतवाली में एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई। पुलिस कार्यवाही अन्वेषणाधीन है।

(3) भविष्य में ऐसे प्रकरणों की रोकथाम हेतु मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना सख्ती से कराये जाने की कार्यवाही जारी है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारां जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण

295. श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बारां के किस-किस ग्राम में किस-किस खसरा नम्बर में कितनी-कितनी भूमि वन विभाग की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बारां में उपलब्ध भूमि में से कितनी भूमि वन आच्छादित है एवं कितनी भूमि वन रहित है? ग्रामवार, खसरा नम्बर [illegible] विवरण अलग-अलग सदन की मेज [illegible] रखें।

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(3) उक्त भूमि पर क्या अतिक्रमियों ने अतिक्रमण भी किए हुए हैं, यदि हां, तो वन आच्छादित व वन रहित (पृथक्-पृथक्) भुमि में किस-किस ग्राम में किस-किस अतिक्रमी (मय वल्दियत व पता) ने किस-किस खसरा नम्बर में कितनी-कितनी भूमि पर किस-किस दिनांक से कब्जा किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बारां जिले के वन भूमि से अतिक्रमण रोकने हेतु क्या सरकार वृक्षविहीन भूमि पर पुन: वन लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो सरकार की उक्त सम्बन्ध में क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वन भूमि पर अतिक्रमण के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं? सरकार इनके विरूद्ध कब तक एवं क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां के ग्रामवार तथा खसरावार वन खण्डवार वन भूमि की सूची खसरा नं. व रकबा की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। बारां जिले में कुल वन भूमि 2230.95 वर्ग किलोमीटर है।

(2) जिला बारां में उपलब्ध वन भूमि में से कितनी वन भूमि वन आच्छादित तथा कितनी वन भूमि वनरहित है, इस सम्बन्ध में बारां जिले में कोई अध्ययन या सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अत: इसका ग्रामवार खसरा नम्बर व रकबा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) वन भूमि में से कुछ वन भूमि पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण किये हुए हैं। वन भूमि में किस-किस ग्राम में किस-किस अतिक्रमी (मय वल्दियत व पता) द्वारा किस-किस खसरा नं. में कितनी-कितनी भूमि पर कब से कब्जा किया हुआ है। इसकी एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है, इसके अनुसार कुल 26.45 वर्ग किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमियों का कब्जा है।

(4) वर्ष 2004-05 में बारां जिले में कुल 1000 हैक्टर वृक्षविहीन भूमि पर वन विकास अभिकरण के द्वारा पुन: वन लगाने (वृक्षारोपण करवाने) की कार्य

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

योजना है। इस 1000 हैक्टर क्षेत्र में अधिकांश अतिक्रमण सम्भावित भूमि को ही वृक्षारोपण के लिये चिह्नित कर जन संहभागिता से वृक्षारोपण कराया जा रहा है तथा वर्ष 2005-06 व 2006-07 में वन विकास अभिकरण में 1500 हैक्टर और ऐसी भूमि पर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित है।

(5) बारां जिले में वन भूमि से पिछले तीन वर्षों में 6717.62 हैक्टर अतिक्रमण हटाकर 66,87,244/- रुपये की शास्ती आरोपित की गई है तथा 390 व्यक्तियों को सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। इस प्रकार वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण हटाने के व्यापक प्रयास किये गये हैं। अत: वन भूमियों पर अतिक्रमण होने देने के लिए कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

सुमेरपुर पंचायत समिति में मिड-डे-मील पोषाहार वितरण में अनियमितता

296. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "मिड डे मील" (पोषाहार) योजना के लिए गेहूं का वितरण कब से प्रारम्भ किया गया? मार्च, 2004 तक कितनी मात्रा में गेहूं का वितरण किया गया?

(2) क्या यह सही है कि "मिड-डे-मील" (पोषाहार) योजना के गेहूं वितरण में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की पंचायत समिति सुमेरपुर से भी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) "मिड-डे-मील" (पोषाहार) योजना के अन्तर्गत गेहूं का वितरण अगस्त

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

1995 से प्रारम्भ किया गया। अगस्त 1995 से मार्च 2004 तक वर्षवार निम्नानुसार गेहूं का वितरण किया गया —

सत्र	वितरण मात्रा (क्विं. में)
1995-96	32251.76.000
1996-97	34668.96.000
1997-98	33396.00.000
1998-99	34559.24.500
1999-2000	50617.10.000
2000-01	48939.44.000
2001-02	67785.04.000
2002-03	58564.18.000
2003-04	50363.00.000

(2) जी नहीं।

(3) "मिड-डे-मील" कार्यक्रम के अन्तर्गत गेहूं के वितरण में अनियमितता बाबत दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार दिनांक 6.5.2004 के क्रम में जांच प्रतिवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 27.5.2004 जिला कलक्टर पाली को प्रेषित किया गया। जिला परिषद पाली के पत्रांक 1479 दिनांक 30.6.2004 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रो. शिक्षा पाली को जांच प्रतिवेदन वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट मय टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति सुमेरपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 190 दिनांक 11.7.2004 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा पाली को जांच में वर्णित बिन्दुओं का प्रति उत्तर प्रेषित किया है। जिसकी प्रति संलग्न है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से प्राप्त जांच रिपोर्ट निष्कर्ष के अनुसार कोई अनियमितता नहीं है, प्रति संलग्न है।

(4) जी नहीं, क्यों कि मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, पाली की रिपोर्ट के अनुसार ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया कोई अनियमितता नहीं पायी गई।

(जांच की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जसवन्तपुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

297. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवन्तपुरा के विकास अधिकारी के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) शिकायत कब-कब प्राप्त हुई व जांच कब से चल रही है? दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच पूर्ण करके विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति जसवन्तपुरा के विकास अधिकारी श्री ध्रुव सत्य अग्रवाल की तीन शिकायतें प्राप्त हुई थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रथम शिकायत दिनांक 16.12.2000 को दूसरी शिकायत दिनाक 26.4.2001 को तथा तीसरी शिकायत दिनांक 10.10.2001 को प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की जांच पूर्ण हो चुकी है। विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। शिकायत दिनांक 16.12.2000 की जांच में विकास अधिकारी दोषी नहीं पाये गये। शेष दोनों शिकायतों की जांच पूर्ण कर शिकायत दिनांक 26.4.2001 में दिनांक 16.7.2004 को, तथा शिकायत दिनांक 10.10.2001 में दिनांक 29.5.2004 को विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

परिशिष्ट- 'अ'

क्र. सं.	नाम व पद जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक
1.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं. सं. जसवन्तपुरा	16.12.2000
2.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं. सं. जसवन्तपुरा	26.4.2001
3.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं. सं. जसवन्तपुरा	10.10.2001

परिशिष्ट- 'ब'

क्र. सं.	नाम व पद जिसके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक	जांच की वर्तमान स्थिति
1.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	16.12.2000	जांच पूर्ण। विकास अधिकारी दोषी नहीं पाये गये।
2.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	26.4.2001	प्रारम्भिक जांच के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
3.	श्री धूव्र सत्य अग्रवाल पूर्व विकास अधिकारी पं.स. जसवन्तपुरा	10.10.2001	प्रारम्भिक जांच के बाद विकास अधिकारी के विरूद्ध 17 सी. सी. ए. में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रश्न संख्या-298

(स्थगित)

नागौर आगार से अन्तरराज्यीय बस सेवा

299. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर आगार द्वारा अन्य राज्यों में जाने हेतु कौन-कौन सी बसों का संचालन कहां-कहां के लिए प्रतिदिन किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यात्री भार और स्थानीय जनता की लम्बे समय से मांग है कि नागौर, सूरत, नागौर से अहमदाबाद, नागौर से हिसार, नागौर से इंदौर, नागौर से लुधियाना, नागौर से आगरा, नागौर से हरिद्वार वाया कुचेरा मेड़ता अजमेर एवं नागौर दिल्ली वाया खाटू, कुचामन आदि के लिए बसें संचालित की जाएं? यदि हां, तो सरकार उक्त बसें कब से संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर आगार द्वारा अन्य राज्यों के लिए बस सेवाओं का संचालन प्रतिदिन किया जा रहा है जिसकी सूची संलग्न परिशिष्ट-'अ' पर है।

(2) जी हां। प्रश्नगत सभी मार्ग अन्तरराज्यीय मार्ग है। पडौसी राज्यों के साथ इन मार्गों के लिए वर्तमान में विधिवत पारस्परिक अन्तरराज्यीय परिवहन करार नहीं है। भविष्य में करार होने पर बस सेवाओं का संचालन सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-'अ'

वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर आगार द्वारा अन्य राज्यों के लिए प्रतिदिन बस सेवाओं का संचालन

1.	नागौर-दिल्ली वाया मेडता-अजमेर-जयपुर	15.00 बजे
2.	नागौर-हरिद्वार वाया डीडवाना-सीकर-नीम का थाना-कोटपुतली-दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर रूडकी	15.15 बजे
3.	नागौर-दिल्ली वाया डीडवाना-लाडनू-सालासर झुन्झुनू-नारनौल	16.00 बजे
4.	नागौर-दिल्ली वाया डीडवाना-सीकर-नीम का थाना-कोटपुतली	16.30 बजे
5.	नागौर-दिल्ली वाया डीडवाना-सीकर-नीम का थाना-कोतपुतली	19.00 बजे

झुंझुनूं, सीकर एवं जयपुर जिले में आबंटित खानें

300. श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राज्य व राज्य के बाहर के लोगों को खनिज आबंटन हेतु क्या कोई नीति/नियम बने हुये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) झुंझुनूं/सीकर/जयपुर जिले में जनवरी, 2003 से अब तक कौन-कौनसी खानें राज्य से बाहर के लोगों को आबंटित की गई ? सूची मय आबंटी सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आबंटन के समय नियमों/नीति की पालना पूर्ण रूप से की गई ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें नियमों की पालना नहीं की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खनिज आबंटन बाबत वर्तमान में मुख्य रूप से निम्न नीतियां/नियम प्रभाव में हैं —

1- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम , 1957

2- खनिज रियायती नियमावली, 1960

3- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988

4- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली 1986

5- ग्रेनाईट संरक्षण एवं विकास नियम, 1999

6- मार्बल संरक्षण एवं विकास नियम, 2002

7- मार्बल नीति 2002

8- ग्रेनाईट नीति 2002

9- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

10- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

11- वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981

12- जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974

(2) झुंझुनूं/सीकर/जयपुर जिले में जनवरी, 2003 से अब तक विभिन्न खनिजों के राज्य से बाहर के लोगों को आबंटित खनन पट्टा/परमिट, रिकानेन्स परमिट आदि की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रम संख्या 1	आबंटी का नाम व पता 2	आबंटन का प्रकार 3	खनिज का नाम 4
		जिला-जयपुर	
1.	श्री टी. दयाकर पुत्र श्री चिनप्पा नायडू जाति खमा, निवासी डागाधरती, तहसील मण्डल, जिला गिलोर (आन्ध्र प्रदेश)	खनन पट्टा सं. –517/02	चैजा पत्थर
2.	मैं. एल.एन.टी. लि. बलाड एस्टेट, पो. बाक्स 278, मुम्बई	खनन पट्टा सं.-430/97 खनन पट्टा सं.-431/97	चैजा पत्थर
3.	श्री अजय कुकरेजा पुत्र श्री नारायण दास कुकरेजा, न्यू हिन्द टाकिज के पास सबीत गंज, ईटावा (उत्तर प्रदेश)	अल्पावधि अनुमति पत्र:-1	ईट मिट्टी
4.	मै. पुजलोयड लिमिटेड 17, 18 नेहरू पैलेस, नई दिल्ली	अल्पावधि अनुमति पत्र 28 अल्पावधि अनुमति पत्र 25	चैजा पत्थर साधारण मिट्टी
5.	मै बी.एस.सी.पी.एल. 6-2-913/914 प्रोग्रसिव टावर्स, पांचवी मंजिल, खेतराबाद, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	अल्पावधि अनुमति पत्र 49 अल्पावधि अनुमति पत्र 73 अल्पावधि अनुमति पत्र 01	चैजा पत्थर साधारण मिट्टी मौरम

1	2	3	4
		अल्पावधि अनुमति पत्र 01	बजरी
6.	मै. एल.एण्ड टी. लिमिटेड ब्लाड-एस्टेट, पो.बा.न.-278, मुम्बई	अल्पावधि अनुमति पत्र 59 अल्पावधि अनुमति पत्र 26	साधारण मिट्टी मौरम/क्वरी रविश
7.	मै. फैल्गास डाज मेटाडिस्ट माईनिंग प्रा. लि. एम-74, 2 फ्लोर मार्केट ग्रेटर कैलाश पार्ट -2, नई दिल्ली	आर.पी.1/01	कापर, लैडजिंक, गोल्ड, सिल्वर एण्ड एसोसियेटेड मिनरल्स शासन आदेश दिनांक 5.12.2003 से स्वीकृति रियोक
8.	श्रीमती बीना यादव पत्नी श्री अजय यादव निवासी 2432, गुरूद्वारा रोड, रेवाडी (हरियाणा)	खनन पट्टा संख्या 94/03	चैजा पत्थर
9.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री खेमचन्द निवासी सोहना, जिला गुडगांव हरियाणा	खनन पट्टा संख्या 95/03	चैजा पत्थर
10.	श्री राजकुमार पुत्र श्री किशन चन्द निवासी-27-बी, डब्ल्यु नम्बर 10, सोहाना जिला गुडगांव, हरियाणा	खनन पट्टा संख्या 96/03	चैजा पत्थर
11.	श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामपत	खनन पट्टा संख्या 97/03	चैजा पत्थर

1	2	3	4
	यादव निवासी उडका पोस्ट ओ., सोहना जिला गुडगांव, हरियाणा		
12.	श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री रामपत यादव निवासी पोस्ट ओ. सोहना जिला गुडगांव, हरियाणा	खनन पट्टा संख्या 99/03	चैजा पत्थर
13.	श्री महेश कुमार पुत्र श्री रामपत यादव निवासी उडाका, तहसील नहुआ, जिला गुडगांव	खनन पट्टा संख्या 43/03	चैजा पत्थर
14.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री किशन निवासी सोहना, जिला गुडगांव	खनन पट्टा संख्या 41/03	चैजा पत्थर
		जिला-सीकर	
15.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री इदू खां निवासी गोलवा तह. नारनोल, जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)	खनन पट्टा संख्या 68/02	चैजा पत्थर पट्टी-कातला
16.	श्री फूलसिंह पुत्र श्री महाराम यादव निवासी अलवर रोड गुडगांव, हरियाणा	खनन पट्टा संख्या 11/03	चैजा पत्थर पट्टी-कातला
17.	श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री धरमपाल अलवर रोड गुडगांव, हरियाणा	खनन पट्टा संख्या 12/03	चैजा पत्थर पट्टी-कातला
18.	श्री सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री धरमपाल अलवर रोड गुडगांव, हरियाणा	खनन पट्टा संख्या 13/03	चैजा पत्थर पट्टी-कातला

1	2	3	4
		जिला-झुंन्झुनू	
19.	श्री रणसिंह पुत्र श्रीराम जाट उत्तम नगर, नवाधा, नई दिल्ली	खनन पट्टा संख्या 151/03	चैजा पत्थर
20.	श्री रणसिंह पुत्र श्रीराम जाट उत्तम नगर, नवाधा, नई दिल्ली	खनन पट्टा संख्या154/03	चैजा पत्थर
21.	श्री कश्मीर सिंह पुत्र बायल सिंह उत्तम नगर नवाधा नई दिल्ली	खनन पट्टा संख्या 153/04	चैजा पत्थर

अधीक्षण खनि. अभियन्ता-III

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पृथ्वीराज खेल नगर (अजमेर) की प्रस्तावित विकास योजना

411. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर में पृथ्वीराज खेल नगर के विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितनी धनराशि किस-किस मद में व्यय होने की सम्भावना है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार आगामी वर्षों में अजमेर शहर के उक्त स्थान पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी प्रतियोगितायें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर में पृथ्वीराज खेल नगर में एक खेल काम्प्लेक्स प्रस्तावित है। इस योजना का प्रस्ताव वर्तमान में निम्न प्रकार है—

1.	स्टेडियम सिन्थेटिक ट्रेक सहित अनुमानित व्यय राशि	360 लाख
2.	बहुद्देशीय इण्डोर हाल अनुमानित व्यय राशि	90 लाख
	कुल	**450 लाख**

(2) जी हां। खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन सामान्यतया विभिन्न खेल संघों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जावेगा।

कृषकों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु बजरी एवं पत्थर की रायल्टी में छूट

412. श्री अमराराम (धोद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में भिन्न-भिन्न स्थानों पर बजरी, चेजा पत्थर खण्डा (मार्बल व ग्रेनाइट) एवं चिकनी मिट्टी की रायल्टी की दरें क्या हैं?

(श्री अमराराम)

(2) क्या यह सही है कि राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु कुआ निर्माण एवं पक्के मकान निर्माण हेतु बजरी एवं पत्थर लेने पर रायल्टी में छूट दी जाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि मकराना और झुन्झुनू के रायल्टी ठेकेदारों द्वारा नाजायज रायल्टी वसूल की जाती है? यदि हां, तो क्या इस बाबत् शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सम्पूर्ण राज्य में रायल्टी की रेट खनिजवार एक समान है। खनिज बजरी, चेजा पत्थर, खण्डा (मार्बल व ग्रेनाईट एवं चिकनी मिट्टी की रायल्टी की दरें निम्नानुसार हैं -

	खनिज का नाम	रायल्टी की दर
1.	बजरी	रुपये 8/- प्रति टन
2.	चेजा पत्थर (सेन्डस्टोन, लाईमस्टोन, ग्रेनाईट, रायोलाईट, क्वार्टजाईट, शिष्ट, फाईलाईट, धांधला आदि)	रुपये 8/- प्रति टन
3.	खण्डा (मार्बल)	रुपये 50/- प्रति टन
4.	खण्डा (ग्रेनाईट) 70 सेमी. आयाम तक टाईल्स बनाने के उपयोग के लिए	रुपये 52/- प्रति टन
5.	साधारण मिट्टी	
	(अ) मिट्टी के बर्तन टाईल्स आदि के निर्माण हेतु	रुपये 6/- प्रति टन
	(ब) अम्बेकमेन्ट सडकों, रेलपथ, भवनों, आदि के निर्माण में भराव या समतलीकरण के उपयोग हेतु	रुपये 1.50/- प्रति टन
6.	ईट मिट्टी	रुपये 8/- प्रति टन
7.	ईट मिट्टी विशेष प्रयोजनार्थ	रुपये 55/- प्रति टन
8.	मुल्तानी मिट्टी	रुपये 50/- प्रति टन

(खनिज मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1986 के नियम 58 के तहत काश्तकार/कृषकों को निम्न प्रकार के निर्माण कार्य हेतु साधारण मिट्टी जिसमें ईट बनाने की मिट्टी भी शामिल है, बजरी, रेती एवं चुनाई पत्थर, बिना किराया, रायल्टी अथवा अन्य शुल्क दिये उत्खनन कर खनिजों को काम में लेने की छूट दी जाती है परन्तु कृषक यह खनन किसी भी स्वीकृत पट्टेधारी के कार्यरत पिट में नहीं करेगा -

1. सिंचाई की टंकी, नालियां आदि बनाने हेतु
2. कुओं के निर्माण हेतु
3. खेत में चारदीवारी बनाने हेतु, या
4. ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी मकान, चारदीवारी सहित एवं पशुओं के छप्पर बनाने हेतु,

परन्तु उक्त निर्माण हेतु खनिजों का उत्खनन एवं निर्गमन सम्बन्धित पंचायत या पटवारी द्वारा जारी अनुमति पत्र के आधार पर होगा। उक्त अनुमति पत्र में खनिज की मात्रा, खनन व निर्गमन की अवधि, काश्तकार/कृषक का नाम मय पता अंकित होगा।

(3) मकराना और झुंझुनू के रायल्टी ठेकेदारों द्वारा नाजायज वसूली करने बाबत् क्रमश: कार्यालय खनि अभियन्ता, मकराना एवं खनि अभियन्ता, सीकर में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मकराना की शिकायत की जांच उपखण्ड अधिकारी मकराना व खनि अभियन्ता मकराना द्वारा तथा झुन्झुनु की शिकायत की जांच खनि अभियन्ता सीकर द्वारा की जाने पर नाजायज रायल्टी वसूली किया जाना नहीं पाया गया है।

बयाना एवं रूपवास (भरतपुर) के एम्सस रायल्टी ठेकेदारों द्वारा अनियमित वसूली

413. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री निर्भय लाल)

(1) क्या यह सही है कि बयाना एवं रूपवास जिला भरतपुर में इस वर्ष एक्सेज रायल्टी का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को और कितनी राशि का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ठेकों की प्रतिटन की दरें क्या थीं तथा ठेका किन-किन शर्तों के आधार पर दिया गया?

(3) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा वसूली की जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदारों द्वारा एक्सेज रायल्टी के नाम पर वसूली गई राशि से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होने के सम्बन्ध में खनिज अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर को उक्त ठेकेदारों के विरूद्ध कई बार शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(5) क्या सरकार उक्त अवैध कार्यवाही को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला भरतपुर की तहसील बयाना एवं रूपवास की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन, मिल स्टोन व मसेनरी स्टोन के स्वीकृत खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर अधिक अधिशुल्क वसूली का ठेका श्री बी.पी. यादव, कान्ट्रेक्टर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव के पक्ष में राशि रुपये 2,65,00,000/- वार्षिक पर स्वीकृत किया गया। यह ठेका संविदा निष्पादन तिथि 1.4.2004 से 31.3.2006 तक के लिए प्रभावशील है।

(2) उक्त ठेका खनिज सेण्डस्टोन, मिल स्टोन व मेसनरी स्टोन के लिए है जिन पर रायल्टी दरें निम्न प्रकार हैं -

सेण्डस्टोन	रुपया 42 /- प्रति टन
मिल स्टोन	रुपया 42/- प्रति टन
मेसेनरी स्टोन	रुपया 8/- प्रति टन

(खनिज मंत्री)

ठेकों की शर्तों की सूची "परिशिष्ट-अ" पर संलग्न है।

(3) ठेकेदार द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा वसूली के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न "परिशिष्ट-ब" पर दर्शाया गया है।

(4) जी हां। खनि अभियंता तथा अधीक्षण खनि अभियंता, भरतपुर को उक्त ठेकेदार के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण "परिशिष्ट-ब" पर है।

(5) जी हां। सरकार उक्त अवैध कार्यवाही को बन्द करने का विचार रखती है। इस हेतु ठेकेदार को चेतना पत्र जारी किये हैं। नोटिस की अविध समाप्त होने के बाद ठेकेदार के विरूद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY

खनिज भवन, उदयपुर—313001/Khanij Bhawan, Udaipur-313001

दूरभाष/Phones : 2415091-95. फैक्स/Fax : 0294-2410526

(E-mail : dmgraj@sancharnet.in)

क्रमांक : निदे/प-2(बी.1) भरत/अप्र/2004/164 दिनांक : 31.3.2004

कार्यालय आदेश

कार्यालय खनि अभियंता, भरतपुर द्वारा तहसील बयाना-रूपवास की राजस्व सीमा में पड़ने वाले समस्त प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र से निकलने वाले खनिज सैण्डस्टोन, मिल स्टोन, मेसेनरी स्टोन पर अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका दिनांक 01.4.2004 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि (जो भी बाद में हो) से दिनांक

31.3.2006 तक के लिए दिये जाने हेतु दिनांक 04.3.2004 को निविदाएं आमन्त्रित की जाकर निविदादाताओं की उपस्थिति में दिनांक 10.3.2004 को दोपहर 12.00 बजे कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) मु., निदेशालय, उदयपुर के कक्ष में खोली गई। कुल 4 निविदा प्राप्त हुई। उच्चतम निविदा श्री वी.पी. यादव, कान्ट्रेक्टर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, 460/12, जैकबपुरा, गुडगांव (हरियाणा) की राशि रुपया 2,65,00,000/- (अक्षरे रुपया दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र) वार्षिक की प्राप्त हुई। निविदा प्रपत्र के साथ नियमानुसार धरोहर राशि बकाया नहीं होने का शपथ पत्र एवं पंजीयन प्रमाण पत्र (श्रेणी ए) आदि प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त निविदादाता ने नियमानुसार प्रतिभूति राशि रू. 33,14,000/- की एफ.डी.आर. खनि अभियंता, भरतपुर के पक्ष में प्लेज्ड करा प्रस्तुत की है। खनि अभियंता, भरतपुर द्वारा उक्त अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका उक्त निविदादाता श्री वी.पी. यादव, कान्ट्रेक्टर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, 460/12, जैकबपुरा, गुडगांव (हरियाणा) के पक्ष में स्वीकृत किये जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है तथा निदेशालय द्वारा उपरोक्त ठेका स्वीकृत करना उचित समझा गया है।

अत: निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के आधार पर उक्त अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका उच्चतम निविदादाता श्री वी.पी. यादव, कान्ट्रेक्टर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, 460/12, जैकबपुरा, गुडगांव (हरियाणा) के पक्ष में स्वीकृत किया जाता है-

1.	नाम उच्चतम निविदादाता	श्री वी.पी. यादव, कान्ट्रेक्टर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल यादव, 460/12, जैकबपुरा, गुडगांव (हरियाणा)
2.	खनिज का नाम	सैण्ड स्टोन, मिल स्टोन, मेसेनरी स्टोन
3.	क्षेत्र	तहसील बयाना-रूपवास की राजस्व सीमा में पड़ने वाले समस्त प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र
4.	अवधि	दिनांक 01.4.2004 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि (जो भी बाद में हो) से दिनांक 31.3.2006 तक
5.	ठेका राशि	रुपया 2,65.00,000/- (अक्षरे रुपया दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र) वार्षिक

6.	अधिशुल्क की दर	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 की प्रथम अनुसूची में वर्णित दरों के अनुसार एवं उनमें समय-समय पर होने वाले संशोधन अनुसार।
7.	प्रतिभूति राशि	वार्षिक ठेका राशि का 12.5 प्रतिशत राशि रु. 33,14.000/- की प्लेज्ड एफ.डी.आर
8.	जमानत राशि (Guarantee)	वार्षिक ठेका राशि की 12.5 प्रतिशत राशि के बराबर राष्ट्रीयकृत बैंक की गारन्टी/प्लेज्ड एफ.डी.आर
9.	अन्य कर	राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के नियम एवं उसमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।

10. अन्य शर्ते -

(1) अन्य प्रतिबन्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 एवं ठेका संविदा व निविदा की शर्तों के अनुसार जैसा कि समय-समय पर संशोधन हो, के अनुसार मान्य होंगे।

(2) ठेका अवधि में यदि अधिशुल्क की दर में वृद्धि होती है तो वृद्धि की दिनांक से ठेके की शेष अवधि के लिये उसी अनुपात में बढ़ी हुई दर से ठेके की रकम देनी होगी एवं बढ़ी हुई दर से प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

(3) निविदा वार्षिक राशि के लिए आमन्त्रित है जो दिनांक 1.4.2004 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि (जो भी बाद में हो) से दिनांक 31.3.2006 तक की अवधि के लिए होगी, आंशिक वर्ष के लिए आनुपातिक गणना की जाकर राशि देय होगी।

(4) वार्षिक ठेका राशि बारह मासिक किश्तों में अग्रिम जमा कराई जावेगी। अगर ठेकेदार द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। प्रथम अग्रिम किश्त नियमानुसार संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।

(5) ठेकेदार उन्हीं खनिज वाहनों से अधिक अधिशुल्क वसूल करेगा जिनके पास विभाग से जारी रवन्ना होंगे, जिन खनिज वाहनों के पास विभागीय रवन्ना नहीं होगा, उनके सम्बन्ध में ठेकेदार सम्बन्धित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियन्ता को सूचित कर खनिज वाहन उनके सुपुर्द करेगा। ठेकेदार रवन्ना संख्या का अपनी अधिक अधिशुल्क रसीद में भी अंकन करेगा व रवन्ना की दूसरी प्रति वाहन चालक से प्राप्त कर सम्बन्धित-अधिक अधिशुल्क रसीद के साथ संलग्न कर स्टेटमेन्ट के साथ प्रतिमाह सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवायेगा।

(6) ठेकेदार द्वारा ऐसे वाहनों से कोई अधिक अधिशुल्क वसूल नहीं किया जावेगा, जिनके पास वार्षिक स्थिरभाटक के विरूद्ध जारी विभागीय रवन्ना होंगे। रवन्नाओं को खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियंता द्वारा वार्षिक स्थिर भाटक के बराबर मात्रा में पट्टेधारियों को जारी किये जावेंगे। परन्तु वाहनों को तोलने पर यदि रवन्ना में अंकित वजन से अधिक वजन पाया गया तो ऐसे वाहनों से ठेकेदार अधिक वजन का अधिक अधिशुल्क वसूल कर सकेगा।

(7) ठेकेदार जिन वाहनों से अधिक अधिशुल्क वसूल करेगा, सम्बन्धित कार्यालय/विभाग से अनुमोदित अधिक अधिशुल्क रसीद जारी करेगा तथा प्रत्येक अधिक अधिशुल्क रसीद की तीन प्रतियां होंगी, जिसमें से एक प्रति वाहन चालक को देगा व द्वितीय प्रति विभाग को माहवारी स्टेटमेन्ट के साथ भेजेगा। माहवारी स्टेटमेन्ट निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र (11) दिनांक 3.10.2001 के अनुसार होगा।

(8) ठेका क्षेत्र के अन्तर्गत नये खनन पट्टे स्वीकृत करने, वतर्मान खनन पट्टों को खण्डित करने अथवा अध्यर्पित करने पर अधिक अधिशुल्क ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा विभाग द्वारा कोई खान स्थाई/अस्थाई रूप से बन्द कराई जाती है, तो ठेके की राशि पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

(9) नियम 18(3) के तहत खनन पट्टों के वार्षिक स्थिरभाटक में वृद्धि किये जाने या नियम 75 के तहत कमी होने पर या नवीनीकरण के समय वृद्धि होने पर अधिक अधिशुल्क वसूली ठेके की राशि में बढ़े हुए स्थिरभाटक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही ठेकेदार को कोई लाभ/राहत दी जावेगी।

(10) ठेकेदार अधिक अधिशुल्क की वसूली हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगा तथा नाके स्थापित करेगा एवं विभाग/सम्बन्धित कार्यालय को प्रति नाका रुपया 500/- नियमानुसार शुल्क भुगतान कर नाके अनुमोदित करायेगा।

(11) ठेकेदार अन्य करों का भुगतान राज्य सरकार को नियमानुसार करेगा।

(12) सभी शासकीय विभागों के ठेकेदारों को उनके पक्ष में आबंटित निर्माण कार्य में प्रयोग हेतु अल्पावधि अनुमती पत्र ठेका क्षेत्र में विभाग द्वारा अलग से स्वीकार किये जायेंगे जिनसे प्राप्त अधिशुल्क व अल्पावधि अनुमति शुल्क ठेका राशि में समायोजित नहीं किया जा सकेगा तथा उच्चतम निविदादाता इन ठेकेदारों से कोई अधिशुल्क वसूल नहीं करेगा।

(13) ठेकेदार कृषक से उसके सदभावनापूर्ण उपयोग हेतु लाये जाने वाले खनिज पर जैसा कि नियम 58 में उल्लेखित है, अधिशुल्क वसूल नहीं करेगा।

(14) अनाधिकृत खनन कर खनिज लाने वाले वाहनों से 10 गुना अधिशुल्क वसूल करने का अधिकार विभाग को होगा।

(15) यदि ठेकेदार बिना किसी दोष के ठेका अवधि पूर्ण करता है तो ठेके की प्रतिभूति ठेका समाप्ति से 30 दिवस में सक्षम अधिकारी द्वारा लौटाई जावेगी।

(16) अस्थाई रूप से चयनित निविदादाता प्रतिभूति राशि के बराबर की गारन्टी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडीआर/बैंक गारन्टी के रूप में संविदा निष्पादन से पूर्व प्रस्तुत करेगा। यह गारन्टी ठेके के नियमानुसार संचालन के लिए होगी जो खनिज अभियंता, भरतपुर के पक्ष में 3 वर्ष के लिए मान्य होनी चाहिए। ठेका अवधि बढाई जाने पर भी उक्त गारन्टी राइडर एग्रीमेंट के पूर्व प्रस्तुत करनी होगी। यह गारन्टी राजकीय बकाया के विरूद्ध नियमानुसार समायोजित की जा सकेगी।

(17) ठेका स्वीकृति की तिथि से एक माह की अवधि में नियम 37(2) के अन्तर्गत ठेकेदार को फार्म नं. 10 के अनुसार संविदा निष्पादन कराने में असमर्थ रहने पर उपरोक्त वर्णित नियम 35(जी) के तहत जमा कराई गई ठेका राशि की प्रतिभूति राशि को जब्त करते हुए ठेका स्वीकृति आदेश को नियम 37(3) के अन्तर्गत प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

निदेशक
खान एवं भू विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

परिशिष्ट –ब

बयाना व रूपवास में अधिक अधिशुल्क वसूल के ठेकेदार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण व की गई कार्यवाही

क्र. सं.	शिकायतकर्ता	दिनांक	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण
1.	विजय कुमार गुप्ता	5.4.04	फर्म द्वारा जारी रवन्ना नम्बर 398501 को अमान्य कर ट्रक संख्या आर.जे. 05/जी.3831 से रू. 2400/- की मांग की गई।	अधीक्षण खनि अभियंता द्वारा कोतवाली थाना इन्चार्ज रूपवास को दिनांक 5.4.04 को एफ.आई. आर. दर्ज करने हेतु लिखा एवं वरिष्ठ खनि कार्यदेशक को जांच करने हेतु आदेश दिनांक 6.4.04 जारी किया।
2.	मैसर्स अशर्फी कंस्ट्रक्शन कम्पनी, जयपुर	25.6.04	क्रेशर मशीन से टूटी हुई रोड़ी पर रायल्टी वसूल करने बाबत्।	अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेकेदार को दिनांक 5.7.04 को नोटिस जारी किया गया।
3.	श्री लालसिंह, व्यवस्थापक, पाषाण उत्पादक सहकारी समिति	26.6.04	अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेकेदार व उसके कर्मचारियों ने बिना तुला यंत्र के तौले रू. 800/- प्रति टोली लेकर रू. 400/- रसीद संख्या 040147 एवं 0140148 जारी की गई।	उक्त शिकायत पर खनि कार्यदेशक को जांच कर एफ.आई. आर. दर्ज करने हेतु लिखा गया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के अन्तर्गत खनि अभियंता द्वारा दिनांक 17.6.2004 को एवं 5.7.2004 को 15 दिवसीय चेतना पत्र जारी किया गया।

अधीक्षण खनि अभियंता

उप खण्ड निम्बाहेड़ा (चित्तौडगढ़) में प्राप्त राजस्व से विकास कार्य

414. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप खण्ड निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़ में स्थित पत्थर (लाइम स्टोन) की खानों आदि से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी राजस्व प्राप्त होती है ?

(2) क्या यह सही है कि प्राप्त आय के अनुपात में क्षेत्र के विकास आदि के लिए बजट में प्रावधान है ? यदि हां, तो विगत वर्ष सरकार द्वारा खनिज प्रधान क्षेत्रों में सड़क निर्माण आदि के लिए कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार खनिज प्रधान क्षेत्रों में सड़कों आदि के निर्माण की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ में स्थित पत्थर (लाइमस्टोन) की खानों आदि से सरकार को प्रतिवर्ष निम्नानुसार आय प्राप्त हुई है -

वर्ष	आय (लाख रूपयों में)
2000-01	1069.70
2001-02	1750.04
2002-03	1712.18
2003-04	1667.06

(2) जी नहीं। परन्तु खनि विभाग द्वारा आयोजना मद से वर्ष 2003-04 खनिज प्रधान क्षेत्रों में चार सडकों पर कुल 25.63 लाख रुपये का व्यय किया गया। सड़कवार व्यय निम्नानुसार है -

(खनिज मंत्री)

क्र. सं.	सड़क	व्यय (राशि लाख रु. में)
1.	होशियारपुरा से कायमपुरा सड़क, जिला अजमेर	4.44
2.	गोटन से पुन्डलु से बोरूदा, मेड़ता सिटी जिला नागौर व जोधपुर	9.48
3.	रोह्नवाडा से डचकी सड़क, जिला डूंगरपुर	8.19
4.	माल से खान क्षेत्र तक सड़क, जिला डूंगरपुर	3.52

(3) सरकार खनिज क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से सडकों का निर्माण करवाती है।

झुंझुनूं जिले में चल रही अनधिकृत खानें

145. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में कितनी खानें कौन-कौनसी जगह कितने समय से किसके नाम से चल रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की खानों से सरकार को वार्षिक कितना राजस्व प्राप्त होता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में कई खानें अनधिकृत रूप से चल रही हैं? यदि हां, तो इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में प्रधान एवं अप्रधान खनिज की कुल 164 खाने निम्न स्थानों पर, किस समय से व किन व्यक्तियों के नामों से चल रही है उसकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(खनिज मंत्री)

(2) जिला झुंझुनूं से विभाग को वर्ष 2003-04 में रुपये 4,14,37,827/- की राजस्व आय प्राप्त हुई है।

(3) जी नहीं। जब भी कहीं अनाधिकृत खनन की सूचना प्राप्त होती है, विभाग के अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत खनन रूकवा कर अनाधिकृत खननकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जालौर जिले के बजरी के ठेकेदारों द्वारा जमा अमानत राशि

416. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जालौर में पिछले 5 वर्षों में बजरी के ठेकों से कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ ठेकेदार न्यायालय में गये हैं ? यदि हां, तो कब व किन कारणों से?

(3) क्या ठेकेदारों द्वारा ठेका लेने के पश्चात् यदि कोई कमी पाई जाती है तो ऐसे ठेके को कितने समय तक निरस्त करने का प्रावधान है ?

(4) सरकार बिना ठेका निरस्त किये ठेकेदारों द्वारा दी गई (स्थायी जमा) अमानत राशि को अपने पास कितने समय तक रख सकती है ? ऐसी कुल कितनी राशि ठेकेदारों की विभाग में जमा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जालौर में पिछले 5 वर्षों में खनिज बजरी के दिये गये ठेकों से प्राप्त राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

(2) जी हां। इनमें से एक ठेकेदार श्री भंवरसिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह निवासी कुशालपुरा तहसील भीनमाल जिला जालौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट . पिटिशन संख्या 1276/2004 दिनांक 19.3.2004 को दायर

(खनिज मंत्री)

की गई है। ठेकेदार द्वारा रिट दायर करने का कारण उनकी निविदा को निदेशालय के आदेश दिनांक 15.3.2004 से अमानत राशि जब्त करते हुए अस्वीकृत करना रहा है।

(3) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियमों की पालना नहीं करने पर ठेकेदार को संविदा की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत 15 दिवसीय नोटिस जारी किया जाता है यदि ठेकेदार द्वारा उक्त नोटिस की पालना निर्धारित अवधि में नहीं की जाती है तो ऐसे ठेके को नोटिस अवधि के पश्चात निरस्त करने का प्रावधान है।

(4) चालू ठेका में किसी प्रकार की अमानत राशि जमा करने का प्रावधान नहीं है चालू ठेकों में प्रतिभूति राशि जमा रहती है जो ठेके की समयावधि पूर्ण होने पर ठेकेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय राशि बकाया नहीं होने पर नियम 35(g)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 दिन में लौटा दी जाती है। वर्तमान में पूर्व में दिये गये ठेकों में से किसी भी ठेके की प्रतिभूति राशि ठेका अवधि समाप्ति के बाद जालौर कार्यालय में रूकी हुई नहीं है व न ही राशि लौटाया जाना शेष है।

परिशिष्ट - अ

राजस्थान सरकार

निदेशालय,

खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

राजस्थान, उदयपुर।

जिला जालौर के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में निम्नानुसार बजरी के ठेकों से प्राप्त राशि का विवरण -

क्र.सं.	वर्ष	क्षेत्र का नाम	अवधि	राशि
1	2	3	4	5
1.	1999-2001	1-कुवारडा ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	21,150/-
		2-कवराडा, भूति ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	25,650/-
		3-पलासिया/सेन्दरिया ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	71,550/-
		4-सियाणा-चादंण्डा ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	7,500/-
		5-उम्मेदावास, सायला, पोसाणा ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	3,01,000/-
		6- भडगांव, रानीवाड़ा कावा ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	53,051/-
		7-- गणा, खोडाकला ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	35,100/-

1	2	3	4	5
		8– सफाडा, माण्डवला ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	18,551/-
		9– समदडी, कनाना, करमावास ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	1,52,600/-
		10– आहोर, भेसवाडा, सनवाडा, भागली पुरोहितान ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	1,40,000/-
		11– लेटा, साकरणा, पहाडपुरा ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	3,71,000/-
		12– आकोली, सांतु, नुन ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	70,451/-
		13- भीनमाल, रामसीन ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.99 से 31.3.2001	9,36,000/-
2.	2001-2003	1- भीनमाल, खेडा, रामसीन, ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.2001 से 31.3.2003	17,78,662/-
		2– तहसील सिवाना ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.2001 से 31.3.2003	4,55,000/-
		3– सियाणा से धानसा ग्राम की राजस्व सीमा	1.4.2001 से 31.3.2003	1,16,500/-
		4– जालौर तहसील की राजस्व सीमा	1.4.2001 से 31.3.2003	11,15,000/-
		5– आहोर तहसील की राजस्व सीमा	1.4.2001 से 31.3.2003	5,51,000/-
3.	2003-2005	1– सिवाना तहसील क्षेत्र	1.4.2003 से 31.3.2005	5,71,000/-
		2– जालौर-सायला तहसील क्षेत्र	1.4.2003 से 31.3.2005	2,51,000/-
		3– आहोर तहसील क्षेत्र	1.4.2003 से 31.3.2005	2,17,388/-

अधीक्षण खनि अभियंता (तृतीय)

सवाईमाधोपुर जिले में बनास नदी की बजरी पर वसूली जा रही रायल्टी

417. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी में बजरी का ठेका कब किसको तथा कितनी राशि का दिया गया?

(2) उक्त जिले में बजरी की रायल्टी की वैधानिक तौर पर कितनी राशि ठेकेदार द्वारा वसूल की जानी है?

(3) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी की बजरी की रायल्टी प्रति ट्रैक्टर 100 रूपये एवं 50 रूपये रोड टेक्स ठेकेदार द्वारा वसूल की जा रही है? यदि हां, तो क्या यह राशि वैधानिक है? यदि नहीं, तो सरकार इस प्रकार की अवैधानिक वसूली पर कब तक रोक लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले में बनास नदी में खनिज बजरी के निम्न चार ठेके प्रभाव में है :-

क्र. सं.	नाम ठेकेदार	क्षेत्र	अवधि	वार्षिक ठेका राशि मूल ठेका राशि	वार्षिक ठेका राशि दिनांक 25.5.2004 से संशोधित राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री घनश्याम लाल मीणा	राजस्व सीमा ग्राम पीपलवाडा से रईया खुर्द तक तह. बौली एवं सवाई माधोपुर	1.4.2003 से 31.3.2005	रु. 18,00,000/-	रु. 22,65,652/-
2.	श्री अर्जुन लाल मीणा	राजस्व सीमा बालोती, पीपलवाडा से मलारना, बाड, बिलोली, सांगडा तक बहने वाली बनास नदी तह. बौली एवं सवाई माधोपुर	1.4.2003 से 31.3.2005	रु. 6,60,000/-	रु. 7,00,609/-

(खनिज मंत्री)

1	2	3	4	5	6
3.	सर्वश्री मरूधर इन्टरप्राठी जेज, सीकर	राजस्व सीमा ग्राम-ईसरदा में सिरोही तक बहने वाली बनास नदी, तह.बोली एवं सवाई माधोपुर	1.4.2003 से 31.3.2005	रु. 3,51,300/-	रु. 4,40,3000/-
4.	श्री मांगी लाल राठौड	राजस्व सीमा ग्राम भूदी, पहाडी से सेबती के बीच बहने वाली बनास नदी तह. खण्डार, जिला सवाई माधोपुर	7.6.2004 से 31.3.2006	रु. 4,71,915/-	रु. 5,95,023/-

(2) उक्त जिले में बजरी की रायल्टी वैधानिक तौर पर 8/- रुपये प्रति टन वसूल की जानी है।

(3) जी नहीं। सवाईमाधोपुर जिले में बहने वाली बनास नदी के अधिकृत रायल्टी ठेकेदार द्वारा रायल्टी 8/- रुपये प्रति टन की दर से एवं नियमानुसार परमिट शुल्क वसूल किया जाता है। उक्त दन के अनुसार प्रति ट्रेक्टर जिसमें एक या दो फन्टे लगे होने से 6 से 8 टन बजरी निर्गम की जाती हैं, से 60/- से 74/- रुपये वसूल किये जा रहे है। रायल्टी ठेकेदार द्वारा कोई रोड टेक्स वसूल नहीं किया जाता है।

फुलेरा के थानों में दर्ज प्रकरण

418. श्री नवरत्न राजोरिया (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में दिनांक 1 जनवरी, 1999 से 31 मई, 2004 तक कितने अपराध किस-किस धारा में दर्ज किये गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(2) उक्त मामलों में से कितने मामलों में चालान पेश किया गया तथा कितने मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन लगाए गए? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में 1 जनवरी, 1999 से 31 मई, 2004 तक डकैती-2, लूट-12, हत्या-33, दहेज हत्या-15, दहेज प्रताडना-97, नकबजनी-177, चोरी-346, बलवा-927, बलात्कार-11, अपहरण-59, आगजनी-28, मुजाहमत-48, धोखाधडी-183, महिलाओं से छेडछाड-73, रोड दुर्घटना-518, अन्य भादंसं. के अपराध-1402, एससी/एसटी एक्ट–178, एवं विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत-319, कुल 4428 अपराध दर्ज हुए हैं। वर्षवार एवं शीर्षकवाईज सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) कुल दर्ज 4428 अपराधों में से 2806 अपराधों में चालान तथा 1588 अपराधों में (एफ.आर.) अति प्रतिवेदन में नतीजा दिया गया। शेष 34 अपराध अभी अन्वेषणाधीन है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट 'अ' में उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों में दिनांक 1.1.1999 से 31.5.2004 तक दर्ज अभियोगों की वर्षवार निस्तारण सहित सूची

क्र. सं.	शीर्षक अपराध	1999				2000				2001				2002				2003				2004			
		दर्ज अप.	चालान	एफ. आर.	पैंडिंग	दर्ज अप.	चालान	एफ. आर.	पैंडिंग	दर्ज अप.	चालान	एफ. आर.	पैंडिंग	दर्ज अप.	चालान	एफ. आर.	पैंडिंग	दर्ज अप.	चालान	एफ. आर.	पैंडिंग	दर्ज अप.	चालान	एफ. आर.	पैंडि
1.	डकैती	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
2.	लूट	1	—	1	—	7	6	1	—	1	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	
3.	हत्या	12	8	4	—	6	4	2	—	5	4	1	—	3	3	—	—	5	4	1	—	2	1	—	
4.	दहेज हत्या	1		1	—	2	2	—	—	6	5	1	—	3	1	2	—	1	1	—	—	2	1	1	
5.	दहेज प्रताड़ना	15	5	10	—	13	9	4	—	15	10	5	—	21	13	7	1	28	16	12	—	5	3	1	
6.	नकबजनी	46	3	43	—	46	5	41	—	35	5	30	—	22	4	18	—	25	8	17	—	3	—	1	
7.	चोरी	52	10	42	—	87	18	69	—	66	8	58	—	65	18	47	—	55	10	45	—	21	2	12	
8.	बलवा	178	127	51	—	200	151	49	—	239	161	78	—	226	133	93	—	83	57	26	—	1	—	1	
9.	बलात्कार	2	2	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	4	2	2	—	1	1	—	—	2	1	—	
10.	अपहरण	16	8	8	—	18	8	10	—	6	2	4	—	5	3	2	—	12	1	11	—	2	—	1	
11.	आगजनी	4	—	4	—	8	3	5	—	3	—	3	—	9	2	7	—	2	—	2	—	2	1	1	
12.	मुजाह्मत	11	9	2	—	4	3	1	—	7	7	—	—	13	10	3	—	8	5	3	—	5	3	2	
13.	धोखाधड़ी	36	4	32	—	27	6	21	—	40	5	35	—	40	6	31	3	36	4	32	—	4	—	3	
14.	महिला से छेड़छाड़	10	8	2	—	16	10	6	—	12	6	6	—	14	12	2	—	18	13	5	—	3	3	—	
15.	रोड़ दुर्घटना	89	73	16	—	95	85	10	—	91	78	13	—	88	76	12	—	114	102	12	—	41	37	2	
16.	अन्य भादस	248	178	70	—	251	197	54	—	280	200	80	—	286	171	114	1	230	181	46	3	107	81	18	
17.	एससी/एसटी एक्ट	23	13	10	—	37	16	21	—	43	17	26.	—	38	21	17	—	30	15	15	—	7	3	4	
18.	विविध अधिनियम	41	33	8	—	28	23	5	—	49	41	8	—	71	68	3	—	97	96	1	—	33	30	1	
कुल योग		**785**	**481**	**304**	—	**846**	**547**	**299**	—	**900**	**552**	**348**	—	**910**	**544**	**361**	**5**	**746**	**515**	**228**	**3**	**241**	**167**	**48**	[illegible]

उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति सम्मान

419. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में राज्य में बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी कर तस्करी करने के आरोप में वामन नारायण घीया व कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति कर सम्मानित किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को अब तक पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई अधिकारियों/ कर्मचारियों को अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया? यदि हां, तो ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति नहीं हो पायी है और उक्त पदोन्नति लम्बित चलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) हाल ही में राज्य में बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी कर तस्करी करने के आरोप में वामन नारायण घीया एवं अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने एवं पुरा सम्पदा के बरामद करने के लिए अभी तक किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गई है।

(2) उक्त प्रकरण में 18 पुलिस कर्मचारियों की विशेष पदोन्नति का प्रकरण पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। जिस पर जल्द गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

अभियोजन विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद

420. श्री रणधीण सिंह भीण्डर (बल्लभनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अभियोजन विभाग में वर्ष 1985 से अब तक दैनिक वेतन भोगी/कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनों को स्थाई नियुक्ति दी गई एवं चयन का आधार क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग में दिनांक 1 फरवरी, 1990 से अब तक कनिष्ठ लिपिक के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। अभियोजन विभाग ने वर्ष 1985 से अब तक कुल 26 दैनिक वेतन भोगी कनिष्ठ लिपिको की नियुक्तियां की हैं,.जिसमें 25 दैनिक वेतनभोगी कनिष्ठ-लिपिको की सेवायें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के उपलब्ध हो जाने के कारण समाप्त कर दी गई तथा एक दैनिक वेतनभोगी श्री सम्पत कुमार वर्मा की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.2.1990 की अनुपालना में तथा राज. लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यार्थी द्वारा उपस्थिति नहीं देने के कारण सेवाएं निरन्तर रही। तत्पश्चात राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-3 (56) डी.ओ.पी. II/84 दिनांक 12.10.1992 के अनुसरण में नियमित नियुक्ति की गयी। (विवरण संलग्न)

(2) अभियोजन विभाग में निम्नानुसार दिनांक 16.4.2004 तक रिक्त 87 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं।

1.3.2002	से	01 पद
31.3.2002	से	01 पद
2002-2003	से	63 पद
2003-2004	से	22 पद
		87 पद

दैनिक वेतनभोगी कनिष्ठ लिपिकों की सूची

क्र. सं.	नाम दैनिक वेतनभोगी कार्मिक	कार्यरत जिला	प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं तिथि
1	2	3	4
1.	श्री हृदय कुमार गौड	उदयपुर	अभि. निदे. के आदेश क्रमांक सं. 3 (3) (2) स्था/पत्रां/अभि/85/ 8300-13 दिनांक 9.5.1985
2.	श्री अशोक बिहारी माथुर	बून्दी	
3.	श्री आनन्द कुमार	बाड़मेर	जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश क्रमांक 10564-578 दिनांक 14.6.1985 एवं क्रमांक 10939 दिनांक 3.7.1985
4.	श्री रामलाल पराशर	डूंगरपुर	जिला कलक्टर डूंगरपुर के आदेश क्रमांक 1753-62 दिनांक 1.7.1985
5.	श्री सत्यनारायण शर्मा	सवाईमाधोपुर	
6.	श्री सम्पत कुमार वर्मा	नागौर	
7.	श्री कुमारी रंजना नाग	सीकर	अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक सं. 3 (5) (6) स्था/मंत्रा/अभि/86/4780 दिनांक 24.3.1987
8.	श्री जगदीश प्रसाद पंवार	श्रीगंगानगर	
9.	श्री छीतरमल मेहरा	झालावाड़	
10.	श्री गोपाल लाल बैरवा	सवाईमाधोपुर	
11.	श्री रामकिशोर मीणा	नागौर	
12.	श्री जिनेश विनोदी	अजमेर हाल जयपुर	

1	2	3	4
13.	श्री भगवान सहाय कोली	झालावाड़	अभि. निदे. के आदेश क्रमांक सं. 3(5)(6) स्था/ मंत्रा/अभि/ 86/ 11607-62 दिनांक 16.7.1987
14.	श्री बाबूलाल शर्मा	उदयपुर	
15.	श्री सोहनलाल बलाई	जोधपुर	अभि. निदे. के आदेश क्रमांक सं. 3(5)(6) स्था/ मंत्रा/अभि/86/ 16961-99 दिनांक 26.9.1987
16.	श्री रामजीलाल धानका	उदयपुर	
17.	श्री अब्दुल रशीद शेख	उदयपुर	अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक सं. 3(5)(6) स्था/मंत्रा/अभि/ 86/3408-26 दिनांक 11.3.1988
18.	श्री विष्णु शंकर मेंनारिया	उदयपुर	
19.	श्री टेकचन्द कलाल	उदयपुर	
20.	श्री शोभालाल सुथार	उदयपुर	
21.	श्री रमेश चन्द मीणा	उदयपुर	
22.	श्री प्रेम कुमार	श्रीगंगानगर	अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक सं. 3(5)(6) स्था/मंत्रा/अभि/86/3731-48 दिनांक 17.3.1988
23.	श्री शान्तीलाल	नागौर	
24.	श्री शिवनारायण	जोधपुर	
25.	श्री ओमाराम	जोधपुर	
26.	श्री सांवरमल	श्रीगंगानगर	अभियोजन निदेशालय के आदेश क्रमांक सं. 3(5)(6) स्था/मंत्रा/अभि/86/3731-48 दिनांक 17.3.1988

खाजूवाला थाने में दर्ज प्रकरण संख्या-206/2001

421. श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

खाजूवाला थाने में दर्ज मुकदमा नं. 206/2001 में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए गए और सरकार द्वारा पीड़ित परिवार को क्या आर्थिक मदद दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खाजूवाला थाना में दर्ज मुकदमा नं. 206/2001 धारा 382, 363, 364, भादसं में पुलिस द्वारा विधिवत अनुसन्धान किया जाकर अपराधियों द्वारा फरियादी श्री सुगनाराम मेघवाल निवासी-कैला थाना छतरगढ के दो लड़कों फूसाराम उम्र 10 वर्ष व भानीराम उम्र 12 वर्ष की हत्या कर लाशों को रेत में दबाकर फरियादी की 8 भेड़े व 20 बकरियां पीकप में भर कर ले जाने पर मुकदमे में धारा 302, 301, 394, 120 बी भादसं और जोड़ी गई और मुकदमा में 5 अभियुक्त नं. 1– कमल कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण निवासी-हनुमानगढ़ टाउन को धारा 302, 120 बी 364, 394, 201 भादसं में गिरफ्तार कर मुकदमा की वारदात में प्रयुक्त वाहन पीकप आर.जे. 31, जी-3132 को कब्जा पुलिस में लिया गया एवं अभियुक्त नं. 2 - पीराम पुत्र श्री बुद्धाराम नि. - गंगानगर नं. 3 - हंसा उर्फ हसन पुत्र श्री लालचन्द नि. - गंगानगर नं. 4 - महगाराम पुत्र श्री ईश्वरराम व नं. 5 - सुरजीत सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह नि. गंगानगर को धारा 411 भादसं में गिरफ्तार किये जाकर अभियुक्त पीराराम से 8 बकरियासं, हंसा उर्फ हसन से 7 बकरियां व सुरजीत सिंह से एक बकरी एवं महगाराम से 7 भेड़े व एक मेमना बरामद कर फरियादी श्री सुगनाराम को कुल 8 भेडे व 16 बकरियां सुपुर्द की जा चुकी हैं। चार बकरियां और शेष है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर मुकदमा का मुख्य अभियुक्त श्री गोविन्दराम जाट जिसमें अपना निवास, चाईयां होना उक्त अभियुक्तों से बरामद पर्चियों में अंकित किया है जिसके विरूद्ध धारा 173 (8) जा.फौ. के तहत जैर तफतीश है। अभियुक्त गोविन्दराम का पता लगाने के लिए खाजूवाला, रावला, घड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं हर सम्भावित स्थानों पर तलाश किया गया जिसका पता नहीं चला। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। प्रकरण हाजा के पीड़ित पक्ष को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।

पुलिस थाना नादौती (करौली) में दर्ज इंजन चोरी प्रकरण

422. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला करौली के थाना नादौती में इस वर्ष किसानों के कुओं से इंजन चोरी गये हैं, जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है? यदि हां, तो किन-किन किसानों की? सम्बन्धित किसानों के नाम व पते तथा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि जिला करौली के थाना नादौती के क्षेत्र से इस वर्ष जनवरी से जून 2004 तक किसानों के कुओं से 5 इंजन चोरी गये हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है -

(अ)-> अभियोग सं. 74/2004 दिनांक 14.5.2004 धारा 379 ता.हि. थाना नादौती में 3 इंजन चोरी गये हैं। जिन किसानों के इंजन चोरी गये हैं उनका नाम पता क्रमश: (1) रघुनाथ पुत्र रामसुख गुर्जर निवासी राजाहेडा थाना नादौती (2) मदन पुत्र कन्चन गुर्जर निवासी राजाहेडा थाना नादौती (3) श्यौदान पुत्र वन्शी गुर्जर नि. राजाहेडा थाना नादौती है। अभी तक माल मुल्जिमान का पता नहीं लगा है प्रकरण थाना नादौती पर जैरे अनुसंधान है।

(ब)-> अभियोग सं. 80/2004 दिनांक 02.06.2004 धारा 379 ता.हि. थाना नादौती में 2 इंजन चोरी गये। जिन किसानों के इंजन चोरी गये हैं नाम पता क्रमश: (1) सुल्तानसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी नादौती (2) जगनसिंह जाति राजपूत निवासी नादौती है। अभी तक माल मुलजिमान का पता नहीं लगा है प्रकरण थाना नादौती पर जैरे अनुसंधान है।

पुलिस कर्मियों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति

423. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मियों को 'प्रतिनियुक्ति' पर अन्य विभागों में भेजने का प्रावधान है? यदि हां, तो किन-किन विभागों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश मीणा)

(2) वर्तमान में विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं? उक्त में से अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योग्यता निर्धारित कर रखी है? यदि नहीं. तो अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर कम क्यों भेजे जाते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि राजस्थान सेवा नियमावली में राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को केन्द्र सरकार, अन्य राज्यों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रावधान है।

(2) वर्तमान में 169 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं जिनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है -

क्र. सं.	पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	आर.पी.एस.	3	1
2.	पुलिस निरीक्षक	-	1
3.	उप निरीक्षक	4	-
4.	हैड कानि.	1	1
5.	कानिस्टेबल	9	9
	योग -	17	12

(3) प्रतिनियुक्ति के मापदण्ड शर्तें/योग्यता, प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग द्वारा ही निर्धारित की जाती है।

पुलिस रेंज में उप महानिरीक्षकों का पदस्थापन

424. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर), श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) :- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) राजस्थान पुलिस में उप महानिरीक्षक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) राजस्थान में कुल कितनी पुलिस रेंज स्वीकृत हैं तथा उनके मुख्यालय कहां-कहां हैं?

(3) क्या यह सही है पूर्व में रेंज में उप महानिरीक्षकों को पदस्थापित किया जाता था, किन्तु अब महानिरीक्षकों को पद स्थापित किया जाता है?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यवस्था के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उप महानिरीक्षक पद पर रहते हुए किसी भी अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी?

(5) सरकार उक्त अन्यायपूर्ण एवं भेदभाव पूर्ण स्थिति को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस में उप महानिरीक्षक पुलिस के कुल 25 पद स्वीकृत हैं।

(2) राजस्थान पुलिस में 8 पुलिस रेंज स्वीकृत है, जिनका मुख्यालय क्रमश: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं अजमेर में स्थापित है।

(3) जी हां।

(4) अधिकारी के पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से किये जाते हैं।

(5) अधिकारी के पदस्थापन प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जो अन्यायपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण स्थिति नही है।

कारागृह कर्मियों की समयबद्ध पदोन्नति

425. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कारागृह कर्मियों हेतु समयबद्ध पदोन्नति नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि विभाग का कार्य आपराधिक न्याय व्यवस्था के अन्य अंगों की तरह बहुत महत्वपूर्ण है? यदि हां, तो सरकार ने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते इतने कम क्यों रखें हैं ?

(3) क्या सरकार इनके वेतनमानों को सन्तुलित/समानीकृत करने का विचार रखंती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। कारागार विभाग के कर्मियों के लिये समयबद्ध पदोन्नति का प्रावधान नियमों में नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पदोन्नत पद के वेतनमान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। राज्य सरकार के सभी विभागों का कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण है, किसी भी विभाग के कार्य को कम महत्व का नहीं आंका जा सकता। किस पद की योग्यता एवं कार्य की जिम्मेदारी के अनुसार क्या वेतनमान देय होता है, इसका निर्धारण वेतन आयोग/वेतनमान समितियों की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय करने के उपरान्त किया जाता है।

(3) श्री वाई सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति का प्रतिवेदन अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। इस समिति की अनुशंषाओं के परीक्षण उपरान्त जो राज्य सरकार का निर्णय होगा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला वन अधिकारी (बेगूं) द्वारा सीमेन्ट एवं बीज खरीद

426. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमंडी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण विभाग (डी.एफ.ओ.) बेगूं द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 में सीमेन्ट एवं बीज क्रय किया गया है? यदि हां, तो इनको क्रय करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीमेन्ट की खरीद हेतु रेट कन्ट्रेक्ट समाप्त होने के पश्चात् बिना उच्च अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये निजी फर्म से सीमेन्ट खरीदा गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) भण्डेसरा जलग्रहण क्षेत्र में मार्च, 2003 से अब तक कितनी राशि के विकास कार्य करवाये गये तथा इन कार्यों की वितीय स्वीकृतियां कब जारी की गई व उक्त कार्यों की कार्यावधि क्या रही? क्या इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हुई है? यदि हां, तो सरकार इसमें दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) कनेरा निमोदा जलग्रहण क्षेत्र में कितनी राशि के विकास कार्य करवाये गये तथा इनके प्राक्कलन (एस्टीमेट) कब स्वीकृत हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इनको क्रय करने हेतु राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान अन्तर्गत प्रक्रिया अपनाकर क्रय की कार्यवाही की गई।

(2) जिस समय सीमेन्ट की आवश्यकता थी उस समय सीमेन्ट का रेट कान्ट्रेक्ट प्रभावी नहीं था। सीमेन्ट खुली निविदा के आधार पर निजी फर्म के बजाय सीधे ही सीमेन्ट उत्पादक ईकाइयों (जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा और नीर श्री सीमेन्ट वर्क्स मोडक) से क्रय की गई। सीमेन्ट क्रय करने से पूर्व प्रकरण स्वीकृति हेतु निदेशक परियोजनाएें काटा को प्रेषित किया गया था जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(3) नवीन जलग्रहण क्षेत्र भण्डेसरा की 4 वर्षीय कार्य योजना भारत सरकार के (तार दिनांक 30.12.2003 के जरिये) द्वारा स्वीकृत किया गया तथा इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में 21.87 लाख रुपये के विकास कार्य करवाये गये

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

का प्रावधान था इसके विरूद्ध माह जनवरी, 2004 से मार्च, 2004 तक 15.06. लाख रुपये के कार्य करवाये गये जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने से किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं है।

(4) कनेरा, निमादा जलग्रहण क्षेत्र में अब तक (2 वर्ष में) कुल 63.57 लाख रु. के विकास कार्य कराये गये हैं। करवाये गये कार्यों के स्वीकृत प्राक्कलनों का तिथिवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट 'क'

कनेरा, निमादा जलग्रहण क्षेत्र में कराये गये विकास कार्यों के प्राक्कलन स्वीकृति का विवरण

क्र. सं;	प्राक्कलन राशि (रूपयों में)	प्राक्कलन स्वीकृति का दिनांक
1.	827097	27.2.2003
2.	1711620	27.2.2003
3.	687000	13.3.2003
4.	573211	15.9.2003
5.	30000	12.6.2003
6.	31516	12.6.2003
7.	115056	15.9.2003
8.	123451	15.9.2003
9.	412879	15.9.2003
10.	125559	15.9.2009
11.	98199	21.5.2004
12.	220996	21.5.2004
13.	65983	21.5.2004
14.	217908	21.5.2004
15.	807312	21.6.2004
योग	6047787	

खातेदारी भूमि से वृक्ष कटाई पर पारगमन पत्र की अनिवार्यता

427. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को अपने खातेदारी भूमि में अच्छी फसल प्राप्ति के लिए वृक्षों/पेड़ों की लकड़ी काटकर बेचने का अधिकार है?

(2) क्या उक्त परिस्थितियों में भी किसानों को पारगमन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है?

(3) क्या पारगमन पत्र के अभाव में किसानों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने खातेदारी भूमि से निजी उपयोग हेतु पेड़ काटने हेतु राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 79 से 86 में प्रावधान निहित किये हैं। लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 29.6.1989 तथा दिनांक 22.2.1991 से आवेदन की जोत पर खड़े सफेदा, सू-बबूल, अरड़ु, विलायती-बबूल, देशी-बबूल, इजरायली बबूल तथा शीशम को हटाने के लिए अनुज्ञा से छूट प्रदान की है।

(2) राजस्थान वन (उपज वहन) नियम, 1957 के अनुसार वन उपज को परिवहन के लिए पारपत्र आवश्यक है, लेकिन राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 15.7.1986 से राज्य के 15 जिलों में वन उपज को यान्त्रिक वाहन के अलावा अन्य से परिवहन करने के लिए कुछ शर्तों के साथ छूट प्रदान की है। अधिसूचना दिनांक 19.1.1991 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 23.10.2002 से उक्त सात प्रजातियों की लकड़ी (टिम्बर) को राज्य के भीतर परिवहन के लिए पारपत्र से छूट प्रदान की गयी है तथा अधिसूचना दिनांक 21.7.1999 से उक्त छूट शीशम, सफेदा एवं देशी बबूल की वन उपज के परिवहन के सम्बन्ध में जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिले की फलौदी एवं औसियां तहसीलों के लिए वापिस से ले ली गयी है।

(3) उक्त प्रदत्त छूट के अलावा वन उपज के परिवहन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रधान, मुख्य वन संरक्षक पद का औचित्य

428. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक का नया पद सृजित किया गया था, जिससे राज्य में वन बन्दोबस्त का कार्य कराया जा सके ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अतिरिक्त पद के सृजन के बावजूद गत 10 वर्षों में न तो पूरा वन क्षेत्र अमलदरामद कराया जा सका और न ही निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी वनों का बन्दोबस्त कार्य कराया गया जबकि 30 वर्ष पश्चात् पुन: बन्दोबस्त होना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त नवीन पद के सजन का क्या औचित्य है ?

(3) क्या यही भी सही है कि उक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतन भत्तों/फोन/वाहन सुविधा/तथा उसके अधीन कार्यरत निजी सहायक/कार्यालय स्टाफ व उनके वेतन भत्तों आदि पर प्रतिमाह लगभग 6.30 लाख रुपये व्यय होते हैं, जबकि इतनी राशि के मुकाबले 125 वन रक्षक भर्ती किये जा सकते थे, जो वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध का ग्रास रूट कार्य करते? यदि हां, तो क्या सरकार इस अतिरिक्त पद को समाप्त कर नये वन रक्षकों की भर्ती करने एवं उनको आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस पद का सृजन 28.9.1996 को किया गया था।

(2) जी नहीं। इस पद के सृजन के पश्चात् लगभग 1,46,794 हैक्टेयर वन क्षेत्र का अमल दरामद कराया जा चुका है। अवशेष विवादित क्षेत्र का अमल दरामद चूंकि अकेले वन विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है, अत: राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में गठित जिला स्तरीय समिति जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा की जाती है, के सहयोग से प्रक्रियाधीन है। 30 वर्ष पश्चात् पुन: वन बन्दोबस्त कराने का कोई प्रावधान अब नहीं है। अमल दरामद के अलावा इनकी देख-रेख में वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण, मिनारें लगाकर वन क्षेत्र का सीमांकन कार्य, वन

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

खण्डों की प्रारम्भिक एवं अन्तिम विज्ञप्ति जारी करना तथा वन मण्डलों की कार्य आयोजना तैयार कर भारत सरकार से स्वीकृत कराना आदि कार्य भी कराया जाता है।

(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक के वेतन भत्तों/फोन/वाहन सुविधा तथा उनके अधीन कार्यरत स्टाफ एवं उनके वेतन भत्तों आदि पर 6.30 लाख रुपये व्यय नहीं होते हैं। वर्ष 2003-04 का औसत मासिक व्यय 4.21 लाख रुपये है। विभाग में पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्थिति को देखते हुए किया जाता है। वर्ष 1986 से नई भर्ती पर रोक होने के कारण वनरक्षकों की भर्ती नहीं हो सकी है। राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वनरक्षक दोनों की ही आवश्यकता है।

बाली के शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण का भुगतान

429. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 1999 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बाली के कितने शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु ऋण के आवेदन पत्र जमा कराये? इनमें से किस-किस को कितनी-कितनी राशि के ऋण स्वीकृत किये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत सम्पूर्ण राशि का भुगतान बैंकों द्वारा बेरोजगार ऋण आवेदकों को कर दिया गया? यदि नहीं, तो किस-किस आवेदक को स्वीकृत राशि से कितना कम भुगतान स्वीकृति के कितने दिन बाद किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत हो जाने के उपरान्त आज तक भी बैंकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसी बैंक द्वारा किस-किस बेरोजगार को स्वीकृत ऋण का भुगतान किया जाना शेष है?

(4) क्या सरकार बैंकों द्वारा बेरोजगारों को अविलम्ब ऋण राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बाली से 466 शिक्षित बेरोजगारों ने रोजगार हेतु ऋण आवेदन जमा करवाये। उनमें से 242 आवेदकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया एवं 186 आवेदकों को ऋण वितरण किया है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। स्वीकृत सम्पूर्ण राशि का भुगतान बैंक द्वारा बेरोजगार ऋण आवेदकों को उनके प्रोजेक्ट के अनुसार तथा मांग के अनुसार नियमानुसार बैंक की औपचारिकताऐं पूर्ण करने पर कर दिया गया।

(3) जी नहीं। बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत हो जाने के उपरान्त बैंकों द्वारा अधिक से अधिक आवेदकों को भुगतान किया जाता है, किन्तु यदि अभ्यार्थी बैंकों की औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं करे तथा ऋण लेने का इच्छुक नहीं हो तो ऋण वितरण नहीं किया जाता, जिसमें वर्ष 1999 से 2002-2003 तक 42 व्यक्तियों को एवं वर्ष 2003-04 में 12 व्यक्तियों को तथा वर्ष 2004-2005 में 2 व्यक्तियों को ऋण भुगतान नहीं किया गया है। आवेदकों की बैंकवार सूची संलग्न है।

(4) जी हां। सरकार बैंकों द्वारा बेरोजगारों को ऋण राशि अविलम्ब भुगतान कराने की तत्पर रहती है। यदि अभ्यार्थी बैंकों की औपचारिकताऐं शीघ्र पूर्ण करने में समर्थ हो तथा अपने रोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु इच्छुक रहे, इसके उपरान्त ही बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत कर वितरण किया जाता है। वर्ष 2002-2003 के लिये ऋण स्वीकृत भुगतान हेतु रिजर्व बैंक की अन्तिम तिथि (कट आफ डेट) तय की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2003-04 के लिए दिनांक 30.9.2004 तक भुगतान किया जा सकता है एवं वर्ष 1999 में से 2003 तक स्वीकृत आवेदन पत्रों की ऋण वितरण की अन्तिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटपूतली की कस्टोडियन भूमि का नियमन

430. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कस्टोडियन भूमि पर किसानों का कब्जा आजादी के समय से है? यदि हां, तो क्या सरकार इन किसानों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के गांवों भालोजी, दादूका, राजनोता, कूजोता, अजीतपुरा आदि गांवों में कस्टोडियन भूमि के कब्जे को नियमित करने के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों की कस्टोडियन भूमि को किसानों को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य के कुछ जिलों में आजादी के समय से कस्टोडियन भूमि पर किसानों का कब्जा है। इन किसानों को खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए प्रभावी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों का प्रकरण मंत्री मण्डलीय उप समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति का निर्णय होने पर निर्णय के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जा सकेंगे।

(2) यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली है 11 गांवों में कस्टोडियन भूमि पर काबिज कृषकों के कब्जों को नियमित करने के प्रकरण लम्बित हैं। खातेदारी अधिकार दिये जाने के लिए प्रभावी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों का प्रकरण मंत्री मण्डलीय उप समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति का निर्णय होने पर निर्णय के अनुसार खातेदारी अधिकार दिये जा सकेंगे।

बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी (कोटा) का स्वीकृत बजट

431. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी जिला कोटा का निर्माण किस योजना के तहत किस वर्ष में किया गया व इस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भरत सिंह)

(2) इस आवासीय विद्यालय में कुल कितने अभ्यर्थियों के निवास व अध्ययन की व्यवस्था है तथा वास्तव में कुल कितनी बालिका यहां अध्ययन कर रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विद्यालय में कुल कितनी अध्यापिकाएं व कर्मचारी नियुक्ति हैं तथा प्रति वर्ष इस आवासीय विद्यालय पर कितना बजट स्वीकृत है व वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर यह आवासीय विद्यालय निर्माण करवाया गया है वह वर्षा ऋतु में उजाड़ नदी में अधिक पानी आने पर डूब में आ जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु बचाव के लिए कोई उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बालिका आवासीय विद्यालय हींगी, जिला कोटा का निर्माण कार्य के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन बाह्य सहायता से संचालित राजस्थान आवासीय विद्यालय परियोजना के तहत वर्ष 2001 में प्रारम्भ कर 31 अक्टूबर, 2003 को पूर्ण करवाया गया है। इस आवासीय विद्यालय पर अब तक रूपये 46291570.00 व्यय किये गये।

(2) इस आवासीय विद्यालय में कुल 560 छात्राओं के अध्ययन एवं आवास की व्यवस्था है, वर्ष 2003-04 के शैक्षणिक सत्र में इस विद्यालय में 49 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। शेष छात्राओं के लिये प्रतिवर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश दिये जाने की कार्यवाही जारी है।

(3) आवासीय विद्यालय हिंगी में कुल 15 पद स्वीकृत है। जिसके विरूद्ध दो अध्यापिका, एक क. लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त है। इस आवासीय विद्यालय में वर्ष 2003-04 में कुल 4654000.00 बजट आबंटित था, जिसके विरूद्ध मार्च, 2004 तक 502807.00 रूपये व्यय हुआ है। वर्ष 2004-05 में माह मई, 2004 तक 35318.00 रूपये व्यय हुआ है।

(4) जी हां। यह सही है कि जिस स्थान पर इस विद्यालय का निर्माण कार्य करवाया गया है, वह वर्षा ऋतु में उजाड़ नदी में अधिक पानी आने पर डूब में आ

(समाज कल्याण मंत्री)

जाता है। विशेष रूप से जब भीमसागर डेम का गेट को उजाड़ नदी में बाढ़ आने की स्थिति में खोल दिया जाता है, तो यह परिसर डूब में आ जाता है। इस परिसर को भविष्य में डूब से बचाव हेतु सरकार द्वारा पानी के बहाव की ऊपर की तरफ एक मजबूत वलयाकार बन्ध बनाकर पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋण वसूली

432. श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एन.एस.एफ.डी.सी. (राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.) के जिला जयपुर, कार्यालय से वर्ष 1999 से 2001 के दौरान कौन-कौन से आवेदकों ने किस कार्य पेटे कितनी राशि का ऋण किस-किस सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी की जमानत पर लिया? वर्षवार नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऋणधारियों में से अधिकांश का ऋण पुनर्भुगतान बकाया चल रहा है? यदि हां, तो किस-किस का कितना एवं क्यों?

(3) क्या उक्त ऋणधारियों से सरकार जानबूझकर ऋण वसूली नहीं कर रही है? यदि हां, तो किस-किस ऋणधारी की सम्पत्ति कुर्क की गई? किसके विरुद्ध कौन से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई? कुर्की की कार्यवाही एवं दर्ज एफ.आई.आर. की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ऋण वसूली में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की छाया प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के जिला कार्यालय, जयपुर द्वारा एनएसएफडीसी योजना के तहत वर्ष 1999-2000, 2000-2001 व 2001-2002 में जिन आवेदकों को विभिन्न परियोजना के तहत

(समाज कल्याण मंत्री)

ऋण स्वीकृत किया गया है तथा उन्हें अधिकारी/कर्मचारी की जमानत पर ऋण दिया गया है, कि वर्षवार सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जिन लाभार्थियों का ऋण बकाया चल रहा है उनकी सूचना परिशिष्ट-1 के कालम 7 से उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। ऋणधारियों से ऋण वसूली की कार्यवाही करने के फलस्वरूप ऋण वसूली हुई है लेकिन शत प्रतिशत वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिए निगम प्रयत्नशील है।

(4) जी नहीं। निगम कार्यालय को किसी लाभार्थी द्वारा ऋण वसूली नहीं करने बाबत शिकायत प्रेषित नहीं की है।

(वर्षवार सूचना विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

घाटे में संचालित सहकारी संस्थाएं

433. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सहकारी क्षेत्र में कौन-कौनसी संस्था कब-कब से नुकसान में चल रही हैं और उनमें कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा अब तक इनमें कितना-कितना नुकसान हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त संस्थाओं में से किन-किन को नुकसान के बाद भी चलाना चाहती है और किन-किन को बन्द करना चाहती है? क्या सरकार इनमें कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार देने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सम्बन्धित संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) हानि के कारण कोआपरेटिव काटन काम्प्लेक्स लि., श्रीगंगानगर, श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लि. बन्द है। इन संस्थाओं को पुन: चलाये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट-"1"

1- तिलम संघ

तिलम संघ वर्ष 2003-04 तक (वर्ष 1998-99 को छोड़कर) लगातार हानि में रहा है। वर्ष 2003-04 तक संघ की संचित हानि रु. 170.18 करोड़ हो चुकी है। संघ में 486 कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें से 345 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। वर्तमान में 141 कर्मचारी कार्यरत हैं।

2- स्पिनफैड

स्पिनफैड वर्ष 1998-99 से निरन्तर हानि में चल रही है। वर्ष 2003-04 तक रु. 39.89 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है। संघ में 280 कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनमें से 70 कर्मचारियों को विभिन्न कार्यालयों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। संघ में अब 210 कर्मचारी कार्यरत हैं।

3- श्रीगंगानगर काटन काम्पलेक्स लिमिटेड

यह संस्था वर्ष 1991 से निरन्तर हानि में रही है। दिनांक 31.3.2003 तक रु. 29.80 करोड़ की संचित हानि हो चुकी है। इस संस्था की मंत्रीमण्डलीय उप समिति ने अपने निर्णय दिनांक 10.8.2001 से मिल को बन्द कर बिक्री/लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया। मिल में कार्यरत 77 कर्मचारियों में से 73 कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया जा चुका है। 4 कर्मचारी शेष हैं।

4- श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड

यह मिल प्रारम्भ होने के समय से निरन्तर हानि में रही है। मंत्रीमण्डलीय उप समिति के निर्णय दिनांक 22.4.2003 के द्वारा मिल को बन्द कर अवसायन में लाये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 6.10.2003 से मिल अवसायन में है। मिल में दिनांक 31.3.2002 तक रु. 1642.04 लाख की संचित हानि हो चुकी है। मिल में वर्तमान में 182 स्थाई एवं 328 सीजनल कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनमें से 182 स्थाई एवं 237 सीजनल कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर समायोजित कर 91 सीजनल कर्मचारी हैं।

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र

434. श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों से किस-किस जिले में कौन-कौनसी स्वयं सेवी संस्थाएं

(श्री कान्ती प्रसाद मीणा)

कार्यरत हैं उक्त संस्थाओं को किन-किन मदों से राशि उपलब्ध होती है तथा कहां-कहां पर उक्त संस्थाएं उक्त राशि व्यय करती है? उक्त संस्थाओं के कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र किस आधार पर दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं के कार्यों के लिये क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग (परामर्श) लिया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिलों में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के सम्बन्ध में कोई सूचना विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। जहां तक संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों का प्रश्न है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रश्नगत सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार संस्थाएं को नहीं है।

(2) उक्तानुसार।

बांसवाड़ा जिले की भवन/गोदाम रहित सहकारी संस्थाएं

435. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सहकारी समितियों एवं लेम्प्स पेक्स द्वारा काश्तकारों को कृषि जोत हेतु खाद बीज व नकद भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा में ऐसी कितनी संस्थाऐं कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा में ऐसी कितनी सहकारी संस्थाएं हैं जो भवन रहित हैं तथा उनके पास निजी गोदाम नहीं है और यदि हैं भी तो वह जीर्णशीर्ण हैं? क्या सरकार हर एक सहकारी संस्था को गोदाम का निर्माण करवाकर किसानों के हित में खाद बीज सुलभ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला बांसवाड़ा में वृहत कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां (लेम्प्स) कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जिला बांसवाड़ा में केवल आमलीपाडा वृहत् कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति (लेम्प्स) का निजी गोदाम नहीं है।

जिले की तीन लेम्प्स जोलाना, भीमपुर, सेनावासा लैम्प्स के बड़लिया सबसेन्टर एवं उकाला लेम्प्स के गोदाम जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं।

जी हां। सम्बन्धित समिति की प्रबन्धकारिणी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही उपलब्ध बजट प्रावधान के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

परिशिष्ट-1

दी बांसवाड़ा सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., बांसवाड़ा

जिले की समितियों की सूची

क्र.सं.	नाम लेम्प्स	क्र.सं.	नाम लेम्प्स	क्र.सं.	नाम लेम्प्स
1.	कूपड़ा	2.	तलवाड़ा	3.	टामटीया
4.	सागडोद	5.	सुरवानिया	6.	सालिया
7.	सुरपुर	8.	उपला घटाला	9.	खेरडाबरा
10.	छोटी बदरेल	11.	आम्बापुरा	12.	वीरपुर
13.	नल्दा	14.	भेरूजी बरवाला	15.	ठीकरिया
16.	कटुम्बी	17.	छोटी सरवन	18.	दानपुर
19.	बोरी	20.	केलामेला	21.	चन्दुजी कागढ़ा
22.	गनोड़ा	23.	सेनावाला	24.	देलवाड़ा
25.	जगपुरा	26.	डंगरिया	27.	मोटागाव
28.	डूंगर	29	पीपलखुंट	30.	घन्टाली
31	खमेंर.	32.	भूगड़ा	[illegible]	[illegible]
34.	देवदा	35	पडौली गोधंन	[illegible]	भीमपुर

क्र.सं.	नाम लेम्प्स	क्र.सं.	नाम लेम्प्स	क्र.सं.	नाम लेम्प्स
37.	पालौदा	38.	खोडन	39.	गढ़ी
40.	बोरी	41.	आंजना	42.	अरथुना
43.	कोटड़ा	44.	ओडवाड़ा	45.	जौलाना
46.	गोपीनाथ का गढ़ा	47.	परतापुर	48.	भीमसौर
49.	अडोर	50.	करजी	51.	चौखला
52.	छोंच	53.	सुवाला	54.	नागावाड़ा
55.	नौगामा	56.	शेरगढ़	57.	ढ़ालर
58.	लंकाई	59.	गांगडतलाई	60.	सल्लोपाट
61.	वरेठ	62.	आनन्दपुरी	63.	गमाना
64.	छाजा	65.	चांदरवाड़ा	66.	नाहरपुरा
67.	झांझरवा कंला	68.	अबलडी चनावला	69.	खुन्दनी हाला
70.	सज्जनगढ़	71.	राठधनराज	72.	रोहनिया रामसिंह
73.	ताम्बेसरा	74.	छोटा डूंगरा	75.	कसारवाड़ी
76.	हिम्मतगढ़	77.	उंकाला	78.	रामगढ़
79.	मोकमपुरा	80.	छोटी सरवा	81.	पाटन
82.	बड़ी सरवा	83.	मुन्दड़ी	84.	कोटड़ा राणघा
85.	कुशलगढ़	86.	बड़वास छोटी	87.	आमलीपाड़ा
88.	लोहारिया				

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा दवा विक्रय पर बिक्री कर

436. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित दवाइयों की दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य पर बिक्री कर वसूला जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उपभोक्ता संघ दवाइयों के थोक मूल्य पर बिक्री कर देता है? यदि हां, तो अधिकतम विक्रय मूल्य वसूले जाने वालों बिक्री कर क्या वाणिज्य कर विभाग में जमा करवाया जाता है? यदि नहीं, तो उक्त अनियमितता के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा बिक्री टैक्स पैड दवाइयां क्रय की जाती हैं तथा दवाइयों की दुकानों पर टैक्स पैड ही बेची जाती हैं।

(2) जी नहीं। उपभोक्ता संघ सेल्स टैक्स पैड दवाइयां खरीदता है। टैक्स पैड दवाइयों पर सेल्स कर नहीं वसूला जाता है। अत: जमा कराने का कोई आधार नहीं है।

सरपंच, ग्राम पंचायत घाटवा (नागौर) द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

437. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग ने सरपंच, ग्राम पंचायत घाटवा (नागौर) के विरूद्ध अभियोजन दायर करने की स्वीकृति चाही है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि इस मुकदमे में बताये गये मस्टरोलों पर भुगतान प्राप्तकर्ताओं के अंगूठों की जांच फारेन्सिक लेबोरेट्री से करायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

(3) क्या यह सही है कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट से ये प्रमाणित हुआ है कि अंगूठे के निशान एक ही व्यक्ति के हैं? इस प्रकार मस्टररोलों से भुगतान में दर्शायी गई रकम का गबन किया जाना प्रमाणित हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी सरपंच के विरुद्ध अभियोजन दायर करने की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने उक्त श्री सुरेश कुमार मिश्रा, सरपंच ग्राम पंचायत घाटवा के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 125/02 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 में अभियोजन स्वीकृति चाही थी।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर का पत्र दिनांक 2.9.2003, दिनांक 7.9.2003 को विभाग को प्राप्त हुआ था।

(2) जी हां। फारेन्सिक लैबोरेट्री से करायी गयी जांच से सम्बन्धित प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(3) एफ.एस.एल. की जांच से यद्यपि पाया गया है कि मस्टरोल पर लगाये गये अंगुष्ठ निशान कतिपय प्रकरणों में लिये गये नमूने के अंगुष्ठ निशान से मेल नहीं खाते। लेकिन प्रकरण के तथ्यों के परीक्षण से यह पाया गया कि विवादित कुएं का कार्य जिसके सम्बन्ध में यह प्रकरण दर्ज हुआ था, मौके पर करवाया गया था। विधिवत एम.बी. भरी जाकर पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी किये गये एवं किये गये इस कार्य का सामाजिक अंकेक्षण एवं भौतिक सत्यापन भी ग्राम सभा, वार्ड सभा द्वारा कर दिया गया तथा भुगतान नहीं होने सम्बन्धी किसी श्रमिक द्वारा कोई शिकायत भी प्रस्तुत नहीं की गयी एवं भुगतान भी राजस्व एजेन्सी द्वारा किया गया। अत: इन सभी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी करने के बजाय आरोपित सदस्य को भविष्य में पंचायत क्षेत्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर लगाने तथा भुगतान के वक्त पूर्ण सजगता बरतने की चेतावनी दी गयी है।

विभाग के इस निर्णय के सम्बन्ध में प्राप्त एक अभ्यावेदन के क्रम में प्रकरण का पुन: परीक्षण किया जा रहा है तथा परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(प्रतिवेदन की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच, ग्राम पंचायत सरना डूंगर (जयपुर) द्वारा सरकारी भूमि का अवैध बेचान

438. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सरना डूंगर, जिला जयपुर के वर्तमान सरपंच द्वारा करोड़ो रुपयों की भूमि को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेची गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बेची गई जमीन का बाजार मूल्य क्या है तथा उसे कितने में बेची गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि सरकारी थी? यदि हां, तो इसको बेचने पर सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई?

(4) क्या सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सरना डूंगर पंचायत समिति, झोटवाडा जिला, जयपुर के वर्तमान सरपंच द्वारा जनवरी, 2004 से पंचायत क्षेत्र में कुल 26 पट्टे पंचायती राज नियम 157 एवं 158 के तहत अपात्र व्यक्तियों को जारी किये गये। पंचायती राज नियम 157 एवं 158 के तहत अपात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये जाने से उनके आरक्षित मूल्य (डी.एल.सी.) 100 रुपये वर्गमीटर से 600 वर्गमीटर के स्थान पर 200 रुपये प्रति पट्टा ही वसूला गया। इस अवधि में नियम 157 के तहत 24 भूमि के पट्टे एवं नियम 158 के तहत 2 पट्टे जारी किये गये जिनसे प्रति पट्टा 300/- रुपये की राशि वसूल की गई है जबकि नियमानुसार 5 रुपये प्रति गज के हिसाब से 2 पट्टों के 298.66 वर्गगज प्रति पट्टे के 1494 रुपये वसूल किये जाने थे। जारी किये गये पट्टों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टों में दी गई भूमि की आरक्षित दर (डी.एल.सी.) 100 रुपये से 600 प्रति रुपये प्रति वर्गगज है। तदनुसार कुल जमीन का आरक्षित मूल्य लगभग 20,16,400/- है। जबकि वसूल गई राशि 5400/- रुपये है।

(3) जारी किये गये पट्टों में से कुल 9 पट्टों की भूमि पंचायत की खातेदारी

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

की न होकर सरकारी/जं.डी.ए./निजी खातेदारी की है। उक्त का आरक्षित मूल्य (डी.एल.सी.) 6,62,237/- बनता है जबकि वसूली गई राशि केवल 1800/- है। उक्त राशि का अन्तर रुपये 6,60,437/- है।

(4) सम्भागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा जांच करायी जा रही है, रिपोर्ट आने पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

सूची

क्र. सं.	नाम पट्टा धारक	निवासी	भूमि का क्षेत्रफल	वसूल की गई राशि	आरक्षित दर डी.एल.सी. लगभग
1	2	3	4	5	6
1.	सीताराम/रामेश्वर	सरनाडूंगर	266.66	200=00	159996=00
2.	छोगालाल/म्होरी लाल शर्मा	बाबड़ी	272.72	200=00	40908=00
3.	कालूराम/कल्याण सहाय मीणा	सरनाडूंगर	152.44	200=00	91464=00
4.	बनवारी लाल/प्रभात मीणा	—"—	149.33	200=00	89595=00
5.	अर्जुन लाल/कल्याण	—"—	152.44	200=00	91464=00
6.	मंजू देवी/कालूराम मीणा	—"—	152.44	200=00	91464=00
7.	ग्यारसीलाल/नाथूराम	बाबड़ी	341.66	200=00	51249=00
8.	सुआलाल/मुन्नाराम	सरनाडूंगर	199.92	200=00	119532=00
9.	मालीराम/प्रभात	सरनाडूंगर	149.33	200=00	89598=00
10.	मंजूदेवी/रामनारायण	—"—	108.88	200=00	65328=00
11.	छीतरमल/चौथूराम	सरनाडूंगर	133.33	200=00	79998=00
12.	मोहनलाल/नारायण	—"—	149.33	200=00	89598=00
13.	रामप्यारी/नारायण	—"—	149.33	200=00	89598=00
14.	सीतादेवी/रामनाथ	बाबड़ी	482.22	200=00	72330=00

1	2	3	4	5	6
15.	मीनादेवी/कमलेश	सरनाडूंगर	476.66	200=00	285996=00
16.	रामदेव/सुवालाल	लालचन्दपुरा	303.33	200=00	45500=00
17.	भैरू, सुरेश शर्मा/सुवालाल शर्मा	—"—	182.77	200=00	27416=00
18.	गोपाल लाल/लक्ष्मी	चकबासड़ी	497	200=00	62125=00
19.	मदन लाल/छोगाराम	बाबड़ी	233	200=00	34950=00
20.	भगवान सहाय/शैतान	सरनाडूंगर	240	200=00	144000=00
21.	मधु शर्मा/ओमप्रकाश	लालचन्दपुरा	276.66		41499=00
22.	लालचन्द/भैरू जाट	(झोटवाड़ा) सरनाडूंगर	149.33	200=00	89598=00
23.	ओमप्रकाश/ईश्वरलाल	सरनाडूंगर	160	200=00	96000=00
24.	अनूप कुमार/कल्याण	सरनाडूंगर	150	200=00	90000=00
(क)	**योग**			**4800=00**	**20,14,959=00**

नियम 58 के तहत जारी पट्टे की सूची

1.	पेमाराम/मोतीराम	सरनाडूंगर	400	300=00	747=00
2.	गुलाब देवी/पेमाराम	—"—	260	300=00	747=00
(ख)	**योग**			**600=00**	**1494=00**
(क) व (ख) का योग				**5400=00**	**2016483=00**

गंगरार व राशमी पंचायत समिति में रिक्त पद

439. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति गंगरार एवं राशमी में कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं तथा उन पर कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त है? इनके रिक्त रहने के क्या कारण हैं? क्या इन रिक्त पदों के विरूद्ध किसी को प्रतिनियुक्ति दे रखी है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त दोनों पंचायत समितियों में रिक्त पदों का पूर्ण विवरण अलग-अलग पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। रिक्त पदों की पूर्ति कार्मिक उपलब्ध होने पर शीघ्र कर दी जावेगी।

परिशिष्ट-10

कार्यालय जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़

बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित सूचना पंचायत समिति गंगरार में स्वीकृत पदों व कार्यरत की सूची

क्र. सं.	पदनाम	स्वी. संख्या	कार्यरत का नाम	दिनांक जिससे कार्यरत है	विशेष विवरण
1.	विकास अधिकारी	1	रिक्त	—	रिक्त
2.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	श्री भंवरलाल सोनी	16.2.2004	
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	रिक्त	—	रिक्त
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	2	श्री अनिल कुमार जैन श्री मुकेश कुमार खत्री	16.6.2004 18.6.2004	

क्र. सं.	पदनाम	स्वी. संख्या	कार्यरत का नाम	दिनांक जिससे कार्यरत है	विशेष विवरण
5.	कनिष्ठ लेखाकार	1	श्री दिनेश सोनी	10.7.2003	
6.	वरिष्ठ लिपिक	1	श्रीमती शांता शर्मा	15.11.1988	निलम्बित
			श्री करण सिंह	2.6.2003	
7.	कनिष्ठ लिपिक	1	श्री संजय काबरा	1.1.2004	
8.	वाहन चालक	1	श्री दीप चन्द जैन	21.10.02	
9.	ग्राम सेवक	21	श्री शम्भूदास वैष्णव	5.5.2002	
			श्री जगदीश वैष्णव	1.6.2001	
			श्री भंवर सिंह	23.4.2003	
			श्री प्रताप सिंह	6.9.2001	
			श्री अभयकुमार बोहरा	6.8.2003	
			श्री गणपत सिंह	29.3.2000	
			श्री गोपाल वैष्णव	10.10.2002	
			श्री शंकर लाल	13.3.2002	
			श्री गोपाल सिंह	13.5.2003	
			श्री नन्दलाल शर्मा	25.7.1999	
			श्री प्रेम सिंह	5.9.2002	
			श्री नरेन्द्र पाठक	4.5.2000	
			श्री रामनारायण औझा	8.3.2001	
			श्री रामचन्द्र तेली	5.7.1990	
			श्री नारायण सिंह	23.7.1989	
			श्री ओमप्रकाश	14.3.2001	
			श्री शंकर लाल मेनारिया	1.7.2001	
			श्री भगवत सिंह	29.1.1991	
			श्री अमीन खां	7.1.2002	
			श्री देवेन्द्र शर्मा	17.10.2003	
			श्री लक्ष्मण सिंह चौहान	1.11.2003	

क्र. सं.	पदनाम	स्वी. संख्या	कार्यरत का नाम	दिनांक जिससे कार्यरत है	विशेष विवरण
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	श्री जगदीश चन्द	20.11.2003	
			श्री		
11.	हेण्डपम्प मिस्त्री	9	श्री नन्दलाल जाट	15.7.1986	
			श्री भंवर सिंह	1.9.1988	
			श्री भेरू लाल अहीर	1.4.1985	
			श्री हेमराज सोनी	4.1.1989	
		9	श्री शंकर लाल गाडरी	4.10.1989	
			श्री प्रहलाद सिंह	9.4.1990	
			श्री राधेश्याम नाई	8.11.1989	
			श्री भेरूसिंह दरोगा	1.1.1991	
			श्री पृथ्वी सिंह	1.1.1991	

कार्यालय जिला परिषद्,चित्तौड़गढ़

बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित सूचना पंचायत समिति राशमी में स्वीकृत पदों व कार्यरत की सूची

क्र. सं.	पदनाम	स्वी. संख्या	कार्यरत का नाम	दिनांक जिससे कार्यरत है	विशेष विवरण
1.	विकास अधिकारी	1	रिक्त	—	रिक्त
2.	पंचायत प्रसार अधिकारी	1	रिक्त	—	रिक्त
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	रिक्त	—	रिक्त
4.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	श्री शांती लाल बोहरा	8.10.2002	
			श्री राम लाल मालव	2.6.2001	
5.	कनिष्ठ लेखाकार	2	श्री अशोक कुमार गुप्ता	6.3.2003	1 पद रिक्त

क्र. सं.	पदनाम	स्वी. संख्या	कार्यरत का नाम	दिनांक जिससे कार्यरत है	विशेष विवरण
6.	वरिष्ठ लिपिक	3	श्री रामेश्वर लाल जाट	5.6.2003	
			श्री कैलाश चन्द दाधीच	5.6.2003	
7.	कनिष्ठ लिपिक	1	श्री दिनेश कुमार खटीक	1.12.2002	
8.	वाहन चालक	1	श्री राधेश्याम सुखवाल	2.7.1997	
		23	श्री नारायण लाल नाई	18.5.1979	
			श्री भेरू लाल कुम्हार	18.5.1979	
			श्री शांति लाल तिवाड़ी	29.7.2002	
			श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय	31.12.1996	
			श्री मोहन लाल रेगर	27.2.2001	
			श्री सतीश चन्द काखानी	3.4.2001	
			श्री मिठूलाल पारीक	30.12.1989	
			श्री भगवान लाल	24.10.1989	
			श्री मदन लाल	22.10.1989	
			श्री मजिद खां पठान	21.2.1984	
			श्री छोटू लाल शर्मा	24.1.2001	
			श्री अशोक कुमार सक्सेना	2.8.2001	
			श्री शम्भू लाल भारती	15.3.2002	
			श्री गौरी शंकर शर्मा	22.5.2001	
			श्री मनोहर लाल नायक	6.12.2001	

क्र. सं.	पदनाम	स्वी. संख्या	कार्यरत का नाम	दिनांक जिससे कार्यरत है	विशेष विवरण
			श्री प्रेम सिंह सिकरवाल	28.11.2002	
			श्री गोपाल दास वैष्णव	26.6.2001	
			श्री सोमनाथ सिंह	9.8.2003	
			श्री अरविन्द नायर	14.10.2003	
			श्री सत्यनारायण दाधीच	15.10.2003	
			श्री सुधीर लिंकन	15.3.2004	
			श्री देव किशन भाट	16.6.2004	
			श्री देव शर्मा	1.7.2004	
10.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	श्रीमती नाराणी बाई	12.2.2002	
			श्री शिव शंकर डेण्डोर	22.11.2000	
			श्री बसन्ती लाल डामोर	5.2.2003	
11.	फीटर	1	श्री लक्ष्मण लाल मीणा	18.9.1997	
12.	हेण्डपम्प मिस्त्री	9	श्री मोहन लाल सालवी	1.2.1992	
			श्री बंशीलाल गर्ग	7.12.1993	
			श्री रोशन लाल नायक	7.12.2002	
			श्री गोरी शंकर सालवी	7.12.1993	
			श्री नारायण लाल नायक	7.12.1991	
			श्री सम्पत लाल खटीक	7.12.1992	
			श्री बंशीलाल नायक	7.12.1993	
			श्री देवी लाल नट	3.4.1995	
			श्री जगदीश सरगरा	30.5.1990	

कार्यालय जिला परिषद्, चित्तौड़गढ़

सदस्य विधान सभा के बिन्दु संख्या 2 की सूचना

रिक्त पदों का विवरण :-

1. पंचायत समिति गंगरार

क्र. सं.	नाम पद	दिनांक रिक्ती	रिक्त का कारण	प्रतिनियुक्ति का विवरण
1.	विकास अधिकारी	6.3.2004	स्थानान्तरण से	श्री वी.के. चौरे सहायक परियोजना अधिकारी (ग्रविप) दिनांक 6.3.2004 से
2.	प्रगति प्रसार अधिकारी	प्रारम्भ से	पदस्थापन नहीं होने से	—
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22.8.2003	स्थानान्तरण से	मृतक आश्रित नियुक्तिधीन श्री जुल्फिकार अली

2. पंचायत समिति राशमी :-

क्र. सं.	नाम पद	दिनांक रिक्ती	रिक्त का कारण	प्रतिनियुक्ति का विवरण
1.	विकास अधिकारी	6.3.2004	स्थानान्तरण	तहसीलदार राशमी दिनांक 6.3.2004 से 30.3.2004 श्री सुरेश कुमार बडाला A. En पं. स. प्रतापगढ़ दिनांक 31.3.2004 से
2.	प्रगति प्रसार अधिकारी	20.3.2001	स्थानान्तरण	—
3.	प्रगति प्रसार अधिकारी	15.7.1995	स्थानान्तरण	—
4.	सहकारिता प्रसार अधिकारी	1.7.1996	स्थानान्तरण	—

2. पंचायत समिति राशमी

क्र. सं.	नाम पद	दिनांक रिक्ती	रिक्त का कारण	प्रतिनियुक्ति का विवरण
5.	कनिष्ठ लेखाकार	25.1.2001	स्थानान्तरण	—
6.	वरिष्ठ लेखाकार		सेवानिवृत्ति से	श्री चन्द शेखर सोनी, कनि. लिपिक दिनांक 19.7.2003 से

डिग्गी (टोंक) ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पट्टा वितरण में अनियमितता

440. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत, डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक के वर्तमान सरपंच द्वारा वर्ष 2001 से अब तक ग्राम पंचायत डिग्गी में किस-किस के नाम कितनी-कितनी भूमि के पट्टे किस दर से राशि वसूल कर काटे गये? पट्टा-धारियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है उक्त सरपंच द्वारा पट्टे जारी करने की निर्धारित दर से अधिक राशि लेकर पट्टे जारी किये जाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जाएगी? शिकायतों की प्रति तथा उन पर की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत डिग्गी तहसील, मालपुरा जिला, टोंक के वर्तमान सरपंच द्वारा वर्ष 2001 से अब तक ग्राम पंचायत डिग्गी में भूमि के बापी पट्टों (पुश्तैनी) के अलावा पंचायत भूमि में कोई पट्टे जारी नहीं किये गये। पुश्तैनी पट्टेधारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई।

(2) जी नहीं। सरपंच द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि लेकर पट्टे जारी किये जाने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ग्राम पंचायत डिग्गी द्वारा वर्ष 2001 से जारी किये गये पुश्तैनी भूमि के पट्टों का विवरण

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
1.	श्री रतन सिंह पुत्र श्री द्वारका प्रसाद दरोगा	डिग्गी	66	11.00	1102.00
2.	श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री छीतर सिंह राजपूत	डिग्गी	106	11.00	1188.00
3.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बद्रीनारायण चौहान	डिग्गी	84	11.00	1135.00
4.	श्री सन्तलाल कश्यप पुत्र श्री मन्नतलाल कश्यप	डिग्गी	279	20.00	571.00
5.	श्रीमती चमेली पत्नि श्री रामनिवास जैन	डिग्गी	147.5	20.00	2961.00
6.	श्री लालाराम पुत्र श्री रामपाल कुम्हार	डिग्गी	572	2.00	1288.00
7.	॰गर समाज डिग्गी	डिग्गी	157	5.00	791.00
8.	श्री लादूलाल पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा, डिग्गी	डिग्गी	60	11.00	681.00
9.	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री लादू लाल जैन	डिग्गी	133	10.00	289.00
10.	श्री मांगीलाल पुत्र श्री हरनाथ माली	डिग्गी	363	11.00	4020.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
11.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा	डिग्गी	160	11.00	1787.00
12.	श्री रमेश चन्द जैन पुत्र श्री कजोड़मल जैन	डिग्गी	201.4	21.00	4352.00
13.	श्री नारायण लाल पुत्र श्री बजरंगलाल व्यास	डिग्गी	173.3	20.00	3477.00
14.	श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री नाथूलाल सोनी	डिग्गी	44	11.00	695.00
15.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामलाल यादव	डिग्गी	150	20.00	3000.00
16.	श्री उमाशंकर पुत्र श्री रामबख्श वर्मा	डिग्गी	54	विनीमितीकरण	200.00
17.	श्रीमती रेखा पत्नी श्री प्रेमदेवी वर्मा	डिग्गी	300	20.00	6022.00
18.	श्री रामपाल पुत्र श्री बद्रीनारायण शर्मा	डिग्गी	35	10.00	379.00
19.	श्री छुट्टनलाल पुत्र श्री रामदेव नाई	डिग्गी	150	10.00	1516.00
20.	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री नन्दलाल वर्मा	डिग्गी	150	10.00	1511.00
21.	श्री दीनदयाल पुत्र श्री रामकिशन जाट	भवानीपुरा (डिग्गी)	263.80	11.00	2924.00
22.	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामलाल यादव	भवानीपुरा	50	5.50	291.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
23.	श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री रामलाल यादव	भवानीपुरा	215	5.50	1075.00
24.	श्री नन्दलाल वर्मा पुत्र श्री श्रीनारायण वर्मा	भवानीपुरा	356.4	5.50	1975.00
25.	श्री लक्ष्मीनारायण कुम्हार पुत्र श्री चन्दालाल	भवानीपुरा	63	5.50	359.00
26.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रतन लाल जैन	भवानीपुरा	19	विनीमितीकरण	2397.00
27.	श्री दशरथलाल पुत्र श्री दुर्गालाल लक्ष्कार	भवानीपुरा	53	5.50	313.00
28.	श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री पाबूदान नरूका	भवानीपुरा	152	10.00	1650.00
29.	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री दुर्गासिंह	भवानीपुरा	336	विनीमितीकरण	100.00
30.	श्री गोविन्द नारायण पुत्र श्री रतनलाल जैन	भवानीपुरा	112	5.50	586.00
31.	श्री भागचन्द पुत्र श्री कपूरचन्द जैन	भवानीपुरा	150	10.00	1356.00
32.	श्री भरत लाल पुत्र श्री रामरतन शर्मा	भवानीपुरा	139	10.00	1401.00
33.	श्री चौथूलाल पुत्र श्री जुवाहरा माली	भवानीपुरा	300	10.00	3011.00
34.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सीताराम शर्मा	भवानीपुरा	170	10.00	1120.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
35.	श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री पूरण रेगर	भवानीपुरा	94	5.50	528.00
36.	श्रीमती शांति पत्नी श्री सत्यनारायण सोनी	भवानीपुरा	206	5.50	1144.00
37.	श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री काशीनाथ शर्मा	भवानीपुरा	538	10.00	655.00
38.	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री गिरधर शर्मा	भवानीपुरा	67	5.50	670.00
39.	श्री बंशी इन्द्र जीत पुत्र श्री रघुनाथ सिंह	डिग्गी	103	5.50	587.00
40.	श्री श्रीराम पुत्र श्री बोदूलाल गोतम	डिग्गी	278	10.00	2800.00
41.	श्री रामप्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल लक्ष्कार	डिग्गी	138	5.50	776.00
42.	श्रीमती फूला देवी पत्नी श्री शिवप्रसाद शर्मा	डिग्गी	150	10.00	1516.00
43.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री नन्दराम शर्मा	डिग्गी	152	10.00	1531.00
44.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नाथूलाल शर्मा	डिग्गी	266.6	5.50	1489.00
45.	श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	डिग्गी	266.6	5.50	1467.00
46.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री रतनलाल जैन	डिग्गी	150	10.00	1511.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
47.	श्री नन्दलाल पुत्र श्री छीतर लाल वर्मा	डिग्गी	169	5.50	895.00
48.	श्री रामकल्याण पुत्र श्री घीसालाल शर्मा	डिग्गी	106.6	विनीमितीकरण	214.00
49.	श्री नन्दलाल माली पुत्र श्री रंगलाल माली	डिग्गी	71	5.50	401.00
50.	श्री रामधन पुत्र श्री भंवरलाल माली	डिग्गी	122.1	विनीमितीकरण	200.00
51.	श्री रामावतार पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा	डिग्गी	174	10.00	1760.00
52.	श्री रामरतन पुत्र श्री नृसिंह लाल	डिग्गी	489	5.50	2701.00
53.	श्री प्रहलाद पुत्र श्री बद्रीलाल जाट	डिग्गी	171	विनीमितीकरण	2.00
54.	श्री भंवरलाल पुत्र श्री लादू माली	डिग्गी	128.8	5.50	729.00
55.	श्री किशनलाल पुत्र श्री श्रीपाल माली	डिग्गी	128	5.50	714.00
56.	श्री नरेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल मादीवान	डिग्गी	128	10.00	1520.00
57.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कैलाशचन्द शर्मा	डिग्गी	300	10.00	3020.00
58.	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री सियाराम शर्मा	डिग्गी	150	10.00	1520.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
59.	श्री बजरंगलाल पुत्र श्री नन्दराम चौहान	डिग्गी	120.21	विनीमितीकरण	211.00
60.	श्री प्रेमदेवी पुत्र श्री छीतरलाल शर्मा	डिग्गी	210	5.50	1063.00
61.	श्री विजय नारायण पुत्र श्री दशरथलाल शर्मा	डिग्गी	100	5.50	561.00
62.	श्रीमती कस्तुरी देवी पत्नी श्री रामनारायण शर्मा	डिग्गी	99	5.50	556.00
63.	श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह	डिग्गी	53.33	5.50	858.00
64.	श्री शिवशंकर पुत्र श्री दुर्गालाल सोनी	डिग्गी	51	11.00	581.00
65.	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी श्री मांगीलाल माली	डिग्गी	63	11.00	713.00
66.	श्री मोहनलाल कानूराम पुत्र श्री श्योजीराम माली	डिग्गी	285	11.00	3175.00
67.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रामनिवास साहू	डिग्गी	992	11.00	1109.00
68.	श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री काशीनाथ शर्मा	डिग्गी	138	11.00	1538.00
69.	श्री प्रकाशचन्द पुत्र श्री चन्दालाल माली	डिग्गी	347	5.50	1919.00
70.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री पूरणमल रेगर	डिग्गी	100	5.50	560.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
71.	श्री रतन पुत्र श्री कल्याण माली	डिग्गी	111.50	5.50	633.00
72.	श्री सीताराम पुत्र श्री गजानन्द माली	डिग्गी	176	11.00	1956.00
73.	श्री द्वारका प्रसाद पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा	डिग्गी	150	11.00	1670.00
74.	श्रीमती शान्ती देवी पत्नी श्री रामनिवास मीणा	डिग्गी	150	11.00	1650.00
75.	श्रीमती घीसीदेवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद शर्मा	डिग्गी	140	11.00	1560.00
76.	श्री बन्नालाल पुत्र श्री मदन सांसी	डिग्गी	60	11.00	671.00
77.	श्री मोहनलाल पुत्र श्री चतरा माली	डिग्गी	45	11.00	495.00
78	श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री घासीलाल माली	डिग्गी	44	11.00	705.00
79.	श्री बन्नालाल पुत्र श्री चन्दालाल माली	डिग्गी	44	11.00	484.00
80.	श्री सोमेश राकेश पुत्र श्री मोहनलाल सैन	डिग्गी	357	11.00	3881.00
81.	श्री गफूर मोह. पुत्र श्री गेन्दा खां	डिग्गी	1633	11.00	1817.00
82.	श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री नन्दलाल शर्मा	डिग्गी	150	11.00	1670.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
83.	श्रीमती चान्द पत्नी श्री दीना खां	डिग्गी	89	11.00	990.00
84.	श्री भगवानदास पुत्र श्री गोपीलाल ज्योतिषी	डिग्गी	166	5.50	933.00
85.	श्री रामनिवास पुत्र श्री बजरंग तेली	डिग्गी	65	11.00	725.00
86.	श्री रामेश्वर पुत्र श्री लादूलाल नायक	डिग्गी	72	11.00	803.00
87.	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा	डिग्गी	67	11.00	747.00
88.	श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री नोरतमल सैनी	डिग्गी	227	5.50	1258.00
89.	श्रीमती नाथी देवी पत्नी श्री भवानी सिंह	डिग्गी	225	11.00	2476.00
90.	श्री घांसी पुत्र श्री चौथू धोबी	डिग्गी	29	11.00	320.00
91.	श्री रूपनारायण पुत्र श्री छोटूलाल माली	डिग्गी	125	11.00	1386.00
92.	श्री किशनलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	डिग्गी	56	11.00	636.00
93.	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्दसिंह	डिग्गी	225	विनीमितीकरण	211.00
94.	श्रीमती अनोखी देवी पत्नी श्री गोपी मीणा	डिग्गी	63	11.00	704.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
95.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री शम्भूलाल शर्मा	डिग्गी	150	11.00	1660.00
96.	श्री इब्राहीम पुत्र श्री हुसैन खां	डिग्गी	18	11.00	218.00
97.	श्री गुणमाना पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन	डिग्गी	95	21.00	2006.00
98.	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री सीताराम जैन	डिग्गी	95	21.00	2006.00
99.	श्री नृसिंह पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा	डिग्गी	214	11.00	2365.00
100.	श्री गणपत लाल पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा	डिग्गी	114	11.00	1265.00
101.	श्रीमती मुन्नीबेगम पत्नी श्री चान्द मो. मुसलमान	डिग्गी	98	11.00	1088.00
102.	श्री रूपसिंह सांसी पुत्र श्री श्योजीलाल	डिग्गी	263	5.50	1458.00
103.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रूपसिंह सांसी	डिग्गी	873	5.50	495.00
104.	श्री शम्भूदयाल मीणा पुत्र श्री कल्याणराम मीणा	डिग्गी	150	11.00	1660.00
105.	श्री किशोर कुमार पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल	डिग्गी	46.4	विनीमितीकरण	211.00
106.	श्री नवल किशोर पुत्र श्री रामगोपाल अग्रवाल	डिग्गी	92	विनीमितीकरण	211.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
107.	श्री रूपनारायण पुत्र श्री रामनिवास शर्मा	डिग्गी	297	5.50	1633.00
108.	श्री बजरंग, नाथूलाल, सत्यनारायण पुत्र श्री शिवनारायण सोनी	डिग्गी	1244	विनीमितीकरण	2094.300
109.	श्री फरीद मोह. पुत्र श्री बशीर खां	डिग्गी	234	11.00	2584.00
110.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नन्दलाल कुमार	डिग्गी	44.4	20.00	909.00
111.	श्री हरनाथ पुत्र श्री बीरमा रेगर	डिग्गी	154	5.00	739.00
112.	श्रीमती ग्यारसी पत्नी श्री कालू नायक	डिग्गी	60	11.00	671.00
113.	श्री बद्रीलाल पुत्र श्री चौथूराम माली	डिग्गी	64	11.00	714.00
114.	श्रीमती सीता देवी पुत्र श्री रामनिवास जाट	डिग्गी	150	11.00	1660.00
115.	श्री सीताराम पुत्र श्री जगदीश शर्मा	डिग्गी	119	11.00	1329.00
116.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोपीलाल शर्मा	डिग्गी	220	5.50	1230.00
117.	श्री पारसमल पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल	डिग्गी	178	11.00	1968.00

क्र. सं.	नाम मय पिता व जाति	ग्राम	स्वयं की पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गज)	दर	राशि भूमि नियमन एवं पंचायत सहायता
118.	श्री रामदयाल पुत्र श्री रामरतन शर्मा	डिग्गी	40	11.00	450.00
119.	श्री नन्दा पुत्र श्री छीतर माली	डिग्गी	791	5.50	4365.00
120.	श्री ईशाक पुत्र श्री नूर मोहम्मद	डिग्गी	189	विनीमितीकरण	211.00

गौर (करौली) ग्राम पंचायत में डुप्लीकेट पट्ट जारी करने के लम्बित प्रकरण

441. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1964 में ग्राम पंचायत बागौर, तहसील नादोती, जिला करौली में जारी किये गये पट्टों की नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कतिपय व्यक्तियों ने पट्टे खो जाने के कारण डुप्लीकेट पट्टे जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं? यदि हां, तो किस-किस द्वारा व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदकों को सरकार द्वारा डुप्लीकेट पट्टे जारी कर दिये गये? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार आवेदकों को डुप्लीकेट पट्टे जारी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जारी किये गये पट्टों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। एक श्रीमती भावती पत्नि जगराम धाकड़ बागोर द्वारा दिनांक 31.3.2004 को प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया है।

(3) जी नहीं। श्रीमती भावती पत्नी जगराम धाकड़ को ग्राम पंचायत बागोर द्वारा डुप्लीकेट पट्टा नहीं दिया गया है क्योंकि प्रार्थी ग्राम पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं हो रही है। यदि आवेदक स्वयं ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित हो तो ग्राम पंचायत बागोर डुप्लीकेट पट्टा जारी करने को तैयार है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पचार (सीकर) ग्राम में अकाल राहत कार्यों में अनियमितता

442. श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती राजकुमार शर्मा)

(1) गत 5 वर्षों में सीकर जिले के पचार ग्राम में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत कौन-कौनसे कार्य कहां-कहां व कितनी-कितनी राशि के कराये गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में कितने व्यक्तियों को काम पर लगाया गया तथा उनको कितनी-कितनी राशि या अनाज दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में भ्रष्टाचार/अनियमितता की कितनी शिकायतें किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त हुई तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में सीकर जिले के पचार ग्राम में अकाल राहत कार्यक्रम के तहत वर्षवार कराये गये कार्यों, उन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों पर लगाये गये व्यक्तियों का व उनको दी गई राशि/अनाज का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त कार्यों में गत पांच वर्षों में दो शिकायतें प्राप्त हुई थी जिन्हें जांच के दौरान निराधार पाये जाने पर निरस्त कर दिया गया। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

गत पांच वर्षों में सीकर जिले के पचार ग्राम में अकाल राहत कार्यक्रम के निम्न कार्य कराये गये

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि
1. सं. 2056		
1.	राजीव गांधी पाठशाला पानी वाली तलाई भवन	200000
2.	" " बड़गुजरी भवन	200000
3.	" " ढाणी किशन	200000
4.	" " ऐचरान	200000
5.	" " कुम्भावाली तलाई में चार	100000
2. सं. 2057		
1.	सड़क निर्माण रेनवाल मोड से 32 केवी ग्रेड पचार होते हुए बस स्टैण्ड कुमावतों की ढाणी	330000
3. सं. 2059		
1.	आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण पचार	125000
2.	रामावि पचार की अपर्ण चार दिवारी	340000
3.	अधरी चार दिवारी निर्माण रा.मा.वि. पचार	100000
4.	चारागाह भूमि में तलाई खुदाई खारडा	100000
5.	शोचालय निर्माण रा.उ.प्रा.वि. ढाणी कुमावतान	9700
6.	" " " पचार	9700
7.	" " रामावि "	9700
8.	चार दिवारी निर्माण रामावि बड़गुजर नाडा	125000
9.	अलादीन मणियार के घर से खारिया के जाव तक नाला निर्माण व सोपता गढा निर्माण	150000

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि
10.	रास्ता दुरस्तीकरण पचार से लाम्बा की ढा. स्कूल तक	450000
11.	पीवीसी पाईप लाईन मय चैम्बर ट्यूबवैल से ढा. कमावतान तक	200000
12.	छोटू लहार से खारिया के जाव तक नाली व सोपता कुआं निर्माण	40000
13.	ग्रेवल सड़क निर्माण पचार से काकडवाली तलाई	500000
14.	अपर्ण ग्रेवल सड़क पचार से लाम्बा की ढा.	450000
15.	महिला शोचालय निर्माण पचार	110000

परिशिष्ट-2

उक्त कार्यों पर लगाए गए व्यक्ति एवं दी गई राशि/अनाज का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	कार्य का नाम	श्रमिक सं.	गेहूं की राशि
1.	राजीव गांधी पाठशाला तलाई भवन	1197	27531
2.	" " बड़गुजरी भवन	1183	27209
3.	" " ढाणी किशन	1203	27669
4.	" " ऐचरान	1396	32108
5.	रा.मा.पा. कुम्भावाली तलाई में चार दिवारी	1153	26519
6.	सड़क निर्माण रेनवाल मोड से 32 केवी ग्रेड पचार होते हुए बस स्टेण्ड कुमावता की ढा. पचार	3350	77050
7.	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण पचार	346	15916
8.	रामावि पचार की अपूर्ण चार दिवारी निर्माण	1610	74060
9.	अधूरी चार दिवारी निर्माण रामावि पचार	541	24886
10.	चारागाह भूमि में तलाई खुदाई खारडा	340	15640

क्र.सं.	कार्य का नाम	श्रमिक सं.	गेहूं की राशि
11.	शोचालय निर्माण रा0प्रावि ढाणी कुमावतान पचार	43	1978
12.	" " " पचार	63	2898
13.	राप्रावि पचार में शोचालय निर्माण	37	1702
14.	चार दीवारी निर्माण रागापा बडगुर्जरीनाडा	708	32568
15.	अलादीन मणियार के घर से खारिया के जाव तक नाला निर्माण एवं सोचता गढा निर्माण	1080	49680
16.	रास्ता दुरूस्तीकरण पचार से लाम्बा की ढा. स्कूल तक	4660	214360
17.	पीवीसी पाईप लाईन मय चैम्बर ट्यूबवेल से ढा. कुमावतान तक	1160	53360
18.	छोटू लुहार से खारिया के जाव तक नाली व सोपता कुआं निर्माण	296	13616
19.	ग्रेवल सड़क निर्माण पचार से कोकड वाली तलाई	4262	196052
20.	अपूर्ण ग्रेवल सड़क पचार से लाम्बा की ढा.	4270	196420
21.	महिला शोचालय निर्माण पचार	321	14766

जिला कलक्टर, सीकर

परिशिष्ट - 2

गत पांच वर्षों में सीकर जिले के पचार ग्राम में अकाल कार्यक्रम के तहत प्राप्त शिकायतों का विवरण

सम्वत्	क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत जिसके लिए की	शिकायत का विवरण	जांच अधिकारी का पदनाम	की गई कार्यवाही
2056	1.	ग्राम जनता ढाणी मिराना ग्राम पंचायत पचार	ग्राम पंचायत पचार के खिलाफ	अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत राजीव गांधी पाठशाला में घटिया सामग्री निर्माण बाबत।	ए.सी.एम. II, सीकर	शिकायत निराधार पाए जाने पर निरस्त कर दी गई।
2059	2.	ग्राम जनता ग्राम पंचायत पचार	—"—	ग्राम पंचायत पचार से लाम्बा की ढाणी उच्च प्राथमिक विद्यालय तक 6 कि.मी. ग्रेवल सड़क बनवाने बाबत।	उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़	कार्य पूर्ण होने तथा शिकायत की पुष्टि नहीं होने के कारण शिकायत निरस्त कर दी गई।

तारानगर में चारा डिपो संचालकों का लम्बित भुगतान

443. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तारानगर की सोमसीसर, कालवास तथा हडियाल पंचायतों के पशु चारा डिपो द्वारा चारा वितरण करने के उपरान्त भी चारा डिपो संचालकों को काफी समय से भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) इन चारा डिपों के संचालकों को अब भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र तारानगर की सोमसीसर, कालवास तथा हडियाल पंचायतों के पशु चारा डिपो द्वारा चारा वितरण करने के उपरान्त सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा अभिशंषित पारित योग्य राशि का सम्बन्धित चारा डिपो संचालकों को भुगतान किया जा चुका है।

(2) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला चूरू द्वारा भुगतान हेतु अभिशंषित पारित योग्य राशि का भुगतान सम्बन्धित चारा डिपो संचालकों को किया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई जांच के उपरान्त जो क्लेम भुगतान योग्य नहीं पाये गये एवं भुगतान हेतु सत्यापित होने योग्य नहीं पाये गये उनका भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

पाली जिले में निजी ट्रस्टों/संस्थाओं को अकाल राहत सामग्री

444. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में अकाल राहत के दौरान किन-किन दानदाताओं एवं किन-किन धार्मिक ट्रस्ट एवं संस्थाओं ने जिले के राहत कोष में नकद, चैक, ड्राफ्ट एवं अन्य राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई और यह किन-किन व्यक्तियों को मुहैया करवाई गई तथा इन राशियों और सामग्रियों को कहां पर जमा किया गया? आय-व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा राहत योजना में जिले को प्रदत्त राशि एवं जिला कलक्टर द्वारा अपने विवेकाधिकार से किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को राशियां प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्वत् 2059 में पाली जिले में अकाल राहत के दौरान विभिन्न दानदाताओं/ट्रस्ट/संस्थाओं से कुल राशि रु. 6,69,000 चैक/डी.डी. से प्राप्त हुई है। अन्य कोई राहत सामग्री कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। उक्त प्राप्त राशि में से 95,000 रु. रोहट तहसील क्षेत्र के पशुओं के निष्क्रमण तथा राशि रु. 5,44,382 अति संवेदनशील अभाव घोषित तहसील रोहट एवं सोजत क्षेत्र की ग्रामीण पेयजल, परिवहन व्यवस्था हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत को उपलब्ध कराई गई है। शेष राशि बचत खाता सं. 9393 में रु. 29,618 जमा है। विवरण सूची संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा राहत योजना में जिले को प्रदत्त धनराशि एवं जिला कलक्टर द्वारा अपने विवेकाधिकार से किसी भी व्यक्ति एवं संस्था को कोई राशि प्रदान नहीं की गई है।

चैक/डी.डी द्वारा प्राप्त राशियों का विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम	चैक/डी.डी. नं./ दिनांक	राशि
1.	संत श्री राजाराम आश्रम शिकारपुरा	875962 23.11.2002	25,000
2.	डिस्ट्रिक्ट क्लब पाली	0717707 31.12.2002	31,000
3.	श्री दिलीपजी चम्पालाल जी पूणे	067642 7.11.2002	5,500
4.	श्री भागचन्द हिम्मतमल जी रांका	701266 12.12.2002	5,500
5.	गुप्त	552075 3.1.2003	13,200
6.	"	050327 1.1.2003	7,100
7.	"	085495 2.1.2003	5,100
8.	मोहनलाल सयारचंद कपाड़ चेरीटेबल ट्रस्ट, पाली	4013650 1.1.2003	5,100
9.	गुप्त	0954005 30.12.2002	500
10.	मै. गैल इण्डिया सिरोही	995476 3.12.2002	5,00000
11.	अध्यक्ष पेंशनर्स समाज पाली	327331 9.2.2003	10,000
12.	नारायणसिंह भाबूतसिंह बस स्टेण्ड, नाडोल	057272 13.2.2003	10,000
13.	स्टाफ पी.सी.सी.बी. पाली	097512 12.2.2003	51,000
कुल योग			6,69,000

जिला कलक्टर (सहायता)
पाली

आनन्दपुरी व बागीदौरा पंचायत समिति में अकाल राहत कार्यों का लम्बित भुगतान

445. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति, आनन्दपुरी व बागीदौरा में वर्ष 2002-03 के कुल कार्यों के पेटे कितने कूपन मजदूरों को जारी किये गये? पंचायत वार कार्य की सूची मय कूपनों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति, आनन्दपुरी एवं बागीदौरा में कूपन के जरिये मजदूरों का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो पंचायतवार, स्वीकृत कार्य व भुगतान किये गये कूपनों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति आनन्दपुरी व बागीदौरा में वर्ष 2002-03 के कुल कार्यों के पेटे जारी कूपनों की पंचायतवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पंचायतवार स्वीकृत कार्यों व भुगतान किये गये कूपनों की संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

अकाल राहत कार्य संवत 2059 जिला बांसवाड़ा

पंचायत समिति बागीदौरा

पंचायतवार अकाल राहत कार्यों की संख्या तथा कूपनों की संख्या

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या	जारी कूपनों की संख्या
1.	खोडालीम	19	5788
2.	खूटीनारजी	25	14969
3.	खूंटामछार	15	13289
4.	खूंटागलिया	25	16261
5.	ढालर	19	11604
6.	झांझरवकलां	39	15474
7.	ईटाउवा	17	7143
8.	बारीगामा	22	12483
9.	बोडीगामा	29	20219
10.	बागीदौरा	52	22930
11.	बालावाडा	21	11398
12.	बडौदिया	18	8587
13.	बुडवा	19	9174
14.	कलिंजरा	13	7826
15.	करजी	40	18477
16.	मोना डूंगर	22	13176
17.	मोटी टिम्बी	27	7123
18.	हाण्डी	29	22091
19.	पिण्डारमा	29	16495
20.	पिपलोद	13	6824
21.	पाटन	15	8511

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या	जारी कूपनों की संख्या
22.	राखो	16	10937
23.	राम का मुन्ना	35	16633
24.	रोहनिया	39	12138
25.	रोह्नवाडी	20	14973
26.	शेरगढ़	23	14965
27.	सालिया	36	16367
28.	सुवाला	21	9805
29.	सेण्डनानी	23	11171
30.	सल्लोपाट	30	15400
31.	उम्मेदगढ़ी	25	10662
32.	छींच	16	6838
33.	चौखला	24	6421
34.	जाम्बुडी	37	9403
35.	नौगामा	31	22991
36.	नागावाडा	19	13183
37.	नाल	18	11199
38.	टाण्डीनानी	38	14754
39.	गमनिया ह्मीरा	29	7430
40.	गांगडतलाई	18	13470
41.	लंकाई	31	22113
	योग	1037	530695

अकाल राहत कार्य संवत 2059 जिला बांसवाड़ा

पंचायत समिति आनन्दपुरी

पंचायतवार अकाल राहत कार्यों की संख्या तथा कूपनों की संख्या

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या	जारी कूपनों की संख्या
1.	बरजडिया	28	28451
2.	काजलिया	29	20381
3.	कानेला	31	26619
4.	कडदा	41	22477
5.	मडकोलामोगजी	31	29596
6.	मुन्द्री	45	30687
7.	मेनापादर	36	33253
8.	चिकलीतेजा	21	14740
9.	भलेर भोदर	20	15445
10.	पाटियागलिया	39	18686
11.	पाट नवाधरा	12	15010
12.	रतनपुरा	39	37473
13.	सुन्द्राव	33	28735
14.	डोकर	33	21091
15.	उदयपुराबडा	38	38566
16.	छाजा	47	23262
17.	वरेठ	28	24168
18.	बडलिया	30	22327
19.	चोरडी	35	24575

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	कार्यों की संख्या	जारी कूपनों की संख्या
20.	चान्दरवाडा	38	35295
21.	फलवा	41	21973
22.	नाहरपुरा	29	23489
23.	टामटिया	42	26336
24.	आमलिया आम्बादरा	35	22332
25.	ओबला	36	18457
26.	आनन्दपुरी	42	26561
	योग	**879**	**649985**

खनन कार्य से प्रदूषण रोकथाम के उपाय

446. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा खान चलाने के लिए (कनसेन्ट टू ओपरेट) लाइसेन्स दिया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खान मालिक द्वारा पर्यावरण विभाग में मांग फार्म भरकर शुल्क जमा करवा देने से ही विभाग लाइसेन्स जारी कर देता है? यदि हां, तो क्या लाइसेन्स जारी कर देने मात्र से ही प्रदूषण रुक जाएगा? यदि नहीं, तो इस हेतु सरकार क्या कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खान चलाने के लिए प्रत्येक खनन इकाई को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा जल प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के प्रावधानों के अन्तर्गत संचालन हेतु सम्मति लेना आवश्यक होता है। प्रत्येक खनन इकाई को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सम्मति आवेदन पत्रों के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

1. विहित प्रार्थना पत्र के साथ संचालन हेतु सम्मति शुल्क
2. यदि लागू हो तो भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

3. लीज डीड की प्रति
4. भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान
5. इको फ्रेन्डली माइनिंग प्लान
6. प्रस्तुत दस्तावेजों/लागत सम्बन्धी सूचनाओं के लिए शपथ पत्र
7. खनन क्षेत्र का खसरा नक्शा
8. खनन क्षेत्र के सीमांकन नक्शा/रिपोर्ट

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा उक्त दस्तावेजों की जांच के पश्चात् खनन इकाईयों द्वारा प्रस्तुत सम्मति आवेदन-पत्र पर निर्णय लिया जाता है।

(2) जी नहीं। खनन इकाई द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा की जाती है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा संचालन हेतु सम्मति जारी करते समय शर्तें अधिरोपित की जाती हैं, जो कि खनन इकाई पर बाध्यकारी होती हैं। सम्मति जारी करने के पश्चात् राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल यह सुनिश्चित करता है कि खान मालिकों द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण हेतु अधिरोपित शर्तों/मानकों की पालना की जाये। जिन खान मालिकों द्वारा अधिरोपित शर्तों/मानकों की पालना नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

खनन इकाईयों द्वारा नियमों की पालना करवाई जाने हेतु राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 9.7.2004 को आदेश जारी कर उपखण्डीय समितियों का गठन, प्रत्येक जिले में, खानों में खनन कार्य करते समय प्रचलित नियमों/प्रावधानों एवं राज्य व केन्द्रीय सरकार की अधिसूचनाओं तथा माईनिंग प्लान की पालना आदि होने तथा नियमों का उल्लंघन नहीं होने देने हेतु किया गया है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9.7.2004 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(आदेश की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डेगाना (नागौर) में निर्धारित बस स्टैण्ड

447. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेगाना, जिला नागौर में सार्वजनिक बस-स्टेण्ड हेतु स्थान निर्धारित कर दिया गया है? यदि हां, तो किस स्थान पर तथा कितनी वर्ग गज जमीन पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बस-स्टेण्ड के स्थान निर्धारित होने के बावजूद भी

(श्री रेछपाल सिंह मिर्धा)

बसें घनी आबादी क्षेत्र में खड़ी की जा रही हैं और इसकी वजह से प्रतिदिन कई बार जाम लग जाता है और स्टेशन पर यात्रियों को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या बसों को निर्धारित बस-स्टेण्ड पर खड़ी कराने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। डेगाना जिला नागौर में जिला कलक्टर नागौर द्वारा गोरडी चाचा के खसरा नं. 150 में 8 बीघा जमीन सार्वजनिक बस स्टेण्ड हेतु आरक्षित की गई है।

(2) यह सही है कि सार्वजनिक बस स्टेण्ड हेतु आरक्षित स्थान पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वर्तमान में बसें निजी बाड़े में खड़ी की जा रही हैं। यह स्थान घनी आबादी क्षेत्र में होने के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है जिससे रेल्वे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को यदाकदा असुविधा का सामना करना पड़ता है बस स्टेण्ड हेतु जिला कलक्टर द्वारा आरक्षित स्थल पर मूलभूत सुविधाओं का विकास स्थानीय निकाय द्वारा कराये जाने पर ही यहां से बसों का संचालन सम्भव है।

वाहन की कीमत अनुसार राज्य पथ कर की वसूली

448. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रूट पर चलने वाली सवारी बसों का एस.आर.टी. वाहन की कीमत पर लिया जाता है? यदि हां, तो कबसे तथा किस हिसाब से?

(2) क्या यह भी सही है कि यह कर नई एवं पुरानी बसों पर समान रूप से लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पुराने माडल की गाड़ी पर घटती कीमत लगाकर उस कीमत अनुसार एस.आर.टी. लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में रूट पर चलने वाली सवारी बसों की एस.आर.टी. (विशेष पथकर) वाहन की लागत पर ली जाती है। वाहनों पर मूल्य आधारित कर प्रणाली दिनांक 1.4.1997 से प्रभावी है। रूट पर चलने वाली बसों पर लागू विशेष पथकर की दरों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह कर नई एवं पुरानी वाहनों से समान रूप से लिया जाता है।

(यातायात मंत्री)

राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम 1951 के नियम 42 में कर की गणना के प्रयोजन के लिये वाहनों की लागत के सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसा किया जा रहा है। इस प्रावधान का उद्देश्य समान श्रेणी के वाहनों पर देय कर की राशि में एकरूपता लाना है।

(3) जी नहीं। सरकार पुराने माडल की गाड़ी पर घटती लागत लगाकर उस लागत अनुसार एस.आर.टी. लगाने का विचार नहीं रखती है। पुराने माडल की गाड़ी पर घटती लागत पर कर आरोपित करने से कर ढांचे में विसंगति उत्पन्न हो जाएगी।

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
मंजिली गाडियां (अनन्य रूप से नगरपालिक सीमाओं के भीतर चलने वाली गाडियों से भिन्न)	
(i) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 तक की सीट क्षमता वाली।	
(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 किमी. तक हो।	चैसिस की लागत का 0.43%
(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 किमी. से अधिक किन्तु 180 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 0.73%
(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 180 किमी. से अधिक किन्तु 240 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 1.12%
(घ) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 240 किमी. से अधिक किन्तु 320 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 1.46%
(ङ.) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 320 किमी. से अधिक किन्तु 400 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 1.72%

परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
(च) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 किमी. से अधिक हो।	चैसिस की लागत का 2.15%
(ii) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 45 से अधिक की सीट क्षमता वाली।	
(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 किमी. तक हो।	चैसिस की लागत का 0.52%
(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 100 किमी. से अधिक किन्तु 180 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 0.95%
(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 180 किमी. से अधिक किन्तु 240 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 1.38%
(घ) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 240 किमी. से अधिक किन्तु 320 किमी. से अनधिक हों।	चैसिस की लागत का 1.94%
(ड.) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 320 किमी. से अधिक किन्तु 400 किमी. से अनधिक हो।	चैसिस की लागत का 2.37%
(च) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 किमी. से अधिक हो।	चैसिस की लागत का 2.80%

महुवा-जयपुर मार्ग पर संचालित बस के परिचालक द्वारा विकलांग महिला यात्री से दुर्व्यवहार

449. श्री कालूराम यादव (हिण्डौन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 18 फरवरी, 2004 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस संख्या आर.जे. 14-1 पी-0959 महुवा सं जयपुर के बीच संचालित थी?

(श्री कालूराम यादव)

(2) क्या यह सही है कि उक्त वाहन में विकलांग यात्री भी यात्रा कर रहे थे?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस के परिचालक ने विकलांग यात्रियों से विकलांग रियायती यात्रा परिचय पत्र दिखाने के बावजूद भी विकलांगों से जबरन पूरा किराया वसूल करने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं?

(4) क्या उक्त बस के परिचालक ने महिला विकलांग को रियायती दर पर टिकिट नहीं दिया और मांग करने पर परिचालक द्वारा विकलांग महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या एवं उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी परिचालक को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां; तो कब तक।

(6) क्या सरकार उक्त विकलांग से वसूल की गई अधिक राशि वापस लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां। उक्त शिकायत की मुख्यालय स्तर पर प्राथमिक जांच की गई। जांच में पाया गया कि विकलांग यात्री के पास नियमानुसार नवीनीकृत परिचय-पत्र नहीं था। इसलिए यात्री से पूरा किराया वसूल किया गया। फिर भी परिचालक को चेतावनी सहित विकलांग व्यक्तियों से सद्व्यवहार करने तथा परिचय पत्रों का नवीनीकरण करवाने हेतु विकलांग यात्रियों से निवेदन करने के लिए पाबन्द किया गया है।

(5) परिचालक को लिखित में चेतावनी दी जा चुकी है।

(6) चूंकि यात्री द्वारा अपने परिचय पत्र का नियमानुसार नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अत: ऐसी स्थिति में किराया वापस लौटाने का कोई आधार नहीं है।

निगम द्वारा अजमेर बस अड्डे पर आबंटित दुकानें

450. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बस अड्डों पर किन नियमों के आधार पर दुकानों का आबंटन किया जाता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर बस स्टेण्ड पर सरकार द्वारा कितनी दुकानें और टेलीफोन बूथ किस-किस को कब-कब आबंटित की गई? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा उक्त बस स्टेण्ड पर गत छह माह में टेलीफोन बूथ आबंटन किया गया है? यदि हां, तो किसकी अनुशंसा पर?

(4) क्या सरकार बस स्टेण्ड अजमेर पर और दुकान व बूथ आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व कब तक तथा नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) निगम मण्डल के निर्णय की अनुपालना में बस अड्डों पर दुकान आबंटन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश परिपत्र क्रमांक 202 दिनांक 22.7.1997 मय संशोधित परिपत्र क्रमांक 88 दिनांक 13.2.2004 एवं 427 दिनांक 18.6.2004 द्वारा निर्धारित है। प्रति परिशिष्ट "1", "2" एवं "3" पर संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(3) केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर पर गत 6 माह में कोई टेलीफोन बूथ आबंटन नहीं किया गया है।

(4) जी हां। केन्द्रीय बस स्टेण्ड अजमेर पर रिक्त 8 दुकानों के आबंटन हेतु नीति अनुरूप निविदायें आमन्त्रित की गई। उक्त दुकानों के लिए एक भी निविदा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: पुन: निविदायें आमन्त्रित की जाकर दुकान/बूथ आबंटन करने का विचार है। यह आबंटन प्रश्न के खण्ड-1 के उत्तर में बताए गए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इटावा (कोटा) ग्राम में नवनिर्मित बस अड्डे पर बसों का ठहराव

451. श्री प्रभूलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इटावा जिला कोटा में परिवहन निगम की बसों के ठहराव हेतु एक वर्ष पूर्व बस स्टेण्ड के लिये नया भवन बनवाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि नवनिर्मित बस स्टेण्ड पर निगम की बसें ठहराव नहीं करती, जिससे इस बस स्टेण्ड को अवांछनीय तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है तथा इसके नष्ट होने की भी सम्भावना है?

(3) क्या सरकार इस बस स्टेण्ड का उपयोग बसों के ठहराव हेतु करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इटावा में ग्राम पंचायत इटावा द्वारा नये बस स्टेण्ड का निर्माण करवाया गया हैं।

(2) इस बस स्टेण्ड में बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था नहीं है। पेशाब घर टूटा-फूटा है तथा मुख्य सड़क मार्ग से बस स्टेण्ड तक की एप्रोच रोड़ क्षतिग्रस्त है। इसलिए बस स्टेण्ड पूर्ण रूप से कार्यशील नहीं है।

(3) नवनिर्मित बस स्टेण्ड से निगम द्वारा संचालित कोटा से इटावा-खातोली-श्योपुर मार्ग की बसों का ठहराव आरम्भ कर दिया गया है।

पाटौली (भीलवाड़ा) ग्राम में ध्वस्त निर्माण प्रकरण

452. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5 फरवरी, 2004 को ग्राम पाटौली पंचायत समिति कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में निर्माण कार्य को अवैध रूप से तोड़ने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शिवजीराम मीणा)

(2) क्या यह सही है कि निर्माण तोड़ने की कार्यवाही से पूर्व राजस्थान पंचायत अधिनियमों के तहत प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में उक्त अधिनियमों/धाराओं के तहत प्रक्रिया अमल में लाई गई अथवा नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री कंवर लाल पुत्र श्री रामस्वरूप बाहेती निवासी पारोली के द्वारा जो निर्माण कार्य कराये गये थे उसे ग्राम पंचायत द्वारा तोड़े जाने से सम्बन्धित शिकायत दिनांक 5.2.2004 को की गई थी। सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा दिनांक 23.2.2004 को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटडी को निर्देशित किया गया। विकास अधिकारी, कोटडी द्वारा दिनांक 15.4.2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार श्री कंवर लाल बाहेती द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया जाना बताया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 165 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए श्री कंवर लाल बाहेती के विरूद्ध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया है।

(2) जी हां। श्री कंवर लाल बाहेती का अतिक्रमण हटाने से पूर्व वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। ग्राम पंचायत पारोली की बैठक दिनांक 28.1.2004 एवं 31.1.2004 में प्रस्ताव पारित किया जाकर श्री कंवर लाल बाहेती अतिक्रमी को निर्माण कार्य रोकने में उससे सम्बन्धित भूमि के कागजात आदि प्रस्तुत किये जाने हेतु नोटिस तामील कराया गया किन्तु श्री बाहेती के द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज नियम 165 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए श्री बाहेती का अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया।

शिव में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

453. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र शिव में ग्रामीण योजना व बी.ए.डी.पी. योजना में गत पांच वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र शिव में गत पांच वर्षों में ग्रामीण योजनाओं के अन्तर्गत 2112.30 लाख रुपये एवं बी.ए.डी.पी. योजनान्तर्गत 1525.13 लाख रुपये कुल 3637.43 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। उनसे कुल 3717 कार्य पूर्ण हुए (ग्रामीण योजनाओं में 3564 कार्य व बीएडीपी में 153 कार्य) तथा इन पर 3036.59 लाख रुपये व्यय हुआ (ग्रामीण योजनाओं में 1680.16 लाख रुपये व बीएडीपी में 1356.43 लाख रुपये)।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगंज एवं शाहबाद (बारां) में स्वयं सेवी संस्थाओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

454. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में कौन-कौनसी स्वयं सेवी संस्थाएं कब-कब से कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाएं किस-किस उद्देश्य से किन-किन गतिविधियों में क्या-क्या कार्य कर रही हैं? गत तीन वर्षों में उक्त संस्थाओं ने केन्द्र/राज्य सरकार से किस-किस उद्देश्य के लिये कितनी-कितनी राशि कब-कब प्राप्त की है तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर खर्च की है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त संस्थाओं द्वारा करवाये गये कार्यों से सन्तुष्ट है? क्या सरकार ने इन संस्थाओं की गतिविधियों पर निगरानी हेतु किसी अधिकारी को लगाया हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर उक्त संस्थाओं की गतिविधियों की जांच की गई है?

(4) क्या यह सही है कि जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त स्वयं सेवी संस्थाओं के विरूद्ध जनप्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस से क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें। इन शिकायतों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? जांच

(श्री हेमराज मीणा)

के क्या निष्कर्ष रहे तथा उसके आधार पर किस-किस संस्था के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु गत दो वर्षों में किस-किस संस्था को किस-किस उद्देश्य हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की जाकर कितनी-कितनी अग्रिम राशि का कब-कब समायोजन किया गया?

उत्तर

(1) बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसील में निम्न स्वयं सेवी संस्थायें उनके आगे वर्णित दिनांक से कार्यरत है :-

1. असेफा (किशनगंज व शाहबाद) 155 गांवों में-1.2.2002 से
2. भारत ज्ञान विज्ञान समिति (शाहबाद) 53 गांवों में-22.7.2003 से
3. स्वच्छ (किशनगंज व शाहबाद) 62 गांवों में-12.12.2003 से
4. काउन्सिल फार सोशियल डवलपमेन्ट (किशनगंज) 65 गांवों में-29.10.2003 से
5. कोटा डेयरी (किशनगंज व शाहबाद) सम्पूर्ण जिला-17.7.2003 से

(2) परियोजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को आबंटित कार्यों की मुख्य गतिविधियां नीचे वर्णितानुसार हैं तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ किये गये अनुबन्ध में दिये गये अन्य विस्तृत उद्देश्य संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है :-

1. आबंटित कार्य क्षेत्र में गरीब परिवारों के समूहों का गठन करना, समूह की स्वयं की इच्छा/क्षमता के अनुरूप उप-परियोजना गतिविधि से अवगत कराना तथा गठित समान रुचि समूहों का जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई से अनुमोदन करवाना।
2. गठित समूह को उप-परियोजना निर्माण में विषय विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध करवाकर उप-परियाजना निर्माण करने में सहायता करना।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

3. समूह की अनुमोदित उप-परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विषय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करवाकर, उनको पूर्ण करवाना।

4. समूह को उप-परियोजना के संचालन में सहयोग कर Sustainability के स्तर तक लाना। गत तीन वर्षों में इन संस्थाओं को समान रूचि समूह के गठन हेतु 34.07 लाख रु. एवं उप परियोजना निर्माण हेतु 8.65 लाख रु. एवं उप परियोजना क्रियान्वयन में सहयोग हेतु 0:96 लाख रु. का भुगतान किया गया। गैर सरकारी संस्थाओं को किये गये भुगतान में से उनके द्वारा विषय विशेषज्ञों को वेतन, यात्रा कार्यालय व्यय इत्यादि का भुगतान किया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं को उप परियोजना गतिविधियों हेतु अभी तक कोई राशि हस्तान्तरित नहीं की जाती।

(3) हां। बारां जिले में कार्यरत एक संस्था आसेफा के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक है। गैर सरकारी संस्थान आसेफा द्वारा 677 समान रूचि समूहों का गठन करवाया गया है परन्तु उप परियोजनाएं मात्र 367 समूहों की ही अनुमोदित हुई हैं। इसका मुख्य कारण समूह द्वारा दिया जाने वाला 10 प्रतिशत अंशदान जमा नहीं होना बताया गया है। क्योंकि यहां सहरिया आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। जिले में जिला कलक्टर डीपीआईपी के अध्यक्ष हैं। जिनकी देखरेख में जिले में स्थापित जिला परियोजना प्रबन्धक एवं प्रबन्धन इकाई जिले में कार्यरत संस्थाओं द्वारा परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है।

(4) नहीं। उक्त संस्थाओं के विरूद्ध किसी भी जन प्रतिनिधि से अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) परियोजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में बारां जिले में कार्यरत संस्थाओं को उपलब्ध करवायी गई राशि तथा व्यय व समायोजन का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कठूमर पंचायत समिति द्वारा पोषाहार टेण्डर में अनियमितता

455. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रमेश खींची)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2003-04 में पंचायत समिति कठूमर द्वारा पोषाहार के टेण्डर दिए गये? यदि हां, तो किसके नाम व किस दर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पोषाहार के टेण्डर अधिक दरों पर दिये गये? यदि हां, तो उक्त टेण्डरों को किस अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टेण्डरों की शिकायत होने पर पुन: टेण्डर आमन्त्रित किए गये जिनकी दरें पूर्व से कम प्राप्त हुई?

(4) जिला अलवर में पंचायत समिति कठूमर के लिए कितना-कितना पोषाहार दिया गया व उसमें से कितना पोषाहार वितरित कर दिया गया?

(5) क्या पोषाहार वितरण के रजिस्टर को किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो किस अधिकारी द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या कभी उच्चाधिकारियों द्वारा पोषाहार के स्टाक की जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों व यदि हां, तो कब-कब किस अधिकारी द्वारा स्टाक (भण्डार) की जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कठूमर द्वारा पोषाहार को किसी अध्यापक के घर रखा गया? यदि हां, तो क्यों तथा किसके? क्या उस भण्डार की कभी आकस्मिक जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार भविष्य में पोषाहार के भण्डार पर नियन्त्रण हेतु किसी उच्चाधिकारी को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी को तथा कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2003-2004 के लिए पंचायत समिति कठूमर में पोषाहार टेण्डर किए गये जिसमें न्यूनतम दर श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा ग्राम अगरिया की आई जो रु. 48.85 प्रति क्विं. थी।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त टेण्डर की दरें अधिक होने के कारण उसे अनुमोदित नहीं किया।

(3) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई परन्तु दरें अधिक होने के कारण पुन: टेण्डर आमन्त्रित किये गये। दरें पूर्व से कम प्राप्त हुई।

(4) जिला अलवर की पंचायत समिति कठूमर के लिए अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 तक कुल 5135.69 क्विं. गेहूं प्राप्त हुआ। जिसमें 5130.45 क्विं. गेहूं का वितरण किया गया। शेष 5.24 क्विं. गेहूं स्टाक में मौजूद है।

(5) पोषाहार वितरण प्रभारी द्वारा प्रस्तुत पोषाहार वितरण विवरण को ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चैक कर सत्यापित किया गया।

(6) जी हां। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कठूमर द्वारा स्टाक की जांच समय-समय पर तीन बार की गई जिसकी निरीक्षण तिथियां निम्न हैं :-

19.11.2003

20.12.2003

24.2.2004

(7) जी नहीं, पंचायत समिति कठूमर द्वारा पोषाहार (गेहूं) को कभी किसी अध्यापक के घर नहीं रखा गया।

(8) पंचायत समिति कठूमर में पोषाहार भण्डार के नियन्त्रण हेतु एक अध्यापक नियुक्त किया गया है। उच्चाधिकारी के रूप में ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त है।

भादरा में सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास कोष से स्वीकृत राशि

456. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 1998 से अब तक सांसद व विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत कुल कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई? वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. सुरेश चौधरी)

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि किन किन एजेन्सियों द्वारा व्यय की गई तथा कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 1998 से अब तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 125.67 लाख रुपये व विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 241.505 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। जिनका वर्षवार व मदवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से कार्यों पर व्यय एवं शेष राशि का ऐजेन्सीवार विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या 6 व 7 पर अंकितानुसार है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खेतड़ी में भू-संरक्षण कार्यों में अनियमितता

457. श्री दाताराम (खेतड़ी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी (झुंझुनूं) में गत पांच वर्षों में किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये? सूची मय ग्राम व राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ कार्य अधूरे रह गये? पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पूर्ण किये गये कार्यों के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी (झुंझुनूं) में गत पांच वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्य की सूची मय ग्राम व राशि का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। पूर्ण कार्यों की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि—

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)

1. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में शिक्षण व्यवस्था में सुधार तथा राजकीय महाविद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

2. राजकीय महाविद्यालय गोविन्दगढ़ (अलवर) के भवन निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

3. कस्बा खैरथल (अलवर) में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (दीगोद)

4. ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में कम विद्यालय खोलने तथा विद्यालयों की क्रमोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पद भरने तथा शिक्षा के गिरते स्तर पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

6. अलवर एवं भरतपुर जिलों के मेवात क्षेत्र में छात्राओं हेतु विशेष शिक्षा के लिये विभाग को पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

7. राज्य में शिक्षण व्यवस्था में सुधार एवं अध्यापकों की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

8. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर कस्बे में उच्च माध्यमिक विद्यालय में बायलोजी साइंस विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

9. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जिन्दोली-मुण्डावर बालिका. बासनी-राजवाड़ा-सराय कला माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

10. राजीव गांधी पाठशालाओं के पैराटीचर्स, मदरसा शिक्षा सहयोगी, डी.पी.ई.पी. शिक्षा कर्मी, लोकजुम्बिश कर्मी आदि का समान वेतन वृद्धि के नियम नहीं होने एवं विभिन्न असमानताओं के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

11. राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. नगर (भरतपुर) में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलने तथा भीलवाड़ा, बारा, सवाईमाधोपुर (कन्या) महाविद्यालयों सहित प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में उर्दू विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. शिक्षा विभाग में उर्दू शिक्षकों के खाली पद नहीं भरे जाने से उर्दू भाषा के अध्ययनरत छात्रों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा)

14. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय अरथूना में हिन्दी, भूगोल विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

16. राज्य में वर्तमान शिक्षा प्रणाली एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

17. राजीव गांधी पाठशालाओं के पैराटीचर्स, मदरसा शिक्षा सहयोगी. डी.पी.ई.पी. शिक्षा कर्मी, लोकजुम्बिश कर्मी आदि का समान वेतन वृद्धि के नियम नहीं होने व विभिन्न असमानताओं के कारण व्याप्त असंताष के समाधान पर चर्चा के लिये।

(श्री महादेव खण्डेला)

18. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र सहित राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पर नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

19. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त अध्यापक के पदों पर पदस्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. नाथद्वारा की संगीत एवं चित्रकारी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुये नाथद्वारा में कला एवं संस्कृति का केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)

21. तारानगर विधान सभा क्षेत्र में मां जालपादेवी महाविद्यालय में कला विषय का नया संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)

22. विभाग द्वारा अलवर के ऐतिहासिक दुर्ग एवं पुरातत्व भवनों के रखरखाव पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

23. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुढानाथावत को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उमर, सिलोद एवं नीमखेड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर, ब्राह्मणों की झोपड़िया को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

26. राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में सीटें बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु चर्चा के लिये।

28. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में 2004 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी)

30. विधान सभा क्षेत्र बूंदी की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की एवं फर्नीचर की कमी दूर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

31. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति क्षिणधरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सियांगो की ढाणी (शोभाला जैतमाल) वाम्मूओं का तला (मेहलू), दोलोणियों का तला, नेहरो का बेरा (नोखड़ा), सांइयों का तला, आडेल, खरींगाकुआ, धोलानाडी, सियोलो की ढाणी, दानोणियों की ढाणी को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. राजीव गांधी पाठशाला में कार्यरत शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स का तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. बाड़मेर जिले में सिंघासवा हरनियान, उडासर नोरव, रामसर का कुआं, कोशूल का माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. बाड़मेर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर)

35. जयपुर शहर में संचालित "कोड" कालेज आफ डिजाइन एण्ड इंजिनियरिंग, सुभाष नगर द्वारा विभिन्न स्कीमों के माध्यम से भारी शुल्क वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

36. विधान सभा क्षेत्र फागी की प्राथमिक शालाओं एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमरे एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र फागी के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र फागी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

39. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. अलवर में मत्स्य यूनीवर्सिटी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुरा)

41. श्री गंगानगर जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)

42. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिरपोई, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कडोदिया को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गादिया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलिया तहसील पचपहाड़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

43. विधान सभा क्षेत्र पीड़ावा (झालावाड़) के पंचायत समिति सुनेल के ग्राम सनोरिया ग्राम पंचायत बोलीयाबुर्जुग में एक नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा (झालावाड़) के रायपुर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने बाबत चर्चा के लिये।

डा. भंवर लाल राजपुरोहित (मकराना)

45. विधान सभा क्षेत्र मकराना में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

46. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में प्राथमिक पाठशाला व राजकीय उच्च प्राथमिक पाठशाला राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों व कमरों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

48. राजकीय बालिका व माध्यमिक विद्यालय जालौर में विषय अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

49. भीम विधान सभा क्षेत्र में एक तकनीकी एवं एक शैक्षणिक कालेज खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ती प्रसाद मीणा (थानागाजी)

50. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में स्टेडियम भवन के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

51. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कस्बा मंगवास में स्टेडियम के निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

52. विधान सभा क्षेत्र दूदू के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत कराने एवं विद्यालय परिसर में अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र दूदू के विद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण एवं सभी स्तर के विद्यालयों में पीने के पानी हेतु हैण्ड पम्प लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र दूदू में 1 किमी. से अधिक दूरी वाले स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र दूदू में ग्राम गैजी में आमा की ढाणी, ग्राम लोरडी में मीणों की ढाणी, ग्राम खेडीराम में भूरजी सारण की ढाणी, ग्राम इटाखोई में बागरियों की ढाणी, ग्राम रेटी में बागरियों की ढाणी में तुरन्त प्राथमिक विद्यालय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये।

56. छात्र अनुपात के अनुसार जयपुर जिले के अध्यापकों की संख्या सभी विद्यालयों में एक अनुपात में समान रूप से करने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

57. विधान सभा क्षेत्र सिरोही के राजकीय महाविद्यालय शिवगंज में स्नातकोत्तर कक्षा शुरू करने एवं जापाल व पोसालिया में बालिका माध्यमिक विद्यालय, खेजडिया, डोडूवा व आलपा में माध्यमिक विद्यालय, वेलांगरी व कृष्णगंज में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

58. शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तर के रिक्त पदों के खाली रहने से शिक्षा में हो रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

59. राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेज, पैरामेडिकल एवं टेक्नीकल संस्थाओं में अवैध रूप से वसूल की जा रही केपीटेशन फीस के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)

60. विधान सभा क्षेत्र खारची में नये स्कूल खोलने, क्रमोन्नत कराने एवं भवन रहित स्कूलों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र खारची में विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों एवं व्याख्याताओं की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

62. पहाड़ी क्षेत्र में स्कूलों को क्रमोन्नत करने एवं आवासीय विद्यालय खोलने व शिक्षा कर्मी योजना को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

63. हवामहल विधान सभा क्षेत्र में स्थित चौगान स्टेडियम में पूर्व में स्वीकृत इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. हवामहल विधान सभा क्षेत्र में स्थित चौगान स्टेडियम की हो रही दुर्दशा एवं पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध न होने से खिलाड़ियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र हवामहल में एक भी संस्कृत विद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र हवामहल क्षेत्र में स्थित राजकीय कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय में पेयजल, शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होने से अध्ययनरत छात्राओं को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

67. विधान सभा क्षेत्र भीम के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र/छात्राओं के बढ़ते पलायन को रोकने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र भीम में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

69. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में शिक्षकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मीणा (करौली)

70. करौली विधान सभा क्षेत्र में डी.पी.ई.पी. योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

71. विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर जिले में कला एवं संस्कृति की धरोहर का विकास कर पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

72. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा एवं कोटडा पंचायत समिति में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाने तथा लोक जुम्बिश द्वारा संचालित सहज शिक्षा केन्द्र एवं मुक्तांगन विद्यालय को बन्द हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रमेश खींची (कठूमर)

73. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में समस्त श्रेणियों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

74. राज्य में शिक्षा में आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)

75. शिक्षा विभाग में एक ही जगह पर कई वर्षों तक पदस्थापित शिक्षकों के नीतिगत निर्णयानुसार स्थानान्तरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

76. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माजीपुरा (जमवारामगढ़) के अध्यापकों को बदलने हेतु ग्रामीणों के आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

77. राज्य में निजी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं तकनीकि शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा नियंत्रण करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. राज्य के विद्यालयों में अध्यापकों के हजारों रिक्त पद होने से शिक्षा में हो रही अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. राज्य में पैराटीचर्स, शिक्षा सहयोगी एवं शिक्षाकर्मियों के स्थाई शिक्षक नियुक्त नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. राज्य में नये विश्वविद्यालयों को समुचित बजट उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

81. महाविद्यालय शिक्षा में राज्य में विद्यार्थियों के प्रवेश नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

82. विधान सभा क्षेत्र नैनवां के उच्च प्राथमिक विद्यालय रायथल, खजूरी, गम्भीरा के माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में बंजारा बस्ती ग्राम नृसिंगपुरा पंचायत समिति तालेड़ा में प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण बैरवा)

84. विधान सभा क्षेत्र नैनवां शहर तथा दुगारी (बूंदी) में स्थित पुराने भवनों की पेंटिंग कला को सुरक्षित एवं रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र नैनवां में रामगढ़ के मेज नदी किनारे स्थित पुराने महलों का संरक्षण एवं सुरक्षा पर चर्चा के लिये।

86. राज्य में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षा केन्द्रों का व्यवसायीकीकरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

87. पुष्कर क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिये।

88. अजमेर जिले की उच्च शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

89. राज्य में कला एवं संस्कृति की स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)

91. रानीवाड़ा में आई.टी.आई. में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)

92. राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)

93. राज्य में मदरसा शिक्षा के विकास हेतु राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन कर मदरसों का पंजीयन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. अलवर जिले की तहसील तिजारा एवं कोटकासिम के विद्यालयों को क्रमोन्नत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

95. अलवर जिले की तहसील तिजारा में महिला महाविद्यालय व भिवाड़ी क्षेत्र में विभिन्न टैक्निकल शिक्षा से सम्बन्धित डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. अलवर जिले की तहसील तिजारा व कोटकासिम के गांवों में स्कूलों को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कला एवं संस्कृति के विकास हेतु समुचित कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

98. शिक्षा क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा के नाम पर की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. डी.पी.ई.पी. योजना की सक्षम क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

100. अध्यापकों की कमी की वजह से सिकराय क्षेत्र के विद्यालय बन्द होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कम से कम 5-5 विद्यालय माध्यिमक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)

102. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के राजकीय विद्यालयों में निर्धारित छात्र/छात्राओं के अनुपात में विषय विशेष के अध्यापक/अध्यापिकाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

103. जयपुर के पालीटेक्निक कालेज की सुविधा सम्पन्नता को देखते हुये इसे इंजीनियरिंग कालेज में तब्दील करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के झोटवाड़ा, गोपालपुरा एवं मानसरोवर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

105. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के पृथ्वीराजनगर क्षेत्र में विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के झोटवाडा क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिये महाविद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)

107. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति, विद्यालयों की क्रमोन्नति करने एवं पाठशालाओं में वितरित की जाने वाली घुघरी का दुरूपयोग रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

108. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण (पाली) में इतिहास विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम पंचायत मुख्यालय निम्बाज के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)

111. नावां शहर (नागौर) की राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में कामर्स तथा राजकीय सूरजदेवी काबरा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन में विज्ञान (बायलोजी) विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र नावां में भावता, चौसला के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय का कार्यालय नागौर से कुचामन में स्थानान्तरित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. नावां शहर के वार्ड नं. 15 में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी से छात्रों की घटती संख्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

115. कुचामन तथा नावां तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

116. सिकराय विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर-पूर्व)

117. इंजीनियरिंग कालेज अजमेर में भवन निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र अजमेर पूर्व में सावित्री कन्या महाविद्यालय व कन्या विद्यालय (अनुदानित) में खाली पदों को भरने व प्रशासक के स्थान पर शिक्षा विद् के पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. अजमेर शहर के श्रीनगर रोड पर स्थित महात्मा गांधी सीनियर सैकण्डरी विद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. अजमेर जिले में राजकीय कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. अजमेर शहर में बालिका माध्यमिक विद्यालय नगरा के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

122. राजकीय महाविद्यालय रामगंजमण्डी में वाणिज्य व विज्ञान संकाय खोलने व भवन की स्थिति में सुधाएं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के मोडक गांव कस्बे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. कोटा संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत व्याकरण विषय में आचार्य कक्षायें प्रारम्भ करवाने एवं राजकीय संस्कृत प्राथमिक विद्यालय मोड़क को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

(श्री प्रहलाद गुंतल)

126. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, उदपुरा, मोड़क स्टेशन, खैराबाद, मण्डाना को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

127. बानसूर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

128. राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ में स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय को शहर में भूमि अथवा सरकारी भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. अजमेर जिले के किशनगढ़ में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय/ माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. किशनगढ़ (अजमेर) में एक नया सरकारी महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)

132. विधान सभा क्षेत्र बानसूर एवं बहरोड़ में सरकारी महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

133. सुमेरपुर में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)

134. राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में दिन प्रतिदिन गिरती गुणवत्ता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री गंगाराम चौधरी)

135. बाड़मेर जिले के विद्यालयों में भारी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. बाड़मेर जिले के अधिकांश उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

137. बाड़मेर की सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में विज्ञान के व्याख्याताओं द्वारा ट्यूशन न लेने वाले छात्रों को दण्डित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया)

138. विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा कर्मी स्कूलें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र-छात्रा अनुपात में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र फलासिया के आई.टी.आई. शिक्षण संस्थान में सिलाई एवं मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)

141. विधान सभा क्षेत्र बाली में नवीन शिक्षा कर्मी विद्यालयों के खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र बाली की राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में तब्दील किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र बाली में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र-छात्रा के अनुपात में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

145. विधान सभा क्षेत्र बाली में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु स्टेडियम, खेल मैदानों के विकास एवं निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

146. विधान सभा क्षेत्र मावली में उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल और खोलने एवं आई.टी.आई. मावली में अन्य विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा)

147. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के शाहपुरा में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

149. हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बापूनगर, भीलवाड़ा को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

151. सुमेरपुर में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. सुमेरपुर क्षेत्र में "बामनेरा-कोरटा" धर्मस्थल को विकसित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)

153. लोक जुम्बिश से पंचायत समिति गोगुन्दा में 45 सहज शिक्षा केन्द्र, 18 मुक्तांगन विद्यालय बन्द हो जाने से 2150 छात्र/छात्राओं का भविष्य अन्धकार में हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

154. पंचायत समिति कोटड़ा में प्राथमिक विद्यालय जालरा, तरावला में अपर्याप्त भवन एवं अध्यापक अनुपिस्थत रहने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)

155. पश्चिमी सीमावर्ती जिलों के विभिन्न समुदाय के लोगों विशेषकर मेघवाल,

(डा. जालम सिंह रावलोत)

भील, कालबेलियों द्वारा उपयोग में लिये जाने वाले पारस्परिक वाद्य यन्त्र एवं राजस्थानी लोकगीत भजन, भीलों की . पड़, रामदेवजी का बैयाला आदि के उत्थान की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. शिव विधान सभा क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सैकण्डरी तथा प्रत्येक राजस्व गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र शिव के ग्राम रामसर, गडरा रोड, हरसावी एवं झिझनीयाली (जैसलमेर) जैसे बड़े कस्बों में बालिका सैकेण्डरी स्कूल खोलने की नितान्त आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. थार रेगिस्तान के लोक कलाकारों का सर्वांगीण विकास, सांस्कृतिक तथा कला क्षेत्र में उनको जागृत करना तथा लुप्त होती कला के उत्थान की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. शिव (बाड़मेर) में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़)

160. ग्राम गाडौदा एवं सोला पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने एवं झाझड़, खेड़ी दत्तूजला, दीवानजी का बास, कन्टेवा व डूंगरवास के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ग्राम रोरू बड़ी एवं ग्राम दिसनाऊ (पंचायत समिति फतेहपुर) के माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में एवं ग्राम रोरू छोटी एवं ढाणी भाउजी के प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के ग्राम जसरासर एवं सूतोद, जेवली, ढहर का बास, तिड़ोकी बडी में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री केसर देव बाबर)

163. पंचायत समिति फतेहपुर के ग्राम भूमा छोटा एवं रिणु, राजपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ढाणी बालाजी की (झिलमिल), ढाणी रायलों की एवं ग्राम हापास की जोहड़ी, ग्राम नरसास की जोहड़ी, ग्राम डोटासरा की जोहड़ी, भूमा बडा की ढाणी में नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

165. दांतारामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम नौसाल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यिमक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. सीकर शहर स्थित राजकीय मारू कन्या सीनियर सैकण्डरी स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक नये सैक्शन खोलने की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. सीकर के राजकीय कल्याण महाविद्यालय में स्नातक स्तर तक सभी संकायों में नये सेक्शन इसी वर्ष स्वीकृत कर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. सीकर स्थित राजकीय श्री कल्याण महाविद्यालय में फर्नीचर, प्रयोगशालाओं एवं भवन की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।

169. सीकर शहर में नया राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीसिंह रावत (भीम)

170. विधान सभा क्षेत्र भीम में कला एवं संस्कृति के विकास पर चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

171. रायपुर तहसील के मगरा क्षेत्र में रावत, मेरात बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए माध्यमिक और कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने, पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र की तरह आश्रम स्कूल एवं आवासीय छात्रावास खोलने एवं रायपुर मुख्यालय पर महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

172. राज्य में संचालित निजी विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों के समान ही पाठ्य पुस्तकें रखने तथा निजी विद्यालयों द्वारा छात्रों को अपनी पुस्तकें थोपने पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (खैरथल)

173. विधान सभा क्षेत्र खैरथल में खेलकूद हेतु स्टेडियम बनाने पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र खैरथल के किशनगढ़बास में खेलकूद के लिये मिनी-स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र खैरथल स्थित किशनगढ़ बास में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

176. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में अध्यापकों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में संस्कृत विद्यालय बालाहेड़ा में प्रधानाध्यापक के रिक्त पद को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कस्बा गुडलिया सैकण्डरी स्कूल को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आई.टी.आई. खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम ढिगारिया कपूर में बालिका प्राथमिक शाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

181. धौलपुर राजकीय महाविधालय में एम.ए. में राजनीतिशास्त्र एवं हिन्दी, विषय, एम.एस.सी. में गणित व रसायनशास्त्र, बी.ए. में संस्कृत एवं लोक प्रशासन विषय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के पुराना छावनी, मारौल मैसेना, निसनोदा, तगावली, नुनहेरा, कुम्हरी, द.राखड़ा तथा धौलपुर शहर में इन्फन्ट स्कूलें को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

183. धौलपुर जिले के पचगांव, विरोधा, कासिमपुर, मानपुर, महाराना स्कूलों के भवनों में अतिरिक्त कमरे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. धौलपुर शहर के गड़रपुरा मिडल स्कूल भवन को असुरक्षित घोषित किये जाने के बावजूद भी नया भवन नहीं बनाये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

185. धौलपुर जिले के पचगांव उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान विषय खोलने तथा सेपऊ उच्च माध्यमिक विद्यालय में बायलोजी विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)

186. सैन्य सेनाओं में जाने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिये सरकार द्वारा सैनिक प्रशिक्षण विद्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. बैराठ विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बाबा भगवानदास महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा को कृषि महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने व विज्ञान विषय को स्नातकोत्तर शिक्षा तक क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. बैराठ विधान सभा क्षेत्र के राजकीय गंगादास बालिका महाविद्यालय शाहपुरा में प्रथम वर्ष कला का एक संकाय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)

189. ग्राम इटावा जिला कोटा में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. शिक्षा कर्मी विद्यालयों में कमरों/भवनों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

191. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी स्कूलों से बाधित शिक्षण कार्य पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में अध्यापक/अध्यापिकाओं की कमी पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

193. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भाजूपुरा झाझवाड को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. कस्बा बस्सी जिला जयपुर में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. शिक्षा विभाग में अध्यापकों की कमी को देखते हुए प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

196. राजगढ़ (चूरू) में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये।

197. राजकीय शालाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

198. राजकीय प्राथमिक शालाओं में चार दीवारी रहित शालाओं में चारदीवारी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. राजगढ़ (चूरू) में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (माण्डल)

200. राज्य में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कक्षा छठी से बारहवीं तक के समस्त विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

202. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के विद्यालय भवनों की मरम्मत, विस्तार एवं उनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में नये विद्यालय खोलने, क्रमोन्नत करने एवं उनमें रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री नवरतन राजोरिया)

204. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं सांभर स्थित राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति व अतिरिक्त विषय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. सवाई मानसिंह अस्पताल में विभिन्न प्रकार की जांच का कार्य प्राइवेट हाथों में देने एवं अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

206. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से शिक्षण कार्य प्रभावित होने एवं ग्राम पावटा में महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि —

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

1. रामगढ़ (अलवर) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

2. गोविन्दगढ़ (अलवर) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

3. विभाग द्वारा न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु व्यावहारिक नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. विधि एवं न्याय विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिकों के फिक्शेसन नहीं होने के कारण एवं वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. नगर (भरतपुर) में ए.डी.जे. कोर्ट नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)

6. तहसील नादौती जिला करौली में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

7. खण्डेला (जिला सीकर) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)

8. नाथद्वारा ए.डी.जे. कोर्ट के भवन को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)

9. अलवर में नये न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

10. फागी एवं चाकसू तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

11. मकराना कस्बे में ए.डी.जे. कोर्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

12. राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने की पहल करने एवं सरकारी महिला अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

13. राज्य के न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कारगर कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)

14. सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने की कार्यवाही में पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

15. जयपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालयों में पक्षकारों, अभिभावकों एवं न्यायाधीशों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. जयपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के भवन का विस्तार करने एवं अन्य स्थानों पर चल रहे न्यायालयों को एक ही छत के नीचे लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

17. न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नहीं भरने से न्याय मिलने में हो रही देरी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. लोसल (सीकर) में न्यायालय की स्थापना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

19. विभाग द्वारा लघु अपराधों के लिए विशेष न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र नैनवां (बून्दी) में मोटर दुर्घटना प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विभाग द्वारा प्रमुख कस्बे देई (तहसील नैनवां) में न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति के वकीलों की नियुक्ति करने में विफलता पर चर्चा के लिये।

23. न्यायपालिका में दलित वर्ग के व्यक्तियों को नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

डा. श्री गोपाल बाहेती (पुष्कर)

24. राज्य में न्याय प्रशासन के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा)

25. अलवर जिले में श्रम न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

26. राज्य में न्यायालयों में पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. न्याय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करते हुए सिकराय में ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण हेतु विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)

29. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की सब तहसील चेचट मुख्यालय पर मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. कोटा में उच्च न्यायालय की बैन्च खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

31. सुमेरपुर में ए.सी.जे.एम. एवं ए.डी.जे. न्यायालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

32. विधान सभा क्षेत्र मावली में ए.डी.जे. कोर्ट व उदयपुर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)

33. विभाग द्वारा उपखण्ड मुख्यालय-बांदीकुई के न्याय अधिकारियों की आवास सम्बन्धी समस्या हेतु कारगर कदम उठाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

34. सुमेरपुर उपखण्ड न्यायाधीश निवास हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

35. धौलपुर कचहरी में वकीलों के लिए तथा जनता के बैठने के लिए कोई भवन व्यवस्था नहीं होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल)

36. धौलपुर कचहरी प्रांगण में जनता के लिए पीने के पानी तथा शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

37. धौलपुर जिले के सेपऊ तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. धौलपुर में बाल न्यायालय तथा श्रम न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)

39. न्यायालयों में लम्बित मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40.. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यायिक अधिकारियों के साथ समानता के व्यवहार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का बैकलाग पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)

42. राजगढ़ (चूरू) स्थित न्यायालयों में वकीलों हेतु बार रूम के लिए भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राजगढ़ (चूरू) में अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यालय हेतु भूमि आबंटन हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)

44. अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उच्च न्यायालय के समान कैडर व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

46. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के सांभर स्थित न्यायालयों में बढ़ते मुकदमों की

(श्री नवरतन राजोरिया)

संख्या को देखते हुए सांभर में अतिरिक्त न्यायालय एवं किशनगढ़-रेनवाल में नया न्यायालय सृजित किये जाने के सम्ब्रन्ध में चर्चा के लिये।

47. राज्य के विभिन्न न्यायालयों की आवश्यकता के अनुरूप भवन व्यवस्था एवं विद्यमान भवनों की मरम्मत व विस्तार करने के सम्यन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर)

48. राजस्थान उच्च न्यायालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के वकीलों को सहायक राजकीय अधिवक्ता, उपराजकीय अधिवक्ता, अति. राजकीय अधिवक्ता नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा, कला एवं संस्कृति वाला आपने कर ही दिया, न्याय प्रशासन का कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : चर्चा शुरू। श्री बत्ती लाल मीणा।

सदस्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2004

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

अनुदान की मांग

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 287

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 286

अनुपस्थिति अनुमति

-श्री रामप्रताप कासनियां सदस्य राजस्थान विधान सभा को वर्तमान सत्रान्त तथा सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति 30

व्यवस्था

-एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा की जा सकती है 77

स्थगन प्रस्ताव

-श्री अमराराम धोद एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से किसानों की बिजली सप्लाई घटा देने एवं जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के समबन्ध में 31

-श्री रामनारायण मीणा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से पुलिस थाना कोतवाली बारां में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 437 एवं प्रमुख मुलजिमान की गिरफ्तारी 31

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खेल

-पृथ्वीराज खेल नगर (अजमेर) की प्रस्तावित विकास योजना 355

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खेल

-कृषकों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु बजरी एवं पत्थर की रायल्टी में छूट 355

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 242

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 242

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-सवाई माधोपुर जिले में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य 25

स्थगन प्रस्ताव

-किसानों की बिजली सप्लाई घटा देने एवं जले हुए ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 34

श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-गंगरार व राशमी पंचायत समिति में रिक्त पद 402

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 237

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 237

तारांकित प्रश्नोत्तर

खेल

-गंगरार के विद्यालयों में खेल के मैदान 335

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-राजकीय महाविद्यालय सलूम्बर में गृह विज्ञान विषय 55

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-जालौर जिले में बजरी के ठेकेदारों द्वारा जमा अमानत राशि	367
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-जसवन्तपुरा पंचायत समिति के विकास अधिकारी के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच	346
श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में प्राप्त राजस्व से विकास कार्य	365
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	211
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	211
श्री अशोक बैरवा (खण्डार)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सवाई माधोपुर जिले में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य	21
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	4
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना	62
श्रीमती उषा पूनिया (मूंडवा), राज्य मंत्री	
अनुदान की मांग	
विचार	
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	256

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-टोडारायसिंह पंचायत समिति के विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार	334
व्यवस्था का प्रश्न	
-एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा करने विषयक	76
श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय, प्रशासन-मांग संख्या 6	170
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	170
श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-खातेदारी भूमि से वृक्ष कटाई पर पारगमन पत्र की अनिवार्यता	385
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय, प्रशासन-मांग संख्या 6	225
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	225
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बस्सी (जयपुर) के गांवों में पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन	53
श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र	393
श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	82

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कालूराम यादव (हिण्डौन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-महुवा जयपुर मार्ग पर संचालित बस के परिचालक द्वारा विकलांग महिला यात्री से दुर्व्यवहार	437
श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सवाई माधोपुर जिले में जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य	21
डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
पुनर्वास	
-अलवर एवं भरतपुर जिले में कस्टोडियन भूमि का आवंटन	15
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा (नदबई)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य (भरतपुर) में पर्यटकों की घटती संख्या	328
श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-प्रधान, मुख्य वन संरक्षक पद का औचित्य	386
श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय, प्रशासन-मांग संख्या 6	128
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	128

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-हज हाउसों का निर्माण	26
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	86
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना	64
श्री गोविन्दराम चौहान (नोखा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-खाजूवाला थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 206/2001	378
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	3
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
अनुदान की मांग	
प्रस्तुति	
-न्याय, प्रशासन-मांग संख्या 6	101
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	101
विचार	
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	257
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-तारानगर में चारा डिपो संचालकों का लम्बित भुगतान	426

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	
-खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक	333
डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-शिव में विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि	441
श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-आनन्दपुरी व बागीजेरा पंचायत समिति में अकाल राहत कार्यों का लम्बित भुगतान	429
श्री जीतराम (मालपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
श्रम एवं नियोजन	
-औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों का उल्लंघन	339
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय, प्रशासन-मांग संख्या 6	248
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	248
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-हज हाउसों का निर्माण	29
पुनर्वास	
-अलवर एवं भरतपुर जिले में कस्टोडियन भूमि का आबंटन	13
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	98

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस रेन्ज में उप महानिरीक्षकों का पदस्थापन	381
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-पाली जिले में बबूल ठेके में व्याप्त अनियमितता	292
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना	62
श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	85
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	201
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	201
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-पंचायत राज संस्थाओं का पुनर्गठन	339
श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-खेतड़ी में भू-संरक्षण कार्यों में अनियमितता	447
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	204
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	204

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-झुन्झनूं सीकर एवं जयपुर जिले में आबंटित खानें	349
श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	95
व्यवस्था का प्रश्न	
-एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा करने विषयक	75
श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-वाहन की कीमत अनुसार राज्य पथ कर की वसूली	435
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-राजगढ़ (चूरू) पंचायत समिति की वृद्धावस्था पेन्शन प्रकरण	337
श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम द्वारा अजमेर बस अड्डे पर आबंटित दुकानें	439
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना	60
श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-बांसवाड़ा जिले की भवन/गोदाम रहित सहकारी संस्थाएं	394
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-फुलेरा के थानों में दर्ज प्रकरण	372

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री निर्भय लाल (रूपावास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-बयाना एवं रूपवास (भरतपुर के एम्स रायलटी ठेकेदारों द्वारा अनियमित वसूली	357
श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
श्रम एवं नियोजन	
-बाली के शिक्षित बेरोजगारों को स्वीकृत ऋण का भुगतान	387
श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-झुन्झुनूं जिले में चल रही अनधिकृत खानें	366
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेडा)	
व्यवस्था का प्रश्न	
-एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा करने विषयक	74
श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-इटावा (कोटा) ग्राम में नवनिर्मित बस अड्डे पर बसों का ठहराव	440
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-बारां जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण	342
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-जिला वन अधिकारी (बेगूं) द्वारा सीमेन्ट एवं बीज खरीद	382

नाम	पृष्ठ संख्या
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	120
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	120
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-चम्बल फर्टीलाइजर्स कोटा द्वारा प्रदूषण	335
श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोतर	
गृह	
-पुलिस थाना नादौती (करौली) में दर्ज इंजन चोरी प्रकरण	379
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	101
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	101
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	231
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	231
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-परिवहन निगम के दोषी मुख्य प्रबन्धकों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति	326
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	5

नाम	पृष्ठ संख्या
प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	194
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	194
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष	
सूचना	
-द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी	180
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	146
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	146
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-राज्य से बाहर निगम बस स्टैण्ड पर मूलभूत सुविधाएं	288
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति केन्द सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	6
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	82
व्यवस्था का प्रश्न	
-एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा करने विषयक	73
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सरपंच, ग्राम पंचायत सरना डूंगर (जयपुर) द्वारा सरकारी भूमि का अवैध बेचान	399

नाम	पृष्ठ संख्या

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना)

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 172

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 172

श्री भरत सिंह (दीगोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-बालिका आवासीय विद्यालय हिंगी (कोटा) का स्वीकृत बजट 389

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)

याचिका

-मदनगंज किशनगंज में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने विषयक 72

श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि 1

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन

-खनन कार्य में प्रदूषण रोकथाम के उपाय 433

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-सुमेरपुर पंचायत समिति में मिड-डे-मिल पोषाहार वितरण में अनियमितता 344

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-सांडेराव (सुमेरपुर) में पर्यटक रिसोर्ट का निर्माण कार्य 55

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण 97

नाम	पृष्ठ संख्या
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	157
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	231
सूचना	
-द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी	184
श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा स्वीकृत ऋण वसूली	391
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	140
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	140
मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	205
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	205
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-हज हाउसों का निर्माण	26
पुनर्वास	
-अलवर एवं भरतपुर जिले में कस्टोडियन भूमि का आबंटन	18

नाम पृष्ठ संख्या

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-अभियोजना विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पद 375

श्री रमेश खींची (कठूमर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-कठूमर पंचायत समिति द्वारा पोषाहार टेण्डर में अनियमितता 444

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता

-राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ताओं संघ द्वारा दवा विक्रय पर बिक्री कर 397

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 229

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 229

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-परबतसर (नागौर) उपखण्ड में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय 51

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर)

अतारंकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-पचार (सीकर) ग्राम में अकाल राहत कार्यों में अनियमितता 420

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 246

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 246

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	175
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	175
श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	4
श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-वाहन चोरी की रोकथाम हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ	303
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना	62
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)	
समिति प्रतिवेदन : याचिका	
-याचिका समिति 2004-05 का प्रथम प्रतिवेदन	72
सूचना	
-द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी	182
श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति/सम्मान	374

नाम	पृष्ठ संख्या
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	167
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	167
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-डीजल चोरी के प्रकरण में लिप्त अधिकारी/कर्मचारी	341
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण	95
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कृषि विपणन केन्द्र गोनेड़ा को बन्द किये जाने विषयक	59
श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-डेगाना (नागौर) में निर्धारित बस स्टैण्ड	434
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-नागौर आगार से अन्तरराज्यीय बस सेवा	348
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति निगम द्वारा पाली जिले को आबंटित राशि	330
श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-फागी एवं चाकसू तहसील में मुंसिफ न्यायालय	49
श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-आमेर के विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था	50

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन) मुख्य मंत्री	
सूचना	
-द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी	179
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम) राज्य, मंत्री	
अनुदान की मांग	
विचार	
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	249
श्री विजय बंसल (भरतपुर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सुजान गंगा नहर के जीर्णोद्धार में हुई गड़बड़ी की जांच	52
श्री विष्णु मोदी (मसूदा)	
सूचना	
-द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी	182
श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)	
अनुदान की मांग	
विचार	
-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6	226
-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24	226
श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस रेन्ज में उप महानिरीक्षकों का पदस्थापन	381
तारांकित प्रश्नोत्तर	
वन	
-पाली जिले में बबूल ठेके में व्याप्त अनियमितता	292

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली)

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 — 213

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 — 213

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-पाटोली (भीलवाड़ा) ग्राम में ध्वस्त निर्माण प्रकरण — 440

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 — 239

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 — 239

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस थाना दरगाह बाजार अजमेर हेतु भवन निर्माण — 340

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-बागौर (करौली) ग्राम पंचायत में डुप्लीकेट पट्टे जारी करने के लम्बित प्रकरण — 420

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 — 107

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 — 107

नाम	पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण

-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि 3

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

-मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सी.डी. प्रकरण 83

व्यवस्था का प्रश्न

-एक बार उठाये जा चुके प्रकरण पर उसी सभा में दुबारा चर्चा करने विषयक 73

डा. समरजीत सिंह (भीनमाल)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-ग्राम नरसाणा (भीनमाल) में स्वीकृत जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण कार्य 302

श्री सांवर लाल (भिनाय), मंत्री

सूचना

-द पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 से उत्पन्न स्थिति के बारे में नवीनतम जानकारी 185

श्री सी.डी. देवल (रायपुर)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-पाली जिले में निजी ट्रस्टों/संस्थाओं को अकाल राहत सामग्री 427

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 104

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 104

नाम	पृष्ठ सख्या

श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया (भीलवाड़ा)

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 220

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 220

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

--कोटपूतली की कस्टोडियन भूमि का नियमन 388

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 218

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 218

तारांकित प्रश्नोतर

पुनर्वास

-अलवर एवं भरतपुर जिले में कस्टोडियन भूमि का आबंटन 16

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-डिग्गी (टोंक) ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पट्टा वितरण में अनियमितता 408

डा. सुरेश चौधरी (भादरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-भादरा में सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास कोष से स्वीकृत राशि 446

श्री सुरेश मीणा (करौली)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस कर्मियों की अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति 379

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	3
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा सदन को गलत सूचना	62
श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सहकारिता	
-घाटे में संचालित सहकारी संस्थाएं	392
श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-सरपंच, ग्राम पंचायत घाटवा (नागौर) द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच	397
श्री हरीसिंह रावत (भीम)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-राजकीय व्यय में मितव्ययता बरतने विषयक	54
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कारागार	
-कारागृह कर्मियों की समयबद्ध पदोन्नति	382
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-अनुसूचित जाति/जनजाति के सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि	1
श्री हीरालाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-सवाई माधोपुर जिले में बनास नदी की बजरी पर वसूली जा रही रायल्टी	371

नाम — पृष्ठ संख्या

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-किशनगंज एवं शाहबाद (बारां) में स्वयं सेवी संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें 442

तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारिता

-अपेक्स बैंक जयपुर के सहायक महाप्रबन्धक के विरुद्ध लम्बित जांच प्रकरण 293

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

अनुदान की मांग

विचार

-न्याय प्रशासन-मांग संख्या 6 133

-शिक्षा, कला एवं संस्कृति-मांग संख्या 24 133